लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(Seventh Lok Sabha)

(तेरहवां सत्र)

53(13)
22 6 84

(खंड 43 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 22 गुरुवार, 22 दिसम्बर 1983/1 पौष, 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 430, 431, 433, 436, 438 और 441 — 1-22

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 432, 434, 435, 435(क), 437, 439, 440 और 442 से 449 — 23-36

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4879 से 5111, 5111(क) और 5111(ख) — 36-226

दिनांक 1-12-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1422 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

लोक सभा के महासचिव श्री अवतार सिंह रिखी के सेवानिवृत्त होने पर कार्यभार से मुक्त होने के बारे में घोषणा — 227-240

सभा-पटल पर रखे गए पत्र — 240-262

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

65वीं से 68वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

राज्य-सभा से संदेश — 263

लोक लेखा समति — 263-264

प्रतिवेदनों आदि में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

लोक लेखा समति — 264

174वां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समति

56वां प्रतिवेदन, 59वां प्रतिवेदन, 60वा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-

*किसी नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सारांश और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 55वां प्रतिवेदन आदि। 265

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति 265-266

की गई कार्यवाही सम्बन्धी 18वें प्रतिवेदन के बारे में सरकार के अंतिम उत्तरों का विवरण, आदि।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

42 वां प्रतिवेदन 266

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 266-289

देश के कुछ राज्यों में लगातार वर्षा होने और बीमारियों के कारण कपास की फसल खराब हो जाने के समाचार तथा सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर 266

राव वीरेन्द्र सिंह 266

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति 275

श्री राम सिंह यादव 277

श्री चन्द्रजीत यादव 281

ब्रेन्टफोर्डइलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—पुरःस्थापित 289-290

नियम 377 के अधीन मामले 290-298

(एक) अमेरली में एक टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग 290
श्री नवीन रावणी

(दो) बिहार में धान की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना 291
श्री डूमर लाल बैठा

(तीन) राजस्थान टोंक जिले में वहुप्रयोजनीय बोसलपुर बांध योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र अनुमोदन किए जाने की मांग 291

श्री बनवारी लाल बैरवा

(चार) कपास और तैयार माल की कीमतों में समानता के सिद्धांत को क्रियान्वित करना 291
श्री उत्तर राठौर

(पांच) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोणार्क मन्दिर में 'सी एट लयूमिरे' (दृष्य-श्रव्य) कार्यक्रम करना
श्री बृजमोहन महन्ती 292

(छ:) खानपुर अहीर फ्लैश स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाना
श्री रामसिंह यादव 292

(सात) कश्मीर हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता
श्री अब्दुल रशीद काबुली 292

(आठ) देश भर में 'नाफेड' और एन० सी० सी० एफ० द्वारा चाय का विक्रय करके चाय की कीमत को नियंत्रित करने की आवश्यकता
श्रीमती किशोरी सिन्हा 293

(नौ) दुर्गापुर उर्वरक कारखाने का विस्तार
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 293

(दस) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह से कलकत्ता और मद्रास तक भारतीय नौवहन निगम के जहाजों की अनियमित सेवा
श्री बाबूराव परांजपे 294

(ग्यारह) इकबालपुर शुगर फैक्ट्री, सहारनपुर द्वारा गन्ने की पिराई में विलम्ब और गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान न करना
श्री जगपाल सिंह 295

(बारह) भावनाथपुर में पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुविधायें न दिया जाना
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 295

(तेरह) ब्रिटेन के ग्रेनाडा टेलीविजन द्वारा निर्मित एक फिल्म में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की छवि को गलत रूप में पेश किया जाना और भारत में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की मांग
श्री चित्त बसु 296

(चौदह) पालेकर पंचाट का क्रियान्वयन
श्री मूलचन्द डागा 296

(पन्द्रह) आगरा और मथुरा से नई दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों के लिए रेलगाड़ी की अपर्याप्त सुविधायें

श्री राजेश कुमार सिंह 297

(सोलह) पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने में भेदभाव

श्री अजय विश्वास 297

(सत्रह) पटना-गया रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में परिवर्तित करना

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा 298

(अठारह) पटना के राज्य खाद्य निगम गोदामों से उचित दर की दुकानों खाद्यान्न की अनियमित सप्लाई

श्री ामावतार शास्त्री 298

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में संकल्प—स्वीकृत

श्री बी० शंकरानन्द 299-306

गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 306

68वां प्रतिवेदन

विधेयक—पुर: स्थापित

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 66 में संशोधन) 306

श्री बी० वी० देसाई

विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिक (संसद तथा राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व विधेयक

श्री बी० वी० देसाई 307

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 12 क का अन्त: स्थापन, आदि)

श्री राम विलास पासवान 307

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन) 308

श्री राम विलास पासवान

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 60 और 159 में संशोधन) 346

प्रो० नाराण चन्द पराशर

संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 94 और 179 में संशोधन 346

प्रो० नारायण चन्द पराशर

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 31 ख में संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव—चर्चा समाप्त 308

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 313-346

विचार करने का प्रस्ताव

प्रो० पी० जे० कुरियन 313

श्री सत्यगोपाल मिश्र 323

श्री जी० एस० रेड्डी 325

श्री जगपाल सिंह 328

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 330

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 332

श्री गिरधारी लाल व्यास 334

श्री टी० नागरत्नम 337

श्री राम प्यारे पनिका 343

तेल क्षेत्र (विनियमनन तथा विकास) संशोधन विधेयक 347-353

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० शिवशंकर 347

श्री एम० एम० लारेंस 348

श्री राजेश कुमार सिंह 349

श्री मोती भाई० आर० चौधरी 351

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 351

खंड 2, 3 और 1 352-353

पारित करने का प्रस्ताव

श्री पी० शिवशंकर

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 354

राज्य सभा द्वारा यथा पारित 354-441

पशुओं को चर्बी के आयात के बारे में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा 354-441

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 354

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे 368

श्री सोमनाथ चटर्जी 373

आचार्य भगवान देव 380

डा० कर्ण सिंह 385

श्री उमाकान्त मिश्र 389

श्री जयपाल सिंह कश्यप 392

श्री राम प्यारे पनिका 393

श्री भागवत झा आजाद 396

श्री कृष्ण कुमार गोयल 404

श्री विजय कुमार यादव 411

श्री ए० के० राय 412

प्रो० सैफुद्दीन सोज 416

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 418

लोक सभा

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1983/1 पौष 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : नमस्कार, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार, नमस्कार ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : क्या अगले वर्ष बजट सत्र में मिलने की कोई सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : निश्चित, श्रीमन् । आप इसे पक्का समझिए । आप चिंता न करें, मैं यह सुनिश्चित करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो हम मिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हालदर जी मेरे भाई हैं, इनको मालिश करके तन्दरुस्त रखेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : अगली संसद में भी हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे, बशर्ते कि आप चुनाव लड़ें । हम आपका समर्थन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो एक कन्वैशन आप करें, तब बनता है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एक ही औषध से बनी दवाइयों के ब्रांड नाम

* 430. **श्री सत्यनारायण जटिया** † :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ही औषध से बनी दवाइयों के ब्राण्ड का नाम पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार देश में नई औषधियों को प्रोत्साहन देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री, (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त, 1982 को दिए गए फैसले में यह घोषित किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करना कि एकल सक्रिय घटक वाली औषधि बाजार में केवल प्रजातीय नाम से बेची जायेगी, अवैध है और संविधान का उल्लंघन है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक अपील (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है। विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली गई है। अतः यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मंत्री महोदय के उत्तर पर आश्चर्य हो रहा है। मैंने प्रश्न को दो भागों में पूछा है, लेकिन उन्होंने एक भाग का उत्तर देकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। उन्होंने बताया है कि जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा है: सरकार का विचार किस प्रकार देश में नई औषधियों को प्रोत्साहन देने का है ?" इसका जवाब नहीं दिया गया है। पहले इसका जवाब आ जाए, तब मैं पूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले जवाब में दूसरा जवाब निहित है।

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं है।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब बिल्कुल कैटेगरिकल किया गया है। जब गवर्नमेंट ने डिसिजन लिया कि जेनेरिक नाम से दवाएं बेची जाएं, तो उस डिसिजन के खिलाफ कुछ कंपनियां हाई कोर्ट में गई। इस बारे में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, हैल्थ मिनिस्ट्री उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन से पहले मैं कैसे जवाब दे सकती हूं कि गवर्नमेंट इसको रीकनसिडर करने जा रही है या नहीं। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, जब तक हमें उच्चतम न्यायालय से निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता, मेरे लिए कोई जानकारी प्रकट करना सम्भव नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मामला बना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी इच्छानुसार नहीं बना है।

प्रो० मधु दंडवते : वे उत्तर नहीं दे रहे हैं। हो सकता है, उच्चतम न्यायालय निर्णय न दे।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि डिसिजन के बाद

गवर्नमेंट दवाओं के प्रोडक्शन में किस तरह प्रोत्साहन दे रही है और इसका प्रोडक्शन पर क्या असर हुआ है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : सरकार ब्रांड नेम नहीं रखना चाहती है, और जेनेरिक नेम रखना चाहती है, यह एक अलग विवाद है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसन्धान की व्यवस्था हो और अच्छी दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और वे लोगों का सुलभ हों, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : इस डिसिजन के बाद सरकार के पास जो नई कम्पनियोंसे एप्लीकेशन्ज आई हैं कि वे जेनेरिक नेम से अपनी दवाएं बेचना चाहते हैं, वे हैं 32 और जेनेरिक नेम की जो नई ड्रग्ज मार्केट में आई हैं, वे हैं 23 । इस डिसिजन के बाद इतनी कम्पनियां जेनेरिक नेम से दवाओं का उत्पादन कर रही हैं, इससे पता लगता है कि अच्छी दवाएं मार्केट में आएं, सरकार ने इसके लिए जो कार्यवाही की है, उसमें सफलता मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते हंसते हुए आई हैं । डिपुटी मिनिस्टर साहब का बयान देना उनको अच्छा लग रहा है । एक दूसरे के साथ उनकी रिपोर्ट हो रही है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : हम भाइयों को इस पर हंसना नहीं चाहिए, हमको समझना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको केवल महिला सदस्यों की ओर ही नहीं देखना चाहिए। आपको हमारी ओर भी देखना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : लोगों को सस्ती, अच्छी और उपयुक्त दवाएं मिलें और वे सबको सुलभ हों, यह सब की इच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : घर की बातें यहां करने की इजाजत नहीं है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : आफिशल बातें हैं ।

श्री सत्यनारायण जटिया : दवा के नाम का महत्व नहीं है, महत्व उसके गुण का होना चाहिए । सरकार की जो मंशा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है । लेकिन आम आदमी की समझ में आना चाहिए कि किसी दवा में क्या चीज है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । क्रोसीन और सीटामोल, इनमें से क्रोसीन में पैरासीटामोल है और सीटामोल में भी पैरासीटामोल है, और उसकी क्वान्टिटी उसमें लिखा रहती है । आम आदमी को पता नहीं होता कि उसमें कितनी मात्रा है, 500 मिलीग्राम है या 250 मिलिग्राम है । मेरा कहना यह है कि आप जो ब्रैंड नेम हटा रहे हैं, उसकी मैं कोई वकालत नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात की क्या गारण्टी होगी कि बाजार में गलत दवायें बिकने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वह नहीं होने पायेगा । यह

तू डाल डाल, मैं पात-पात नहीं चलना चाहिए। स्टैंडर्ड दवायें सही कीमत पर आम जनता को सुलभ हो सकें, इस दृष्टि से सरकार क्या प्रयास करेगी ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी: जितना माननीय सदस्य दवाओं और गरीबों के लिए चिंचित हैं, उतनी ही सरकार भी चिंचित है। ब्रैंड नेम से जेनेरिक नेम पर जाने का जो डिसीजन लिया गया है वह इसलिए कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग गांवों में रहते हैं. जिनका ब्रैंड नेम से एक्सप्लायटेशन होता आया है, उसको रोका जा सके। प्राइसेज के बारे में माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसका ताल्लुक हमारे मंत्रालय से नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई ओपीनियन नहीं दे सकती हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो जो एक जरूरी बात थी उसका दायित्व दूसरे मंत्रालय पर डाल दिया गया है। मैं यह कह रहा था कि गलत दवा का गलत असर पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला इतना आसान नहीं है। लोगों को सुविधा मिले, यह बात तो ठीक है लेकिन ठीक और स्टैंडर्ड दवा मिले, इस सम्बन्ध में आपने कोई अध्ययन किया होगा। "मेडिसिन फार मासेज" श्री मदन गौर की पुस्तक को मैंने पढ़ा है। आप दवाओं को सस्ते भाव पर दिलाना चाहते हैं लेकिन दवाओं की क्वालिटी का क्या होगा ? दवाओं के लिए अनुसंधान करने की प्रवृत्ति बनी रहे—इस बारे में मंत्रालय की क्या नीति है ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : जनता को सस्ती कीमत पर दवायें मिलें, केवल यही एक मकसद सरकार का नहीं है, हमारा मकसद यह भी है कि उनको स्टैंडर्ड मेडिसिन मिलें। इस सम्बन्ध में हम ड्रग कन्ट्रोलर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टैंडर्ड मेडिसिन दिलाने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, करेंगे। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा देश अब औषधियों का निर्यात भी कर रहा है क्योंकि हम स्तरीय औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं। जहां तक औषधियों के स्तर का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में काफी रुचि ले रहा है और हम लोगों को स्तरीय औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : श्रीमन् मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रश्न के भाग (ख) की ओर दोबारा दिलाना चाहता हूं :

> "यदि नहीं तो सरकार का विचार किस प्रकार देश में नई औषधियों को प्रोत्साहन देने का है ?"

प्रयुक्त शब्द "देश में नई औषधियां" हैं। मुद्दा यह है कि जब कोई नई औषधि बाजार में में लानी होती है, तो काफी अनुसंधान कार्य करना पड़ता है। केवल वही कम्पनियां जिनके पास अनुसंधान तथा विकास की सुविधा है तथा इसके लिए आधारभूत ढांचा है, इस प्रकार का अनुसंधान कर सकती हैं तथा नई औषधि चला सकती हैं। यदि उन्हें भी अन्य किसी औषधि की तरह लिया जाना है और यदि आप इसे प्रजातीय औषधि बना रहे हैं, तो अनुसंधान करने में कौन रुचि लेगा ? मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि ब्रांड नाम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हो सकता हूं।

लेकिन पूछा गया सुस्पष्ट प्रश्न यह है कि जब आप इन सभी वस्तुओं को प्रजातीय बना देंगे तो कोई नई औषधि बाजार में कैसे आ सकती है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता था कि सरकार का क्या प्रस्ताव है। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बड़ा अनुसंधान तथा विकास संगठन स्थापित करता है और तब वे किसी नई औषधि की खोज करते हैं तथा फार्मूले को उत्पादन के लिए दे देते हैं तो यह बात मेरी समझ में आती है। मैं इसे समझ सकता हूं। अब, ऐसा न होने से क्या आप अनुसंधान तथा विकास के जारी अन्य कार्य को बन्द नहीं करने जा रहे हैं? वास्तव में प्रत्येक कम्पनी का दृष्टि कोण वाणिज्यिक है। यदि आप उन्हें इस प्रणाली को अपनाने की अनुमति नहीं देते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि वे नई औषधियां नहीं बनाएंगे। हम नुकसान में रहेंगे।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, सरकार की प्राथमिक चिंता, निःसन्देह, प्रभावकारी औषधियों के लिए है जिन्हें आम जनता को ऐसे मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके जिसके लिए वे समर्थ हों। हम ऐसी नई औषधियों के बारे में भी बराबर दिलचस्पी रखते हैं जो प्र ावकारी हो सकें तथा जो प्रभावकारी होनी चाहिएं। हम ऐसी नई औषधियों के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन समस्या यह है कि पूरा मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ब्रांड नाम तथा प्रजातीय नाम के बारे में न्यायालय के समक्ष कोई आधार लेने के बाद सरकार कोई दृष्टिकोण नहीं अपना सकती, और जब तक इस पूरे मामले पर न्यायालय निर्णय नहीं देता; हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री एन० के० शेजवलकर : प्रश्न यह पैदा होता है कि आपके पास नई औषधियां कैसे आएंगी तथा उस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

श्री बी० शंकरानन्द : चाहे नई औषधि हो या पुरानी, चाहे वह ब्रांड नाम के अन्तर्गत है या प्रजातीय नाम के, यह पूरा विवाद न्यायालय के समक्ष है।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, माननीय उपमंत्री ने सदन को स्तरीय औषधियों के बारे में आश्वासन दिया है, जबकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमें प्रभावकारी औषधियों के बारे में आश्वासन दिया है। मैं दोनों में अन्तर समझने में असमर्थ हूं। जो भी हो, यह सर्वविदित है और शायद यह माननीय अध्यक्ष की जानकारी में है कि जहां तक स्तरीय तथा प्रभावकारी औषधियों की उपलब्धता का सम्बन्ध है—मैं दोनों को मिला रहा हूं…

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह अस्वीकृत किया जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल : दोनों पक्ष मजाक का आनन्द ले रहे हैं। जहां तक स्तरीय तथा प्रभावकारी औषधियों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है और यह माननीय अध्यक्ष की भी जानकारी में है; जब हम 5 या 6 संसद सदस्यों के एक दल ने, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री श्री बूटा सिंह भी शामिल थे, आपको शिकायत की थी कि, श्रीमन्, जिस औषधि का उनके लिए नुसखा लिखा गया है, वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषद्यालय में उपलब्ध नहीं है, श्री के० के०

तिवारी की भी यही शिकायत थी, मेरी भी यही शिकायत थी तथा बहुत से अन्य संसद सदस्य जो माननीय अध्यक्ष के सभाकक्ष में उपस्थित थे, उनकी भी यही शिकायत थी, तथा, आपने माननीय मंत्री को इस मामले में टैलीफोन किया था कि के० स० स्वा० योजना के औषधालय में केवल अनुकल्प औषधियां दी जा रही हैं न कि वे औषधियां जो डाक्टरों द्वारा नुस्खे में लिखी जाती हैं। क्या वे केवल अनुकल्प औषधियों पर निर्भर करते हैं ? क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि अनुकल्प औषधियों के स्थान पर डाक्टरों द्वारा लिखी गई वास्तव में स्तरीय तथा प्रभावकारी औषधियां न केवल संसद सदस्यों को बल्कि सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दी जाने वाली औषधियों के प्रश्न का सम्बन्ध है, यद्यपि यह इस प्रश्न की विषय-वस्तु से सम्बन्धित नहीं है, विशेषकर जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, मैं उन्हें उत्तर देना चाहूंगी। जो औषधियां हम के० स० स्वा० योजना के औषधालयों को सप्लाई कर रहे हैं, वे स्तरीय औषधियां हैं। लेकिन, फिर भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चिकित्सक ऐसी औषधियों का नुसखा लिखते हों जो ब्रांड नाम के अन्तर्गत हैं और सदस्य उसी ब्रांड नाम की ही ओषधि चाहते हों।

के० स० स्वा० योजना के औषधालयों के लिए जो औषधियां हम खरीद रहे हैं, वे स्तरी किस्म की हैं तथा प्रभावकारी भी हैं लेकिन कुछ औषधियां प्रजातीय नामों की हैं। हम के० स० स्वा० योजना के औषधालयों के माध्यम से प्रभावकारी तथा स्तरीय औषधियों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी, चूंकि हम प्रजातीय नाम के अन्तर्गत औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं, इससे यह गलत-फहमी हो जाती है कि ये घटिया या अनुकल्प औषधियां हैं। हम वे औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं जिनकी शत प्रतिशत जांच की हुई है। शत प्रतिशत परीक्षण के बाद ही हम के० स० स्वा० योजना के औषधालयों को औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्यों को आशंकित नहीं होना चाहिए कि उन्हें घटिया औषधियां या अनुकल्प औषधियां दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री के० प्रधानी।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मेरे पास यहां डाक्टर का लिखा हुआ नुस्खा है। ये वे औषधियां हैं जो नुस्खे में लिखी गई हैं। लेकिन के० स० स्वा० योजना के औषधालय में एक भी टिकिया उपलब्ध नहीं है। मैं नुस्खे में लिखी हुई औषधियों के नामों का उल्लेख कर सकता हूं। माननीय मंत्री इसका उत्तर दें। मैं डाक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खे को प्रस्तुत करूंगा। के० स० स्वा० योजना के औषधालय में कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। इसे बन्द कर देना बेहतर है।

इंगलैण्ड से कलात्मक वस्तुओं की वापसी

*431. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैण्ड ने अपने भूतपूर्व उपनिवेशों से ले जाई गई कलात्मक वस्तुओं को वापस करने के सिद्धान्त को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या राष्ट्र संघ में इंगलैण्ड के एक प्रतिनिधि ने 25 नवम्बर, 1983 को सुझाव दिया था कि ब्रिटेन के संग्रहालय उन देशों को सहयोग प्रदान करेंगे, जो संग्रह बढ़ाने के इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधि ने राष्ट्र संघ में क्या दृष्टिकोण रखा था;

(घ) ब्रिटेन के पास इस समय भारत की कौन सी महत्वपूर्ण कला वस्तुएं हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस समय ब्रिटेन के पास हमारी सांस्कृतिक सम्पत्ति की सूची बनाई है, यदि हां, तो क्या वे इसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(च) उनकी वापसी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) ब्रिटेन ने सिद्धान्ततः यह नहीं माना है कि ऐसी सांस्कृतिक संपदाएं, जिन्हें पूर्व निर्मूल्य या अवैध रूप से अर्जित किया गया है, अन्य देशों को वापस कर दी जाएं।

(ख) इंगलैण्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि यू० के० उन देशों की इच्छाओं का आदर करता है जो अपने संग्रह को बढ़ाने या समुन्नत करने के इच्छुक हैं और यह कि ब्रिटेन के संग्रहालय उन देशों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, जो द्विपक्षीय संपर्कों के जरिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के संग्रहालयों में जो मदें हैं, वे उन्हीं संग्रहालयों की हैं और सरकार उनकी वापसी के लिए आदेश नहीं दे सकती है, बशर्ते कि वे वैद्य रूप से अर्जित की गयी हों।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि ने "रिटर्न और रेस्टीच्यूशन ऑफ कल्चरल प्रापर्टी टु दि कन्ट्रीज ऑफ ओरिजन" नामक प्रारूप-संकल्प का समर्थन किया है जिसे आम सभा द्वारा शून्य के विरुद्ध 123 मतों से अंगीकृत किया गया है, आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फेडेरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आयरलैण्ड, इजरायल, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और सयुक्त राज्य अमेरिका अलग रहे।

(घ) और (ङ) ब्रिटेन में विद्यमान भारतीय पुरावशेषों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

(च) इस तथ्य को मुद्दे नजर रखते हुए कि यूनेस्को कन्वेंशन का अनुसमर्थन ऐंसे अनेक देशों द्वारा नहीं किया गया है, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जिसके पास सांस्कृतिक संपदाएं हैं जो भारत से गई हुई मानी जाती हैं और यह कि वे देश इस कन्वेंशन के पक्षकार भी नहीं हैं, भारत इस मामले को समुचित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता रहेगा।

श्री के० प्रधानी : मेरे प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर में उप मंत्री ने कहा है कि :

"ब्रिटेन में विद्यमान भारतीय पुरावशेषों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है।"

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय ब्रिटेन के पास कोहिनूर हीरा, शिवाजी की तलवार तथा नटराज की मूर्तियों जैसी कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाएं हैं या नहीं।

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैंने उत्तर के मुख्य भाग में कहा है, हमारे पास सूची नहीं है।

लेकिन, जहां तक कोहिनूर हीरे के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदन को पहले ही मालूम है, राजा दिलीप सिंह ने इसे ब्रिटेन की महारानी को दिया था। अत: इसकी वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : यह एक भेंट थी ?

श्री पी० के० थुंगन : यह एक उपहार के रूप दिया गया था...

श्री के० प्रधानी : हाल ही के अपने हैदराबाद के दौरे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रेस सचिव ने हैदराबाद में एक सम्वाददाता सम्मेलन में कहा था कि भारत सरकार की ओर से कोई सरकारी अनुरोध नहीं किया गया है सिवाए इसके कि उसने कुछ लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रेस सचिव हैदराबाद में दिया गया यह वक्तव्य सही है और यदि हां तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री पी० के० थुंगन : हम यू० के० में भारतीय मिशन से सम्पर्क बनाए हुए हैं और हम उन्हें, यदि सम्भव हुआ, तो सूची बनाने के लिए पत्र लिखते रहे हैं और उन्होंने हमें उत्तर दिया है कि उन्हें और जानकारी तथा कुछ दिशा-निर्देश चाहिएं। हम इस सम्बन्ध में आरूप भेज रहे हैं ताकि उस आरूप के आधार पर वे कार्य जारी रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर प्रश्न पूछेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय...

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप श्री हाल्दर को तरजीह क्यों देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे बड़े भाई हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कोहिनूर ब्रिटेन को दिया गया था। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां यह बात उठाई गयी थी। यद्यपि यह दिया गया था फिर भी अब भारत ब्रिटेन

के साथ बातचीत कर सकता है कि सद्भावना की अभिव्यक्ति के रूप में ब्रिटिश लोगों और भारत के लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए—वे कोहिनूर भारत को दे सकते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सुधार में भी मदद मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरीके से बातचीत करेंगे कि वे अच्छे सम्बन्धों के लिए कोहिनूर हीरा भारत को उपहार स्वरूप भेंट करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके उत्तर देने से पहले मैं यह भी कहूंगा कि कार्ल मार्क्स की **'दास कैपीटल'** को भी पुरावशेष समझा जाना चाहिए और वे उन्हें यह दे सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगला प्रश्न है कि उसे कोहिनूर को कौन धारण करेगा ? क्या हमारी नयी महारानी उसे धारण करेंगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं। उसे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जा सकता है। **'दास कैपीटल'** के बारे में माननीय सदस्य जानते ही नहीं कि उसे कैसे पढ़ा जाए।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य का विचार बहुत प्रशंसनीय है। यह बहुत अच्छा विचार है। किन्तु जहां तक राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों की बैठक का सम्बन्ध है, वहां कोहिनूर पर चर्चा नहीं की गयी थी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जैसा मैंने सुझाव दिया है क्या आप आगे बातचीत करने वाले हैं ? आपका उत्तर इतना अस्पष्ट क्यों है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि इस बारे में राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों की बैठक में चर्चा नहीं की गयी तो क्या भारत सरकार ने किसी भी स्तर पर कोहिनूर के प्रश्न को ब्रिटेन की सरकार के साथ उठाया है ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं यह बहुत ही स्पष्ट कर चुका हूं कि यह दिया गया है···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किसके द्वारा ? यह कहना कि कोहिनूर दिया गया था, देश में बहुत बुरे रूप में लिया जाएगा···**(व्यवधान)**

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि यह विचार बहुत अच्छा है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोहिनूर के इस प्रकार से चले जाने को आप कैसे अनुमति दे सकते हैं ? आप स्वतन्त्रता आन्दोलन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं···**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोहिनूर के मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे नहीं दिया था···**(व्यवधान)**

इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह किसने दिया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप इसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय क्या सोच रहे हैं ? वह स्वतन्त्रता आन्दोलन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । वह इस बात को कि कोहिनूर दिया गया था, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं । (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए । इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते उनको स्पष्ट करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह यही करने की कोशिश कर रहे है···(**व्यवधान**)

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं···(**व्यवधान**) मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोहिनूर को लौटाने के लिए कहने का माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है। किन्तु मुद्दा यह है कि यह एक विशेष अवस्था पर, दिया गया था···(**व्यवधान**) जो जानकारी मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में सभा को नहीं बता सकता। मेरे पास जो जानकारी है, मैं वही सम्माननीय सभा को बता सकता हूं। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह दिया गया था और इसीलिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। हमें एक बात को समझना होगा। इसको देने वाला व्यक्ति या अधिकारी कौन था ? यह प्रश्न है। हमें इस पर विचार करना होगा और यह हमें करना चाहिए ।

श्री पी० के० थुंगन : रंजीत सिंह के पुत्र ने इसे दिया था···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इसे चले जाने की अनुमति देंगे ?···आपने महाराजाओं में विश्वास करना शुरू कर दिया है···

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे किसी अन्य दृष्टिकोण से लेना होगा···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मीर जाफर यहां है ! इस देश के बच्चे क्या सोचेंगे ? कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे लिए एक उपहार था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह तरीका नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल वह कह रह सकते हैं कि बलात्कार एक उपहार है ।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा और विचार और उनके द्वारा दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है और मैं उसकी सराहना करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह उपहार था और क्या यह वापिस आएगा या नहीं···?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; महाराजा दलीप सिंह···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया, शांत रहिए, महाराजा दलीप सिंह ने शायद इसे दिया था, किन्तु क्या वह ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र थे ? यह प्रश्न है । जिस पर हमें विचार करना होगा ।

श्री अमर राय प्रधान ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान पृष्ठ 179, नियम 380 की ओर दिलाता हूं । इसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष की यह राय है कि वाद-विवाद में प्रयुक्त किए गए शब्द अपमानजनक···इत्यादि हैं, तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल देना चाहिए । यदि यह कहा जाता है कि कोहिनूर ब्रिटेन को एक उपहार था, तो यह सभी का अपमान होगा । इसीलिए, कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करना होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे इतनी जल्दी स्वतन्त्रता आन्दोलन को भूल गए हैं···मुझे आश्चर्य है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह बात है, जिस पर हमें विचार करना होगा; कोहिनूर को दिए जाते समय क्या देने वाला व्यक्ति सत्ता में था अथवा तथाकथित सत्ता में था—क्या वह स्वतन्त्रत था या किसी के अधिराजत्व के दबाव में था या नहीं । यही हमें देखना होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल वह मीर जाफर को वैध सिद्ध कर देंगे । उसने यहां अंग्रेजों को आमंत्रित किया था ।

प्रो० रूप चन्द पाल : गुट-निरपेक्ष देश से भी भारत इसको वापिस लाने के लिए बचनबद्ध है··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोहिनूर को वापिस लाने के लिए आप सरकार को निदेश दें । यह पूरे देश की मांग है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री अमर राय प्रधान ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : इस बीच आप उस शब्द को भी कार्यवाही वृतांत से बाहर निकाल दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव : प्रश्न संख्या 433।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न संख्या 433 और 441को एक साथ मिलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसके साथ प्रश्न 441 भी ले सकते हैं ?···कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है।

श्री के० लकप्पा : क्योंकि यह एक ही प्रकार के हैं।

गरीबों द्वारा खून बेचा जाना

***433. श्री संतोष मोहन देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि निजी रक्त-बैंक तथा संगठन गरीब तथा भोले भाले लोगों से कुछ थोड़े से रुपयों के बदले खून खरीद रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन गरीब लोगों को "रक्तदान" हेतु लाने के लिए देश के कई स्थानों पर दलालों का गिरोह कार्य कर रहा है;

(ग) निजी रक्त-बैंक की कानूनी स्थिति क्या है तथा रक्त की बिक्री से सम्बन्धित नियम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबों द्वारा रक्त की बिक्री की रोकथाम के लिए कोई उपयुक्त कानून बनाने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) इस समय रक्त की आवश्यकता को ऐसे रक्त-दाताओं के जरिए पूरा किया जा रहा है, जो या तो स्वेच्छा से रक्त देते हैं या लो ऐसे रक्त दा ों के लिए पैसा लेते हैं। रक्त बैंकों का कार्य-संचालन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों द्वारा विनियमित किया जाता है। सरकार रक्त बैंकों की कार्य-पद्धति को सुधारने के उपायों पर विचार कर रही है।

निजी रक्त बैंकों द्वारा किए जाने वाले कदाचार

***441. श्री के० लकप्पा**† :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी रक्त बैंकों द्वारा किए जाने वाले कुछ कदाचारों अर्थात् अवयस्कों, निर्धन रक्तदाताओं से थोड़े-थोड़े समय के बाद कभी-कभी एक दिन में एक बार से अधिक रक्त इकट्ठा करने और उनके द्वारा रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों से रक्त की बोतल के लिए अत्यधिक कीमत वसूल करने के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश की रक्त सम्बन्धी सारी जरूरतें मात्र स्वेच्छा से रक्त दान देने वालों से पूरी नहीं की जा सकती और इन्हें धन पर मिलने वाले रक्तदानों से पूरा करना पड़ता है। रक्त बैंकों का कार्य-संचालन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के तहत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के औषध नियंत्रकों द्वारा विनियमित किया जाता है। सरकार रक्त बैंकों की कार्य पद्धति को सुधारने के उपायों पर विचार रही है।

श्री संतोष मोहन देव : माननीया महिला उप मंत्री···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री मंत्री ही है···मैं इस प्रकार के विभेदीकरण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। इससे वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति मान ली गई है।

श्री संतोष मोहन देव : चक्रवर्ती जी, आपको अपने सहयोगी के प्रति कुछ शिष्टता तो रखनी चाहिए। कृपया ऐसी बात मत कहिए···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जो कह रहे हैं, वह व्यंग्यात्मक है। मैंने केवल इसी की ओर संकेत किया है।

श्री संतोष मोहन देव : क्योंकि आप एक प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर नहीं, आप इस प्रकार की बात कह सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रकर्ती : मैंने यह कभी नहीं कहा है।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा दूसरा प्रश्न है :

> "कि इन गरीब लोगों को 'रक्तदान' हेतु लाने के लिए देश के कई स्थानों पर दलालों का गिरोह कार्य कर रहा है।"

मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात की उपेक्षा कर गए हैं। लगभग एक माह पहले एक स्थानीय

समाचार-पत्र के अनुसार कि 32 व्यवसायिक रक्तदाताओं को गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें जेल से मुक्त किया गया तो उन्होंने वहां से जाने से मनाकर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वे फिर से रक्तदान के व्यवसाय में चले जाएंगें। दिल्ली में लगभग 6,000 रक्त दाताओं का दल कार्यरत है। समाचार-पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने एक वर्ष में 800 बार अपना रक्तदान किया है और एक दिन में तीन बार भी किया है। स्थिति यह है।

रक्त प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में तीन तरीके हैं—एक तो अगर कोई रिस्तेदार रक्त दान करे तो उसे रक्त मिल सकता है, दूसरा रेडक्रास से तथा तीसरे निजी रक्त बैंक के मालिकों से।

अध्यक्ष महोदय : व्यावसायिक लोग किस प्रकार से रक्त लाते हैं ? क्या एक व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ हो सकता है ?

श्री संतोष मोहन देव : जी हां महोदय, यह समाचार है। मेरे विचार से मंत्री महोदय ने हमें देखा है। यह गलत भी हो सकती है। मैं सिर्फ उनका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह सही है। मैंने इस समाचार-पत्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न पूछा है। आजकल देश की कुल आवश्यकता लगभग 80,000 यूनिट है किन्तु हम सिर्फ 20,000 यूनिट ही प्राप्त हो रही हैं। टोक्यो जैसी जगह जिसकी जनसंख्या एक करोड़ है, वहां पर लगभग 14 लाख रक्तदाता हैं। दिल्ली ही ऐसी जगह है जहां पर यह संख्या 60,000 है। इसमें भी अभाव है क्योंकि रक्त दान उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो कि समृद्ध हैं और रक्तदान करने की स्थिति में हैं। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिये। मैं एक बात जानना चाहूंगा। प्राईवेट रक्त बैंक ही इस प्रकार के दलालों को उत्पन्न कर रहे हैं और ये दलाल गरीब लोगों का रक्त ला रहे हैं। सरकार निजी रक्त बैंकों को व्यावसायिक रक्तदाताओं से रक्त प्राप्त करने के कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। और इन प्राईवेट रक्त बैंकों की कानूनी स्थिति क्या है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : महोदय, इस देश में, 543 रक्त बैंक विद्यमान हैं जिसमें से 467 सरकारी हैं तथा 76 प्राइवेट हैं। प्राइवेट रक्त बैंक विनियमन राज्यों के औषध नियंत्रकों द्वारा औषध एवं प्रसाधन अधिनियम तथा भारतीय औषध-कोष अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। उन्हें प्राइवेट रक्त बैंक को चलाने के पहले लाइसेंस प्राप्त करना होता है। मैं माननीय सदस्य से भी सहमत हूं कि हमारे यहां रक्त की कमी है। तीन प्रकार के रक्तदाता हैं जो कि रक्तदान करते हैं—एक तो स्वैच्छिक रक्तदाता, दूसरा किसी के बदले में, और तीसरे हैं व्यावसायित रक्त-दाता। मुझे सदस्यों को आंकड़े देने में कोई झिझक नहीं है। (**व्यवधान**) मैं चाहती हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य भी हमारी मदद कर सकते हैं। जिस मुश्किल का हम सामना कर रहे हैं हम उससे भली-भांति परिचित तथा सचेत हैं। अब मैं आपको आंकड़े देना चाहती हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हम लोग सत्ता पक्ष के सदस्यों को स्वच्छ रक्त देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस पर आपत्ति नहीं हो सकती है ।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : रक्तदाता जिन स्थितियों तथा शर्तों पर रक्त दान कर सकता है वह है उसे रक्तदान करने से पहले मेडिकल जांच करानी होती है। बिना मेडिकल परीक्षण के कोई भी रक्त बैंक रक्तदाता का रक्त नहीं लेगा ।

महोदय वर्तमान में, 25 से 30 प्रतिसत रक्त स्वैच्छिक रक्त दाताओं द्वारा दान किया जा रहा है, किसी के बदले में रक्त देने वालों की संख्या 25 से 30 प्रतिशत है तथा अन्य रक्त दाता जिन्हें कि हम व्यावसायिक रक्तदाता कहते हैं वे 40 से 50 प्रतिशत हैं। यह वास्तविक स्थिति है। हम स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और माननीय सदस्यगण इस समस्या में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस देश के लोगों को शिक्षित करना चाहिए जिनकी यह गलत धारणा बनी हुई हैं कि अगर वे रक्तदान करेंगे, तो उन्हें अन्य दिक्कतें हो जायेंगी ।

श्री के० लकप्पा : आप हमें ऐसा करने के लिये क्यों कह रही हैं ? सरकार क्यों नहीं कार्यवाही करती ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी भी आ रही है ।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : क्योंकि माननीय सदस्य ने मुझसे एक विशेष प्रश्न पूछा था कि सरकार क्या करने जा रही है। महोदय, हम जिला स्तरों तक भी आधारभूत ढांचा बनाने जा रहे हैं, ताकि हम स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्बद्ध कर सकें वे स्वयं ही रक्तदान करने के लिए आगे आ सकें। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह अखबार की रिपोर्ट के बारे में था। मैं इससे असहमत हूं कि एक व्यक्ति इतनी बार रक्तदान कर सकता है ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, रक्त की आवश्यकता के लिये पिछली कमी बहुत ज्यादा हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार रक्तदान की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए उपायों पर विचार कर रही है। आप ने उन प्राइवेट रक्त बैंकों के खिलाफ क्या कदम उठाये हैं जो कि व्यावसायिक रक्तदाताओं से रक्त प्राप्त कर रहे हैं और ये व्यक्ति निर्धन वर्ग से हैं। आप कहते हैं कि अखबार के समाचार गलत हैं परन्तु यह अखबार का बयान है। इसमें उन्होंने श्री मदनलाल तथा श्री राबर्ट का नाम दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने एक वर्ष में 600 बार रक्तदान किया है तथा यहां तक कि एक दिन में दो बार। अगर यह सच है तो सरकार ने रक्त बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ताकि इस तरह की बातें भविष्य में न हों ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : महोदय, इस बारे में हमें दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त हुई है क्योंकि ये व्यक्ति दिल्लों से हैं। अगर माननीय सदस्य, इच्छुक हैं तो मैं ब्यौरा दे सकती हूं। जब वे निरीक्षण के लिए गए तथा व्यक्ति का नाम देखा, तो महोदय, वहां पर व्यक्ति का नाम तो था किन्तु पिता का नाम बदला हुआ था। हमने दिल्ली प्रशासन को रिपोर्ट देने के लिए कहा है और उन्होंने हमें रिपोर्ट दे दी है और अगर माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो मैं उन्हें सम्पूर्ण ब्यौरा दे सकती हूं ।

श्री के० लकप्पा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है कि स्वास्थ्य मंत्री अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी देश में लोगों के जीवन को नहीं बचा सकते जब कि हम कल्याणकारी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि समाचार पत्र की खबर सही नहीं है जबकि मंत्री जी ने 50 प्रतिशत मान लिया है कि कतिपय धोखाधड़ी हो रही है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि रक्त अवयस्कों तथा व्यावसायिक रक्तदाताओं, जिनमें से कईयों को बीमारियां भी हैं, से एकत्र किया जा रहा है। इसमें सरकारी अथवा प्राईवेट एजेन्सी किसी की भी जांच-पड़ताल नहीं होती है। अतः इसके बारे में यहां ही नहीं अपितु देश के विभिन्न भागों में शिकायत है। यह गम्भीर मामला है तथा रक्त लेने की व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए कोई नियम और विनियम नहीं हैं। (**व्यवधान**) मंत्रालय ने इस प्रकार की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये हैं जो कि देश में बढ़ रही हैं तथा वे देश में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों मरीज बिना रक्त लिए ही मर जाते हैं। (**व्यवधान**) मैं जानना चाहूंगा कि ये मंत्रालय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रहा है ताकि इन बातों को बन्द किया जा सके तथा सदन को यह भी आश्वासन दें कि स्थिति में सुधार होगा।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : महोदय, मैं माननीय सदस्य के मनोभाव से सहमत हूं। कल्याणकारी राज्य में हम भी समान रूप से ही चिन्तित तथा गम्भीर हैं कि व्यक्तियों को रक्त मिलना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : आप चिन्तित नहीं हैं। हमें बताइए कि आपने क्या कदम उठाये हैं? (**व्यवधान**)

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है हम भी उतने ही चिंतित हैं। (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : यह गम्भीर मामला है। हजारों लोग बिना रक्त लिए ही मर जाते हैं।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : मैं इस विषय पर कुछ जानकारी देना चाहती हूं और मुझे आशा है आप मुझे ऐसा करने की अनुमति देंगे। मंत्रालय इस समस्या के लिए गम्भीर रूप से चिंतित है तथा इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के द्वारा 1982 में दिल्ली में एक बैठक हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री चेयरमैन हैं तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय परिषद ने सिफारिश की है कि लोगों को स्वैच्छिक रूप में रक्तदान करने के बारे में शिक्षण तथा प्रेरणा दी जानी चाहिए तथा स्वैच्छिक रक्तदान के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि रक्त की सभी अवस्थाओं—रक्त एकत्र करना, संचयन तथा वितरण की किस्म नियंत्रण पर जोर देना चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि राज्य तथा जिला स्तरों पर पर्याप्त रक्त बैंक सेवाएं बनानी चाहिए, जिनमें कि प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति हों। मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय योजना तथा विशेषज्ञ दल की स्थापना की है तथा उन्होंने इस प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ उपायों का भी पता लगाया है। इस सिफारिश के अधीन,

इस क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी करने के लिये राज्यों ने सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं। उन्होंने उचित रक्त संचय की सुविधाओं के लिए आवश्यक उपकरणों का भी पता लगा लिया है तथा एक सूची तैयार कर ली है। यह सकारात्मक कदम है जो कि हमने उठाए हैं तथा हमने राज्य सरकारों से इस बारे में विस्तार से विचार करने का अनुरोध किया है और इस प्रकार हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : आपने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ा है जो कि आपने दिए हैं। किन्तु ऐसा क्यों है कि उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की है? कितने मामले पकड़े गए हैं? इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बावजूद भी उन्होंने क्यों नहीं इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाए हैं? दोषी पाये गए व्यक्तियों को क्यों नहीं सजा दी गई है, जो कि इस धोखाधड़ी में सम्बद्ध हैं? इन व्यक्तियों का अस्पतालों में कार्यरत व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ है और वे ये लोग सभी कार्य करते हैं।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है। जब कभी गिरफ्तारी की जाती है तो पाया जाता है कि कुछ कदाचार किये जा रहे हैं। कुछ बीमार लोग भी रक्तदान कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक है इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि आपने इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए हैं? मैंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? आप खुद वास्तव में किन मार्ग निर्देशों का पालन कर रहे हैं? इन मार्ग निर्देशों के तरह, अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : मैं सम्मानीय सभा और माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि मानव रक्त प्राप्त करने लिए पहले ही अनुदेश मौजूद हैं। जिन व्यक्तियों को क्षय रोग है उनका रक्त हम नहीं लेते हैं। उन व्यक्तियों से भी रक्त नहीं लिया जाता :—

1. जोकि आतशक रोग के पीड़ित हैं या पीड़ित रहे हैं;
2. जिनके रक्त की आतशक संक्रमण से कारण नकारात्मक परिणामों की वजह से रक्त जांच नहीं की गई;
3. जिनके रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा 85 प्रतिशत से कम है; और
4. और जो रक्त द्वारा फैलने वाली बीमारियों से मुक्त नहीं है (जोकि योग्य फिजिशियन द्वारा साधारण क्लीनिकल जांच द्वारा जांचा गया हो और साथ ही उसके चिकित्सा-इतिहास को भी ध्यान में रखा गया है।)

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि रक्त लेने से पहले जांच के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं रक्त लेने न कि दिए जाने के बारे में सभा द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता का सम्मान करता हूं और उससे सहमति प्रकट करता हूं। अगर रक्त लिया जाता है, तो सारी समस्याएं पैदा होती हैं।

अगर जीवन बचाने के लिए रक्त दिया जाता है तो कोई समस्या पैदा नहीं होती।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करती आ रही हूं और मैं जानती हूं कि जिनके रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा 85 प्रतिशत से कम होती है, उनका रक्त नहीं लिया जाता।

अब, बम्बई के एक अस्पताल में एक मामला ऐसा भी हुआ था जहां एक रोगी को एक कुष्ट रोगी का खून दिया गया और वह व्यक्ति मर गया। बम्बई में ऐसा मामला हुआ था। ऐसे भी मामले हैं जहां प्राइवेट रक्त बैंक द्वारा उन लोगों का भी रक्त एकत्र कर लिया जाता है जो कि एस० टी० डी० जैसे संक्रामक रोग तथा अन्य रोगों से पीड़ित हैं। मैं महसूस करती हूं कि सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव करना चाहिए जिससे किसी ऐसे तंत्र की स्थापना की जा सके जो कि इन ऐसे संगठनों पर कुछ नियन्त्रण रख सके।

इसके अलावा क्या ऐसे कोई नियम भी हैं, जिसके अन्तर्गत किसी विशेष अवधि से पूर्व व्यावसायिक रक्तदाताओं को खून देने की मनाही हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर चुके हैं।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : राज्य औषध नियंत्रक ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत है।

श्री राम लाल राही : खून बिकता भी है और खून की आवश्यकता भी पड़ती है। जब खून की आवश्यकता पड़ती है तो दूरदराज के हस्पतालों में खून की कोई व्यवस्था नहीं होती है।

खून बिकता भी है। मंत्री जी जानते हैं कि खून को एकत्रित करने की दो व्यवस्थाएं हैं—एक सरकारी क्षेत्र में है और कुछ निजी संस्थाएं करती हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो निजी संस्थाएं खून एकत्रित करती हैं अथवा खरीदती हैं या स्वेच्छा से लेती हैं, उन पर सरकार का क्या-क्या नियंत्रण है? जब वह खून मरीज के लिए जाता है और उससे मरीज मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस की आप निर्धारित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : बता चुके हैं।

श्री राम लाल राही : नहीं बताया है।

क्या सरकार में यह क्षमता नहीं है कि वह हर डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में खून एकत्रित करने के लिये खून-बैंक बनावे जिसमें मरीजों को सुविधा मिले? इसमें कोन-सी कठिनाई पड़ रही है जब कि खून देने वालों की हजारों की संख्या में लिस्ट बनी हुई है?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : ये रक्त बैंक सरकार द्वारा और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन रक्त बैंकों को औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत चलाया जाना चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

बाल कल्याण के लिए योजना और उड़ीसा के लिए आटबंन

*436. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना आरम्भ की है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इस कार्यक्रम के आरम्भ से उस राज्य को कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया है और उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक वितरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के प्रारम्भ से उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार किए गए कार्य का ब्यौरा और केन्द्र द्वारा किए गए आबंटन

प्रथम चरण (1974-1979)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृत की गई राशि (रुपयों में)	लाभ प्राप्तकर्ता बच्चों की संख्या (संचित)
1974-75	1,29,150	170
1975-76	6,87,782	675
1976-77	10,65,609	855
1977-78	12,13,300	1322
1978-79	20,00,446	1857

प्रथम चरण अर्थात 197 -75 से 1978-79 के वर्षों के दौरान लाभान्वित बच्चों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी गैर-योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1979 से उड़ीसा की राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई थी

द्वितीय चरण (1979-84)

वर्ष	राज्य सरकार को स्वीकृत की गई राशि (रुपयों में)	लाभ प्राप्तकर्ता बच्चों की संख्या (संचित)
1979-80	65,402	110
1980-81	2,26,355	520
1981-82	2,74,260	585
1982-83	3,67,429	760
1983-84 (नवम्बर, 1983 तक)	3,74,000	760

श्री हरिहर सोरन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण को मैंने पढ़ा है। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई राशि और उन वर्षों में लाभान्वित बच्चों की संख्या के बारे में बताया गया है। श्रीमन्, मैं महसूस करता हूं कि 1974-75 से 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष में लाभान्वित बच्चों की संख्या, स्वीकृत की गई राशि के मुकाबले काफी कम है। इसलिए क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम चरण और दूसरे चरण के दौरान उपरोक्त वर्षों में उड़ीसा के लिए किए गए बाल कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है और यह किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तथा इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

श्री पी० के० थुंगन : श्रीमन्, सभा पटल पर रखे गए पत्रों में मैंने माननीय सदस्य को ब्यौरा दिया है। अगर वह यह जानना चाहते हैं कि वर्षवार उड़ीसा को कितना धन आबंटित किया गया और प्रथम और दूसरे चरण में कितने बच्चे लाभान्वित हुए तो, यह सब विवरण में दिया गया है। अगर वह चाहे तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं। अन्यथा वे खुद ही देख सकते हैं।

श्री हरिहर सोरन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि बच्चों के लिए स्वीकृत राशि में से बच्चों को किस-किस प्रकार के लाभ दिए जाते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : बच्चों को यह-यह लाभ दिए जाते हैं—भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा शिक्षा, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, मनोरंजन, सांस्कृतिक विकास आदि सम्बन्धी विकासात्मक सेवाएं प्रदान करना।

श्री हरिहर सोरन : उन विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के क्या नाम हैं जो विभिन्न राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। इनमें से प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रदान की गई? क्या सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र है, जिससे पता लगाया जा सके कि इन संगठनों ने कहां तक सफलता प्राप्त की है।

श्री पी० के० थुंगन : श्रीमन्, जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, हमने 1979-80, 1981-81, 1981-82 और 1982-83 में 26 संगठनों को सहायता प्रदान की है। इनमें से 24 शुरू से ही कार्य कर रहे हैं और दो नई योजनाएं हैं।

श्री हरिहर सोरन : क्या मंत्री महोदय इनके नामों को पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री पी० के थुंगन : उड़ीसा में संगठनों के नाम इस प्रकार हैं: गांधी सेवा संघ, पुरबिया; कन्याश्रम, सोरो, बालासोर; सर्वोदय समिति, गांधीनगर, कोरापुर; ठाकुर बापा आश्रम, द्रौपदी महिला समिति, गंजम; आर० सी० एम० अनाथालय, गंजम; बनबासी सेवा समिति, फुलवासी, सेवा समाज; के० जी० एम० एन०, रामकृष्ण आश्रम, ओमकोरदेव, विश्ववैदिक गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ···

अध्यक्ष महोदय : इसको सभा पटल पर रखा जा सकता है। आप कृपया इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

व्हील एण्ड एक्सल परियोजना बंगलौर

*438. **श्री नवल किशोर शर्मा** † :
श्री राम विलास पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 नवम्बर, 1983 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "रूपीज 15 करोड़ रेलवेज प्रोजेक्ट बोगड डाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें इस तथ्य को प्रकाश में लाया गया है कि विश्व बैंक की सहायता में शुरू होने वाली भारतीय रेलवे की व्हील एण्ड एक्सल परियोजना पर्याप्त और निर्बाध रूप से पानी और बिजली सप्लाई के अभाव में संकट में पड़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल रख दिया गया है।

विवरण

संयंत्र का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है। मशीनों तथा उपस्कर को उत्तरोत्तर चालू किया जा रहा है और निष्पादन के लिए उनका परीक्षण किया जा रहा है। संयंत्र में 1984 के शुरू में

उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है और उस समय पहिया एवं धुरा यूनिटों को कुशल कार्य-संचालन के लिए 66 के० वी० पर 25 एम० वी० ए० की बिजली सप्लाई की जरूरत होगी। जब संयंत्र पूर्णरूप से बनकर तैयार हो जायेगा तथा लक्ष्य के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर देगा तब पहिया एवं धुरा संयंत्र तथा इसके निकटवर्ती संयंत्र के श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों की बस्ती के लिए प्रतिदिन लगभग 39 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी जिसमें प्रक्रिया के लिए पानी शामिल है।

कुछ समय पहले संयंत्र के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत बिजली कटौती शुरू की गयी थी जिसे कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विशेषकर एच० टी० उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाकर दिसम्बर 1983 के शुरू में 45 प्रतिशत कर दिया गया है।

अभी तक पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए पानी की सप्लाई कभी भी प्रतिदिन 4.3 लाख लिटर से अधिक नहीं रही है जो 1984 के शुरू में संयंत्र के पूर्णतः चालू हो जाने पर बिल्कुल अपर्याप्त रहेगी क्योंकि इसे ऊपर बतायी गयी मात्रा की जरूरत होगी। चूंकि अभी तक संयंत्र चालू नहीं हुआ है तथा इसमें उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है, इसलिए, हानि, विदेशी मुद्रा की हानि के अतिरिक्त अन्तरिम अवधि के दौरान संयंत्र में होने वाले उत्पादन और जो सामान आयात करना पड़ता, के बीच के मूल्यों के अन्तर के बराबर होगी। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

राज्य बिजली बोर्ड से विशिष्ट रूप से अनुरोध किया गया है तथा इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव तथा उनसे उच्चतर स्तर पर कर्नाटक राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार भी किया गया है ताकि सही वोल्टेज पर पर्याप्त बिजली की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अभी तक शुरू में बनायी गयी योजना के अनुसार बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में संतोषजनक तथा आशाप्रद उत्तर नहीं मिले हैं।

पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में प्रतिमास निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर उत्तरोत्तर अधिक पानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में नगर निगम तथा राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है ताकि संयंत्र तथा बस्ती में पूर्णरूपेण तथा संतोषजनक ढंग से कार्य हो सके। इसके अलावा, नलकूप लगाकर यथासम्भव अधिकाधिक मटमैले पानी की निकासी करने के लिए कार्रवाई की गयी है। राज्य सरकार ने बताया है कि पम्पिंग स्टेशन से सम्बन्धित कतिपय बिजली सप्लाई से सम्बन्धित कार्यों के पूरा हो जाने पर पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए अप्रैल 1984 से 20 लाख लिटर पानी तथा जुलाई 1984 से संयंत्र की पूरी आवश्यकता के अनुसार लगभग 39 लाख लिटर पानी प्राप्त हो जाने की आशा है।

श्री नवल किशोर शर्मा **खड़े हुए।**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम

*432. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास सुविधाएं

*434. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में उन कुष्ठ रोगियों को प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई है जिनका इलाज किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाये जाने वाले राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ स्थानिकमारी वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन यूनिटें स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुष्ठ स्थानिकमारी वाले विभिन्न राज्यों में ऐसी 15 यूनिटें स्थापित करने का विचार है। ये यूनिटें शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग और व्यावसायिक उपचार सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करेंगी।

गैंगमैनों से घूस लेना

*435. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूरे देश में रेलवे के इन्जीनियरी विभाग के कर्मचारियों द्वारा गैंगमैनों से भर्ती के समय घूस लेकर तथा इसके बाद मासिक आधार पर निश्चित धनराशि लेकर उनका शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गरीब गैंगमैनों का शोषण रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार एक उचित कार्यवाही करने के लिए इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) गैंगमैनों का शोषण नहीं हो रहा है, हालांकि इस तरह की छुट-पुट शिकायतें देखने में आयी हैं।

(ख) विभाग में अन्तर्निहित पहले से मौजूद जांच-प्रणाली के अलावा गैंगमैन भी स्वयं अथवा अपने से सामान्यत: सम्बन्धित संगठित श्रमिक यूनियन के माध्यम से इस तरह के मामलों को इन्जीनियरी विभाग, कर्मिक विभाग और उच्च अधिकारियों के नोटिस में ला सकते हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

घी में चर्बी की मिलावट

*435-क. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण आदेश 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत घी में किसी भी प्रकार की चर्बी की मिलावट पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) घी में चर्बी की मिलावट किये जाने के कितने मामले पकड़े गये; और

(ग) इनसे पहले के तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1977-1980 से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियम 44(ग) के अन्तर्गत घी में चर्बी या किसी प्रकार के वनस्पति वसा की मिलावट पर विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1947 के अन्तर्गत घी नहीं आता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1977-80 के दौरान किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से घी में चर्बी की मिलावट करने की सूचना नहीं मिली है।

मातृभाषा में शिक्षण

*437. **श्री एन० डेनिस :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कौन से ठोस कदम उठाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों के लिए संविधान के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई अभिसुरक्षा प्रदान की गयी है। अधिकांश राज्य सरकारों ने, जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कर दी हैं।

(ख) उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने अभी तक सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं, सुविधाएं प्रदान करने के लिए और भाषाई अल्पसंख्यकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

पासपोर्ट शीघ्र जारी किया जाना

*439. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान व्यवस्था की अपेक्षा शीघ्रता से पासपोर्ट उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र सरकार के पास है;

(ग) वर्तमान समय में हो रहे विलम्ब के बिना पासपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं कि पासपोर्ट जारी करने में जानबूझ कर किए विलम्ब के कारण उत्पन्न भ्रष्टाचार कम हो और समाप्त हो; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में इस समय पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) पासपोर्ट सामान्य रूप से जारी किए जा रहे हैं और इसमें लगभग छह सप्ताह का वक्त लगता है जो मुनासिब है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालयों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों के काम पर निरन्तर निगाह रखी जाती है। नई पासपोर्ट

पुस्तिकाएं जारी करना और पासपोर्ट शुल्क स्टाम्प जैसे उपाय लागू किए गए हैं। अगर कोई कमी नजर आए तो उसे दूर करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की तुरन्त जांच का प्रबन्ध किया जाता है। जहां आवश्यक है वहां अतिरिक्त अमले की व्यवस्था की गई है। अब ज्यादा बड़ी संख्या में पुस्तिकाएं तैयार की जाती हैं, वितरण के तरीकों को सुचारू बनाना गया है और किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पासफोर्ट पुस्तिका बैंक स्थापित किए गए हैं। जहां हो, वहां अतिरिक्त सहायता के लिए निकासी सैल भी काम करते हैं।

(घ) जानबूझकर विलम्ब किए जाने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों से यह कहा गया है कि वे अपने यहां सूचना-पट्टों पर यह बताया करें कि कब तक पासपोर्ट आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करके पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। पासपोर्ट जारी किए जाने के मामलों में जनता को प्रत्यक्ष सूचना देने के जिए जन-सम्पर्क साधनों का प्रयोग किया जाता है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 1-11-1983 को विचार के लिए 13,286 पासपोर्ट आवेदन-पत्र शेष थे।

नौवहन उद्योग में आर्थिक संकट

*440. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नौवहन उद्योग आजकल आर्थिक संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग में लगी हुई कतिपय कम्पनियों ने इस आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय सुझाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन ने इस बारे में कुछ सुझाव दिया है।

(ग) नौवहन उद्योग को चालू कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

गोरखपुर में कोच फैक्टरी की स्थापना

*442. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे अनुरोध किया है कि मंत्रालय द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कोच फैक्टरी को गोरखपुर में स्थापित किया जाए क्योंकि गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है और स्वतन्त्रता के बाद रेल विभाग ने पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में कोई भी कारखाना स्थापित नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने भी प्रस्तावित कोच फैक्टरी को गोरखपुर में ही स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी को स्थापित करने का कार्य कब आरम्भ किया जाएगा; और

(घ) यदि इस फैक्टरी को गोरखपुर में स्थापित करने का विचार नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) प्रस्तावित नए सवारी डिब्बा कारखाने को गोरखपुर में स्थापित करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और उद्योग मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) "मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज़" को स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है । परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति और अध्ययन के बाद ही कारखाने के स्थान और स्थापना के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

(घ) चूंकि अभी कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय होना है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के "नेफ्रालाजी" विभाग में कृत्रिम गुर्दे का प्रयोग

*443. **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में "नेफ्रालाजी" विभाग में कृत्रिम गुर्दे का औसतन कितनी बार प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या अधिकारियों के आदेशों के अनुसार प्रत्येक मामले में एक गुर्दे का आठ बार प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो अनेक मामलों में गुर्दों को तीन बार के बाद प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) संस्थान ने बताया है कि प्रत्येक कृत्रिम गुर्दे (डायलिजर) का औसतन चार बार और प्लास्टिक ट्यूब (ब्लड लाइन्स) का आठ बार प्रयोग किया जाता है। वैसे, यदि गुर्दों में जमे हुए ऐसे थक्के पाए जाते हैं जिन्हें दोबारा प्रयोग में लाने से पहले साफ नहीं किया जा सकता हो अथवा दोबारा प्रयोग करने के पश्चात पुनः परीक्षण करने पर गुर्दों की कार्यकुशलता कांफी कम हो गई हो तो कृत्रिम गुर्दों का तीसरी बार प्रयोग करने के पश्चात कभी-कभी उनका प्रयोग नहीं किया जाता है।

शिक्षा नीति

*444. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण है जिससे देश के विकास पर असर पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा नीति को रोजगारोंन्मुख बताने हेतु इसमें परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. सभी शैक्षिक कार्यक्रम सरकार द्वारा 1968 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अभिशासित होते हैं। इस नीति में शिक्षा को अधिक संगत तथा रोजगारोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में बल दिया जाता है।

2. नीति में बार-बार परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न उलझन से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को लेकर बनाई गई है। इसके व्यापक ढांचे के अन्तर्गत नीति के कार्यान्वियन की प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। परिवर्तनशील स्थिति से निबटने तथा नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन तथा सुधार किये जाते हैं। तथापि यह भी उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

3. 10-वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या ढांचे में सभी बच्चों को कक्षा X तक न्यूनतय सामान्य शिक्षा के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। यह विचार छात्र के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी तथा सु-संतुलित विकास करने के लिए है। बच्चों को कार्य जगत से परिचित कराने के लक्ष्य को लेकर सामाजिक

रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को 10-वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली में 8+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यावसायों/स्वत: रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं।

4. विश्वविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवर-स्नानक पाठ्यक्रमों का ढांचा पुन: तैयार करने की योजना का उद्देश्य परम्परागत प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में कुछ अनुप्रयोगोन्मुख घटक लागू करना है ताकि शिल्प विकास और इसके द्वारा स्नातकों की रोजगार क्षमता सुधार को सुनिश्चित किया जा सकें। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को उद्योगों तथा अन्य नियोजक संगठनों के परामर्श से उपयुक्त अनुप्रयोगोन्मुख पाठ्यक्रमों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि इनको अवर-स्नातक पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सके।

5. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं तैयार की गई हैं जिससे कि तकनीकी शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे के अधिक निकट लाया जा सके।

ये हैं :—

(1) अन्तरालं डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(2) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) सामुदायिक पोलिटेक्निक

(4) उत्तर-स्नातक उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का आयोजन

(5) अनुसंधान विकास तथा परामर्श

(6) उच्च तक्नीशियन पाठ्यक्रम

(7) उद्योग के साथ सहयोग

रक्त में कोलेस्ट्राल के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए मछली का प्रयोग

*445. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 नवम्बर, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फिश डाइट चैक्स कोलेस्ट्राल लेबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है, कि सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज टैक्नोलोजी द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि संतुलित मात्रा में मछली खाने से रक्त में कोलेस्ट्राल के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई खोज का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज टैक्नोलोजी, कोचीन द्वारा उपयुक्त पशु प्रयोगशाला में सार्डीन (एक प्रकार की समुद्री छोटी मछली) के तेल तथा प्रोटीन युक्त आहारों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि मछली के तेल तथा प्रोटीन के प्रयोग से कोलेस्ट्राल का प्रभाव कम हो जाता है।

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के तथा वातानुकूलित सवारी डिब्बों में कण्डक्टर गार्डों की व्यवस्था

*446. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेल अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के तथा वातानुकूलित सवारी डिब्बों में कण्डक्टर गार्ड तैनात करने के लिए क्या नियम/प्रावधान हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त नियमों/प्रावधानों के अनुसार दक्षिण रेलवे के मदुरै मण्डल में ऐसी सभी रेलगाड़ियों में कण्डक्टर गार्ड तैनात किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) मेल, एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कण्डक्टर गार्ड तैनात करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं और उनके कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या रेलगाड़ी नं० 101,102, 105, 106, 119, 120, 137 और 138 में कण्डक्टर गार्डों के न रहने से उच्च श्रेणी के यात्रियों को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार सुख-सुविधा के उपाय के रूप में उच्च श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के लिए उपर्युक्त रेलगाड़ियों में कण्डक्टर गार्ड तैनात करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्तमान मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, पहले दर्जे के पांच से अधिक डिब्बों वाली मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में देखभाल के लिए दो कण्डक्टर होने चाहिए और 5 तक डिब्बों वाली गाड़ियों में एक कण्डक्टर होना चाहिए।

(ख) से (च) जी अभी नहीं। इस समय कण्डक्टरों की व्यवस्था 117/118 पांड्यन एक्सप्रेस 105/106 मद्रास-कोल्लम मेल और 761/762 विरुदुनगर-तिरुनेलवेलि ताम्ब्रपरणी एक्सप्रेस में है। मुदुरै मण्डल की अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे को यात्रियों से कोई विनिर्दिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

भारत पाकिस्तान आयोग की बैठक

*447. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान आयोग की अगली बैठक आयोजित किए जाने की तारीख नजदीक आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक किस तारीख को आयोजित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) पिछली बैठक में किए गए निर्णयों के निष्कर्ष क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(घ) आगामी बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हाल ही में, 1 से 4 जून, 1983 तक भारत-पाक संयुक्त आयोग की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि अगली बैठक 1984 में भारत में होगी।

(ख) इस बैठक की तारीख अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुई है।

(ग) और (घ) भारत-पाक संयुक्त आयोग की 1 से 4 जून, 1983 तक जो पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई थी, उसकी और विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा की रिपोर्ट की एक प्रति 28 जुलाई, 1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय आयोग की पहली बैठक के निर्णयों पर अमल की दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इन पर और अगली बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया जाएगा उन पर भी चार उप-आयोगों की बैठकों में और आगे विचार-विनिमय होगा जिसकी बैठकें जल्दी ही होने वाली हैं।

देश से मलेरिया का उन्मूलन

*448. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में मलेरिया बड़ी तेजी से फैल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश को हर वर्ष इस बीमारी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के मलेरिया में कितने मामले हुए और उपर्युक्त अवधि के दौरान इस बीमारी से प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बीमारी के उन्मूलन हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों से मिली रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान सारे देश में मलेरिया की घटनाओं में निरन्तर कमी हो रही है।

चालू वर्ष के दौरान 30-11-1983 तक मलेरिया के 115.7 लाख रोगियों की सूचना मिली है जबकि 1982 की इस अवधि के दौनान 161.3 लाख रोगी सूचित किये गए थे। मलेरिया के कारण पी काल्सीपेरम के रोगितों तथा मृत्यु-दर में भी कमी हुई हैं।

गत तीन वर्षों—1980, 1981 तथा 1982 के दौरान मलेरिया के कारण कितनी घटनायें और मौतें सूचित की गई, उसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में है।

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये लाखों में)
1980-81	3330,50
1981-82	5484.91
1982-83	5511.14

अप्रैल 1977 से मलेरिया के रोग को रोकने के विशेष उद्देश्य से मलेरिया की संशोधित कार्य-योजना लागू की जा रही है तथा इस रोग पर काबू पाने का प्रमाण यह है कि मलेरिया की घटनाओं में काफी कमी होने की सूचा मिल रही है।

अनुबन्ध

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1980, 1981 और 1982 के लिए भौतिक उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/अन्य	1980		1981		1982	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	36204	—	38234	0	34543	—
2.	असम	65705	47	58106	49	59575	27
3.	बिहार	71954	4	61111	5	44246	2
4.	गुजरात	434770	—	412447	0	332984	—
5.	हरियाणा	294334	1	305793	0	185447	1
6.	हिमाचल प्रदेश	49044	—	85534	0	48708	—
7.	जम्मू व कश्मीर	5423	—	4703	0	7042	—
8.	कर्नाटक	224634	—	158008	0	102299	—
9.	केरल	3339	—	4127	0	3972	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	391364	25	320742	16	228982	11
11.	महाराष्ट्र	191911	5	109553	0	84814	4
12.	मणिपुर	2646	3	1265	2	2342	3
13.	मेघालय	19010	12	12640	1	16912	5
14.	नागालैंड	9733	4	7401	2	6782	—
15.	उड़ीसा	281047	42	293057	51	293057	43
16.	पंजाब	228478	—	232071	0	207925	—
17.	राजस्थान	96118	—	99001	0	75320	1
18.	सिक्किम	44	—	40	0	49	—
19.	तमिलनाडु	73381	—	71517	0	65797	—
20.	त्रिपुरा	6364	5	6182	13	10596	17
21.	उत्तर प्रदेश	182308	—	172913	0	167200	—
22.	पश्चिमी बंगाल	22219	3	26239	4	25208	17
केन्द्र शासित क्षेत्र							
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9842	30	4610	4	3571	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	32166	17	33601	6	32064	4

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चण्डीगढ़	42726	—	34351	0	26976	—
26.	दादर व नगर हवेली	3675	—	3198	0	1963	—
17.	दिल्ली	68227	—	62415	0	46530	—
28.	गोवा, दमन व द्वीव	2134	—	1277	—	685	—
29.	लक्ष द्वीप	4	—	0	0	4	—
30.	मिजोरम	17779	—	17361	4	24670	8
31.	पांडिचेरी	451	—	414	0	474	—
	अन्य						
32.	कोलफील्ड	3927	1	1771	1	1670	—
33	डी० एन० के० प्रोजेक्ट	25039	8	25562	12	18040	14
	योग	2896000	207	2666244	170	2160447	166

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की 17-11-83 को हुई हड़ताल

*449. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 17-11-83 को सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मंत्री को कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृयि तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने 17 नवम्बर, 1983 को आंशिक हड़ताल की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

धनवाद के सहायक स्टेशन मास्टरों के वर्गीकरण में परिवर्तन करना

4879. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एल० सी० (सी०) धनवाद को आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोशियेशन के अध्यक्ष से कोई अभ्यावेदन मिले हैं, जिसमें बढ़ते हुए यातायात दायित्व और कार्यभार की दृष्टि से तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी धनवाद के पूर्वी और पश्चिमी केबिनों में कार्य कर रहे सहायक स्टेशन मास्टरों को अनवरत कर्मचारियों की श्रेणी में से निकालकर गहन कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी में रखने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किन-किन तारीखों को मिले हैं और कार्य विश्लेषण तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को अनवरत कर्मचारियों की श्रेणी से निकल कर गहन कार्य कर रहे कर्मचारियों में रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे समय सारणी में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का प्रकाशन

4880. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे की समय सारणी में आम जनता और रेल

कर्मचारियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी नियम प्रकाशित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य क्षेत्रीय रेलवेज की समय सारणियों में भी नियम प्रकाशित न करने के क्या कारण क्या हैं; और

(ग) अन्य क्षेत्रीय रेलवेज की समय सारणियों में इन्हें कब प्रकाशित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आम सूचना और नियम, जिनमें आरक्षणों को शासित करने वाले नियम शामिल हैं, सभी क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियों में प्रकाशित किये जाते हैं। कुछ सूचना, जैसे विभिन्न गाड़ियों द्वारा आरक्षण के लिए कोटे, कुछ गाड़ियों में यात्रा करने पर प्रतिबन्ध आदि, एक रेलवे पर दूसरी रेलवे से भिन्न होती है। इसलिए, समय सारणियों में प्रकाशित कुछ सूचना प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा

4881. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए एकीकृत शिक्षा देने के अवसर पैदा किए जाने थे;

(ख) क्या उक्त एकीकृत शिक्षा की योजना को संशोधित और व्यापक बनाया जाना था ताकि अनेक प्रकार के विकलांग छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके;

(ग) क्या विस्तृत शिक्षा सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों और साहित्य के प्रकाशन के लिए वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाया जाना था; और

(घ) क्या उक्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण योजना के सभी श्रेणी के विकलांगों पर लागू करने और कारखाने के भीतर प्रशिक्षण देने की योजना थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अपंग और विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना 1974 में आरंभ की गई थी और इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देने की व्यवस्था है। इस योजना को वर्ष 1981 में नया रूप दिया गया था और इसमें शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को भी उदार और बढ़े हुए लाभ दिए गए और इसमें, कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले की उपलब्ध 5 प्रतिशत सहायता की अपेक्षा शत-प्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था है।

(ग) दृष्टिहीन विकलांग बच्चों के लिए ब्रेल पाठ्यपुस्तकों/साहित्य का कुछ अभाव है और स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में विद्यमान 6 मुख्य ब्रेल मुद्रणालयों के

अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 2 और मुद्रणालय स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार क्षेत्रीय आधार पर और अधिक ब्रेल मुद्रणालय खोलने और विद्यमान मुद्रणालयों की क्षमता को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है।

(घ) सभी वर्गों के अपंग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षु के रूप में उपयुक्त कार्यों पर लगाया जाता है जो अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित चिकित्सा सम्बन्धी स्तरों को ध्यान में रखते हुए विकलांगता के स्वरूप पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 30 प्रतिशत स्थान, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाएं।

उत्तर रेलवे के डिविजनों में डिविजनल पर्सनल आफिसर की तैनाती

4882. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक डिविजन में डिविजनल पर्सनल आफिसर के एक-एक पद का दर्जा बढ़ाया गया था और इस प्रकार प्रत्येक डिविजन में एक सीनियर डिविजनल पर्सनल आफिसर तथा एक डिविजनल पर्सनल आफिसर रखने का सरकार का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के ऐसे कितने डिविजन हैं, जिनमें एक भी सीनियर डिविजनल आफीसर पर्सनल आफीसर की नियुक्ति नहीं की गई है तथा इन डिविजनों में दो डिविजनल पर्सनल आफीसरों की तैनाती करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने मुख्यालयों के मामले में उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया है तथा एस० पी० ओ० के सभी पदों का दर्जा नहीं बढ़ाया है और डिप्टी सी० पी० ओ० के पदों का सृजन करके पदधारियों को वहीं बनाए रखा है तथा डिविजनों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980 में उत्तर रेलवे के 4 मण्डलों पर मंडल कार्मिक अधिकारी के ग्रेड का उन्नयन करके वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कर दिया गया था। शेष तीन मण्डलों में अर्थात् प्रत्येक

मण्डल में पहले ही वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी का पद मौजूद था। सरकार का प्रत्येक मंडल में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी और मण्डल कार्मिक अधिकारी के एक-एक पद रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारियों के दो पद, दो मण्डलों में से एक-एक प्रशासनिक हित में मुख्यालय में लाए गए हैं और इसके बदले मुख्यालय से इन दोनों मण्डलों में वरिष्ट वेतनमान के दो पद अंतरित कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था प्रत्येक मण्डल के कार्य-भार तथा मुख्यालय में उच्चत्तर ग्रेड के पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गयी है। अतः इस समय उत्तर रेलवे पर केवल दो मण्डल ऐसे हैं जिनमें वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी के पद नहीं हैं। वहरहाल इन मंडलों में अर्थात् प्रत्येक मण्डल में दो मण्डल कार्मिक अधिकारी हैं।

राष्ट्रमण्डल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के विश्राम के लिए गोवा की सजावट पर हुआ व्यय

4883. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले राष्ट्रमण्डल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के विश्राम के लिए गोवा की सजावट पर केन्द्रीय निधि से कुल कितना लगभग धन खर्च किया गया; और

(ख) यदि ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो क्या वे सम्बन्धित लेखों को अन्तिम रूप मिलते ही, उक्त जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रखेंगे ?

विदेश मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) गोआ प्रशासन को योजना के अन्तर्गत अपने कार्यक्रम के अधीन किए जाने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त "चोगम रिट्रीट" के लिए गोआ को सुन्दर बनाने के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय कोष से 34.85 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तान सशस्त्र सेना का लगाया जाना

4884. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने अपने इस्लामाबाद दौरे के दौरान भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की सशस्त्र सेना की तैनाती के प्रश्नों को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका के लिए यह विश्वास दिलाना कठिन पड़ रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई केवल अफगानिस्तान के आक्रमण से पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं की तैनाती का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान को सप्लाई किए गए अमेरिकी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध होगा न कि अफगानिस्तान के विरुद्ध;

(घ) यदि हां, तो क्या अमेरिकी सरकार को यह विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान को

और अधिक हथियारों की सप्लाई का प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं किया जाएगा बल्कि उनका प्रयोग केवल भारत के विरुद्ध होगा;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या अमेरिकी सरकार ने भारत के दृष्टिकोण की पूरी तौर पर सराहना की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने ऐसी कोई खबर नहीं देखी है जिससे यह लगता हो कि अमरीकी रक्षा मन्त्री ने अपनी इस्लामाबाद की याचा के दौरान भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की तैनाती का प्रश्न उठाया हो।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(च) भारत सरकार ने इस उप-महाद्वीप की स्थिरता पर और भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर अमरीकी हथियारों की सप्लाई के नकारात्मक प्रभाव के बारे में विभिन्न अवसरों पर अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त की है। उम्मीद की जाती है कि अमरीका की सरकार इस प्रश्न पर भारत के विचारों को ध्यान में रखेगी।

उपमहानिदेशक (भण्डार) सहायक महानिदेशक (भण्डार) और उप-सहायक महानिदेशक (एम० एस०) के पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को स्थायी करना

4885. **श्री थझाई एम० करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपमहानिदेशक (भण्डार), सहायक महानिदेशक (भण्डार) और उप-सहायक महानिदेशक (एम० एस०) के स्थायी पद उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी नहीं किया गया है और यदि हां, तो इन उम्मीदवारों को स्थायी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उनको कब तक स्थायी किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) उप-महानिदेशक (स्टोर) के पदाधारी को स्थायी कर दिया गया है। सहायक महानिदेशक (स्टोर) के ग्रेड में एक अधिकारी को स्थायी करने सम्बन्धी मामले पर विचार किया जा रहा है। सहायक महानिदेशक (स्टोर) का दूसरा पद खाली पड़ा है।

उप-सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) के ग्रेड में स्थायीकरण के लिए पात्र अधिकारियों के मामलों पर भी कार्यवाही की जा रही है।

छठी योजना के दौरान पत्तन क्षमता में वृद्धि और उपलब्धि का लक्ष्य

4886. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पत्तन क्षमता में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि करने का विचार किया गया है;

(ख) अब तक इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि है;

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) योजना में पतन की क्षमता को 101.31 मिलियन टनेज से बढ़ाकर 131.56 मिलियन टनेज करने की परिकल्पना की गई है जिससे क्षमता में 29 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो जाएगी।

(ख) 11.45 प्रतिशत जो उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट लक्षित क्षमता का 38.35 प्रतिशत है।

(ग) 17.42 प्रतिशत जो उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट लक्षित क्षमता का 58.32 प्रतिशत है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान अतिरिक्त सम्भावित क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(मिलियन टनों में)
1. पी० ओ० एल०	10.00
2. कोयला	1.00
3. खाद	2.10
4. जनरल कार्गो	4.55

उत्तर रेलवे के खान-पान स्टाफ के लिए बिना वारी के सरकारी आवास का आबंटन

4887. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के खान-पान विभाग में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के खान-पान स्टाफ में कितने रेल कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं; और

(ग) बिना बारी के आवास आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 977

(ख) 15

(ग) खान-पान कर्मचारियों को आवास का बिना पारी आबंटन डाक्टरी और प्रशासनिक आधार पर किया जाता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4888. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी इस समय चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे में अब भी विद्यमान मीटर गेज लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस काम के कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कोई मीटर लाइन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उपसहायक महानिदेशक (एम० एस०) के रिक्त पद और इन पदों को भरने की कार्यवाही

4889. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपसहायक महानिदेशक (एम० एस०) के दो पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों के लिए पदोन्नति हेतु पात्र विभागीय अभ्यर्थी उपलब्ध हैं लेकिन उनके पात्र होने के कई वर्ष बाद भी उन्हें पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन्हें कब भरा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उपसहायक महानिदेशक (चिकित्सा भंडार) (1300-1700 रुपए) के दो पदों पर कम वेतनमान (1100-1600 रुपए) के अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध के संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

कुष्ठ-उन्मूलन के लिए डाक्टरों तथा अर्धचिकित्सा कर्मचारियों को सुविधाएं

4890. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या स्वास्थ्य **और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे डाक्टरों तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को कुष्ठ उन्मूलन का काम जारी रखने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुविधायें प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) कुष्ठ उन्मूलन कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कुष्ठ नियंत्रण कार्य के लिए डाक्टरों और पैरा-मेडिकल कार्यकर्त्ताओं का एक उप-काडर बनाने पर विचार करें। कुष्ठ नियंत्रण सेवाओं में डाक्टरों को आकर्षित करने और उन्हें इन सेवाओं में बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक समझा गया है कि सम्बन्धित मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल कार्मिकों को एक मुश्त प्रोत्साहन दिए जाएं जिनमें प्रतिपूरक भत्ता, पदोन्नति के अधिक अवसर, सैलेक्शन ग्रेड पदों का बनाना, पेन्शन के लिए पात्र सेवा की रियायत देना, पोस्टग्रेडेशन और विदेश फैलोशिप के लिए चयन में वरीयता देना भी शामिल हो।

आन्ध्र प्रदेश में "यूनिसेफ" के सहयोग से शैक्षणिक योजनाएं शुरू करना

4891. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में "यूनिसेफ" के सहयोग से कुछ राज्यों में कुछ शैक्षणिक योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किन्न-किन्न राज्यों में शुरू की गई हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

परियोजना का नाम	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिनमें यह यह कार्यान्वित की जा रही हैं
1	2
1. आहार, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता (आ० स्वा० शि० प० स्व०)	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मिजोरम।
2. प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (प्रा० शि० प्रा० न०)	अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र।
3. सामुदायिक शिक्षा में विकास सम्बन्धी कार्यकलाप तथा भाग लेना (सा० शि० वि० का० भा० ले०)	—वही—
4. शिशु शिक्षा (शि० शि०)	बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
5. प्राथमिक शिक्षा की गहन पहुंच (प्रा० शि० ग० प०)	अरूणाचल प्रदेश और पाण्डिचेरी को छोड़कर सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र।

2. ये प्रयोगात्मक और नवीकरण सम्बन्धी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-परिस्थितियों और पर्यावरणों के अनुकूल संदर्भोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. यूनीसेफ की सहायता से सारे देश में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में "महिलाओं और लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा" नामक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत चल रहे महिला प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों के साथ सम्बद्ध शिशु देख-रेख केन्द्रों के लिए खेल सामग्री की खरीद में सहायता दी जाती है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति।

(1) परियोजना के अन्तर्गत आहार, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरीणय स्वच्छता (आ० स्वा० शि० प० स्व०) पाठ्यचर्या पैकेज के विकास के लिए राज्य में विद्यमान विभिन्न

परिस्थिति विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रों की आहार, स्वास्थ्य और सफाई आदतों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों और नवसिखियों के लिए शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जा रहा है।

(2) परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (प्रा० शि० पा० न०) शैक्षणिक सामग्री (पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षक गाइडें) विकसित की गईं और इसका परियोजना स्कूलों में उपयोग किया गया। विस्तार चरण के दौरान तेलुगु, पर्यावरणीय, अध्ययन, गणित, एस० यू० पी० डब्ल्यू०, रचनात्मक अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में कक्षा I, II और III के लिए 12 शिक्षक गाइडें विकसित की गई हैं। कक्षा I, II और III के लिए शैक्षणिक सामग्री का चुनन्दि परियोजना स्कूलों में अनुभव के रूप में परीक्षण किया जा रहा है। परियोजना स्कूल शिक्षकों को नई शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग और परीक्षण करने को उन्मुख किया गया है।

(3) सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में विकास सम्बन्धी कार्यकलाप (सा० शि० भा० वि० सं० का०) परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक शिक्षा के लिए दो केन्द्र स्थापित किए गए। विस्तार चरण में दो और केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के निर्धारण की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं जिससे शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के उपेक्षित वर्गों को शामिल करने में सहायता मिल सके।

(4) प्राथमिक शिक्षा की गहन पहुंच (प्रा० शि० ग० प०) परियोजना के अन्तर्गत, राज्य शिक्षा वृत्तान्तों के विकास और प्रकाशन से सम्बन्धित कार्यकलापों को शामिल करते हुए परियोजना का प्रथम चरण कार्यान्वित कर रहा है। शिक्षक शिक्षकों को शैक्षणिक वृत्तान्तों के विकास और कार्रवाई करने की प्रणाली में प्रशिक्षित किया गया है और जिला तथा ब्लाक स्तरों के शिक्षा अधिकारियों को परियोजना के आयोजना और प्रबन्ध पहलु में उन्मुख किया गया है। संपुटिकाओं के रूप में छप्पन शैक्षणिक वृत्तान्त प्रकाशित किए गए हैं।

(5) 'महलिआओं और लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा' परियोजना के अन्तर्गत राज्य सोन केन्द्र में एक 16 एम० एम० प्रोजेक्टर, उपकरणों सहित एक टेप रिकार्डर, एक केमरा, स्लाइड प्रोजेक्ट, सिल्क स्क्रीन मुद्रण उपस्कर आदि की व्यवस्था की जा रही है। बाल खेल उपस्कर 300 केन्द्रों को प्रदान किए गए हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दन्त रोग

4892. **श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरों की 80 प्रतिशत जनसंख्या दन्त रोगों से तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग मसूढ़ों की बीमारी से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन बीमारियों के कारणों का पता लगाया है तथा इस बारे में विशेष उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) दातों की विभिन्न बीमारियों के कई कारण होते हैं जैसे मुख की सफाई न करना, दांतों की सफाई की परवाह न करना, अस्वास्थ्य कर दशाएं, खाने की भिन्न-भिन्न आदतें होना और दांतों के परीक्षण तथा इन स्थितियों की प्रारम्भिक अवस्था में इलाज की सुविधा न होना।

सरकार ने, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों के दांतों का परीक्षण करने और उन्हें दांतों की देख-भाल करने के बारे में जानकारी देने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। दन्त कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय दन्त परिषद ने एक्सपैंड ड्यूटी डेंटल हाइजीनिस्टों को प्रशिक्षण देने की एक योजना तैयार की है तथा उनकी सेवाएं ग्रामीण आबादी को प्राथमिक दन्त परिचर्या करने हेतु इस्तेमाल की जाएगी। दन्त विज्ञान के छात्रों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से बी० डी० एस० पाठ्यक्रम में सामुदायिक दन्त चिकित्सा का विषय भी शामिल किया गया है।

लेबनान-इसराईल समझौते का पश्चिमी एशिया में शान्ति पर प्रभाव

4893. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह पता है कि दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी लड़ाकू सैनिकों के पुनः प्रवेश को रोकने के लिए लेबनान और फिलिस्तीनी सरकारों के बीच मई, 1983 के मध्य में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों के बारे में सरकार का आकलन क्या है तथा पश्चिमी एशिया में शांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने की दृष्टि से अमरीका और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के बीच सीधा सम्पर्क बनाने में सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) गत कुछ महीनों के दौरान पश्चिम एशिया में बिगड़ती हुई स्थिति पर, सरकार ने कई अवसरों पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है।

(ग) और (घ) सरकार संयुक्त राज्य अमरीका, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अन्य सम्बन्धित सरकारों के सम्पर्क में है, ताकि पश्चिम एशिया में शान्ति की स्थापना के लिए वार्ताओं की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

नांगल-तलवाड़ा लाईन पर निर्माण कार्य

4894. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन पर चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है और उक्त निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) हिमाचल प्रदेश में इस लाइन पर पहला रेलवे स्टेशन कब तक खुल जाएगा; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस लाइन के निर्माण के लिए "तत्काल प्रमाण पत्र" (अर्जेन्सी सार्टिफिकेट) दिया गया था, इस परियोजना को कोई प्राथमिकता दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) नंगल डैम-तलवाड़ा रेल लाइन का निर्माण कार्य अगस्त, 1982 में आरम्भ किया गया था ।

(ख) अब तक खर्च की गयी राशि 56 लाख रुपए है और आज की तारीख तक प्रगति 0.55 प्रतिशत है ।

(ग) नंगल डैम से हिमाचल प्रदेश में स्थित पहले स्टेशन तक लाइन को जून 1984 तक माल साइडिंग के रूप में खोल दिए जाने की आशा है ।

(घ) तात्कालिकता प्रमाण-पत्र इसलिए स्वीकृत किया गया था ताकि रेलवे काम प्रारम्भ कर सके/इस परियोजना के लिए प्राथमिकता समग्र उपलब्धता और अन्य परिचालनिक परियोजनाओं के साथ इसकी परियोजनापरक पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी ।

महिला कल्याण और विकास ब्यूरो

4895. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरज भान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(एक) काम करने वाली महिलओं के होस्टलों का निर्माण/विस्तार तथा दिन में देखभाल की सुविधाएं, (दो) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, (तीन) वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता; और (चार) जरूरतमन्द भारतीय महिलाओं को निरन्तर आधार पर आय के साधन और रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य वाली परियोजनाओं; महिला कल्याण और विकास ब्यूरो द्वारा समन्वित प्रगति के सम्बन्ध में किया गया क्रियान्वयन और ये कार्यक्रम जो अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण, वाणिज्य, बैंकिंग और उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वित किए गए थे, के राज्य-वार नाम और अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनकी उपलब्धि क्या रही ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (1) दिवस देखभाल सेवाओं सहित श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों का **निर्माण/विस्तार**।

अनुबन्ध 1 के रूप में विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7609/83]

(2) **संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

अनुबन्ध 2 के रूप में विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7609/83]

(3) **व्यस्क महिलाओं के कार्यात्मक सक्षरता।**

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7609/83]

अनुबन्ध 3 के रूप में विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7609/83]

(4) **जरूरतमन्दों को, सतत आधार पर, रोजगार और आय अर्जित करने सम्बन्धी परियोजनाएं।**

भारतीय महिलाएं

अनुबन्ध 4 के रूप में विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7609/83]

2. निम्नलिखित कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उद्योग मत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं :—

उद्योग मंत्रालय

(1) देश में लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्यों के माध्यम से लघु उद्योग विकास संगठन ने 1980-83 तक की अवधि के दौरान महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है :—

वर्ष	आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या
1980-81	34	1886
1981-82	19	490
1982-83	37	993

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(1) स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास ।

सरकारी क्षेत्र के बैंक (बैंकिंग)

(1) स्वतः रोजगार के लिए ऋण योजना ।

महाराष्ट्र में राज्य के राज मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4896. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य कुछ राज्य में मार्गों को राष्ट्रीय राज-मार्ग घोषित करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है जिस पर केन्द्र द्वारा स्वीकृति दी जानी शेष है;

(ग) महाराष्ट्र में उन राज्य मार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राज-मार्ग का दर्जा दिया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में बकाया मामलों पर सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है । यह स्थिति अभी भी बनी हुई है और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों की सड़कों के लिए भी लागू होती है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय (1980-85) योजना महाराष्ट्र सरकार की राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव का विस्तृत विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई
1	2	3
1.	शोलापुर-ओस्मानाबाद-बीड-औरंगाबाद-धुले	522
2.	बम्बई-मलशेज-घाट-अहमदनगर-बीड-नानदेड-भीकर-निर्मल-सिरोंचा-जगदलपुर विजागापतनम	652

1	2	3
3.	नागपुर-वर्धा-योतमल-नानदेद-ओस्मानाबाद-शोलापुर-मिराज-सांगल-कोल्हापुर-रत्नगिरी	801
4.	अकोला-हिंगोली-नरसी देगलूर से हैदराबाद	288
5.	ग्रेटर बम्बई में वेस्टर्न एक्सप्रेस	26
6.	ग्रेट बम्बई में इस्टर्न एक्सप्रेस	24
7.	बोरदी-थाणे-न्हावा शेवा-रिवास रेड्डी-(तटीय राजमार्ग जिसमें रत्नगिरी जिला में) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 के प्रस्तावित 105 किलोमीटर चिप्पलून-हनरबाबा खण्ड गुहावर-रत्नगिरी लिंक शामिल है	525
8.	न्हावा शेवा-पोमनाद-कोलाद-शमहालो-पूणे	212
9.	सूरत-धुलिया (महाराष्ट्र राज्य माइल सं० 59 से 136 खण्ड)	123
10.	जलगांव-इंदौर (जलगांव से राज्य की सीमा तक)	53
12.	अंकलेश्वर-अक्कालकुवा-तलोड़ा-शिरपुर-चोदपदा-बुरहानपुर-धरणी-कटौल-नागपुर	564
	कुल	3792

रेल डिब्बे बनाने का कारखाना लगाना

4897. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बे बनाने का एक नया कारखाना लगाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां लगाया जाएगा, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, इसमें किस प्रकार के रेल डिब्बे बनाए जाएंगे तथा इसमें उत्पादन-कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) इस कारखाने में कितनी पूंजी लगेगी और इसमें किसी भी प्रकार से क्या विदेशी तकनीकी जानकारी कभी प्रयोग में ली जाएगी, यदि हां, तो वह क्या है; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड छठे दशक के मध्य में मद्रास में पेराम्बूर में इंटेग्रेल कोच फैक्टरी की योजना और निर्माण के बारे में विदेशी सहयोग के मामलों में अनुभव की गई अनेक गलतियों से कोई सबक सीखेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। सिद्धान्त रूप में योजना आयोग द्वारा एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज का विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें स्थान सर्वेक्षण कार्य भी शामिल है। परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति और अध्ययन के पश्चात ही कारखाने के स्थान और स्थापन के बारे में निर्णय लिया जायेगा। चूंकि अभी कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय होना है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। नये सवारी डिब्बा कारखाना में उत्पादन से सम्बन्धित सभी सम्बद्ध विनिश्चय किए जायेंगे।

(घ) जबकि रेलवे बोर्ड ने पिछले सहयोग करारों से प्राप्त अनुभव से निश्चय ही लाभ उठाया है और उठाएगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सवारी डिब्बा कारखाना पेराम्बूर, मद्रास एक आदर्श उत्पादन यूनिट है जिसके कार्य-निष्पादन की उचित रूप से प्रसंशा सभी ने की है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असन्तोष

4898. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में छात्रों ने लम्बे समय तक हड़ताल और आन्दोलन किए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विश्वविद्यालय के समुचित कार्य संचालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी तीन घटनाएं हुई जिनसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षिक जीवन में बाधा पड़ी। नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में एक छात्र आन्दोलन हुआ जिसमें एक छात्र, जो तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया गया, के विरुद्ध निष्टकासन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। फरवरी, 1983 में छात्रों के एक वर्ग ने एक शिक्षक के तत्काल निलम्बन की मांग की, जिस पर अपने पाठ्य-क्रम में एक छात्र को मूल्यांकन में उत्पीड़ित करने का आरोप था। पुन: अप्रैल-मई, 1983 में एक छात्र, जो दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाया गया था, के एक छात्रावास को दूसरे छात्रावास में स्थानान्तरण के फलस्वरूप परिसर में गड़बड़ी हुई।

(ग) विश्वविद्यालय ने पहले अपनाई जा रही दाखिला प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय समुदाय के सभी वर्गों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। छात्रावासों में स्थान आबंटित करने, छात्रावासों में अनुशासन बनाए रखने आदि से सम्बन्धित नियमों को संशोधित कर दिया है। इन नियमों को उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जा रही है। छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक अलग शिकायत-निवारण तन्त्र स्थापित किया

गया है। कार्यकारी परिषद् ने कर्मचारियों को कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए कोई भुगतान न करने का भी निर्णय लिया है।

लाल किले और कश्मीरी गेट के बीच सुगम यातायात के लिए लोथियन पुल के नीचे और अधिक मार्ग की व्यवस्था करना

4899. **डा० ए० यू आजमी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किले और लोथियन पुल के नीचे हमेशा यातायात रुका रहता है क्योंकि कश्मीरी गेट जाने के लिए पुल के नीचे केवल एक संकीर्ण मार्ग है; और

(ख) यदि हां, तो निर्बाध और सुचारू यातायात के लिए पुल के नीचे एक या दो और रास्तों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने लोथियन पुल को चौड़ा किये जाने के लिए 460.50 लाख रुपए के अनुमानित व्यय की मंजूरी दे दी है। चूंकि यह मुख्यतः रेलवे मंत्रालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा इसलिए दिल्ली नगर निगम जो इस परियोजना से सम्बन्धित है, इस परियोजना पर कार्रवाई के लिए 20 लाख रुपए रेलवे को दे चुका है।

भीतिहरवा में रेलवे साइडिंग की व्यवस्था

4900. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी चम्पारण (बिहार) में महात्मा गांधी के "साधना" स्थल भीतिहरवा आश्रम में जहां से उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आरम्भ किया था, एक फ्लैग स्टेशन बनाने की स्वीकृति 9 अप्रैल, 1981 को प्रदान की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस कृषि प्रधान क्षेत्र के गन्ना, चावल, बांस और इमारती लकड़ी उत्पादकों के लाभार्थ एक रेलवे साइडिंग की भी व्यवस्था करने का है ताकि परिवहन सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता को कच्चे माल की लदाई और उतराई करने की सुविधा प्राप्त हो सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) भितिहरवा आश्रम हाल्ट का एक फ्लैग स्टेशन (बिना साइडिंग) में परिवर्तन 4.4.1981 को रेल मंत्रालय द्वारा यात्री सुविधा के आधार पर स्वीकृत किया गया था। भितिहरवा आश्रम स्टेशन पर एक माल साइडिंग की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन वित्तीय रूप से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

नेहरू स्टेडियम और पश्चिमपुरी के बीच बस सेवा शुरू करना

4901. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमपुरी से पंजाबीबाग, गुरूनानक पब्लिक स्कूल, न्यू मोतीनगर, शादीपुर डिपो, केन्द्रीय सचिवालय, कृषि भवन, मानसिह रोड, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय, लोक नायक भवन, दयालसिंह कालेज होती हुई नेहरू स्टेडियम तक के लिए दिल्ली परिवहन निगम की कोई बस सेवा शुरू करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमपुरी से नेहरू स्टेडियम के लिए कोई बस सेवा नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिमपुरी एक विकासशील कालोनी है तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भारी भीड़ के कारण कार्यालय जाने वाले लोगों को समय पर अपने-अपने कार्यालय पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो यह बस सेवा कब से शुरू कर दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। पश्चिमीपुरी के लिए रूट सं० 229, 233, 237, 905, 910, 914, 916, 919, 952, 955, मिनी-42 और श्रमिक सेवा उपलब्ध है जो यहां से शहर के विभिन्न केन्द्रों के लिए जाती हैं। इस कालोनी के निवासियों के परिवहन यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये सेवाएं पर्याप्त समझी जा रही हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के लिए प्रत्येक आवासीय स्थान से नेहरू स्टेडियम या किसी विशेष स्थाना को सीधी बस सेवा चलाना व्यावहारिक नहीं है तथापि दिल्ली परिवहन निगम इस बात की कोशिश करता है कि यात्रियों को जिस स्थान के लिए सीधी सेवा उपलब्ध नहीं है वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बार ही बस बदलकर पहुंचने में सुविधा हो। मौजूदा मामले में भी यात्री केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल पर बस बदलकर अपने गन्तब्य स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं।

जलपाईगुड़ी स्टेशन के समीपवर्ती रेलवे की जमीन को छोड़ना

4902. **श्री सुबोध सेन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलिगुड़ी जलपाई गुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर सीमांत रेलवे पर स्थित जलपाई गुड़ी स्टेशन के समीपवर्ती रेलवे की जमीन को विपणन-संकुल बनाने के लिए छोड़ दिए जाने के बारे में कई बार अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है, और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे की भूमि को त्यागने का प्रस्ताव रेल प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

रेल विभाग में वेतन-मानों का पुनरीक्षण

4903. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग में किसी संगठन/आयोग से परामर्श किए बिना और वह भी तीसरे वेतन आयोग या उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखे बिना वेतनमानों को बढ़ाया गया है और पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कर्मचारियों के लिए कारगर भविष्य योजना सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के संवर्गों की समीक्षा की सतत प्रक्रिया अपनाता रहा था। इस पहलू पर तीसरे वेतन आयोग (1973) ने अपनी रिपोर्ट की जिल्द Iv, अध्यक्ष 66 खण्ड ख, पैरा 17 में भी जोर दिया है। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रेल मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में संवर्ग समीक्षा और संवर्ग पुनर्संरचना की एक नीति शुरू की थी। तदनुसार रेल मंत्रालय पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार करने और गत्यावरोध को समाप्त करने के विचार से रेल कर्मचारियों के राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्गों की समीक्षा और पुनर्संरचना करता रहा है। संवर्ग-समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और मान्यता प्राप्त श्रमिक एसोसियेशनों को भी इस समीक्षा प्रक्रिया से सम्बद्ध रखा जाता है।

आई० आई० टी० में छात्रों की संख्या

4904. **श्री एन० सेलवराजु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के आई० आई० टी० कालेजों में वर्ष 1983 के दौरान कुल कितने छात्रों का दाखिला हुआ है;

(ख) मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता महानगरों के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ग) कितने छात्र एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के हैं;

(घ) कितने ग्रामीण क्षेत्रों के हैं;

(ङ) क्या सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इन प्रतिष्ठापूर्ण संस्थानों में प्रवेश हेतु सीटों के असमान वितरण के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उन छात्रों की संख्या नीचे दी गयी है, जिन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 1983 के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अवर स्नातक पाठ्यक्रओं में दाखिले दिए गए थे :—

भा० प्रौ० सं० का नाम	छात्रों की संख्या
बम्बई	295
दिल्ली	258
कानपुर	271
खड़गपुर	377
मद्रास	367

(ख) उन सफल छात्रों की संख्या जो चार नगरों—मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठे, नीचे दी गयी है :—

मद्रास	159
बम्बई	311
दिल्ली	322
कलकत्ता	231

(ग) से (च) संस्थानों मे अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिला विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के लिए कुछ आरक्षण को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में निष्पादन के आधार पर सीमित होता है। जनसंख्या के आधार पर स्थानों का कोई आरक्षण/संवितरण नहीं होता। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 1983 के विश्लेषण के अनुसार, परीक्षा में अर्हक छात्रों के लगभग 7 प्रतिशत छात्रों का औपचारिक निवास गांवों में और लगभग 2 प्रतिशत छात्रों का निवास छोटे कस्बों में था और बाकी शहरों के निवासी थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैलोशिप के प्रायोजित उम्मीदवारों की चिकित्सा-शाखावार संख्या

4905. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैलोशिप के लिए प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या का चिकित्सा-शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार प्रायोजित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि, हां तो उसके क्या कारण हैं और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7610/83]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-15 के जैसलमेर-बाड़मेर-सचर सेक्शन के रखरखाव और सुधार कार्य के लिए किया गया आबंटन

4906. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने उनके मंत्रालय/विभाग को राष्ट्रीय राज-मार्ग सं०-15 के जैसलमेर-बाडमेर-सचर सेक्शन के रखरखाव और सुधार कार्य के लिए धन आवंटित करने हेतु बार-बार लिखा है, परन्तु अभी तक इस काम के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस काम के लिए आबंटन कब तक कर दिया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

"साइनरेरिया मारिटमा सुक्कुस" (आई ड्राप्स) का आयात

4907. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सी० जी० एच० एस० के मरीजों के प्रयोग हेतु एक होमियोपैथिक औषधि "साइनेरिया मारिटमा सुक्कुस (आई ड्राप्स)" के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त औषधि भारत में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यदि हां, तो इसके आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार भारतीय निर्माताओं को स्वदेशी उद्योग का विकास करने के लिए अवसरों से बंचित किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त इससे न केवल विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है बल्कि आत्मनिर्भरता को भी आघात पहुंचता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मरीजों के इस्तेमाल हेतु साइनरेरिया मार्टिमा सुक्कुस (आई ड्राप्स) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य योजना के अनुमोदित सप्लायरों के जरिए प्राप्त की जाती हैं और सीधे आयात नहीं की जाती हैं। भारत में निर्मित साइनरेरिया मार्टिना सुक्कुस (आई ड्राप्स) की खरीद करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय भाषाओं का संवर्धन

4908. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए क्या नीति और मानदंड अपनाए हैं;

(ख) इस काम के लिए 1981 से 1983 के दौरान भाषा-वार, कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ग) उनके मंत्रालय ने उक्त वर्षों के दौरान आदिवासी भाषाओं के लिए कितना अनुदान दिया;

(घ) क्या आदिवासी भाषाओं के विकास के लिए राज्यों ने भी ऐसी ही योजनाएं बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) भारत सरकार की नीति क्षेत्र, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं का विकास और संवर्धन करना है, जो वह अनेक केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के माध्यम से करती है।

(ख) निधियों का आबंटन भाषा-वार नहीं किया जाता है। तथापि 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन दर्शाने वाला योजना-वार **विवरण संलग्न है।**

(ग) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जनजातीय भाषाओं के विकास और तरक्की पर कार्य कर रहा है। स्वैच्छिक संगठनों को भारत में प्रयोग की जा रही जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जनजातीय भाषाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं :—

1981-82	18,403/- रुपए
1982-83	44,000/- रुपए
1983-84	20,000/- रुपए (अब तक)

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए निधियों का योजना-वार आबंटन

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	आबंटन		
		1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	हिन्दी के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	33.00	37.00	47.00
2.	हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा को अनुदान	62.52	70.17	73.07
3.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	49.22	55.61	62.62
4.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	20.28	21.75	24.60
5.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	53.76	57.13	61.98
6.	तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड	24.10	33.06	35.81
7.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	36.10	32.50	45.65
8.	विदेशी हिन्दी का प्रचार	12.79	12.94	12.94

1	2	3	4	5
9.	पत्राचार पाठ्यक्रम	9.00	9,00	9.00
10.	अन्य विषय--के० हि० नि० पुस्तकालय	0.30	0.40	0.40
11.	कोर पुस्तकों का निर्माण और अनुवाद	3.00	3.00	3.00
12.	सिन्धी में पुस्तक तैयार करने के कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	3.50	6.00	6.00
13.	हिन्दी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	4.05	4.50	4.50
14.	सांस्कृतिक और भाषा सगठनों को अनुदान	1.00	1.00	1.00
15.	वै० त० श० आ० के पुस्तकों के निर्माण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	7.85	8.00	8.00
16.	भारतीय भाषाओं में मूल मानक वृत्तियों के लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	1.80	3.00	3.00
17.	हिन्दी, संस्कृत और लेखक की मातृ भाषा के अलावा भारतीय भाषा लेखकों को पुस्कार प्रदान करना	0.75	0.75	0.75
18.	गैर हिन्दी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुस्कार प्रदान करना	0.70	0.40	0.40
19.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलना	7.00	7.00	7.00

1	2	3	4	5
20.	विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का निर्माण	50.00	70.00	49.42
21.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	27.00	24.00	24.00
22.	अहिन्दी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलना	3.00	3.00	3.00
23.	अहिन्दी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	6.00	3.00	3.00
24.	संस्कृत, अरबीं, फारसी और अन्य श्रेण्य भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं	233.33	269.60	311.19
	कुल	650.05	732.82	797.33

विभिन्न अस्पतालों में रोजाना आने वाले रोगियों की संख्या

4909. **श्री छांगुर राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राममनोहर लोहिया अस्पताल और सुचेता कृपलानी अस्पताल दिल्ली में रोज आने वाले रोगियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) इन अस्पतालों में रोग-वार विशेषज्ञों की संख्या कितनी है और वे प्रतिदिन औसतन कितने रोगियों की जांच करते हैं;

(ग) इन अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की औसत संख्या कितनी है जिनकी डाक्टर रोजाना जांच करते हैं;

(घ) इन अस्पतालों में से प्रत्येक के नेत्र विभागों के अध्यक्षों के क्या नाम हैं और गत छः महीनों के दौरान उनमें से प्रत्येक में कितने रोगियों की जांच की; और

(ङ) क्या रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7611/83]

(ङ) अधिकांश अस्पतालों के पास काफी कर्मचारी हैं।

पूर्वी तट पर कृष्णापत्तनम पत्तन का विकास

4910. **श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट पर कृष्णापत्तनम पत्तन के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो पत्तन के विकास हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विदेशी सहयोग मांगा गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी सम्बन्धित समुद्री राज्यों की है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार लघु पत्तनों के विकास के लिए सम्बन्धित राज्यों की योजना में धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के कारण 1978 के बाद से केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई है। राज्य सरकारें लघु पत्तनों के विकास के लिए अपनी वार्षिक योजना में धन की व्यवस्था करेंगी। छठी योजना में कृष्णत्तनम पोर्ट के लिए छह लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जब कभी राज्य

सरकारें पत्तनों के विकास के लिए तकनीकी सहायता मांगती हैं, तो उन्हें सहायता प्रदान की जाती है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

अजीम गंज स्टेशन पर प्लेटफार्म के साथ-साथ रिसेप्सन लाइन का निर्माण किया जाना

4911. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजीम गंज स्टेशन पर प्लेटफार्म के साथ-साथ रिसेप्सन लाइन न होने के कारण स्टेशन के सुगम संचालन में बहुत अधिक रुकावटें आ रही हैं जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रिसेप्सन लाइन बिछाने के बारे में कोई फैसला किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इलाहाबाद डिवीजन में ठेकेदारों को मुफ्त पास सुविधाएं

4912. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा नवीनतम नीति निर्धारित की गई है जिससे बोर्ड के दिनांक 8 सितम्बर, 1978 के सर्कूलर संख्या 78/ई(कूप)/14/2 और दिनांक 14 सितम्बर, 1979 के सख्या 78/ई/1413 के माध्यम से सारे भारतीय रेलों, विशेष रूप से उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासनों को सहकारी श्रम समितियों की ओर से इनको लागू न करने के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इलाहाबाद डिवीजन में सहकारी श्रमिक समितियों से मुफ्त पास की सुविधा एक से अधिक स्टेशनों पर वापस ले ली गई है जो भूतपूर्व ठेकेदारों को अपने सामान का निरीक्षण करने और पार्सल हैन्डलिंग तथा डिवीजनल कार्यालय में जाने हेतु दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कार्यकुशलता की लागत पर इस सुविधा को समाप्त करने के जिम्मेदार कारण कौन से हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

झांसी रेलवे स्टेशन के सामने दुकानों का आबंटन

4913. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन छोटे दुकानदारों को आबंटित करने के लिए 10 नई दुकानों का निर्माण कराया था, जो झांसी रेलवे स्टेशन के सामने ठेलों में सामान बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन ठेले वालों को ये दुकानें आबंटित कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ये दुकानें आबंटित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों को ये दुकानें आबंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेल की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन से बाहर 10 दुकानों का निर्माण किया था। इन दुकानों का निर्माण विशिष्ट रूप से उन्हें "ठेला वालों" के आबंटन को देखते हुए नहीं किया गया था।

(ख) दुकानों का आबंटन किया जा चुका है। दस पट्टेदारों में से छ: ठेले वाले हैं और चार दूसरे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

झांसी रेलवे स्टेशन से बाहर दस दुकानों के पट्टेदारों का ब्यौरा

दुकान नं०	पट्टेदारों का ब्यौरा
1.	श्री मोहन लाल, 557, खुशीपुरा, झांसी (ठेलेवाला)
2.	श्री रामकुमार सिंधवी, 93, हिंगन करारा, झांसी
3.	श्री रामसेवक, 62 एबटगंज, सीपरी बाजार, झांसी
4.	श्री भगवानदास, 258, बंगला घाट, झांसी
5.	श्री घनश्यामदास, 594, मट्ठागंज, झांसी
6.	श्री अरुणकुमार अवस्थी, 470, महियागंज, झांसी (ठेलेवाला)
7.	श्री नन्द किशोर, सीपरी बाजार, झांसी (ठेलेवाला)
8.	श्री चेतनदास, चाननगंज, सीपरी बाजार, झांसी (ठेलेवाला)
9.	श्री मुन्नालाल मिश्रा, एबटगंज, झांसी (ठेलेवाला)
10.	श्री सैयद अख्तर अब्बास, 130, सिविल लाइन्स, झांसी (ठेलेवाला)

यूनेस्को का चेयरमैन

4914. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उम्मीदवार को यूनेस्को के चेयरमैन के रूप में नहीं चुना जा सका;

(ख) 1972 में लुसाका में "चोराम" सम्मेलन के लिए भारतीय उम्मीदवार के मामले में यही बात हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) यूनेस्को के प्रमुख अंगों में, एक महासभा जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं, एक कार्यकारी बोर्ड जिसमें 51 सदस्य और एक सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक होता है, शामिल हैं। कार्यकारी बोर्ड अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और छः उपाध्यक्षों का चुनाव करता है। 30 नवम्बर, 1983 को हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक में बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि श्री टी० एन० कौल, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें चुना नहीं गया।

(ख) जी, नहीं। 1972 में चोगम के लिए लुसाका बैठक में भारत का कोई उम्मीदवार नहीं था।

(ग) भारत के उम्मीदवार के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, ऐसे चुनावों में पहले से सफलता सुनिश्चित करना सदैव सम्भव नहीं होता।

आयुर्वेदिक प्रणाली और एलोपैथिक प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा स्नातकों का दर्जा

4915. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक प्रणाली और आयुर्वेद के चिकित्सा स्नातकों को एलोपैथिक प्रणाली और चिकित्सा स्नातक के समान दर्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे हतोत्साहित हैं और उनमें असंतोष व्याप्त है, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में; और

(ग) क्या एलोपैथिक को कुछ पुरानी आयुर्वेदिक औषधियों का नुसका लिखने की अनुमति है परन्तु आयुर्वेदिकों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि देश की समूची स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में इस पद्धति के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का लाभ उठाया जा सके। इस पद्धति के विकास के लिए क्रमिक: पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्लान नियतनों में काफी वृद्धि की गई है। आयुर्वेदिक स्नातकों के स्टेट्स, विशेषकर उनके वेतनमान बढ़ाने आदि के प्रश्न की ओर भी सरकार का ध्यान गया है। जनवरी और अक्तूबर 1978 में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के चौथे और पांचवें संयुक्त सम्मेलनों में ये सिफारिशें की गई कि एलोपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के वेतनमानों की असमानताओं को यथा समय दूर किया जाए। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों को देखते हुए किसी एलोपैथिक डाक्टर को, जो पंजीकृत चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक दवाइयां लिखने की मनाही नहीं है।

एकीकृत अथवा भारतीय चिकित्सकों के पंजीकरण सम्बन्धी कुछेक राज्य अधिनियम ऐसे चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देते हैं। उपर्युक्त वर्ग के अधीन कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक आधुनिक दवाइयां लिख सकता है।

कुछेक राज्य सरकारों ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/ नियमों के अधीन रजिस्टर्ड चिकित्सक घोषित किया है और ये चिकित्सक आधुनिक दवाइयां भी लिख सकते हैं।

हाबड़ा और समस्तीपुर के बीच नई एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाना

4916. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के लिए यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने हेतु हाबड़ा और समस्तीपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने की निरन्तर मांग होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान हाबड़ा, समस्तीपुर, गोरखपुर में गिरफ्तार किए गए, मुकदमा चलाए गए, लाठी चार्ज किए गए आन्दोलनकारियों की संख्या सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) आजकल उत्तर बिहार और कलकत्ता को सेवित करने वाली 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर गाड़ियां हैं। तथापि, नयी गाड़ियों के लिए निरन्तर मांग की जाती है।

(ख) मांग उत्तर बिहार और हावड़ा के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की है। हाबड़ा में किए गए एक प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनपर मुकदमा चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस को हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा। समस्तीपुर अथवा गोरखपुर में कोई मामला नहीं हुआ था।

संशोधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रभाव

4917. **श्री रशीद मसूद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, जो कि डेढ़ वर्ष पहले लागू हुआ था, कि प्रभाविता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधित अधिनियम उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हुआ है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि संशोधित अधिनियम फरवरी, 1983 में लागू हुआ था, फिर भी विश्वविद्यालय के निकायों अर्थात् कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद् को बनाने से सम्बन्धित मुख्य निर्णय उनकी संरचना से सम्बन्धित मुकदमेबाजी के कारण अभी तक सही ढ़ंग से कार्य नहीं कर सका है। वास्तव में इन दोनों निकायों की बैठकें कोर्ट के आदेशों से आस्थगित कर दी गई हैं। संशोधित अधिनियम के कार्यकरण का किसी प्रकार का मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में इन निकायों के कुछ समय कार्य करने के बाद ही सम्भव होगा।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी की वापसी

4918. डा० **प्रताप वाघ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी को लन्दन से वापस भारत लाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) यूनेस्को द्वारा हाल ही में स्वीकार किए गए प्रस्ताव को देखते हुए, क्या सरकार इण्डिया आफिस लाइब्रेरी की अमूल्य पाण्डुलिपियां तस्वीरें और अन्य वस्तुएं अपने देश में लाने की मांग को एक बार फिर उठाएगा;

(ग) क्या उक्त लाइब्रेरी को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) इस समय तत्सम्बन्धी बात-चीत कहां तक पहुंची है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन को अधिगृहीत करने से सम्बन्धित मामले पर अन्य सम्बन्धित देशों की सरकारों के परामर्श से यू० के० सरकार के साथ बातचीत होती रही है और अब भी चल रही है, और सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ/यूनेस्को द्वारा इस विषय पर पारित हाल ही के कन्वेन्शनों को ध्यान में रखते हुए इस मामले से सम्बन्धित बातचीत को आगे जारी रखेगी। लाइब्रेरी को अविभाजित भारत के देशों को स्थानांतरण करने के लिए यू० के० सरकार की सहमति के बाद ही लाइब्रेरी के विभाजन का प्रश्न उठेगा।

आम लोगों को देश में बैलगाड़ियों का निर्माण करने के लिए सहमत करना

4919. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोलियम की बचत करने के लिए आम लोगों को देश में बैलगाड़ियों का निर्माण करने के लिए सहमत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कालेजों की किस्में

4920. **श्री अजित बाग** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कालेजों, गैर-सरकारी कालेजों और न्यास प्रतिष्ठान प्रबन्धकों के अन्तर्गत आने वाले कालेजों जैसे विभिन्न किस्म के राज्य-वार इस समय कितने कालेज हैं;

(ख) विभिन्न किस्म के कालेजों में राज्य-वार कितने अध्यापक और अन्य कर्मचारी हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किए गए हैं और या ये वेतनमान सभी किस्म के कालेजों में लागू कर दिए गए हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न किस्म के कालेजों में अध्यापकों और कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और मंहगाई भत्ता किस दर पर दिया जाता है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विभिन्न किस्मों के कालेजों के अध्यापकों और कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 की प्रत्येक राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी कालेजों की संख्या और उनमें अध्यापकों की अलग-अलग संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन कालेजों में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बारे में सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1.1.1973 में स्वीकृत वेतनमान जम्मू एवं काश्मीर कर्नाटक तथा केरल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी कालेजों दोनों के शिक्षकों के लिए कार्यान्वित कर दिए गए हैं। ये वेतनमान कृषि, चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञान कालेजों के शिक्षकों पर लागू नहीं होते, परन्तु उनके लिए ये वेतनमान मंजूर करने के लिए राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं।

(घ) और (ङ) कालेज कर्मचारियों के लिए मकान किराया, चिकित्सा और मंहगाई भत्ता

संबन्धित राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित दरों पर संस्वीकृत करती हैं। सामान्यतः यह दरें वही होती हैं जो राज्य सरकार की तदनुरूपी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अमगत्य होती हैं। ऐसे भत्तों की दरें, जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत की जाती हैं उन्हें ना तो एकत्र किया जाता है और ना रखा जाता है। तथापि, केन्द्रशासित क्षेत्रों के कालेजों के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने तदनुरूपी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत भत्ते की दरें ही लागू होती हैं।

विवरण

प्रबन्ध के अनुसार कालेजों की संख्या और 1981-82 के दौरान उनमें अध्यापकों की संख्या-राज्यवार

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कालेजों की संख्या			शिक्षकों की संख्या*		
		सरकारी	गैर-सरकारी	कुल	सरकारी	गैर-सरकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	141	232	373	5,476	8,030	13,506
2.	असम	58	87	145	2,252	2,542	4,794
3.	बिहार	39	371	410	1,114	12,545	13,659
4.	गुजरात	26	244	270	1,439	5,445	6,884
5.	हरियाणा	33	97	130	1,186	2,891	4,077
6.	हिमाचल प्रदेश	15	10	25	627	189	816
7.	जम्मू और कश्मीर	27	13	40	1,455	326	1,781
8.	कर्नाटक	57	371	428	2,686	11,042	13,728
9.	केरल	38	137	175	3,258	9,224	12,482
10.	मध्य प्रदेश	165	186	351	5,644	3,134	8,778
11.	महाराष्ट्र	56	538	594	4,271	15,784	20,055
12.	मणिपुर	21	1	22	872	18	890
13.	मेघालय/नागालैंड	7	25	32	212	655	867
14.	उड़ीसा	52	78	130	3,213	2,619	5,832
15.	पंजाब	54	162	216	2,983	4,130	7,113
16.	राजस्थान	85	108	193	3,822	1,881	5,703
17.	तमिलनाडु	89	184	273	6,988	9,744	16,732

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तर प्रदेश	60	465	525	1,980	12,743	14,723
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	87	245	332	4,642	9,261	13,903
20.	दिल्ली	7	47	54	596	4,196	4,792
	कुल :	1,117	3,601	4,718	54,716	1,16,399	1,71,115

*164 कालेजों को छोड़ दिया गया है जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी :—

1. सरकारी कालेज, वे कालेज हैं जिनका प्रबन्ध या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है।

2. गैर-सरकारी कालेजों में न्यासों/स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि द्वारा निजी-तौर पर प्रबन्धित सभी कालेज और वे संघटक कालेज शामिल हैं जिनका संचालन प्रबन्ध विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है किन्तु उनके विभागों के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

3. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, पांडिचेरी, गोवा, दमन व दीव, संघ शासित क्षेत्रों में स्थित कालेजों को क्रमश: पंजाब, असम, मेघालय, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरान राज्यों के कालेजों के साथ मिला दिया गया है क्योंकि वे इन राज्यों के विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध हैं। चण्डीगढ़ के कालेजों को पंजाब के कालेजों के साथ मिला दिया गया है।

हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए सहायक प्रोफेसर के रिक्त पद

4921. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का प्रशासनिक ढांचा और उसके मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) संस्थान में जन सम्पर्क बढ़ाने, हिन्दी के प्रचार और उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और इन पदों पर नियुक्तियां करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या संस्थान में हिन्दी अनुभाग के पर्याप्त कर्मचारी और सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और क्या हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए स्वीकृत सहायक प्रोफेसर के पद को बार-बार इसका विज्ञापन करने के बावजूद रिक्त रखा गया है और साक्षातकार देने वाले उम्मीदवारों में से चयन न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) उपयुक्त विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका प्रबन्ध संस्थान का शासी निकाय करता है। एक स्थाई वित्त समिति इस शासी निकाय की सहायता करती है। संस्थान के निदेशक प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और वह शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन करना इस संस्थान के मुख्य कार्य हैं।

(ख) से (घ) इस संस्थान में जन सम्पर्क प्रचार और हिन्दी के उतरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पदों की मंजूरी दी गई है :—

(1) सहायक प्रोफेसर (सूचना तथा हिन्दी)

(2) उप-सम्पादक (हिन्दी)

(3) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

(4) हिन्दी अधिकारी

(5) आशुलिपि ग्रेड-II (हिन्दी)

(6) आई० बी० एम० टाइपिस्ट (हिन्दी)

(7) हिन्दी टाइपिस्ट

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस संस्थान के हिन्दी अनुभाग को पर्याप्त स्टाफ दे दिया गया है। वैसे, उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) का पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीधी भर्ती के लिए बाहरी उम्मीदवारों के साथ-साथ अपेक्षित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करने वाले विभागीय उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कार्रवाइयों और नीतियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें

4922. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कार्रवाइयों और नीतियों के विरुद्ध अनेक मुकदमे और सिविल रिट याचिकायें दायर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) संगठन के कुछ कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया है।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और यथा सम्भव सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

बुडापेस्ट में फंसे भारतीय

4923. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 जून, 1983 के नवभारत टाइम्स में सैंकड़ों भारतीय बुडापेस्ट में फंसे शीर्षक से प्रकाशित समाचार में दिए गए तथ्य, सही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए दोषी ट्रेवेल एजेंटों के नाम क्या हैं और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बुडापेस्ट में बिना सहारे दर-दर भटकने वाले ये सैंकड़ों भारतीय किन स्थानों के हैं और क्या उनको भारत वापस लाया गया है अथवा उनके साथ क्या हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) लगभग 150 भारतीय हंगरी में फंस गए थे। ये व्यक्ति छोटे-छोटे दलों में हंगरी गए थे। इनमें से अधिकांश लोग पंजाब के थे।

बूडापेस्ट स्थित भारतीय राजदूतावास उन्हें नियमों के अधीन सभी संभव सहायता पहुंचाने के लिए उनसे सम्पर्क बनाए रहा था। फंसे हुए इन व्यक्तियों में से केवल 3 व्यक्ति ही सरकारी खर्च पर भारत वापस भेजे जाने के लिए भारतीय राजदूतावास के पास आए। बाद में इन तीनों ने भी इस का लाभ नहीं उठाया।

फंसे हुए ये सभी व्यक्ति अब हंगरी से अपने आप अपने-अपने गन्तव्य स्थान के लिए चले गए हैं।

भारत सरकार इस विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए और ऐसे उपाय करने के लिए इस मामले की जांच कर रही है जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम की जा सकें।

शोलापुर से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 की मरम्मत

4924. **श्री के० वी० चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शोलापुर से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 और नए शुरू किए गए वाहन यातायात को अनेक जोखिम उठाने पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग के इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसकी मरम्मत के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) बीजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 पर कितने पुलों का काम अभी पूरा होना शेष है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-13 की शोलापुर से बीजापुर तक की सड़क का कुछ भाग महाराष्ट्र और कुछ भाग कर्नाटक में पड़ता है। यह सड़क महाराष्ट्र में आमतौर पर अच्छी है और यातायात योग्य स्थिति में है। कर्नाटक में इस सड़क पर एक बड़ा पुल पड़ता है जिसको पूरा करने पर काफी समय लग रहा है। इसलिए इस राजमार्ग पर यातायात जारी रखने के लिए अस्थायी सम्पर्क मार्ग के रूप में मौजूदा लगभग 25 कि० मी० राज्य सड़क को वैकल्पिक रूट बनाया गया है। 1982 में इस राजमार्ग के अस्थायी सम्पर्क और स्थायी मार्ग पर टूट-फूट होने की रिपोर्ट मिली थी और इस क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करने के लिए 83 लाख रुपए के अनुमान की मंजूरी दी गयी थी। यह कार्य विभिन्न चरणों में पूरा हो रहा है। इस वर्ष वर्षा ऋतु में यह सड़क और भी क्षतिग्रस्त हो गई। इन टूट-फूट को फिर से ठीक करने के लिए 44 लाख रुपए के अनुमान की मंजूरी दी जा रही है।

(घ) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-13 पर चार छोटे पुलों का निर्माण पूरा किया जाना है।

कोरियाई विमान को मार गिराना

4925. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुझाव दिया है कि तीसरी दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ भारत को सोवियत बिमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव उस बैठक के समय आया जहां उच्चपदस्थ भारतीय राजनयिक को कोरियाई विमान को सोवियत रूस द्वारा मार गिराए जाने के बारे में अमरीकी प्रतिक्रिया के बारे में बताने हेतु अमरीकी विदेश विभाग द्वारा बुलाया गया था; और

(ग) सोवियत रूस द्वारा कोरियाई विमान को मार गिराने के बारे में भारत ने क्या कार्यवाही की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) 1 सितम्बर, 1983 को कोरियाई विमान के गिराए जाने के बारे में पक्षसार देने के लिए अमरीकी विदेश विभाग के डिप्टी अस्सिटेंट सेक्रेटरी (यूरोप प्रभाग) ने 6 सितम्बर, 1983 को "तृतीय विश्व और तटस्थ देशों के वाशिंगटन स्थित मिशनों के प्रतिनिधियों को बुलाया। वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के एक राजनयिक ने भी इस ब्रीफिंग में भाग लिया।

इस ब्रीफिंग में उक्त अमरीकी अधिकारी ने यह भी कहा था कि संयुक्त राज्य यह चाहेगा कि सभी देश, सोवियत संघ के साथ अपने सिविल विमानन सम्बन्धों की समीक्षा करें। उक्त अधिकारी ने यह विशेष सुझाव दिया कि सभी देश 60 से 90 दिन के लिए सोवियत एयरलाइन्स, एयरोफ्लोट की उड़ानों का निलम्बन करने जैसे उपाए करें।

(ग) विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के दो वक्तव्य और 15 से 16 सितम्बर, 1983 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन परिषद के विशेष अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि के वक्तव्य का पाठ, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-76/2/83]

श्रीराम सागर परियोजना से बाढ़ का पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी पर बने पुल को खतरा

4926. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जब श्रीराम सागर सिंचाई परियोजना से बाढ़ जल द्वारों से लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो आंध्र प्रदेश में अदीलाबाद और निजामाबाद जिलों के बीच में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 7 पर, गोदावरी नदी के ऊपर बने हुए पुल को, जो कि परियोजना के ठीक नीचे है, बहुत खतरा हो गया था;

(ख) श्रीराम सागर परियोजना से बाढ़ के कारण कुल कितना पानी छोड़ा जाता है और पुल की वहन-क्षमता कुल कितनी है;

(ग) यदि श्रीराम सागर परियोजना के बाढ़ जल द्वारों से पानी को अपनी पूरी क्षमता के साथ छोड़ जाता है तो क्या पुल शीघ्र ही बह जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या वह एक नये पुल के निर्माण की योजना बना रहे हैं जो कि बाढ़ के कारण छोड़े गए सारे पानी को वहन कर सकता है, और यदि हां, तो उसका निर्माण कब शुरू किया जाएगा और वह कब पूरा होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि यह पुल, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सबसे पुराना सम्पर्क मार्ग है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दि० 11-8-83 को श्रीराम सागर परियोजना से 8.8 लाख क्यूसेक और स्वर्ण नदी से 1.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण इस पुल का जलस्तर लगभग उस पुल की क्षमता तक पहुंच गया था।

(ख) क्रमशः 16 लाख क्यूसेक और 9.56 लाख क्यूसेक।

(ग) यदि इस परियोजना से पूरी क्षमता में पानी छोड़ा जाता है तो इस पुल को खतरा हो जाएगा।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ङ) जी हां।

रेलवे में ट्रेड-यूनियन चुनाव कराने के लिए उच्च-स्तरीय निकाय

4927. **श्री ईरा अनाबारासु : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ब्रांच, डिवीजन, जोनल स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक, विभिन्न स्तरों पर ट्रेड यूनियन के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निगरानी करने सम्बन्धी कोई उच्चस्तरीय निकाय है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे ट्रेड यूनियन के गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराने के लिए किसी तन्त्र की स्थापना करने के बारे में विचार करेंगे; और

(ग) रेलवे में मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा किए जाने वाले सदस्यता सम्बन्धी दावे की जांच का आधार क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा सम्बन्धित ट्रेड यूनियन्स रजिस्ट्रार को हर वर्ष ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित सभी ब्यौरों का एक विवरण भेजा जाना होता है। इन वार्षिक विवरणों से, रेल प्रशासन विभिन्न पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या से अवगत होने की स्थिति में होता है।

तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए पश्चिमी जर्मनी से फालतू हिस्से पुर्जे प्राप्त करना

2928. **श्री बापूसाहिब पुरूलेकर :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

श्री निहाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए फालतू हिस्से पुर्जे प्राप्त करने के लिए हाल ही में पश्चिम जर्मनी के साथ समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता करने के पहले इस मामले में सरकार ने अन्य कई देशों के साथ बातचीत की थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के साथ सिद्धान्त में यह समझौता हो गया है कि जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा जिन फालतू पुर्जों के दिए जाने की सम्भावना है वे सिर्फ तारापुर परमाणु बिजलीघर में ही इस्तेमाल किए

जाएंगे जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एसोसिएशन के सुरक्षा सम्बन्धी उपाय लागू होते हैं। लेकिन ऐसे फालतू पुर्जों की सप्लाई के सम्बन्ध में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ वाणिज्य-करार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) भारत सरकार ने तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए इटली से भी फालतू पुर्जे हासिल करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी उम्मीद है कि अमरीका ऐसे फालतू पुर्जे देने के अपने वचन का पालन करेगा जो अन्य स्रोतों से उपलब्ध न हो सकें।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खरीदे गए 200 के० वी० इलैक्ट्रोन माइकोस्कोप का मूल्य

4929. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान ने मैसर्स टोसनीवाल एन्ड कम्पनी (जापान) के माध्यम से 200 के० वी० इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप खरीदा है;

(ख) क्या यह सच है कि उसी प्रकार का उपकरण, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने बहुत कम कीमत (लगभग 15 लाख रुपए) पर खरीदा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने उपस्कर के निर्माता मैसर्स भ्रील लिमिटेड टोकियो, जपान के एकमात्र एजेंट मैसर्स तोषोवाल ब्रादर्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमि० के माध्यम से 200 किलोवाट के इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप्स खरीदे। उनके द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उपस्कर के लिए दिया गया मूल्य इस प्रकार है :—

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

मूल उपकरण की लागत $6\frac{1}{2}\%$ की दर से हवाई भाड़े सहित 221, 950 अमेरिकी डालर निर्माताओं द्वारा 4 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई थी।

राष्ट्रीय भौतिल प्रयोगशाला, नई दिल्ली	रुपए
लागत (विदेशी मुद्रा में अदा की गई)	20,93,304
हवाई भाड़ा (भारतीय मुद्रा में अदा किया गया)	1,88,322
बीमा (भारतीय मुद्रा में अदा किया गया)	68,857
	23,50,483
भारतीय एजेंट का कमीश	37,280
	23,87,763

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप में किए जाने वाले विभिन्न प्रयोगों के लिए अपेक्षित अनेक सहायक उपकरण भी प्राप्त किए। विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान में हवाई भाड़े सहित 159,780 अमेरिकी डालर की अतिरिक्त लागत पर सुविधा स्थापित की जा रही है।

केटरिंग सेक्शन के मैनेजर के पद का नाम बदल कर सुपरवाईजर किया जाना

4930. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण रेलवे के केटरिंग सैक्शन के मैनेजरों की ओर से उनके पदनाम को मैनेजर के स्थान पर सुपरवाइजर किए जाने पर आपत्ति करने वाला अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उनके मैनेजर पदनाम को बनाए रखने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) वाणिज्य विभाग खान-पान कर्मचारियों की कुछ वर्ग "ग" कोटियों के पदनाम में परिवर्तन करने के बारे में दक्षिण रेलवे के खान-पान कर्मचारियों से एक अभ्याबेदन प्राप्त हुआ है। तृतीय बेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, रेल मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यापक अध्ययन के बाद खान-पान विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के पदनामों को मानकीकृत किया है। इसे भारतीय रेल प्रणाली पर सभी जगह कार्यान्वित किया गया है। रेल मंत्रालय ने अभ्यावेदन पर भली-भांति विचार किया है और वह किसी तत्काल परिवर्तन को आवश्यक नहीं समझता। मंत्रालय चतुर्थ बेतन आयोग, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा खान-पान कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की सभी कोटियों के पदनामों में किसी अन्य परिवर्तन पर विचार करने के लिए की गयी है, की सिफारिशों, यदि कोई हों, की भी प्रतीक्षा करेगा।

गांधी और जवाहर लाल नेहरू विषयक अनुसंधान कार्य

4931. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और गांधीवादी और नेहरूवाद से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों द्वारा अपनी पी० एच० डी० उपाधियों के लिए कितने अनुसंधान कार्य किए गए हैं;

(ख) अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों द्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद विषयक कितने अनुसंधान कार्य किए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुसंधानों से सम्बन्धित विषयों में से कौन

से विषयों में पी० एच० डी० उपाधियां दी गई हैं और कौन से विषयों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधान डिग्रियों के लिए 38000 से अधिक छात्रों को पंजीकृत किया जाता है । इन विषयों से सम्बन्धित सूचना, जिसके लिए इन सभी छात्रों को पंजीकृत किया जाता है, एकत्र, संकलित और अनुरक्षित नहीं की जाती है । अत: प्रश्न के उत्तर में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

होरमज जलडमरू मध्य बन्द करने की ईरान की धमकी

4932. **श्री कमलनाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होरमज जलडमरू मध्य को बन्द करने के बारे में ईरान द्वारा दी गई धमकी की जानकारी है जिससे भारत को आने वाले सामान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस धमकी पर अपनी चिंता व्यक्त की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार को ईरानी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए इस आशय के वक्तव्यों की जानकारी है कि किन्हीं परिस्थितियों में वे होरमज जलडमरू के बारे में क्या कार्रवाई कर सकते हैं ।

जैसाकि सभी जानते हैं, ईरान और इराक के बीच युद्ध से उत्पन्न स्थिति से, जबकि दोनों गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सह-सदस्य हैं और दोनों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, भारत चिंतित है । भारत ने इस संघर्ष के बढ़ने और इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिए जाने में निहित खतरों पर बराबर अपनी चिंता व्यक्त की है ।

जांचाधीन रेलवे कर्मचारियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना

4933. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सार्वजनिक ड्यूटी करने वाले यात्रा टिकट निरीक्षकों जैसे रेल कर्मचारियों के विरुद्ध, जबकि वे भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं; सतर्कता के मामले बनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले में कार्यवाही करते समय, सरकार उन भ्रष्ट कर्मचारियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करती है जिससे कि इनकी तुलना उसके आय के स्रोत से की जा सके;

(ग) यदि हां, तो बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में ऐसे कितने मामले जांचाधीन हैं और उन मामलों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा देने का है जिनके विरुद्ध सतर्कता मामले चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां । सतर्कता के मामलों को कदाचारों/अधिनियमितताओं के विशिष्ट आरोपों वाली सदाशयी शिकायतों के आधार पर पंजीकृत किया जाता है ।

(ख) किसी संदिग्ध कर्मचारी की सम्पति से सम्बन्धित सूचना लेना उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है जब कर्मचारी की आय से ज्ञात साधनों के अनुपात से उसकी परिसम्पत्तियों के अधिक होने की सम्भावना हो ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

थलतेज में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो का खोला जाना

4934. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित थलतेज में एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो खोलने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या इस तथ्य के होते हुए कि विरमगाम में इस प्रयोजन के लिए इमारत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर ऐसे डिपो क्यों नहीं खोले जाते हैं; और

(ग) थलतेज में ऐसे एक डिपो के लिए भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अहमदाबाद क्षेत्र के औद्योगिक हितों के लिए एक इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए थलतेज का स्थल चुना गया था ।

(ख) सम्भव स्थान के रूप में वीरमगाम उपयुक्तता की गुजरात की राज्य सरकार, गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री, शिपिंग लाइन्स, सीमाशुल्क आयुक्त और रेलों के परामर्श से विस्तृत जांच की गयी थी । वीरमगाम सहित सभी सम्भव स्थलों पर विचार किए जाने के बाद उनके द्वारा यह सिफारिश की गयी थी कि इनलैंड कन्टेनर डियो थालतेज में स्थापित किया जाए ।

(ग) थलतेज के कुछ भूमि मालिकों ने गुजरात उच्च न्यायलय में अधिग्रहण की कार्यवाही के विरुद्ध दावा दायर किया है और मामला न्यायाधीन है ।

सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के लिए प्रतिपूर्ति निधि प्राधिकरण से राज्यों को आबंटन

4935. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की सहायता के लिए एक प्रतिपूर्ति निधि प्राधिकरण स्थापित किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिपूर्ति निधि योजना में निर्धारित धन राशि के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों को मुआवजा देने के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। सीलेशियम फन्ड अथारिटी की स्थापना सीलेशियम फन्ड स्कीम, 1982 की धारा 3 के अन्तर्गत की गई है, जिसका ब्यौरा नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० ओ० 800 (ई०) दि० 12-11-1982 में प्रकाशित किया गया है।

(ख) सीलेशियम फन्ड स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से हताहत व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक 25.55 लाख (पच्चीस लाख और पचपन हजार) रुपए आबंटित किए गए हैं।

लिपिक श्रेणी से गार्ड की श्रेणी में परिवर्तन

4936. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 से अब तक लोको चार बाग, लखनऊ में अनुसूचित जातियों के कितने लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों, यदि कोई हो तो, ने अपनी गार्ड को श्रेणी को बदलने के लिए महाप्रबन्धक (कार्मिक), उत्तर रेलवे के पास आवेदन किया था तथा उनमें से कितनों ने यदि कोई हों तो, उस परिवर्तन हेतु तत्सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) इन चुने गए लोगों में से कितने लोगों को लिपिक/वरिष्ठ लिपिकों की श्रेणी से गार्ड की श्रेणी में सेवा-श्रेणी बदलने की अनुमति प्रदान की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बर्मा में असम के उग्रवादियों को प्रशिक्षण

4937. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कुछ उग्रवादी तत्वों को बर्मा में हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा

है और ये उग्रवादी तत्व हथियारों से सुसज्जित होकर भारतीय क्षेत्र में अशांति पैदा कर रहे हैं;

(ख) क्या इस संदर्भ में राज्य के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरनाक स्थिति में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) इस आशय की खबरें समय-समय पर देखने में आती रही हैं। सरकार इन पर गौर कर रही है लेकिन निश्चित रूप से अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है।

दक्षिण एशिया में आणविक हथियार मुक्त क्षेत्र

4938. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने दक्षिण एशिया में आणविक हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विरोध को दोहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विरोध का प्रयोजन क्या है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) भारत यह मानता है कि सारा संसार नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त होना चाहिए। नाभिकीय निरस्त्रीकरण ऐसी चीज नहीं है जिसे भूगोल के आधार पर टुकड़ों में बांटा जा सके, एक सिद्धान्त के रूप में भी भारत इस बात को उचित नहीं मान सकता कि कुछ शक्तियों के पास नाभिकीय हथियार हों और हम नाभिकीय अस्त्र क्षेत्र के नाम पर उनके तथाकथित कृपापूर्ण संरक्षण में रहना स्वीकार कर लें। इसके अलावा नाभिकीय हथियारों से मुक्त राज्यों द्वारा संसार के विभिन्न क्षेत्रों में नाभिकीय हथियारों का लाना-ले जाना और उन्हें स्थापित करना बुनियादी तौर पर नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र के विचार से मेल नहीं खाता। इसलिए हमारा सामान्य मत यही है कि नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र का विचार अब एक यथार्थवादी विचार नहीं रहा।

जहां तक दक्षिणी एशिया में नाभिकीय हथियारों से मुक्त क्षेत्र की स्थापना के विशिष्ट प्रस्ताव का प्रश्न है, भारत का सदैव यह दृढ़ मत रहा है कि ऐसे क्षेत्रीय प्रबन्ध न तो बाहर से थोपे जा सकते हैं और न एक क्षेत्र विशेष में ही इसे जबरन लागू किया जा सकता है, इन्हें तो संबद्ध क्षेत्र में ही पनपाने और विकसित करने की जरूरत होगी। दक्षिण दशिया पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एशिया और प्रशान्त के वृहत्तर क्षेत्र का ही उप-क्षेत्र है और हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की उपस्थिति इस समूचे क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण को जटिल बना देती है तथा दक्षिण एशिया के इस उप-क्षेत्र में नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त क्षेत्र की स्थापना की स्थिति को विशेष रूप से अनुचित बना देती है।

गुजरात (पश्चिम रेलवे) में नई लाइनें बिछाने और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4939. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पश्चिम रेल क्षेत्र में नई लाइन बिछाने और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी निर्माण कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या धन की कमी के कारण कोई काम बन्द किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्वीकृत कार्यों को समय-बद्ध अवधि के अन्दर पूरा कर दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) गुजरात में अनुमोदित नयी लाइन परियोजनाओं और मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन की रेल परियोजनाओं की प्रगति नीचे दी गई है :—

1. कपड़वंज मोडासा (ब० ला०) नयी लाइन—9 प्रतिशत (अनुमानित)
2. भुज-नलिया (मी० ला०) नयी लाइन—15 प्रतिशत (अनुमानित)
3. वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर-मी० ला० से ब० ला० में आमान-परिवर्तन 82 प्रतिशत (अनुमानित)

(ख) से (घ) निर्माण-कार्यों की प्रगति उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार हो रही है।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत द्वारा सहायता का बचन

4940. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की राहत और निर्माण एजेंसी (यू० एन० आर० डब्ल्यू०) को भारत द्वारा किस प्रकार की और नकद, अन्यथा और सेवाओं के रूप में कितनी सहायता देने का बचन दिया गया है, देश में फिलिस्तीनी छात्रों को उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृति और प्रशिक्षण सुविधाओं का क्या ब्यौरा है; और

(ख) आगामी वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु दी जाने वाली सहायता का क्या ब्यौरा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) भारत 1976 से संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत और निर्माण-कार्य एजेंसी (यू० एन० आर० डब्ल्यू०) को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि देता रहा है जिसे 1978 में बढ़ा कर 1 लाख 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया था 1982 में हमने अपनी सहायता-राशि बढ़ा कर 2 लाख कर दी थी। 1983 में हमने 2 लाख रुपए नकद की तदर्थ सहायता भी दी है।

1980-81 से 10 निर्धारित छात्रवृत्तियों के स्थान पर फिलिस्तीनी विद्यार्थियों ने शिक्षा वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए क्रमशः 12, 14 और 17 स्थान पाए हैं।

(ख) भारत ने 1984 के लिए 2 लाख रुपए का वचन दिया है। भारत ने 1983-84 में फिलिस्तीनी विद्यार्थियों के लिए 10 छात्रवृत्तियां रखी हैं।

कलकत्ता मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा भर्ती

4941. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मेट्रो रेल प्रशासन अपने स्थायी पदों के लिए केवल बाहर से ही भर्ती कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो लम्बी अवधि तक सेवारत आकस्मिक श्रमिकों के दावों की क्यों उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) क्या लम्बे समय से इस परियोजना में सेवारत आकस्मिक श्रमिकों को स्थायी रूप से नियुक्त करने हेतु उनके लिए कम से कम कुछ प्रतिशत पद उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान भर्ती नीति में परिवर्तन किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ) : (क) मेट्रो रेलवे कलकत्ता में आजकल कोई स्थायी पद नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

वाराणसी स्थित केन्द्रों में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश न दिया जाना

4942. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल से रेलवे सेवा आयोग परीक्षा में बैठने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को सनातन धर्म कालेज और रामधारी रस्तोगी विद्यालय वाराणसी स्थित केन्द्रों में 27 नवम्बर, 1983 को केन्द्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त केन्द्रों पर परीक्षार्थियों को मार्ग दर्शन देने के लिए आयोग का अधिकारी उपलब्ध नहीं था; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा इस गलती में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार रामप्यारी रस्तोगी विद्यालय केन्द्र में परीक्षा देने आए थे, सनातन धर्म कालेज केन्द्र

में नहीं। कुछ उम्मीदवारों को, जो परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं थे लेकिन केन्द्रों में आ गए थे, को केन्द्रों में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। सभी पात्र उम्मीदवारों ने शांतिपूर्वक परीक्षा दी थी।

(ख) चूंकि रेल सेवा आयोग के पास सभी केन्द्रों को सम्हालने के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं, इसलिए केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी के रूप में काम करने के लिए अन्य रेल अधिकारियों की सहायता ली जाती है। तदनुसार, उपर्युक्त दोनों केन्द्रों सहित, सभी केन्द्रों में प्रभारी अधिकारी उपलब्ध थे।

(ग) चूंकि पात्र उम्मीदवार उपर्युक्त दोनों में पहले ही परीक्षा दे चुके हैं और इनमें से हर केन्द्र में प्रभारी अधिकारी थे, इसलिए और संशोधन करना अपेक्षित नहीं है।

कटपाड़ी-तिरुपति छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

4943. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटपाड़ी-तिरूपति छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त योजना को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्या मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) तिरूपति से पकाला तक के मीटर लाइन खण्ड के आमान-परिवर्तन और पकाला से काटपड़ी तक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है। 50 प्रतिशत इंजीनियरी सर्वेक्षए कार्य तथा 15 प्रतिशत यातायात सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लिए जाने के बाद ही इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाएगा।

इसराइल में रह रहे भारतीयों का वापस आना

4944. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों को भारत वापस आने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनका भारत वापस आना सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ उपाय करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इसराइल में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को भारत वापस आने में किन्हीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

छात्रावास सुविधा सहित लड़कियों के स्कूल

4945. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संचार का अभाव है और वहां मिडिल तथा हाई स्कूल 15-20 कि० मी० दूर हैं और पैदल चल कर जाना पड़ता है, इसलिए लड़कियां अपनी पढ़ाई प्राथमिक या मिडिल स्तर पर छोड़ देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक छात्रावास सहित एक स्कूल खोलने के लिए अनुदान देने का है ताकि लड़कियों को अपनी पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर न छोड़नी पड़े और महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति वास्तविक रूप में लागू हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह शैक्षिक संस्थान कब तक खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित (30 सितम्बर, 1978 की यथास्थिति के अनुसार) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 26.42% ग्रामीण जनसंख्या को 5 किलोमीटर के अन्दर मिडिल-स्तर की कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार से 81·2% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 8 किलोमीटर के अन्दर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

देश में निराश्रित विधवाओं/वृद्धों और विकलांगों की राज्यवार संख्या

4946. **श्री हरीश रावत :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा देश में निराश्रित विधवाओं, वद्धों और विकलांगों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों द्वारा प्रतिबर्ष उनके कल्याण पर खर्च की जा रही धनराशि को देखते हुये सभी हकदार व्यक्तियों को कब तक लाभ मिलने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1981 जनगणना ने वृद्धों के समबन्ध में जानकारी एकत्रित की है जिससे 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुमान लगाना सम्भव है। 1981 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक सर्वेक्षण किया था। निराश्रित विधवाओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) दो विवरण, एक 60 और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का अनुमान दर्शाने वाला और दूसरा विकलांग व्यक्तियों का अनुमान दर्शाने वाला, संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7613/83]

(ग) इन श्रेणीयों के व्यक्तियों के कल्याण के लिये तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तंगत सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिये कोई समय-रचना निश्चित नहीं की गई है।

पत्तन आयोजना

4947. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या देश में पत्तन कार्यनिष्पादन कार्यक्रमों को सुधारने के लिये पत्तन, आयोजना तथा उचित तालमेल और समन्वित सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सरकार पत्तनों के नियोजित विकास की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। योजना में समन्वित सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग के निर्देश पर गठित कार्यदल में प्रयोक्ता मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महा पत्तनों की विकास योजनाओं को, अनुमोदन होने और वार्षिक योजनाओं में अपेक्षित धन-राशि की व्यवस्था किए जाने के बाद ही इसे कार्यन्वित किया जाता है।

जहां तक इसके कार्य निष्पादन का सबंध है, पत्तनों की उत्पादकता पर निगरानी रखी जाती है।

गुजरात में समेकित बाल विकास योजना पर हुआ व्यय और इसका कार्यकरण

4948. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित बाल विकास योजना" के अन्तर्गत गुजरात और अन्य राज्यों के विभिन्न भागों में बहुत सी योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 से 30 जून, 1983 तक क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1983, 1984, और 1985 के दौरान चलाई जाने वाली ऐसी सम्भावित योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्विति पर निगरानी रखने की कार्यविधि आदि क्या है;

(ङ) इन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कर्मचारी वर्ग, प्रशासन और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(च) इन योजनाओं के लिए किसी विदेशी एजेंसी द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित 22 नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं मंजूर की गई और केन्द्र द्वारा प्रायोजित 7 पुरानी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को जारी रखा गया ।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित 18 अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजाएं मंजूर की गई हैं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित 29 पुरानी परियोजनाओं को जारी रखा गया है ।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का प्रत्येक परियोजना से प्राप्त मासिक

प्रगति रिपोर्ट और राज्य सरकारों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रबोधन किया जा रहा है। कार्यक्रम के स्वास्थ्य और पोषाहार संघटकों के प्रबोधन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और मैडिकल कालेजों की भी सहायता ली जाती है।

(ङ) 1980-81 से 1982-83 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को कुल 1.83 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए। इसमें राज्य और जिला स्तरों पर प्रतिष्ठान के लिए 3 प्रतिशत का प्रावधान शामिल है। इन आंकड़ों में प्रशिक्षण और पूरक पोषाहार का व्यय शामिल नहीं है।

(च) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा परामर्श प्रशिक्षण, आपूर्ति, उपकरण, प्रबोधन, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की सहायता का उपयोग गुजरात के पंचमहल जिले में 11 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष से लेकर 6 वर्षों तक किया जाएगा। कुछ समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में "केअर" और विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश सहायता जिन्सों मिलती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

4949. **श्री के० अर्जुनन :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने आरक्षित कोटा पूरा कर दिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) मंत्रालय में यथा उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

	पदों की कोटि	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु० जाति की संख्या	अनु० ज० जा० की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग, वर्ग घ	575	80	20	20-12-1983 की स्थिति के अनुसार सूचना
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	वर्ग क और ख	236	1	—	1-1-1981
	वर्ग ग	1990	19	8	की स्थिति के
	वर्ग घ	2112	448	19	अनुसार सूचना
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	वर्ग क	80	—	—	1-1-1982
	वर्ग ख	192	—	—	की स्थिति के
	वर्ग ग	2287	48	—	अनुसार सूचना
	वर्ग घ	2713	650	38	
दिल्ली विश्वविद्यालय	वर्ग क और ख	135	—	—	1-1-1982
	वर्ग ग	1839	80	—	की स्थिति के
	वर्ग घ	556	136	5	अनुसार सूचना

1	2	3	4	5	6
हैदराबाद	वर्ग क	16	—	—	1-1-1983
विश्वविद्यालय	वर्ग ख	32	—	—	की स्थिति के
	वर्ग ग	215	11	1	अनुसार सूचना
	वर्ग घ	249	54	9	
जवाहर लाल नेहरू	वर्ग क	60	3	—	1-1-1983
विश्वविद्यालय	वर्ग ख	49	1	—	की स्थिति के
	वर्ग ग	482	37	1	अनुसार सूचना
	वर्ग घ	477	140	1	
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय	वर्ग क और ख	64	—	32	1-1-1981
विश्वविद्यालय	वर्ग ग	307	—	202	की स्थिति के
	वर्ग घ	300	21	150	अनुसार सूचना
विश्व भारती	वर्ग क	45	—	—	1-1-1983
विश्वविद्यालय	वर्ग ख	52	—	1	की स्थिति के
	वर्ग ग	649	42	1	अनुसार सूचना
	वर्ग घ	634	104	85	

*केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में गैर अध्यापन स्टाफ

राष्ट्रमण्डल सचिवालय की संरचना

4950. **श्रीमती प्रकाश चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमण्डल सचिवालय, राष्ट्रमण्डल के शासकीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना का ब्योरा क्या है;

(ख) उसमें कितने वरिष्ठ कर्मचारी, अन्य कर्मचारी हैं, उनके चयन और नियुक्ति का क्या तरीका है; उनके वेतन और वेतमान क्या हैं और देश-वार उनका विवरण क्या है;

(ग) भारत से कितने कर्मचारी लिए गए हैं और अन्य सदस्य देशों की तुलना में उनकी संख्या कितनी है;

(घ) राष्ट्रमण्डल सचिवालय का कुल वित्तीय बजट कितना है और उसमें भारत का क्या उत्तरदायित्व है; और

(ङ) उपरोक्त सचिवालय में भारतीय कर्मचारियों के अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इस सचिवालय में एक महासचिव, दो उप-महासचिव, दो सहायक महासचिव और अन्य अधकारी शामिल हैं जो प्रशासन, आर्थिक कार्य, निर्यात बाजार विकास, खाद्य उत्पादन एवं ग्रामीण विकास, सूचना, अन्तर्राष्ट्रीय कार्य, विधि, विज्ञान, शिक्षा, अध्येतावृति एवं प्रशिक्षण प्रबन्ध विकास, चिकित्सा क्षेत्र की महिलाएं एवं विकास, युवक, सामान्य तकनीकी सहायता से सम्बद्ध मामलों में महासचिव की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम के क्षेत्रीय केन्द्र जाम्बिया, भारत और गुयाना में हैं। प्रत्येक केन्द्र में अध्यक्ष, एक-एक निदेशक हैं।

(ख) सचिवालय में अमले की संख्या कार्यात्मक अपेक्षाओं और दक्षता की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जाती है। यद्यपि अधीनस्थ अमले के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि सचिवालय में जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र शामिल हैं, इस समय 61 वरिष्ठ अधिकारी हैं।

महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। उप-महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रमण्डल शासनध्यक्षों द्वारा की जाती है जो लन्दन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते हैं। अन्य वरिष्ठ अमले की नियुक्ति महासचिव करता है जिसे राष्ट्रमण्डल सरकारों द्वारा प्रस्तुत नामों के पैनलों में से सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का विशेषाधिकार है जिसमें सर्वोच्च ध्यान दक्षता, सक्षमता और ईमानदारी के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता और राष्ट्रमण्डल के अन्दर यथासम्भव व्यापक भौगोलिक आधार पर अमला भरती करने के महत्व पर दिया जाता है।

महासचिव को कनिष्ठ अमला नियुक्त करने का प्राधिकार है।

सचिवालय के अमले के वेतन तथा उनकी नियुक्ति के तरीके की सावधिक समक्षा की जाती है

जिसमें लन्दन स्थिति चुने हुए हाई कमीशनों में वेतन, ब्रिटिश सिविल सेवा में वेतन और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में वेतन जैसे विभिन्न तत्वों और मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके साथ ही इस बात का भी सुनिश्चत किया जाता है कि सचिवालय, जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रमण्डल देशों की व्यापक परिधि से प्रतिष्ठित एवं उच्च व्यावसायिक दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को भरती करे।

(ग) सचिवालय में भारत के 6 वरिष्ठ अधिकारी हैं ब्रिटेन के 16, आस्ट्रेलिया के 5, कनाड़ा के 3, न्यूजीलैंड के 2 और श्रीलंका के 4।

(घ) सचिवालय का 1982-83 का बजट (राष्ट्रमण्डल विज्ञान परिषद, राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम और सी० एफ० टी० सी० को छोड़कर) 4,206,320 पौंड है। 3.02 प्रतिशत के हिसाब से भारत का अंशदान 126,933 पौंड है। राष्ट्रमंडल विज्ञान परिषद, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और सी. एफ. टी. सी. का 1982-83 का वजट जिसमें भारत का अंशदान कोष्ठ में दिया गया है, क्रमशः 286,000 पौंड (23,150 पौंड); 967,077 पौंड (43,500 पौंड); 15,675,675 पौंड (715,000 पौंड) है।

(ङ) ऊपर बताए गए आकड़ों से यह पता चलता है कि सचिवालय के वरिष्ठ अमले में भारत का प्रतिनिधित्व कम नहीं है। अतः सचिवालय के अमले में भारतीत कर्मचारियों के अनुपात को बढ़ाने के विशेष प्रयास का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा महिला ब्यूरो की स्थापना

4951. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं का दर्जा और योगदान बढ़ाने और रोजगार के लिए प्रशिक्षण और अवसरों के प्रावधान हेतु राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा कितनी बैठकें और गतिविधियां आयोजित की गई तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सचिवालय द्वारा महिला ब्यूरो का भी गठन किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित इसका क्या ब्यौरा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) राष्ट्रमण्डल महिला और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को उच्च अग्रता प्रदान की गई है, ताकि उनमें महिलाओं के हित अधिक प्रभावकारी रूप से परिलक्षित हों। इस प्रोग्राम के तहत काम करने वाले अमले के माध्यम से इसके लिए खास तौर से बिशेषज्ञों को नियोजित करके परामर्श के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है। इसके अलावा, सचिवालय ने अफ्रीकी देशों की वरिष्ठ महिला अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाई की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य महिलाओं के नियोजन के प्रति एक अधिक सार्थक दृष्टिकोण अपनाना है। इस समय इसके अन्तर्गत

महिलाओं के नियोजन की समस्या के विश्लेषण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि ऐसी राष्ट्रीय नीतियां विकसित की जा सकें जिनमें महिलाओं को अधिक रोजगार मिले । अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में यह सोचा गया है कि यह कार्यक्रम इस क्षेत्र में काम करवाने के लिए सरकारों के एक सलाहकार के रूप में अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करेगा। 1982-83 के दौरान भारत, जाम्बिया और बारबडोस में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें महिलाओं के रोजगार के विषय से सम्बद्ध व्यक्ति इस बारे में विचार करने के लिए एकत्र हुए थे कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में क्या विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ओर उसे कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए । इन कार्यशालाओं के निष्कर्ष विशेषज्ञ दल की बैठकों का आधार बनेंगे जो महिलाओं में निर्धनता दूर करने के प्रश्न से संबद्ध नियोजन नीतियों को परिभाषित करने के लिए की जाएँगी। जिन मसलों का अध्ययन किया जाना है उनमें महिलाओं को कर्ज देने के लिए खोली गई वित्तीय संस्थाओं की प्रभावकारिता, बड़े पैमाने पर प्रत्युत्तर की संभावना के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के वास्ते गैर-सरकारी नीतियां और महिलाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए व्यवस्था के तौर पर भारत की विशेष अवयव योजना जैसे अधिकाधिक कार्यक्रमों की सम्भाव्यता शामिल है।

जनवरी, 1983 में जिम्बाववे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपाती कोष के सहयोग से मां के दूध के विकल्प पेयों के विपणन के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की संहिता के क्रियान्वयन के बारे में कार्यक्रमानुसार एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम के मुताबिक सरकार पर जोर देने के लिए छोटे द्वीप-राज्यों के महिला राष्ट्रीय अभिकरणों की क्षमता को बढ़ाने के लिए दो क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

पपुआ न्यू गिनी में कार्यक्रमानुसार छोटे राज्यों में योजना से सम्बद्ध एक अन्तः क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि महिलाओं के हित चिंतन के लिए योजना संबंधी नव-अभिविन्यासों की आवश्यकता से, उच्चस्तरीय अधिकारियों को पूरी तरह अवगत कराया जा सके ।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले कैरिबियाई और प्रशांत महासागर के राज्यों के लिए सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था करने के वास्ते क्षेत्रीय सलाहकारों की नियुक्ति द्वारा इस कार्यक्रम का अनुपालन किया गया है ।

मई, 1983 में कैरेबिया में अर्थशास्त्रियों, विकास आयोजकों और दिलचस्पी रखने वाले दलों के लिए रोजगार-नीतियों से संबद्ध एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

इस कार्यक्रम में महिलाओं के रोजगार के कुछ अन्तः सम्बद्ध पहलुओं पर अध्ययन भी किया जा रहा है । अध्ययन की एक अन्य शृंखला का उद्देश्य यह है कि ऐसे तौर-तरीके सुझाए जाएं जिनके अनुसार ईंधन की लकड़ी और पानी लाने ले जाने में समय व्यतीत करने वाली महिलाओं की सरल प्रौद्योगिकियों द्वारा सहायता की जा सके। एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय महिला

संगठन के सहयोग से एक अन्य अध्ययन भी किया जा रहा है ताकि भारत के ग्रामों में नलकूपों की व्यवस्था के लिए, संगठन की नीति की प्रभावकारिता का निर्धारण किया जा सके।

(ख) 1980 के अन्त में सचिवालय में ही एक एकक के रूप में महिला और विकास कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रयासों में सहायता दी जा सके।

(ग) सचिवालय के महिला और विकास कार्यक्रम का काम महिलाओं की इस बारे में उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करना है कि वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा और खुद अपना हित-चिन्तन कर सकें, जिसमें उनके अपने-अपने देशों में सरकारी नीति और निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने संबंधी उनकी क्षमता भी शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी रहा है कि राष्ट्र महिला ब्यूरो का निर्माण करके उसे मजबूत बनाया जाए, जो कि महिलाओं और सरकारों दोनों के लिए ही एक संसाधन हो सकता है।

सचिवालय के महिला और विकास कार्यक्रम के क्रियाकलापों का सार, मोटे तौर पर उपर्युक्त भाग (क) में दिया गया है।

बीकानेर डिवीजन में नियुक्त ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों के विरुद्ध सतर्कता के मामले

4952. **श्री तारिक अनवर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को मालूम है कि सार्वजनिक ड्यूटी पर भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले चलाए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे नियम हैं कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता मामलों में जाँच-पड़ताल के दौरान उन्हें नियुक्त किए गए डिवीजन/जोन से दूसरे डिवीजन/जोन/मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तरी रेलवे के बीकानेर डिवीजन में नियुक्त ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनरों को उस डिवीजन से कहीं और स्थानान्तरित किया जाना था क्योंकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उन्हें स्थानान्तरित किया गया था अथवा क्या वे अभी भी उन्हीं स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले आरम्भ किए गए थे;

(च) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(छ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, परन्तु प्रशासनिक हिदायतें अवश्य मौजूद हैं कि कदाचार में लिप्त पकड़े गए कर्मचारियों को अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण पर भेजा जाना चाहिए।

(ग) वर्ष 1983 में, सतर्कता मामले के कारण बीकानेर मंडल के किसी चल टिकट परीक्षक के प्रस्तावित स्थानान्तरण का कोई मामला नहीं था।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा वैगन उद्योग में वैगनों को खरीद में कमी

4953. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने 1984-85 के दौरान उद्योग से वैगनों की अपनी खरीद में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इससे वैगन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि कुछ वर्षों से कम क्षमता उपयोग के कारण लगातार संकट में रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। मालडिब्बों की खरीद धन के परिव्यय के अनुसार है।

(ख) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि माल डिब्बों की खरीद/चौपहियों के हिसाब से लगभग 11000 माल डिब्बे प्रतिवर्ष थी। 1984-85 के लिए लक्ष्य इस संख्या से बहुत अधिक होगा। इस प्रकार, मालडिब्बा उद्योग की क्षमता के उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन बन्दरगाह पर यंत्रीकरण लागू किया जाना

4954. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह पर यंत्रीकरण लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पोर्ट में जनरल कार्गो हैंडल करने के काम को पूरा यंत्रचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि समेकित विकास परियोजना के तहत फैक्ट बड़े पैमाने पर अपने उर्वरक संबंधी कच्चे

माल को हैंडल करने के लिए उर्वरक बर्थ पर एक मेकेनिकल अनलीडर लगाएगा। पुनः स्टैक यार्ड में कंटेनरों को हैंडल करने के लिए टायर लगे दो ट्रांसफर क्रेन और दो फोर्क लिफ्ट ट्रक प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

बारास्ता बंगलादेश, त्रिपुरा तक बस सेवा बढ़ाने का पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

4955. **श्री अजय विश्वास :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने त्रिपुरा की देश के शेष भाग के साथ संचार की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए बारास्ता बंगलादेश-त्रिपुरा तक बस सेवा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले पर बंगलादेश के साथ विचार करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था, ताकि योजना को लागू किया जा सके;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में बंगलादेश के साथ कोई बातचीत शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) बाङ्ला देश के साथ किसी औपचारिक मोटर यान वाणिज्यिक यातायात करार नहीं होने के कारण दोनों देशों के बीच कोई यात्री सड़क-यातायात नहीं है। तथापि भारत-बाङ्ला देश संयुक्त आर्थिक आयोग एक करार कराने के संबंध में ब्यौरे तैयार कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच यात्री यातायात के लिए मार्गों को खोजने का कार्य भी शामिल है।

तोड़-फोड़ के कारण रेल दुर्घटनाएं

4956. **श्री भेरावदन के० गधावी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान रेलों में तोड़फोड़ की कितनी घटनाओं के कारण माल और यात्री गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जाने गयी और कितने लोग घायल हुए;

(ग) घायलों और मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया था; और

(घ) मृतकों के परिवारों को और अधिकतम और न्यूनतम कितना मुआवजा दिया गया ताकि इस मामले में यह अधिकतम तथा किस मामसे में यह न्यूनतम था ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1982-83 में, तोड़फोड़/सन्दिग्ध तोड़फोड़ के कारण दस गाड़ियां पटरी से उतर गयीं। इनमें से 7 यात्री गाड़ियां थीं और 3 मालगाड़ियां। इन दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 7 व्यक्ति घायल हुए। अप्रैल से नवम्बर, 1983 तक इसी प्रकार 7 गाड़ियां पटरी से उतरीं जिनमें से 6 यात्री गाड़ियां थीं और एक माल गाड़ी। इनके परिणामस्वरूप 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 99 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) और (घ) इन मामलों के बारे में अभी तक किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

गुड़गांव में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की अतिरिक्त डिस्पेंसरियों/अस्पतालों की मांग

4957. **श्री विलास मुत्तेवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समितियों की सिफ़ारिशों के बावजूद, गुड़गांव में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी अभी तक किसी केन्द्रीय स्थल पर स्थापित नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिविल हास्पिटल गुड़गांव केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु पूरा सहयोग नहीं देता रहा है;

(ग) क्या गुड़गांव के लिए अतिरिक्त डिस्पेंसरियों और आर० के० पुरम के जैसा स्त्री रोग अस्पताल की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी गुड़गांव को उपयुक्त भवन के प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय स्थल पर स्थानान्तरित करने की बात सिद्धांत रूप से मान ली गई है।

(ख) नहीं। हरियाणा सरकार गुड़गांव में रह रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को अस्पताली सुविधाएं प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

4958. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में और उपेक्षित वर्गों के लिए उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध किये जाने की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कहां तक किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में छठी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी रह जाने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल करके शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। गैर-दाखिल छात्रों की अधिक प्रतिशतता पिछड़े क्षेत्रों तथा उपेक्षित वर्गों में है। प्रारम्भिक शिक्षा को 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की परिकल्पना है।

छठी योजना में औपचारिक स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर पर 180 लाख अतिरिक्त बच्चों को दाखिल करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को बढ़ाए जाने की संभावना है।

समाज के जो कमजोर वर्ग औपचारिक स्कूल सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रयोजनार्थ दी जाती है। यह कार्यक्रम तेजी से चल रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, 15-35 आयु वर्ग की समस्त निरक्षर आबादी को 1990 तक शामिल करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट से यह पता चलता है कि समाज के कमजोर/उपेक्षित वर्गों को शामिल करने के सम्बन्ध में निरंतर प्रगति हो रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रा० शै० अ० प्र० प० तथा एन० आई० ई० पी० ए० जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी पिछड़े क्षेत्रों तथा उपेक्षित वर्गों की शिक्षा की प्रोन्नति की ओर विशेष ध्यान देते हैं।

तिरूर-कोचीन रेल लाइन

4959. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तिरूर कोचीन रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी सहायताप्राप्त/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

4960. **श्री चित्त महाटा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में कितने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कितने सरकारी सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सरकारी सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा पहली से पांचवीं तक दाखिले के लिए 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इन वर्षों में कक्षा पहली से पांचवी तक इन विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया और उन विद्यार्थियों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) भविष्य में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में 353 सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल तथा 129 सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सेकेण्डरी स्कूल हैं। इन स्कूलों की सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7614-83]

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के अधीन सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कक्षा-एक से पांच तक की कक्षाएं नहीं चलाते हैं। तथापि, जहां कक्षा एक से पांच तक कक्षाएं चलाई जाती हैं, वहां प्राप्त हुए आवेदनों तथा इन कक्षाओं में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या अनुबन्ध-II में दीं गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7614/83]

जहां तक चयन के मानदण्ड का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि माडल स्कूलों को छोड़कर जिनमें दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं, अन्यों में दाखिले, प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरू में तैयार की गई दाखिला-योजना के माध्यम से तथा "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर नियमित किए जाते हैं।

(घ) दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा कीं जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर पालिका और केन्टोमेन्ट बोर्ड जैसे स्थानीय निकायों की हैं। तथापि, दिल्ली प्रशासन/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों, मिश्रित स्कूलों और आदर्श स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी दिल्ली में स्कूल चला रहा है, जिनमें प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान होता है। नए स्कूल स्थानीय निकायों द्वारा खोले जाते हैं। क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए भी सेक्शन्स वर्तमान स्कूलों में खोले जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सभी माडल स्कूलों में दाखिला के अलावा दिल्ली की जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधा पर्याप्त है और रिकार्ड में ऐसी कोई शिकायत नहीं हैं कि दिल्ली में किसी भी राजकीय स्कूल/राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल में किसी भी आवेदक छात्र विशेष को दाखिला देने से इंकार किया गया हो, यद्यपि स्कूल विशेष की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए मर्जी के स्कूल में शिक्षा सम्भव नहीं है।

नई दिल्ली आरक्षण कार्यालय में दिहाड़ी पर कार्यरत टाइपिस्ट

4961. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली जंगशन स्थित उत्तर रेल के आरक्षण कार्यालय में सोलह टाइपिस्ट वर्ष 1979 से अभी तक दिहाड़ी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये टाइपिस्ट नियमित रिक्त पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 1980 में दिहाड़ी पर कार्यरत पचास टाइपिस्टों की सेवाएं नियमित की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा डाक्टरी परीक्षा में स्वस्थ घोषित किये गये वर्तमान टाइपिस्टों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति क्या है क्योंकि आयु बढ़ जाने के कारण इन्हें किसी अन्य सरकारी कार्यालय में रोजगार नहीं मिल सकेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस रेलवे के दिल्ली मंडल में 18 टाइपिस्ट 1980 से उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय दिल्ली और नयी दिल्ली में दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय और दिल्ली मंडल में नियुक्त पचास तदर्थ टाइपिस्टों की सेवाओं को वर्ष 1981 में नियमित किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता; क्योंकि ऊपर भाग (क) में उल्लिखित 18 व्यक्तियों द्वारा भरी गयी 18 रिक्तियों सहित दिल्ली मंडल पर टाइपिस्टों की वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयन किये गये उम्मीदवारों का एक पेनल प्राप्त हो चुका है।

पूर्व रेलवे में अप्रयुक्त माल डिब्बे

4962. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि पूर्व रेलवे में डोलोमाइट चूना-पत्थर जैसी सामग्री ले जाने वाले भारी संख्या में माल डिब्बे अप्रयुक्त पड़े रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारी संख्या में अप्रयुक्त माल डिब्बों का उचित उपयोग करने के लिए अन्य विभागों/मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां । जून से अक्तूबर, 1983 तक की अवधि में मांग में कुछ कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप माल डिब्बे रुके रहे ।

(ख) मुख्य कारण थे—इस्पात कारखानों से प्राप्त कम मांग और भवनाथपुर खानों की, जहां से चूने के पत्थर का लदान होता है, औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएं ।

(ग) रेलवे को लदान के लिए अधिक यातायात देने के लिए उन पर दबाव डालने हेतु मंत्रालय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बार-बार बैठकें की जाती हैं ।

सातवीं योजना में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिए समिति

4963. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिए एक समिति/दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों की नियुक्ति किसी प्रकार की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग ने शिक्षा के लिए एक संचालन दल तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनेक कार्यकारी दल गठित किए हैं। शिक्षा के लिए संचालन दल में कार्यकारी दलों के सभी अध्यक्षों, कुछ विशेषज्ञों और कुछ अन्यों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है । योजना आयोग द्वारा शिक्षा के सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, राज्य विभागों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन० आई० ई० पी० ए० आदि जैसे सम्बन्धित केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों में से कार्यकारी दलों के सदस्य नामित किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का वापस लिया जाना

4964. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग अध्यापकों को उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा हाल ही में वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान सुविधा वापस लिए जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह केन्द्रीय विद्यालयों में योग योजना को समाप्त करने का पूर्व संकेत है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

4965. **श्री बापू राव परांजपे :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने दिसम्बर, 1983 के महीने में किसी तारीख को देश के केन्द्रीय विद्यालयों में एक दिन या अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का सरकार को नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को क्या शिकायतें हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों/मांगों पर सरकार का रुख क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना प्रत्येक संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न प्राधिकारियों के साथ प्रायः मिलते रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाओं के परिणामस्वरूप अनेक मामलों को पहले से ही निपटा दिया गया है। कुछ मांगें विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर में पैदल यात्रियों के लिए पुल

4966. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लूरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने मुजफ्फरनगर, रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे में नई मण्डी को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के सम्बन्ध में पैदल यात्रियों हेतु पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त पुल के निर्माण के लिए रेलवे के पास अपेक्षित धनराशि जमा करा दी है; और

(ग) यदि हां, तो पुल का निर्माण कब किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर, मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर जनता के उपयोग के लिए ऊपर पैदल पुल हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने अभी इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है और न ही अभी तक काम की लागत जमा करायी गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुराने तूतीकोरिन पत्तन से कोयला ढोने वाले जहाजों को अन्यत्र भेजा जाना

4967. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन के पुराने पत्तन पर कोयला लेकर आने वाले जहाजों को दक्षिण भारत के अन्य पत्तनों पर भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार जहाजों को अन्यत्र भेजे जाने पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि इससे पुराने पत्तन के नाविकों और कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हां।

(ख) रेलवे ने तूतीकोरिन पोर्ट में कोयला उतारने के लिए ठेकेदारों से करार किया था। इस करार की अवधि 30-8-83 को समाप्त हो गई। काफी अधिक दर की मांग होने के कारण नया करार सम्पन्न नहीं हो सका। दिसम्बर, 1983 के अन्त तक टेंडर के जरिए नया करार सम्पन्न होने की आशा है।

(ग) इस पर रेलवे द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले नए करार के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

विकास सम्बन्धी कार्य के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श

4968. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने 23 सितम्बर, 1983 को खडगपुर में आयोजित एक बैठक में बी० एम और डी० आर० एम० आदि जैसे रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों, विशेषकर विकास सम्बन्धी कार्यों में सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के निदेश दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो महाप्रबन्धक दक्षिण पूर्व रेलवे और डी० आर० एम० खडगपुर ने 23 सितम्बर, 1983 के पहले और 23 सितम्बर, 1983 के बाद ऐसी बैठकें कितनी बार बुलाई हैं और

ऐसी बैठक अथवा बैठकों में यदि किसी कार्यवृत पर विचार विमर्श किया गया था, तो वह क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। रेलों की विभिन्न समस्याओं पर ऐसे परामर्श करने के लिए महाप्रबन्धकों को कहा गया था।

(ख) 23 सितम्बर, 1983 से पहले और बाद में विकास सम्बन्धी कार्यों, यात्री सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में खड़गपुर मंडल में मंडल स्तर पर परामर्श किए गए हैं। महाप्रबन्धक दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अभी तक कोई परामर्श नहीं किया गया है। चूंकि बातचीत परामर्श के रूप में होती है, इसलिए इनके लिए कोई औपचारिक कार्यसूची निर्धारित नहीं की जाती है।

कोठारी आयोग की सिफारिशों की कार्यान्वित

4969. **श्री ए० टी० पाटिल : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों ने (राज्य वार) +2 स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकारण में बारे में शिक्षा आयोग (कोठरी आयोग) की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया है; और

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा प्रणाली के उपरोक्त पहलू पर पुर्नविचार किया है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने कोठारी आयोग द्वारा यथा अनुशासित शिक्षा के व्यावसायीकरण को आरम्भ कर दिया है :—

1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
2. आन्ध्र प्रदेश
3. दिल्ली
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. कर्नाटक
7. महाराष्ट्र
8. पांडिचेरी
9. तमिलनाडु
10. पश्चिम बंगाल
11. असम
12. केरल

(ख) व्यवसायीकरण सम्बन्धी कोठारी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का 1978 से अब तक अर्थात आदिशेषैया समिति द्वारा की गयी समीक्षा के बाद कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गयो है।

भागीरथी-हुगली नदी के ऊपरी भाग में गाद जमना

4970. **श्री नीरेन घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भागीरथी-हुगली नदी के ऊपरी भागों में द्रुतगति से गाद जमा हो रहा है;

(ख) क्या यह बाद में बन्दरगाह पर अपेक्षित गहराई को प्रभावित नहीं करेगा; और

(ग) यदि हाँ; तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1975 में फरक्का बांध के खुल जाने और सहयोगी नहर में ऊपरी क्षेत्र से पानी की सप्लाई के फिर से होने से सम्पूर्ण भगीरथी-हुगली नदी की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके बाबजूद इस नदी की स्थिति में कभी-कभी और दीर्घकाल तक के लिए परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होता रहता है। कलकत्ता और हुगली के बीच 'बार' और 'क्रासिंग' पर लगभग 65 किलोमीटर की दूरी में सुधार देखा जा रहा है।

(ख) इस समय कलकत्ता पत्तन में समुद्र की गहराई कलकत्ता से 90 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित 'बार' से घटती बढ़ती रहती है। अब अपर हुगली नदी के ऊपरी भाग में स्थित किसी रिचेज से सहायक नहर के कारण नौचालन में बाधा नहीं पहुंच रही है।

(ग) अपर हुगली में नदी को और अधिक गहरा बनाने के लिए रीवर ट्रेनिंग उपाय किया गया है। इन निर्माण कार्यों आदि का अनुसरण किया जा रहा है। जब कभी उसे किसी 'बार' पर गहराई कम होती दिख पड़ती है तब पत्तन न्यास प्राधिकरण भी ड्रेजिंग कार्य कराता है। भगीरथी हुगली नदी में; रीवर ट्रेनिंग कार्य आदि कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(1) हुगली नदी में कलकत्ता के उत्तर की ओर लगभग 80 किलोमीटर दूर 'सिल्ट ट्रेपों' का निर्माण।

(2) संकरायल, मोयापुर, हुगली प्वाइंट जैसे क्षेत्रों में 'स्पर्स' का निर्माण और अनुरक्षण

यात्री पोत टी० एस० एस० नोनकोवरी का बदला जाना

4971. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच चलने वाला एक यात्री पोत टी० एस० एस० नोनकोवरी पुराना हो गया है और इसे तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो पुराने पोत को बदल कर उसके स्थान पर नया पोत लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि टी० एस० एस० नोनकोवरी के आकार का नया यात्री पोत प्राप्त करने के लिए चार-पांच वर्ष लग जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) भारतीय नौवहन निगम द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर वर्ष 1983-84 में इस जलयान के चार वर्षीय सर्वेक्षण के बाद टी० एस० एस० ननकौरी को वर्ष 1988 तक चालू रखे जाने का निर्णय किया गया हैं। तब तक इस जलयान के बदले दूसरे जलयान की खरीद संभव हो सकेगी। अंडमान और निकोबार प्रशासन से इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच रेल संपर्क

4972. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से निवेदन किया है कि भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच रेल सम्पर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भुवनेश्वर और बेंगलूर पहले से ही रेल लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय एक सीधी गाड़ी चलाने से है।

(ख) और (ग) डिब्बों, डीजल रेल इंजनों आदि संसाधनों की कमी के कारण इन दो नगरों के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट और 1980 के बाद पकड़े गए मामले

4973. **श्री जेवियर अराकल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के बाद उपभोक्ता वस्तुओं में, विशेषकर खाद्य, औषधि और पैट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के कितने मामलों का पता लगा है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि खुले बाजार में बड़ी संख्या में खाने की वस्तुएं मिलावटी और पुरानी बेची जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय ने कौन से उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं ।

(ख) आंकड़ों से यह पता नहीं चलता है कि मिलावटी और पुराने खाद्य पदार्थ बड़ी संख्या में खुले बाजार में बेचे जाते हैं ।

(ग) राज्य सरकारों को एनफोर्समेंट स्टाफ बढ़ाने मानिटरिंग के लिए सलाहकारी समितियां गठित करने, न्यायालयों में मुकदमे चलाने के लिए अलग अभियोजक नियुक्त करने और प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए अलग खाद्य अपमिश्रण और निवारण निदेशालय खोलने की सलाह दी गई है ।

विवरण—1

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1980 से उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों औषधियों, पैट्रोलियम पदर्थों में मिलावट के मामलों का तथा मुकदमा चालाए गए व्यक्तियों की सख्या का विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान मिलावटी पाए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की संख्या

वर्ष	मिलावटी पाए गए मामले	मुकदमें चलाए गए
1980	17615	17041 (बिहार और उड़ीसा राज्यों को छोड़कर)
1981	17954	15801 (हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी को छोड़कर)
1982	10694	10196 (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी को छोड़कर)

औषधियां

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार वर्ष 1980 से मिलावटी औषधियों के मामले की संख्या	मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों की संख्या
*50	51
*आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर और त्रिपुरा, तमिलनाडु और नागालैंड को छोड़कर	(10 विचाराधीन मामले) (3 न्यायालय के निर्णयाधीन मामले)

विवरण—2

1980-से 1982 के पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए पैट्रोलियम पदार्थों के मामलों की कम्पनी वार संख्या

तेल कम्पनी का नाम	वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या और ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा			
		कुल मामलों की संख्या	चेतावनी दी गई	सप्लाई रोकी गई	डीलरशिप समाप्त की गई
हिन्दुस्तान	1980	133	23	109	1
पैट्रोलियम	1981	7	1	5	1
कारपोरेशन	1982	21	5	14	2
लिमिटेड					
इंडियन आयल	1980	497	273	218	6
कारपोरेशन	1981	285	157	125	3
लिमिटेड	1982	245	156	78	11
भारत पेट्रोलियम	1980	98	—	96	2
कारपोरेशन	1981	25	—	25	—
लिमिटेड	1982	15	1	14	—
इंडो-वर्मा	1980	111	27*	82	2
इटोलियन कम्पनी	1981	62	19	43	—
लिमिटेड	1982	61	15*	45	1

*इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

4974. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों खोले जा रहे हैं;

(ख) क्या राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों में इन विद्यालय को खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो, किन-किन स्थानों पर ये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नए केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने के समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस समय उन स्थानों का नाम बताना सम्भव नहीं है जहां अगले वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

रेलवे को विश्व बैंक से ऋण

4975. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने रेलवे को 112 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, विश्व बैंक ने चालू वर्ष में रेलों के लिए 112 करोड़ रुपए का कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुल्लूरपेट्टा (आन्ध्र प्रदेश) में नैमित्तिक श्रमिकों की छटनी

4976. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण निरीक्षक, दक्षिण रेलवे, सुल्लूरपेट्टा (आन्ध्र प्रदेश) के अन्तर्गत लम्बे अर्से से कार्यरत 131 नैमित्तिक श्रमिकों की 21 अक्तूबर, 1980 को छटनी कर दी गई है, जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जातियों के हैं;

(ख) क्या इन्हें छटनी मुआवजा दिया गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मद्रास डिवीजन में 20 अक्तूबर, 1980 के बाद कितने नए तथा छटनी किए गए नैमित्तिक श्रमिक (पृथक-पृथक) भर्ती किए गए हैं;

(घ) छटनी किए गए 131 नैमित्तिक श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को तथा किस तारीख से पुनः काम पर ले लिया गया है और क्या उनको वरीयता के आधार पर लिया गया है या किसी अन्य बातों पर विचार करके उन्हें काम पर लिया गया है;

(ङ) छंटनी किए गए इन नैतित्तिक श्रमिकों को 21 अक्तूबर, 1980 से अब तक मद्रास डिवीजन के अन्य विभागों में स्थायी नौकरी न देने के क्या कारण हैं; और

(च) मद्रास डिवीजन द्वारा 131 नैमित्तिक श्रमिकों की बहाली का कार्य कब तक पूरा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी के० जाफर शरीफ) : (क) यह सही है कि निर्माण

निरीक्षक पुल, सुल्लूरपेट्टा के अधीन कार्यरत 131 नैमित्तिक श्रमिकों में से 56 श्रमिकों की जिनकी सेवा तीन वर्षों से अधिक थी, अक्तूबर, 1980 में छटनी कर दी गयी थी ।

(ख) छटनी किए गए इन सभी नैमित्तिक श्रमिकों के मामले में छटनी मुआवजे की व्यवस्था 22-10-80 को ही कर दी गयी थी, लेकिन उन्होंने भुगतान लेने से इंकार कर दिया ।

(ग) 20 अक्तूबर, 1980 के बाद किसी नए नैमित्तिक श्रमिक को नहीं लगाया गया । लेकिन विभिन्न विभागों से छंटनी किए गए 155 नैमित्तिक श्रमिकों को मद्रास मण्डल में पुनः लगाया गया था ।

(घ) छटनी किए गए 131 नैमित्तिक श्रमिकों में से 49 को विभिन्न विभागों के नैमित्तिक श्रमिकों के साथ-साथ 17-1-83, 10-3-83/16-5-83 के बीच विभिन्न यूनिटों में पुनः लगा लिया गया है, लेकिन उनमें से किसी को भी उसी वरिष्ठता यूनिट अर्थात् निर्माण निरीक्षक/सुल्लूरपेट्टा के अन्तर्गत पुनः नहीं लगाया गया है ।

(ङ) उपरोक्त 131 नैमित्तक श्रमिकों की सेवा सम्बद्ध ग्रुप के अन्य नैमित्तिक श्रमिकों से कम हैं, जिन्होंने लम्बी अवधि तक सेवा की है और जो स्वयं समाहन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(च) जैसा कि पहले उत्तर के भाग (घ) में बताया गया है, 131 में से 49 को पुनः सेवा में लगा लिया गया है तथा बाकियों की आवश्यकता पड़ने पर सेवा में पुनः लगाने के लिए विचार किया जाएगा ।

उड़ीसा में एकीकृत बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई परियोजनाएं

4977. **श्री के० प्रधानी** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 एकीकृत बालविकास परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के लिए विस्तृत कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई योजनाओं का विवरण क्या है; और

(ग) परियोजना के अन्तर्गत कितने स्थानों पर आंगनवाड़ी स्थापित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) समेकित बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य, पौषणिक और शिक्षा सेवाएं समेकित रूप में प्रदान करना है । 22 समेकित बाल

विकास सेवा परियोजनाओं को जन-जातीय क्षेत्रों में चलाया गया है। उनका ब्यौरा (स्थान और आंगनबाड़ियों की संख्या) नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	मंजरीका वर्ष	समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का स्थान		मंजूर की गई आंगनवाड़ियों की संख्या	कार्यकरत आंगनवाड़ियों की संख्या (सितम्बर, 83 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)
		खण्ड	जिला		
1.	1975-76	सबडेगा	सुन्दरगढ़	56	56
2.	1978-79	नीलगिरि	बालासोर	100	100
3.	1978-79	कंकडहद	ढेनकनाल	86	86
4.	1978-79	पोट्टांगी	कोरापुट	60	43
5.	1979-80	लांजीगढ़	कलाहांड़ी	63	63
6.	1979-80	जोशीपुर	म्यूरमंज	107	107
7.	1982-82	बंशपाल	क्योंभर	70	70
8.	1981-82	सामकुन्त	म्यूरमंज	70	70
9.	1982-83	मल्कागिरि	कोरापुट	43	28
10.	1982-83	मोरादा	म्यूरमंज	90	46
11.	1982-83	लहुनीपारा	सुन्दरगढ़	80	49
12.	1982-83	हरिचन्दनपुर	क्योंझर	110	102
13.	1982-83	नौगांव	फूलबनी	43	36
14.	1983-84	गुमा	गंजम	81	
15.	1983-84	पाटनगढ़	बोलनगीर	121	ये परियोजनाएं
16.	1983-84	सिनापल्ली	कालाहंडी	83	स्थापना की
17.	1983-84	कोकतारा	कालाहंडी	114	विभिन्न अवस्थाओं
18.	1983-84	फिरंगिया	फूलबनी	36	पर हैं।
19.	1983-84	दासपल्ला	पुरी	107	
20.	1983-84	बोदां	कालाहंडी	73	
21.	19भ3-84	नाक्तीड्यूआ	सम्बलपुर	51	
22.	1983-84	सुकनिदा	कटक	114	

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मत के लिए आबंटित धन और उसका उपयोग

4978. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य सरकार के राष्ट्रीय राज्यमार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि की मांग की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई और उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार के पास अभी भी कुछ राशि बची है जिसका कि उपयोग नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	मांगा गया धन		आबंटित तथा खर्च किया गया धन			
	राष्ट्रीय राज मार्गों का निर्माण तथा सुधार	राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत	राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा सुधार		राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और मरम्मत	
			आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च (लाख रु० में)
1981-82	600.00	202.73	380.00	383.11	199.21	208.50
1982-83	791.70	266.10	450.00	436.54	280.60	285.68
1983-84	1288.61	585.47	440.00	239.63*	325.30	164.85*

*अक्तूबर, 1983 तक खर्च की गई राशि

उड़ीसा में, "यूनिसेफ़" के सहयोग से शिक्षा योजनाएं

4979. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में "यूनिसेफ" की सहायता से कुछ शैक्षणिक योजनाएं प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में प्रारम्भ की गई हैं और इस योजना के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

परियोजना का नाम	राज्यों/सं० शा० क्षेत्रों का नाम जहां इनको कार्यान्वित किया जा रहा है
(1) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण सम्बंधी स्वच्छता (पो० स्वा० शि० प० स्व०)	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मिजोरम ।
(2) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (प्रा० शि० पा० न०)	अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश ।
(3) सामुदायिक शिक्षा और भागेदारी में विकास सम्बंधी कार्यकलाप (सा० शि० भा० वि० का०)	वही
(4) शिशु शिक्षा	बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश ।
(5) प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यापक पहुँच (प्रा० शि० व्या० न०)	अरूणाचल प्रदेश और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र ।

2. ये प्रयोगात्मक और नवीकरण सम्बंधी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से पाठ्चर्या विकास की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-परिस्थितियों और पर्यावरणों के अनुकूल संदर्भोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं ।

3. यूनिसेफ की सहायता से, सारे देश में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में "महिलाओं और कन्याओं के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा" नामक एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । इस परियोजना के अन्तर्गत चल रहे महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से सम्बद्ध शिशु देख-रेख केन्द्रों के लिए खेल सामग्री के क्रय के लिए सहायता दी जाती है ।

(ग) उड़ीसा में परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति :

1. राज्य के 5 विभिन्न क्षेत्रों के सम्बंध में पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता

(पो० स्वा० शि० प० स्व०) परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय परिस्थितियों और वर्तमान पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बंधी आदतों का आधारभूत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

2. प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (प्रा० शि० पा० न०) की परियोजना के प्रथम चरण में अनुदेशात्मक सामग्रियों (पाठ्यपुस्तकों, कार्य-पुस्तिकाओं और शिक्षक-गाइडों) का विकास किया गया था और परियोजना स्कूलों में उनका प्रयोग किया गया। दूसरे चरण में और 2 कक्षाओं के लिए अनुदेशात्मक सामग्री पैकेज का विकास किया गया है और परियोजना स्कूलों में उनका प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल विभिन्न भाषा प्राइमर्स/रीडर्स का विकास किया गया है। परियोजना स्कूलों में शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों पहलुओं में छात्रों की उपलब्धियों के सभी पहलुओं के लिए एक रिकार्डिंग पद्धति प्रारम्भ की गई है। परियोजना स्कूल शिक्षकों को उपचारात्मक अनुदेश और निर्देशन पर सहायक पुस्तकें प्रदान की जाती हैं ताकि उनकी शिक्षण सम्बन्धी गुणवता को सुधारने में सहायता दी जा सके। परियोजना के दूसरे चरण के दौरान विकसित किया गया पाठ्यचर्या सम्बन्धी ढांचा कुछ छुटपुट संशोधनों के साथ राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में लागू कर दिया गया है।

3. सामुदायिक शिक्षा और भागेदारी के विकासात्मक कार्यकलापों (सा० शि० भा० वि० का०) की परियोजना के अन्तर्गत राज्य पहले से ही प्रारम्भ किए गए विकासात्मक कार्यकलापों को चालू रखने और सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में नए शैक्षिक और विकासात्मक कार्यकलाप प्रारम्भ करने के कार्य में व्यस्त है। राज्य विभिन्न आयु वर्गों के लिए अनुदेशात्मक सामग्रियों के विकास, प्रयोग और संशोधन में भी व्यस्त है।

4. शिशु शिक्षा (शि० शि०) परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्यकलापों में, शिक्षक-शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्कूल-पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलपूर्व शिक्षकों के पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और बच्चों की पुस्तकों और तस्वीरों के विकास के लिए कार्यशाला आयोजित करना भी शामिल है।

5. प्रारंभिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच (प्रा० शि० व्या० प०) नामक परियोजना के अन्तर्गत राज्य परियोजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रासंगिकता पर आधारित तरह-तरह के शिक्षण कथाओं (लर्निंग एपिसोड्स) का विकास और उत्पादन प्रकाशन शामिल है।

6. महिला और लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की परियोजना के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्र को 16 एम० एम० प्रोजेक्टर, सहायक पुर्जो सहित एक टेप रिकार्डर, एक कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, सिल्क स्क्रीन मुद्रण उपस्कर आदि उपलब्ध कराए गए हैं। 400 केन्द्रों को बाल खेल उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं।

हथियारों की होड़ के बारे में राष्ट्रसंघ की राजनैतिक और सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

4980. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव, जिसमें हथियारों की बढ़ती होड़ और विश्व की नई खतरनाक और बिगड़ती स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई है, को राष्ट्र संघ की प्रमुख राजनैतिक और सुरक्षा समिति ने 26 नवम्बर, 1983 को राष्ट्रसंघ महासभा के विचारार्थ स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या महासभा ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; यदि हां, तो इस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस समिति ने विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण कोष स्थापित करने और निरस्त्रीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रस्ताव की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही किस प्रकार की जा रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। भारत के नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग का निषेध करने संबंधी अभिसमय को, जिसमें अन्य बातों के अलावा नाभिकीय हथियारों की दौड़ में तेजी आने के फलस्वरूप नाभिकीय युद्ध का खतरा बढ़ जाने का और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में गंभीर गिरावट आने का उल्लेख किया गया है, प्रथम समिति द्वारा 19 के मुकाबले में 101 मतों से स्वीकार किया गया जबकि 17 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

(ख) इस भारतीय संकल्प को महासभा के पूर्ण अधिवेशन द्वारा 15 दिसम्बर, 1983 को 17 के मुकाबले में 126 मतों से अनुमोदित कर दिया गया जिसमें 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

(ग) जी हां। "निरस्त्रीकरण और विकास के बीच संबंध" विषयक फ्रांसीसी संकल्प, जिसमें अन्य बातों के अलावा विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण निधि स्थापित करने के फ्रान्स के एक प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था, प्रथम समिति द्वारा मतदान के बिना ही स्वीकार कर लिया गया था "निरस्त्रीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग" पर चेकोस्लावोकिया का संकल्प भी 15 के विरुद्ध 83 मतों से स्वीकार किया गया था जब कि 18 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

(घ) अब इन दोनों संकल्पों को महासभा के पूर्ण अधिवेशन का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

कोयला मुहानों पर वैगनों की कमी

4981. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल से जुड़े उपभोक्ता गंतव्य स्थानों के लिए कोयले को ले जाने के लिए इस समय कोयला मुहानों पर रेलवे वैगनों की कमी महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मार्ग में कोयले की भारी चोरी होती है;

(घ) क्या रेलवे ने मार्ग में कभी कोयले की कमी होने वाली चोरी का आकलन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर पूर्वी राज्यों को जो कि कोयला क्षेत्रों के नजदीक हैं पर्याप्त कोयला वैगन उपलब्ध कराने और कोयले की भारी चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुछ हानियां हुई हैं ।

(घ) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । परन्तु, रेलों ने कोयले की चोरी के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 1982-83 के दौरान लगभग 42.79 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ।

(ङ) पूर्वी राज्यों सहित अन्य राज्यों को प्रेषण के उद्देश्य से कोयले के परिवहन के लिए रेल-शीर्षों पर माल डिब्बों की सप्लाई पर्याप्त है ।

भुवनेश्वर में रेल सेवा आयोग का कार्यालय

4982. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में रेल सेवा आयोग के कार्यालय की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह किन क्षेत्रों के लिए होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भुवनेश्वर में रेल सेवा आयोग की स्थापना की जा चुकी है और उसने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कुछ नियुक्ति नोटिस भी जारी कर दिए हैं जिन पर यथासमय भर्ती की जाएगी ।

(ख) रेल सेवा आयोग, भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरधा रोड, वाल्तेरू और चक्रधरपुर मंडलों के लिए कर्मचारियों की भर्ती का काम करेगा ।

टीकरीपाल में यात्री गाड़ियों का रुकना

4983. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खड़गपुर डिविजन के बालसोर और हल्दीपारा रेलवे स्टेशनों के बीच टीकरीपाल में यात्री गाड़ियों का हाल्ट स्टेशन बनाने के लिए कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और वह पिछले अनेक महीनों से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यात्री गाड़ियों का यह हाल्ट स्टेशन कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा; और

(ग) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र के लोगों तथा स्थानीय संसद सदस्य ने इस मामले में अधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन दिए हैं और क्या स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने इतने समय पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो उपरोक्त हाल्ट को मंजूर करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ग) बालासोर और हल्दीपेडा के बीच टिकिरपाल में एक यात्री गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की विगत में जांच की गयी थी परन्तु इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था। इस हाल्ट स्टेशन को खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव की पुन: जांच की जा रही है।

सुपर-फास्ट, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में मनोरंजन सुविधाएं

4984. **श्री चिंतामणि जैना** :

श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले कुछ रेल गाड़ियों में संगीत की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी गाड़ियां थीं;

(ग) क्या सरकार ने इस मनोरंजन व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और लम्बी दूरी की सभी सुपर फास्ट मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में संगीत की व्यवस्था करेगी तथा राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में दूर-दर्शन कार्यक्रम, वीडियो चलचित्र आदि जैसी अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों को दिखाना शुरु करेगी;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) (1) नयी दिल्ली और हवड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस,

(2) नयी दिल्ली और बम्बई सैन्ट्रल के बीच राजधानी एक्सप्रेस,

(3) तमिलनाडु एक्सप्रेस,

(4) सर्वोदय एक्सप्रेस,

(5) गरीब-नवाज एक्सप्रेस और

(6) आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस

(ग) निम्नलिखित गाड़ियों में उपलब्ध सुविधा को समाप्त कर दिया गया है :—

(1) तमिलनाडु एक्सप्रेस,

(2) सर्वोदय एक्सप्रेस,

(3) गरीब-नवाज एक्सप्रेस और

(4) आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस

(घ) यह सुविधा परिचालनिक कारणों और अनुरक्षण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण समाप्त की गयी थी, जो इस प्रकार है :—

(1) यह प्रणाली केवल वातानुकूल डिब्बों में और ऐसे डिब्बों में, जो साथ-साथ लगे हों, संतोषजनक ढंग से काम करती है,

(2) उपस्कर तथा परिचालन व अनुरक्षण उद्देश्य के लिए तैनात कर्मचारियों द्वारा रुके स्थान से यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध स्थान में कमी हो जाती है; और

(3) इस सुविधा की गम्भीर आलोचना सहित जनता की भिन्न राय ।

(ङ) से (छ) मनोरंजन और संगीत की सुविधा को केवल राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में जारी रखने का प्रस्ताव है ।

आश्रित माता-पिता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा भूठे प्रमाण-पत्र जारी करना

4985. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सी० जी० एच० एस० से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता की सी० जी० एच० एस० का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के बारे में 25 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5056 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एक सरकारी कर्मचारी से मात्र यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने से कि उसके माता-पिता सामान्यता उसके साथ रहते हैं और उनकी आय 350 रुपए

प्रतिमास से अधिक नहीं है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या राजधानी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों जिनके पिता की मासिक आय 350 रुपए से अधिक है और पेंशनभोगियों के मामले में यह उनकी पेंशन-किताबों से जांची जा सकती है और वे सामान्य रूप से उनके साथ नहीं रहते हैं परन्तु सी० जी० एच० एस० से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति सी० जी० एच० एस० के लाभ प्राप्त करने के लिए झूठे प्रमाण-पत्र देकर अपने माता-पिता को "आश्रितों" के रूप में घोषित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तसदीक किया हुआ शपथ पत्र प्राप्त करने जैसा अन्य कौन सा नियंत्रण रखने का सरकार का विचार है जिससे सुविधाओं के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके और इस प्रकार सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों की भीड़ को भी कम किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकारी कर्मचारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उसके माता-पिता सामान्यता उसके साथ रहते हैं और उनकी आय 350 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है, संबंधित कर्मचारी के कार्यालय द्वारा लिया जाता है जो उसकी प्रमाणिकता भी सुनिश्चित करता है। जारी करने वाले प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र देता होता है कि जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सूचक/पहचान पत्र (पत्रों) की छानवीन कर ली गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और नियमों के अनुसार यह ठीक जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का दुरुपयोग दंण्डनीय है।

(ख) पेंशन भोगी योजना के अन्तर्गत पेंशन भोगी स्वयं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभों के हकदार हैं और उनके पेंशन संबंधी कागजात की जांच करने के बाद उनके नाम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी किए जाते हैं। इसलिए प्रतिमास 350 रुपये की आय सीमा और आवासीय शर्त के मानदण्ड के आधार पर उनके द्वारा ऐसी सेवाओं का दुरुपयोग किये जाने की संभावना कम रहती है।

(ग) तसदीक किया हुआ शपथ-पत्र प्राप्त करने जैसे अन्य नियंत्रणों से बचाव के उन तरीकों में कोई और सुधार नहीं होगा जो कर्मचारियों के माता-पिता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु इस समय पहले से ही निर्धारित हैं और इससे केवल द्विरावृत्ति ही होगी।

ग्रेड-दो के चिकित्सा अधिकारियों का सी० जी० एच० एस० से केन्द्रीय अस्पतालों को स्थानांतरण

4986. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए भर्ती किए

गए और सी० जी० एच० एस० को आबंटित किए गए ग्रेड दो के चिकित्सा अधिकारी पांच वर्ष की सेवा कर लेने के बाद भी डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली जैसे केन्द्रीय अस्पतालों में स्थानांतरण होने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे अस्पताल में अनुभव प्राप्त करने के उनके ऐसे अवसर समाप्त हो जाते हैं ; जो किसी उस विशेष चिकित्सा शाखा में उनके द्वारा पोस्ट ग्रेजएशन करने में सहायक हो सकते हैं, जिसे वे अस्पताल में तैनात रहते हुए विशेषज्ञता हासिल कर सकते हों; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इन डाक्टरों तथा अस्पताल में नियुक्त डाक्टरों में कोई असमानता न हो तथा इस श्रेणी के डाक्टरों को भी पढ़ाई के समान अवसर प्राप्त हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत किसी भी यूनिट में सेवा करने के पात्र हैं। उन्हें डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज आदि जैसे केन्द्रीय अस्पतालों में भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन अधिकारियों को विशेष तौर पर स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए तैनात नहीं किया जाता है। दिल्ली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक परीक्षा के आधार पर दिया जाता है।

मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि

4987. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में मानसिक चिकित्सालय स्थापित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में "मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र" योजना लागू करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) राज्यों में मानसिक रोग अस्पतालों की स्थापना करना राज्य सरकारों का काम है वैसे, और अधिक मानसिक रोग अस्पताल खोलने के बजाय आधुनिक पद्धति में वाह्य रोगी स्तर पर और जनरल अस्पताल मनश्चिकित्सा यूनिटों में मानसिक रोग से बीमार लोगों का इलाज करने पर अधिक जोर दिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार परिधीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पैटर्न के जरिये लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने का एक कार्यक्रम तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मजदूर विरोधी कार्यकलापों में लिप्त-गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो इम्पलाइज यूनियन, मद्रास

4988. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर इम्पलाइज यूनियन, मद्रास मजदूर विरोधी कार्यकलापों में लिप्त थी और हाल ही में उपर्युक्त मद्रास डिपो में अनुशासन संहिता का उल्लंघन करती रही थी ;

(ख) क्या मद्रास डिपो के प्रशासन और इम्पलाईज यूनियन आफ मद्रास डिपो के अलावा सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली को इम्पलाईज यूनियन आफ मद्रास डिपो के गैर-कानूनी कार्यकलापों और अनुशासन संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचित किया है और यदि हां, तो इम्पलाईज यूनियन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इम्पलाईज यूनियन, मद्रास डिपो के गैर-कानूनी कार्यकलापों में वृद्धि होती रही थी और यदि हां, तो इम्पलाईज यूनियन, मद्रास के गैर-कानूनी कार्यकलापों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भविष्य में उपर्युक्त गतिविधियों को रोकने का कोई विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) मद्रास डिपू के प्रशासन तथा सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपू कर्मचारी यूनियन ने यह आरोप लगाया था कि कर्मचारी यूनियन श्रमविरोधी कार्य कर रही है और अनुशासन भंग कर रही है। वैसे, क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्यार्थियों में नकल की बुराई को दूर करना

4989. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाविद्यालयों, विद्यालयों और विभिन्न अन्य परीक्षाओं में नकल की बुराई प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण कराएगी और इस बुराई को दूर करने के लिए कोई योजना बनाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सामूहिक नकल करने और अनुचित प्रथाएं अपनाए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जहां तक विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं का संबंद्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे 1983-84 की परीक्षाओं से आरम्भ करके परीक्षा सुधारों का एक न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वित करें। परीक्षाओं को सही ढंग से आयोजित करने के लिए सुझाए गए कार्यक्रम में कारगर सुरक्षा उपाय, उचित पर्यवेक्षण और निरीक्षण, बाहरी हस्तक्षेप से परीक्षा केन्द्रों को घेरा डालना, उड़न दस्तों आदि का गठन करने जैसे प्रबंध शामिल हैं। विभिन्न स्कूल बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के उपायों पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

कम्पूचिया का राजनीतिक हल

4990. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पूचिया में ऐसी कोई उल्लेखनीय राजनीतिक घटना हुई है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय कम्पूचिया को एक तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर सके; और

(ख) क्या भारत सरकार स्वतन्त्र और तटस्थ कम्पूचिया का आविर्भाव सुनिश्चित करने हेतु संबद्ध पार्टियों से सम्पर्क स्थापित किए हुए है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) ऐसा लगता है कि कम्पूचिया की स्थिति में अब धीरे-धीरे स्थायित्व आ रहा है। इससे मान्यता का प्रश्न कहां तक सुविधाजनक बनेगा, यह कई अन्य बात पर भी निर्भर होगा जिन्हें विभिन्न सरकारें ध्यान में रख सकती हैं।

(ख) इस सिलसिले में सम्बद्ध पक्षों ने जो प्रस्ताव पेश किये हैं उन पर सरकार निकट से निगाह रख रही है और वह इस विषय पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की घोषणा को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक समाधान की दिशा में बराबर काम करेगी।

चिकित्सा की स्वदेशी पद्धति को बढ़ावा देना

4991. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुर्वेदिक प्रणाली की तरह चिकित्सा की स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान देश में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों/अस्पतालों/शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्वदेशी पद्धतियों को और अधिक प्रोत्साहन देगी क्योंकि इन पद्धतियों की एक लम्बी परम्परा रही है और आज की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इसमें पूरा विश्वास है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा, अनुसंधान, मानकीकरण और दवाइयों का निर्माण करने संबंधी विभिन्न योजनाओं को चला कर आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए कुल 85.39 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है जिसमें केन्द्रीय सेक्टर की योजनाओं के लिए रखे गए 29.00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) लक्ष्य निर्धारित करने और वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान के पेटर्न तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद स्थापित की गई है। इस परिषद की यूनिटें/क्षत्रीय अनुसंधान संस्थान सम्पूर्ण देश में कार्य कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी यूनिटों की संख्या बढ़ गई है।

(2) आयुर्वेद के विकास को प्रोत्साहन देने, स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करने आदि के लिए जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गयी है।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए गए आयुर्वेदिक कालेजों की प्रयोगशालाओं उपकरण खरीदने तथा पुस्तक-बैंक खोलने के लिए प्रति संस्था 1.10 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(4) स्नातक-पूर्व आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापकों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए छः सप्ताह और दो सप्ताह के पुनश्चर्या पाट्यक्रम लागू किए गए हैं।

(5) आयुर्वेद में शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा सहायता और फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न आयुर्वेदिक विभागों के उन्नयन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आयुर्वेद के विभागों का दर्जा बढ़ाना है। विभिन्न राज्यों में आयुर्वेद के 25 विभागों का दर्जा बढ़ाकर स्नातकोत्तर स्तर पर लाया गया है।

(6) आयुर्वेद और यूनानी की मानक और अच्छी किस्म की दवाइयां तैयार करने के लिए मोहान (उत्तर प्रदेश) में इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गयी है और इस कारपोरेशन ने वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू कर दिया है।

(7) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अब तक 9 आयुर्वेदिक यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं।

(8) आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों के मानक निर्धारित करने के लिए फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी आफ इण्डियन मेडिसिन, गाजियाबाद को सुदृढ़ किया गया है।

(9) इन चिकित्सा पद्धतियों की सरकारी फार्मुलरी/भेषजसहिता को प्रकाशित करने संबंधी कार्य को तेज करने के लिए आयुर्वेद और यूनानी भेषज संहिता समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी का उन्नयन तथा विकास किया जाए ताकि ये देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एशोसिएशन, धनबाद के सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल

4992. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद संभाग में आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एशोसिएशन के अध्यक्ष ने बढ़ते हुए उत्पीड़न, काफी संख्या में दण्डात्मक कार्रवाईयों और उचित कठिनाइयों का समाधान न होने के विरोध में, 2 अक्तूबर, 1983 से, पूर्वी रेलवे के गोमाह स्थित लोको फोरमैन के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1982 से अक्तूबर, 1983 के बीच धनबाद संभाग के लोको रनिंग स्टाफ के पेनल, स्थानन्तरण, वेतन वृद्धि रोकने तथा उनको दिए गए अन्य दण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनबाद संभाग की आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारियों के पेनल स्थानान्तरण, 10 घण्टे से अधिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर दण्ड दिए जाने तथा वेतन में गैर-कानूनी ढंग से कटौती किए जाने आदि के बारे में विवादों का निपटारा करने हेतु ए० एल० सी० (सी) धनबाद के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाया है; और

(घ) मधुर औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने हेतु कर्मचारियों की उचित कठिनाइयों को दूर न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, धनबाद में कर्मचारियों की छटनी

4993. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संकट के कारण पूर्वी रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति धनबाद के कुछ ऐसे कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है जो गत 10 से 20 वर्षों से सेवारत थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सहकारी समिति के जो एक अर्द्ध रेलवे संगठन है, इन कर्मचारियों को कठिनाई के इन दिनों में उनके परिवारों के जीवनयापन के लिए कोई नौकरी देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सहकारी सोसायटी द्वारा पांच कर्मचारियों की छटनी की गयी थी।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार अर्ध-प्रशासनिक कार्यालय जैसी सहकारी सोसायटियों के कर्मचारियों को नियमित रेल सेवा में समाहित करने के लिए योग्य नैमित्तक श्रमिकों और एवजियों के बारे में विचार करने के पश्चात् ही विचार किया जाता है। पात्र नैमित्ति श्रमिकों और एवजियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए धनबाद मंडल की रेलवे सहकारी सोसायटियों के कर्मचारियों को समाहित करना संभव नहीं हुआ है।

"हृदय रोगियों के लिए आशा की नई किरण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4994. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 नवम्बर, 1983 के "जनयुग" दैनिक के पृष्ठ पांच पर "हृदय रोगियों के लिए आशा की नई किरण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने हृदय रोगियों के इलाज के लिए एक इन्जेक्शन का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आविष्कार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) उल्लिखित औषधि (टिशु प्लासमिनोजिन एक्टीवेटर अथवा टी० पी० ए०) पर अभी परीक्षण चल रहा है। तीव्र हृदयपेशी-रोध गलन (एक्यूट मायोकार्डियल इनफरक्शन) वाले रोगियों में जिन्हें हृदय रोग के दौरे के 1-6 घण्टों के अन्दर देखा जाता है, रक्त के थक्कों को समाप्त करने वाले एजेंटों (जैसे स्ट्रेप्टोकिनस) का आमतौर पर प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु स्ट्रेप्टोकिनस के अधिकतम असर के लिए उसे इन्ट्राकोरोनरी के जरिए देने की आवश्यकता होती है, लेकिन रक्तस्राव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला नियंत्रण में यह अन्तःशिरा द्वारा भी दी जा सकती है। प्रयोगशाला नियंत्रण की आवश्यकता न होने से यह नया पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है। सही निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले यह अनिवार्य है कि इस औषधि की प्रभावकारिता और सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण किया जाए। सीमित मात्रा में इसकी उपलब्धि और इसकी अत्यधिक लागत के कारण यह आम आदमी की पहुंच से बाहर

है। तथापि, इन पैरामीटरों के द्वारा यदि यह उपयोगी पाई गई तो यह औषधि हृदय रोग के दौरों के इलाज में काफी कारगर हो सकती है।

स्वतन्त्रता सेनापतियों को रेलवे पास जारी करना

4995. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने स्वतन्त्रता सेनानियों को एक बार रेलवे पास जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे कि वे देश भर की यात्रा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इण्डिया रेलवे चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा धरना देना

4996. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेलवे चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वावधान में कर्मचारियों द्वारा 5 दिसम्बर, 1983 को उनके निवास पर धरना दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो धरने देने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें कोई ज्ञापन भी दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इण्डियन रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन के कुछ कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पुष्टि में 5-12-1983 को रेल मंत्री के निवास पर 24 घंटे की भूख हड़ताल की थी।

(ग) से (ङ) 5-12-83 को उक्त एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु उससे पूर्व ज्ञापन मिले थे जिनमें उनकी मांगों का उल्लेख था। उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया था। टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन की मुख्य मांगें और उन पर सरकार के विचार 11-8-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3042 के उत्तर में सभापटल पर रखे गये विवरण में दिए जा चुके हैं।

दानापुर रेलवे स्टेशन पर पुलों का निर्माण

4997. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर रेलवे स्टेशन पर पुराने पैदल पुल को चौड़ा करने की बजाय, रेल विभाग ने दो पुलों का निर्माण किया है जो कि एक रेलवे स्टेशन के पूर्व में है तथा दूसरा पश्चिम में और जो यातायात के लिए सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो पुलों का निर्माण करने का निर्णय असफल सिद्ध हुआ है जिससे धन का अपव्यय हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन पुलों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए दानापुर रेलवे यार्ड के इन पैदल पथों पर जनगणना करवाएगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग रेलवे स्टेशन के दक्षिणी भाग से सुविधापूर्वक आ जा सकें, कोई तर्कसंगत हल निकालने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर एक पुराने पुल के अतिरिक्त दानापुर रेलवे स्टेशन पर दो पैदल पुलों, अर्थात् एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, की व्यवस्था की है। इन ऊपरी पैदल पुलों से लोग दक्षिण से उत्तर में और विलोमत: आ-जा सकते हैं । इनका पर्याप्त रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही सुविधाजनक हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) वाहनों के संचलन के लिए एक समपार उपलब्ध है। वर्तमान नियमों के अनुसार, वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुल का प्रस्ताव राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों को प्रायोजित करना होता है, जिन्हें लागत की लगभग ,0 प्रतिशत भागीदारी वहन करनी पड़ती है। यदि बिहार राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका के नर्सरी सहायक शिक्षक

4998. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** नई दिल्ली नगरपालिका के नर्सरी स्कूल शिक्षकों की वरीयता के बारे में 28 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9110 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के नर्सरी सहायक शिक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड देने के बारे में 21 नर्सरी सहायक शिक्षकों की सूची जारी की जा चुकी है, और उनमें केवल उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया गया है जो अगस्त, 1962 तक सेवा में आ गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1962 तथा दिसम्बर, 1962 के बीच सेवा में आने वाले शिक्षकों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन शिक्षकों को भी कब तक उस सूची में शामिल करके सलैक्शन ग्रेड दे दिया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां।

(ख) जैसाकि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बताया है, नवम्बर, 1962 तक नियुक्त 8 अध्यापकों को प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के लिए शामिल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1962 तक नियुक्त अध्यापकों के मामले पर जब भी वे पात्र बन जाएंगे, रिक्ति के उपलब्ध होने की शर्त पर, विचार किया जाएगा।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय

4999. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों में कुल कितने छात्रों ने अध्ययन किया है;

(ख) उड़ीसा राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं; और

(ग) इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	छात्रों की कुल संख्या
1980-81 (30-4-1982 की यथास्थिति के अनुसार)	2,51,144
1981-82 (30-4-1982 की यथास्थिति के अनुसार)	2,76,291
1982-83 (30-4-1983 तक की यथास्थिति के अनुसार)	3,07,903

(ख) 15

(ग) उड़ीसा राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा डिपों से आते जाते समय यात्रियों को ले जाना

5000. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने किसी स्तर पर डी० टी० सी० के डिपो से बसों को उनके आरम्भिक स्थल तक खाली चलाने अथवा इन बसों का डिपो में वापसी पर बेकार चलने (डैड माइलेज) के परिणाम-स्वरूप राजस्व में हो रहे घाटे का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) डी० टी० सी० की बसों में उनकी नियमित सेवा के आरंभिक स्थल को डिपो से जाते समय और उनका ट्रिप पूरा होने पर डिपो में वापसी रास्ते में यात्रियों को ले जाने में डी० टी० सी० को क्या कठिनाइयां हैं, जिसके द्वारा इसके संचालन में बढ़ रहे घाटे को कम किया जा सकता है ; और

(घ) क्या वह इसकी जांच करेंगे और दिल्ली परिवहन निगम को आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) डिपो से सेवा प्रारम्भ करने के स्थान पर जाते समय या टर्मिनल पर सेवा समाप्त कर डिपो जाते समय रास्ते में स्टाप पर यात्रियों को बसों में चढ़ाने के बारे में बस के कर्मीदल को स्थायी अनुदेश पहले से ही दिए जा चुके हैं। इसमें कोई 'डेड माइलेज' शामिल नहीं है। इस सम्बन्ध में अनुदेश पुनः दोहरा दिए गए हैं। जब कभी उल्लंघन किए जाने की घटनाएं दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाती हैं तो दोषी स्टाफ के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।

गैर-सरकारी ऐजेंसियों द्वारा सऊदी अरब के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती किए जाने पर प्रतिबन्ध

5001. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी ऐजेंसियों को सऊदी अरब के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने हाल में इस प्रणाली पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं और सरकार से सरकार के स्तर पर मेडिकल आफिसरों की भर्ती करने का फैसला किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सऊदी अरब का एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल भारतीय मेडिकल स्टाफ का साक्षात्कार लेने में व्यस्त था और वह प्रतिबंध लगाये जाने से नाराज हो गया और उसने मेडिकल आफिसरों की भर्ती करनी बन्द कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सऊदी अरब के एक दल ने अपने देश के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं के लिए भारत से चिकित्सा और अर्धचिकित्सा कार्मिकों की भर्ती की थी। यह भर्ती प्राईवेट ऐजेंसियों द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसी भर्तियों के लिए दोनों सरकारों के बीच व्यवस्था होनी चाहिए विशेषकर जो स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के समझौते के आधार पर हो। इस सुझाव पर उन्होने अपनी प्रतिक्रिया अभी नहीं बताई है।

"जिन्ना हाऊस" को पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास को सौंपना

5002. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई स्थित "जिन्ना हाऊस" को बम्बई में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास के आवास के लिए पाकिस्तान सरकार को देने के लिए वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारत में पाकिस्तानी दूतावास को कब्जा सौंपने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस ऐतिहासिक स्थान के प्रयोग और उसके पट्टे/किराये संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त वचनवद्धता का पूर्ण ब्यौरा क्या है और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई के लिए लाइट रेल अरबन ट्रांजिट सिस्टम

5003. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान लाइट रेल अरबन ट्रांजिट सिस्टम (एलिवेटेड मैट्रो) की ओर दिलाया गया है जैसा कि लाओस ऐंजेलेस, टोकिया, मनिला और संसार के अन्य कई महानगरों में चल रही है;

(ख) क्या यह प्रणाली भूमिगत मेट्रो प्रणाली से कम खर्चीला है और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण करने की जरुरत नहीं होती है और जिसे बम्बई के यातायात की समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त माना जाता है;

(ग) ट्रान्सर्व कन्सल्ट आफ वेल्जिम ने महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग के समक्ष इस बारे में कोई प्रस्ताव रखा है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रताव रेल मंत्रालय को भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई के बढ़े हुए क्षेत्र में यातायात की अवरुद्धता को दूर करने हेतु अत्याधुनिक इस लाइट रेल अरबन ट्रांजिट सिस्टम का अध्ययन करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, ऐसी प्रणाली की ओर रेल मंत्रालय का कोई विशेष ध्यान नहीं दिलाया गया है।

(ख) इसके निहितार्थों की जांच नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में रेल मंत्रालय को कोई सूचना नहीं दी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पोषण समिति की बैठक

5004. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनिसेफ से सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम से जिसके अन्तर्गत गुजरात में आनन्द में स्थित एक सहकारी समिति द्वारा निर्मित बहिष्कृत उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है इस सहकारी समिति को लाभ पहुंच रहा है न कि इन खाद्य पदार्थों के प्राप्तकर्त्ताओं को; और

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता प्राप्त सभी पोषण कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने तथा पश्चिमी देशों की नकल करने के बजाय अधिक पोषक ताजा परम्परागत देशी खाद्य उत्पादकों को उपयोग करके अपने दृष्टिकोण को यथार्थवादी बनाने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) कायरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, आनन्द (गुजरात) द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से कम लागत वाले दूध छुड़ाने के आहार के विकास और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना हाथ में ली गई। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बदले में कायरा यूनियन ने समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को दिए गए बाल अमुल नामक थेरोपेटिक आहार में रियायत दी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता का उद्देश्य सम्बन्धित सहकारी समिति को लाभ पहुंचाना नहीं था। आनन्द में सहकारी समिति द्वारा निर्मित वहिष्कृत उत्पादों का उपयोग गरीब परिवारों में छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के पूरक पोषाहार के लिए किया रहा जा है।

(ख) पश्चिमी देशों की कोई नकल नहीं की गई है। बाल पोषण कार्यक्रमों के लिए केयर और विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपलब्ध खाद्य सहायता उन राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है जो इस प्रकार की खाद्य सहायता का स्थानीय रूप से पका करके अथवा खाने के लिए तैयार भोजन बनाने के लिए संसाधित खाद्य पदार्थ प्राप्त करके बाल पोषण कार्यक्रमों के लिए उपयोग करते हों। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों में पूरक आहार तैयार करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते और उपयुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाए। पूरक पोषाहार की लागत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वहन किया जाएगा क्योंकि पोषाहार राज्य क्षेत्र की योजना है।

डूंगरपुर में आरक्षण कोटा

5005. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस पकड़ने के लिए डूंगरपुर से उदयपुर के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जहां से होकर उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और दिल्ली को जाने वाली रेल गाड़ियों के सम्बन्ध में डूंगरपुर (राजस्थान) को रेलवे स्टेशन मास्टर आरक्षण में कोई अग्रिम आवेदन स्वीकार नहीं करता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य अथवा राष्ट्र की राजधानी की यात्रा हेतु जनता/सरकारी अधिकारियों की सुविधा के लिए सुबह-शाम की गाड़ियों में लगाई जाने वाली प्रथम श्रेणी की एकमात्र बोगी/डिब्बा भी समाप्त कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। डूंगरपुर से 12-56 बजे छूटने वाली और उदयपुर में 17-05 बजे पहुंचने वाली 86 डाउन अहमदाबाद-चित्तौड़गढ़-मारवाड़ फास्ट पैसेंजर उदयपुर में 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस से मेल लेती है। यह यात्री गाड़ी दिन के समय चलने वाली एक गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी में डूंगरपुर स्टेशन पर आरक्षण कोटे की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डूंगरपुर से आने वाले यात्रियों के लिए 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस में आरक्षण कोटे की व्यवस्था करने के लिए यातायात संबंधी कोई औचित्य नहीं है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार, आगे के आरक्षण के आवेदन-पत्रों पर डूंगरपुर में कार्रवाई की जाती है, यदि वे गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से कम से कम 72 घंटे पूर्व प्राप्त हों।

(ग) रेल प्रशासन की नीति के रूप में शाखा लाइन की पेसेंजर गाड़ियों से पहले दर्जे के डिब्बे हटाए जा रहे हैं।

होरमज जलडमरूमध्य को नाकेबन्दी करने पर अमरीकी कार्यवाही

5006. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने इरान के विरुद्ध यदि वह होरमज जलडमरूमध्य की नाकेबन्दी करके हमले की धमकी देता है, तो वहां नौसेकि कार्यवाहियों के संचालन हेतु एक ऐडमिरल को खाड़ी में तैनात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका की मध्य पूर्व सेनाओं का रीगल ऐडमिरल कमांडर, अक्तूबर, 1983 में उस क्षेत्र पहुंच गया था और उसने 25 जहाज के जंगी बेड़े का भार संभाल लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) अमरीकी नौसेना पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में हैं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार अमरीका ने संकेत दिया है कि वह होरमज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध नहीं होने देगा।

(क) सरकार स्थिति पर सावधानी से नजर रख रही है।

उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के इंजीनियरिंग विभाग में 'स्टोरमैन' के लिए पदोन्नति का 'चेनल'

5007. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के इंजीनियरिंग विभाग में इस समय कितने 'स्टोरमेन' हैं;

(ख) 'स्टोरमैन' के मामले में पदोन्नति का क्या चैनल है;

(ग) क्या, 'स्टोरमैन' लाइन स्टाफ के अन्तर्गत आते हैं अथवा कार्यालय स्टाफ के अन्तर्गत; और

(घ) यदि वे लाइन स्टाफ के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें भी डब्लू० एम० के लिए अवसर न दिए जाने के क्या कारण हैं और यदि वे कार्यालय स्टाफ के अन्तर्गत आते हैं तो उन सभी लोगों को लिपिक के पद पर पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 62

(ख) 210-270 रुपये (सं० वे०) के ग्रेड वाले स्टोरमैनों की पदोन्नति सामग्री जांच लिपिक के रूप में की जाती है तो पहले 225-308 रुपये (सं० वे०) के ग्रेड में होता था और 1-10-1972 से जिसका ग्रेड बढ़ाकर 260-400 रुपये (सं० वे०) कर दिया गया है।

(ग) कार्यालय स्टाफ के अन्तर्गत।

(घ) सभी कार्यालयों में स्टोरमैन सहित श्रेणी-4 के कर्मचारियों के लिए 260-400 रुपये के ग्रेड में लिपिकों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत रिक्त पदों का पदोन्नति कोटा होता है। चतुर्थ श्रेणी के

कार्यालय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित लिपिकों के कोटे में सम्बन्धित स्टोरमैन पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

आदिवासी जिलों में शैक्षिक सुविधाएँ

5008. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के आदिवासी और पिछड़े जिलों में पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान आदिवासी बालिकाओं और बालकों के लिए कितने आवासीय विद्यालय खोले गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कितने विद्यालय खोले गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी

5009. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पश्चिम बंगाल के कोयले का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को कोयला भेजने के लिए वैगनों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप अनियमित सप्लाई के कारण श्रमिकों की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या रेल विभाग पश्चिम बंगाल स्थित कोलफील्ड्स के मुहानों से कोयला उठाने हेतु अधिक वैगन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने उपभोक्ताओं को कोयले की ढुलाई सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए "बाटम डिसचार्ज" वैगनें अपनाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस नये प्रकार के वैगनों का उत्पादन कब आरंभ होगा और क्या यह उत्पादन कलकत्ता में कुछ मौजूदा यूनिटों में किया जाएगा अथवा किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान में उपलब्ध माल डिब्बे पर्याप्त हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों के लिए तल निकास अभिकल्प सहित इष्टतम स्व-निकास हापर माल डिब्बे के अभिकल्प के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसंधान अभिकल्प एवम् मानक संगठन, लखनऊ द्वारा तैयार की जा रही है और कोई अन्तिम निर्णय उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर लिया जाएगा।

विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लिया जाना और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार

5010. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रहने वाले विदेशी पालक माता-पिता भारतीय बच्चों को गोद ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी पालक माता-पिता द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कितने बच्चों को गोद लिया गया तथा इस क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी भारतीय या विदेशी ऐजेंसियां काम कर रही हैं। जिनके माध्यम से गोद लेने के लिए बच्चों का चयन किया जाता है अथवा उन्हें विदेश भेजा जाता है;

(ग) ऐसे बच्चों को किन देशों में गोद लिया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ मामलों में विदेशी अभिभावकों ने गोद लिए गए बच्चों का दुरुपयोग किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ उच्च न्यायालयों/जिला न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1980 में 305 बच्चों, 1981 में 554 बच्चों और 1982 में 1736 बच्चों को "आश्रितों" के रूप में विदेशियों को दिया गया। यह कार्यवाही निजी पक्षों के मध्य अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत है। अत: इस क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की पूर्ण सूची सरकार के पास नहीं है।

(ग) आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रान्स, हालैंड, ईरान, इटली, नीदरलैंड, नार्वे, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यू० के० संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम जर्मनी।

(घ) यह बताया गया है कि एक मामले में कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और विदेशी माता-पिता को अपनी गोद ली गई लड़की के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया गया और जेल भेजा गया। सरकार अन्तर्देशीय दत्तक-ग्रहण के मामले पर पुनर्विचार कर रही है।

'श्रेणी 'ग' से 'ख' और 'ख' से 'क' में पदोन्नत किए गए गार्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गार्ड

5011. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल रेलवे मैनेजर, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के 16 जुलाई, 1983 के पत्र संख्या 941/ई/टी-3/गार्ड-ए/पी० टी० के आधार पर कितने गार्डों को श्रेणी 'ग' से श्रेणी 'ख' में, 'ख' से 'क' में और 'क' से 'क' स्पेशल श्रेणी में पदोन्नत किया गया;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने गार्डों की श्रेणी-वार पदोन्नति दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गार्डों को पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया था उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार मामले की जांच करेगी और यदि इसमें कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाये गए तो उन्हें दंड देगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पदोन्नत किए गए गार्डों की संख्या नीचे दी गई है :—

ग्रेड 'सी' से ग्रेड 'बी' में—कोई नहीं

ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' में—14

ग्रेड 'ए' से ग्रेड 'ए' स्पेशल में—8

(ख) कोई नहीं।

(ग) इलाहाबाद मण्डल में, गार्ड 'ए' और गार्ड 'ए' स्पेशल के ग्रेड में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत का न्यूनतम आरक्षित कोटा पहले ही भरा जा चुका है। अतएव, इन ग्रेडों में निर्धारित न्यूनतम आरक्षित कोटे से अधिक इन पदों को भरने के सम्बन्ध में 14वें अतिरिक्त मुंसिफ, इलाहाबाद द्वारा पारित 31-7-1982 के स्थगन आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन ग्रेडों में अनुसूचित जाति के और अधिक उम्मीदवारों की पदोन्नति नहीं की गई है। बहरहाल, इन ग्रेडों में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि इन ग्रेडों में उनका प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से कम है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों का दर्जा बढ़ाना

5012. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के समय उनकी गोपनीय रिपोर्टों का दर्जा बढ़ाने का प्रावधान है; और

(क) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान अनुसूचित जाति के कितने सहायक सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नत किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन में प्रवेश करने वाले नागा विद्रोही

5013. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1983 के "टेलीग्राफ" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित "नागा रेबेल्स स्लिप इन्टू चीन" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने नागा चीन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और उसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने नागा उस देश में छापामार युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत लौट आए हैं;

(घ) क्या पी० एल० ए० के एक दल ने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेने हेतु चीन में जाने के लिए बर्मा के जंगलों में शिविर डाल रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो चीन सरकार के दृष्टिकोण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) प्रश्न में जिस समाचार का उल्लेख किया गया है उसे सरकार ने देखा है। निश्चित रूप से कोई बात सिद्ध नहीं हुई है लेकिन सरकार ऐसे मामलों में निरंतर सतर्क रहती है।

जनसंख्या वृद्धि के लिए निर्धारित नए लक्ष्य

5014. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति एक हजार जनसंख्या दर नियमित करने का राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के लक्ष्यों को अब तक राज्य-वार किस सीमा तक प्राप्ति हुई है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्यों की राज्य-वार उपलब्धि के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्रमुख राज्यों के लिए वर्षवार जो दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को 60 प्रतिशत तक सुरक्षित किए पात्र दम्पत्तियों का जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह अनुबन्ध-I में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615/83]

(ख) 1-4-1983 तक सुरक्षित किएं पात्र दम्पत्तियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615/83]

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए परिवार नियोजन के हर वर्ष तरीके-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 1983-84 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनका विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615/83]

(घ) राज्य परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं हालांकि यह कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615/83]

आद्रा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में अवकाश वेतन की कथित जाली अदायगी

5015. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे में आद्रा में झूठे नामों पर अवकाश वेतन की एक बड़ी राशि की जाली अदायगी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता चला है और उनमें कितनी राशि की अदायगी की गई है;

(ग) जिन्होंने बिल मिलान अधिकारी के रूप में उन झूठे अवकाश वेतन बिलों पर हस्ताक्षर किए थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उन हस्ताक्षरियों के जिन्होंने ने बिल मिलान अधिकारी के रूप में जाली वेतन बिलों पर हस्ताक्षर किए थे हस्ताक्षरों की हस्तलेख विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इतनी बड़ी राशि का प्रश्न होने पर ऐसे अन्य और मामलों का पता लगाने के लिए पिछले छः वर्षों के रिकार्डों से पूरी जांच न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) रेलवे के अन्य डिवीजनों और विभागों में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 46 सन्दिग्ध मामले, जिनमें 5,67,871 रुपये 82 पैसे की अदायगी की गई है।

(ग) 6 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है और अन्य 7 कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ा दण्ड देने की कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी हाल ही में एक राजपत्रित अधिकारी और दस अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता लगेगा।

(ङ) इन मामले का सम्बन्ध फरवरी, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि से है। अन्य अवधि के लिए ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए रिकार्डों की छानबीन की जा रही है।

(च) इस प्रकार के कदाचार की आवृत्ति की रोकथाम करने के लिए सम्बन्धित विभागों को सचेत कर दिया गया है। लेखा तथा सांविधिक लेखा-परीक्षा द्वारा की जाने वाली निर्धारित जांच के अलावा, सतर्कता संगठन द्वारा निवारक अचानक जांच के भी प्रबन्ध किए गए हैं।

रेलवे कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

5016. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को श्रेणीवार, जोनवार और डिवीजनवार अलग-अलग वर्ष 1980-81, 1981-82, और 1982-83 में समयोपरि भत्ते की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ख) समयोपरि भत्ते के भुगतान से बचने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि प्राय: कर्मचारियों से रोस्टर ड्यूटी घंटों के अतिरिक्त काम लेने से कार्यकुशलता में कमी आ रही है जिसके कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) रेलवे के काम की प्रकृति ऐसी है कि कभी-कभी कर्मचारियों को सेवा से सम्बन्धित आकस्मिक आवश्यकताओं के समय विशेष परिस्थितियों में समयोपरि कार्य करा पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में प्रत्येक को प्राथमिक शिक्षा देने के कार्य में प्रगति

5017. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रत्येक को प्राथमिक शिक्षा देने के लक्ष्य प्राप्ति में अब तक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह मूल्यांकन कब किया गया था और इस मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों को राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :
(क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित स्थिति और उड़ीसा में योजना (1980-83) के पहले तीन वर्षों के दौरान दाखिले संबंधी प्रगति इस प्रकार है :—

उड़ीसा (आंकड़े लाखों में)

छठी योजना के लक्ष्य		दाखिले संबंधी उपलब्धि	
कक्षाएं		कक्षाएं	
1-5	6-8	1-5	6-8
7.13	2.35	1.79	1·49

(ग) और (घ) जी, हां। योजना ने 1983 में छठी योजना मध्यावधि मूल्यांकन किया है। पूर्णकालिक शैक्षिक संस्थाओं में अतिरिक्त 180 लाख बच्चों को दाखिला करने के संपूर्ण लक्ष्य को जहां योजना के अंत तक प्राप्त किए जाने की संभावना है, वहां कुछ राज्यों में इस संबंध में प्रगति पिछड़ी हुई है। उड़ीसा उनमें से एक है। उड़ीसा कक्षा 1-5 में दाखिले के संबंध में पिछड़ रहा है। यह इन कक्षाओं में लड़कियों के दाखिले में भी पिछड़ रहा है।

स्वामी विवेकानन्द के विचारों में सोवियत लोगों की आस्था

5018. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1983 के "डेकन क्रेनिकल" में विवेकानन्द आइडियाड डीयरटू सोवियत्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ में मनाए गए। 120वीं वर्षगांठ सम्बन्ध समारोह में भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्तियों और भारतीय राजनयिकों के नाम क्या हैं; और

(ग) समारोह को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए योगदान का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) माननीय सदस्य ने जिस लेख का हवाला दिया है उस पर सरकार ने गौर किया है। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1983 में सोवियत संघ में स्वामी विवेकानन्द की 120वीं जयन्ती मनाने के लिए कोई समारोह नहीं हुआ था इसलिए इस समारोह में भारतीय राजनयिकों के भाग लेने का अथवा इसे सफल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा सहयोग दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

गरीब ग्रामीण योजना के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता

5019. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में गरीब योजना के लिए दी जा रही निःशुल्क चिकित्सा सहायता संबंधी कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के रायगढ़, विदिशा और गुना जिलों के कितनें गांवों में चिकित्सा पेटियों सहित कितने हेल्थ गाइड काम कर रहे हैं और वर्ष 1984 और 1985 के लिए तत्संबंधी योजनाएं क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1983 में उपर्युक्त तीन जिलों में निर्धारित मानदंड के अनुसार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कितने उप-केन्द्र काम कर रहे हैं और अगले 3 वर्षों के लिए तत्संबंधी योजनाएं क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त जिलों में मेडिकल, पैरा मेडिकल कर्मचारी और महिला डाक्टर अपर्याप्त हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ङ) क्या प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों, उप-केन्द्रों को सप्लाई की जा रही दवाइयां और चिकित्सा पेटियां आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं; और

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (च) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से यह सूचना एकत्र की जा रही है और यह सूचना मिलते ही सभापटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी बोलचाल की भाषा का अनुरक्षण और प्रचार

5020. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी बोलचाल की भाषा के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा इसके अनुरक्षण और प्रचार के लिए केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने क्या पहल की है;

(ख) क्या अकादमी को यह जानकारी है कि कुछ आदिवासी भाषाओं की अपनी एक खास लिहि है तथा आदिवासी भाषा साहित्य, कला, व्याकरण, इतिहास, शब्दकोष आदि सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी आदिवासी भाषाएं कौन-कौन सी हैं, जिन्होंने लिपि की खोज कर ली है तथा जिन्होंने बेहतर ढंग से अलिखित परम्पराओं और संस्कृति का विकास तथा अनुरक्षण कर लिया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय साहित्य अकादमी का अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इन विकसित आदिवासी भाषाओं को पुरस्कार के लिए शामिल करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) साहित्य अकादमी "लोक साहित्य के प्रलेखन तथा प्रकाशन" संबंधी योजना सीमित पैमाने पर कार्यान्वित करती है। साहित्य अकादमी द्वारा कार्यान्वित साहित्यिक कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ डोगरी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली शामिल है। "खासी" नामक एक और भाषा को मान्यता प्रदान करना विचाराधीन है। भोजपुरी, अवधी, मगधी और लद्दाखी सहित कुछ अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

नई भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न के संदर्भ में साहित्य अकादमी का यह विचार है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न की और व्यापक रूप से तथा गहराई से जांच करने का समय है।

इलेक्ट्रिक इंजन शेड, टूंडला में टी०एफ०आर० के वेतनमान

5021. **श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रिक इंजन शेड टूंडला में टी० एफ० आर० 700-900 रुपए के वेतनमान में काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कानपुर, इलाहाबाद और मुगलसराय के इंजन शेडों में कार्यरत टी० एफ० आर० कर्मचारियों को 840-1040 रुपए के वेतनमान में नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कानपुर, इलाहाबाद तथा मुगलसराय शेडों में 840-1040 रु० के ग्रेड में कोई कर्षण फोरमैन रनिंग नहीं है। ये कर्षण फोरमैन रनिंग भी 700-900 रु० के वेतनमान में हैं।

इलाहाबाद में पार्सल उतारने-चढ़ाने संबंधी ठेके के लिए मासिक एकमुश्त दर

5022. **श्री बाला साहिब पवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल और पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी ठेकों की दरें स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उचित मजूरी के आधार पर तय की जाती है ;

(ख) क्या पार्सल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी ठेके के लिए मासिक एकमुश्त दर तय करने हेतु, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 6.50 रुपए प्रतिदिन उचित मजूरी की तथा इलाहाबाद गुड्स शेड में 8.00 रुपए प्रतिदिन उचित मजूरी को आधार माना गया था, जब दोनों ठेकों को जुलाई, 1981 में अन्तिम रूप दिया गया था तथा इन्हीं दो विभिन्न सहकारी समितियों को एक ही तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 1981 को आबंटित किया गया था;

(ग) क्या डिवीजन प्राधिकारियों और सतर्कता निदेशालयों को इस असमानता के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे गए हैं ; यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) ठेके सामान्यता निविदाओं के आधार पर दिए जाते हैं । लेकिन, सहकारी समितियों के मामले में, अधिसूचित उचित मजदूरी को ध्यान में रखते हुए, बातचीत के आधार पर दरों को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

(ख) दोनों ठेके विभिन्न तारीखों को दिए गए थे और एकमुश्त दरें सहकारी समितियों की रजामंदी से तय की गयी थीं ।

(ग) और (घ) जी हां, लेकिन सहकारी समितियों ने रेलवे को प्रथम अभ्यावेदन 14-9-81 को दिया था जबकि ठेका पहले ही चालू हो चुका था। वर्तमान अधिसूचित उचित मजूरी के एक समान आधार पर 1983 में दोनों समितियों के साथ नए ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की मरम्मत

5023. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा के मौसम के दौरान भारी बाढ़ से नागपुर और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित कितना नुकसान हुआ था तथा इसकी मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश में निरमल और अदिलाबाद के बीच राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 7 इतना टूटफूट गया था कि अनेक बार कई-कई दिन तक सड़क को बन्द रखना पड़ा है; और

(घ) यदि हां. तो इसका अनुमानत: कितना नुकसान हुआ था तथा इसकी मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां । नागपुर से बंगलौर की बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 के हिस्से की ऊपरी सतह में पिछले बरसात में कुछ क्षति पहुंची थी जिसकी मरम्मत कर दी गई है और मार्ग यातायात के लायक बना हुआ है।

जहां तक आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 के हिस्से का प्रश्न है, इस सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर हैदराबाद से आन्ध्र प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा के बीच भारी वर्षा और तूफान के कारण विशेष क्षति पहुंची थी। आन्ध्र प्रदेश में पड़ने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नुकसान 265 लाख रुपए का आंका गया था। क्षतिग्रस्त मार्ग पर तत्काल प्रकृति वाला कार्य पूरा कर दिया गया था और अन्य कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए अनुमान को स्वीकृत किया जा रहा है।

कर्नाटक में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर आन्ध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा और बंगलौर के बीच किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) जी हां। कदम नदी तक के पहुंच मार्गों के टूट-फूट जाने के परिणामस्वरूप अगस्त और अक्तूबर, 1983 में लगभग दो-दो दिन भारी वर्षा के कारण यातायात अस्त-व्यस्त रहा। कदम नदी पर पुल के पहुंच मार्गों पर लगभग 1.5 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। इस पहुंच मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को फिर से ठीक-ठाक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है जिसके लिए अनुमान की मंजूरी दी जा रही है और इस कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी चुनी जा रही है। हालांकि स्थायी उपाय के रूप में कदम नदी पर ऊंचा पुल तथा पहुंच मार्ग बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है और यह कार्य लगभग अन्तिम चरण में है।

भारत में कुपोषित लोगों की संख्या

5024. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुपोषित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व में कुपोषित लोगों की सबसे अधिक संख्या भारत में है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो विश्व में कुपोषित लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विश्व की कुल जनसंख्या का दसवां भाग भुखमरी का शिकार हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और वहां भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या कितनी है तथा क्या भारत भी उनमें से एक है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (च) भारत में कुपोषण तथा भूख से कितने लोग पीड़ित हैं, उनकी संख्या का पता लगाने के लिए कोई देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि इन शब्दों की परिभाषा में अस्पष्टता और विभिन्नता है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का नैशनल न्यूट्रिशन मानीटरिंग ब्यूरो भारत के दस राज्यों में आहार तथा पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण कर रहा है। नैशनल न्यूट्रिशन मानीटरिंग ब्यूरो की 1981 की रिपोर्ट के अनुसार आठ राज्यों में औसतन 2404 कैलोरीज की खपत थी जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सिफारिश 2400 कैलोरीज की थी।

खाद्य और कृषि संगठन भोजन की खपत के मूल्यांकन तथा न्यूनतम अपेक्षा से कम भोजन खाने वाले लोगों की अनुमानित संख्या के आधार पर अल्प पोषित लोगों की संख्या के आंकड़े प्रकाशित करता है। आमतौर पर भूखे लोगों का अनुमान नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह अवास्तविक है और जनसंख्या के आधार पर इसकी परिभाषा करना अथवा अनुमान लगाना कठिन है।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य स्थिति के मूल्यांकन पर कुछ आंकड़े प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित तालिका में आंकड़े दिए गए हैं।

प्रत्येक देश की जनसंख्या तथा खाद्य पूर्ति

देश	जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष प्रतिशत दर	आहार ऊर्जा पूर्ति		प्रोटीन पूर्ति
		प्रति व्यक्ति कैलोरीज	आवश्यकता की प्रतिशतता	प्रतिव्यक्ति और प्रति दिन ग्राम
अल्जीरिया	2.4	.1730	72	46
अपर वोल्टा	1.8	1710	72	59
भारत	2.1	2070	94	52
इंडोनेशिया	2.5	1790	83	38
हैटी	2.3	1730	77	39
फिलिपाइन्स	3.2	1940	86	47

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के रिक्त पद

5025. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के नौ पद बहुत दिनों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मौजूद भर्ती नियमों के अनुसार ये पद पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हेड क्लर्कों से भरे जाएंगे और ऐसे अनेक व्यक्ति उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पांच पद रिक्त हैं, जिन के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए जा चुके हैं।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार कार्य सहायक ग्रेड/मुख्य लिपिक सम्बन्ध ग्रेडों में नियुक्ति के पश्चात् नियमित के आधार पर 5 वर्षों की सेवा के उपरान्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के लिए पात्र होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन

5026. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1982-83 और 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और दी गई; और

(ख) उड़ीसा में उक्त दो वर्षों के दौरान कितने किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और विकास किया गया तथा ये राज-मार्ग कौन-कौन से हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा राज्य के लिए कुल स्वीकृत और दी गयी धनराशि का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	1982-83	1983-84
राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव	280.60 लाख रुपए	255.55 लाख रुपए (अब तक दिया गया)
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास	450.00 लाख रुपए	440.00 लाख रुपए (आबंटन)

(ख) उड़ीसा राज्य की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5, 5क, 6, 23, 42 और 43 को जिनकी कुल लम्बाई 1594 किलोमीटर है, इन वर्षों में यातायात के लायक बनाए रखा गया है। वर्ष 1982-83 और 1983-84 में क्रमश: 40.60 किलोमीटर और 33.60 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास भी किया गया है।

भुसंदपुर स्टेशन पर पैदल यात्री पुल का निर्माण करना

5027. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्धा रोड़ डिविजन में भुसंदपुर स्टेशन पर चार प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले पैदल यात्री पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक तैयार इस्पात पहले ही प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उस पर कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मार्च 1984 के निर्धारित समय तक निर्माण कार्य किस प्रकार पूरा हो पाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) भुसंडपुर स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है। पुल की नींवों का काम पूरा होने वाला है, गढ़ा हुआ इस्पात प्राप्त हो गया है और रेलवे अब जनवरी, 1984 तक कार्य पूरा करने की आशा करती है।

कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास की केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वियन

5028. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ट रोगियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए बनाई गई केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में राज्य-वार कार्य निष्पादन क्या रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालम में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 कुष्ठ पुनर्वास उन्नयन यूनिटों के लक्ष्यों में से अभी तक राज्य सरकारों द्वारा सात यूनिटें मंजूर की जा चुकी हैं। हैं ये गुजरात—1, कर्नाटक—1, केरल—1, महाराष्ट्र—2, उड़ीसा—1 और तमिलनाडु—1.

भारत में औषधि नियंत्रण उपायों में गिरावट आना

5029. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स "कन्सर्न ऐट डिक्लाइन इन इंडियाज ड्रग कन्ट्रोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

जिसमें यह कहा गया है, कि अन्तर्राष्ट्रीय मादक औषधि नियंत्रक बोर्ड ने भारत में औषधि नियंत्रक उपायों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या उपरोक्त बोर्ड ने भारत सरकार का ध्यान औषधि नियंत्रण प्रणाली में कमियों की ओर दिलाया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और औषधि नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एन० जोशी) : (क) से (ग) वर्षों से यह प्रथा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, स्वापक औषधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग के सत्र जो सामान्यता फरवरी में होता है, के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले प्रकाशित की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड की अद्यतन उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 1982 की है जो यह बताती है कि मध्य पूर्व के देशों में अवैध रूप से उत्पादित स्वापकों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से हीरोइन और नेपाल तथा मध्य पूर्व के देशों से लाए जाने वाले केनाबिस तथा रेंजिन के मामले में भारत को मुख्यतया एक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। सरकार हाल ही की इस बात से चिन्तित है कि निकटवर्ती तथा मध्य-पूर्व क्षेत्र से भारत में विशेषकर 1982 से अधिकाधिक मात्रा में हीरोइन की तस्करी की जा रही है जिससे यह पता चलता है कि मुख्यतया पश्चिम के देशों को भेजी जाने वाले स्वापकों के लिए भारत को एक अवैध-व्यापार माध्यम के रूप में अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार नियंत्रण को और कड़ा करने तथा निवारक और आसूचना गतिविधियों को और तेज करने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मिलकर किए गए तस्करी-विरोधी समुचित उपायों के अतिरिक्त, औषधियों की तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग रखा जाता है। इस मामले की वित्त मंत्रालय में निरन्तर पुनरीक्षण भी की जाती है।

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना

5030. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1983 से देश में कुछ रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सेवा आयोगों को समाप्त करना

5031. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेल सेवा आयोगों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेल सेवा आयोगों को समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिनका भ्रष्टाचार की गतिविधियों में हाथ था ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

किरनडुल-विशाखापत्तनम रेल लाइन बन्द करना

5032. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरनडुल-विशाखापत्तनम रेल लाइन बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह रेल लाइन कब बन्द की गई है और इसे बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेल विभाग को अब तक कितना घाटा हो चुका है तथा भविष्य में प्रतिवर्ष अनुमानित कितना घाटा उठाना पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार इस रेल लाइन को पुन: चालू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक पुन: चालू हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) चक्रवाती तूफान के कारण, पूर्वी तट पर अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई थी। इसके कारण भारी फिसलन हो गयी जिससे सुरंग संख्या 16 क्षतिग्रस्त हो गयी थी। 3-10-83 से किरान्दुल-विशाखापत्तनम लाइन पर यातायात स्थगित करना पड़ा। 31-10-83 से इस लाइन को यातायात के लिए पुन: खोल दिया गया है।

रेलों को यातायात से होने वाली आमदनी में लगभग 5 करोड़ रुपए की हानि हुई है और टूट-फूट की मरम्मत पर लगभग 4.6 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया है। चूंकि यातायात पुन: चालू कर दिया गया है, इसलिए आगामी वर्षों में कोई आवर्ती हानियां नहीं होंगी।

भारत-बंगलादेश सीमा पर कटीले तार लगाने के बारे में बंगलादेश का विरोध

5033. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री भीम सिंह :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष की बैठक के दौरान भारत बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भारतीय प्रतिनिधि ने उस दौरान इस विषय पर उनसे कोई बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस वर्ष अगस्त में ढाका में विदेश मंत्रियों की बैठक में यह मामला उठा था और इसी प्रकार प्रसंगवश अन्य बैठकों में भी, लेकिन इस विषय पर बंगलादेश के विचार सिर्फ उन्हीं के अखबारों में छपे हैं। हमने यह कहा है कि जब कांटेदार तारों की बाड़ बन्ध जाएगी तो उससे दोनों देशों को लाभ होगा। यह बाड़ पूर्णत: भारत के प्रदेश में होगी और बंगलादेश के दृष्टिकोण से किसी भी तरह आपत्तिजनक नहीं हो सकती। हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है और न ही इसे यह रूप दिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष 1985 के दौरान गुर्दा प्रत्यारोपण

5034. **डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 1982 के दौरान गुर्दा प्रत्यारोपण के कितने मामले हुए;

(ख) वर्ष 1982 में गुर्दा प्रत्यारोपित कराने वाले कितने लोग अभी तक जिन्दा हैं;

(ग) जो लोग अभी तक जिन्दा हैं उनका इस समय स्वास्थ्य कैसा है तथा क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति में ऐसे संकेत, लक्षण दिखाई देते हैं या प्रयोगशाला की जांच से ऐसा लगता है कि उनके शरीरों ने उक्त प्रत्यारोपण स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेपथोलाजी विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान डायलेसिस डेमंटिया की आशंका वाले कितने रोगियों को देखा गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ग्यारह।

(ख) छह।

(ग) ऐसे एक रोगी में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और प्रयोगशाला की जांच से ऐसा पता चला है कि उसके शरीर ने प्रत्यारोपण स्वीकार नहीं किया है ।

(घ) कोई नहीं ।

राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्राओं के लिए स्कूल की वर्दी

5035. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल की वर्दी नि:शुल्क दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं तथा ऐसी छात्राओं की संख्या कितनी है; और

(ग) उड़ीसा राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

5036. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में कार्यकारी परिषद के 12/13 अगस्त, 1977 के संकल्प तथा 6 अक्तुबर, 1978 के संकल्प संख्या 134 के बाद क्रमश: शिक्षा और गैर-शिक्षण ग्रेडों में कितनी नियुक्तियां, पदोन्नतियां और आवासों का आबंटन किया गया है ;

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण के अन्तर्गत इनमें से अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों की पदोन्नति हुई है/को आवास आबंटित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है तथा इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया; और

(घ) अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश न देने के क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों का तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र लोक सभापटल पर रख दी जाएगी।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियां

5037. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में या राज्यों के विभिन्न नगरों/स्थानों पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कुल परिसम्पत्ति (भूमि व सम्पत्ति) कितनी है;

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रत्येक नगर में बेची गई परिसम्पत्तियों (भूमि तथा सम्पत्ति) का मूल्य क्या है; और

(ग) बिक्री के समय उक्त परिसम्पत्ति (भूमि तथा सम्पत्ति) का बाजार मूल्य क्या था ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परिचालन विभाग के गाड़ी लिपिक का वेतनमान

5038. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन क्लर्कों के पद को; जो भारतीय रेलवे परिचालन विभाग में तृतीय श्रेणी का पद है रेल मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के बराबर माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले क्लर्कों का वेतनमान कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के बराबर निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्रीलंका में शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों की शिकायतें

5039. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका में शरणार्थी-शिविरों में रह रहे भारतीय-मूल के लोगों की शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समय उनकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी हां। मुख्य रूप से वे यह कहते हैं कि उनमें असुरक्षा की भावना बनी हुई है जिसकी वजह से वे कैम्पों से जा नहीं सकते। सबसे पहले उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने की आवश्यकता है जिससे वे कैंपों के बाहर शांति से रह सकें।

(ग) सरकार का विश्वास है कि श्रीलंका में एक व्यावहारिक राजनीतिक समाधान से सुरक्षा और शांति की स्थिति कायम हो सकेगी। कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से सहायता भिजवाई है भारत सरकार और भारतीय रैड-क्रास द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बैठती है।

विकलांग व्यक्तियों को कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार लाभ

5040. **श्री मोहनलाल पटेल** :

श्री जेवियर अराकल : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग व्यक्तियों को क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाई गई प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध लाभों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615-83]

(ख) पर्याप्त लाभों को अनुबन्ध 2 से 4 के रूप में विवरणों में दर्शाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7615/83]

केन्द्रीय सड़क अनुवान संस्थान द्वारा भारतीय सड़कों पर सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन किया जाना

5041. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** :

श्री सूरजभान : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारतीय सड़कों को सीधा बनाने और सड़कों की सतह को समतल करने से ईंधन की खपत और वाहनों के टूट-फूट पर हो रहे व्यय में 15.00 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है और

उसमें यह भी बताया गया है कि भारत में सड़कों पर यातायात की स्थिति इतनी खराब है कि लगभग 25,000 लोग प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जो प्रति 10,000 वाहनों के लिए लगभग 62 मौतें होती हैं और यह विश्व में अधिकतम मृत्यु दर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) चालू वर्ष 1983-84 में इस संबंध में क्या कार्य किया जा रहा है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित रोड यूजर कास्ट एंड स्टडी नामक अनुसंधान परियोजना के अनुसार सड़क के फर्श में सुधार करने और सड़क उसको चौड़ा करने और के मोड़ों में सुधार करने पर गाड़ियों के परिचालन में ईंधन की खपत में काफी बचत की जा सकती है। तथापि उक्त रिपोर्ट में इससे होने वाली बचत की सही-सही मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह सच है देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 25000 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में जानें जाती हैं जिसकी दर विश्व में अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ऊंची है।

(ख) और (ग) इस अध्ययन के परिणामों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

5042. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने एक केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पर विचार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विश्व हिन्दी विद्यापीठ एक स्वैच्छिक हिन्दी संगठन है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वधा के तत्वावधान में पहले से ही कार्य कर रही है। उस के ब्यौरों की जांच करने के लिए इस मंत्रालय में एक उप-समिति गठित की गई है। इस उप-समिति की सिफारिश पर इस विद्यापीठ के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को 40 हजार रुपए का एक तदर्थ अनुदान भी दिया गया है।

पति को प्रसूति छुट्टी स्वीकृत करना

5043. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पत्नी के प्रसूति काल के दौरान उसके पति को भी छुट्टी स्वीकृत करने

के बारे में विचार करेगी जिससे कि वह पत्नी के काम में और घर के कामकाज में हिस्सा बांट सके जिससे महिलाओं पर काम का बोझ कम हो;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वीडन जैसे देशों की सरकार और गैर-सरकारी नियोजकों ने बच्चे का जन्म होने पर पति को छुट्टी स्वीकृत करके महिलाओं के उत्तरदायित्व को कम करने में पहल की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल स्तर की शिक्षा

5044. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्तर की शिक्षा उससे की गई अपेक्षाओं और कोठारी आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप परिणाम देने से असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) स्कूल स्तर की शिक्षा के मामले में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शिक्षा आयोग ने स्कूल शिक्षा की कोटि के सुधार तथा इसके पुनर्गठन के लिए कई सिफारिशें कीं। स्कूल शिक्षा की एक समान पद्धति अपनाना, पाठ्यचर्या सुधार, कोटि पाठ्यपुस्तकों तथा अध्यापन सामग्री की व्यवस्था, कक्षा दस तक विज्ञान तथा गणित की शिक्षा, +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने से सम्बन्धित आयोग की मुख्य सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं। अधिकांश राज्यों ने शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपना लिया है। कुछेक राज्यों ने जिनमें यह पद्धति अभी अपनाई जानी है भी 10+2 की पद्धति अपनाने का निर्णय तय कर लिया है। छात्रों के लिए कक्षा दस तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य बनाने के अतिरिक्त इन विषयों तथा अन्य विषयों······के पाठ्य-विवरण को पर्याप्त रूप से स्तरोन्नत किया गया है। कई राज्यों ने +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

(ख) कुछ राज्यों में इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी होने के मुख्य कारण वित्तीय स्रोतों की कमी, व्यावसायिक विषयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक सामग्री और सुविधाओं और अपर्याप्त उपलब्धता हैं।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद ने मॉडल पाठ्यविवरण विकसित किए हैं और 10 वर्षीय हाई स्कूल के सभी विषयों में सभी कक्षाओं के लिए तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक विषयों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। इसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आयोजित किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने में राज्य सरकारों की सहायता की है। इसने कुछ व्यावसायिक विषयों में पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं और मूल्यांकन की आधुनिक पद्धतियों में अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है और परीक्षा की अच्छी पद्धतियां विकसित की हैं।

राष्ट्रमन्डल शासनाध्क्षों के सम्मेलन के दौरान दौरे पर आए नेताओं के साथ विदेश मन्त्री की बातचीत

5045. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय ने हाल ही में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में आने वाले अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से विदेश मंत्रियों ने अपने देश के शिष्टमण्डलों के साथ उसमें भाग लिया था; और

(ग) उक्त विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। विदेश मन्त्री ने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की हाल ही की बैठक के दौरान सम्मेलन में और इसके द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों और अन्य अनेक समारोहों में भी राष्ट्रमंडल के देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की।

(ख) इस सम्मेलन के लिए अपने देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाले विदेश मंत्री थे :—श्री लेस्टर बर्ड (एन्टीगुआ और बारबुडा), श्री ए० आर० शमसुद्दोहा (बंगलादेश), श्री एल० आर० तुल्ल (बारबाडोस), श्री ए० एस० मोगावे (बोत्सवाना), श्री जाफरी होव (ब्रिटेन), जार्ज आईकोवो (साइप्रस), श्री एम० कीओनीबेरावी (फीजी), श्री एल० के० जबेंग (गाम्बिया), श्री आर० ई० जैक्सन (गुयाना), श्री एच० शेयरर (जमैका), ई० डब्लयू० म्वेइंगाले (कीनिया), श्री इ० आर० सेखोनयान (लेसोथो), श्री गेजेली सेफाई (मलयेशिया), श्री ए० एस० त्रिगोत (माल्टा), श्री ए० के० ग्यान (मारीशस), श्री इ० सी० एन्वाक्यू (नाइजीरिया), श्री के० ए० सीमोंडे (सैंट क्रिस्टोफर एवं नेविस, प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री), श्री मैग्जिम फैरारी (सेशल्स), श्री ए० कोंटे (सियरालोन), श्री एस० धनबालान (सिंगापुर), श्री डी० एल० लुलेई (सोलोमन द्वीप), श्री ए० सी० एस० हमीद (श्रीलंका), श्री आर० वी० डलामिनी (स्वाजीलैंड), श्री एस० ए० सलीम (तन्जानिया), युवराज तुपोतोआ (टोंगा), श्री वसील इन्स (ट्रिनिडाड और

टोबागो), श्री ए० पी० ओवीनी (उगांडा), श्री एल० के० एच० गोम (जाम्बिया) और डब्ल्यू० एम० मांगवेन्दे (जिम्बावे)।

इनकी बातचीत मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर और विशेष रूप से ऐसे मुद्दों पर हुई जिनमें राष्ट्रमंडल एक समूह के रूप में और इसके सदस्य देश अलग-अलग कोई सार्थक योगदान दे सकें। सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के सवाल पर भी विचार-विमर्श हुआ।

(ग) विभिन्न स्तरों पर हुई इस बातचीत का निष्कर्ष चोगम की बैठक के अन्त में प्रकाशित विभिन्न दस्तावेजों में देखा जा सकता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित थे : अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गोआ घोषणा, आर्थिक कार्यवाही पर नई दिल्ली वक्तव्य, अन्तिम विज्ञप्ति और कार्यात्मक सहयोग सम्बन्धी वक्तव्य।

राज्य-वार दी गई प्रौढ़ शिक्षा

5046. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष राज्य-वार कितने लोगों को प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की गई है;

(ख) आगामी वर्ष में आयोजित की जाने वाली प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम में ढील के क्या कारण हैं और इसमें तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1982-83 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य वार शामिल व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला **विवरण संलग्न** है।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं (केंद्रीय प्रायोजित योजना), राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र), स्वैच्छिक संगठनों, नेहरू युवक केन्द्रों और विश्वविद्यालयों/कालेजों के अन्तर्गत आयोजित किए जाते हैं, जिनके साक्षरता, कार्यात्मकता और जागरुकता प्रमुख संघटक हैं।

(ग) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षरों के दाखिले में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 1982-83 के दौरान 43.57 लाख के वास्तविक दाखिले के मुकाबले 1983-84 के लिए 52.60 लाख प्रौढ़ निरक्षरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई ढील नहीं रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पुरुष	महिलाएं	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	192936	81099	274035
2.	असम	39699	37471	77170
3.	बिहार	461333	247100	708433
4.	गुजरात	131323	77376	208699
5.	हरियाणा	53010	64433	117443
6.	हिमाचल प्रदेश	8894	13202	22096
7.	जम्मू और काश्मीर	26523	39120	65643
8.	कर्नाटक	138368	80263	218631
9.	केरल	29443	61702	91145
10.	मध्य प्रदेश	333005	173952	506957
11.	महाराष्ट्र	174964	146149	321113
12.	मणिपुर	3691	3279	6970
13.	मेघालय	9992	5753	15745
14.	नागालैंड	9381	7765	17146
15.	उड़ीसा	98549	44401	142950
16.	पंजाब	27820	47508	75328
17.	राजस्थान	196851	72377	269228
18.	सिक्किम	7358	4389	11747
19.	तमिलनाडु	130502	234387	364389
20.	त्रिपुरा	18957	17439	36396
21.	उत्तर प्रदेश	228644	144397	373041
22.	पश्चिम बंगाल	217457	119862	337319
23.	अंडमान तथा निकोबार	1948	2004	3952
24.	अरुणाचल प्रदेश	10133	6170	16303
25.	चंडीगढ़	2077	3684	5761

1	2	3	4	5
26.	दादरा तथा नागर हवेली	1744	481	2225
27.	दिल्ली	9341	30415	39756
28.	गोआ, दमन तथा दीव	396	1077	1473
29.	लक्षद्वीप	389	759	1148
30.	मिजोरम	4226	3162	7388
31.	पांडिचेरी	7930	8885	16815
	कुल जोड़	2576884	1780061	4356945

स्रोत : मार्च 1983 के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त अनुश्रवण विवरणियों पर आधारित त्रैमासिक रिपोर्ट।

सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी संख्या 55-ए, नारायणा में आपातकालीन प्रयोगशाला विशेष की व्यवस्था

5047. **श्री मनवर अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी संख्या 55-ए में इस समय आपातकालीन प्रयोगशाला विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं है और लाभ ग्राहियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस डिस्पेंसरी में ये सेवाएं कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, नारायणा के अन्तर्गत आने वाले इस योजना के जिन लाभार्थियों को प्रयोगशाला सम्बन्धी सेवाओं की जरूरत होती है उन्हें राजौरी गार्डन औषधालय में भेजा जाता है तथा जिन्हें विशेषज्ञ सम्बन्धी सेवाओं की जरूरत होती है उन्हें पूसा रोड स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पोलिक्लीनिल से संबद्ध प्रयोगशाला में भेजा जाता है क्योंकि प्रत्येक औषधालय में प्रयोगशाला खोलना किफायती नहीं है। केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना औषधालय, नारायणा में प्रयोगशाला-विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

परिचालन और वाणिज्यक शाखाओं में समन्वयकर्ता विभागाध्यक्ष

5048. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे जोनों में परिचालन और वाणिज्यिक शाखाओं में

सभी समन्वयकर्ता विभागाध्यक्ष वरिष्ठतम अधिकारी नहीं हैं, जबकि सभी अन्य शाखाओं के समन्वय-कर्ता बिभागाध्यक्ष वरिष्ठतम अधिकारी हैं; और

(ख) इस मतभेद के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) समन्वयकर्त्ता विभागाध्यक्ष समन्वय सम्बन्धी कार्य करते हैं और उनकी तैनाती में प्रवरण का तत्व रहता है। ऐसी तैनाती करते समय वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जाता है किन्तु ऐसा नियम नहीं है कि समन्वयकर्त्ता विभागाध्यक्ष के रूप में केवल वरिष्ठ अधिकारी का ही प्रवरण किया जाए। समन्वयकर्ता विभागाध्यक्षों को कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं मिलता ।

दिल्ली के कालेजों में प्रबन्ध समितियों की स्थापना

5049. **श्री धर्मदास शास्त्री : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न कालेजों में कितनी प्रबन्ध समितियां स्थापित की गई हैं और उन का जों के नाम क्या हैं जिनमें प्रबन्ध समितियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) शासकीय निकायों के सदस्यों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन समितियों के नामांकित सदश्य उक्त कालेज की समितियों की सभी बैठकों में भाग लेते हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 43 कालेजों के सम्बन्ध में शासीनिकाय गठित किए जा चुके हैं। शासीनिकायों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का है। इन 43 कालेजों के शासीनिकायों के सदस्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7617/83]

(ग) प्रत्येक कालेज के शासी निकाय के सदस्यों द्वारा उपस्थिति का रिकार्ड केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता और यह उपलब्ध नहीं है।

देश में छूत की बीमारियों का फैलना

5050. **श्री रामलाल राही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षय रोग और मलेरिया के अतिरिक्त कुछ छूत की बीमारियां भी देश के विभिन्न भागों में फैल गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उनको रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : (क)

से (ग) देश में स्थानिकमारी संक्रमण की कई बीमारियां हैं परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि संक्रमण की कोई नई बीमारी फैल गई है अथवा स्थानिकमारी ज्ञात बीमारियों की घटनाएं बढ़ रही हैं।

कल्याण गृह खोलना

5051. **श्री जगपाल सिंह :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपेक्षित अपराधी, बेसहारा और अनाथ पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए देश में कुल कितने कल्याण गृह हैं;

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में इन कल्याण गृहों में कितने पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां लाई गई तथा कितनों को उनके परिवार को सौंप दिया गया, कितनों के विवाह हो गए हैं और कितने आत्म-निर्भर बनने पर अपनी इच्छा से चले गए हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके विवाह हो गए थे परन्तु उनके पति द्वारा उन्हें छोड़ देने के बाद में पुनः कल्याण गृह में आ गई और यदि हां, तो उनकी राज्य-वार सूची क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

कश्मीर के निवासियों के लिए वीसा पर प्रतिबन्ध

5052. **श्री अब्दुश रशीद काबुली :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले अनेक कश्मीरियों को जम्मू और कश्मीर में रह रहे अपने सम्बन्धियों से मिलने हेतु वीसा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, और उस देश में रह रहे अपने सम्बन्धियों से मिलने हेतु पाकिस्तान का वीसा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की भी यही शिकायत है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कैसी कार्यवाही व्यवस्था है और अपने सम्बन्धियों को देखने के इच्छुक लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए पाकिस्तान सरकार के सहयोग से क्या व्यवस्था की गई है क्योंकि मूल रूप से यह एक मानवीय समस्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार भारत आने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा जारी करने के मामले में काफी उदार रही है। और जिस दिन आवेदन-पत्र पाकिस्तान स्थित हमारे मिशनों में प्राप्त होते हैं आमतौर पर वीजा उसी दिन जारी कर दिए जाते हैं। जम्मू और काश्मीर जाने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के मामले में, वीजा आवेदन-पत्रों पर राज्य सरकार के परामर्श से तत्काल कार्रवाई की जाती है।

पाकिस्तानी वीजा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में, सरकार को विलम्ब और अन्य कठिनाइयों की शिकायतों की जानकारी है। इन्हें पाकिस्तानी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

सहारनपुर इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी में कन्डक्टर व परिचारक

5053. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर-इलाहाबाद पैसेन्जर गाड़ी के थ्री-टीयर, टू-टीयर और प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में कन्डक्टर व परिचारक नियुक्त किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनके बीच उसे तैनात किया जाता है; और

(ग) उसे शेष स्टेशनों के लिए तैनात न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 351 अप/352 डाउन इलाहाबाद-सहारनपुर सवारी गाड़ी के दो टीयर तथा तीन टीयर शयनयानों में बरेली और इलाहाबाद के बीच चल टिकट परीक्षक रहते हैं। पहले दर्जे के डिब्बे में बरेली और लखनऊ के बीच सवारी डिब्बा परिचर होते हैं। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच इन गाड़ियों के पहले दर्जे के डिब्बे की देखभाल एक वरिष्ठ टिकट परीक्षक द्वारा तथा दूसरे दर्जे के शयनयानों की देखभाल दो चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाती है। इन गाड़ियों में सहारनपुर और बरेली के बीच शयनयानों तथा पहले दर्जे के डिब्बे में फिलहाल चल टिकट परीक्षक तथा डिब्बा परिचर नहीं लगाए गए हैं।

शाहबाजपुर, बिहार में पाई गई प्रागैतिहासिक काल की वस्तुएं

5054. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुर्णिया जिला (बिहार) के फारबेस-गंज थाने के अन्तर्गत शाहबाजपुर गांव में संस्कृत कालेज के परिसर के भीतर प्रागैतिहासिक काल की कुछ वस्तुएं पाई गई हैं; जिन पर कुछ शब्द अंकित हैं उन्हें भारत सरकार का शिक्षा/पुरातत्व विभाग अध्ययन के लिए ले गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये वस्तुएं पृथ्वी की ऊपरि सतह पर पाई गई थी और जो अधिकारी उस स्थान पर गए थे, उन्होंने उन वस्तुओं को कब्जे में ले लिया और आश्वासन दिया कि अध्ययन के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु उस स्थान की खुदाई की जाएगी तथा अंकित शब्दों का निर्वचन किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार अध्ययन के प्रयोजन से उस स्थान की खुदाई करवाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और कब्जे में ली गई शब्दांकित वस्तुओं के किए गए अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) प्रधानाचार्य, शासकीय उच्चतर संस्कृत विद्यालय, शाहबाजपुर, जिला पूर्णिया बिहार को स्कूल के अहाते में एक अभिलेखहीन पटिया और काले पत्थर की टूटी हुई एक मूर्ति प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है। ये वस्तुएं स्कूल के प्राधिकारियों के पास हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी भी अधिकारी ने न तो कोई समान एकत्र किया है और न अध्ययन के लिए लिया है।

(ख) पुरातत्व और संग्रहालय के राजकीय निदेशालय के पंजीकरण अधिकारी, भागलपुर ने इस स्थल का निरीक्षण किया है और किसी भी प्रागैतिहासिक अभिलिखित पुरातत्वीय सामग्री की खोज के बारे में रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) और (घ) किसी विशिष्ट पुरातत्वीय समस्या के हल होने की सम्भावना न होने के कारण पुरातत्व सर्वेक्षण का उस स्थल पर उत्खनन कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वे राज्य जहां "इन्टर्न्स को एक वर्ष के लिए "हाऊस स्टाफ" का कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है

5055. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां इन्टर्न्स को अपनी "इन्टर्नशिप" पूरी करने के पश्चात् "हाऊस स्टाफ सर्जन" के रूप में एक वर्ष के लिए कार्य करने का कारण प्राप्त होता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए लेखा अधिकारी के पदों में आरक्षण

5056. **श्री राम प्यारे पनिका**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में वर्ष 1977-78 से अब तक रेलवे वार और उत्पादन यूनिट वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सहायक लेखा अधिकारी के कितने पद अनारक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या इसका कारण विचारार्थ सीमा और पाता के क्षेत्र को विनिमित करने वाले, रेल मंत्रालय के दिनांक 31 अगस्त, 1978 के पत्र सं० ई० (जी० पी०)/74/2/20 तथा दिनांक 9 अप्रैल 1981 के पत्र संख्या ई० जी० पी० 81/1/18 को लागू किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्होंने रेलवे के लेखा विभाग के ग्रुप 'बी' के पदों पर अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को पर्याप्त 'प्रतिनिधित्व देने हेतु' नियमों को उदार बनाने के लिए गृह मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय से कहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन यूनिटों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

निर्गुट सम्मेलन के दौरान डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दवाईयों की खरीद में घटोला

5057. **श्री आनन्द सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत निर्गुट सम्मेलल को देखते हुए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दवाईयों की खरीद पर बहुत बड़ी धन-राशि खर्च की गई थी;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या चिकित्सा उपकरणों की खरीद सहित उपर्युक्त खरीद में की गई कुछ अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हाल ही के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जो दवाइयां खरीदी वे 68,000 रुपए की मंजूर राशि से अधिक नहीं थी ।

(ग) और (घ) गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुई कुछेक अनियमितताओं के मामले की सरकार जांच कर रही है ।

केरल राज्य में कार्य कर रहे 10,000 जाली चिकित्सक

5058. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1983 में "स्टेट्समैन" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि केरल राज्य में 10,000 से अधिक जाली चिकित्सक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या देश के कुछ अन्य राज्यों में भी जाली चिकित्सक का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) समूचे देश में जाली चिकित्सकों को कार्य करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) से (घ) अनर्ह मैडिकल प्रैक्टीशनरों द्वारा चिकित्सा कार्य किए जाने के मामले समय-समय पर ध्यान में आए हैं। ऐसे प्रैक्टीशनरों की संख्या के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम, 1973 में पहले से ही इस आशय की दाण्डिक व्यवस्था है कि राज्य मैडिकल रजिस्टर में दर्ज मैडिकल प्रैक्टीशनरों के सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में मैडिकल प्रैक्टिस नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति इस उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो उसे एक वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी या उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा या उसे कैद और जुर्माना दोनों किए जाएंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इस दाण्डिक व्यवस्था को लागू करें और सुनिश्चित करें कि प्रैक्टिशनरों के समूह में अनर्ह व्यक्तियों की संख्या किसी भी हालत में और बढ़ने न पाए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्कूल पाठ्य पुस्तकें

5059. **श्री तारिक अनवर**: क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष के अक्तूबर, माह के अन्त तक एन० सी० आई० आर० टी० ने कक्षा सात के लिए रेखागणित की पुस्तकें वितरित नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य कक्षाओं के लिए भी एन० सी० ई० आर० टी० की पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इन पुस्तकों के उपलब्ध होने के कारण छात्रों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों की सप्लाई के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रबन्ध किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा I से VIII तक के लिए अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों की बिक्री तथा संवितरण नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के सेल्स एम्पोरियम, प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया जाता है। 1983-94 के लिए सभी अपेक्षित पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1983 की समाप्ति से पूर्व उपलब्ध करा दी गई है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी

5060. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान यह आग्रह किया गया था कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को हिन्दी को अपने कामकाज की एक भाषा के रूप में अपनाना चाहिए ;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई पहल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) तीसरे विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सम्मेलन के दौरान एक विदेशी अध्येता द्वारा इस आशय का सुझाव दिया गया था कि निर्गुट सम्मेलन के लिए हिन्दी को एक कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। तथापि इस प्रश्न पर कोई वाद-विवाद और विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की गई थी फिर भी इसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में एक आयाम समझा गया है और इसलिए सम्मेलन ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया कि हिन्दी को एक अन्तराष्ट्रीय भाषा बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

निर्गुट आन्दोलन के लिए अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनी चार सहकारी कार्यकारी भाषाएं हैं। इस आन्दोलन के लिए एक कार्यकारी सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी के दर्जे से काफी हद तक आन्तरिक रूप से जुड़ा हुआ है।

उत्तर रेलवे संघ, फैजाबाद, के शाखा सचिव की हत्या

5061. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, फैजाबाद के शाखा सचिव की 27 अगस्त, 1983 को फैजाबाद में गुंडों द्वारा हत्या करदी गई थी ;

(ख) क्या इसके कारण कर्मचारियों ने उसी समय ही हड़ताल कर दी थी और इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी ;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) क्या हड़ताल करने वालों में से किसी कर्मचारी को बरखास्त किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। 8-8-83 को नादर्न रेलवे मेन्स यूनियन, फैजाबाद के शाखा सचिव पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी थी।

(ख) इस घटना के दिन या उसके अगले दिन स्वतः कोई हड़ताल नहीं हुई, लेकिन कुछ रेल कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों ने इस घटना के कथित विरोध में रेलवे के कार्य-संचालन में रुकावट डाली थी।

(ग) 2 व्यक्ति पुलिस द्वारा बन्दी बनाए गए एवं 5 व्यक्तियों ने अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। उनका चालान कर दिया गया है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अदालत में उन पर मुकदमा चलेगा।

(घ) इस घटना के सिलसिले में 4 कर्मचारियों को पहले बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन अब उन्हें फिर से बहाल कर लिया गया है।

स्टेशनों में मिलावटी वातित पेय

5062. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 12 सितम्बर, 1983 के स्टेट्समैन, कलकत्ता से प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि स्टेशनों में मिलावटी वातित पेय का धंधा पनप रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) सभी विभागीय स्थैतिक और चल खान-पान यूनिटों को प्रमाणिक निर्माताओं से वातित जल की सीधे आपूर्ति की जाती है और मिलावटी वातित जल की बिक्री के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खानपान/वेंडिंग ठेकेदारों द्वारा दिए जाने वाले वातित जल की किस्म पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली इस प्रकार की मदों पर काबू पाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों के विशिष्ट स्थानों पर अनधिकृत फेरीवालों से खाद्य सामग्री न खरीदने के लिए यात्रियों को चेतावनी देने से सम्बन्धित उपयुक्त सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं।

राजकुमारी अमृतकौर कालेज आफ नर्सिंग की सेवा शर्तें

5063. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकुमारी अमृतकौर कालेज ऑफ नर्सिंग के अध्यापकों की सेवा शर्तें, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों के अध्यापकों के समान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों से भिन्न, राजकुमारी अमृतकौर कालेज आफ नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसलिए इस कालेज के अध्यापकों की सेवा शर्तें वही हैं जो उसी स्तर और पद के अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति

5064. **श्री बाजूबन आर० खारलुखी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शिलांग में पूर्वोतर पर्वतीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के सम्बन्ध में अनियमितताओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आदिवासी छात्रों के साथ, उनके शैक्षिक हितों को पूर्ण संरक्षण न दिए जाने की हद तक, किये गए अनुचित व्यवहार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लेक्चररों के 20 प्रतिशत पद जनजातीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। नियुक्ति के मामले अर्हक जनजातीय उम्मीदवारों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

जहां तक दाखिलों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाये जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में 40% स्थान जनजातीय छात्रों के लिए आरक्षित हैं । वास्तव में, विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में दाखिल 60% से भी अधिक छात्र अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं ।

विश्व सूचना और संचार व्यवस्था का अमरीका द्वारा विरोध

5065. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने "यूनेस्को' द्वारा विश्व सूचना और संचार व्यवस्था के प्रवर्धन के प्रस्ताव का विरोध किया है और धमकी दी है कि यदि उपर्युक्त संगठन यह कार्यक्रम प्रारम्भ करेगा, तो वह उसे सहायता देना बन्द कर देगा;

(ख) यदि हां, तो निर्गुट आन्दोलन और भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था को संस्थित करने के लिए भारत सरकार ने यदि कोई कदम उठाए हैं, तो क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में पेरिस में सम्पन्न हुए यूनेस्को सम्बन्धी 22वें महासम्मेलन के प्रारम्भिक चरणों में अमरीकी प्रतिनिधि मंडल ने नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के संवर्धन में यूनेस्को के शामिल होने का विरोध किया था और यह धमकी दी थी कि यूनेस्को में अपनी साझीदारी पर अमरीकी सरकार को पुन: विचार करना होगा, विशेषकर उनको जो दूर-संचार से सम्बन्धित की हैं। लेकिन काफी लम्बे विचार विमर्श और सलाह मशविरे के बाद यूनेस्को महासम्मेलन ने आम सहमति से इस विषय पर एक संकल्प स्वीकार किया। अमरीका इस सर्वसम्मत संकल्प का एक पक्षकार है।

(ख) चूंकि अमरीका अन्तत: यूनेस्को सर्वसम्मत संकल्प का एक पक्षकार बन गया था इसलिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन/भारत सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता। नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था के औचित्य एवं उसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विचार राजनीतिक घोषणा के पैरा 22 और 173 में दिए गए हैं जिसे सातवें शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया गया था।

(ग) गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों की पहली बैठक 1976 में भारत में आयोजित की गई थी और यह हमारी पहल का ही परिणाम था कि कोलम्बो में सम्पन्न हुए पांचवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। भारत गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल और गुटनिरपेक्ष देशों के प्रसारण संगठनों का एक सक्रिय भागीदार है। सूचना एवं समाचार माध्यमों के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा स्थापित अंतर सरकारी परिषद् में भी भारत कार्यशील है। इसके अलावा विकास संचार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना के लिए भी भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसे अक्तूबर 1980 में यूनेस्को के तत्वाधान में बनाया गया था। भारत आई० पी० डी० सी० की शासी परिषद् का भी सदस्य है और श्री जी० पार्थसारथी ने इसकी स्थापना के समय से ही उपाध्यक्ष के रूप इसकी सेवा की है। आई० पी० डी० सी० में भारत का अपना वित्तीय योगदान 100,000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष रहा है। सितम्बर 1983 में आई० पी० डी० सी० की शासी परिषद् की ताशकंद में हुई पिछली बैठक में यह फैसला किया गया था कि आई० पी० डी० सी० की सहायता ऐसी विभिन्न परियोजनाओं को भी दी जाए जिनमें द्विपक्षीय रूप से तथा पूल के एक सदस्य के रूप में भारत की दिलचस्पी है।

महिलाओं के सम्बन्ध में पोषण और विकास केन्द्र सम्बन्धी सेमीनार

5066. **डा० कृपासिन्धु मोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के सम्बन्ध में पोषण और विकास की ओर ध्यान देने के बारे में दिल्ली में हुए सेमीनार ने ग्रामीण उन्मुख कार्यक्रमों के लिए कोई सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) अक्तूबर 1983 के दौरान दिल्ली में "पोषण और विकास" पर एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें व्यापक सिफारिशें की गई थीं। इनमें से कुछ ग्रामीण महिलाओं को भी कबर करती हैं।

इस संगोष्ठी में सुझाये गए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ग्रामोन्मुख कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में पहले से ही मौजूद हैं।

होटल प्रबन्ध में छात्रवृत्तियां

5067. **श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में होटल प्रबन्ध में अध्ययन के लिए कितने छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां दी गई थीं;

(ख) उनमें से कितनी छात्रवृत्तियां मद्रास इंस्टीट्यूट के छात्रों को दी गई हैं;

(ग) किन-किन देशों ने विदेशों में होटल प्रबन्ध में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रवृत्तियां दी हैं; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने की कोशिश करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) निम्नलिखित देश होटल प्रबन्ध में छात्रवृतियां प्रदान करते हैं: आस्ट्रिया, इटली, साईप्रस और स्विटजरलैंड।

पिछले 3 वर्षों के दौरान हमने विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 37 छात्रों को नामजद किया था। जिनमें से सम्बन्धित दाता सरकारों ने अंतिम रूप से 4 छात्रों का चयन किया। 1982-83 के दौरान मंत्रालय ने मद्रास संस्थान के एक छात्र को भी नामजद किया था, परन्तु दाता सरकार ने अंतिम रूप से उसको नहीं चुना।

दाता सरकारों से छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इनको सम्पूर्ण देश के प्रमुख समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित किया जाता है और विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। इन छात्र-वृत्तियों का कोई संस्था-वार आबंटन नहीं किया जाता।

क्योंकि होटल प्रबन्ध में छात्रवृत्तियों के अधिकांश प्रस्ताव अनिर्दिष्ट तथा दाता देशों में विदेशी राष्ट्रिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार की छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न उठाना उपयुक्त नहीं है।

दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क

5068. **श्री सी० पलानीअप्पन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क का संकायों और पंजीकृत किए जाने वाले छात्रों की अमानित संख्या के सम्बन्ध में छठी योजना का प्राकलन क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कूल से कितने छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने एम० फिल और पी० एच० डी० स्कालरों ने इस स्कूल में अपना शोध कार्य पूरा किया;

(घ) संकाय के सदस्यों, उनकी शैक्षिक योग्यताओं और उनके वर्तमान पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्कूल के प्रत्येक संकाय सदस्य के आधीन इस समय कितने शोध स्कालर पंजीकृत हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) छठी पयोजना की अवधि के अंत तक सामाजिक कार्य विभाग के संकायों की अनुमानित संख्या 18 है और वार्षिक दाखिले लगभग 65 हैं।

(ख) 118

(ग)

	एम०फिल	पी० एच० डी०
1981	1	2
1982	3	शून्य
1983	3	शून्य

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) इस समय पंजीकृत अनुसंधान अध्येताओं की कुल संख्या 7 है, जिनमें से 3 प्रोफेसर के साथ और दो-दो प्रत्येक दो रीडरों के साथ हैं।

विवरण

सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

क्रमांक	नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यताएं
1	2	3	4
1.	प्रोफे० एस० एन० रानाडे	प्रोफेसर	एम० ए० (इतिहास) इलाहाबाद विश्वविद्यालय डिप्लोमा : एस० एस० ए० टाटा संस्थान एम० ए० (सामाजिक कार्य) कोलम्बिया विश्वविद्यालय, यू० एस० ए० ।

1	2	3	4
2.	डा० के० डी० गंग्रेड	विभागाध्यक्ष	एम० ए० (अर्थशास्त्र) आगरा डिप्लोमा एस० एस० ए० टाटा संस्थान एम० एस० डब्ल्यू० मिचिगन विश्वविद्यालय यू० एस० ए०, पी० एच० डी० दिल्ली विश्वविद्यालय ।
3.	डा० एस० एच० पाठक	रीडर	एम० ए० (अर्थशास्त्र) लखनऊ विश्वविद्यालय, डिप्लोमा एस० एस० ए० टाटा संस्थान, एम० ए० (सामाजिक कार्य), इंडियाना विश्वविद्यालय, यू० एस० ए० ।
4.	श्री पी० एल० गोविल	रीडर	एम० ए० (अर्थशास्त्र), पंजाब विश्वविद्यालय, डिप्लोमा एस० एस० ए० टाटा संस्थान ।
5.	डा० आर० आर० सिंह	रीडर	एम० ए० (सामाजिक कार्य) काशी विद्यापीठ, वाराणसी, प्रमाण पत्र एस० डब्यू० (चिकागो) यू० एस० ए० पी० एच० डी० उदयपुर विश्वविद्यालय ।
6.	श्री आर० एम० वर्मा	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, एम० डी० पी० ए० भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान प्रमाण पत्र एस० डब्ल्यू० (क्लेवलैंड) यू० एस० ए० ।
7.	श्री कृष्ण कुमार	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य) एल० एल० बी०, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
8.	श्रीमती रत्ना वर्मा	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रमाण पत्र एस० डब्यू० (क्लेवलैंड) यू० एस० ए० ।
9.	डा० टी० एन० किचलु	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य) दिल्ली विश्वविद्यालय, पी० एच० डी० लखनऊ विश्वविद्यालय ।
10.	डा० (श्रीमती) विमला वीराराघवन	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य), एम० ए० (मनोविज्ञान) पी० एच० डी० दिल्ली विश्वविद्यालय (अवकाश पर) ।
11.	श्री राजेन्द्र सिंह	लेक्चरर	एम० ए० (समाज शास्त्र) आगरा विश्वविद्यालय ।
12.	श्रीमती ए० भारद्वाज	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य) दिल्ली विश्वविद्यालय (अवकाश पर) ।
13.	श्री सुषमा बत्रा	लेक्चरर	एम० ए० (सामाजिक कार्य) एम० फिल, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

स्कूल शिक्षकों की आर्थिक मांगों को पूरा न करना

5069. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि शिक्षकों की आर्थिक मांगों को पूरा करने में बिलम्ब होने के कारण प्राथकिक और मिडिल सीनियर स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो स्कूल स्तर की शिक्षा में गिरावट के अन्य कारण क्या हैं ?

शिक्षा और सस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) शिक्षकों की आर्थिक मांगों को पूरा करने में हुए विलम्ब/उन्हें कार्यान्वित न करने के कारण प्राईमरी और मिडिल-सीनियर स्कूली शिक्षा के स्तरों में आई किसी भी प्रकार की गिरावट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। शैक्षिक सुधार चूंकि एक सतत प्रक्रिया है, अतः स्कूली स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर विभिन्न संगठनों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी सामग्रता पर विचार करते हुए, पाठ्यचर्या की संवृद्धि, गुणात्मक पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, शिक्षकों की सक्षमता के उन्नयन तथा मूल्यांकन तकनीकी में सुधार करने के माध्यम से शिक्षा के स्तरों को स्तरोन्नत करने में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा

5070. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, बच्चों में अन्धेपन को रोकने के लिए विटामिन ए के वितरण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहन शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी;

(ख) क्या अनेक प्रकार की विकलांगताओं को रोकने के लिए प्रस्ताव में पूर्व और पश्चात् मेडिकल और पेरा-मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं और प्रतिरक्षण का प्रसार किया जाना था ;

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने और उसके उपचार के लिए कानूनी ढांचा और उनके विरुद्ध बीमा भी उपलब्ध कराया जाना था ;

(घ) क्या व्यवसायों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सुरक्षा विनियम बनाए जाने थे और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) सरकार देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुलभ करने के काम को उच्च प्राथमिकता देती है। पहली अप्रैल,

1983 की स्थिति के अनुसार, देश में 5953 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3182 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 65643 उपकेन्द्र कार्य कर रहे थे। स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न तरीके लागू किए जा रहे थे। जिनमें रोग रोधी तथा स्वास्थ्य वर्धक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था। पहली अप्रैल, 1983 की स्थिति के अनुसार देश में 2.5 लाख स्वास्थ्य गाइड कार्य कर रहे हैं जिनका एक प्रमुख कार्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना है। पहली अप्रैल, 1983 की स्थिति के अनुसार देश में 4.45 लाख दाईयां भी काम कर रही हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद भी देख रेख करना है।

सरकार गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाने तथा बच्चों को डी० पी० टी०, डी० टी०, पोलियों, विटामिन "ए" की कमी तथा टायफायड से बचाने के लिए रोग प्रतिरक्षण का एक विस्तारित कार्यक्रम चला रही है। देश में वर्ष 1983-84 के दौरान सितम्बर, 1983 तक हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

	(लाखों में)
गर्भवती महिलाओं का टेटनस से बचाव	30.1
बच्चों का डी० पी० टी० से बचाव	37.1
बच्चों का डी० टी० से बचाव	32.6
विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अन्धेपन की रोकथाम (पहली खुराक)	78.3
बच्चों का पोलियों से बचाव	20.0
बच्चों का टायफायड से बचाव	14.0

सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं, विजली से होने वाली दुर्घटनाओं, शस्त्रों से होने वाली दुघनाओं, खानों में होने वाली दुर्घटनाओं, विस्फोटों, विषपान से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न सुरक्षा कानून बना रखे हैं। सभी जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज अस्पतालों में आपाती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बीमा योजना केवल कुछेक विशिष्ट कानूनों जैसे मोटर वाहन अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम आदि के आधीन कुछ शर्तों पर लागू होती है।

खुरदा रोड मंडल में तैनात अधिकारी

5071. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा रोड मंडल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विभिन्न हैसियतों में दस वर्ष से अधिक समय से वहां तैनात हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रेल नियमों में इसकी अनुज्ञा है क्योंकि इससे निहित स्वार्थों और भ्रष्टाचार को वढ़ावा मिलता है; और

(ग) प्रशासन में ऐसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्तमान आदेशों में रेलों पर किसी भी पद के लिए सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है लेकिन एक मंडल पर तैनाती अवधि के लिए कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की गयी हैं।

(ग) ऐसे आदेश पहले से मौजूद हैं कि चार वर्ष तक एक पद पर बने रहने के बाद अधिकारियों का सामान्यत: स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए और प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों को कार्यान्वित किया गया है।

समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा समेकित शिशु विकास कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

5072. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम, समेकित शिशु विकास कार्यक्रम और महिलाओं के कल्याण और विकास संबंधी योजना के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में उन कार्यक्रमों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और उसका प्रभाव क्या रहा है; और

(ग) तत्संबंधी कार्यों हेतु चालू वर्ष (1983-84) के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7618/83]

सी० जी० एच० एस० औषधालय संख्या 8 चांदनी चौक, दिल्ली में कर्मचारियों और डाक्टरों की स्वीकृत संख्या

5073. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० जी० एच० एस० औषधालय संख्या 8, चांदनी चौक, दिल्ली में कर्मचारियों और डाक्टरों की श्रेणी-वार स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त औषधालय में कर्मचारियों और डाक्टरों की वास्तविक संख्या कितनी है, यदि कर्मचारियों की कमी है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि औषधालय में दवाइयों की कमी है और यदि हां, तो उस औषधालय में सी० जी० एच० एस० लाभार्थियों को पर्याप्त सेवा देने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नं० 8, चांदनी चौक, दिल्ली के कर्मचारियों की स्वीकृत/वास्तविक संख्या का विवरण संलग्न है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की समग्र कमी के कारण इस समय कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एक पद खाली पड़ा हुआ है।

(ग) चांदनी चौक औषधालय सहित कुछेक औषधालयों में कतिपय दवाइयों की अस्थायी कमी पाई गई है। वैसे, आपाती जरूरतों को पूरा करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय नं० 8, चांदनी चौक, दिल्ली के कर्मचारियों और डाक्टरों की स्वीकृत/वास्तविक संख्या का विवरण

पदनाम	स्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या
1. चिकित्सा अधिकारी	5	4
2. फार्मासिस्ट	3	3
3. स्टोरकीपर	1	1
4. लेडी हैल्थ विजिटर	1	1
5. स्टाफ/नर्स	1	1
6. अवर श्रेणी लिपिक	2	2
7. महिला परिचारिका	1	1
8. नर्सिंग परिचर	2	2
9. ड्रेसर	2	2
10. चपड़ासी	1	1
11. चौकीदार	1	1
12. सफाईवाला	2	2

प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आरक्षण देने में कथित भ्रष्टाचार और मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में सीट उपलब्ध कराने में यात्रा टिकट परीक्षकों की चालबाजी

5074. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भाड़े में लगभग 400 करोड़ रुपए की वर्तमान कमी के कारण राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित रेल गाड़ियों और अन्य सुपरफास्ट/मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची के सभी यात्रियों को ले जाना संभव नहीं है और आरक्षण देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है;

(ख) क्या चलती रेल गाड़ियों में यात्रा टिकट परीक्षक अतिरिक्त धनराशि लेकर सीट उपलब्ध कराते हैं ; और

(ग) बुकिंग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और यदि प्रर्याप्त संख्या में यात्री हों तो अतिरिक्त डिब्बे लगाकर प्रतीक्षा सूची के सभी यात्रियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए उनका विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) गर्मी की छुट्टियों, पूजा की छुट्टियों तथा शादियों के मौसम आदि जैसी भीड़-भाड़ की अवधियों को छोड़कर राजधानी एक्सप्रेस सहित अधिकांश सुपर-फास्ट और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए सामान्यतः टिकट खिड़कियों पर आरक्षित स्थान उपलब्ध होते हैं। लेकिन, ऊपर बतायी गई भीड़-भाड़ की अवधियों के दौरान मांग काफी बढ़ जाती है और विशेष गाड़ियां चलाकर वहन-क्षमता बढ़ाने, मौजूदा गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सभी संभव प्रयासों के बावजूद मांगें पूर्ण रूप से पूरी नहीं की जा सकती हैं और प्रतीक्षा-सूची में रखे गये कुछ यात्रियों को स्थान उपलब्ध नहीं पाता है।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा आरक्षण किये जाने वाले कदाचारों का उन्मूलन करने के लिए सतत् प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं :—

(1) रद्द किये गये आरक्षणों के बदले आरक्षण (आर० ए० सी०) प्रदान करने की प्रणाली शुरू की गई है जिसके अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखे गये कुछ वरिष्ठतम यात्रियों के लिए एक विशिष्ट संख्या में प्रारम्भिक स्टेशन पर गाड़ी में बैठने के लिए पुष्ट स्थान की व्यवस्था की जाती है और कोच कंडक्टर/चल टिकट परीक्षक का यह कार्य होता है कि पक्के आरक्षण-प्राप्त

यात्रियों के न आने के कारण रिक्त होने वाली शायिकाएं 'रद्द किए गए आरक्षणों के बदले आरक्षण की सूची' में रखे गए यात्रियों को प्रदान करें। इस प्रणाली से चल टिकट परीक्षकों द्वारा बिना पारी के शायिकाएं आबंटित करने की संभावना वस्तुतः समाप्त हो गई है ।

(2) रेलों के वाणिज्य और सतर्कता संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग आवश्यकतानुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से, आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है ।

(3) यात्रियों द्वारा आरक्षणों के लिए पेश किए गए मांग-पत्रों की कड़ी जांच की जाती है और सन्देहास्पद मामलों में मांग-पत्रों पर दिए गए पतों पर घर-घर जाकर जांच करके अथवा जवाबी पत्र भेजकर कराए गए आरक्षणों की वास्तविकता सत्यापित की जाती है ।

(4) चलती गाड़ियों में गहन जांच की जाती है जिसके दौरान यात्रियों द्वारा आरक्षण मांग- त्रों में दिए गए विवरण को वास्तव में यात्रा कर रहे यात्रियों के विवरण से मिलाया जाता है और हस्तान्तरित किए गए आरक्षणों पर यात्रा करते पाये जाने वाले यात्रियों पर कानून के अनुसार जुर्माना किया जाता है ।

(5) स्थान हथियाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए अग्रिम आरक्षण प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाकर 120 दिन कर दी है क्योंकि अनैतिक तत्व लम्बी अवधि के लिए अपना रुपया फँसना पसंद नहीं करेंगे ।

(6) आरक्षित स्थान के लिए प्रतीक्षा सूचियों के आकार की सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं ताकि प्रतीक्षा-सूचियों में नाम दर्जगी बन्द कर देने से यात्रियों को वाधित होकर धोखा-धड़ी करने वालों के पास जाने की सम्भावना न रहे ।

(7) सामान्यतः सभी मेल/एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों में दूसरे दर्जे के दो अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाए जा रहे हैं ताकि वे यात्री, जिन्हें किसी खास तारीख को अल्प सूचना पर अपरिहार्य रूप से यात्रा करनी पड़े, धोखा-धड़ी करने वालों की दया के बगैर यात्रा कर सकें ।

हावड़ा और स्यूटी के बीच अंदल होकर एक सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करना

5075. **डा० सरदीश राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पूर्व रेलवे में हावड़ा और स्यूटी के बीच अंदल होकर एक सीधी दैनिक रेल सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इसे प्रारम्भ करने में ऐसे असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, अंदल के रास्ते सैंथिया से हावड़ा तक एक गाड़ी सहित कुछ नई गाड़ियां चलाने के लिए अनन्तिम प्रस्ताव तैयार किए गए थे।

(ख) और (ग) पहले, रेलों को आशा थी कि समीक्षा, जिसमें वित्तीय कठिनाईयों और संसाधनों को ध्यान में रखा जाना था, नवम्बर 1983 से नई समय सारणी जारी किए जाने से पूर्व पूरी कर ली जाएगी परन्तु समीक्षा अभी तक की जा रही है और आगे की कार्रवाई इस समीक्षा के पूरा होने पर ही की जाएगी।

मंत्रालय और उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निलंबित कर्मचारी

5076. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** मंत्रालय या उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निलम्बित कर्मचारियों के बारे में 28 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हां।

(ख) आश्वासन पूर्ति का विवरण संसदीय कार्य विभाग को 16-11-1983 को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जा चुका है, साथ ही लोक सभा सचिवालय को भी एक प्रति भेजी गई है। तथापि विवरण की प्रति संलग्न है।

विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

क्र० सं० तारीख और संदर्भ	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5
श्री मनोहर लाल सैनी द्वारा 28-7-83 को पूछा गया लिखित प्रश्न सं० 820	मंत्रालय या उसके अधीनस्थ और संबंध कार्यालयों में विलंबित सरकारी कर्मचारियों की संख्या पूछा गया था :—			
	(क) उनके मंत्रालय या उससे सम्बन्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान आपराधिक आधार के अलावा अन्य आधार पर	(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) 32—जिनमें से 11 को निलंबित किया गया था। इसके विरुद्ध ड्यूटी से लापरवाही, दुर्व्यवहार करना और गैर-कानूनी उपहार प्राप्त करने आदि मामले थे।	

1	2	3	4	5
	निलम्बित हैं अथवा निलम्बित किए गए अथवा जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, अथवा की जा रही है तथा उसके क्या कारण हैं;		(ख) निलम्बन इस प्रकार किया गया : 4 को 1-11-80 को 1 को 9-2-81 को 1 को 11-8-81 को 1 को 29-3-82 को 11 को 18-8-82 को 1 को 14-7-83 को 1 को अक्टूबर, 1981 में 1 को मई, 1983 में निलम्बन के मामलों की समीक्षा की गई और जहां जरूरी था निर्णय की सूचना भेज दी गई।	
	(ख) उन्हें कब निलंबित किया गए था या उनके विरुद्ध कब अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और कितने मामलों में निलम्बन आदेश की पुनरीक्षा की गयी तथा निर्णय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को सूचित किया गया, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;			
	(ग) क्या 90 दिन बीत जाने के तुरंतु बाद निर्वाह भत्ता संशोधित किया गया यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं, तथा ऐसे उपायों का क्या ब्यौरा है जो पूर्व तारीख से बढ़े हुए अथवा कम हुए भत्ते के लिए उन्हें अधिकृत करने हेतु किए जाने का विचार है;		(ग) दो मामलों को छोड़, सभी मामलों में निर्वाह भत्ते की राशि पर विचार किया गया। एक मामले में, सम्बन्धित व्यक्ति लगातार गैर-हाजिर रहा जबकि उसकी कोई छुट्टी बकाया नहीं थी। अन्य मामलों में, जांच की जा रही है इसलिए निलंबन की समीक्षा नहीं की गई। निर्वाह भत्ते की राशि की और पिछली तारीख से	

1	2	3	4	5
	(घ) कितने मामलों से सरकारी कर्मचारियों को निलम्बन के बाद उनके आरोपों से अवगत नहीं कराया गया है; और (ङ) विचाराधीन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;		प्रभावी बनाने पर विचार करने के लिए समीक्षा की जा रही है। (घ) शून्य। (ङ) 13 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई अभी करनी बाकी है। इनमें से एक मामले के लिखित बयानों की संवीक्षा की जा रही है, दूसरे मामले में आरोप पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है। बाकी के मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है और इन मामलों की जितनी जल्दी हो सके, निपटाने के लिए, प्रयास किए जा रहे हैं।	

स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार की घटनाओं में वृद्धि के कारण

5077. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार की घटनाएँ बढ़ रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस बुराई को रोकने के लिए राज्यों को मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 का 1978 में संशोधन किए जाने के बाद यह बहुत कारगर हो गया है और यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे दोषियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध मुकदमे शुरू किए गए हैं, जिनको सजा दी गई है और जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रिपोर्ट किए गए मामलों के उपलब्ध आंकड़े 1977 से 1981 की अवधि के दौरान मिला-जुला रूझान दर्शाते हैं और वर्ष 1982 के लिए अर्ध्वगामी रूझान। औद्योगीकरण और ग्रामीण शहरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे आनुषंगिक शहरीकरण जैसे सामाजिक-आर्थिक तथ्यों के अलावा, इस वृद्धि के लिए सामाजिक नियंत्रण और संयुक्त परिवार प्रणाली के परम्परागत साधनों में उत्पन्न विकार उत्तरदायी होने चाहिए। आदर्श नियमों का एक सेट, जिसमें पापाचार से बचाई गई महिलाओं और लड़कियों का पता लगाने, देखभाल करने, इलाज करने और उनके पुनर्वास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विकास के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में परिचालित कर दिया गया है।

(ग) अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों का है। तथापि, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और निर्दोष ठहराया गया तथा जिनके विरुद्ध मामले निलम्बित पड़े हैं उनकी संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978 में संशोधित स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों में दर्ज किए गए मामलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

1.	लक्षद्वीप	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	चण्डीगढ़	शून्य

4. अण्डमान निकोबार   शून्य
5. मिजोरम   शून्य
6. दादर और नगर हवेली   शून्य
7. पांडिचेरी

वर्ष	रिपोर्ट किए गए	दोषी ठहराए गए	निर्दोष ठहराए गए	जांच हेतु निलंबित	जिनकी जांच की जा रही है
1978	3	3	—	—	—
1979	3	3	—	—	—
1980	—	—	—	—	—
1981	22	29	2	—	—
1982	12	11	—	1	—
1983	17	3	—	9	5
(नवम्बर 1983 तक)	57	40	2	10	5

8. गोवा, दमन और दीव :

वर्ष	दर्ज किए गए मामले	कैद किए गए व्यक्ति	दोषी ठहराए गए	निर्दोष ठहराए गए	जांच हेतु निलम्बित
1978	15	42	34	8	—
1979	5	20	—	15	8
1980	13	27	14	5	8
1981	10	32	21	1	10
1982	14	34	16	7	11
1993	14	23	12	10	1
(31 अक्तूबर, 83 तक)	71	178	97	46	35

9. दिल्ली

अवधि	रिपोर्ट किए गए	कैद किए गए व्यक्ति	दोषी ठहराए गए	निर्दोष ठहराए गए	जांच हेतु निलम्बित	जिनकी जांच पड़ताल की जानी है
1-6-82 से 30-11-82	40	138	16	11	110	2
1-6-83 से 30-11-83	27	66	18	—	27	27

उप औषधि नियंत्रक, भारत के पद के लिए विज्ञापन देना

5078. **श्री थानाई एम० करुणानिधि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उप औषधि नियंत्रक, भारत के पद (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के लिए विज्ञापन दिया गया था;

(ख) क्या इस पद के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजालि के उम्मीदवार में से केवल एक उम्मीदवार को 9 अगस्त, 1983 को हुए साक्षात्कार में बुलाया गया था;

(ग) क्या इस साक्षात्कार के मामले में चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल करने की शर्त को पूरा नहीं किया गया था;

(घ) क्या साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पद से सीधा व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाली प्राइवेट फर्मास्युटीकल कम्पनियों से चयन समिति में सदस्यों को शामिल किया गया था, यदि हां, तो निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार निश्चित किया गया था;

(ङ) क्या न्यूनतम अर्हताएं पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन करने और सेवा अवधि के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी आदेश मौजूद हैं और यदि हां, तो इस मामले में उन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया है; और

(च) क्या पद को अनारक्षित बनाया गया था और अन्य समुदाय के उम्मीदवार का चयन किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हां।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के लिए अपने सभी साक्षात्कार बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेषज्ञों को शामिल करना न तो अनिवार्य है और न सम्भव ही। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के चयन बोर्डों में विशेषज्ञों/सलाहकार की नियुक्ति उनकी अर्हताओं, अनुभवों और व्यवसाय में ख्याति पर आधारित होती है न कि उनके समुदायों पर।

(घ) आयोग की सामान्य प्रथा के अनुसार विशेषज्ञों से अनुरोध किया गया था कि यदि साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों (या साक्षात्कार देने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में वे रुचि रखते हों) के साथ उनके सम्बन्ध हों तो वे साक्षात्कार की बैठकों में शामिल न हों। लेकिन विशेषज्ञों ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए।

(ङ) और (च) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान-दण्डों में ढील देकर भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया गया लेकिन उसे इस पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया भले ही उसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इसलिए यह पद अनारक्षित समझा गया और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक गैर-अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार की सिफारिश की गई।

ग्रुप "क" पदों के लिए एक रोस्टर

5079. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधी भर्ती द्वारा पदों के श्रेणीकरण सम्बन्धी आदेश 1952 से लागू हुए थे जिसमें बताया गया है कि एकल पदों या लघु संवर्ग पदों को समान स्तर, समान वेतनमान और समान अर्हताओं वाली श्रेणी में रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 तक स्तर वेतनमान और अर्हताओं की अनदेखी करके ग्रुप (क) के सभी पदों का एक ही रोस्टर रखे जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके 1981 तक ग्रुप "क" के पदों के लिए तीन रोस्टर थे;

(घ) क्या इससे बहुत वरिष्ठ सार वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ङ) स्तर, वेतनमान और अर्हताओं के आधार पर प्रत्येक ग्रेड के लिए पृथक मांग रखे जाने और रोस्टरों को भूतलक्षी प्रभाव (अर्थात 1952) से पुनः तैयार करने से उठे आगे ले जाने सम्बन्धी मुद्दों का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) 1981 से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित पदों को छोड़कर समूह "क" पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक ही स्पेशल रेप्रिजेंटेशन रोस्टर रख रहा था। जब कभी रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी गई तो उक्त रोस्टर के अनुसार आरक्षण सम्बन्धी बातों का ध्यान रखा गया और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया।

(ग) समय के साथ-साथ इस मंत्रालय की गतिविधियों का विस्तार होने के कारण समूह "क" में भिन्न-भिन्न वेतन-मानों वाले अलग किस्म के पदों की संख्या बढ़ गयी है। कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग दर्शनों के अनुसार इन पदों का शीघ्र फिर से समूहीकरण करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए वेतन-मान ओहदे तथा सम्बन्धित ग्रेडों में भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए तीन अलग-अलग रोस्टर बनाए गए। यह समूहीकरण कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग की मंजूरी से किया गया, जो भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गए पदों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित मुख्य मंत्रालय हैं।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन में सिनियर क्लास-I पदों में पदोन्नतियां

5080. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन में उन्नत समुदाय के उम्मीदवारों को सीनियर क्लास-I पदों में तदर्थ पदोन्नतियां देकर भर्ती नियमों के उपबन्धों में छूट दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां वर्षों तक जारी रहीं जिससे निहित स्वार्थ पैदा हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि उसी आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को उसी तरह की छूट नहीं दी गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके द्वारा भर्ती नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ पदों में उनकी न्यायोचित पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भर्ती नियमों में ढील अथवा सामुदाय के आधार पर न देकर वहां दी जाती है जहां सरकारी कार्य के हित में तदर्थ व्यवस्था करना अनिवार्य समझा जाता है।

(ख) स्वास्थ्य मंत्री/संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति से तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं और तब तक जारी रखी जाती हैं जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन में सीनियर क्लास-I के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नतियां देने सम्बन्धी मामलो में भर्ती नियमों में ढील देने से इन्कार किया गया है।

(घ) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन में पदोन्नतियों के मामले में जातीय आधार पर कभी भी भेद-भाव नहीं बरता गया।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्राधिकारियों को अपनी आवश्यकता की दवाइयों की खरीद "मेडिकल स्टोर्स डिपो आर्ग्रेनाइजेशन" से करने के अनुदेश

5081. **श्री थाजाई एम० करुणानिधि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्राधिकारियों को अपनी आवश्यकता की दवाइयों की खरीद "मेडिकल स्टोर्स डिपो आर्ग्रेनाइजेशन" से करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा मेडिकल स्टोर्स डिपो आर्ग्रेनाइजेशन को विशेषकर मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास को उपर्युक्त आदेश जारी होने के पश्चात कितने मूल्य के मांगपत्र प्रस्तुत किए गए; और

(ग) क्या रेलवे और पत्तन न्यास/(नौवहन और परिवहन मंत्रालय), नेवेली लिग्नाइट निगम (ऊर्जा मंत्रालय), भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, ऊटी (उद्योग मंत्रालय) आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को अपनी आवश्यकता की दवाइयों की खरीद विशेषकर गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से करने को कहा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली और मद्रास अपनी आवश्यकताएं क्रमशः चिकित्सा सामग्री भण्डार, करनाल और मद्रास से प्राप्त करेंगे।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने चिकित्सा सामग्री भण्डार, करनाल और मद्रास को निम्नलिखित मूल्य के मांग-पत्र प्रस्तुत किए हैं :—

1. चिकित्सा सामग्री भण्डार, करनाल—67,26,252.89 रुपए

2. चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास—3.74 लाख रुपए

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

5082. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघनित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर दिलाने में उपयोगी साबित हुई है;

(ख) क्या इन पांचवी और सातवीं कक्षाओं के लिए भी लड़कियों को साथ-साथ प्रविष्टि के लिए तैयार करने हेतु इस योजना का और विस्तार किया जाना था;

(ग) क्या स्वैच्छिक संगठनों को अत्यधिक पिछड़े आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने थे जिससे लड़कियां विभिन्न विकास सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकें;

(घ) क्या आंगनबाड़ी श्रमिकों, ए० एन० एम० एस० आदि के लिए प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क रखा जाना था जिससे संघनित पाठ्यक्रमों को पूरे करने वाली महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में शीघ्र ही खपाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं तथापि, स्वयंसेवी संगठनों को इस प्रकार की महिलाओं को रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने के अनुदेश दिए गए हैं।

तमिलनाडु में तानिका शोथ के कारण बच्चों की मृत्यु

5083. **श्री के० वी० एस० मणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में त्रिची जिले में तानिका शोथ रोग के कारण अभी हाल में काफी बच्चों की मृत्यु हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कष्टकर रोग की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई हैं; और

(घ) क्या इस बीमारी के,इलाज के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार की कोई योजना लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से की गई पूछताछ से पता चलता है कि त्रिची जिले के गांवों में इस प्रकार का कोई विशेष तानिका शोध रोग नहीं फैला है । वैसे, यह बताया गया है कि 10 दिसम्बर, 1983 तक त्रिची जिले के 47 गांवों में 71 बच्चे जापानी एन्सेफलाइटिस से पीड़ित हुए थे जिससे दिमाग में सूजन हो जाती है । इनमें से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई ।

जहां तक जापानी इन्सेफलाइटिस को रोकने के कार्यक्रम का संबध है, राज्य सरकार ने प्रभावित गांवों में छिड़काव दस्तों का गठन करके युद्ध स्तर पर छिड़काव कार्य शुरू किया है । पीड़ित व्यक्तियों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भी ले जाया गया है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके जापानी इन्सेफलाइटिस को रोकने का कार्यक्रम तैयार करती है और उसे समन्वित करती है । प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव कार्य के लिए बी० एस० सी० की कुल अपेक्षित सप्लाई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा की जाती है । प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग कार्य शुरू करने लिए भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को अब तक 25 फागिंग मशीनें भी सप्लाई की गई हैं ।

स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत मेडिकल इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रों को प्रवेश

5084. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत देश में 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कालेजों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ; और

(ख) इस वर्ष कितने छात्रों को योग्यता के आधार पर और कितने छात्रों को योग्यता को आधार न मानकर प्रवेश दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) स्व-वित्त पोषण योजना के अधीन विदेश मंत्रालय भारत के विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरी कालेजों में अरक्षित स्थानों के लिए विदेशी विद्यार्थियों का चयन करता है जिससे कि भारत और अन्य देशों के बीच सद्भावना और आपसी समझबूझ बढ़े तथा पारपरिक संबंध मजबूत हों ! इस योजना के अंतर्गत चुने गए सभी विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे संबंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित मूल शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करें । विद्यार्थियों का चयन करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जसे कि :— (1) उस देश में मेडिकल और इंजीनियरी शिक्षा की अपर्याप्त सुविधाएं, (2) संबंधित विदेशी सरकार की सिफारिश और (3) संबंधित भारतीय मिशन की सिफारिश । चूंकि विद्यार्थी

अलग-अलग शिक्षा प्रणालियों से शिक्षा प्राप्त कर यहां आते हैं, इसलिए उनमें से कुछ को योग्य और कुछ को अयोग्य कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा।

पिछले चार वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम	इंजीनियरी पाठ्यक्रम
1980-81	96	261
1981-82	97	248
1982-83	86	248
1983-84	93	275

आल इण्डियन स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

5085. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से फिट न आने वाली वर्दी स्वीकार न करने पर स्टेशन मास्टरों को लगातार तंग करने के विरोध में आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा 3 नवम्बर 1983 से डी० आर० एम० टी० पी० जे० में डिवीजन दक्षिण रेलवे के निवास के सामने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल किए जाने के संबंध के अभ्यावेदन और तार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को फिट न आने वाली वर्दी स्वीकार न करने और न पहनने पर वर्ष 1981 से अक्तूबर 1983 तक दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों और नर्सों को कपड़ा सप्लाई किया जाता है और सिलाई दी जाती है; और

(घ) स्टेशन मास्टरों को कपड़ा सप्लाई करने और उचित सिलाई देने के लिए एक समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एक गैरमान्यता प्राप्त ग्रुप, जो अपने आप को आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन कहता है, की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 3.11.83 से दक्षिण रेलवे के 4 सहायक स्टेशन मास्टरों ने, जो इस गैरमान्यता प्राप्त एसोसिएशन का सदस्य होने का दावा करते हैं, सिली-सिलाई वर्दियों के बदले कपड़ा सप्लाई किए जाने तथा सिलाई प्रभारों की अदायगी की अपनी मांगों के

समर्थन में मण्डल रेल प्रबन्धक, तिरुचिरापल्ली के कार्यालय (रेलवे परिसर के बाहर) के समीप भूख हड़ताल की थी।

सामान्यत:, रेल कर्मचारियों की सभी पात्र कोटियों को केवल सिलीसिलाई वर्दियों की सप्लाई करने की पद्धति का अनुसरण किया जाता है। बहरहाल, विशेष शर्तों और परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्दी भत्ते की अनुमति दी जाती है, किन्तु ऐसे मामले बहुत कम और इक्का-दुक्का ही होते हैं। जबकि, रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सिली-सिलाई वर्दियां सप्लाई की जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार के सिलाई प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाता है, नर्सिंग स्टाफ को वर्दी भत्ता दिया जा रहा है।

वर्दियों की घटिया फिटिंग से बचने के लिए वर्दियों की सिलाई के लिक एक सुप्रवाही पद्धति निर्धारित की गयी है। अलग-अलग प्रत्येक रेल कर्मचारी का माप सम्बंधी कार्ड बनाए रखना होता है। प्रत्येक कर्मचारी का माप लेने के पश्चात् बड़ी संख्या में मानक साईजों की वर्दियों की सिलाई की जाती है। वर्दी की फिटिंग घटिया होने पर उसे ठीक कराने/बदलने की व्यवस्था मौजूद है।

भारतीय रेलों के समान्य नियमों के अन्तर्गत, एक रेल कर्मचारी से जब वह ड्यूटी पर हो, जहां कहीं निर्धारित हो, उसे बैज लगाना और वर्दी पहनना तथा देखने में उसका साफ-सुथरा नजर आना अपेक्षित है। विगत में उन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है, जो ड्यूटी के समय में बिना वर्दी पहने पाए गए थे।

प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित दण्ड दिए जाने के ब्यौरे के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सामान्यत:, रेल कर्मचारियों की सभी पात्र कोटियों को केवल सिली-सिलाई वर्दियों की सप्लाई करने की पद्धती का अनुसरण किया जाता है। बहरहाल, विशेष शर्तों और परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्दी भत्ते की अनुमति दी जाती है, किन्तु ऐसे मामले बहुत कम और इक्क-दुक्का ही होते हैं। जबकि, रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सिली-सिलाई वर्दियां सप्लाई की जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार के सिलाई प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाता है, नर्सिंग स्टाफ को वर्दी भत्ता दिया जा रहा है।

वर्दियों की घटिया फिटिंग से बचने के लिए वर्दियों की सिलाई के लिए एक सुप्रवाही पद्धति निर्धारित की गयी है। अलग-अलग प्रत्येक रेल कर्मचारी का माप सम्बंधी कार्ड बनाए रखना होता है। प्रत्येक कर्मचारी का माप लेने के पश्चात् बड़ी संख्या में मानक साईजों की वर्दियों की सिलाई की जाती है। वर्दी की फिटिंग घटिया होने पर उसे ठीक कराने/बदलने की व्यवस्था मौजूद है।

भारतीय रेलों के सामान्य नियमों के अन्तर्गत, एक रेल कर्मचारी से जब वह ड्यूटी पर हो, जहां कहीं निर्धारित हो, उसे बैज लगाना और वर्दी पहनना तथा देखने में उसका साफ सुथरा नजर

आना अपेक्षित है। विगत में उन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है, जो ड्यूटी के समय में बिना वर्दी पहने पाए गए थे।

प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित दण्ड दिए जाने के ब्यौरे के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सुदृढ़ किए गए संस्कृत विश्वविद्यालय

5086. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालयों में से किनको सुदृढ़ किया गया है और संस्कृत अध्ययन के लिए वहां कौनसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और किस प्रकार ;

(ख) इंस्टीटयूट आफ एडवांस स्टडीज में भारत-शास्त्र के कौन से विभाग खोले गए हैं;

(ग) जाने-माने महत्वपूर्ण संस्कृत पाण्डुलिपियों को विदेशों से वापस लाने के लिए किए गए प्रयासों के क्या परिणाम रहे ;

(घ) वैदिक परम्परागत पाठों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) कितने टेप-रिकार्ड, ग्रामोफोन रिकार्ड आदि तैयार किए गए हैं और उन्हें जनता को कैसे उपलब्ध कराया गया है;

(च) संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए आरम्भ की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और अब तक क्या वास्तविक कार्य किया गया है; और

(छ) विदेशी विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (छ) विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7619/83]

"एक्वाअर्ड इम्यून डैफीशियेंसी साइन्ड्रोम" रोग का फैलना

5087. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ए० आई० डी० एस० (एक्वाअर्ड इम्यून डैफीशियेंसी साइन्ड्रोम) एक घातक रहस्यपूर्ण रोग है, जिससे नए और खतरनाक जैविक हथियारों का विकास करने हेतु पेन्टेगोन द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका में बहुत नुकसान हुआ है;

(ख) क्या हाल ही में इस रोग का अनेक ऐसे देशों में होने का पता चला है जहां अमेरिकी रक्त दान किया गया था;

(ग) क्या कुछ अमरीकी विशेषज्ञों का विश्वास है कि इन परीक्षणों के लिए पाकिस्तान अगला परीक्षण स्थान बन सकता है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह रोग भारत में न फैलाने पाए, भारत क्या उपचारात्मक उपाय कर रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार जानती है कि ए० आई० डी० एस० (एक्वायर्ड इम्यून डैफीशियेंसी साइन्ड्रोम) एक गंभीर रोग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोक टोक फैलता जा रहा बताया जाता है। लेकिन ऐसी सूचनाएं नहीं हैं कि यह रोग पेंटेगोन द्वारा नए और खतरनाक जैविक हथियारों का विकास करने के लिए किए गए परीक्षणों के कारण होता है या नहीं।

(ख) प्रारम्भ में यह रोग (ए० आई० डी० एस०) न्यूयार्क; सेन फ्रांसिस्को आर लाओस एंजलस के उन अतिसंवेदनशील समेलिंगेकामी पुरुषों को ही होता था। जिनमें से अधिकतर नशीली दवाओं का सेवन करने वाले होते थे। अब जिन लोगों को यह रोग लगने का अधिक खतरा है उसमें अमेरिका तथा यूरोप के अन्य पश्चिमी देशों के हेटियन इम्मिग्रेंट्स शामिल हैं।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। सामान्य रूप में देश के विभिन्न भागों में 300 से अधिक एस० टी० डी० क्लीनिक चल रहे हैं जो संभोगजनि तरोगों से पीड़ित रोगियों का निःशुल्क इलाज करते हैं।

आयुर्वेदिक मैडीकल एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा भेदभाव किए जाने की भावना

5088. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देहरादून (यू० पी०) स्थित समेकित चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयुर्वेदिक मैडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा, भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में व्यक्त की गई व्यापक भावना की जानकारी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और उनकी शिकायतों को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं, उठाने का विचार है; और

(ख) क्या इस विषय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकृत चिकित्सकों के रूप में

प्राइवेट आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में सरकार को नेशनल इन्टिग्रेटेड मैडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया की देहरादून शाखा से एक अभ्यावेदन मिला है। फिलहाल केवल उन्हीं आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्राधिकृत चिकित्सक माना जाता है जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के अस्पताओं अथवा सरकार से सहायता प्राप्त नगर निगम और पंचायत के औषधालओं के साथ सम्बद्ध होते हैं। वर्तमान प्रबन्ध जारी रखने में लाभ प्रतीत होता है।

सफदरजंग अस्पताल में सेलाइन ग्लूकोज बोतलों में पाई गई फफूंद

5089. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री जगपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य **और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 सितम्बर, 1983 को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सकों द्वारा "सेलाइन ग्लूकोज" बोतलों में घातक फफूंद पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज की एक बोतलें अवलम्बित पदार्थ से भरी हुई पाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो खोज करने पर बड़ी संख्या में ऐसी बोतल पाई गई थीं;

(घ) क्या यह भी सच है कि चिकित्सकों ने वार्डों की अलमारियों में से इस तरल पदार्थ के भंडार की जांच की थी और "डेक्सट्रोज" की एक और बोतल में फफूंद लगी पाई थी; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुन बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) 11 सितम्बर, 1983 को डेक्सट्रोज सेलाइन की तीन बोतलों में कुछ ऊनी सामग्री तैरती हुई पाई गई थी। इस बोतलों की जांच करने पर यह पता चला था कि दो बोतलों से निर्माता की एलुमिनियम वाली सील गुम थी और तीसरी बोतल के निचले भाग में मामूली दरार थी।

(ग) से (ङ) खराब पाई गई उक्त बोतलें अस्पताल द्वारा खरीदी गई डेक्सट्रोज सेलाइन की 1915 बोतलों के बैच का एक भाग थीं। इस घटना वाले दिन इस बैच की केवल 93 बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा इन बोतलों के घोल की जांच की गई थी और वे ठीक पाई गई थीं। वैसे औषध प्राधिकारी, दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, के अधीन मामलों के निपटाने की धीमी गति

5090. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री अशफाक हुसैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मामले को निपटाने की गति धीमी होने के कारण सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सी० सी० एफ० एस० और "आई० एस० आई" का कार्यकरण, जैसा कि दिल्ली दुग्ध सेवा के दूध, मदर डेयरी के दूध और पास्च्यूरीकृत दूध की नियमित परीक्षण न किए जाने से मालूम होता है, अव्यवस्थित है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के संचालन सम्बन्धी वर्ष 1981 और 1982 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि मामलों को निपटाने की गति पिछले वर्षों के मुकाबले धीमी है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के दूध की जांच करना सी० सी० एफ० एस० तथा आई० एस० आई० का काम नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य जैली की बिक्री और निर्माण

5091. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 1950 से खाद्य जैली का निर्माण सभी प्रकार के पशुओं को मार करके केवल उसकी हड्डियों और खालों से किया जा रहा है और उसकी बिक्री की जा रही और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है, उसका वार्षिक उत्पादन कितना है, आयात अगर कोई किया गया है और यह किस पशु से निर्मित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके सम्बन्ध में पैकेटों पर कुछ नहीं लिखा गया है और क्या यह सच है कि यह केवल उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए किया गया है; और

(ग) सी० सी० एफ० और भारतीय मानक संस्थान के कोई अधिकारी यदि इसके लिए जिम्मेवार हैं तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के उपबंधों के अनुसार जिलेटिन एक शोधित उत्पाद है जो पशुओं की त्वचा, सफेद संयोजी ऊतकों और हड्डियों से निकाले गए कोलेजन का आंशिक हाइड्रोलाइसिस करके प्राप्त किया जाता है। तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टर के अनुसार औद्योगिक, खाद्य और फार्मास्यूटिकल ग्रेड का 1982 में वार्षिक उत्पाद 2,700 टन था।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुसार जिलेटन पर "जिलेटिन-फूड ग्रेड" केबल लगाया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में कैसेटों का अनधिकृत निर्माण

5092. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 5 सितम्बर, 1983 के "दैनिक टेलीग्राफ" कलकत्ता में "कैसेट पाइरेसी इन दिल्ली थ्राइविंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितने राजस्व का घाटा हो रहा है और दिल्ली में चल रहे कैसेट के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय और उसके सम्बद्ध कार्यालयों क अधिकारियों के कतिपय सम्बन्धी भी इस व्यापार में लगे हुए हैं और अथवा कुछ अधिकारियों को उससे नियमित रूप से धन मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) समाचार-पत्र की रिपोर्टों तथा प्राप्त अभ्यावेदनों के जरिए सरकार को पुस्तकों, साउंड रिकार्डिंग्स तथा फिल्मों के बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण तथा लेखकों, प्रकाशकों और सरकार को इसके हानिकर परिणामों की जानकारी है। प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के कारण अनधिकृत निर्माण एक व्यापक समस्या बन गया है और यह विशेष रूप से साउन्ड और वीडियो कैसेटस के सम्बन्ध में विकट है। भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत कापीराइट स्वामित्व का एक अधिकार है और अपने अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित न्यायालय में सिविल या अपराधी कार्यवाहियां करना कापीराइट के स्वामियों का काम है। क्योंकि अनधिकृत निर्माण में कापीराइट द्वारा सुरक्षित कृतियों की अनधिकृत पुनरुत्पत्ति होती है तथा यह एक गुप्त कार्यकलाप है अत: सरकार को राजस्व के होने वाले घाटे का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जहां तक सरकार द्वारा कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, इस अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए सम्बन्धित; सरकारी विभागों के परामर्श से समस्या का इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर अपेक्षित वैधानिक और प्रवर्तन उपायों की दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है।

सी० जी० एच० एस० के लिए उन औषधियों की खरीद जिनका प्रभाव समाप्त होने की तारीख बहुत निकट है

5093. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के महानिदेशक ने सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों के लिए उन औषधियों की खरीद की है जिनका प्रभाव 3 या 4 मास में समाप्त होने वाला है;

(ख) क्या अगस्त-सितम्बर, 1983 में कुछ संसद सदस्यों ने सुझाव दिया था कि महा-निदेशक स्वास्थ्य सेवा के स्टोर में पड़ी लाखों रुपये की उन औषधियों को जब्त किया जाए जिनका प्रभाव समाप्त होने की तारीख निकल चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) सरकार को ऐसे सुझाव की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

दीन दयाल अस्पताल, पश्चिम दिल्ली में प्रसव कक्ष सुविधाओं का उपलब्ध न होना

5094. **श्री अनवर अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिल्ली में हरिनगर में "दीन दयाल अस्पताल" नामक अस्पताल चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस अस्पताल में हाल ही में "आपातकाल" सेवा भी आम्रभ की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें प्रसव कक्ष सुविधा भी उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं और वहां पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) 200 पलंगों वाले वार्ड ब्लाक और प्रसव कक्ष के चालू हो जाने के बाद ही प्रसूति सेवायें शुरू की जायेंगी। 1985 के मध्य तक इस वार्ड और कक्ष के चालू हो जाने की आशा है। इस वार्ड तथा कक्ष के पूरी तरह से सुसज्जित तथा आवास सहित अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था होते ही कैजुएल्टी तथा आपाती सेवायें शुरू कर दी जायेंगी।

स्टेशनों पर रेल टिकटों की कालाबाजारी

509 :. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 के दैनिक "छपते-छपते" में "रेल टिकटों को लेकर स्टेशन पर कालाबाजारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उन कारणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल टिकटों की चोरबाजारी को रोकने के लिए सतत् प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सिविल एजेंसियों की सहायता से रेलवे के वाणिज्य और सतर्कता संगठनों द्वारा अलए-अलग या मिलकर आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों पर नजर रखी जाती है।

(2) यात्रियों द्वारा आरक्षणों के लिए पेश किये गए मांग-पत्रों की कड़ी जांच की जाती है और संदेहास्पद मामलों में, मांग-पत्रों पर दिये गए पते पर घर-घर जाकर पूछताछ करके या जवाबी पत्र भेजकर, ऐसे आरक्षणों की सत्यता का पता लगाया जाता है; और

(3) चलती गाड़ियों में गहन जांच की जाती है जिसके दौरान यात्रियों द्वारा आरक्षण मांग-पत्रों में दिये गए विवरण को वास्तव में यात्रा कर रहे यात्रियों के विवरण से मिलाया जाता है और हस्तांतरित आरक्षणों पर यात्रा करते पाये जाने वाले यात्रियों पर कानून के अनुसार जुर्माना किया जाता है।

विशेषकर कलकत्ता क्षेत्र और पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों में उठाये गए कदमों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अक्तूबर, 1982 से अक्तूबर, 1983 के दौरान पूर्व रेलवे ने भेद्य स्थलों पर 50 बार जांच की जिसके फलस्वरूप 63 समाजविरोधी तत्वों को पकड़ा गया तथा 4 रेल कर्मचारियों को विभिन्न अनिमियतताओं में ग्रस्त होने का दोषी पाया गया। दक्षिण-पूर्व रेलवे पर

जनवरी, 1983 से अक्तूबर, 1983 के दौरान आरक्षण कार्यालयों और प्लेटफार्मों पर 135 बार जांच की गई जिसके फलस्वरूप 122 रेल कर्मचारियों को विभिन्न अनियमितताओं में दोषी पाया गया और 216 बाहरी व्यक्तियों को झूठे आरक्षण/अवैध रूप से टिकट बेचने आदि के कारण पकड़ा गया।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संचार का विकास

5096. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को छठी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संचार के विस्तार के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम तथा प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय ने राज्यों को निदेश दिए हैं कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए वृहत योजना बनाई जाए और इस सम्बन्ध में मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं हेतु मंत्रालय ने राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध की है; और

(च) क्या मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए धनराशि आवंटित की है और राज्यों को इन क्षेत्रों में खर्च करने के लिए दी है या यह राशि राज्य की सभी सड़कों के विकास के लिए है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के सम्बन्ध में राज्यों से गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो केन्द्र में आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी विषयों की देख-रेख करता है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय केवल उन्हीं प्रस्तावों की जांच करता है जिनपर गृह मंत्रालय की सिफारिश प्राप्त होती है। इस प्रकार के प्रस्तावों की तकनीकी दृष्टि से जांच की जाती है और योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से परामर्श कर इनको अनुमोदित किया जाता है जिससे तदनुसार राज्यों द्वारा कार्रवाई की जाए। गृह मंत्रालय द्वारा सिफारिश किये गए प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) और (च) आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास में राज्य सरकारों की सहायता देने के लिए वर्ष 1983-84 में 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1984-85 में भी इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था की जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	प्रस्ताव	धन (रुपये में)	टिप्पणी
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में मदवास-कुसुमी सड़क पर एप्रोचेजे और (6 पुलों) का निर्माण	1.70 लाख अनुमोदित	पहले ही अनुमोदित
2.	मध्य प्रदेश	आदिवासी क्षेत्र में अचानकमर-केओंची सड़क का निर्माण	1.92 लाख अनुमोदित	पहले ही अनुमोदित
3.	मध्य प्रदेश	मदवास-कुसुमी-रूण्डा भदुरा सड़क का निर्माण	46. लाख अनुमोदित	पहले ही अनुमोदित
4.	राजस्थान	बांसवारा जिला में कलिंगरा-कुशालगढ़ खण्ड में सड़क और तीन पुलों का निर्माण	40 लाख.	विचाराधीन
5.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर, लाहुल, स्पीती और छम्ब जिले में सड़क और पुल	100.36 लाख	विचाराधीन
6.	बिहार	(क) राजनगर सेराइकेला सड़क (ख) खड़सावन दरभंगा सड़क पर पुल (ग) भण्डारिया रामकंडा सड़क पर पुल (घ) घाट बाजार हुंडा-ओरगा सड़क (ङ) गेधनी पहाड़ी (डुम्का) (च) तोपकारा रोड	112 लाल	विचाराधीन

भूटान में चुखा पन बिजली परियोजना का निर्माण

5097. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भूटान में चुखा पन बिजली परियोजना के नाम से एक बिजली घर का निर्माण कर रही है;

(ख) इस परियोजना में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति पर गए तथा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य लाभों में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तुरन्त कदम उठाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) चुक्खा पन बिजलीघर परियोजना में काम करने वाले कुल कार्मिकों की संख्या 8720 है।

(ग) से (ङ) भारत से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लोगों पर भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियम लागू होते हैं और सीधी भर्ती के लोगों पर भूटान की शाही सरकार के नियम। संसार भर में यही मान्य प्रथा है।

विश्वविद्यालय सुरक्षा बल

5098. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय सुरक्षा बल के गठन के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी रिपोर्ट में की गई सिफारिश को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शील कौल) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संगत सिफारिशों और सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार मांगे हैं। मामले की जांच करने और विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए आयोग ने एक समिति गठित की है। समिति ने अपने काम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

सेण्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन, पलवल से प्राप्त अभ्यावेदन

5099. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज ऐसोसिएशन, पलवल, जिला फरीदाबाद हरियाणा से शहर में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनरों में से चिकित्सकों को अधिकृत चिकित्सक के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या पलवल शहर स्थित सिविल अस्पताल के अधीन 60 कि० मी० क्षेत्र है और उसमें केवल दो ही डाक्टर हैं;

(ग) क्या उस शहर में सी० जी० एच० एस० की डिस्पेन्सरी अथवा अधिकृत चिकित्सक न होने के कारण पलवल में और उसके आस पास रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अनेक परिवार चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं;

(घ) पलवल शहर में अथवा उसके आस-पास रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का विचार कब तक वहां पर एक सी० जी० एच० एस० डिस्पेन्सरी खोलने अथवा अधिकृत चिकित्सक को नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) पलवल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है और वहां कोई ऐसा औषधालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है वहां प्राधिकृत चिकित्सक की नियुक्ति के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। ऐसी नियुक्तियां विभागाध्यक्षों द्वारा अथवा ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के विभागों की केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा की जाती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी रहते हैं।

इन्स्टीट्यूट फार दी फिजीकली हैंडीकेप्ड, नई दिल्ली के छात्रों द्वारा हड़ताल

5100. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **समाज कल्याण मंत्रालय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट फार दी फिजीकली हेण्डीकेप्ड, 4-विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के छात्र हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान के छात्र दो नवम्बर, 1983 से 14 दिसम्बर, 1983 तक हड़ताल पर थे।

छात्रों ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की—

(1) परीक्षा लेने के सम्बन्ध में बनाए गए नए नियमों का रद्द किया जाना।

(2) अध्ययनों के बोर्ड में छात्रों से परामर्श किया जाना और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

(3) उत्तर पुस्तिकाओं का पुन: मूल्यांकन किया जाना।

(4) प्रथम और द्वितीय वर्ष में पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों के होने के बावजूद भी तृतीय वर्ष के परिणाम को घोषित किया जाना।

(5) परीक्षा में अधीक्षक का कोई प्रभाव न होना और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

(6) डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री प्रदान किया जाना।

छात्रों के प्रतिनिधियों और संस्थान के प्राधिकारियों के मध्य हुई बैठकों की श्रृंखला में उपर्युक्त मांगों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों को मान्य मांगों पर निर्णय लिए गए। इसके फलस्वरूप, छात्रों ने 15 दिसम्बर, 1983 से हड़ताल समाप्त कर दी और उसी दिन से अपने कार्य पर लौट आए।

बरेली और कासगंज के बीच के स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला

5101. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में बरेली और कासगंज के बीच कितने ऐसे स्टेशन हैं जहां स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर या अन्य रेलवे कर्मचारियों पर जनवरी, 1983 के बीच जनता द्वारा हमला किया गया है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उझानी रेलवे स्टेशन के एक सहायक स्टेशन मास्टर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया, उसे आतंकित किया गया तथा उसे अपने कपड़े उठाकर ले जाने के लिए मजबूर किया गया और ऐसी घटनायें कितनी बार हुई हैं और कितने अधिकारी इन घटनाओं के शिकार हुए हैं; और

(ग) ऐसे रेल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जनवरी, 1983 से 16 दिसम्बर 1983 तक 3 मामलों, इज्जतनगर, कासगंज और उझानी स्टेशनों प्रत्येक पर एक-एक

मामले की रिपोर्ट मिली थी और 3 रेल कर्मचारी इन घटनाओं के शिकार हुए थे। उनके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) 5.6.83 को लगभग 10.30 बजे उत्पादन इन्जीनियर, इज्जतनगर पर एक बाहरी व्यक्ति ने, रेलवे समपार/इज्जतनगर के निकट चाकू से हमला किया था, जिसके फलस्वरूप उनके बायें हाथ में चोटें आयीं। स्थानीय पुलिस/इज्जतनगर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/324 के अधीन दिनांक 5.6.83 को इस सम्बन्ध में एक मामला अपराध सं० 136 दर्ज किया। पुलिस की जांच-पड़ताल चल रही है।

(2) 27-7-83 को कासगंज स्टेशन पर लगभग 14.15 बजे ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के एक रक्षक पर कुछ बाहरी व्यक्तियों ने हमला किया था। इस सम्बन्ध में भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120, 121 और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत राजकीय रेलवे पुलिस/कासगंज ने दिनांक 27.7.83 को मामला सं० 77/83 दर्ज किया है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

(3) उझानी रेलवे स्टेशन के एक सहायक स्टेशन मास्टर ने दिनांक 30-11-83 को वरिष्ठ मंडल परिचालन अधीक्षक/इज्जतनगर को उझानी स्टेशन से अपने स्थानान्तरण का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि उस पर हमला किया गया और उन्हें आतंकित किया गया था। वरिष्ठ मण्डल परिचालन अधीक्षक ने रेलवे पुलिस अधीक्षक/मुरादाबाद और रेलवे पुलिस उप-अधीक्षक इज्जतनगर को प्रतियों सहित इस आवेदन पत्र को, पुलिस अधीक्षक/बदायूं को भेज दिया था। राजकीय रेलवे पुलिस/बरेली सिटी द्वारा इस मामले को जांच की जा रही है।

(ग) रेल गाड़ियों तथा रेल परिसरों में रेल कर्मचारियों की सुरक्षा सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना एवं अपराधों की रोक-थाम करना राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत पुलिस एजेंसियों की जिम्मेदारी है, उन्हें इस मामले की जानकारी है और वे इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

बिहार विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

5102. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना विकास अनुदान दिया गया है और अत्यधिक विसंगति के क्या कारण हैं;

(ख) मिथिला विश्वविद्यालय, के अधीन कालीदास स्मारक महाविद्यालय, चन्दौमस, कालीदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय, उहेठा और भारती मंडन महाविद्यालय, राहिका के नाम महान ऐतिहासिक विभूतियों के नाम पर है न कि किसी व्यक्ति के नाम पर;

(ग) यदि हां तो इनको न्यायोचित अधिमानता देने के बजाय विकास अनुदानों के रूप में पर्याप्त धनराशि मंजूर न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या डी० बी० महाविद्यालय, जयनगर को भी विकास अनुदान मंजूर नहीं किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) पिछले तीन वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालयों को दिए गए कुल विकास अनुदान इस प्रकार हैं :—

	(रु० लाखों में)
1. भागलपुर विश्वविद्यालय	58.75
2. बिहार विश्वविद्यालय	32.20
3. के० एस० डी० संस्कृत विश्वविद्यालय	19.18
4. एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	4.05
5. मगध विश्वविद्यालय	30.38
6. पटना विश्वविद्यालय	81.58
7. रांची विश्वविद्यालय	38.67

आयोग द्वारा विकास अनुदान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों के स्वरूप और उनके कार्यक्षेत्र तथा इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निरीक्षण समितियों द्वारा यथा निर्धारित वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर मुक्त किए जाते हैं। एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय के मामले में संस्थागत विकास के लिए अभी अनुदान उपलब्ध कराए जाने हैं क्योंकि वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12क के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित आवश्यकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कालेज अनुदान के लिए तभी पात्र होते हैं यदि उनके वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो और उसी अधिनियम की धारा 12क, जहां भी लागू हो के अन्तर्गत पात्र घोषित किए गए हो। इसके अलावा कालेज को कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों के अन्यगंत सहायता के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्ड भी पूरे करने होते हैं।

आयोग ने इन महाविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान सस्वीकृत किए हैं :—

	(रुपए)
1. बी० एम० कालेज, राहिका	80,250
2. महाकवि कालिदास स्मारक महाविद्यालय चान्दाना	7,27,582
3. डी० बी० महाविद्यालय, जयनगर	1,22,400

आयोग ने, बी० एम० कालेज राहिका और डी० बी० कालेज महाविद्यालय, जयनगर तथा

कालिदास विद्यापति विज्ञान कालेज से उनका अवर स्नातक शिक्षा की विकासात्मक योजनाओं पर विचार करने के लिए कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी है ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने/उनका रैंक कम किए जाने की कथित घटना

5103. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'वाइस आफ दी वीक' के नवम्बर, 1983 के संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि दक्षिण मध्य रेलवे के पांच मंडलों में रेलवे सुरक्षा बल के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के एक सौ से अधिक कर्मचारियों को या तो सेवा के निकाल दिया गया है अथवा उनका रैंक घटा दिया गया है;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि इसके पीछे जातीय भेदभाव की भावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार पत्र ने जाति पक्षपात का आरोप लगाया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रेल सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारियों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भी हैं, के विरुद्ध विभिन्न चूकों जैसे चोरी के मामलों में मिलीभगत, दुर्व्यवहार, गम्भीर कदाचार तथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों तथा रेल सुरक्षा बल विनियम, 1959 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है । नियमों के अन्तर्गत, उन्हें यह अधिकार है कि यदि वे दण्ड से खिन्न हों तो वे सम्बद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं और इसके बाद भी वे उच्च प्राधिकारी को पुनरीक्षण-याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु नाजायज तरीके अपनाना

5104. **श्री राम लाल राही** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें देश में मेडिकल कालेजों और अन्य व्यावसायिक कालेजों में जाली अंक तालिकाओं के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को प्रवेश मिला है; और

(ख) क्या सरकार नाजायज तरीकों के माध्यम से विशेष रूप से हाल में केरल में हुए अंक

तालिका घुटाले को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रवेश लेने की घटनाओं के बारे में जांच करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अनियमित दाखिले सम्बन्धी उदाहरण प्रायः सरकार के नोटिस में आ ही जाते हैं और ऐसे सभी मामलों को सम्बन्धित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संस्था जैसी एजेंसी को जांच करने तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है जो परीक्षा के माध्यम से अथवा अन्यथा दाखिले करने के लिए उत्तरदायी है।

समुद्रपार के लिए हिन्दी प्रोफेसरों का चयन

5105. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्रपार के लिए हिन्दी प्रोफेसरों के पदों के लिए चयन भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चयन का आधार क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त पदों के लिए चुने गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी शैक्षिक योग्ताएं तथा शोध दक्षता क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त पदों के लिए सक्षम व्यक्तियों के चयन के लिए कोई वस्तुपरक मानदंड और सुव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय समस्या से किस प्रकार निपटेगा और वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए कौन से उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) विदेशों में हिन्दी अध्यापकों के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन सीधे आवेदन-पत्र मंगवाकर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त नामों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद नामों का उपयुक्त पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति गठित की जाती है। अन्तिम चयन प्राप्तकर्ता संस्थाओं के परामर्श तथा अनुमोदन से किया जाता है।

(ग) विदेशों में अध्यापक के पदों के लिए चुने गए व्यक्तियों के नाम, उनकी अनुसंधान सम्बन्धी योग्यताओं सहित, विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन विद्वानों के चयन को अन्तिम रूप दिया गया है, उनका विस्तृत विवरण

(क) जनवरी, 1979 में चुने गए विद्वान

क्र० सं०	विद्वान का नाम	शैक्षिक योग्यताएं	शोध कार्य
1	2	3	4
1.	डा० आर० के० कौशिक	एम० ए०, पी० एच० डी०	पी० एच० डी० की उपाधि के लिए शोध छात्रों का मार्ग निर्देशन किया। सोलह वर्ष का अध्यापन का अनुभव।
2.	डा० एस० बी० सिंह	एम० ए० (अंग्रेजी) एम० ए० (हिन्दी) भाषा विज्ञान में पोस्ट एम० ए० डिप्लोमा, व्यावहारिक भाषा विज्ञान में डिप्लोमा पी० एच० डी० भाषा प्रयोगशाला में प्राच्य प्रशिक्षण	ग्यारह वर्ष का अध्यापन का अनुभव हिन्दी संरचना एवं भाषा विज्ञान वाक्य विन्यास, भाषा अध्यापन प्रौद्योगिकी एवं कोश-रचना पर शोध कार्य एवं व्यावहारिक भाषा विज्ञान पर विशेष योग्यता प्राप्त की। विभिन्न लेख, साहित्यिक लेख, भा० विज्ञान एवं भाषा-अध्यापन पर पुस्तकें प्रकाशित कीं।
3.	डा० सोम शेखर सोम	हिन्दी साहित्य में एम० ए०; पी० एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० (लन्दन)	16 वर्ष का अध्यापन का अनुभव। हिन्दी में "एन इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी आफ द कामन वोकेबुलरी आफ हिन्दी एण्ड कन्नड़" नामक शब्दकोश का मौलिक शोध कार्य का संकलन। कई पुस्तकें प्रकाशित कीं, विभिन्न शोध लेख भेंट किए और चौदह कन्नड़ कविताओं का हिन्दी में अनुवाद किया।

1	2	3	4
	4. डा० आर० टी. शर्मा	एम. ए. (हिन्दी) जर्मन में डिप्लोमा, रूसी भाषा में डिप्लोमा, भाषा विज्ञान में डिप्लोमा डि., लिट (हिन्दी-संस्कृत, संस्कृत व्याकरण (पाणिनी की अष्टध्यायी) मानस मार्तंड व्याख्यान वाचस्पति दर्शन सार्वभौम विद्या वाचस्पति साहित्य सम्राट डि. लिट. (हिन्दी अंग्रेजी) डि. लिट. (भाषा विज्ञान)	1958 से हिन्दी संस्कृत, अंग्रेजी एवं भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में निरन्तर शोध कार्य कर रहे हैं, प्राचीन प्रसिद्ध अवधारणाओं एवं विचारों में मूल परिवर्तन का सुझाव दे रहे हैं। विशाल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व का अति महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। इक्कीस वर्ष का अध्यापन का अनुभव।
	5. डा. ठाकुर दास	एम. ए. (अर्थशास्त्र) एम. ए. (हिन्दी) भाषा विज्ञान में डिप्लोमा, भाषा विज्ञान में एम. लिट०	"ए कन्ट्रोल्ड कम्पैरेटिव रिकन्स्ट्रक आफ कश्मिरी, लक्नेला, पंजाबी एण्ड सिंधी", इंडो-आर्यन में पूर्वी हिन्दी-बिहारी बोलियों की स्थिति पर शोध, भाषा सम्बन्ध तथा कई अन्य विषयों का अध्ययन। विभिन्न अध्यापन सामग्री तैयार की और हिन्दी में कई शोध लेख प्रकाशित किए।

(ख) अक्तूबर, 1980 में चुने गए विद्वान

	1. डा. उमादत्त शर्मा "सतीश"	एम. ए. (हिन्दी) एम. ए. भाषा विज्ञान पी. एच. डी. भाषा विज्ञान	जानसरी का स्वरविज्ञान एवं शब्दरूप विज्ञान पर शोध कार्य हिन्दी में बहुत से प्रकाशन और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सात वर्ष का अध्यापन का अनुभव।

1	2	3	4
2.	डा. शेर बहादुर झा	एम. ए. (हिन्दी) एम. लिट. भाषा विज्ञान	मुंडा भाषाओं और नेपाली भाषा पर शोध कार्य किया। विदेशों में पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव उसके बाद सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हिन्दी में प्राध्यापक के पद पर हैं।
(ग) दिसम्बर, 1982 में चुने गए विद्वान			
1.	डा. जी. गोपीनाथन	एम. ए. (हिन्दी) भाषा एवं साहित्य पी. एच. डी. (हिन्दी) डी. लिट. (हिन्दी) रूसी भाषा में डिप्लोमा	अनुवाद की भाषा सम्बन्धी समस्या पर शोध किया। 1971 अध्यापन का अनुभव। से हिन्दी भाषा एवं साहित्य पर विभिन्न शोध लेख प्रकाशित किए बहुत-सी पुस्तकें/पत्रिकाएं प्रकाशित कीं।

भारत में परमाणु बिजली घर लगाने के लिए भारत-सोवियत सहयोग

5106. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परमाणु बिजली घर लगाने में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए दिसबम्र, 1983 के दौरान नई दिल्ली में भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आयोग की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने 2000 ईसवी तक समाप्त होने वाली योजनाओं को बनाने पर विचार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में अन्य कौन से विषयों पर चर्चा की गई थी और उनका क्या निर्णय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनी सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संयुक्त आयोग का 8वां अधिवेशन नई दिल्ली में 6 से 9 दिसम्बर 1983 तक हुआ था। इस बैठक में भारत में नाभिकीय बिजलीघर स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं के प्रश्न पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह आयोग आर्थिक क्षेत्रों में भारत-सोवियत संघ के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने वाला एक मंच है। जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें इस्पात, खान, मशीन-निर्माण, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल है। इसके निर्णय एक प्रकार

से परस्पर लाभकारी सहयोग की स्थिति सुदृढ़ करने और इसकी गति तीव्र करने का मार्गनिर्देश हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नैफरोलोजी विभाग में उपकरणों का उपयोग न किया जाना

5107. **डा० सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नैफरोलोजी विभाग की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वाटर सोफ्टनर, आटोमेटिक पेरीटोनीयल डायलसर, जिनको एक वर्ष पहले लाया गया था, का कभी भी उपयोग नहीं किया गया है ;

(ग) इन उपकरणों को खरीदने के क्या कारण हैं और इनका मूल्य कितना है;

(घ) उपकरणों की खरीद में कौन से व्यक्ति शामिल हैं; और

(ङ) जिन व्यक्तियों ने उपकरणों का प्रयोग नहीं किया है उनके विरुद्ध उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) संस्थान ने सूचित किया है कि वाटर सोफ्टनर लगा दिया गया है और यह कार्य कर रहा है। संस्थान ने कोई भी स्वचालित पेरिटोनियम डायलिसर नहीं खरीदा है क्योंकि इसे इसकी लागत के अनुसार उपयोगी नहीं समझा गया।

डायलेसिस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले जल से अवांछित क्रिस्टलायडस को निकालने के लिए 20,116 रुपए की कीमत का एक वाटर सोफ्टनर खरीदा गया था। क्रय समिति ने इस उपकरण की खरीद करने के लिए सामान्य निर्धारित प्रक्रिया अपनाई थी। इस उपकरण को लगाने के लिए विशेष टैंक बनाने के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्य भी किए जाने थे। जिन्हें पूरा करने में ठेकेदार के साथ आयी कुछ समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ। अन्त में उपकरण को लगाने का कार्य संस्थान के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उपकरण को उपयोग में न लाने के लिए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

गैंगमैनों की मजदूरी से कथित गैर-कानूनी कटौती करना और उचित रेटों की व्यवस्था करना

5108. **श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक श्रम आयुक्त (सी) हजारीबाग द्वारा डिवीनल रेलवे मैनेजर, पूर्वी रेलवे, धनबाद को लिखे गए अपने 4 जुलाई, 1983 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 14 (51) 83 में यह लिखा है कि पी० डब्लू० आई० हजारीबाग के अधीन सरमाटाड में काम करने वाले गैंगमैनों की मजदूरी से गैर-कानूनी कटौती के लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर विवश होना पड़ेगा, क्या संबंधित गैंगमैनों की मजदूरी से की गई कटौती की राशि को एक सप्ताह के अन्दर उन्हें वापस नहीं किया गया है;

(ख) क्या सहायक श्रम आयुक्त (सी) ने यह बताया है कि ये गैंगमैन टैंटों में त्रिपाल के अन्दर रह रहे हैं जोकि भूमि की सतह से तीन फुट ऊंचे हैं और भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं और सशस्त्र सेना द्वारा प्रयोग किए जा रहे कपड़े के टैंट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो गैंगमैनों की मजदूरी से की गई गैर-कानूनी कटौती की अदायगी करने और उनके आवास के लिए उचित टैंटों की व्यवस्था करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

1990 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा

5109. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के नए बीस सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 1990 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने उक्त लक्ष्य को पूरा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी इस असमर्थता के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1990 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में छठी योजना के दौरान नामांकन के लक्ष्य प्राइमरी स्तर पर 95% और मिडिल स्तर पर 50% है। 1983-84 के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5 आयुवर्ग 6-11) और (कक्षा 6-8 आयुवर्ग 11-14) में राज्यवार नामांकन अनुपात (लक्ष्य) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जबकि छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नामांकन की

स्थिति सन्तोषजनक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्देह व्यक्त किया है कि लक्षित तारीख तक लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा असम सरकार का यह विचार है कि जबकि प्राइमरी स्तर पर नामांकन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगें, परन्तु मिडिल स्तर के सम्बन्ध में लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। दोनों मामलों में निधि के अभाव को मुख्य बाधा माना गया। तथापि राज्यों ने स्कूली शिक्षा के लिए अधिक निधि के ग्रावंटन हेतु 8वें वित्त आयोग से सम्पर्क किया है और आशा है कि 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगें।

विवरण

1983-84 के अंत तक प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-V तक आयु वर्ग 6-11 और कक्षा VI-VIII तक आयु वर्ग 11-14) में दाखिल अनुपात (लक्ष्य)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा I-V आयु वर्ग 6-11	कक्षा VI-VIII आयु वर्ग 11-14
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.3	44.9
2.	असम	70.4*	59.2*
3.	बिहार	83.0	34.0
4.	गुजरात	109.0	65.0
5.	हरियाणा	82.0	57.0
6.	हिमाचल प्रदेश	91.0	64.0
7.	जम्मू और काश्मीर	91.0	52.0
8.	कर्नाटक	86.7	35.9
9.	केरल	99.5*	90.3*
10.	मध्य प्रदेश	69.0	33.0
11.	महाराष्ट्र	115.0*	52.0
12.	मेघालय	116.7*	46.6*
13.	मणिपुर	105.8	71.0*
14.	नागालैंड	120.0	102.6
15.	उड़ीसा	89.0	40.0
16.	पंजाब	103.0	72.0
17.	राजस्थान	85.0	30.0
18.	सिक्किम	182.1*	68.4*

1	2	3	4
19.	तमिलनाडू	96.2	63.1*
20.	त्रिपुरा	103.9	47.5
21.	उत्तर प्रदेश	78.0	44.0
22.	पश्चिमी बंगाल	98.3*	उपलब्ध नहीं
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप	40.9	101.9
24.	अरूणाचल प्रदेश	93.8	33.1
25.	चण्डीगढ़	102.4*	89.5*
26.	दादरा और नागर हवेली	93.0	38.0
27.	दिल्ली	106.7*	90.4*
28.	गोवा दमन और दीव	110.6*	89.5*
29.	लक्षदीप	162.0	105.0
30.	मिजोरम	103.5	93.5
31.	पांडिचेरी	118.0	108.0
	कुल (राज्य और संघ शासित क्षेत्र)	93.3*	50.7*

स्रोत: राज्य योजना दस्तावेज ।

*1971 की जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर अनुमानित

कल्याण बिजलीघर में बिजली उत्पादन

5110. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कल्याण जिला (ठाणे) स्थित कल्याण बिजली घर में बिजली उत्पादन इसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता की तुलना में इसके बिजली उत्पादन का ब्यौरा क्या है और कम बिजली उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्थान पर 60 मेगावाट तक बिजली का और उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो संभावित व्यय तथा अब तक हुए व्यय सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और किस तारीख तक परियोजना के पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) कल्याण बिजलीघर के जनित्र सैटों की कुल संस्थापित क्षमता 96 मेगावाट की है जिसमें 12-12 मेगावाट के 2 सैट और 18-18 मेगावाट के 4 सैट लगे हैं। इस समय कल्याण बिजलीघर में 20 से 28 मेगावाट के बीच बिजली पैदा होती है। कम उत्पादन के प्राथमिक कारण ये हैं कि बिजली संयंत्र गतायु हो चुके हैं और अपना उपयोगी जीवनकाल पूरा कर चुके हैं। इन के उपयोगी जीवन काल में वृद्धि करने के लिए बड़े पैमाने पर इनके पुन: स्थापन की आवश्यकता है और 1980 में पुनः स्थापन की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पुन: स्थापन का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और उत्पादन का स्तर 1982-83 के 120 मेगावाट यूनिट से बढ़कर 1983-84 में 150 मेगावाट यूनिट तक पहुंच जाने की सम्भावना है। पुन: स्थापन कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् उत्पादन बढ़ करके 40 मेगावाट हो जाने की आशा है; जिससे 1985-86 से प्रतिवर्ष 240 मेगावाट यूनिटें डिलीवर की जा सकेंगी।

(ग) जी हां। गतायु जनित्र सैटों के बदलाव की योजना में पहले चरण के रूप में 60 मेगावाट की यूनिट संस्थापित करने का काम एक स्वीकृत निर्माण कार्य है।

(घ) 1982-83 में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से एक 60 मेगावाट के सैट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। अक्तूबर, 1983 तक 8.19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना के 1988 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

चिकित्सा-कार्यों सम्बन्धी वैज्ञानिक लेख

5111. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित चिकित्सा कार्यों सम्बन्धी वैज्ञानिक लेखों से कभी-कभी डाक्टरों में भारी उलझन पैदा हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन मामलों में जहां ऐसी रिपोर्टें छप जाती हैं, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अथवा औषध नियंत्रक द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि समाचार पत्रों में छपे लेख जहां-जहां कभी-कभी लोगों को शिक्षित करते हैं। वहां कभी कभार उन्हें गुमराह भी करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन लेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कितनी सावधानी बरती गई है।

औषधियों से सम्बन्धित प्रैस रिपोर्टें, जो समाचार पत्रों में प्राय: छपती हैं, अधिकतर वैज्ञानिक लेख नहीं होती हैं। ऐसी रिपोर्टों पर औषध नियन्त्रक (भारत) अलग से कोई प्रैस में स्पष्टीकरण जारी नहीं करते हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने तत्वावधान में किए गए आयुर्विज्ञान सम्बन्धी जिन अनुसंधानों को राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय महत्व को समझती है, उनके बारे में समय-समय

पर अपनी प्रैस विज्ञप्तियां जारी करती है। ये प्रैस विज्ञप्तियां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार प्रमाणीकृत रिपोर्टों पर आधारित होती हैं। समाचार पत्रों में अन्य एजेन्सियां रिपोर्टें छपवाती हैं। यदि ये रिपोर्टें सम्बन्धित वैज्ञानिक संगठन/संगठनों अथवा विशेषज्ञ/विशेषज्ञों से सत्यापित कराए बिना छापी जाती हैं तो ये गुमराह करने वाली हो सकती हैं। जब कभी ऐसी रिपोर्टें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के काम के बारे में होती हैं, तो आवश्यक समझा जाने पर यह परिषद समाचार-पत्रों में स्पष्टीकरण/उत्तर देती है।

आवासीय विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक अलग सुरक्षा बल का गठन करना

5111क. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू और वाराणसी विश्वविद्यालय की तरह बहुत से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रति वर्ष कुछ महीनों के लिए विद्यार्थियों के बीच गुट सम्बन्धी झगड़ों अथवा हड़तालों के कारण बन्द रहते हैं तथा इसमें उन विद्यार्थियों को, जो वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं, काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने आवासी विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक अलग सुरक्षा बल गठित करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सिफारिश को लागू करने की दिशा में कोई शुरूआत की गई है यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस सिफारिश को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। फिर भी, कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए गए आन्दोलनों से शैक्षिक जीवन में प्रायः बाधा उत्पन्न हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने बबर्रता, उठाई गीरी, चोरी आदि के विरुद्ध परिसर सम्पदा की सुरक्षा तथा आन्तरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों की अनुशासनिक प्रणाली के एक भाग के रूप में एक अलग सुरक्षा बल के सर्जन की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जिसके विचार इन सिफारिशों पर मांगे गए हैं इस मामले की गहराई से जांच करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अभी तक अपने काम को अंतिम रूप नहीं दिया है।

कल्याण बिजली घर का विस्तार

5111ख. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कल्याण बिजली घर, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या भूमि का अधिग्रहण किए जाने से विद्यमान गांवों और भवनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 120 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उक्त अधिग्रहण उल्हास नदी के साथ के चोला और ठाकुर्ली नाम के दो गांवो में स्थित भूमि के लिए है। कोई इमारत प्रभावित नहीं है और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि निचले क्षेत्र में भी है जो अधिकांशत: गैर-कृषि प्रकृति की है।

दिनांक 1-12-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1422 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 1-12-1983 को अतारांकित प्रश्न सं० 1422 के मुद्रित उत्तर में कुछ त्रुटियां चली गई थीं। इस प्रश्न के भाग (क) का सही उत्तर निम्नलिखित है :

"(क) जी हां। गुटनिरपेक्ष देशों की फिलिस्तीन सम्बन्धी आठ सदस्यीय समिति की 30-31 अक्तूबर, 1983 को अधिकारी स्तर पर बैठक हुई थी और 18 तथा 19 नवम्बर, 1983 को मंत्री स्तर पर।"

2. प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर यथावत है।

व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मामला क्या है ?

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे एक तार मिला है, श्रीमन्। खड़गपुर में रेलवे प्रेस ने श्रीमती गांधी के 40,000 इश्तहार छापे हैं। यह महत्वाकांक्षा है···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। तथ्यों को प्राप्त किए बिना मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसे लिखित रूप में दीजिए। अब आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते। ऐसा न करें। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य प्राप्त करूंगा और तभी मैं बोल सकता हूं, और तभी मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं। आप मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे अन्तिम दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आज इस सूत्र का अंतिम दिन हो। अगला सत्र भी होगा। इस पर मैं अनुमति नहीं दे सकता। तथ्यों के बिना मैं कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे लिखित रूप में दीजिए। मैं तथ्यों का पता लगाऊँगा और उसके बाद आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ठीक है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को रोकता नहीं हूं। प्रोफैसर साहिब, मैं नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप इधर देखें, मैं इस भद्र पुरुष के लिए क्या कर सकता हूं। वे प्रोफैसर हैं; वे नहीं जानते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इन बातों की अनुमति नहीं दे सकता। अनुमति नहीं है—उनका बोला हुआ एक भी शब्द कार्यवाही वृतांत्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं पता करवा लूंगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कठोर नहीं हूं। यह नियमों का प्रश्न है।

(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, 22 अगस्त को कृषि राज्य मन्त्री, श्री योगेन्द्र मकवाना ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि गौ मांस का निर्यात नहीं होता लेकिन मेरे पास प्रमाण मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद कहा था आप नोटिस दीजिए। आपने नोटिस दी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने नोटिस दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

मैं इसे देखूंगा। मैं तथ्य प्राप्त करके आपके पास आऊँगा। मैं अवश्य आऊँगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ब्रुक बांड कम्पनी ने दावा किया है कि सरकार से लाइसेंस लेकर गौ मांस बाहर भेजा जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

मैंने पहले ही नोट कर लिया है। जब मैं कार्यवाही कर लूंगा, तो आपके समक्ष आऊँगा। वो ठीक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्राइमाफेसी केस है, इसको प्रिविलेज कमेटी के साथ भेजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा। हर बात का पता करना पड़ता है फिर भेजते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है; कोई प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा निवेदन इस कल्पना पर आधारित है कि इस लोक सभा की बैठक फरवरी में भी होगी···

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों अपना दिमाग बेकार खपा रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं निवेदन कर रहा हूं वह उसी पर आधारित है। क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि···

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने आपको कल एक पत्र लिखा था जिसमें विश्व शान्ति परिषद से सम्बन्धित कुछ दस्तावेजों का उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको देखूंगा। मैं उसे मंत्रालयों को भेजूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप उसे विदेश मंत्रालय को भेजेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे भेजूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आज प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की है कि उन्होंने इस सदन के तीन सदस्यों को बाहुबली, जिला कोल्हापुर में हरिजनों तथा जैन समुदाय को परेशान करने के मामले की जांच के लिए नियुक्त किया है। मैं केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं जब ये तीन सदस्य प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट दें तो वह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाए।

अध्यक्ष महोदय : जब पुल आएगा तो हम उसे पार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया इसे पार करें।

अध्यक्ष महोदय : हम पार करेंगे, मैं कभी इसे बीच में नहीं छोड़ता।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त लोकमहत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पीलीभीत में एक आयुर्वेदिक कालेज बना है, 100 वर्ष उसको बने हुए हो गए हैं। आजादी के बाद 36 वर्ष बीत गए, एक महाराजा ने इस कालेज को बनवाया था, इसमें जो पहले 12 कमरों का हास्टेल था उसके बाद अभी तक 13वां कमरा नहीं बन पाया है। जितनी इमारत पहले बनाई गई थी उसमें आज तक कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। पहले ए क्लास में 42 लड़के भर्ती होते थे। अब स्टेट सरकार करने लगी है। पूरे क्लास में भर्ती भी नहीं हो पाती है। उस कालेज में सौ लड़के रह गए हैं। यह कितनी सरकार के लिए शर्म की बात है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लिया करें। आप तैश में आ जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है।

श्री रामलाल राही : क्या करें। तैश में आना ही पड़ता है। इस सरकार की करनी को देख कर तैश में आना ही पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : बात तो बात से बनती है। आयुर्वेद की बात है। अच्छी संस्था है। आप मुझे लिख कर दीजिए। मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा। यह स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामलाल राही : अब तक उसमें 42 सौ लड़के होते।

अध्यक्ष महोदय : बस कीजिए। बैठ जाइए। आपने जो कहा है, उस पर अब पानी मत फेरिए।

(व्यवधान)

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : भारत सरकार मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्या करने जा रही है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारा करवाया है। आप जाने, सरकार जाने।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बहस करवा सकता था। एक दफा नहीं तीन दफा बहस करवा दी है। अगले सैक्शन में भी करवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार का रवैया इस बारे में क्या है? सरकार स्पष्ट करे। सिफारिशें मंजूर करे या न मंजूर करे। इस प्रकार से आंख मिचौली क्यों खेल रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात करवा दी है। आप कहेंगे तो और करवा दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंडल कमीशन सरकार ने नियुक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, इसलिए डिसकशन करवाया था। डिसकशन तीन बार करवाया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार किस तरह से व्यवहार से कर रही है। अध्यक्ष जी, यह मामला इस तरह से टालने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे बस में हैं, वह मैंने करवा दिया है। आप जाने, सरकार जानें।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि तमाम मेम्बर्स इससे बहुत ज्यादा कन्सर्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी मदद करिए। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री रशीद मसूद : आप किस तरह की मदद चाहते हैं। आप बताइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। आप बताइए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।

श्री रशीद मसूद : आप इनसे जवाब दिलवाइए। सरकार क्या करने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मंडल आयोग के प्रतिवेदन का क्या लाभ है जब उन्होंने अपने हृदय की बात ही व्यक्त नहीं की है ? बच्चे को जन्म दिए बगैर विवाहित जीवन का क्या उपयोग है ? दो व्यक्तियों ने विवाह किया—एक पुरुष और स्त्री ने—बच्चे को जन्म नहीं दिया। हमें बच्चा चाहिए, अर्थात् मण्डल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन। हम जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे दम्पत्ति भी होते हैं जो सदैव शिशुहीन रहते हैं।

श्री के० मायातेवर : तो वे नपुंसक हैं। वे कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। वे अपने मन की बात को बिलकुल व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि शुरू-शुरू में जब ज्ञानी जैल सिंह जो यहां पर गृह मंत्री थे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बात चली थी। हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था और आपने भी हम लोगों की बातें सुनी और जजबातों को उन तक पहुंचाया। इसके बाद आपने एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके हम लोगों की मांगों को स्पष्ट किया और यहां पर मण्डल कमीशन की रिपोर्ट रखी गई। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट रखने से लगातार यह बात चल रही है। अब आप ही हम लोगों को बतायें···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : बताइए, मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : काका कालेलकर की रिपोर्ट की तरह से कहीं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट तो खत्म नहीं कर दी जाएगी। यहां हाऊस में पेश किया जाएगा या उसका यह स्वरूप होगा, केवल नाम ही रह जाएगा कि "मण्डल कमीशन—मंडल कमीशन"। इस बात का आप जवाब दिलवायें। इन मंत्रियों से हमारी कोई मांग नहीं है। इन मंत्रियों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। हमारा आपके ऊपर विश्वास है। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। आप बताइए—मंडल कमीशन का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप जब कहेंगे, मैं दोबारा बहस करवा दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि इन मंत्रियों और इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं। लेकिन हमारा आपके ऊपर विश्वास है। आप यह बताइए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे बस में कुछ नहीं है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कह दें कि आपके बस में नहीं है। यहां पर बात खत्म हो जाएगी। इस सदन की कोई उपयोगिता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे बस में कुछ नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपके बस की बात नहीं है, तो फिर हाऊस की कोई उपयोगिता नहीं है। (**व्यवधान**) हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रजातन्त्र में आप निस्सहाय हैं और यदि आप बिल्कुल निस्सहाय हैं, तो पालियामेंट को डिजोल्व कर देना चाहिए (**व्यवधान**) प्राइम मिनिस्टर इसको डिजोल्व नहीं करेंगी तो आप कीजिए जबकि स्पीकर बिल्कुल निस्सहाय है।

अध्यक्ष महोदय : आप यदि चाहें, तो मैं इस पर वहस करवा सकता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 70 करोड़ लोगों की निगाहें मंडल कमीशन पर लगी हुई हैं और उस पर क्या होता है, उसके लिए इस पालियामेंट पर लगी हुई हैं।

श्री रामलाल राही : मैं इतना जानना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक दफा बोल चुके हैं।

श्री रामलाल राही : मंडल कमीशन ने जो वैकवर्ड जातियां घोषित की हैं···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्रीमती प्रमिला डंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, पालियामेंट के चुनावों में इलेक्ट्रोनिक कम्पूटेराइजेशन पर 160 करोड़ रुपये की जरूरत के। एक साल है बाद अगर चुनाव होते हैं, तो मैक्सीमम जगहों पर इनको व्यवस्था करने के लिए कुछ चीज पालियामेंट में तो आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दो, तो हम करेंगे।

श्री छांगुर राम (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इतने कमजोर हो जाएंगे, तो फिर हमारी रक्षा कैसे हो सकती है और इस हाऊस की कैसे रक्षा होगी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर गवर्नमेंट कहे कि बहस नहीं हो सकती, तो मैं बहस करवा सकता हूं। इतना तो मैं कर सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इतना होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। (**व्यवधान**) सरकार पर इतना दबाव पड़ रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मेरे अधिकार में यह है कि मैं बहस करवा दूं। अब अगर आप चाहे कि मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण करूं, तो बात ठीक नहीं बनेगी। मैं आपको बोलने की गारण्टी दे सकता हूं। उसकी आज़ादी दे सकता हूं और यदि कोई हाऊस में विचार रखने से मना करे, तो मैं विचार रखवा सकता हूं। (**व्यवधान**) संसद में अगर कोई अपनी बात कहना चाहे, तो किसी तरीके से आपके विचारों की अभिव्यक्ति करवा सकता हूं। यह मेरे जिम्मे है लेकिन अगर आप कहें कि मैं सरकार से कोई बात लागू करवा दूं, तो वह मेरे बस में नहीं है। यह काम तो सरकार का है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मैं आपकी टिप्पणियों पर कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ आपने कहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जब चर्चाएं होती हैं और सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं तो उन्हें कार्यान्वियत नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में क्या यह पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है कि वे उन्हें उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए कहें ?

श्री रामलाल राही : मंडल कमीशन ने जो जातियों को बैकवर्ड घोषित किया है, उन पर सरकार को विश्वास है या नहीं। वे बैकवर्ड हैं या नहीं, इस बात को मंत्री जी कह सकते हैं। (**व्यवधान**) मंत्री जी इसकी छानबीन करवाएं कि वे बैकवर्ड हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए। श्री बृजमोहन महन्ती।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : अमृतसर के रामतीर्थ मन्दिर में भगवान जगन्नाथ तथा अन्यों के देवी-देवताओं की कुछ सिख युवकों द्वारा प्रतिमाओं को जला दिए जाने की घटना के कारण उड़ीसा राज्य में व्यापक गड़बड़ी तथा तनाव चल रहा है। न केवल हिन्दु समुदाय बल्कि उड़ीसा का सिख समुदाय भी इस बारे में उत्तेजित है। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में सख्त कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं करवा दूंगा। कल भी यह आया था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं दुख, क्रोध तथा घृणा से प्रेरित होकर बोल रहा हूं। आप इस बीस वर्षीय लड़के का चित्र देखिए। हरेक व्यक्ति यही चाहेगा कि उनका इतना सुन्दर लड़का हो। इस लड़के की हत्या कर दी गई थी—यह नृशंस हत्या है जो अजमेर में हुई है। राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपकी तथा अपनी मजबूरियों को जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल मेरे पास आचार्य भगवान देव आए थे।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप यह सुनिश्चित करें कि गृह मंत्री इस पर कोई कार्यवाही करें। हजारों छात्र बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे प्रधान मंत्री के पास गए हैं और इस नृशंस हत्या को हुए दो सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। कल मुझसे एक डेपूटेशन मिला था और उसमें आचार्य भगवान देव और दूसरे लोग थे। उन्होंने इस विषय पर बात की और मैं आप की बात को समझता हूं। इसमें बड़ी भारी बाधा आ जाती है। मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा है और चीफ मिनिस्टर को भी लिखा हैं। मेरा विचार है कि वे कार्यवाही करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह मामला अजमेर से सम्बन्धित है।

श्री आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आज सुबह डेपुटेशन प्रधान मंत्री जी से भी मिला है। वे भी उचित कार्यवाही कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें बता दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बंगला देश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें भारतीयों की सारी सम्पत्ति को नीलाम करने के लिए कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पहले ही कर चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : विदेश मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कर चुका हूं। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको सदन में कई बार आश्वासन दिया गया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट···

अध्यक्ष महोदय : बार-बार बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार कह दो या हजार बार कह दो, बात वहीं की वहीं है जब तक कि गवर्नमेंट आप नहीं करती।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप यह बताइए कि हमारे लिए क्या रास्ता है ? जब सदन में बात हो गई, हम अब तक आवाज उठाते रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलिए, सौज साहब, आप बोलिये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जनाब स्पीकर साहब, मरकजी सरकार की तवज्जोह अपनी रियासत में दो सेक्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि मुल्क में तरक्की हुई है और हमारी रियासत में भी कुछ तरक्की हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ तरक्की हुई है···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरी अर्ज सुन लीजिए। हमारे यहां दो सेक्टर ऐसे हैं जिनमें तरक्की बहुत कम हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप मोशन दीजिए, मैं डिस्कशन करवा देता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एक इंडस्ट्री है और दूसरी रेलवे है। मैं अर्ज करता हूं कि इंडस्ट्री में 29,550 करोड़ रुपए खर्च किए गए (**व्यवधान**) और इसी तरह रेलवेज में···

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब बैठिए। आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं 377 में करवा देता हूं। आप लिखकर दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक आवश्यक बात आज यह है कि आज हाउस देर तक चलेगा, शाम के 6 बजे के बाद से हमारा एक और विचार चल रहा है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने आपको निमंत्रण दिया है। आपको भोजन भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए भोजन है। खाना खाने वालों से पहले ही मैं कह रहा हूं कि भोजन का नाम है लेकिन खाना आपको खाना है। इसलिए मैं डबल नाम ले रहा हूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए दोनों की बात मुझे करनी पड़ती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चर्बी की बहस करते समय हमें खाना कैसे खिलाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : खाना भी खिलाएंगे बहस भी करेंगे।

———

लोक सभा के महासचिव श्री अवतार सिंह रिखी के सेवा-निवृत होने पर कार्यभार से मुक्त होने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : आज एक स्पेशल बात यह है कि हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं वे 31 दिसम्बर को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इन्हें अभी तक सेक्रेटरी जनरल तो बनाया ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बनाना चाहता था, इन्होंने कहा कि मुझे सेक्रेटरी ही रहने दो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज अनाउंसमेंट कर दीजिए कि ये एज सेक्रेटरी जनरल रिटायर करेंगे। इसके साथ न्याय नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कर दिया। ये हो गए सेक्रेटरी जनरल।

वे महासचिव के पद से सेवा निवृति लेंगे।

इस विषय में मैं अब कार्यवाही करना चाहता हूं।

मुझे सदन को सूचित करना है कि लोक सभा के महासचिव श्री अवतार सिंह रिखी के सेवा-निवृत होने पर वह 31 दिसम्बर, 1983 से कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं।

पिछले साढ़े छः वर्ष से वे लोक सभा के सचिव रहे हैं। वे अखिल भारतीय सेवाओं के 1945 के बैच से हैं। वे यहां 1956 में अध्यक्ष महोदय मावलंकर के समय में उप-सचिव की हैसियत से आए थे। सेवा की अपनी लम्बी अवधि में उन्होंने संस्था की बहुत विशिष्टता से सेवा की है तथा कार्य और कर्त्तव्य के प्रति असाधारण उत्साह का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सदन के दक्ष कार्यकरण में बहुत सहायता की है तथा प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य मामलों में अध्यक्षपीठ को सदैव सही परामर्श दिया है। प्रक्रिया के मामलों में उनकी सलाह सदन के सभी सदस्यों को मिलती थी चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों।

श्री रिखी अन्तरसंसदीय संघ, राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन, संसदों के महासचिवों की एसोसिएशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं तथा अपने समर्पित कार्य तथा सौम्य व्यवहार के कारण इन मंचों के जाने-पहचाने व्यक्तित्व रहे हैं।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित विचार गोष्ठियों तथा गोष्ठियों में वे विशेष रुचि लेते हैं, जिनमें न केवल संसद सदस्य बल्कि राज्य विधान मंडलों के सदस्य तथा अंतर-संसदीय दल के सदस्य भी भाग लेते रहे हैं।

वित्तीय समितियों के साथ अपने दीर्घकालीन सहयोग के दौरान वे समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा उनके प्रतिवेदनों को संगत व रचनात्मक बनाने में सहायक रहे हैं।

साढ़े छः वर्ष की समस्त अवधि के दौरान लोक सभा की बैठकों से एक दिन भी अनुपस्थित न रहने की श्री रिखी की अद्वितीय विशिष्टता रही है और यह एक रिकार्ड है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इससे उनकी हमारे प्रति सहनशीलता का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय अधिकारियों की सच्ची परम्परा में उन्होंने परिश्रमपूर्वक अनामत्व ग्रहण कर लिया है और संस्था के हित को निरपवाद रूप से शेष सभी बातों से सर्वोपरि समझा है। अपने शिष्ट व्यवहार से उन्होंने स्वयं को सर्वप्रिय बना लिया है।

सदन तथा इसकी समितियों के लिए अपनी दीर्घकालिक तथा विशिष्ट सेवाओं के रिकार्ड की सराहना में पिछले पूर्वोदाहरणों का अनुसरण करते हुए मैंने उन्हें सदन का सवैतनिक अधिकारी नियुक्त किया है। यह उनकी सेवाओं का सही सम्मान होगा।

हमें उनकी अनुपस्थित खलेगी। आने वाले वर्षों में उन्हें हमारी शुभ-इच्छाएं तथा हमारी कामना है कि वे किसी अन्य हैसियत में देश की सेवा करते रहें।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : महोदय, श्री रिखी को उनकी पिछले साढ़े छः वर्ष में, जिसमें से पिछले लगभग चार वर्ष से मुझे उन्हें अपना कर्त्तव्य निभाते देखने का अवसर मिला है, सदन के लिए की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए दिए गए सम्मान से मैं आपके साथ हूं। आपने उन्हें महासचिव का पद दिया है, इसके लिए में उन्हें बधाई देती हूं। लोक सभा के सचिव का कार्य सरल नहीं है। सचिव व महासचिव को न केवल प्रक्रिया तथा नियमों की बल्कि बहुत-सी अन्य बातों की भी जानकारी रखनी पड़ती है तथा सदस्यों की चिंता को सहानुभूति तथा सूझ-बूझ की दृष्टि से देखना होता है और वास्तव में उन्हें सदैव बहुत सतर्क होना चाहिए।

श्री रिखी ने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा से संसदीय कार्य में उपयोगी योगदान दिया है। उन्होंने हमारी संसद की महान् परम्पराओं को बनाए रखा है। मैं श्री रिखी को अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आने वाले वर्षों में उनके सुखी जीवन के लिए शुभ-कामनाएं देने में आपके साथ हूं और भविष्य में वे जो भी कार्य करें उसके लिए भी हमारी शुभ-कामनाएं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, मैं उन्हें बधाई देने में आपके साथ हूं तथा आपके द्वारा व्यक्त किए गए उद्‌गारों में पूर्णतया सहमत हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब भी मैंने उनसे कोई सहायता चाही, मैंने देखा है कि वे सहायता करने में बहुत तत्पर थे। मैं वह उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जब आधी रात को श्री दिनेश भट्टाचार्य की मृत्यु हो गई; प्रातः बहुत जल्दी ही मैंने उन्हें टेलीफोन किया और उन्हें बताया कि यह दुःखद घटना हो गई है और उनका पार्थिक शरीर कलकत्ता भेजा जाना है। उन्होंने तुरंत कार्यवाही की तथा पूरी व्यवस्था कर दी और उनका पार्थिक शरीर कलकत्ता ले जाया गया। मुझे याद है वे इस मामले में हमारी सहायता करने में कितने तत्पर थे। एक अन्य अवसर पर एक अन्य संसद सदस्य मुकुन्द मंडल हमें

छोड़कर चले गए। उस मामले में भी जब यह दुःखद घटना घटी तो मैंने तुरंत उनसे सम्पर्क स्थापित किया तथा मुझे उनकी पूरी सहायता तथा सहयोग मिला। संसद सदस्यों को आयुर्विज्ञान संस्था में या हस्पताल में भर्ती कराने के मामले में, मैंने अनेक बार उनकी सहायता ली हैं और वह हर संभव सहायता करने में बड़े ही तत्पर रहे हैं।

इससे संसद सदस्यों के प्रति, किसी दलीय लगाव पर ध्यान दिए बिना, उसकी कर्त्तव्य परायणता और रवैये का पता चलता है। मैंने सदैव उनके चेहरे पर हंसी पाई है और अपने व्यवहार में वह सर्वाधिक शालीन रहे हैं। ये इतने अच्छे गुण हैं, जो कि हमें प्रायः सभी अधिकारियों या विशिष्ट व्यक्तियों में देखने को नहीं मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपनी बधाई में उल्लिखित योग्यताओं के अतिरिक्त ये उनके अतिरिक्त गुण हैं।

जब कभी भी बिदाई की बात आती है, उसमें कुछ न कुछ दुःख की भावना अवश्य होती है। मैं आशा करता हूं कि उनका भावी जीवन शान्तिमय होगा। हम आशा करते हैं कि अपने लम्बे अनुभव से भविष्य में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य रूप में हमें सहायता देते रहेंगे। उन्होंने हमारी जो सेवाएं की हैं मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री रशीद मसूद (सहानरपुर): मोहतरम् स्पीकर साहब, आपने जिस ख्यालात का इजहार फरमाया है मोहतरम् रिखी साहब के लिए, मैं अपने आपको और अपनी पार्टी को उससे बिल्कुल मुत्तफिक पाता हूं। आज हमारे लिए एक अजीब-सा मौका है। ऐसे वाक्यात और मकाम इंसान की जिन्दगी में बहुत कम आते हैं, जब वह खुशी और गम दोनों से दो-चार होता है। आज जिन ख्यालात का इजहार रिखी साहब के बारे में किया जा रहा है, उनको सुनकर एक खुशी-सी महसूस होती है। जो ख्याल और इज्जत हम रिखी साहब के लिए रखते थे, पूरा हाऊस का हाऊस वही इज्जत इनके लिए रखता है। दूसरी तरफ, इस बात का अफसोस है कि रिखी साहब सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से हमारे दर्म्यान नहीं थे। रिखी साहब के साथ रहने का इत्तफाक मुझे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान से बाहर भी हुआ। एक शेर मुझे याद आ रहा है। मैं रिखी साहब की नजर करता हूं।

"कितने शिरी हैं, तेरे लब के रकीब,
गालियां खा के बद-मजा न हुआ।"

बहुत से ऐसे मौके आते हैं और आए, जब हम लोग रिखी साहब के साथ जज्बात में, गलतफहमी में या किसी भी वजह से गुस्से हुए हैं और बहुत-सी मर्तबा बहस मुबाहिसे के मूड में भी आए, लेकिन इनकी तारीफ करनी पडेगी, जैसा मैंने कहा है कि "गालियां खा के बद-मजा न हुआ"। हमारे उस गुस्से का हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कोई गुस्सा कर ही नहीं रहे हैं और कोई इनसे बहुत अच्छाई या तारीफ की बात कर रहे हैं। वही हंसमुख चेहरा, वही हंसकर के जवाब देना, वही इमदाद जिस तरीके से हो सकती है, करना। यह तो इनकी इंसानी खसूसियत थी जो बहुत कम लोगों में होती है। वह खसूसियत जो एक सेक्रेटरी जनरल में पार्लियामेंट के तमाम रूल्स के ऊपर और पार्लियामेंट से मुताल्लिक कवानीन पर गिरफ्त हो, उसमें

रिखी साहब का कोई जवाब नहीं। मुझे हिन्दुस्तान के बाहर डेलीगेशन में कई बार जाने का मौका मिला और कई लोगों को इस सिलसिले में देखने का इत्तफाक हुआ है। लेकिन, जो हमा-वक्त इमदाद रिखी साहब की तरफ से मिलती रही, वह हर आदमी से नहीं मिली। हमें महसूस हुआ कि हमारे रिखी साहब हमारी पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर से मुकम्मिल तौर पर वाकफियत नहीं रखते हैं बल्कि इंटरनेशनल कांफ्रेंसेज के कवानीन और जुबावित में ज्यादा महारत रखते हैं। यह खसूसियात और क्वालिटिज बहुत कम लोगों में देखने में आती हैं। सबसे बड़ी बात जो सेक्रेटेरियट के लिए जरूरी है कि किसी के साथ इम्पारशियलिटी व गैर-जानिबदाराना तरीके से काम करना। अपोजिशन के लोगों को अहसास न हो कि हम अपोजिशन में हैं और रूलिंग वालों को अहसास न हो कि हम रूलिंग में हैं इसलिए जो चाहें करवा लें। खसूसियात कोई मामूली खसूसियात नहीं है। इसके ऊपर पूरे पार्लियामेंटरी सिस्टम की बुनियाद है। लिहाजा मैं रिखी साहब को उनके इस कद्र इमदादी साढ़े छः साल हमारे साथ बिताने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अब वह हमारे दरम्यान सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से नहीं होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे जब भी कभी हम लोगों को रिखी साहब की मदद की जरूरत पड़ेगी—मुझे यकीन है कि पड़ेगी—हमें उनकी मदद जरूर मिलेगी। जो छाप वह हमारे दिलों पर छोड़ गए हैं उससे हमें अंदाज होता है कि हम आसानी से रिखी साहब को छोड़ेंगे नहीं, उनकी मदद जरूर लेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारी मदद करते रहेंगे। यही मुझे अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे महासचिव अवतार सिंह रिखी जी 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह समय के साथ कदम मिलाकर चलते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वर्ष समाप्त हो रहा है उनका सेवा काल भी समाप्त हो रहा है और इस प्रकार वह उस अपने कार्यकाल के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं।

महोदय, मैं अपने महा-सचिव के साथ अनेकों समान अनुभवों और मेल मिलापों में सहभागी रहा हूं। आपको यह याद करके प्रसन्नता होगी कि वह 9 वर्ष तक रेलवे में सेवारत रहे जबकि मैं केवल दो वर्ष तक ही रहा हूं। परन्तु मैं सदैव यह अनुभव करता हूं और मैं अपने रेलवे अधिकारियों से सदैव यह कहता रहा हूं कि 'आप लोग तो स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि मन्त्री लोग तो केवल नैमित्तिक श्रमिक हैं। आप तो वहां पर लम्बे समय तक सेवा करते रहेंगे।' वह 9 वर्ष तक सेवारत रहे। रेलवे के साथ उनका भारी सम्बन्ध रहा है और उन्होंने प्राक्कलन समिति काम में रेलवे के अपने लम्बे अनुभव से प्राक्कलन समिति की सहायता की और प्राक्कलन समिति ने जब रेलवे विभाग की जांच की तो समिति के कार्य में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया।

उनके साथ काम करनेव ऐसे बहुत से अन्य अवसर मिले हैं। मैं उनके साथ अण्डमान में था। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय नहीं, अपितु प्राक्कलन समिति के दौरे के समय और वहां हमें मालूम हुआ कि प्राक्कलन समिति के काम में एक अधिकारी के रूप में वह कितनी बारीकी से काम करते थे, समिति के कार्य में उनकी कितनी गहन रुचि भी तथा विशेषकर वित्तीय मामलों पर वह नवीन प्रकाश डालते थे जिससे समिति को अत्यधिक सहायता मिली।

जहां तक इस सदन में उनके कार्य का सम्बन्ध है, कई अवसरों पर हमें यह सुखद अनुभव हुआ था कि जब पीठाध्यक्ष—मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं—को यह सन्देह होता था कि हम जो बात उठा रहे हैं क्या वह नियमों के अनुसार है। तो कई अवसरों पर हमने देखा है कि महा-सचिव पीठाध्यक्ष के पास जाकर उन्हें बताते थे कि जो कुछ वह बोल रहे हैं वह नियमानुसार है और ऐसे अवसर कभी भी भुलाए नहीं जा सकते जब उनकी सहायता के कारण ही हम इस सभा में बोल सके और महोदय, निस्सन्देह आपका योगदान भी उसमें सदैव रहा है।

जहां तक सभा में उनके कार्य का सम्बन्ध है, उन्होंने सदस्यों को सभी तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, चाहे वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों या विपक्ष के और इस सदन में कार्य करने वाले व्यक्ति का यही गुण होता है।

परन्तु महोदय, इस सभा का एक और संयोजनहै और वह है शून्यकाल का संयोजन। महोदय, मुझे अपने एक मित्र की याद आती है, जो कि मुझे बता रहे थे कि चूंकि रेलवे स्टेशन पर जहां वे काम करते थे, भारी यातायात होता है और रात को भी उन्हें रेल-गाड़ियों का शोर-गुल सुनाई पड़ता था। और जब वह सेवानिवृत्त होकर किसी शान्त स्थान पर चले गए तो उन्होंने बताया, "मुझे कभी भी गहरी, अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं रेलगाड़ियों के शोर-गुल का आदि हूं।" ऐसा ही श्री रिखी के साथ होने की संभावना है, क्योंकि वह 6 वर्ष से भी अधिक शून्यकाल के हो-हुल्लड़ के आदी रहे हैं। उनके कान शून्यकाल की लय के सुरीलेपन और आवृति के आदि हो गए हैं और इसलिए जब वह सेवा निवृत्त हो जायेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शान्त-जीवन व्यतीत कर रहे होंगे तो मुझे विश्वास है कि अपने परिबार-जनों के बीच भी उन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी, क्योकि उन्हें शून्यकाल के हो-हल्ले की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा होता रहा है।

मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। हम सभी को, जो कि इस सभा से संबंद्ध हैं, यह याद होगा और मैं केवल एक रचनात्मक सुझाव दूंगा कि इस सभा की यह परम्परा रही है कि जिस किसी ने भी इस सभा में सचिव या महा-सचिव के रूप में सेवा की है, जब वह सेवानिवृत होता है तो उसकी स्पष्ट स्मरणशक्ति होती है और वह अपने अनुभवों को पुस्तक रूप दे देता है और देखना यह है कि किस प्रकार श्री कौल और शकधर की पुस्तक हमारे लिए लगभग बाईबल का काम कर रही है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि यदि हमारे बारे में उनके कुछ अच्छे अनुभव हैं, हमारे बारे में बुरी बातें भूलते हुए और यदि उन्होंने कुछ रुचिकर पूर्वोदाहरणों का अनुपालन किया है तो जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो एक और पुस्तक लिखें जिससे कि जैसे कौल और शकधर न केवल भूतपूर्व महासचिवों के रूप में स्मरण किया जाता है अपितु उन्हें इस सभा की प्रक्रियों और कार्यवाहियों पर विशेषज्ञों के रूप में याद किया जाता है तो वह भी इस सभा में हुए सभी अनुभवों को उजागर करने के लिए अपनी स्पष्ट स्मरणशक्ति का उपयोग करेंगे और मेरे विचार से वह सर्वोत्तम पुस्तक होगी जिसके लिए वह सदैव याद किए जाते रहेंगे।

महोदय, मैं श्रीमान रिखीजी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका उल्लेख मुझे प्रसिद्ध पंजाबी कवि वारिस शाह की याद दिलाता है :

आदतां पइयां जांदियां नहीं वारिस शाह,
चाहे करिए पोरियां पोरियां नी,
खारे खू नहीं हुंदे मिट्ठे,
चाहे खंड सुटिए बोरियां बोरियां नी।

इसका अर्थ मैं बताता हूं।

प्रो० मधु दण्डवत : हमें समझे बगैर ही हंसी आ गई थी।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : समझे तो नहीं हैं, मगर फिर भी वाह वाह।

अध्यक्ष महोदय इसका अर्थ यह है कि आदत जो पड़ जाती है सुनने की या करने की वह जाती नहीं है चाहे पोरि पोरि करके काटो जिस्म को। जैसी खारे कूए में मीठा चाहे जितना डालते रहो पानी मीठा नहीं होगा। खारे कूए में खांड भर भर कर डालते रहो वह मीठा नहीं होगा। तो इस तरह से आदत बन जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कौल और शकधर के बाद लोक सभा का प्रमुख पद सम्हालना अपने में एक बड़ा दायित्व था क्योंकि कौल और शकधर अपनी सेवाओं से, अपनी उपलब्धियों से और अपने व्यवहार से अपने लिए स्थान बनाने में सफल हुए थे। लेकिन जब श्री रिखी को सचिव का पद दिया गया तो हम लोग जानते थे कि वह अपने दायित्व के निर्वाह में पूरी तरह सफल होंगे। और आज जब वह हमसे विदा ले रहे हैं, हम उन्हें विदा दे रहे हैं तो सदन भी यह संतोष कर सकता है कि रिखी के रूप में हमें ऐसा सचिव मिला, अभी उन्हें आपने सेक्रेटरी जनरल बनाया है, कि जिसने अपने कर्तव्य के प्रति पूरी प्रमाणिकता बरती और कर्तव्य का पालन करने में किसी तरह की कसर नहीं रहने दी।

1957 से रिखी साहब को सचिवालय में सक्रिय देख रहा हूं। अभी माननीय दंडवते जी ने उल्लेख किया पार्लियामैंटरी कोटीज के साथ उनके सम्बन्ध का, उनके सहयोग का। मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कोटी के मेम्बर के नाते उन्हें देखता रहा, फिर मुझे अध्यक्ष के नाते काम करने का मौका मिला। संसद का ठीक काम तो समितियों में होता है। अगर हम और समितियां बना सकते और उनमें गहराई से मामले लेजाकर विचार कर सकते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर लोक लेखा समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित समितियां अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पा रही हैं तो उसके लिए उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य तो बधाई के पात्र हैं ही, अगर पर्दे के पीछे जो सचिवालय काम करता है और उसमें रिखी जैसे जो अधिकारी काम करते हैं उनका योगदान सचमुच में उल्लेखनीय और सराहनीय है।

बाद में रिखी साहब सचिव बने और एक बात मैंने देखी, पता नहीं सदन के कितने सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि हमारे सदन में एक नई परम्परा रिखी साहब ने शुरू कर दी है जब वह आते हैं और सदन के सदस्य एकत्रित होते रहते हैं उस समय, अध्यक्ष महोदय, आप तो बाद में आते हैं, रिखी साहब आकर अपने स्थान पर शांति से खड़े हो जाते हैं और टेबिल के चारों तरफ जो अफसर बैठते हैं, वह भी एक मिनट के लिए मौन के लिए खड़े हो जाते हैं। यह एक नई चीज है जो इन्होंने शुरू की है। शायद दिन का काम आरम्भ करने से पहले वह हर एक से चाहते हैं कि अपने मन में किसी का स्मरण कर लो और आज का दिन ठीक तरह से गुजर जाय, हम अपने कर्तव्य का संतोष के साथ पालन कर सकें इसलिए किसी के प्रति अपना समपर्ण प्रकट करो। रिखी साहब सचमुच में एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत परिचय से मैं उन्हें जान सका हूं। लोक सभा के नियम और प्रक्रिया के प्रति सतत जागरुक रहना, अध्यक्ष को सही सलाह देना···यह तो उनका एक दायित्व था, मगर उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। उदाहरण के लिए बहुत से सदस्यों को यह सलाह देते रहते हैं कि आप सवेरे घूमने जाते हैं, कि नहीं जाते हैं, सबेरे जरूर घूमने जाइए। अब वह जाते हैं। गर्मी में जाना संभव भी हो सकता है, मगर सर्दी में कौन जाए ? मगर रिखी साहब सलाह देंगे। यह बिना आत्मीयता, बिना ममत्व और बिना लगाव के नहीं हो सकता।

सचिव को क्या पड़ी है कि कोई सदस्य सवेरे घूमने जाता है या नहीं जाता है, जाता है तो अच्छा और नहीं जाता है तो और भी अच्छा। मगर रिखी साहब के लिए सदस्य सिर्फ एक इकाई नहीं, वह एक जीवित व्यक्ति हैं; जिसके साथ उनका सम्बन्ध है। वह सम्बन्ध केवल औपचारिक नहीं है, केवल संसद की सदस्यता तक सीमित नहीं है, जैसा मैंने कहा उसमें कुछ अपनापन है। यही अपनापन जब विदेश यात्रा पर हम लोग जाते हैं तो और भी बढ़ जाता है।

मैं और भी कहूंगा कि जो भी हमारे अफसर इस परम्परा में पले हैं, सचमुच में संसद के सचिवालय की एक परम्परा है। श्री कौल ने, श्री शकधर ने उस परम्परा को निभाया और रिखी साहब, जो ऊपर से शांत, सीधे, मित-भाषी, मगर मिष्टाभाषी दिखाई देते हैं, कौल और शकधर के व्यक्तित्व की तुलना में रिखी साहब सरल से लगते हैं, मगर एक बार जिम्मेदारी आ गई तो उस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़ी दृढ़ता से पालन किया है।

हम लोग सचमुच में उनका अभाव अनुभव करेंगे, मगर मुझे मालूम है कि जिस तरह का हमारा सचिवालय है और इसमें काम करने वाले लोग हैं, यह परम्परा जो रिखी साहब के पूर्ववर्ती सचिवों ने डाली और रिखी साहब ने उसे आगे बढ़ाया, यह परम्परा और आगे बढ़ेगी।

आपने रिखी साहब को परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया है, हमें उनकी सलाह का लाभ मिलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने उनके रिटायरमेंट से पहले सेक्रेटरी जनरल बना दिया, लेकिन आपने जो बात बताई, वह भी रिखी साहब के व्यक्तित्व को बताती है कि आप उन्हें पहले सेक्रेटरी-जनरल बनाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, मैं सचिव के नाते ही काम करूंगा। यह बात उनके व्यक्तित्व को एक ऐसा आयाम प्रदान करती है जो सचमुच में बिरले व्यक्तियों में मिलती है।

हम लोग रिखी साहब को बधाई देते हैं, उनका समय लोक-सभा के सचिवालय में बहुत साल का और उपलब्धियों का बीता, उनका शेष जीवन सुखी हो, वह स्वस्थ रहें, जो भी समय बचे उसका लाभ वह अपने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में करें। यह हमारी कामनाएं हैं।

धन्यवाद।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली में लोक सभा के सचिव की भूमिका लोक-निकायों से कहीं अधिक निर्णायक है। यद्यपि श्री अवतार सिंह रिखी से मेरी बहुत कम जान-पहचान है, परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि वह एक प्रभावशाली और कुशल अधिकारी थे और सदस्यगण उनके पास जो भी समस्याएं लेकर जाते थे उनको वह बड़ी ही शालीनता से हल करते थे। हमारी लोक सभा की प्रक्रियाओं के ढांचे, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी परिकल्पना और उनका निर्णय, अध्यक्ष पीठ और सदस्यों के लिए उपयोगी और सहायक होता था।

महोदय उन्होंने बड़ी ही मूल्यवान सेवा की है, न केवल सभा की अपितु विभिन्न अध्ययन-गोष्ठियों का आयोजन करके और विधान-सभाओं के सदस्यों को एक विशिष्ट स्थल पर एकत्र होकर संसदीय प्रणाली की विचारधारा को प्रोत्साहन देने हेतु विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए आमन्त्रित करके भी जिससे कि लोकतान्त्रिक संस्थानों/संस्थाओं को सबल, सशक्त बनाया जा सके। वह सब उन्होंने अपने सचिव पद के सेवाकाल में किया है। जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने यहां कहा है, उनके लम्बे अनुभव और उनका ज्ञान संसद सदस्यों और जनता दोनों के लिए ही, भविष्य में उपयोगी होना चाहिए। इतना कहते हुए, मैं रिखी जी से केवल यह अपील करता हूं कि सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे आशा है कि कुछ उपयोगी अनुसंधान कार्य करके कुछ मूल्यवान किताबें सांसदों और जनता की भलाई के लिए लिखेंगे।

महोदय, आपने उनको 'महासचिव की उपाधि आज ही दी है और इस पुरस्कार को स्वीकार करके मैं आशा करता हूं कि श्रीमान रिखी साहब अन्य महासचिवों के पद-चिन्हों पर चलेंगे जिन्होंने समाज की सेवा की है।

इतना कहकर, मैं इस सभा और संसदीय प्रणाली के अन्य मंचों को प्रदान की गई उनकी मूल्यवान सेवाओं के लिए श्रीमान रिखी को बधाई देता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल, श्री अवतार सिंह रिखी, इस माह के अन्त में लोक सभा की सेवा से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। एक खास अवधि के बाद सरकारी एवं संसद के सेवकों को अवकाश ग्रहण करना ही पड़ता है। अगर ऐसा न हो, तो नए सेवकों को आगे बढ़ने का कभी अवसर ही न मिले।

जब भी हमारे कोई सचिव अवकाश ग्रहण कर हमसे बिछुड़ते हैं, तो दुखी होना तथा उनकी कमी को महसूस करना स्वाभाविक है। श्री रिखी की विदाई से भी हमें दुख है, क्योंकि अगले सत्र में हमें उनका साहचर्य और सहयोग नहीं मिलेगा।

श्री रिखी जितने दिनों तक भी लोक सभा के सचिव रहे, उन्होंने योग्यता और निष्ठा के

साथ काम किया है। उनका व्यवहार हमारे साथ मधुर और सौहार्दपूर्ण रहा है। उनका मृदुभाषी होना उनका स्वाभिक गुण है। एकाध बार मेरे जैसे सदस्य के कुछ कटु शब्दों को भी उन्होंने हँसते-हँसते सुना और बुरा नहीं माना।

श्री रिखी के साथ मुझे सरकारी उपक्रमों की समिति में भी काम करने का अवसर मिला था।

अत: मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से श्री रिखी की सेवाओं के लिए सद्भावना व्यक्त करता हूं और उनके स्वस्थ रहने और एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, श्री रिखी साहब आज जिस सीट पर बैठे हैं, 31 दिसम्बर के बाद वह इस सीट पर नहीं होंगे, क्योंकि वह 31 दिसम्बर को रिटायर कर रहे हैं। लेकिन आज आपने सदन में जो घोषणा की है, उससे हम मान कर चलते हैं कि हम सदस्यगण या संसद को उनकी सेवाओं और योग्यता से लाभ मिलता रहेगा, जो उन्होंने आज तक इस सदन और इस संसद की सेवा करके हासिल की हैं।

जो शब्द आपने, सदन की नेता ने और विरोधी दलों के सम्मानित नेताओं ने श्री रिखी साहब के बारे में कहे हैं, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं। साथ ही मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं। मैं एक नया सदस्य हूं। मुझे इससे पहले लगभग साल भर शकधर साहब के कार्य को देखने का भी अवसर मिला और रिखी साहब के कार्य को भी देखने का अवसर मिला। हम जैसे नौजवानों को उनसे बहुत बल मिला है। हम लोगों ने कभी-कभी देखा है कि जब कभी हम आपके पास सलाह-मशवरा करने गए हैं, तो आप कहते हैं कि देखेंगे, देखेंगे, कमरे में आइए। लेकिन रिखी साहब ने कभी नहीं कहा कि हां, देखूंगा, देखूंगा। उन्होंने कहा कि जो रूल्स रेग्युलेशन्स में होगा वैसा ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। रूल्स जो कहेंगे मैं वही कर पाऊँगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।

रिखी साहब की इमानदारी, निष्ठा और काम करने का जो तरीका है, वह प्रशंसनीय और सराहनीय है। हम विश्वास करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस सीट पर आएगा वह इन्हीं के गुणों के आधार पर काम करेगा ताकि जो संसत्सदस्य हैं, उनको निरन्तर सहयोग मिलता रहे और वे इस बात को महसूस करते रहें कि जो भी सचिव महोदय यहां पर आकर बैठेंगे उनसे सभी सदस्यों को सदैव परामर्श और अच्छी सलाह मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से रिखी साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ गया लेकिन इसमें थोड़ा सा अन्तर आप समझ लीजिए कि ये परमानेन्ट थे और मैं वर्कचार्ज हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं श्रीमान रिखी साहब को, संसद में की गई उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए, व्यक्तिगत रूप से और अपने दल की ओर से बधाई देता हूं।

अपने काम के प्रति श्रीमान रिखी साहब की निष्ठा और उनकी ईमानदारी इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि वह लोक सभा में अपने सचिव पद के सेवाकाल में एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहे।

अपने लम्बे अनुभव से, श्रीमान रिखी ने विभिन्न क्षेत्रों में संसदीय संस्थाओं को सशक्त बनाने की अपनी भूमिका में अपना निजी योगदान दिया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हममें से जो कोई भी गत कुछ वर्षों से यहां रहा है वह उनकी सेवाओं के लिए रिखी जी को याद रखेगा और मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं और उनके सुखद भावी जीवन की कामना करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन्, श्री रिखी ने इस सभा की जो मूल्यवान सेवा की है मैं इस अवसर पर उसके बारे में अपने उद्‌गार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। हम में से अधिकतर यह जानते हैं कि इस सभा की प्रक्रियाओं और परम्पराओं को समृद्ध बनाने में श्री रिखी का अपने कार्य-काल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके स्नेही स्वभाव, विनम्रता, शालीनता, निष्पक्षता और सबसे अधिक नियमों का कड़ाई से पालन करने के स्वभाव से हम सभी प्रभावित रहे हैं।

श्री रिखी की कर्त्तव्यपरायणता हम सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में रहेगी। इस सभा के सदस्य के रूप में, मेरे प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करने और अन्य समस्याओं को सुलझाने के विषय में श्री रिखी ने मेरी हमेशा मदद की और परामर्श दिया।

मैं कुछ व्यक्तिगत बातों की चर्चा किए बिना भी नहीं रह सकता। 1979 में, मैं महाराष्ट्र के एक दूरस्थ गांव में गम्भीर रूप से बीमार पड़ गया था। अस्पताल में मेरे उचित उपचार की व्यवस्था करने में श्री रिखी ने मेरी जो सहायता की, मैं उसे नहीं भूल सकता।

अंत में, मैं चाहता हूं कि यदि वह अपने मूल्यवान अनुभवों को पुस्तक के रूप में संजोना चाहें तो हम—सदस्य या विधायक या संसदज्ञ के रूप में उनके अनुभवों से लाभ उठाएँगे।

मैं कामना करता हूं कि श्री रिखी चिरजीवी हों और उनका भावी जीवन सुखमय हो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमन्, श्री रिखी के बारे में आपके प्रशंसात्मक विचार और हमारी माननीया प्रधानमंत्री के अच्छे व्याख्यान तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रो० मधु दंडवते तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं के बाद मैं अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि जो कहा जा चुका है मैं भी अधिकतर उसी को दोहराऊँगा। किन्तु लोक सभा में अपने अल्प कार्यकाल के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर मैं एक-दो बातें कहूंगा। श्री कौल और श्री शकधर जैसे सचिवों द्वारा स्थापित परम्पराओं को बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना काफी

कठिन काम है, किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि श्री रिखी ने न केवल उन परम्पराओं को बनाए रखा है वरन् उन्हें समृद्ध भी किया है। श्री रिखी के एक-दो गुणों का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है और सभा के साथियों के सामने मैं वे अनुभव रखना चाहता हूं। कई बार मैं जब रिखी से मिला तो उन्हें काफी उदासीन पाया। किन्तु कुछ अनुभवों के बाद मैंने पाया कि यह मात्र उनका बाह्य रूप है। इस बाह्य रूप के पीछे एक मानवीय स्नेहमयी हृदय भी है जो सदस्यों की समस्याओं को समझने में हमेशा स्पंदित होता रहता है। तब मैंने पाया कि उनमें एक प्रकार की विनम्रता है और सभी अवसरों पर मैंने समझा कि यह कोई साधारण प्रकार की विनम्रता नहीं है वरन् एक उदार, महात्माओं वाली विनम्रता है, जो आज के दिनों में दुर्लभ है। उन्होंने लोक सभा में प्रतिष्ठा के पद पर कार्य किया और मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि आपने उन्हें अंतिम दिनों में महासचिव बना दिया है। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और भविष्य में जो भी कार्य उन्हें सौंपे जाएंगे वह सफलता से उनका निर्वाह करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमन्, श्री रिखी के इस सभा के प्रति मूल्यवान योगदान के बारे में आपके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं समझता हूं कि श्री रिखी अपने पीछे एक अत्यन्त निष्ठावान और कर्त्तव्यपरायण अधिकारी का उदाहरण छोड़ कर जायेंगे। जैसा कि हमने अपने अनुभवों से पाया, श्री रिखी के समान निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं समझता हूं कि श्री रिखी अपने कार्य के प्रति केवल निष्ठावान और ईमानदार ही नहीं थे, वरन् जब कभी ऐसा अवसर आया कि सदस्य को प्रसन्न किया जाए या कर्त्तव्य पालन किया जाए, तो उन्होंने हमेशा कर्त्तव्यपरायणता को ही चुना।

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे ऐसा अवसर मिला जब कुछ और अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता थी। मैं वास्तव में सक्षम और योग्य अधिकारी चाहता था। मैंने उस समय श्री रिखी की सहायता प्राप्त की। मैंने कहा कि कार्य दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है और हमें सक्षम, अच्छे और योग्य अधिकारियों की आवश्यकता है। इस अवसर पर वह मेरे पास आए और बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुझे सलाह दी कि "श्रीमन्, यह सही है कि हमें और अधिकारियों की आवश्यकता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आठ अधिकारी नियुक्त करने से ही यह कार्य हो सकता है। चार परिश्रमी और योग्य अधिकारियों को नियुक्त करने से भी यह कार्य हो सकता है और इस प्रकार हम राजकोष का पैसा बचाएंगे।" बहुत कम लोग होते हैं जो देशहित और देश की जनता के हित का इतना ख्याल रखते हैं। यह बात थी जिसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने निश्चय किया कि हम और अधिक अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे और मौजूदा अधिकारियों से ही काम चलायेंगे। हमने सोचा था कि शायद बजट पर्याप्त नहीं था। किन्तु श्री रिखी को चिन्ता थी कि हमें अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।

बहुत बार मैंने उनसे पूछा कि आपके अच्छे स्वास्थ्य का क्या रहस्य है क्योंकि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य से बहुत अधिक प्रभावित था। यहां तक कि आज भी मैंने जब उन्हें देखा तो यह

महसूस किया कि वह दस साल के बाद सेवा निवृत होंगे। किन्तु शायद नियम ऐसे हैं कि उन्हें सेवा-निवृत होना ही पड़ेगा। अन्यथा उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि वह आगामी दस वर्षों तक कार्य करने के लिए सक्षम हैं। वे हमेशा कहते हैं :

"ऊपर वाले की मेहरवानी है"

इससे पता चलता है कि वह धर्मभीरु हैं।

अध्यक्ष महोदय : किस की ?

श्री चन्द्रजीत यादव : केवल अध्यक्ष की नहीं, वरन् सर्वशक्तिमान ईश्वर की। मैं सोचता हूं कि मैं आपका भी याद दिला दूँ, जब आप कहते हैं :

"ऊपर वाला हमारी रक्षा कर रहा है।"

मैं सोचता हूं कि वह 'ऊपरवाला आप से ऊपर है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : ऊपर तो अखबार वाले हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन के ऊपर भी कोई है। यह उनका बहुत अधिक विनीत उत्तर था। श्री रिखी का उत्तर हमेशा विनीत होता था।

उनके बारे में यह बहुत अच्छी बात कही गई कि वह न केवल लोक सभा में हमारे कार्य के प्रति वरन् हमारे कल्याण के प्रति भी चिंतित रहते थे। वह हमारे कल्याण के बारे में पूछते रहते थे और उनका पहला प्रश्न होता था, "आपका परिवार कैसा है ? आपका स्वास्थ्य कैसा है ? श्रीमन्, यही है जिसकी हमें आज आवश्यकता है—एक अच्छे और भले इन्सान की। और यही विशेषताएँ मैंने श्री रिखी में पायीं। मुझे विश्वास है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी—मैं नहीं जानता कि क्यों वह उनकी सलाह को स्वीकार करने में झिझकते थे क्योंकि वाजपेयी जी भी एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं—उन्हें उनकी सलाह स्वीकार करनी चाहिए ताकि वह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी सुबह की नींद क्यों खराब करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री रिखी की अनिच्छा के बावजूद आपने उन्हें महासचिव बनाकर उन्हें बहुत अच्छा उपहार भेंट किया है। वह वास्तव में इस सम्मान के योग्य हैं और इस बात पर भी बहुत प्रसन्न हूं कि आपने उन्हें सभा का अवेतनिक सलाहकार नियुक्त कर दिया है। भविष्य में, वह किसी न किसी प्रकार से हमसे जुड़े रहेंगे क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि वह काफी वर्षों तक एक सक्रिय जीवन बिता सकते हैं और उनका योगदान हमारे लिए भी लाभदायक रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं उनके सुखद भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जी० लक्ष्मनन् (उपाध्यक्ष महोदय) : अध्यक्ष महोदय और प्रिय साथियों···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी नहीं, आप 'प्रिय साथियों' कह कर कैसे सम्बोधित कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यहां केवल सदस्य हैं, साथी नहीं।

श्री जी० लक्ष्मनन् : जब मैं यहां बैठा हुआ हूं तो मात्र एक संसद-सदस्य हूं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : वह केवल एक माननीय सदस्य हैं। उपाध्यक्ष नहीं हैं।

श्री जी० लक्ष्मनन् : जब मैं यहां बैठा हूं, तो मैं एक सदस्य हूं और मेरी विभाजन संख्या 441 है। इसीलिए, मैंने 'साथियों' कह कर पुकारा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं हमेशा यहां बैठता हूं, और 'प्रिय साथियों' कभी नहीं कहता। कवल अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करना होगा। यह बात कहने के लिए मुझे खेद है।

श्री जी० लक्ष्मनन् : धन्यवाद, वाजपेयी जी, संशोधन स्वीकार है। यद्यपि अध्यक्षपीठ सेवानिवृत होने वाले अधिकारी श्री रिखी के सम्बन्ध में सभा की भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं फिर भी, उपाध्यक्ष के नाते मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। इस सभा को चलाने मे मेरा मार्गदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में उनका मेरे साथ जो साथ रहा, मैं उसी के बारे में कुछ बातें कहूंगा।

मुझे चार वर्ष का अनुभव है। श्री रिखी मेरे साथ विदेशी दौरों पर भी गए। श्री रिखी ने स्वयं को कभी एक अधिकारी के रूप में ऐसा नहीं समझा, हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय द्वारा महासचिव का पद उन्हें बहुत ही सही रूप में प्रदत्त किया गया है—कि वे इस महान संसद, लोक सभा के महासचिव थे। पहला बुलावा जो आयेगा—मेरे विचार से श्री वाजपेयी मुझसे सहमत होंगे—वह महासचिव होगा, रिसीवर उठाने पर आवाज आएगी, 'महोदय, क्या आप जाग गए हैं ?' तो वही आवाज होती है जो मैंने अभी बताई थी क्योंकि मैंने यह आवाज अक्सर सुनी है और हम उस आवाज से अब वंचित हो जायेंगे। वह कहेंगे माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, क्या आप जाग गए हैं ? मैं पहले ही उठ चुका हूं इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हू।' तो तुरन्त ही वह कहेंगे, महोदय, हमें अधिवेशन में 10.30 बजे जाना है। खैर में आऊँगा और दुबारा 8.0 बजे आपको याद दिलाऊँगा··· **(व्यवधान)** यह बहुत ही बड़ी चिन्ता थी। 6 बजे मैं सोचता था कि यह व्यक्ति किस प्रकार इतना फुर्तीला है और क्या वह रात को सोते भी हैं या नहीं। इसके पश्चात् मुझे समझ में आया कि किस प्रकार ये इतने फुर्तीले थे और अभी भी साठ वर्ष की उम्र में इतने सक्रिय हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि यह 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। श्री सेजियन, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य और मेरे नेताओं में से एक हैं, उन्होंने मुझे बताया, कि क्या आप उनकी शक्ति का कारण

जानते हैं, कि श्री रिखी क्यों इतने सक्रिय हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि वे हर रोज अपने घर में सुबह चार बजे ठंडे पानी से नहाते हैं चाहे ठंड के मौसम की जनवरी ही क्यों न हो। मैं समझता हूं कि उनकी सफलता के सिर्फ दो ही कारण हैं। कोई भी व्यक्ति आम जिन्दगी में, चाहे वह अधिकारी हो अथवा हमारी तरह एक जन साधारण व्यक्ति, अगर वह आम जीवन में गुस्से और अहंभाव को त्यागता है तो यही सफलता होगी। मैंने पिछले चार वर्षों से श्री रिखी को देखा है, उन्होंने कभी की कोई अप्रिय या कटोर शब्द नहीं कहे अथवा न ही कभी भी मुझसे गुस्से में कभी बात की, और सच तो यह है, जब कभी भी मैं पीठासीन होता था, और श्री रिखी उठकर मुझसे कोई बात कहते थे तो सदस्य यह समझते थे कि वे मुझे गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी। जब मैं किसी सदस्य को सदन में और समय नहीं देना चाहता था तो श्री रिखी मुझसे कहते थे महोदय, उन्हें कुछ समय और दीजिए, इसमें क्या हर्ज है। यह सलाह मुझे इन महान व्यक्ति से प्राप्त होती थी। मैंने यह भी देखा है कि संसदीय मामलों के मंत्री आयेंगे और मुझे कहेंगे कि हमें यह पूरा करना चाहिए और समय समाप्त हो गया है, हम अपने विधायी कार्य की अनुसूची से बहुत पीछे है। अतः उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। मैं विशेषतौर पर श्री उन्नीकृष्णन को कह सकता हूं कि उन्हें चुप हो जाना चाहिए। तब वह घूम कर मेरे पास आकर कहेंगे श्री उन्नीकृष्णन यह सोच रहे होंगे कि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को गुमराह कर रहे हैं—जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सच है और यह मैं इस सदन के समक्ष कह रहा हूं— कि महोदय, उन्हें कुछ समय और दे दीजिए अन्यथा यहां पर बहुत सा शोर शराबा आदि होगा।' यह इस महान व्यक्ति की विशेषता है। यही इनकी सफलता का कारण है, यद्यपि मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सका···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अत्यन्त गोपनीय बात बता रहे हैं।

श्री जी० लक्ष्मनन : मैं सिर्फ वही कह सकता हूं। मैं एक बात के बारे में जरूर बताऊंगा, जैसा हमारे महान नेता, महान अन्ना, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और राज्य सभा के सदस्य ने बताया था, श्री रिखी कर्त्तव्य-निष्ठा, गरिमा और अनुशासन के प्रतीक हैं। तमिल में इसे **कडामई गनयाम**' और **काडुपाडु** कहते हैं।

धन्यवाद।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 तथा पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा दिनांक 6-2-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2273 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7513/83]

(1) (एक) पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7514/83]

(3) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल की खोज के बारे में श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2273 के 6 दिसम्बर, 1983 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7515/83]

जेनेवा में जून, 1982 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 68वें अधिवेशन में स्वीकार किए गए अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं जेनेवा में जून, 1982 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 68वें अधिवेशन में स्वीकार किए गए अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7516/83]

वर्ष 1982 के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास तथा बम्बई पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गउ उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1939 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7517/83]**

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7518/83]**

(2) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम; 1982 जो 6 जुलाई, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 85 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 1983, जो 4 फरवरी, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 15 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 1983, जो 4 मई, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 44 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 1983, जो 8 जून, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 54 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 1983, जो 17 जून, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 57 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) पंजाब मोटर यान (पांचवा संशोधन) नियम, 1983, जो 8 जुलाई, 1983 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 64 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपरोक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7519/83]

(4) (एक) दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपरोक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7520/83]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1983, वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा इन अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण, स्तनपान के संरक्षण तथा उसके प्रोत्साहन सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय संहिता के सम्बन्ध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 का संकल्प, वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के लिए एजुकेशनल कसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली, तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के वर्ष 1982-83 के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 सितम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 737(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7521/83]

(2) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वास्तुविद परिषद, विनियम 1982, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० सी० ए०/95/83 में प्रकाशित हुए थी।

(दो) वास्तुविद परिषद (वास्तुविद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 जो 27 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० सी० ए०/95/83 में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7522/83]

(4) स्तनपान के संरक्षण तथा उसे प्रोत्साहन सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय संहिता के

सम्बन्ध में 19 दिसम्बर, 1983 के संकल्प की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7523/88]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7524/83]

(ग) (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के, वर्ष 1982-83 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त मद (5) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल० टी० 7525/83]

(7) (एक) इंस्टीच्यूट फार दी फिजिक्स हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीच्यूट फार दी फिजिकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7525/83]

(8) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7527/83]

(9) (एक) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रख गए। देखिए संख्या एल० टी० 7528/83]

(10) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल ० टी० 7529/83]

(11) सेंण्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह (लद्दाख) के वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को लोक सभा में के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०7530/83]

(13) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान, पटियाला के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखें।

(दो) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान, पटियाला, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7531/83]

(14) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1980-81 और 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1980-81 और 1981-82 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7532/83]

(16) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, बारंगल के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, बारंगल के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा-प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, बारंगल के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7533/83]

(17) (एक) सेंट्रल इन्स्टीच्युट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह (लद्दाख), के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इन्स्टीच्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह (लद्दाख), के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7534/83]

(18) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास, के वर्ष 1982-83 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7535/83]

(19) (एक) मौलप्ना आजाद कालिज आफ टैक्नालोजी, भोपाल, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद कालिज आफ टैक्नालोजी, भोपाल, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7536/83]

(20) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7537/83]

(21) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रंजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7538/83]

(22) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कर)ण।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7539/83]

(23) (एक) विस्वेस्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विस्वेस्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विस्वेस्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7540/83]

(24) (एक) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार, द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7541/83]

(25) (एक) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7542/83]

(26) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7543/83]

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7544/83]

(27) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिदेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7545/83]

(28) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7546/83]

(29) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान उत्तरी क्षेत्र चण्डीगढ़, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदत की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उतरी क्षेत्र चण्डीगढ़, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7547/83]

(30) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज रुड़की, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, रुड़की, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, रुड़की के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7548/83]

(31) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7549/83]

(32) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेकनालोजी, रांची, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ फाउंडरी टेकनालोजी, रांची, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7550/83]

(33) (एक) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सिल्चर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सिल्चर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, सिलचर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7551/83]

(34) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा। लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7552/83]

(35) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7553/83]

(36) (एक) प्रादेशिक इंजनियरी कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

दो प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7554/83]

(37) (एक) भारतीय औद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 755५/83]

(38) (एक) बाल भवन सोसाइटी (इंडिया), नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वाल भवन सोसाइटी (इंडिया) दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7556/83]

(39) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष, 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7557/83]

इण्डियन एयरलाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम 1983 और उसकी अधिसूचना के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक टिप्पण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाफर शरीफ) : मैं श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु निगम अधिनियम, 19,3 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1983 की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 सितम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लखित अधिसूचना संबंधी एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-7558/83]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इस संस्थान के वर्ष 1978-79. 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षाएं तथा उक्त प्रतिवेदनों/समीक्षाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण आदि-आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं श्रीमती मोहसिना किदवई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (क) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7559/83]

(3) (क) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जन संख्या अध्ययन संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1980-81 और 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7560/83]

भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के भारत चमड़ा निगम लिमिटेड नोएडा के वर्ष 1982-83 के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के इंस्ट्रयू मेंटेशन लिमिटेड कोटा के 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षाएं तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि-आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7561/83]

(ख) (एक) भारत चमड़ा निगम लिमिटेड, नोएडा, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत चमड़ा निगम लिमिटेड, नोएडा, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7562/83]

(ग) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7563/83]

(घ) (एक) इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर निन्त्रण महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7564/83]

(ङ) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7565/83]

(च) (एक) बर्न स्डटैंर्ड कम्पनी लिमिटेड, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7566/83]

(2) (एक) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सीमेंट अनुसंधान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7567/83]

(3) (एक) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, थाणे, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, थाणे, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7568/83)

वर्ष 1981-82 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क के उपबन्धों के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 1955 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 15क के उपबन्धों के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7569/83]

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा, के प्रतिवर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7570/83]

मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड तथा मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड तथा विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं श्री एन० के० पी० साल्वे की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (1) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7571/83]

(ख) (1) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7572/83]

(ग) (1) विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7573/83]

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं श्री अशोक गहलोत की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7574/83]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, औषध और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1982 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड रानीखेत के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2)

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1983, जो 26 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 283(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 8 अक्तूबर, 1983 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 743 में प्रकाशित तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1983, जो 10 अक्तूबर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 790 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 1983, जो 27 अक्तूबर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य अपमिक्षण निवारण (सातवां संशोधन) नियम, 1983, जो 3 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 816(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य अपमिश्रण निवार (आठवां संशोधन) नियम, 1983 जो 7 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, सा० का० नि० 829 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 17 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 893(अ) में प्रकाशित तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7575/83]

(2) औषध और प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध और प्रशाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 15 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7576/83]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डितन मैडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7577/83]

(4) (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान, संस्थान, जामनगर, के वर्ष 1982-83

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान, संस्थान जामनगर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7578/83]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ न्यूरो साइसिज, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7579/83]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, विदेशी मुद्रा (संशोधन) नियम, 1983, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा इन नियमों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण का समेकित प्रतिवेदन तथा 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम के मूल्यांकन परिणाम तथा उसके पालिसीधारियों के लिए बोनस के सम्बन्ध में एक विवरण

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 890(अ), जो 16 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा जिंक डस्ट के निर्माण में उपयोग में आने वाले जिंक पिण्डों को, जो अब तक उत्पादन करने वाले कारखानों में उपयोग के लिए उपलब्ध थे, छूट देना तथा ऐसी स्थिति में भी इन जिंक पिण्डों को छूट देना जब इनका उपयोग उत्पादन करने वाले कारखाने के अतिरिक्त कहीं और किया जाए, बशर्ते कि इस प्रकार की जिंक

डस्ट को जिंक पिण्डों का उत्पादन करने वाले कारखाने को वापस किया जाए।

(दो) सा० का० नि० 891(अ), जो 16 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा जिंक पिण्डों से निर्मित जिंक डस्ट को, जिसका उपयोग जिंक अनरोट के निर्माण में किया जाता है, उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(तीन) सा० का० नि० 892(अ), जो 16 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च 1983 की अधिसूचना-संख्या 81/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7580/83]

(2) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7581/83]

(4) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7582/83]

(5) 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम के मूल्यांकन परिणाम तथा उसके पालिसीधारियों के लिए बोनस के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7583/83]

वनस्पति उत्पादन नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1983

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जो 12 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 855(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7584/83]

विक्रेताओं का पंजीकरण तथा स्टाक की घोषणा आदेश, 1983, खनिजों तथा अयस्क ग्रुप-एक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन, नियम, 1983, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर के वर्ष 1982-83 का तथा, प्रोजेक्टस एण्ड इक्वीपमेंटस कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 तथा इण्डिया रेस्टोरेंटस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1981-82, के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, आदि, आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं, श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चाय (विक्रेताओं का पंजीकरण तथा स्टाक की घोषणा) आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 6 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 901(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7585/83]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, खनिजों तथा 3 अयस्क ग्रुप एक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1983, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4367 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7586/83]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7587/83]

(ख) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड इक्वीपमैन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्टस एंड इक्वीपमैन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7588/83]

(ग) (एक) इण्डिया टी एंड रैस्टोरेंटस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टी एंड रैस्टोरेंटस लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7589/83]

(घ) (एक) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रातवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7590/83]

(ङ) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय पटसन लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) के (ग) से (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7591/83]

(5) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7592/83]

(6) (एक) बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन

काउन्सिल, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7593/83]

(7) (एक) इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षित-प्रतिवेदन।

(दो) इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रनि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी० 7594/83]

(8) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16घ के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 891 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा चारगोल टी एस्टेट के प्रबन्ध-ग्रहण की 5 वर्षों की मूल अवधि के समाप्त होने पर इसके प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 30 जून 1984 समेत तक और बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7595/83]

(9) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1932-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7596/83]

(10) चाय बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7597/83]

(12) टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 के अन्तर्गत टेक्सटाइल समिति (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 850 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7598/83]

(13) (एक) इंडियन कौंसिल आफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन कौंसिल आफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7599/83]

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा के वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे, वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वार्षिक लेखा तथा वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे तथा केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल दिल्ली तथा तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के वार्षिक लेखों को सभा पटल पर हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : श्री पी॰ के थुंगन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7600/83]

(2) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7601/83]

(3) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(4) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7602/83]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

65 वीं से 68 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 65वीं से 68वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 1983 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1982 को पारित किए गए कुष्ठ रोगी (दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़ निरसन) विधेयक, 1983 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

लोक लेखा समिति

प्रतिवेदनों आदि में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) अहमदाबाद टेलीग्राफ के मुद्रण तथा टेलीफोन खम्भों के बारे में 10वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) "नियन्त्रित कपड़ा योजना" के बारे में 52वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सलाल पन-बिजली परियोजना के बारे में 65वें प्रतिवेदन के अध्याय- एक में अन्तर्विष्टसिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(5) नई सेवा/सेवा के नए उपकरण के बारे में 70वें प्रविवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(6) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में 74वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पाच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) पानी के टैंकरों की खरीद और निर्माण के बारे में 86वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) लोहिंग कायलों और बेरेटर लैम्पों के अधिक संख्या में भण्डारण के बारे में 119वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक कार्यालय (सी० आई० ए०), नई दिल्ली, के कार्यकरण के बारे में 129वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच सम्बन्धी अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

लोक लेखा समिति

174वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अशंदान की अनियमित छूट के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड दो—प्रत्यक्ष कर के पैरा 2.21 के बारे में लोक लेखा समिति का 184वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

56वां प्रतिवेदन, 59वां प्रतिवेदन 60वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 55 वां प्रतिवेदन आदि

श्री बन्सी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) रेल मंत्रालय—रेल सुरक्षा के बारे में 55वां प्रतिवेदन और समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में 56वां प्रतिवेदन और समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(तीन) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—औषध मानकों के बारे में 60वां प्रतिवेदन और समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(चार) निर्माण और आवास मंत्रालय-पेयजल प्रदाय और स्वच्छता के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 55वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की गई कार्यवाही सम्बन्धी 18वें प्रतिवेदन के बारे में

सरकार के अन्तिम उत्तरों का विवरण आदि

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं :—

(एक) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)—मध्य रेल में अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा मध्य रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों छोटे-मोटे ठेके देना, पार्सल बुकिंग

एजेंसियां देना तथा आउट एजेंसियां देने के बारे में समिति के 18वें की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन के अध्याय-एक और दो के बारे में सरकार के अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(दो) संचार मंत्रालय—डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में समिति के 28वें की गई-कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के बारे में सरकार के अन्तिम उत्तरों और अन्य अध्यायों के बारे में आगे जानकारी का विवरण ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

42वां प्रतिवेदन

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)—केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा उससे सहायता लेने वाले मैडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के कुछ राज्यों में लगातार वर्षा होने और बीमारियों के कारण कपास की फसल खराब हो जाने के समाचार तथा सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "आन्ध्र प्रदेश,गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में लगातार वर्षा होने और बीमारियों के कारण कपास की फसल खराब हो जाने के समाचार तथा सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता ।"

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सदन में इसी विषय पर 18 नवम्बर को भी एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसके उत्तर में मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था । अगस्त और सितम्बर के महीनों में भारी और रुक-रुक कर वर्षा होने के कारण

प्रतिकूल मौसम की स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से कपास की फसल अच्छी बढ़वार हुई और ऐसा माहोल बना जो पंजाब और हरियाणा राज्यों में कीटों विशेषकर डोडा कीट की अत्यधिक वृद्धि और प्रसार के अनुकूल था। बार-बार वर्षा होने के कारण समय पर वनस्पति रक्षण सम्बन्धी कार्यों में भी रुकावट आई। दवाओं का छिड़काव भी काफी अन्तराल के बाद करना पड़ा और यहां तक कि बार-बार वर्षा होने से कीटनाशी दवाएं भी बह गई। इसके फलस्वरूप, डोडे गिर गए और उनमें कीटों का प्रकोप हो गया, जिससे उत्पादन और कपास की क्वालिटी में गिरावट आ गई।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पंजाब के चार जिलों अर्थात् भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और संगरूर में 4.61 लाख हैक्टार क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना मिली है। नुकसान की मात्रा अलग-अलग जिलों में भिन्न-भिन्न है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में 50 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक नुकसान हुआ है। हरियाणा में 30 से 40 प्रतिशत तक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। विदर्भ के छूट-पुट क्षेत्रों और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाकों को छोड़कर निरन्तर वर्षा अथवा रोगों से फसल को नुकसान होने के बारे में देश के अन्य भागों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस विषय पर सदन में हुयी पिछली बहस के पश्चात कृषि मंत्रालय ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें सलाह दी गई कि वे भावी फसलों को बचाने के लिए कीटों के उन्मूलन के लिए प्रभावी उपाय करें और इस बारे में किसानों की सहायता हेतु योजनायें तैयार करें और आगामी मौसम में कृमि, रहित कपास को फसल उगाने में उनकी सहायता करें।

कपास की फसल को जल्दी ही कीट और रोग लग जाते हैं और लिए इसके वनस्पति रक्षण उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है। पंजाब में 1,00,000 हैक्टार क्षेत्र में हवाई छिड़काव करने के लक्ष्य की तुलना में मौसम के दौरान 62,148 हैक्टार क्षेत्र में और हरियाणा में 30,000 हैक्टार क्षेत्र के लक्ष्य की तुलना में 48,066 हैक्टार क्षेत्र में हवाई छिड़काव किए जाने की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त किसानों ने भी अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए सतही छिड़काव के उपाय किए। देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सघन कपास विकास कार्यक्रम है, जिसकी लागत राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर बराबर वहन की जाती है। यह कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 20.10 लाख हैक्टार क्षेत्र में चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों अर्थात प्रजनक और आधारी बीजों का उत्पादन प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन, हवाई छिड़काव, सतही छिड़काव-बुरकने, वनस्पति संरक्षण उपकरण और प्रदर्शनों पर 1983-84 के लिए उपलब्ध राज-सहायता का केन्द्रीय अंश 396.65 लाख रुपए है। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय अंश 45.68 लाख रुपए है।

प्राकृतिक आपाओं से फसलों का नुकसान हो जाने पर किसानों को मुआवजा देने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। कुछ राज्यों में मार्ग-दर्शी फसल बीमा योजना चल रही है। किन्तु

गुजरात, पंजाब और राजस्थान राज्यों में इस योजना को अपनाया नहीं गया है। सामान्य बीमा निगम से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि खरीफ 1983 में आंध्र प्रदेश के 5 इलाकों में 3.25 लाख रुपए के मूल्य की और महाराष्ट्र के 9 इलाकों में 5.75 लाख रुपए के मूल्य की कपास की खड़ी फसल को मार्ग-दर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इस प्रकार इन दो राज्यों में कपास की फसल खराब होने की वजह से प्रभावित किसान सम्बद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों की मार्फत सामान्य बीमा निगम से भी मुआवजे के लिए सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

श्री उत्तम राठौर : महोदय, प्रारम्भ में मैं यह जरूर कहूंगा कि कृषि मंत्री जी ने इस ध्यान-कर्षण प्रस्ताव को बहुत ही हल्के ढ़ंग से लिया है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के प्रारम्भ में कहा है कि उन्होंने 18 नवम्बर, 1983 को विस्तृत वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य के पृष्ट संख्या 2062 पर उन्होंने कहा है कि फसल बीमे के तहत कपास का बीमा नहीं किया जाता, जबकि उन्होंने इस वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ में बताया है कि आंध्र प्रदेश में 3.25 लाख रुपए के मूल्य की एवं महाराष्ट्र में 5.75 लाख रुपए के मूल्य की कपास की फसल को बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। तथा ये लोग बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं। मैं नहीं जानता क्यों इस प्रकार के बिना तैयारी के वक्तव्य दिए जाते हैं। यहां तक कि पिछली दफे जब मंत्री जी महाराष्ट्र एवं पंजाब के बारे में वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें रिर्पोट नहीं मिली है, तब आपने हस्तक्षेप किया, और इसके पश्चात उन्होंने कहा, हो सकता है कुछ न कुछ वहां हो जो कि अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। महोदय, महाराष्ट्र में जांच करन से मुझे पता चला है कि उन्होंने कपास की फसल नष्ट होने की रिर्पोट भारत सरकार को 15 अक्टूबर 1983 तक भेज दी थी। ऐसा कैसे-कैसे हुआ कि आप ने 18 नवम्बर के अपने वक्तव्य में महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं बताया। कौनसी जानकारी पहले भेजी गई थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी एक कृषक हैं, माननीय मंत्री जी स्वयं भी एक कृषक हैं। सिर्फ कपास ही हमारे देश में नकद फसल है। यह फसल अत्यधिक एवं रुक एक कर बरसात होने की वजह से नष्ट हुई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनायी गई योजनाएं विफल हो गई हैं, छिड़काव तथा अन्य कार्यक्रम असफल हो गए हैं। इसीलिए इस समय कपास उगाने वाले कृषकों को हर सम्भव सहायता देने की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता खाना, मकान तथा कपड़ा है। हमारी जो 500 मिले हैं, उनमें से 125 मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत हैं और हमें यह देखना चाहिए कि उनमें से कोई भी मिल बंद न हो हमें उन्हें सुचारू रूप से चलाने में मदद करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इनकी सहायता करने का अनुरोध करता हूं। भगवान के लिए इसे अकेले राज्य सरकारों पर मत छोड़िए, इन सभी घटनाओं को अनदेखा व अनसुना मत करिए। हमने देखा कि जब पंजाब में गेहूं की फसल नष्ट हो। गई थी, तो हमने उन्हें 300 रुपए से 500 रुपए प्रति एकड़ दिए थे। पिछली बार जब आंध्र में चक्रवात आया था तब भी हमने उन्हें पैसा दिया था। जब कभी भी सूखा पड़ता है हम इसे भी प्राकृतिक विपदा ही मानते हैं। जब सूखे को प्राकृतिक संकट माना जा सकता है तो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रयोग किए गए शब्द—अत्यधिक एवं सविराम वर्षा—को प्राकृतिक संकट क्यों नहीं मानना चाहिए। हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में आप हमेशा नियमों के साथ नहीं रह सकते, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए थे। हर रोज आपको इन नियमों को बदलना होता

है, क्योंकि व्यक्तियों की तथा सम्पूर्ण व्यवसाय की प्रकृति बदलती जा रही है, और आप को विभिन्न विपदाओं, मुश्किलों का सामना करना होगा और आपको इसे परिभाषित करना होगा। अगर सरकार इस वर्ष उनकी मदद करने में असफल रही तो मुझे खेद है कि जो व्यक्ति अभी तक महाराष्ट्र में कपास की नकद फसल पर जीवन निर्वाह कर रहे थे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और उनके लिए अगले वर्ष इस जमीन को कृषि योग्य बनाना भी सम्भव नहीं होगा। पंजाब में 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में 90 प्रतिशत कपास की फसल खत्म हो गई है। महोदय, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। महाराष्ट्र में हमें मालूम है लगातार तीन बार बाढ़ एवं भारी बरसात होने से 70 से 80 प्रतिशत भूमि की 90 प्रतिशत फसल खत्म हो गई है। क्या यह प्राकृतिक विपदा नहीं है? इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं? प्राकृतिक विपदा की परिभाषा क्या है?

मंत्री महोदय को यह जानना चाहिए कि अंग्रेजी शब्दकोषों—आक्सफोर्ड और चैम्बर्स—के भी नए संस्करण निकले हैं। प्रत्येक विश्व-युद्ध के पश्चात विभिन्न शब्दों के नए अर्थ उनमें जोड़ दिए गए थे। इस कल्याणकारी सरकार के लिए प्राकृतिक विपदा का एक नया अर्थ और एक नया आयाम जोड़ना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही जोड़ा जा चुका है। पहले भी प्राकृतिक विपदाएं आती रही हैं और उनके लिए मुआवजा दिया जाता रहा है। आन्ध्र प्रदेश में जब ओला वृष्टि के द्वारा गेहूं और कपास की फसल को क्षति पहुंची थी तब यही हुआ था। वह एक प्राकृतिक विपदा थी। राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने भी उनकी सहायता की थी और यही बात यहां भी लागू होगी।

श्री उत्तम राठौर : महाराष्ट्र सरकार ने 2 हैक्टेयर तक भूमि वालों की आर्थिक सहायता की है। सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार क्यों नहीं आगे आती? राव वीरेन्द्र सिंह को क्या हो गया है? वह भी एक किसान हैं चाहे बड़े किसान हों, उन्हें किसानों की कठिनाइयां समझनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं।

श्री उत्तम राठौर : यदि किसान मर जाते हैं तो कौन जीवित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं।

श्री उत्तम राठौर : क्या यह सच नहीं है कि इस सरकार ने किसानों से 131 रुपए प्रति क्विटल के भाव से गेंहू खरीदा और बाद में जब हमें कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ा तो उसके लिए हमने केवल अधिक मूल्य ही नहीं दिया बल्कि परिवहन व्यय भी दिया। हमने कुछ नहीं कहा सरकार ने भी किसी बात का उल्लेख नहीं किया। सरकार को यह करना पड़ा क्योंकि लोगों को बचाया जाना था। इस मामले में भुखमरी से भी बदतर स्थिति है। यह भुखमरी उनके पेशों की है, कृषि पर निर्भर श्रमिकों की है और उन कारीगरों तथा मिस्त्रियों की है जो कृषि पर निर्भर करते हैं।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसे भी एक प्राकृतिक विपदा घोषित कर दें, अन्यथा हम जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अपने क्षेत्रों में लोगों का सामना करना मुश्किल हो जायेगा। उनको हमारी कठिनाइयां समझनी चाहिएं और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बात को बड़ा-चढ़ा कर कहते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा, उन्हें यह कहने की आदत बन गयी है कि राज्य सरकार की सूचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं। यह सच नहीं है। हम बात को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहते हैं। जो भी हम यहां कहते हैं हमें वह अपने क्षेत्र में जाकर जनता को बताना पड़ता है कि हमने यहां क्या उत्तर मिला तथा हमें उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है कि हम उनके बचाव की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंत्री महोदय को हमारी कठिनाइयां समझनी चाहिए और अनावश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की यह सिफारिश कि अपरिष्कृत कपास और परिष्कृत कपास का मूल्य आपस में सम्बद्ध किया जाना चाहिए सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। जब यह सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता हैं तो आपको भारी वर्षा और सविराम वर्षा को प्राकृतिम विपदा स्वीकार करने में क्या कठिनाई हैं। मैं चाहता हूं कि यह सिद्धान्त आज ही प्रकृति विपदा के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जब वह कह चुके हैं कि सममूल्यता की बात सिद्धान्तः स्वीकार की जा चुकी है, तो उसे अगले मानसून से कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकृति का प्रश्न नहीं है, वरन एक तथ्य है।

श्री उत्तम राठौर : अंत में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह किसानों, विशेषकर कपास पैदा करने वाले किसानों, के प्रति उदारता दिखाएं। यह कपास गुट नहीं है जैसा कि लोग सामान्यतया कहते हैं। आप जानते हैं कि कपास उत्पादक के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं। वर्षा अधिकतर अनिश्चित होती है। मंत्री महोदय को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें कृषि पर निर्भर रहने वाले अधिकतर लोगों को सुलभ इस एकमात्र नकदी फसल के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए, मैं आशा करता हूं कि इस स्थिति में वह इस बात को स्वीकार करेंगे। भले ही वह इसे 10-15 दिन वाद कार्यान्वित करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

राव वीरेन्द्र सिंह : श्रीमान, पिछली बार भी मैंने वह सब जानकारी सभी को दे दी थी, जो हमें प्राप्त हो सकी थी। यहां तक कि सभा में मामले का जिक्र किए जाने से पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी और तब आपने भी हमको कुछ निदेश दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु राव साहब मैं केवल आपका आभारी हूं कि आपने सच्चाई जानली। पहले प्राप्त सूचनाएं और तब आपने अपने लगातार प्रयासों से असली स्थिति को जाना था। मैं इससे प्रसन्न हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : उसके बाद कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने पंजाब का दौरा किया और हमने क्षति का अपना अनुमान लगाया। किन्तु सभा में आपके द्वारा इस मामले का उल्लेख किए

जाने से पहले ही मंत्रालय राज्य को यह बात जानने के लिए लिख चुका था कि फसल की वास्तविक स्थिति क्या है और उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं। किन्तु आप यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कुछ स्थापित मानदण्डों और नियमों के एक निश्चित ढांचे के अनुसार ही कार्य करना होता है और यह नहीं हो सकता कि हम राज्य से क्षति की रिपोर्ट देने के लिए कहते ही रहें। माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि मैंने एक बार यह मत व्यक्त किया था कि क्षति के बारे में राज्य द्वारा भेजा गया अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। यह बात इस मामले में लागू नहीं होती क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है।

श्री उत्तम राठौर : आप गलती पर हैं, श्रीमान। मैंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है। वे कहते हैं कि वे उन्होंने अक्तूबर में रिपोर्ट भेज दी थी और मंत्री महोदय ने 19 नवम्बर को वक्तव्य दिया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मेरी जानकारी यह है कि हमें उन राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। अपने वक्तव्य में मैंने जो कुछ कहा है वह सरकार को ज्ञात स्थिति के अनुसार है। और यदि आपके पास कोई दूसरी सूचना है तो मुझे उसकी जांच करनी होगी। यदि कोई चीज रास्ते में होगी, तो हो सकता है कि वह सभा में मेरे आने के बाद प्राप्त हुई हो अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के कुछ मिनट बाद ही प्राप्त हुई हो। किन्तु आज सुबह तक एकत्रित की गई जानकारी यही है जो मैंने सभा को दी है।

प्राकृतिक विपदा की परिभाषा के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने वही परिभाषा रखी हुई हैं, जो सर्वत्र स्वीकृत है। किन्तु प्रतीत होता है कि इसके बारे में कोई भ्रांत धारणा है और कुछ माननीय सदस्यों तथा सामान्य लोगों को भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। जब मैंने यह कहा कि प्राकृतिक विपदा से फसल को पहुंची क्षति के लिए मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है तो मैं वास्तव में यह कहना चाहता था कि वस्तुत: क्षतिग्रस्त फसल के कारण किसान को जितनी राशि की हानि हुई है, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है और बाढ़ तथा सूखे से हुए नुकसान के सम्बन्ध में हम कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। अगली फसल उगाने के लिए हम किसान की सहायता करते हैं। हम क्षतिग्रस्त सड़कों, नहरों, इमारतों, बिजली संयत्रों, स्कूल-भवनों और यहां तक कि घरों की मरम्मत के लिए राज्य को धन देते हैं। इसके लिए सामान्य धनराशि दी जाती है और केन्द्र सरकार केवल इसमें अपना हिस्सा देती है। शेष व्यय राज्य सरकार करती है और उस व्यय के लिए भी कुछ मानदंड रखे हुए हैं। हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है, तो वास्तव में उसमें मेरा मतलब यह है कि किसान की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा नहीं दिया जाता है और मैं सोचता हूं कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : किसान की क्षति के लिए उसे पूरा मुआवजा देना भारत सरकार के संसाधनों से परे की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी सरकार के संसाधनों से परे की बात है। यह अगली फसल के लिए तैयार रहने की ही बात है। आप भी यह सुन चुके होंगे और मैं भी यह जानता हूं कि मेरे राज्य में जब फसल ओला वृष्टि से नष्ट हो गयी थी तो किसानों को केवल 300 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए गए थे।

राव वीरेन्द्र सिंह : वह राशि केन्द्रीय योजना के अधीन नहीं थी वह राशि राज्य द्वारा दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्यों को बहला सकते हैं। राशि राहत के रूप में यह केन्द्र द्वारा भी दी जाती है।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसके खिलाफ, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार योगदान नहीं देती है। जब राज्य सरकार, ओला वृष्टि अथवा किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त हुई फसल के लिए किसान को मुआवजा देना चाहती है, तब केन्द्र सरकार कोई योगदान नहीं देती है। वह सब राज्य के राजस्व से दिया जाता है।

विभिन्न योजनओं हैं जिनके अधीन हम राज्यों की सहायता कर सकते हैं और राज्य के माध्यम से किसानों की सहायता कर सकते हैं। उनकी सहायता हम पौध संरक्षण उपायों द्वारा कर सकते हैं। हम उन्हें हानिकारक कीटों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कीटों का उन्मूलन नहीं किया जाता तो इससे न केवल बर्तमान फसल नष्ट होगी वरन अगली फसल को भी इससे नुकसान होगा और वह अधिक तीव्रता के साथ क्षतिग्रस्त होगी। अत: इससे न केवल कपास की फसल को क्षति हुई है वरन चने की फसल को भी जो अब बोयी गई है, इससे हानि होगी। यही कीड़े चने की फसल को भी क्षति पहुंचा सकते हैं और किसानों को इससे कठिनाई हो सकती है। इसीलिए मेरे मंत्रालय के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने पंजाब के लोगों को बुलाया और उन्हें कुछ उपाय करने की सलाह दी। हम पंजाब सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल या आज सुबह हमने दुबारा उन्हें याद दिलाया है। यह सब किया जा रहा है। इस बारे में आपको केवल यह करने का आश्वासन दे सकता हूं कि पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हम इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही कर सकते हैं वह तत्काल करेंगे। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने महाराष्ट्र से आए किसी पत्र का उल्लेख किया है। उनके द्वारा बताया गया पत्र यदि यही है जो कि प्राप्त हो चुका है तो मैं इसे पढ़ देता हूं :

> "17 नवम्बर 1983 के आपके तार 15-157/83 आदि के संदर्भ में स्थिति यह है कि आज सुबह तक महाराष्ट्र में कपास की फसल को किसी अज्ञात बीमारी से क्षति पहुंचने की कोई घटना नहीं हुई है।"

महाराष्ट्र सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है।

श्री उत्तम राठौर : यदि यह सूचना प्राप्त हो गयी है, तो मंत्री महोदय ने यह क्यों नहीं

बताया कि सूचना हमें प्राप्त हो गयी है, किन्तु वह सूचना इस मुद्दे को उठाने वाले सदस्य के पक्ष में नहीं है। उन्होंने यह बात नहीं बतायी। और क्योंकि सूचना उनके पक्ष में हैं, अत: अब वह उसको उद्धृत कर रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपका क्या मतलब है ? मैं आपको किसी बारे में गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कहा आप उसका बहुत अधिक गलत अर्थ लगा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि तथ्य क्या है। मैंने कहा कि महाराष्ट्र से या अन्य किसी राज्य से क्षति की कोई सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं। और यह क्षति की सूचना नहीं है।

श्री उत्तम राठौर : श्रीमान, यह बीमारी के बारे में है। वह बात को समझते क्यों नहीं हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इसके लिए यदि मैं आप पर बार करना चाहता तो बहुत पहले ही कर सकता था। मैं इसका उल्लेख किया होता। मैंने कहा था कि हम क्षति का पता लगाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जहां कोई क्षति नहीं है, वहां हमने यह उल्लेख भी नहीं किया कि वहां कोई क्षति नहीं है। मैं इसका लाभ उठाना नहीं चाहता हूं। श्रीमन्, यह आपके पक्ष में है और आपके राज्य के बारे में है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : माननीय सदस्य जब कह रहे हैं तो आपको रिपोर्ट मंगानी चाहिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : मंगाने के लिए लिखा तभी तो टेलीग्राम आया है, नहीं तो कैसे आता ? क्या आप अंग्रेजी समझते हैं ? मैंने कहा है कि यह रिपोर्ट देखने के पश्चात टेलीग्राम के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय : कोई खास बात नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्हें समझना चाहिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं उसके बाद वह प्रश्न पूछें।

डा० **सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : अगर उन्हें समझ आयेगा तो वे संसद में नहीं होंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल ठीक। यह एक टेलीग्राम है, जोकि बिल्कुल सुसंगत नहीं है। वास्तव में यह माननीय सदस्य तथा किसानों की भावनाओं के विरोध में जाएगा अगर मेरे मंत्रालय ने यह उल्लेख किया कि वहां कोई नुक्सान नहीं हुआ था आदि। हम किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी लेना चाहते हैं और किसानों तथा राज्यों की मदद करना चाहते हैं। अत: पहले से हम टेलीग्राम को ध्यान में न लाए जाने पर आपत्ति उठाने वाले आप सबसे आखिरी व्यक्ति होने चाहिए क्योंकि हमें किसी सूचना की जरूरत नहीं थी। "फिर भी, मामले की जांच की जा रही है, और अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी।"

इसका आशय क्या है ? इसका आशय है कि वहां अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसका आशय है कि कोई सूचना नहीं है। वे लोग कपास की फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी की वजह से किसी प्रकार की क्षति की जानकारी नहीं दे रहे हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वहां पर क्षति हुई है, किन्तु कोई रिपोर्ट नहीं है।

राव वीरेन्द्र सिंह : कोई क्षति नहीं हुई है, कोई सूचना नहीं है।

श्री उत्तम राठौर : यह मंत्री जी के विचाराधीन है। भाषा समान है।

राव वीरेन्द्र सिंह : राज्यों में क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं है।

अन्य प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने उठाया वह मूल्यों में समानता के बारे था। हमने कृषि मूल्य आयोग के (निदेश पदों) को बदल दिया है। हमने 1980 में इस सरकार के आते ही तुरन्त उनमें संशोधन किया। यह परिवर्तन इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभप्रद मूल्य मिले। हमने कहा है कि कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारित करते समय उन वस्तुओं के मूल्य का भी ध्यान रखा जाएगा जो कि किसान द्वारा प्रयुक्त वस्तुयें जिसमें आदान भी शामिल हैं कृषि उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। यह सिद्धांत पहली बार सन् 1980 में सरकार ने स्वीकार किया। सदस्य को हमसे प्रसन्न होना चाहिए।

किन्तु मैंने हमेशा यह कहा है कि अभी तक हम कृषि उत्पादों के मूल्यों में समानता नहीं ला पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। सभी वस्तुओं के मूल्यों में समानता लाना संभव नहीं है। हर तरफ ही खाद्य सामग्रियों में मूल्यों का उतार-चढ़ाव है। कभी-कभी वे एकदम बढ़ जाते हैं। यहां तक कि कभी-कभी किसान भी अधिक मूल्यों पर बेचते हैं। किसी समय मूल्य गिर जाते हैं। बाजारी शक्तियों की वजह से मूल्यों में गिरावट है।

मैं पहले ही बता चुका हूं तथा आपको आश्वासन दिया है कि हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया; जो कुछ हम कर सकते हैं कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि पंजाब सरकार इन बीमारियों को और अधिक फैलने के विषय में सजग होगी। और वे इस अत्यन्त गंभीर रोग को समाप्त करने के लिए तथ्य और योजनायें तैयार करेंगे। जैसे ही वे प्रस्ताव अथवा योजनाएं लेकर हमारे पास आयेंगे, तो मैं पंजाब सरकार को अपने मंत्रालय, अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों की सहायता दे सकता हूं—अगर वे इसे चाहते हैं—किस प्रकार से इसे करना है—क्या राशि उनको चाहिए, उन्हें इस बारे में क्या करना चाहिए आदि। हम उन्हें इस बारे में सभी सहायता देंगे।

अध्यक्ष महोदय : पहले की भांति राहत कार्य को देखने के लिए भी उनके पास जाना चाहिए, ताकि उन्हें उचित सहायता मिल सके।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम विषय पर कार्यवाही कर रहे हैं हमने इसे छोड़ा नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : पंजाब में उन्हीं की सरकार है। वह कैसे आशा कर सकते हैं कि पंजाब सरकार इसे करेगी ? पंजाब में राष्ट्रपति शासन है। .

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि किसान देश की बैकबौन हैं। अगर वे मेहनत करके उत्पादन न करें, तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मगर खेद का विषय है कि हम किसानों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। जब हम लाइफ इनशोरेंस कारपोरेशन में इनशोरेंस कराते हैं, तो हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी से किसान की क्राप चली जाती है, लेकिन पैसा न होने की वजह से वह बर्बाद हो जाता है। यह किसी एक पार्टी या एक स्टेट का सवाल नहीं है, यह सारे देश की प्राबलम है। अगर किसानों की उन्नति नहीं होगी, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा ? फार्मर्स के लिए आपने कहा है, आपके ही स्टेटमेन्ट में है :

> "प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान हो जाने पर किसानों को मुआवजा देने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। कुछ राज्यों में मार्गदर्शी फसल बीमा योजना चल-रही है।"

यह आपके स्टेटमेंट में ही लिखा है। मैं कहना चाहती हूं कि सेन्टर की ओर से कोई परमानेन्ट स्कीम नहीं है। टेम्पोरेरी सहायता तो देते हैं।

इंश्योरेंस के बारे में आपने कहा है :

> "सामान्य बीमा निगम से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि खरीफ 1983 में आंध्र प्रदेश के 6 इलाकों में 3.25 लाख रुपए के मूल्य की और महाराष्ट्र के 9 इलाकों में 5.75 लाख रुपए के मूल्य की कपास की खड़ी फसल को मार्गदर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है।"

आपके पास स्टैटिस्टिक्स तो आई होंगी। हमारे आंध्र प्रदेश में करोड़ों रुपए का लाभ हो गया है। फिर आप कहते हैं :

> "इन दो राज्यों में कपास की फसल खराब होने की वजह से प्रभावित किसान सम्बद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिए सामान्य बीमा निगम से भी मुआवजे के लिए सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूं। जो फार्मर्स इसके बारे में जानते हैं उन्होंने तो इंश्योरेंस किया होगा लेकिन ज्यादातर फार्मर्स तो अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है फिर वे कैसे इंश्योरेंस करा सकते हैं ? इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि फार्मर्स के लिए एक परमानेन्ट क्राप इंश्योरेंस स्कीम आप चलाइये और इसके लिए क्राप इंश्योरेंस कारपोरेशन की स्थापना भी की जानी चाहिए।

आपका जो काटन कारपोरेशन है वह किसानों की काटन पर्चेज करता है। लेकिन दुःख की

बात यह है कि एक तरफ तो किसानों की क्राप के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है और दूसरी तरफ जो काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया है, वह किसानों से बहुत थोड़ी सी काटन पर्चेज करता है। उसकी मात्रा बहुत कम होती है। आपने एस० टी० सी० से टोबैको पर्चेज करवाई तो आपको बहुत ज्यादा टोबैको पर्चेज करवानी पड़ी ताकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उसी तरह से सी० सी० आई० के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में काटन पर्चेज करवानी पड़ेगी तभी किसानों को कुछ लाभ मिल सकेगा। जब काटन तैयार होती है और स्पिनिंग मिल्स में जो यार्न तैयार होता है उस पर कोई लेवी नहीं है। अगर काटन में कुछ फाल्ट होती है तो उसकी वजह से यार्न भी महंगा हो जाता है और उसका बहुत बुरा प्रभाव हैंडलूम वीवर्स के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं।

आपने फ्लड्स के बारे में भी कहा है। फ्लड्स के बाद तुरन्त टेम्पोरेरी रिलीफ तो दी ही जानी चाहिए लेकिन कुछ परमानेन्ट रिलीफ की बात भी आपको सोचनी होगी। हमारी कांस्टीटुएन्सी में फ्लड्स से करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। उसमें टेम्पोरेरी रिलीफ तो बहुत कम मिलती है। मैंने प्राइम मिनिस्टर और आपकी मिनिस्ट्री को भी दो फ्लड टैंक्स बनाने के लिए कहा जिनसे कि 80 विलेजेज कवर हो सकेंगे और तीन-चार हजार किसानों को लाभ मिल सकेगा। काटन पैदा करने वाले किसान हैं, उनके लिए आपको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। क्राप इन्शोरेंस कारपोरेशन खोलने के लिए मैं आपसे मांग करती हूं। मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल पैस्ट का था, लेकिन माननीया बहन ने और भी बहुत से मुद्दों को उठा दिया है। फ्लड कन्ट्रोल और पर्चेज आदि के मामले उठाए हैं। मैं नहीं समझता कि आप चाहेंगे कि इन चीजों का तफसील से जवाब दिया जाए।

जहां तक पैस्ट का सवाल है, मैं पहले ही बहुत चिन्तित हूं क्योंकि जब तक किसान और राज्य सरकारों की सारी एजेंसियां मिलकर और केन्द्रीय सरकार इसका मुकाबला करने के लिए तैयारियां नहीं करेंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी वह कीड़ा जमीन में घुस गया। कपास की लकड़ी में चिपटा हुआ है और अभी वह बीज के अन्दर घुस गया है। यदि उसको जलाने और पूरे तरीके से नष्ट करने का इन्तजाम नहीं किया गया, चाहे दवाइयों से, तो बहुत नुकसान हो सकता है। किसानों को भी इसके बारे में समझना पड़ेगा। किसान ईंधन की कमी होने की वजह से इसकी लकड़ी को इक्ट्ठा कर लेते हैं। पंजाब में आपको पता ही है कि वहा ईंधन की बहुत कमी है, क्योंकि वहां पर जंगल नहीं हैं, इसलिए बेशुमार इसकी लकड़ी इक्ट्ठी कर ली जाती है। वहां कीड़े पैदा हो जाते हैं खेतों के अन्दर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि दूसरे प्रान्तों में भी पहुंच जाएं। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जहां यह कीड़ा पहले ही काफी नुकसान कर चुका है, अगली फसल को खराब न करे। दूसरी जगह न लगे और दूसरी जगह न फैलने पाए। इसके लिए हमने पंजाब के आफिसर्स को एडवाइज किया है कि आप बीज तबदील करने की स्कीम बनाएं। बीज डिजीज रहित अच्छा बाहर से लाएं।

जिसमें पैस्ट न हों। वह अच्छा बीज किसान को दें, उसको पहले दवाओं से तैयार करें। हो सकता है कि अगली फसल के लिए ऐसी स्कीम बनायें कि नया बीज किसानों को दें और जो इफैक्टेड बीज हैं, उसके बदले में किसान को दूसरा बीज दें। लिए हुए बीज से तेल निकाला जा सकता है और दूसरे कामों में आ सकता है। इसके लिए भारत सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार हो गई है। इसी तरह से प्लान्ट प्रोटैक्शन के लिए पैसे की कमी नहीं रखेंगे, यदि कोई इन्तजाम करना चाहे। लेकिन यदि आप चाहें कि पंजाब सरकार के बदले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, काम करे, तो वह यह काम करने से रही।

आन्ध्र प्रदेश बहुत खुश किस्मत है, वहां कोई कीड़ा नहीं लगा है। वहा से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दो राज्य—महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश—में क्राप इन्शोरेंस स्कीम में काटन को भी कवर किया हुआ है। जैसा मैंने स्टेटमेंट में कहा है कि सिर्फ 3.5 लाख रुपया इन्शोरेंस स्कीम के तहत आन्ध्र प्रदेश के अन्दर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि आन्ध्र प्रदेश में यह स्कीम लागू है।

एक माननीय सदस्य : कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में।

राव वीरेन्द्र सिंह : कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में सही, लेकिन कुल साढ़े तीन लाख रुपया ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि किसान दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वरना सवा तीन लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता है। मैंने बताया है कि महाराष्ट्र के अन्दर कितने की ब्लाक्स के अन्दर यह चालू है। वहां से भी ज्यादा रुपया प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ 5 लाख 75 हजार रुपया प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र भी काटन प्रोड्यूसिंग प्रान्त है। कुल नौ ब्लाक में से पौने छः लाख रुपया प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कि किसान इसका फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। इसकी दो वजह हो सकती है कि—एक, राज्य सरकार इन्टरेस्ट नहीं ले रही है। दो, हो सकता है कि किसान यह समझता है कि किस लिए प्रीमीयम दिया जाए। हो सकता है, भगवान न करे कोई नुकसान हो। यह पैसा फिजूल में जाएगा और वह आराम से बैठा रहता है। जब नुकसान हो जाता है, तो शोर मच जाता है। इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है। माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है, वह मैंने दे दी है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कपास में डोडा कीट से जो क्षति हुई है, उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से पंजाब में क्षति का विवरण दिया है। उससे प्रतीत होता है कि वास्तव में कपास से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। देश का जो किसान है, वह अपनी पूरी फसल का पूरे वर्ष का अनुमान लगाता है और यदि दूसरी फसल में घाटा हुआ, तो उसकी जो कैश-क्रोप्स होती है, उसके माध्यम से उसकी पूर्ति करता है। जब वही फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान के पास उसके रखरखाव के लिए कुछ नहीं रहता है। वह आगामी फसल क्या बो सकेगा और कैसे अपने परिवार का निवर्हन कर सकेगा, ये सब प्रश्न सामने उपस्थित हो जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो फैक्ट्स दिए हैं, उनके अनुसार पंजाब के अन्दर 1 लाख हैक्टेयर के अन्दर हवाई छिड़काव का लक्ष्य था लेकिन केवल

60 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ही छिड़काव कियाग या । यह अपने आप में कन्ट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्य आपने रखा था, उसको पूरा न करने का क्या कारण है और यह पूरा क्यों नहीं हो सका है। इसका कारण आपने बार-बार वर्षा होती रही, यह दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि एरियल स्प्रे के लिए यह कोई उपयुक्त कारण नहीं है। यदि अधिकारी कुछ सावधानी बरतते, तो यह क्षति न होती। कपास में कम से कम चार से लेकर छः बार तक स्प्रे होना चाहिए और अगर स्टैन्डर्ड के मुताबिक स्प्रे नहीं होता है, तो लाजमी तौर पर उसमें कीड़ा पैदा होगा और वह हुआ भी है। यह आप ने स्वीकार किया है कि आपने जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य के अनुसार आप छिड़काव नहीं कर सके और इसके लिए उत्तरदायी स्टेट गवर्नमेंट और हमारे यहां के, केन्द्र के अधिकारी हैं। केन्द्र के जो अधिकारी हैं, उनका काम सर्वीलेंस का है और सुपरवाइजरी उनका काम है और यदि वे उसको पूरा नहीं करते हैं तो कन्ट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस उनकी हुई है। इसके लिए क्षतिपूर्ति कौन करेगा और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आपने कोई स्कीम या योजना सोची है, क्योंकि यह चीज पहली बार सामने आई है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हुई है। आपने इस बात को स्वीकार किया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल समाप्त हो चुकी है और अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हो जाती है, तो कथित कोड के अनुसार आप किसानों को कम्पेंसेशन देंगे। किसान किस तरह से जीवन निर्वाह करे, इस बात को आपको सोचना चाहिए।

आपने केवल पंजाब और हरियाणा के बारे में मेंशन किया है कि पंजाब में यह लक्ष्य था और इतना नुकसान हुआ और हरियाणा में इतना लक्ष्य था और इतना नुकसान हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भी कपास फसल पैदा होती है लेकिन उसके बारे में आपने कोई हवाला नहीं दिया। राजस्थान में भी कपास के बोने वाले किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है और गंगानगर जिले में कुछ पैदा नहीं हो सका है। आपने इसी सदन में जवाब दिया है कि राजस्थान के अन्दर कपास की पैदावार और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में किसी तरह से कम नहीं है। आपके स्टेट मिनिस्टर साहब ने जो लोकसभा में इस बारे में जवाब दिया है, उसको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है: 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राज्यवार उत्पादन आंकड़े दर्शाने वाला वक्तव्य। इसमें पंजाब के अन्दर लिखा है कि 1982-83 में 11 लाख 50 हजार वेल्स पैदा हुए, हरियाणा में 6 लाख 50 हजार वेल्स कॉटन के पैदा हुए और राजस्थान में 5 लाख 50 हजार वेल्स पैदा हुए। इस तरीके से आप देखें कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में यह फसल उगाई जाती है और खासतौर पर जो सिंचित कमांड एरिया है, राजस्थान कैनाल से जहां पानी मिलता है और जहां पानी से सिंचाई के साधन मौजूद हैं, वहां पर यह फसल बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल दो प्रान्तों का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जिन-जिन प्रान्तों में कपास की फसल उगाई जाती है, वहां पर किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, उसका भी विवरण देना चाहिए या और उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। इसके लिए बहुत पहले 1976 में आपने नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर बिठाया था। उस कमीशन ने अपनी यह रिपोर्ट दी थी कि जहां पर भी आप फर्टिलाइजर यूज करेंगे, वहां अगर फर्टिलाइजर अधिक मात्रा में यूज होगा तो उसमें कीटाणु अधिक पैदा होने की सम्भावना होगी। यह कमीशन ने आपको पहले ही बताया था जिस के बारे में आके मंत्रालय को सोचना चाहिए था।

मैं प्रतिवेदन के भाग X में से पढ़ रहा हूं :—

"उर्वरकों और सिंचाई के द्वारा फसल उगाने के नये तरीकों और पौधों की अत्यधिक वृद्धि से कीट और इनकी बीमारियों की भयानक समस्याएं पैदा हो गई हैं। कीट नियंत्रण करने से पर्यावरण की सीमाओं के भीतर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है ऐसे नियंत्रण की अनुपस्थिति में जितनी मात्रा में फसल की क्षति होती है उसी से पैदावार की मात्रा निर्धारित होती है। जो कम भी हो सकती है और हो सकता है पैदावार बिल्कुल ही न हो क्योंकि रसायन कीटों के प्रति सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। इसलिए उन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया।"

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि पुअर हारवेस्ट हो, यह भी हो सकता है बिल्कुल ही पैदा न हो जिस तरह से पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल ही कपास पैदा नहीं हुई है। आप तो कहते हैं कि 50 परसेंट हुई, लेकिन वहां के किसान से पूछिये, वह आपको बतायेगा कि जीरो परसेंट हुई है। फर्टिलाइजर के बारे में इस रिपोर्ट में है कि इससे अधिक तरह की बीमारियां पैदा होंगी। एक कीट टोडा पैदा हो जाता है जो कि पूरी फसल को ही खा जाता है।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने अपनी असमर्थता जाहिर की कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर नहीं करती तो हम क्या करें। मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास इस बारे में पूरी शक्ति है, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ? आपको सारी पावर्स हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट्स को जो यहां से हिदायत देंगे वे उनका पालन करेंगी। आप किसान का हित देखते हैं, आप किसानों के संरक्षक हैं। आप किसानों के अधिकारों और हितों के लिए हिदायतें दीजिए। अगर वे उनका पालन नहीं करती हैं तो यहां पर पार्लियामेंट है, हम सब लोग यहां पर हैं। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से हम यहां पर सवालात कर सकते हैं, आपकी नीति पर विचार कर सकते हैं। इसलिए आपको जो पावर्स दी गई है उनका आप इस्तेमाल कीजिए। एग्रीकल्चर कमीशन ने पहले ही कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पावर है। आपको मोरल, लीगल और ड्यूटीफुल तरीके से भी अधिकार आता है। इसलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट आपके पास यदि रिपोर्ट नहीं भेजती है तो आपको उससे रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। अगर कहीं किसानों की बोनाफाईड क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति किया जाना जरूरी है। उसके लिए आप उनको अपने कांफिडेंस में लेकर परामर्श दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल कमीशन की इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, उसमें उसने सुझाव दिया है। मैं इस बारे में पैरा 49.1.5 उद्धृत करना चाहता हूं—रसायन फसल को कीटों से बचाने में तभी समर्थ है जबकि उसे उचित समय पर काम में लिया गया हो।

केवल स्प्रे तभी कामयाब हो सकता है जब समय पर किया जाए। इसलिए कमीशन ने यह भी कहा है—

"संभव महामारियों द्वारा होने वाली क्षति को निश्चित रूप से कम किया जा सकता

है । निगरानी संगठनों का जाल जितना मुमकिन हो सके फैलाना चाहिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच उचित सम्पर्क स्थापित कर देश के महत्वपूर्ण फसल उत्पादन क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए । कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा जिन तरीकों का उन्हें अनुसरण करना है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए ।"

इसलिए माननीय मंत्री जी, कमीशन की रिपोर्ट में भी यह आशा की गई है कि आपका मंत्रालय स्टेट्स को आदेश और निर्देश देगा और एक जायजा रखेगा । अगर किसानों के प्रति उनका कोई उपेक्षापूर्ण व्यवहार है तो उसके बारे में आप क्या सुधार करवायेंगे ।

मुझे आशा है कि किसानों की जो वहां क्षति हुई है, उसके लिए उनको मुआवजा मिल सकेगा; उनकी क्षतिपूर्ति हो सकेगी । इसका तरीका निकालना आपके हाथ में है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : माननीय स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर तो स्टेट सबजेक्ट है । जैसा कि आनरेबल मेम्बर ने भी बताया, मेरे मंत्रालय का तो काम मंत्रणा करना, सुझाव देना, को आरडिनेशन करना, स्टेट्स की मदद करना, मोनेटरिंग करना है । यह सारे काम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अन्दर आते हैं ।

आनरेबल मेम्बर ने पूछा है कि राजस्थान का क्यों नहीं बताया ? अगर वे पूछना चाहते हैं तो वहां का भी बता देता हूं । जहां नुकसान हुआ है, वहां का मैंने बता दिया था । राजस्थान में दस हजार हेक्टेअर में स्प्रे करने का टार्गेट था । और राजस्थान ने ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं भेजी है कि कितना उन्होंने टारगेट एचीव किया है । अगले साल के लिए 10 हजार हेक्टर में स्प्रे करने का टारगेट रखा गया है । तो यह टारगेट हमेशा फिक्स होता है, इस बारे में सलाह की जाती है । इस बारे में पूरी स्कीम है । एरियल स्प्रे के लिए साढ़े 37 रुपए फी हेक्टर सबसिडी दी जाती है इसमें 50-50 परसेंट शेयर सेंटर और स्टेट का है । ग्राउन्ड स्प्रे के लिए 15 रुपए फी हेक्टर सबसिडी दी जाती है । इसमें भी 50-50 परसेंट शेयर स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट का होता है । इसी तरह से इक्विपमेंट के लिए 25 फीसदी, कास्ट इक्विपमेंट्स के लिए फार्मर्स को सबसिडी दी जाती है । इसके अलावा और चीजें भी हैं । सीड के बारे में, डेमांस्ट्रेशन के बारे में ये सारी चीजें की जा रही हैं । मैं इस बात को फिर कहूंगा कि इसका फायदा उठाना ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है । मालूम नहीं माननीय सदस्य ने किस आधार पर यह कह दिया कि कांट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस भारत सरकार का हैं । अगर वहां कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो भारत सरकार जाकर किसी के खेत में जबरदस्ती तो स्प्रे करा नहीं सकती । किस प्रकार कांटीब्यूटरी नेगलीजेंस समझ रहे हैं । जब स्कीम है, टारगेट कायम नहीं हुआ है, सबसिडी देते हैं और अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यह भी पूछा जाता है । ये सारी बातें होती हैं ।

दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जहां नुकसान हुआ है वह बारिश ज्यादा होने की वजह से हुआ है । पत्तों और पौधों का फैलाव इतना हो गया और इसमें 5 बार स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन स्प्रे के बीच-बीच में बारिश इतनी हुई कि दवा धुलती रही ।

अध्यक्ष महोदय : आठ बार स्प्रे करना होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद काटन ग्रोअर हैं, आपको सारा तजुरबा है। सारा काम ठीक से करने की पूरी कोशिश की जाती है लेकिन कुदरत के साथ लड़ाई इतनी मुश्किल होती है कि इन्सान कामयाब नहीं हो पाता। इस तरीके से पंजाब और हरियाणा के अन्दर हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जानता हूं इसलिए इल्तजा करता हूं कि उनको देखें।

राव वीरेन्द्र सिंह : जरूर देखेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरे विचार से मन्त्री महोदय का वक्तव्य अत्यन्त असंतोषजनक है। मेरा यह भी आरोप है कि मंत्रालय बात को छिपाने का दोषी है। मन्त्री महोदय द्वारा यह दूसरा वक्तव्य दिया गया है। पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत से 25% तक की क्षति हुई है। महोदय, चूंकि आपको सीधे जानकारी प्राप्त हुई थी, इसीलिए आपने कहा कि वह एकदम गलत था तथा आपने मंत्री महोदय को निदेश दिया कि वह वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए वहां एक दल भेजें। अब दूसरे वक्तव्य में वह कहते हैं कि पंजाब में उन्हें 50% से अधिक क्षति हुई है। 'अधिक' से आपका क्या तात्पर्य है? मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में 70% तक क्षति हुई है तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में सारी फसल नष्ट हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सही आंकड़े दे सकता हूं। एक जिले में लगभग 90% क्षेत्र में 75 से 80% तक की क्षति हुई थी।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह इस बात को छिपाने के दोषी हैं क्योंकि उन्हें किसानों से बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। मुझे आशा है, राव साहब क्रोधित नहीं होंगे। मैं उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उनका वक्तव्य एक असहाय मंत्री के वक्तव्य के समान है। वह कहते हैं "मैं क्या कर सकता हूं; यह काम राज्य सरकारों का है? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कृषि मंत्री किस लिए बने हैं? इस स्थिति में आपको तुरन्त कृषि मंत्रालय ही समाप्त कर देना चाहिए। यहां तक कि समन्वय कार्य भी उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। राज्यों में कोई नीति नहीं है, कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है।

उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि उन्होंने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे कुछ उपाय करें, कीट-नाशकों का प्रयोग करें तथा कुछ ऐसे पौधे मंगाये जिनमें इस अमेरिकन बाल वार्म को रोकने की पर्याप्त क्षमता हो, अब इस पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। क्या वह जानते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक उनकी आवश्यकता 105 लाख गांठे हो जाएगी। इस समय हमारा उत्पादन 80 लाख गांठें हैं। यदि यही स्थिति रही और फसलों को कीट नष्ट करते रहे तो किसानों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जायेगी, वह इस देश में हमारी आवश्यकता के अनुसार कपास का कितना उत्पादन कर पायेगे? यह राष्ट्रीय मांग और आवश्यकता है कि इस शताब्दी

के अन्त तक देश को 15-16% और उत्पादन की आवश्यकता है। लेकिन यदि स्थिति यही रही तो मुझे सन्देह है कि कपास के उत्पादन में वृद्धि होने की बजाय कमी न आ जाये। यदि राज्य सरकारें अपने कर्त्तव्य तथा राष्ट्रीय मांग के प्रति पूर्णत: जागरुक नहीं है तो क्या केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उनके साथ बैठे और उचित आयोजन करें तथा एक उचित स्कीम बनाए तथा तदनानुसार कार्य करें ? मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने मुआवजा देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं बनाई है। और यदि राज्य सरकारें कुछ करती हैं तो उसके बारे में वे नहीं जानते। काम करना उनका कर्त्तव्य है। महोदय आपने कहा है कि ओला वृष्टि होने पर कुछ राज्य सरकारें किसानों को सहायता के रूप में प्रति एकड़ जमीन के लिए 300 रुपये देती हैं ताकि भविष्य में वे अपनी खेती कर सकें। केन्द्रीय सरकार को उनका पक्ष लेना चाहिए और कहना चाहिए कि यह नीति राष्ट्रीय नीति मानी जानी चाहिए। यदि राज्य सरकारें वैसा करने की इच्छुक हैं तो केन्द्र सरकार का भी उतना हिस्सा होगा। इस नीति को केन्द्र में अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है ? मंत्री महोदय पहल क्यों नहीं करते ? केन्द्र सरकार को नेतृत्व प्रदान करनी चाहिए न कि मात्र सलाहकार बनना चाहिए। जबकि 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण आधार कृषि ही है, तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना गलत है कि यह काम राज्य सरकारों का है, और जब राज्य सरकारें कुछ कदम उठाती हैं तो केन्द्र सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं है।

मुझे यह जानकारी मिली है कि पंजाब तथा हरियाणा के कपास-उत्पादकों पर आई इस विपत्ति का कारण यह था कि उनकी फसलें अमेरिकन बाल वॉर्म के कारण नष्ट हो गई थी। कीट-नाशकों में उन्हें रोकने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। यहां तक कि जो छिड़काव किया गया था उसमें भी इसका सामना करने के लिए पर्याप्त रसायन शक्ति नहीं थी। क्या आप भविष्य के लिए कोई प्रबन्ध कर रहे है ? क्या आप उन्हें शक्तिशाली छिड़काव आदान उपलब्ध करा रहे हैं ताकि भविष्य में वे इस रोग से छुटकारा पा सकें ? आपका कहना है कि यह कीट दीवारों में, पेड़ों में उद्यानों में, खाद में, हर जगह मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि पंजाब तथा हरियाणा को आयात अथवा कोई अन्य प्रबन्ध करने दें।" यदि वे प्रबन्ध करने में समर्थ हैं तो आप यहां किस लिए हैं ?

मेरा दूसरा आरोप यह है कि जो तस्वीर प्रस्तुत की गई है वह भी बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि 1,62,000 हैक्टेयर भूमि में छिड़काव किया गया है। पंजाब में इसका लक्ष्य 2,50,000 हैक्टेयर भूमि रखा था। उसकी बजाय उन्होंने केवल 62,000 हेक्टेयर भूमि में छिड़काव किया है अर्थात यह पंजाब द्वारा निर्धारित पूरे लक्ष्य की बजाए मात्र 25 प्रतिशत भूमि पर छिड़काव किया गया।

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : आपको हैक्टेयर और एकड़ के बीच गलती हो रही है। यह 250,000 एकड़ था।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा कहने का अभिप्राय केवल यही है कि आपके लक्ष्य का मात्र 25 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दीजिए। हरियाणा में 80,000 की

अपेक्षा केवल 53,000 हैक्टेयर भूमि पर ही छिड़काव किया गया है। अर्थात लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर छिड़काव हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इसको जिम्मेवार यह सरकार नहीं है? और तकलीफ किसकी होगी? पंजाब तथा हरियाणा सरकार की लापरवाही के कारण किसानों को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अन्य बात यह है कि रोग के निवारण में इतना अधिक विलम्ब किया गया कि ठोस कदम उठाने से पहले ही फसल बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। केवल उतना ही नहीं। उसके निदान का तरीका भी गलत था। मन्त्री महोदय, क्या कृपया आप हमें बतायेंगे कि क्या निदान किया गया है, क्या आपने किसी अनुसंधान संस्थान का संगठन से इस बारे में कहा है अथवा क्या आपने किसी संगठन से सहायता मांगी है कि उचित समय में निदान किया जाना चाहिए तथा छिड़काव की उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है तथा मेरे विचार से सरकार इस समय इस दिशा में कुछ भी कदम उठाने की इच्छुक नहीं है।

अन्य बात उन्होंने यह कही कि जो राज्य सरकारें मुआवजा देना चाहती हैं वे ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसका अर्थ है कि केन्द्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी नहीं है तथा जो राज्य सरकारें मुआवजा नहीं देना चाहतीं, उसकी चिन्ता भारत सरकार को नहीं होगी।

अन्य दु:खद बात यह है कि मंत्री महोदय कई बार सदन में कहते हैं कि इस सम्बन्ध में मांगें की गई हैं कि वे अभी भी प्राकृतिक विपत्ति के शिकार हैं। दुर्भाग्य से प्राकृतिक विपत्ति से कृषकों, किसानों को सबसे अधिक हानि पहुंचती है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वह उनकी सहायता के लिए ठीक समय में कदम उठाए? मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन नहीं देगी कि जितने भी क्षेत्र में जितनी भी हानि हुई है, सरकार वहां तुरन्त किसानों को सस्ती दरों पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा शीघ्र ही उन क्षेत्रों में भी उसी प्रकार जायेगी जैसे की समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में जाती है, वहा अपने शिविरों की स्थापना करेगी, नियन्त्रण कक्ष बनाएगी तथा किसानों को उनके घर बनाने में सहायता करेगी तथा कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी? वह क्षेत्र चाहे कीट-नाशकों से प्रभावित हो या बॉलवार्म से या ओला-वृष्टि से—सरकार को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए तथा किसानों की सहायता करने, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने, तथा हर सम्भव कदम उठाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि किसानों की सहायता की जा सके।

वह कहते हैं कि फसलों का बीमा करने की योजना असफल रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद भी, जबकि यह मांग आरम्भ से की जा रही है, यह खेद की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी केवल 9 खण्डों में ही निवारक उपाय किए गए हैं तथा फसलों के बीमे से 3.5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है। पूरे देश से 10 लाख रुपए से कम राशि मिली है। यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो स्थिति यही है। इसका आशय है कि यह किसानों में लोकप्रिय नहीं है, किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार ने क्या किया है? हम जानते हैं कि इस देश में कई वस्तुएं किसानों में प्रचलित ही नहीं है। किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे। वे बैंक नहीं जाते थे और न ही वहां से ऋण लेते थे। इस देश में जीवन बीमा कराना आम लोगों में प्रचलित नहीं था। लेकिन क्या सरकार ने ऐसा नहीं किया?

उन्होंने अपने सम्पूर्ण तन्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने किसानों को उन योजनाओं के लाभ बताये तथा किसानों ने उन तरीकों को अपनाना आरम्भ कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा यह दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया गया ? उन्हें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिए तथा राज्य सरकारों, खण्ड-अधिकारियों, जिला अधिकारियों, यहां तक कि पूरे संगठन को कहना चाहिए कि वे किसानों के पास जायें। उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि उनकी फसलें सुरक्षित रखी जायेंगी तथा उन्हें वास्तव में लाभ पहुंचाया जाएगा तथा आवश्यक कदम भी उठाए जायेंगे। उसमें डरने की क्या बात है ? किसान हर बात अपने अनुभव से सीखता है। ऐसी दफ्तर-शाही तथा इतनी मुसीबतों में, किसान नई योजनाएं अपनाने में हिचकिचाहट महसूस करता है। अत: मेरी यह मांग है कि सरकार को फसलों का बीमा करने की राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। जहां कहीं इतना नुकसान हुआ है—कम से कम 33 प्रतिशत—तो सरकार की अवश्य ही नीति बनानी चाहिए कि वह किसानों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं बनायेगी ताकि भविष्य में देश की फसलों को और नुकसान न पहुंचे तथा किसान अपनी फसलें बोने की स्थिति में हो तथा भविष्य में खेती के लिए भी आवश्यक कदम उठाए।

यदि आप मंत्री महोदय का वक्तव्य देखें, तो पता चलेगा कि उनके वक्तव्य में सभी सूचनाओं का अभाव है। उनका दल पंजाब तथा हरियाणा—इन दो राज्यों में गया। उन्होंने कहा है कि उनका दल वहां गया, उन्हें सुझाव दिए तथा वापिस आकर उसकी सूचना मंत्री महोदय को दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपको कुछ प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया ? पंजाब तथा हरियाणा में इस नए रोग से जो क्षति हुई है, वह भगवान न करे देश के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में न फैले। आज यदि आप देश के कुल उत्पादन को देखें तो क्षति कम हुई है। कल यदि रोग देश के अन्य राज्यों में फैल जाता है तो यह क्षति बहुत अधिक हो सकती है। इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए जा रहे हैं ? आपको यह देखना है कि यह रोग अन्य क्षेत्रों तक न पहुंचे।

श्री रामसिंह यादव ने प्रतिवेदन उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है कि यहां तक कि उर्वरकों में भी कुछ ऐसे विशेष तत्व विद्यमान हैं जो इस प्रकार के लिए जिम्मेदार है। यदि ऐसा पाया गया है तो उर्वरकों को इस प्रकार के तत्वों से मुक्त कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि वे इस रोग को बढ़ाने में सहायक न हों ?

एक अन्य बात जिसकी मैं मांग करता हूं वह यह कि भारत सरकार को किसानों के प्रति अपने रवैये को बदलना होगा उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे फसलों को हुई क्षति का शत प्रतिशत मुआवजा नहीं दे सकती। लेकिन इस देश में कोई भी शत प्रतिशत मुआवजे की मांग नहीं कर रहा। लेकिन आज देश के किसी भी नागरिक का यह आधारभूत मूल अधिकार है। यदि क्षति इतने बड़े पैमाने पर हो तो उसे अपनी आजीविका राज्य से प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए—कम से कम समुचित सहायता अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वह एकदम तबाह न हो जाए। हर नागरिक को अपने ढंग से जीवन यापन का अधिकार है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कौन नहीं जानता कि अनेक देश बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अमरीका में 2400 रुपए प्रति माह तथा इटली, फ्रांस और युनाइटिड किंगडम में 1500 रुपए से 1800 रुपए तक का प्रति माह

बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हम अपने देश में ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए हैं। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज नागरिकों की परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार पर है और विशेषकर किसानों की कठिनाइयों को दूर करने की क्योंकि कृषि हमारे देश का सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। मैं यह बात केवल कपास उगाने वाले कृषकों के संबंध में ही नहीं अपितु सभी किसानों के हित में कह रहा हूं चाहे वे गेहूं उगाते हैं अथवा धान या गन्ना। अतः मंत्री महोदय कृपया एक उचित राष्ट्रीय नीति के संबंध में निर्णय ले और इस संबंध में पहल करें कि केन्द्र सरकार की जो अमुक योजनाएं है और राज्य सरकारें उनका क्रियान्वयन करे। वह कहते हैं कि यदि राज्य सरकार काम नहीं करती तो मैं क्या कर सकता हूं ?

क्या आपको याद नहीं कि जब आपकी अपनी राज्य सरकारें गेहूं की वसूली नहीं कर रही थी तो प्रधानमंत्री को स्वयं चण्डीगढ़ जाना पड़ा था ? उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को गेहूं की वसूली अवश्य करनी चाहिए। आप एक असहाय मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन वह कह रहे हैं कि राज्य सरकारें इसका पालन नहीं कर रही । मैं उन्हें केवल निर्देश दे रहा हूं और वे मेरे निर्देशानुशार काम नहीं कर रहीं। यह कोई उचित रवैया नहीं है।

यहां भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यदि आप उल्लेख न करते तो मुझे विश्वास है कि दल वहां न गया होता। यदि दल न गया होता तो मुझे विश्वास है कि लोक सभा के रिकार्ड में क्षति केवल 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत ही होती। एक बार यदि मंत्री महोदय की मुंह से बात निकल जाए तो किसानों की कोई भी सहायता नहीं कर सकता। सरकारी अधिकारियों की हमेशा यह प्रवृति होती है कि किसानों की क्षति को निम्नतम स्तर पर कम से कम दिखाया जाए। किसान वास्तव में रो रहे हैं। उनका सबसे बड़ा दुख यह है कि क्षति चाहे कितनी ही भारी क्यों न हो स्थानीय तंत्र हमेशा उनकी क्षति को कम से कम दर्शाने की कोशिश करता है ताकि कुछ रियायतें जिनके वे हकदार हो सकते हैं वह भी उन्हें प्राप्त न हो। वास्तविक स्थिति यही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं तो क्या आप उन अधिकारियों के प्रति, जो इस सभा को गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाए जाते हैं, कुछ कार्रवाई करेंगे ? मैं जानता हूं मंत्री महोदय यही कहेंगे कि उस समय उनके पास केवल यही जानकारी उपलब्ध थी क्योंकि आक्कलन किया जा रहा था अब जबकि नया प्राक्कलन आ गया है मैं इस दूसरे वक्तव्य को दे रहा हूं। आप इन बातों से बचने के लिए हमेशा तरीके खोज सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि इस प्रकार अधिकारियों को आश्रय दिया जाता है तो अंततः इससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाएं। मैं जानता हूं कि कई कृषि मंत्री निर्णय लेने में समर्थ नहीं होंगे। यदि जरूरत पड़े तो प्रधान मंत्री को भी इस बैठक में मुख्य मंत्रियों के साथ भाग लेना चाहिए ताकि देश के कृषकों की सहायता हेतु तथा उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने हेतु एक उचित नीति बनाई जा सके। वह कह रहे थे कि किसानों को पांच बार—कई बार तो आठ वार छिड़काव करना पड़ता

है। यदि वह 4 बार तक छिड़काव करते हैं तो 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल नष्ट हो जाती है। आठ बार छिड़काव करने के बाद लागत काफी बढ़ जाती है और 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाने पर जबकि वित्तीय स्थिति कैसी होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण वे एकदम दिवालिया हो जाएगें। क्या आप कम से कम इन क्षेत्रों में अधिक राज-सहायता अथवा अधिक मूल्य दिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि आठ बार छिड़काव के परिणामस्वरूप जहां उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है वहां उनके उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग नष्ट भी हो जाता है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इन बातों पर भी ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : राव साहब, मेरे ख्याल में इसके बाद और कोई है नहीं, श्री अमलदत्त यहां हैं नहीं :

राव वीरेन्द्र सिंह : इकट्ठा कर लेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हलधर (दुर्गापुर) : चूंकि अन्य मंत्री श्री कृष्ण यहां हैं क्या मैं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए हलधर जी मेरे नाम धारी हैं, यह मुझ से ज्यादा तेज रह जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं ?

राव साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था, आपने बहुत किया, मेरे कहने पर इन्क्वायरी करवाई, वरना मामला वहीं रह गया होता।

एक तो आपने कहा कि इत्तिला ऐसी आई, उसकी आप खिंचवाई करवाना जिसने रिपोर्ट भेजी थी। जब पंजाब में सरकार तो है नहीं, गवर्नर का राज्य है, आप इसको देखें।

दूसरे, मैं अभी 17 तारीख को वहीं गया था, उस इलाके में देखकर आया हूं किसानों की हालत। उन्होंने बिल्कुल हरी फसल उजाड़कर काट रखी है और उसमें गन्दुम बो रहे हैं। किसी-किसी का एक एकड़ में बीस किलो भी नहीं निकला है।

यह मेरा निजी अनुभव है। मैं वहां गया था मैंने उन्हें रोते देखा। वे मेरे पास आए थे। उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण मैं भी उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं केवल सभा का अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करता मैं जानता का भी प्रतिनिधि हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप उन पर डंडा घुमाएंगे और वे उनकी मदद करेंगे। अगर उनको मदद नहीं दी जाएगी, तो आगे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आठ दस बार स्प्रे किया गया है। सरकार ने तकाबी लोन आगे दिए हैं, मालिकाना माफ किया है। लेकिन आदिबाने, स्प्रेइंग और कम्पेन्सेशन के बारे में काम अभी नहीं हुल्पा है। अगर नहीं होगा तो मामला पतला होगा। आप बुलाकर करवाएं। कोई वजह नहीं हैं किसान के लिए लोन न हो। फैक्टरी और गोडाउन वगैरह तो सब इनशोर्ड होते हैं, उनको मिल जाता है। किसान बेचारा कहां जाएगा ? नेचरुल केलेमिटी किसी के बस की बात नहीं है। इसकी भी इन क्वायरी कराएं कि दवाई ठीक थी या नहीं।

अगर बच्चा दवाई नहीं लेता है, तो उनकी सेहत के लिए उसको पकड़कर दवाई दी जाती है। अगर कोई नहीं करता है, तो कम्पलसरी तौर पर करवा दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर भारत के कुल उत्पादन में वास्तव में पंजाब का योगदान 50 प्रतिशत है। यदि पंजाब प्रभावित होता है तो देश के अन्य भागों का क्या हाल होगा आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि 2 लाख 91 हजार एकड़ में 75 परसेंट से ऊपर नुकसान हो गया है। मैं फिरोजपुर की बातें बता रहा हूं। आप इसको देखें।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : आप यह भी कह दीजिए कि जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी है, उन्हें दंडित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कह दिया है कि जिसने गलत रिपोर्ट दी है, उसे खिंचवा दीजिए। कैसे इतने कैलख हो सकते हैं कि इतना नुकसान हो जाए और कहें कि कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अगर मंत्री महोदय ने नहीं किया, तो उनको कौन देखेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े तगड़े मंत्री हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री चरणजीत यादव ने कृषकों के हितों का समर्थन किया है और अनेक सुझाव भी दिए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस ढंग से सरकार के वक्तव्य और सरकार की नीतियों में से खामियों को ढूंढ़ निकालने की कोशिश की है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए पिछले वक्तव्यों और इस संवैधानिक उपबन्ध को कि 'कृषि राज्य का विषय है' को बिल्कुल भुला दिया लगता है। केन्द्र सरकार किसी भी राज्य के कृषि विभाग का कार्यभार अपने हाथों में नहीं ले सकती। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। केन्द्र सरकार वास्तव में यही कर रही है। मैंने अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का उल्लेख किया है। यह योजनाएं केन्द्र सरकार के कहने पर तैयार की गई थीं अन्यथा उन्हें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का नाम नहीं दिया जा सकता था। हम पूरी तरह से पहल कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। जिस तरह माननीय सदस्य तर्क दे रहे थे मुझे ऐसा लगा मानो वह कृषक से अधिक एक वकील हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं दोनों हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : खैर यह मैं नहीं जानता। पर यह मामला एक वकील के रूप में बहस बाजी का मामला नहीं है। कृषकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में हम सभी एक समान महसूस करते हैं।

जहां तक जानकारी एकत्र की जा सकी और जो उपलब्ध थी वह मैंने आपको दी। अब माननीय सदस्य कहते हैं पहले यह जानकारी दी गई और बाद में यह। इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है। क्यों जानकारी राज्यों से प्राप्त करनी होती है हमारे अपने कोई पटवारी नहीं हैं।

ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण पटवारियों द्वारा किया जाता है फिर कानूनगो तथा तहसीलदार द्वारा खण्डवार जानकारी एकत्र की जाती है फिर उसका संकलन किया जाता है तथा राज्य सरकार इसे केन्द्र को प्रस्तुत करती है। मैं अन्दाजे से नहीं बता सकता क्योंकि बाद में सदन को गलत आंकड़े देकर गुमराह करने का दोषी ठहराया जाऊँगा और चन्द्रजीत यादव भी ऐसे काम के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे।

मैंने जो पहले कहा और जो अब कह रहा हूं वह जानकारी के आधार पर है (व्यवधान) मैंने यह कभी नहीं कहा कि क्षति सब जगह 50 प्रतिशत है। यह पूरी तरह से समझ में आने वाली बात है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि कुछ स्थानों पर यह क्षति 100%, जैसा कि आपने उल्लेख किया, और कुछ स्थानों पर 25%। कहीं पर 50 प्रतिशत और कहीं पर 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुई है। हमने जिलावार तथा खण्डवार भी आंकड़े एकत्र किए हैं। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। 5,000 एकड़ क्षेत्र ऐसा है जहां क्षति 25 प्रतिशत हुई है। 4,724 एकड़ क्षेत्र ऐसा है जहां क्षति 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हुई है और 5,77,957 एकड़ क्षेत्र में 51 से 75 प्रतिशत क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसा भी क्षेत्र है जहां क्षति 76 से 100 प्रतिशत तक हुई है और यह क्षति काफी अधिक है। वह 5,65,996 एकड़ है। मैं इन आंकड़ों की सच्चाई का आश्वासन नहीं दे सकता। चूंकि आंकड़े बहुत जल्दी में एकत्र किए गए हैं और ऐसी स्थिति में पूर्णता होना कठिन है यह तो आप मानेंगे ही। अतः यह कहना कि यह नहीं वह नहीं हुआ उचित नहीं। मेरे मंत्रालय द्वारा इस संबंध में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव ने श्री रामसिंह यादव द्वारा उद्धृत किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि उर्वरकों के प्रयोग से बीमारियों और कीटों की संख्या बढ़ती है। ऐसी विचारधारा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उर्वरक बीमारियों या कीटों की संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। कारण कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि फसल के आस-पास अतिरिक्त वनस्पति और पौधों की पैदाइश के कारण कीड़े-पतंगे और कीट आकर्षित होते हों। उर्वरकों का यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो वह हमेशा उपज बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह बहुत गलत धारणा है और अगर किसानों तक यह बात पहुंचा दी जाए तो इससे उर्वरकों की खपत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ऐसी निराधार धारणाओं को फैलना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

मैंने विस्तार में बताया है कि किसानों की सहायता के लिए और कीटों के विनाश के लिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। हम इस समस्या की, विशेषकर जहां ऐसी क्षति हुई है, की जांच करना चाहते हैं। राज सहायता उपलब्ध है। ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। जहां कहीं किसानों की फसल को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, वहां किसानों के हित को भी देखा जाता है, ये सभी योजनाएं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। सूखे और बाढ़ से राहत के लिए योजनाएं हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति बीमारियों तथा कीटों इत्यादि के निवारण के लिए भी योजनाएं हैं। पर ये सब राज्य सरकारों पर निर्भर है राज्य सरकारें कुछ प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। हमने उन्हें कुछ विशेष किस्म के प्रस्ताव तैयार करने का परामर्श दिया है, शायद

श्री चन्द्रजीत यादव ने उस समय ध्यान नहीं दिया जब मैं यह बात बता रहा था। जब मैंने कहा कि खतरा इससे है ना कि उससे मैं उस समय केवल उन्हें यही बताने की कोशिश नहीं कर रहा था कि किस तरह यह कीट रोग क्षति पहुंचा सकता है। मैं यह भी बता रहा था कि इन बातों से अवगत है और इनका समाधान किया जाना चाहिए। ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। बीजों के लिए भी राजसहायता उपलब्ध है। बेहतर बीज उपलब्ध कराए जायेंगे। रसायन भी उपलब्ध कराए जायेंग और जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि हमें यह भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इस क्षति के लिए कोई अन्य कारण तो जिम्मेदार नहीं और क्या घटिया किस्म के रसायनों का प्रयोग तो नहीं किया गया। इसीलिए हम कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों की किस्म पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारी और लगातार वर्षा मौसम दशाओं और फसल के आस-पास बेकार के पौधों की उपज के कारण यह कीट रोग हुआ। हम इस संकट का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही कारगर कदम उठाए जायेंगे।

माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने कुछ गलत आंकड़े उद्धृत किए। आपके सामने मैं सही स्थिति रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में जितने क्षेत्र का छिड़काव किया गया है वह लक्ष्य से काफी कम है। जबकि हरियाणा में लक्ष्य 30,000 हैक्टेयर था और वहां 41,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर छिड़काव किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके वक्तव्य में इसका उल्लेख है।

राव वीरेन्द्र सिंह : वे अपने लक्ष्य से आगे गए हैं। मैं जानता हूं कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पंजाब में लक्ष्य 100,000 हैक्टेयर था किन्तु उपलब्धि 94,000 हैक्टेयर की हुई। वहां लक्ष्य और उपलब्धि में बहुत अधिक अन्तर नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव : वक्तव्य में आपने पंजाब में 62,000 हैक्टेयर बताया है।

———

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बैन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर आते हैं। विधेयक पुरः स्थापित किया जाए। श्री एस० एम० कृष्ण।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्रीमन्, श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं विद्युत उपस्करों का, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं

के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण और उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन हेतु ब्रैन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत उपस्करों का, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण और उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित-साधन हेतु ब्रैन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० एम० कृष्ण : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अमरेली में एक टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री नवीन रवाणी (अमरेली) : इस विज्ञान-युग में देश ने बहुमुखी प्रगति की है। आज टेलीविजन का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस संचार माध्यम से हम घर बैठकर सारे विश्व की प्रमुख घटनाओं को देख सकते हैं। हमारे देश में 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। अतः समूचे देश के दूरस्थ स्थानों की ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जानकारी देने के लिए टेलीविजन एक अत्यधिक लोकप्रिय, कारगर और लाभदायक संचार माध्यम है। फिर भी, हमारी ग्रामीण जनसंख्या आधुनिक युग की अद्यतन उन्नति से अनभिज्ञ है। ग्रामीण जनसंख्या को टेलीविजन के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दी जा सकती है। इससे हमारी ग्रामीण जनसंख्या के जीवन-स्तर में भी सुधार हो सकता है। हमारी माननीया प्रधान मंत्री की यह इच्छा है कि इस संचार-माध्यम के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को पूर्ण जानकारी देकर उसके उन्नयन पर जोर दिया जाना चाहिए।

यह सुना गया है कि राजकोट को दूरदर्शन केन्द्र बनाया जा रहा है। चूंकि राजकोट अमरेली के आस-पास के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र से काफ़ी दूर है अतः इस क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या को इससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण जन-संख्या के कल्याण और हित में अमरेली में एक प्रस्तावित वाइड बेंड माइक्रोवेव प्रणाली वाला एक टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाएं।

(दो) बिहार में धान की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्णिया, सहर्षा एवं कई अन्य जिलों में धान के बाजार मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट आ गई है। अभी बाजार में 107 रुपए से 112 रुपए तक प्रति क्विंटल में धान किसानों को बिक्री करना पड़ता है। किसानों को धान के बाद भी दूसरी फसल गेहूं की खेती में अभी खाद, पानी कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था हेतु धन की आवश्यकता है, जिस हेतु धान की बिक्री करना उनके लिए आवश्यक हो गया है।

सरकार ने धान की खरीद मूल्य 145 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। परन्तु, सरकार खरीद मूल्य की तुलना में बाजार में धान का मूल्य इतना गिरने पर भी सरकार की ओर से खरीदगी का कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं किया जा सका है जिसके कारण किसानों को बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।

धान की बिक्री करना उनके लिए मजबूरी है क्योंकि उन्हें अगली फसल के लिए धन की व्यवस्था करनी है। इस मजबूरी के चलते सरकारी आश्वासन के बावजूद उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इन क्षेत्रों में धान की सरकारी खरीद की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए।

(तीन) राजस्थान के टोंक जिले में बहुप्रयोजनी बोसलपुर बांध योजना का केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र अनुमोदन किए जाने की मांग

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : टोंक जिला राजस्थान का बहुत अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। इसके पिछड़ेपन का एक कारण भौगोलिक स्थिति भी है। टोंक जिले में बनास नदी बह रही है जो 50 मील लम्बे क्षेत्र में बहती है। किन्तु यहां पर कोई बांध आदि न होने के कारण पेयजल तथा सिंचाई के पानी का भारी संकट है। राजस्थान सरकार ने बोसलपुर बांध की एक बहुउद्देश्यीय योजना बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजी है। इसके द्वारा न केवल टोंक जिले की पेयजल एवं सिंचाई की कठिनाई दूर होगी अपितु, ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, केकड़ी आदि की भी पेयजल समस्या दूर होगी। आज देश को अन्न का जो आयात करना पड़ रहा है वह भी बहुत बड़ी मात्रा में अन्नोत्पादन होने से दूर हो जाएगा तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह योजना केवल प्रदेश के ही हित में नहीं वरन् राष्ट्रहित में है। मैं आभारी होऊंगा यदि केन्द्र सरकार इस योजना को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दे।

(चार) कपास और तैयार माल की कीमतों में समानता के सिद्धान्त को क्रियान्वित करना

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : श्रीमन्, कृषि मंत्री महोदय ने सभा में 18-11-83 को कपास के मूल्यों से सम्बन्धित ध्यानकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए बताया कि कपास और तैयार माल की कीमतों में समानता के सिद्धान्त को सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। हमारे देश के बहुत से राज्यों में कपास ही एकमात्र नकदी फसल है। कृषि मूल्य आयोग और भारत सरकार द्वारा कपास की निर्धारित कीमतों को लेकर कपास-उत्पादकों में असंतोष है। इसीलिए यह अनुरोध है कि अगले

मौसम यानी 1984 में जब कपास की कीमतों को निर्धारित किया जा रहा हो समानता के सिद्धान्त को माना जाना चाहिए।

(पांच) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोणार्क मंदिर में सों-एट-ल्यूमिरे (दृश्य-श्रव्य) कार्यक्रम करना

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : श्रीमन्, आजकल कोणार्क मंदिर को चारों कोनों से रोशन किया जाता है। राज्य सकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोणार्क मंदिर में 'सों-एट-ल्यूमिरे' (दृश्य-श्रव्य) कार्यक्रम करने के प्रस्ताव पर अनुमति मांगी है। इस आधार पर कि यह एक मंदिर है, कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिए गए स्पष्टीकरण में राज्य सरकार ने बताया कि यह मंदिर राजा नरसिंह देव ने मात्र सूर्य देवता के लिए नहीं बनाया है वरन् अपनी उत्तर-दक्षिण विजय के यादगार प्रतीक के रूप में भी बनाया है। कोणार्क अब जीता-जागता मंदिर नहीं है। वास्तव में, प्रकाश तथा ध्वनि की व्यस्था हो जाने से कोणार्क में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लाल किले में प्रकाश और ध्वनि की व्यवस्था की जा चुकी है। देश के अन्य कुछ स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए, मंदिर के परिरक्षण के व्यापक हित को तथा इस स्थान की स्वीकार्यता और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए 'सों-एट-ल्यूमिरे' (दृश्य-श्रव्य) कार्यक्रम की व्यवस्था की औपचारिक अनुमति दी जानी चाहिए।

यही समय है कि कोणार्क मंदिर की मूर्तियों का पूरी तरह प्रलेखीकरण किया जाए।

(छः) 'खानपुर अहीर' फ्लैग स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाना

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : श्रीमन्, दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज रेल लाइन पर रेवाड़ी और अलवर के बीच खानपुर अहीर रेलवे फ्लैग स्टेशन है। आजकल वहां पर बांदीकुई से रेवाड़ी और रेवाड़ी से बांदीकुई तक चलने वाली शटल गाड़ी ही रुकती है। इस फ्लैग स्टेशन के यात्रियों के आवागमन के लिए सुबह एक गाड़ी है और फिर शाम को केवल एक वह भी 6 बजे के बाद दूसरी गाड़ी है।

इस स्टेशन पर काफी यात्री यातायात होता है। यह फ्लैग स्टेशन इस क्षेत्र के कम से कम चालीस गांवों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह फ्लैग स्टेशन किसी कोलतार की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। खानपुर अहीर से उत्तर की ओर रेवाड़ी और दक्षिण की ओर हर्साहली तक कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र की जनता निरन्तर मांग कर रही है कि खानपुर अहीर फ्लैग स्टेशन को पूर्ण स्टेशन बनाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की आम जनता के हित में, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि खानपुर अहीर फ्लैग स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण स्टेशन बनाया जाए।

(सात) कश्मीर हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : कश्मीर घाटी के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित

कालीन, शाल और विभिन्न किस्म की हस्तशिल्प वस्तुओं की देश के अतिरिक्त विश्व भर में बहुत मांग है। हस्तशिल्प की इन वस्तुओं से न केवल कश्मीर घाटी के लाखों लोगों, कारीगरों आदि को निर्माण, प्रबन्ध और विपणन के माध्यम से रोजगार मिलता है वरन् भारी विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। दुर्भाग्यवश, इस कश्मीरी हस्तशिल्प को कायम रखने, उसके संवर्धन तथा विदेशों में इसे लोकप्रिय बनाने और इसके उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार समुचित कदम उठा रही है। वास्तव में, पिछले वर्ष जब कालीन और हस्तशिल्प उद्योग में आई मंदी ने विदेशों में उसकी बिक्री को प्रभावित किया तब केन्द्र सरकार ने इस उद्योग के संकट को कम करने और इस उद्योग को कायम रखने के लिए पर्याप्त सहायता नहीं की थी जिसके कारण व्यापक रूप से हानि हुई और बेरोजगारी बढ़ी, चूंकि सरकार इस क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करती है अत: हस्तशिल्प की वस्तुओं के उन्नयन, बिक्री और विपणन में केन्द्र सरकार को बड़े पैमाने पर सहायता करती चाहिए और एक समुचित निधि जम्मू कश्मीर सरकार को अलग से देनी चाहिए। भारत सरकार को कश्मीरी हस्तशिल्प की वस्तुओं की संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सहित यूरोपीय देशों और एशियाई देशों में प्रदर्शनियां लगानी चाहिए। इस दिशा में जम्मू-कश्मीर सरकार अपर्याप्त साधनों के कारण कुछ अधिक नहीं कर सकती, यह जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से केन्द्र सरकार की है।

(आठ) देश भर में नाफेड और एन० सी० सी० एफ० द्वारा चाय का विक्रय करके चाय की कीमत को नियंत्रित करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब चाय अमीरों के चोंचले के रूप में मानी जाती थी, किन्तु आज वह झोंपड़ियों तक की अनिवार्य चाह बन चुकी है। कृत्रिम अभाव दिखाकर वस्तुओं के मूल्य बढ़ा देने का एक नया तरीका चल पड़ा है। गत वर्ष चाय का उत्पादन 5640 लाख किलोग्राम था। इस वर्ष अभी तक 5500 लाख किलोग्राम हो चुका है। गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में कमी बहुत आंशिक है किन्तु मूल्य वृद्धि 100 प्रतिशत से ऊपर हो चुकी है। खेद है कि सरकारी संस्थानों ने भी अवसर का लाभ उठाकर इस मूल्य वृद्धि में सहयोग करके इस मूल्य वृद्धि के औचित्य पर ठप्पा लगा दिया है। गत 1978-79 वर्ष में भी इसी प्रकार चाय का उत्पादन 5570 लाख किलोग्राम से 5437 लाख किलोग्राम हुआ था किन्तु उस समय नेफेड एवं एन० सी० सी० एफ० की संस्थाओं द्वारा समस्त देश में चाय एक निश्चित मूल्य पर बिक्री करके मूल्यों पर काबू पा लिया गया था। अत: आज भी मैं आपके माध्यम से यह सुझाव सरकार को देना चाहती हूं और आग्रह करती हूं कि सरकार अविलंब इस प्रकार की व्यवस्था कर इस मूल्य वृद्धि को रोके और आम व्यक्ति को राहत पहुंचाए।

(नौ) दुर्गापुर उर्वरक कारखाने का विस्तार

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र में स्थापित मशीनरी और संयंत्र लगभग पुराने और बेकार हो चुके हैं। स्पष्ट है कि इस पुरानी मशीनरी और संयंत्र से बहुत अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। इस समय हमारा देश उर्वरकों की कमी का सामना कर रहा है और निस्संदेह इससे हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

कमी को दूर करने के लिए हमारे देश को विवश होकर उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है। फलस्वरूप, इसके ऊपर काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है।

यदि दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का विस्तार विचाराधीन है, तो बुनियादी ढांचा आसानी से सुलभ है, जिससे संयंत्र विस्तार की लागत कम हो जाएगी। दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र लगभग पूरा होने को है तथा राज्य सरकार द्वारा इससे बिजली की काफी मात्रा मिलने का आश्वासन दिया गया है। अत: इस संयंत्र के विस्तार के लिए अपेक्षित बिजली प्राप्त करने की कोई समस्या नहीं है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के कर्मचारी रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसको छ: महीने से अधिक समय से इस आशा में बनाया रखा जा रहा है कि जैसा कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का विस्तार शीघ्र ही हो जाएगा।

इन परिस्थितियों में मेरा सरकार से अनुरोध है कि दुर्गापुर उर्वक संयंत्र का शीघ्र विस्तार किया जाए जिससे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि तकनीकी और वित्तीय दोनों ही रूप से इस संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव लाभकारी और न्यायसम्मत होगा। मैं रसायन और उर्वरक मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बिस्तार कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए वह समुचित कदम उठाएं।

(दस) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह से कलकत्ता और मद्रास तक भारतीय नौवहन निगम के जहाजों की अनियमित सेवा

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, अंडमान द्वीप हवाई मार्ग से कलकत्ता तथा मद्रास से जुड़ा है तथा निकोबार एवं अन्य द्वीप अंडमान से जुड़े हैं। सर्वसाधारण मनुष्य के लिए हवाई मार्ग बहुत खर्चीला है तथा इस कारण जलमार्ग का उपयोग अधिक मात्रा में अंडमान से कलकत्ता तथा मद्रास आने-जाने के लिए किया जाता है।

शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के स्वत: के जलयान कलकत्ता तथा अण्डमान के बीच आवागमन करते हैं तथा अण्मान मद्रास मार्ग पर जलयान शिपिंग कार्पोरेशन के, परन्तु उसका प्रबन्ध किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में अनेकों वर्षों मे है। जलमार्ग के प्रवासी का आममत यह है कि उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार किसी कैदी के साथ। अण्डमान का इतिहास सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों द्वारा रखे गए सैकड़ों क्रांतिकारियों के साथ जुड़ा रहने के कारण अण्डमान के निवासी जलमार्ग की गुलामी का अधिक अहसास करते हैं। जलयानों के आवागमन की अनियमितता इतनी अधिक है कि कलकत्ता-मद्रास में अनेकों दिन प्रवासी डेरा डालते हैं तथा अनिश्चय का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश शासकीय कर्मचारी रहते हैं तथा भारत के सभी प्रदेशों से आते हैं। जलयानों की व्यवस्था तथा अनियमितता का एक और दुष्परिणाम होता है कि अण्डमान द्वीप समूह पर अनेकों बार नमक, शक्कर, आलू, प्याज, माचिस आदि दैनदिन आवश्य वस्तुओं का अभाव हो जाता है। दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को मैं तथा मेरे साथ अन्य दो लोकसभा सदस्यों ने इसका अनुभव

अण्डमान में किया। फिर अण्डमान से जुड़े अन्य द्वीपों पर रहने वालों की दुर्दशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अतएव गृह मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया की व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन लाने के आदेश प्रदान करें ताकि अनियमितता तथा अन्य परेशानियों से आम नागरिक को मुक्ति दिलाई जा सके।

(ग्यारह) इकबालपुर शुगर फैक्ट्री, सहारनपुर द्वारा गन्ने की पिराई में विलम्ब और गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान न करना

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि हमें जवाब तक नहीं मिलता है। आप पहले भी इस सभा को आश्वस्त कर चुके हैं कि सदस्यों को मंत्री की ओर से उत्तर दिया जाना चाहिए।

एक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, जवाब भी नहीं दिया जाता। इसको पढ़ने के बाद सिर्फ अपना नाम रेडियो और टी० वी० पर सुन सकते हैं। अगर इसका यही परपज है तो इस नियम-377 के अधीन मैटर रेज करने का मामला खत्म किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों को यह जानना चाहिए कि आपने यह मुद्दा उठाया है और इसीलिए यह रेडियो से भी प्रसारित होना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह : आप पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को इस बारे में इंस्ट्रक्ट कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को यह जानना चाहिए कि आपने यह मुद्दा उठाया है और सरकार द्वारा यह किया जाता है···किन्तु मैं आपके विचार उनको बता दूंगा।

श्री जगपाल सिंह : मैं जनपद सहारनपुर के इकबालपुर शुगर फैक्ट्री, जो कई वर्षों से रूग्ण है, सम्बन्धित मामला सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले वर्ष भी यह फैक्टरी गन्ने की पेराई ठीक नहीं कर पाई थी। करोड़ों रुपये का रस नालों में बहाया गया था। मैंने इस फैक्ट्री के अधिग्रहण का मामला सदन में उठाया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस वर्ष भी वह संस्थान गन्ने की समय पर पेराई नहीं कर पायेगा। किसान कई-कई दिन गन्ने की तुलाई के लिए खड़ा रहता है। फिर भी तुलाई का प्रबन्ध नहीं हो पाता है।

अत: इस फैक्ट्री पर सरकार सख्ताई से काम ले, ताकि गन्ने की ठीक समय पर पेराई हो सके। इस फैक्ट्री पर गत वर्ष का किसानों का करोड़ों रुपये बकाया भी तुरन्त दिलवाया जाय, ताकि किसानों दो राहत मिल सके और फैक्ट्री की विद्यमान रूग्णता दूर की जा सके।

(बारह) भावनाथपुर में पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुविधायें न दिया जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : बिहार में जिला मुख्यालय डालटनगंज से कोई 60-70

किलोमीटर दूर भावनाथपुर में बोकारो स्टील लिमिटेड की चूना पत्थर की खदान है जिसकी खुदाई ठेकेदारों के जिम्मे है। मजदूरों को काम पर जाने से पहले आवश्यक वस्तुएं जैसे जूता चश्मा जैसी जरूरी चीजें भी नहीं दी जाती हैं जिनके न होने से पत्थरों की खुदाई के क्रम में उसकी किरची आंखों में जा घुसती है और इसके बाद ग्रामीण डाक्टर बाबू के चक्कर में पड़ कर गरीब श्रमिक अपनी आंखों से हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार लगभग तीन दर्जन नेत्रहीन श्रमिक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक न तो मुआवजे की राशि मिली है और न उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी।

अत: मैं सरकार से जोरदार रूप से अनुशंसा करूंगा कि उपरोक्त जघंय अपराध की अविलम्ब जांच की जाए और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि स्वतन्त्रता के 36 वर्ष बाद भी इस मुल्क में गरीब जनता को ऐसा अनुभव हो कि वे भी आजाद मुल्क के नागरिक हैं।

(तेरह) ब्रिटेन के ग्रेनाडा टेलीविजन द्वारा निर्मित एक फिल्म में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की छवि को गलत रूप में पेश किया जाना और भारत में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की मांग

श्री चित्त बसु (बारसाट) : ब्रिटेन के ग्रेनाडा टेलीविजल द्वारा नेताजो सुभाषचन्द्र बोस पर हाल ही में एक फिल्म बनाई गई है।

इस फिल्म में नेताजी को असली रूप से चित्रित नहीं किया गया है तथा उनका वह स्वरूप नहीं दिखाया गया है जो स्वतन्त्रता संग्राम के लिए उन्होंने धारण किया था। इसके विपरीत, उनका चित्रण विकृत ढंग से किया गया है। रिचर्ड एटनबरों द्वारा निर्देशित अत्यधिक फिल्म 'गांधी' की तरह ही ग्रेनाडा द्वारा निर्मित नेता जी पर फिल्म एक और अन्य, नेताजी के प्रति अपनाये गई निन्दनीय रवैये का उदाहरण है। यह देश का अपमान है।

नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, कलकत्ता के अनुसार, इस फिल्म में उनके किसी भी नजदीकी साथी अथवा मित्रों को साक्षात्कार नहीं दर्शाया गया है। किन्तु ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि बहुत ही विकृत ढंग से उनका चित्रण करती हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार उपर्युक्त माध्यम से विरोध प्रकट करे तथा इस फिल्म के भारत में दिखाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये।

(चोदह) पालेकर पंचाट का क्रियान्वयन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पालेकर पंचाट की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों ने अपने अंशकालिक पत्रकारों की सेवाएं समाप्त कर दी है जिससे उन्हें देय राशि का भुगतान न करना पड़े। और इस तरह पंचाट के क्रियान्वयन को टाला गया है। इसे देखते हुए, अखिल भारतीय पत्रकार संसद, दिल्ली जो कि एक पंजीकृत निकाय है ने अंशकालिक पत्रकारों/संवाददाताओं जो कि 'व्यावसायिक' अथवा 'उपव्यवसाय, रूप में कार्यरत हैं; के हितों की सुरक्षा करने के लिए (सेवा

की स्थितियों तथा विविध प्रावधानों) पत्रकार और समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम 1955 में उपर्युक्त संशोधनों की मांग की है। इस अधिनियम की धारा 2, 4 और 5 में उपयुक्त संशोधन करने आवश्यक हैं। और नई धारा 16क के अन्तःस्थापन की आवश्यता है इस अवार्ड की क्रियान्विति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(पन्द्रह) आगरा और मथुरा से नई दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों के लिए रेलगाड़ी की अपर्याप्त सुविधायें

श्री राकेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदय, आगरा एवं मथुरा से प्रतिदिन दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर वे सुबह आगरा या मथुरा से आना चाहते हैं तथा उसी शाम को लौटना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय वाली रेलगाड़ियां नहीं हैं। चार रेलगाड़ियां, यथा देहरादून, बम्बई दादर, दक्षिणी एक्सप्रेस तथा जी० टी० एक्सप्रेस सुबह के 2 बजे से 3.15 के बीच मथुरा स्टेशन से गुजरती हैं। इसके पश्चात 5 घण्टे के अंतराल के बाद, दो रेलगाड़ियां—पश्चिम/डीलक्स एक्सप्रेस मथुरा से तथा कुतुब एक्सप्रेस मथुरा होते हुए आगरा से यात्रियों को उपलब्ध होती है। दैनिक यात्रियों के लिए जिनके पास सीजनल टिकट होते हैं पश्चिम/डीलक्स एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से सफर करने की अनुमति नहीं है। इस तरह आगरा तथा मथुरा के दैनिक यात्रियों के लिए कुतुब एक्सप्रेस गाड़ी ही रह जाती है जो कि प्रायः देर से चलती है, जिसके परिणामस्वरूप लोग सुबह निजामुद्दीन देर से पहुंचते हैं तथा दिल्ली में उन्हें अपना कार्य करने में बहुत कम समय मिल पाता है तथा उन्हें शाम को विवश होकर 5 बजकर 5 मिनट पर कुतुब एक्सप्रेस से लौटना पड़ता है। दैनिक यात्रियों को जी० टी० एक्सप्रेस से मथुरा/आगरा जाने की अनुमति नहीं है जो नई दिल्ली से शाम 7 बजकर 5 मिनट पर जाती है।

अतः रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि या तो वे ताज एक्सप्रेस की भांति आगरा से सुबह की रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था करें अथवा दिल्ली आने वाली दक्षिणी, बम्बई जनता अथवा कुतुब एक्सप्रेस का समय मथुरा से सुबह 6 और 7 बजे के बीच परिवर्तित कर दें। अथवा जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दैनिक यात्रियों को पश्चिम/डिलक्स एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बों में यात्रा करने की इजाजत दी जाये।

(सोलह) पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने में भेदभाव

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राजपत्रित तथा अराजपत्रित, समय-समय पर यह मांग करते रहे थे कि जिन घोर विपत्तियों का वे सामना कर रहे थे उसे निष्प्रभावित करने के लिए उन्हें विशेष भत्ता दिया जाये। केन्द्र सरकार ने उन अभ्यावेदनों, तथा निवेदनों के जवाब में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग

के सचिव की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की। कुछ समय पूर्व समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। जिसके अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप में विशेष भत्ते की मांग स्वीकार कर ली है। किन्तु निर्णय लेते समय सरकार ने विशेष प्रतिपूरक भत्ता केवल श्रेणी एक के अधिकारियों को ही देने का फैसला किया है।

श्रेणी एक के कर्मचारियों को भेदभाव से विशेष भत्ता देने और अन्य श्रेणियों को तनख्वाह के 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता देने की सीमाओं से बाहर रखना अत्यधिक अन्यायपूर्ण है।

अत: मेरी मांग है कि यह विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता केन्द्र सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में समान रूप से उनको भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(सत्रह) पटना-गया रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में परिवर्तित करना

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष जी भूतपूर्व दानापुर मंडल के अन्तर्गत पटना-गया (सिंगिल लाइन) की हालत अति दयनीय है। इस लाइन का निर्माण सौ से अधिक वर्षों पूर्व हुआ था। तब से आज तक इसकी अच्छी मरम्मत कभी नहीं हुई। सारे स्टेशन, प्लेटफार्म तथा अन्य आवश्यक कार्यों की भी मरम्मत नहीं हुई।

यही कारण है कि आये दिन इस लाइन में रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं। अभी विगत 15 दिनों के अन्दर तीन घटनायें हुई। ये दुर्घटनायें पुरानी लाइन और उसके बे मरम्मत होने के कारण हो रही हैं। लगभग 95 किलोमीटर पटना से गया की दूरी में यात्री को सफर करने में पांच घण्टे लग जाते हैं। इनकी बोगियां टूटी-फूटी हैं। चलती गाड़ी से लोग गिर जाते हैं। बत्ती और पंखा तो है ही नहीं। पटना से गया लाइन का महत्व बहुत अधिक है। पटना बिहार की राजधानी है। गया देश भर के हिन्दुओं तथा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है, पर्यटकों का केन्द्र बिन्दु है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को दोहरी लाइन में तुरन्त परिणत करे।

(अठारह) पटना के राज्य खाद्य निगम गोदामों से उचित दर की दुकानों को खाद्यन्न की अनियमित सप्लाई

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना में बहुत से उचित दर दुकानों दुकानदारों को खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न की नियमित सप्लाई प्राप्त नहीं हुई इसके कारण वहां मूल्य में वृद्धि हो गई तथा उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा।

बताया जाता है कि कांकड़ बाग गोदाम से वहां स्टाक न होने के कारण दो हजार क्विटल गेहूं सप्लाई नहीं किया जा सका। उचित दर दुकानदारों को घटिया किस्म का चावल उठाना पड़ा। केन्द्र सरकार को अविलम्ब उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री बी० शंकरानंद द्वारा 15 दिसम्बर, 1983 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगा अर्थात् :—

"यह सभा 2 नवम्बर, 1982 को सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन करती है।"

माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' संबधी इस चर्चा में भाग लिया उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न पहलुओं पर अत्यधिक मूल्यवान सुझाव दिए। किन्तु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करते समय मैं कह सकता हूं, इस चर्चा में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। चर्चा में भाग लेने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम औषधियों, बहुराष्ट्रीय, शिशु मृत्युदर संख्या, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा इत्यादि सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों के विभिन्न संस्थानों के कार्यों में कमिपय कमियों को बताया।

सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि उधर से किसी सदस्य ने कहा था कि परिवार नियोजन अनिवार्य होना चाहिए। प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक परिवार नियोजन का संबंध है इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि कई बार मैंने सदन को बताया है कि परिवार नियोजन पूर्णतः स्वैच्छिक व बिना किसी को बाध्य किए ही होगा। यह लोगों का आन्दोलन है, सिर्फ सरकारी एजेन्सियों द्वारा ही नहीं किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री नाथू राम मिर्धा की यह बात कि परिवार नियोजन अनिवार्य होना चाहिए, इस पर मेरी प्रतिक्रिया से सदन सहमत होगा।

इसके बाद कुछ सदस्यों ने भोर समिति, श्री वास्तव समिति, मुदालियर समिति आदि तथा उनके सुझावों की चर्चा की तथा यह भी पूछा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य नीति के बारे में क्या किया है ?

1946 में भो समिति के विचार विमर्श से, वास्तव में हमें स्वास्थ्य की बुनियादी देखभाल के बारे में पता चला। इन अनेक वर्षों में हमें बहुत से अनुभव हुए हैं, हमने बहुत से विचार तथा योजनाएं एकत्र की हैं तथा अब अन्तिम रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शक्ल में हम यह नीति सदन के समक्ष लाये हैं।

महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद में दो अवसरों पर चर्चा की गई थी। इसका मसौदा तैयार किया गया था। पुनः मसौदा तैयार किया गया तथा विभिन्न संगठनों, औषधि परिषदों, व्यवसायिकों, विभिन्न मुख्य मंत्रियों, केन्द्र सरकारों तथा

विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, स्वास्थ्य संबंधी कतिपय अधिकारियों, विशेषज्ञों आदि को भेजा गया दस्तावेज परिचालित कर दिया गया; उनके विचार जान लिए गए हैं; इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को तैयार करते समय उनकी राय को भी ध्यान में रखा गया है।

हमारी स्वास्थ्य नीति का मूल आधार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है तथा हम उसमें जनता का सक्रिय योगदान लेना चाहते हैं। यह स्वास्थ्य नीति का मूल सिद्धांत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से हम ग्रामीण जनता की सहायता करना चाहते हैं जिसकी अब तक उपेक्षा होती रही है। यानि कि लोगों के स्वस्थ रहने का परम्परावादी तरीका, औषधियां, चिकित्सक तथा औषधालयों के माध्यम से संपन्न होता था। विकासशील तथा योजना प्रक्रियाओं के होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र का केन्द्रीयकरण किया गया था तथा ग्रामीण व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है। महोदय, अब हम तथा रोगनाशक पहलू की बजाय रोग निवारक तथा प्रोत्साहक पहलुओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की है ग्रामीण स्वास्थ्य समितियां बनाई जा रही हैं, स्वास्थ्य गाइडों तथा दाईयों को प्रशिक्षण दिया गया है। सेवाएं तथा आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं।

जहां तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रश्न है उन्हें कैसे और किस प्रकार से तथा किस के द्वारा पहुंचाया जाए? जैसा कि मैंने कहा कि हम निवारक तथा प्रोत्साहक पहलुओं की दिशा की ओर अग्रसर हैं। माननीय सदस्यों ने शिकायत की हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए डाक्टर अनिच्छुक रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को कुछ कठिनाइयां होती हैं तथा हमें उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वे गांवों में ठहरें। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि तब तक हमें ग्रामीण व्यक्तिओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए महोदय, हम डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने की योजना बना रहे हैं।

मैंने एक समिति नियुक्त की है तथा उसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है जिन पर सरकार विचार कर रही है। किन्तु यह सत्य है कि यह विसंगति विद्यमान है। डाक्टर अथवा अर्ध-चिकित्सियक कर्मी हैं जिनको कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिलता है उन्हें हर तरह की सुविधाएं जैसे कि स्कूलों, कालेजों, मनोरंजन के साधन, होटल, रहने के स्थान तथा इसके बावजूद भत्ते भी दिए जाते हैं। विभिन्न नगर भत्ते दिए जाते हैं किन्तु जब एक डाक्टर को ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह न सिर्फ इन सभी सुविधाओं से वंचित रहता है अपितु उसे ठहरने के लिए घर भी नहीं मिलता। और इसी कारण ग्रामीण लोग कष्ट सह रहे हैं तथा हमें सोचना है कि ग्रामीण व्यक्तियों की सेवा करने के लिए हम किस प्रकार से वहां जाने वालों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य न करने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सदस्यों का कहना है कि प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टर, नर्स दवाईयां आदि नहीं हैं। किन्तु यह पूर्णतय सच नहीं है। कुछ प्राथमि क चिकित्सा केन्द्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये चीजें नहीं हैं। अगर ऐसा है तो इसे दूर किया जाएगा और मैं सदस्यों से सहमत हूं कि जो डाक्टर, नर्स ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं वे राष्ट्र पर भार हैं।

महोदय, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हम सिर्फ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम बुनियादी ढांचे का पूर्ण उपयोग करें जिसे कि हमने पहले ही तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है। अगर मैं आपको परिवार नियोजन के क्षेत्र में इस आधारभूत ढांचे से हुई उपलब्धियों के आंकड़े दूं तो देश को बहुत ही गम्भीर रूप में सोचना पड़ेगा। अगर इस पर जनसंख्या की वृद्धि होती रहने दें तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बावजूद भी इस देश की जनसंख्या 95 करोड़ हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल कोई भी कदम नहीं उठाते हैं तो इस शताब्दी के अन्त तक देश की आबादी 1,000 करोड़ हो जाएगी। और अगले 16 वर्षों के अन्दर इन 50 मिलियन लोगों के बढ़ जाने से सदन कल्पना कर सक ा है कि इन 50 मिलियन अतिरिक्त व्यक्तियों के विकास के लिए हमें कितनी राशि की आवश्यकता होगी। उनके लिए स्कूल खोले जाने की आवश्यकता होगी; इन व्यक्तियों का रोजगार के अवसर देने होंगे; खाना, कपड़ा तथा आवास ये सभी चीजें इन व्यक्तियों को उपलब्ध करानी होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या निर्वाचन क्षेत्र भी बड़े हो जायेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : संसद सदस्यों के लिए भी आवास के लिए कोई कमरा नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सन् 2000 में हम चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : हमें किसी भी प्रकार से किसी भी देश से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है।

परिवार नियोजन के क्षेत्र में, जिन लोगों ने परिवार नियोजन तरीकों को अपनाया उनकी संख्या 1979-80 में 5.5 मिलियन से बढ़कर 1982-83 में 11.1 मिलियन हो गई है, तीन वर्ष में दुगुनी बढ़ोतरी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि परिवार नियोजन पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर है, किन्तु सदन को संतुष्ट करने के लिए मैं कतिपय आंकड़े दूंगा कि हम पहले ही सही दिया की ओर अग्रसर हैं नीति दस्तावेज में भी यही दर्शाया गया है। लैंपरोस्कोपिक तरीका बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। हम लैंपरोस्कोपिक दलों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो कि उपयुक्त पति पत्नी को खास तौर पर महिलाओं को लेंगे। कतिपय राज्यों में ये तरीके इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि लोग इन तरीकों को अपनाना चाहते हैं, किन्तु हमें मांग के अनुरूप गति बनाए रखनी है। परिवार नियोजन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता है। मैं सराहना करूंगा कि नीति दस्तावेज में साक्षरता के लिए जो लक्ष्य रखा था वह केरल ने प्राप्त कर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गरीबी हो सकती है। आबादी नियंत्रण के लिए विकास स्वयं भी एक तरीका हो सकता है किन्तु हम इस देश में विकास होने तक इन्तजार नहीं कर सकते। परिवार को सीमित रखने के लिए परिवार सीमित रखने की भावना का होना जरूरी है ताकि हम देश की आबादी को सीमित करें तथा लोगों के कल्याण के लिए विकास का स्तर बनाएं।

महोदय, छुआछूत की बीमारियों के नियंत्रण के क्षेत्र में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शत प्रतिशत सफल रहा है। मैंने इस सदन तथा दूसरे सदन में भी कुष्ठ रोग निवारण समिति तथा कुष्ट रोग निवारण

बोर्ड द्वारा इन बीमारी के निवारण के बारे में ब्यौरा दिया है, ये दोनों इसको क्रियान्वित करने की एजेंसियां हैं। मैंने ब्यौरा दे दिया है तथा मैं सदन का वक्त नहीं लेना चाहता।

तपेदिक के मामले में 1982-83 के दौरान लगभग 11 लाख नए रोगियों का पता लगाया गया है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान 1980 से सौ जिलों में एक्स-रे उपकरण तथा कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। सन् 1983-84 में वित्तीय परिव्यय 2.18 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 4.8 करोड़ रुपए कर दी गई है।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वास्तव में अधिक तीव्र कर दिए गए हैं। मलेरिया की घटनाएं 28 मिलियन से कम होकर···(व्यवधान)

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मलेरिया तो बढ़ रहा है। मंत्री जी को पता ही नहीं है; उन्होंने गांवों में जाकर देखा ही नहीं है, मलेरिया बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना जबाब पूरा देखने दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मलेरिया के मामले सन् 1982-83 में 28 मिलियन 98 हजार से से घटकर 21 मिलियन 60 हजार रह गए हैं और तथा फेलसिपेरम के मामले भी 1980 में 5,86,000 से कम होकर 1982 में 5,38,000 रह गए हैं। 1983 में तथाकथित मामले 1982 की समान अवधि के बजाय कम हैं।

अन्धेपन को रोकने के लिए शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। 1981-82 में मोतिया बिंद के 6.6 लाख आपरेशन किए गए थे और 1982-83 में 8 लाख आपरेशन किए गए हैं। 250 जिला स्तरीय हस्पतालों, 30 मेडिकल कालेजों तथा 540 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में नेत्र उपचार जांच सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय राशि 2.4 करोड़ से बढ़ाकर 6.7 करोड़ कर दी गई है।

एक समयबद्ध गिनी कृषि निवारण कार्यक्रम 78 जिलों में शुरू किया गया है जिससे 10 मिलियन लोगों को लाभ होगा। जापानी एनसीफैलीटीस वैक्सीन के उत्पादन के लिए कासोली में एक ईकाई स्थापित की जा रही है।

छठी योजना परिव्यय में देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी के लिए 83 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जबकि पांचवीं योजना में इसके लिए 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। मलेरिया तथा मिरगी के उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां पेटेन्ट की गई हैं। देशी दवाइयों के निर्माण के लिए 16 राज्य फार्मेसियों का विकास किया गया है। इण्डियन फार्मस्यूटिकल कार-पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के सहयोग से मोहन (यू० पी०) में स्थापित किया गया है।

बहुपरियोजनीय कार्यकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। लगभग 1.65 लाख ऐसे कार्यकर्त्ताओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य

प्रत्येक गांवों में एक प्रशिक्षित दाई और एक स्वास्थ्य गाइड की व्यवस्था करना है। अभी तक लगभग 4.5 लाख दाईयों और 2.5 लाख स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया है।

जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि युवा डाक्टरों को समाज सेवा के लिए आकृष्ट करने हेतु वर्तमान डाक्टरी शिक्षा प्रणाली देश की आवश्यकताओं के पूर्णतया अनूकूल नहीं पाई गई है। इस उद्देश्य से एक डाक्टरी शिक्षा अवलोकन समिति नियुक्त की गई है इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और वह सरकार के विचाराधीन हैं। हमने देश में चिकित्सा जनशक्ति योजना के लिए भी सिफारिश की थी, क्योंकि कुछ राज्यों में आवश्यकता से अधिक चिकित्सा कालेज हैं, और कुछ राज्यों तथा प्रदेशों में एक भी चिकित्सा कालेज नहीं है। इसलिए चिकित्सा कालेज खोलने तथा डाक्टरों एवं अर्ध-चिकित्सक व्यक्तियों प्रशिक्षण को सुविधाएं उपलब्धा कराए जाने में एक विसंगति है। **(व्यवधान)**

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में हम हर वर्ष 13,000 एलोपैथी, लगभग 5 से 6 हजार आयुर्वेदिक डाक्टर तथा 4 हजार से 5000 यूनानी एवं होम्योपैथी डाक्टर तैयार कर रहे हैं, कुल मिलाकर 20,000 डाक्टर प्रतिवर्ष तैयार हो जाते हैं और उनको सेवा में लाना देश के लिए एक समस्या है। जब तक हम युवा डाक्टरों को गांवों में काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और जब तक लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरुक नहीं किया जाएगा, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते।

मुख्य समस्या लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरुक बनाना, स्वयं को स्वच्छ रखना, वातावरण में स्वच्छता बनाना आदि आदि हैं। सुरक्षित पीने के जल के प्रबन्ध से निश्चित रूप में देश में पेचिश की समस्या खत्म हो जाएगी।

श्री माधव राव सिंधिया (गुना): चिकित्सा कालेजों में, शिक्षा के पुर्नविन्यास विशेष रूप में ग्रामीण आवश्यकताओं के संदर्भ में क्या आप अपने कुछ विचार (उपाय) बता सकते हैं और इन समितियों द्वारा क्या सामान्य सुझाव दिए गए ?

श्री बी० शंकरानन्द: सच तो यह है कि विभिन्न सुझाव हैं। मैं आप को एक उदाहरण दूंगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कि हमने कुष्ठ रोगों के निवारण, अन्धेपन तथा तपेदिक के नियंत्रण के लिए शुरू किया है, ये बातें चिकित्सा शिक्षा में गम्भीर रूप से बिल्कुल ही नहीं लिया जाता। डाक्टर को इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए आधुनिक डाक्टर, आप का डाक्टर स्वयं यह समझता है कि कुष्ठ रोग अछूत है। वह मरीज को छूना भी नहीं चाहता। वह उसका इलाज नहीं करना चाहता। उसे खुद भी यह नहीं मालूम होता कि यह एक चर्मरोग है, किसी भी चर्म रोग की भांति संक्रामक, और यह तपेदिक से कम संक्रामक है। किन्तु समाज कुष्ठ रोग को तपेदिक से ज्यादा खराब समझते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो चिकित्सा शिक्षा के दौरान पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी इन बीमारियों को भी अन्य बीमारियों की ही भांति समझें। और यह देश की प्राथमिक आवश्यकता है। सामान्य लोगों के लिए हम यही कर रहे हैं।

अपने वक्तव्य में भी मैं कुछ बातें बता चुका हूं। यह प्रश्न पूछा गया है कि स्वास्थ्य नीति को कैसे कार्यरूप दिया जाएगा। जब हमारे पास अपेक्षित धन नहीं है और इस नीति को कार्यरूप देने के उद्देश्य से पर्याप्त एजेंसी और मशीनरी नहीं है तब इसे कार्यरूप कैसे दिया जाएगा? यह काम दो-तरफा आक्रमण से किया जा सकता है (1) लोगों को स्वस्थ बनने और स्वस्थ रहने के उनके अधिकार से अवगत कराया जाए। लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरुक किया जाए और देश में सभी स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए कहा जाए।

(2) एक निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिए ताकि पता रहे कि कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं। प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम को यदि कार्यान्वित किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक होगा। मद सं० 13, 14, और 15 सीधे ही इस देश की स्वास्थ्य योजना से सम्बद्ध हैं। कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति इन सब कार्यक्रमों पर नजर रखने में बहुत मदद करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी इन सब कार्यक्रमों की निगरानी करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय स्तर पर इसकी निगरानी करने के लिए मुख्य निवेश संगणित प्रबंध सूचना प्रणाली होगी, जिसको एक मूल संकेतक के रूप में प्रधान स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय में लगाया जायेगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए वे सतर्क हैं। वे मासिक आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और अगले महीने के तीसरे सप्ताह तक उनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। यदि इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है तो शायद हमारा सपना पूरा हो जाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : निगरानी करने की मशीनरी क्या है?

श्री बी० शंकरानन्द : हमारे पास एक कक्ष है। मैंने जो कहा था यदि आप उसे नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों की स्वास्थ्य-परिचर्या और चिकित्सीय-परिचर्या के लिए हम यही सब करते रहे हैं।

सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप देखेंगे कि चर्बी के कारण स्वास्थ्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।

श्री बी० शंकरानन्द : नीरोगता ही स्वास्थ्य का एक मात्र लक्षण नहीं है, यह तो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने की भावना है। हमने उन लोगों के उपचार करने की क्षमता को बढ़ा दिया है जो मानसिक रूप से प्रभावित हैं और चर्बी एक कारण है जिसने निश्चित रूप से बहुत से दिमागों को प्रभावित किया है। मैं उनका इलाज करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) निस्संदेह, बहुत से व्यक्ति आ रहे हैं। किन्तु मैं चाहता हूं कि यह समय है जब आप अपने दिमाग से उस नकली अवरोध को निकाल दें, हटा दें जो वे स्वास्थ्य परिचर्या और वितरण प्रणाली में पैदा करना चाह रहे हैं। इस बारे में हम सभी तरह के कदम उठा चुके हैं। (व्यवधान) बहुतों ने चर्बी के बारे में प्रश्न उठाया। मुझे उन सभी को उत्तर देना है।

खाद्य अपमिश्रण निवारक कार्यक्रमों को प्रभावित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है और

हम सभी राज्य सरकारों को यह लिख चुके हैं कि वह यह देखें कि जो लोग जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। इस सम्बन्ध में जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने में हम सब से आगे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह 2 नवम्बर, 1982 को सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

श्री रामलाल राही : एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : वह सभी बातों का उत्तर दे चुके हैं। 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना होगा। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। मैं किसी को अब प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप जरा सी भी बात नहीं समझते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कह रहे हैं; कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 नवम्बर, 1982 को सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुनने की मेरे पास शक्ति नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे एक वाक्य कहने की अनुमति दीजिए, उसके बाद आप 6 बजे तक इसको जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं, आप चाहते हैं कि उस विषय को अभी लिया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कार्यवाही वृत्तांत में जाने दीजिए कि मैं एक चर्चा उठाना चाहता हूं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको 6 बजे बुलाएंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तब, आप मुझे बुलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जलील अब्बासी। 6 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा होगी। तत्पश्चात पशु-चर्बी पर चर्चा की जाएगी। पहले हमें सभा का मत जानना होगा कि हमें उस चर्चा को लेना चाहिए या विधेयकों को। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 6 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं कहता हूं कि जब यह गाय की चर्बी का मामला उठाया जाएगा, यदि यह शाम को उठाया जाता है तो कल समाचार-पत्रों में केवल मंत्री का वक्तव्य आएगा, जो सरकार को देना ही होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो कहने जा रहे हैं, वह रेडियो और टेलीविजन पर नहीं आएगा। यह गलत बात है। उन्हें यह चर्चा पहले रखनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यसूची में यह बिल्कुल स्पष्ट दर्शाया गया है कि 3-30 से 6 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा। तत्पश्चात पशु चर्बी पर चर्चा होगी। इसीलिए, मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। यदि मैं इसके विरुद्ध जाता हूं तो सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे, वे व्यवस्था का प्रश्न उठाएंगे। मैं इन नियमों से बंधा हूं। अब, श्री जलील अब्बासी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

68वां प्रतिवेदन

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 दिसम्बर, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 68वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 दिसम्बर, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 68वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा 66 में संशोधन)

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : श्रीमन्, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिक (संसद तथा विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व) विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिकों को राज्य विधान मण्डलों और संसद में प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिकों को राज्य विधान मण्डलों और संसद में प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 123क का अन्त स्थापन, आदि)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामविलास पासवान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 85 और 174 में संशोधन)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामविलास पासवान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 31ख में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री एम० एम० लारेंस द्वारा पेश किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। पिछली बार गणपूर्ति की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विभाजन गैर-सरकारी सदस्यों के अगले कार्य-दिवस यानी आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह संविधान संशोशन विधेयक है। इसलिए मतदान विभाजन द्वारा करना होगा। अतः दीर्घाएं खाली की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। अब मैं श्री एम० एम० लारेंस द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-3

पक्ष में (15.41 बजे)

विश्वास, श्री अजय

चटर्जी, श्री सोमनाथ

---

*दिनांक 22-12-1983 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 में प्रकाशित।

दंडवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दिगम्बर सिंह, श्री

गिरि, श्री सुधीर

जगपाल सिंह, श्री

कोडियन, श्री पी० के०

लारेंस, श्री एम० एम०

मंडल, श्री सनत कुमार

मायातेवर, श्री के०

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुकर्जी, श्रीमती गीता

नागरत्नम, श्री टी०

पाल, प्रो० रूप चन्द

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री राम विलास

पाटिल, श्री जे० एस०

राजन, श्री के० ए०

राजेश कुमार सिंह, श्री

रियान, श्री बाजूबम

राय, श्री ए० के०

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

अब्बासी, श्री काजी जलील

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अरुणाचलम, श्री एम०

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बालेश्वर राम, श्री

बरवे, श्री जे० सी०

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री पारसराम

भोई, डा० कृपासिंधु

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बूटा सिंह, श्री

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चव्हाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

देसाई श्री बी० वी०

घोटे, श्री जाम्बुवंत

गधावी, श्री भेरावदन के०

गुफरान आजम, श्री

गोगाई, श्री तरूण

जदेजा, श्री दौलतसिंह जी

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जेना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमल नाथ

केन, श्री लालाराम

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लास्कर, श्री निहार रन्जन

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री उमा कान्त

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोतीलाल सिंह, श्री

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

नायक, श्री जी० देवराय

नेताम, श्री अरविन्द

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पनिका, श्री राम प्यारे

पटेल, श्री सी० डी०

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री उत्तमराव

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री० के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

कादरी, श्री एस० टी०

राममूर्ति श्री, के०

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

रवाणी, श्री नवीन

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री० टी० दामोदर

रौत, श्री जय नारायण

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

सज्जन कुमार, श्री

सेठी, श्री अर्जुन

षानमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री नवल किशोर

शिवशंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिगारावा डीवेल, श्री एस०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सोरन, श्री हरिहर

स्पैरो, श्री आर० एस०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

जैल सिंह, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन** का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 28

विपक्ष में : 88

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। इसके लिए 2 घण्टे का समय रखा गया है। श्री कुरियन प्रस्ताव कर सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा। मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी। वास्तव में, यह विधेयक 1980 में पेश किया गया था, जब मैं संसद में पहली बार निर्वाचित हुआ था। इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने से पहले, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया। मैंने यह विधेयक किसी विशेष धार्मिक या सांप्रदायिक कारण के आधार पर नहीं बल्कि निजी अनुभव के आधार पर पेश किया है।

महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ हरिजन ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया है और मैंने स्वयं देखा है कि उनकी दशा हिन्दुओं से बेहतर नहीं है और कई बार तो उनकी दशा अपने हिन्दू धर्म के व्यक्तियों से भी बुरी रही है। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : सर्वश्री अशफाक हुसैन, पलाश बर्मन, कृष्ण चन्द्र हाल्दर और मंगल राम प्रेमी।

विपक्ष में : सर्वश्री जगन्नाथ कौशल हरिनाथ मिश्र, वाई एस० महाजन, श्रीमती सुमति उरांव, सर्वश्री समीनुद्दीन, भुवनेश्वर भूयन, आर० आर० भोले और विष्णु प्रसाद।

धर्म परिवर्तन करने वाले ये लोग उनके स्तर के बराबर हैं और कुछ मामलों में अपने हिन्दू भाइयों से भी निम्न स्तर पर हैं।

महोदय, वास्तव में मेरे निजी अनुभव ने ही मुझे यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था तो मेरे साथ एक हरिजन छात्र था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था। उसने एस. एस. एल. सी. तक मेरे साथ अध्ययन किया और उन दिनों में जिन छात्रों ने एस० एस० एल० सी० तक अध्ययन किया, आज वे सरकारी सेवा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नियुक्त हैं। लेकिन मेरा यह सहपाठी जिसने 1958 में एस. एस. एल. सी. की परीक्षा पास की थी आज भी कृषि कार्य में लगा हुआ है। उसे धर्म-परिवर्तन करने के कारण ही उसे न तो सरकारी सेवा में और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिली। चाहे वह हिंदू जाति का था अथवा केरल का ईसाई, अपने नौकरी पाने का प्रयत्न किया होगा। यदि वह अनुसूचित जाति का होता तो उसे आरक्षण के जरिए नौकरी मिल गयी होती। आज मात्र इस कारण से कि उसके दादा ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, मेरे इस सहपाठी को नौकरी नहीं मिल रही है। यह ऐसा एक ही मामला नहीं है। केरल में ऐसे हजारों मामले होते हैं, जिनमें से कई के साथ मैंने सीधा तथा निजी सम्बन्ध स्थापित किया है। मैं अपने अनुभव से ही ऐसा कह रहा हूं। यहां तक कि छात्र होने के नाते भी मैंने हमेशा यह महसूस किया कि यह उसके साथ अन्याय हो रहा था। इसी कारण संसद में निर्वाचित होते ही, मैंने इस तरह का विधेयक पुरःस्थापित करना उचित समझा। इसी कारण ने मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए प्रभावित किया। यहां मैं यह अत्यन्त स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य जाति के किसी व्यक्ति को उन सुविधाओं से वंचित करना नहीं है जो उन्हें इस समय प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं। मेरे इस विधेयक का उद्देश्य 1950 के राष्ट्रपति के आदेश की उस असंगति को दूर करना है जिसके कारण अनुसूचित जातियों के कतिपय वर्ग, जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उन सुविधाओं से वंचित कर दिया है, जो सरकार अन्य वर्गों को दे रही है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ और ऐसे लोगों को, जो वास्तव में इनसे वंचित हैं, ये लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त, मेरा मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति आदेश के उस उपबन्ध को समाप्त करना है, जिसमें धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव किया गया है।

महोदय, हमारे संविधान में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए कुछ उपबन्ध बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार :

> "राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों का विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

यह अनुच्छेद राज्यों को निदेश देता है कि वे समाज के पद्दलित तथा असमर्थ वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को किन्हीं जातियों एवं वर्गों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 341 में कहा गया है :

"राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहां वह कोई राज्य है, उसके राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।"

इस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1950 में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश जारी किया गया जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कुछ जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उस सूची में शामिल किया गया। इस आदेश के पैराग्राफ 3 में कहा गया है :

"पैरा 2 में अन्तर्विष्टकि सी बात के होते हुए भी, हिन्दू या सिख धर्म से भिन्न किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।"

मेरे विधेयक का उद्देश्य इस पैरा का लोप करना है। संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। ऐसा नहीं है कि इस देश में कुछ जातियां अनुसूचित जातियां हैं। राष्ट्रपति आदेश के अन्तर्गत कुछ अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल किया गया है। वास्तव में, अनुसूचित जातियों की सूची में अन्य जातियों को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े होने तथा छूआछूत के आधार पर ही शामिल किया गया है। यदि आप अनुच्छेद 341 की पृष्ठभूमि देखें तो आप देखेंगे कि अन्य जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मूल आधार छूआछूत और पिछड़ापन ही था। सूचि में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों के नामों का उल्लेख किया है। लेकिन अनुसुचित जाति की सूचि में उन्हें शामिल करने के बाद, एक परंतुक जोड़ा गया है कि किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है; उसे इस सुविधा की दृष्टि से अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा।

इस परन्तुक में राष्ट्रपति तथा कानून-निर्माताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से ऐसे कई पिछड़े लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं किन्तु इस कानून के प्रयोजनार्थ उन्हें अनुसूचित जाति का नहीं माना गया है। मैं इस असंगति को दूर करना चाहता हूं तथा अनुसूचित जातियों को दी गई ये सुविधायें इन लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं।

हमें संविधान में पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए रखे गए मानदण्ड की जांच करनी है। संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा है कि धर्म के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसकी बजाए संविधान में इसके लिए सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर जोर देता है तथा अनुच्छेद 341 के अनुसरण में 1950 में राष्ट्रपति द्वारा दी गई अधिसूचना मुख्य रूप से संविधान में प्रस्तुत किए मानदण्ड के आधार पर ही दी गई थी। जब राष्ट्रपति जातियों, मूलवंशों या जनजातियों का उल्लेख करते हैं, तो उन्हें संविधान में निर्वाचित किए गए मानदण्ड का अनुसरण करना चाहिए तथा वह मानदण्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक, आर्थिक और

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका आशय है कि केवल वे सम्प्रदाय, जातियां, तथा वर्ग ही, जो सामाजिक, शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, पिछड़ी अनुसुचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने योग्य हैं।

15.53 **(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासन हुए)**

दूसरे शब्दों में उन सभी जातियों तथा वर्गों जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। संविधान में यह मानदण्ड निर्धारित किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति आदेश में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनेक ऐसे व्यक्तियों को, जो इस आधार पर सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं कि उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर अन्य कोई धर्म अपना लिया है, इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह मूलभूत खामी है तथा यह संविधान द्वारा पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए रखे गए मानदण्ड के विरुद्ध है। अतः इस त्रुटि को दूर करना उचित एवं न्यायसंगत है।

राष्ट्रपति आदेश में कहा गया है कि केवल उन्हीं व्यक्ति को अनुसूचित जाति का समझा जाएगा जो हिन्दू या सिख धर्म को मानते हैं। इसका आशय है कि अनुसूचित जाति के उस व्यक्ति को, जो कोई अन्य धर्म अपना लेता है, उसी क्षण उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है भले ही उसकी सामाजिक और शैक्षिक योग्यता वही हो। धर्म परिवर्तन करने पर क्या बदल जाता है? शायद उसके मत के अतिरिक्त उसमें और कोई परिपर्तन नहीं आता। सम्भवतः ईश्वर और धर्म के प्रति विचार में परिवर्तन के अतिरिक्त उसमें और कोई परिवर्तन नहीं आता। उसका रोजगार, शिक्षा, सामाजिक दर्जा और आय में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर भी अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में उसे जो सुविधाएं राज्य द्वारा दी जा रही होती हैं, उनसे उसे वंचित कर दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : उसे अस्पृश्य माना जाता है।

श्री० पी० जे० कुरियन : कानून द्वारा हमने अस्पृश्यता पर रोक लगा दी है। अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है और हम इसे अमल में नहीं ला सकते।

श्री टी० नागरत्नम (श्रीपरम्बदूर) : अस्पृश्यता केवल हरिजनों के विरुद्ध है, न कि पिछड़े सम्प्रदायों के विरुद्ध।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं। अपनी बारी आने पर आप बोल सकते हैं। मैं आपको अन्त में उत्तर दूंगा।

अब हम संविधान का अध्याय तीन देखते हैं। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 25(1) की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

> "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति अपनी पसन्द से कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के उद्देश्य से दी गई है।

पुनः, मुझे संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लेख करना है। मैं उद्धृत करता हूं :—

"15(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

यह एक अनिवार्य उपबन्ध है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में विभेद नहीं करेगा।

ये दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 15(1) एक दूसरे के पूरक हैं। यहा अनुच्छेद हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष आधारशिला का निर्माण करते हैं। यदि एक का उल्लंघन हो तो दूसरा निरर्थक हो जाता है। इन अनुच्छेदों द्वारा राज्यों का यह दायित्व है कि वे धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे।

महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। राज्यों को ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से मनाही है जिससे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता हो।

राष्ट्रपति आदेश, 1950 के अनुसार धर्म को आर्थिक सुविधाओं का मानदण्ड बनाया गया हैं अतः धर्म के आधार पर यह एक वर्ग के लोगों से विभेद करता है। इसलिए ये संविधान के अनुच्छेद 15(1) का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है और परिणामस्वरूप यह परोक्ष रूप में अनुच्छेद 25(1) जो धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है, उसका भी उल्लंघन करता है।

यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि आरक्षण एक मूल अधिकार नहीं है। यह सही है कि आरक्षण एक मूल अधिकार नहीं है लेकिन संविधान के कुछ विशेष उपबन्धों के अनुसरण में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब संविधान किसी भी नागरिक के साथ किसी किस्म के विभेद के सख्त मनाही करता है और जब वे विशेष उपबन्ध बनाए जाते हैं तो इस प्रकार का विभेद नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 25(1) द्वारा यह अनिवार्य उपबन्ध किया गया है किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

इसलिए जब सरकार किसी दलित अथवा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कानून बनाए तब भी संविधान के आधारभूत मानदण्ड का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। वास्तव में राष्ट्रपति का आदेश धर्म के आधार पर लोगों में विभेद करना है और यह संविधान की सरासर अवहेलना है।

इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदिवासियों के साथ किसी किस्म का विभेद नहीं है। आदिवासी चाहे वे हिन्दु, ईसाई, मुसलमान या अन्य किसी धर्म के हैं, उन्हें वे सभी रियायतें समान रूप से दी जाती हैं जो कि अनुसूचित जातियों को दी जाती है।

लेकिन जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है वहां भी इस आधार पर विभेद किया जाता है। मैं नहीं जानता क्यों ?

संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या दो में हिन्दु की परिभाषा दी गई है।

> "खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में, सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दु धर्म संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुकूल ही किया जाएगा।"

मुझे यह नहीं समझ आता कि सरकार ने जैन और बौद्ध लोगों को इस उपबन्ध से परे क्यों रखा है। संविधान में जैन और बौद्धों को भी हिन्दु ही माना गया है लेकिन जब अनुसूचित जातियों की सूची बनाई जाती है तो जैन और बौद्धों को उस सूची से निकाल दिया जाता है। इसके पीछे क्या तर्क है मुझे समझ नहीं आता।

धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। इसका सामाजिक अथवा आर्थिक पिछड़ेपन से कोई सम्बन्ध नहीं कोई भी आदमी जो भी धर्म अपनाता है अपने अन्त:करण के अनुरूप अपनाता है और जब तक उसे धर्म विश्वास प्रकट करने को स्वतन्त्रता नहीं धर्म की स्वतन्त्रता निरर्थक है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके अन्त:करण के आदेशनुसार धर्म अपनाने का अधिकार देते हो और बाद में उसे उन सुविधाओं से वंचित करते हो जो उसे पहले प्राप्त थे तो ऐसी धार्मिक स्वतन्त्रता का क्या फायदा मैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा और न ही किसी प्रलोभन से धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैं जबरदस्ती अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के विरूद्ध हूं। मैं वास्तविक धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अगर कोई अपनी इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उन सुविधाओं से वंचित किया जाता है जो उसे पहले प्राप्त थे तो धर्म की ऐसी स्वतन्त्रता प्रदान करने का क्या फायदा है और अगर पुन: आपना धर्म अपना लेने पर उसे वही विशेषाधिकार प्राप्त होने लगते हैं तब तो धर्म की स्वतन्त्रता बिल्कुल निरर्थक है और यही मुझे कहना है।

मैं कानून निर्माताओं की भावना के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं मैं यह सिद्ध करने के लिए, कि कानून निर्माताओं का उद्देश्य धर्म को अनुसूचित जातियों की सूची का आधार बनाने की नहीं थी, संविधान सभा से दो उद्धरण देना चाहता हूं। 27 अगस्त, 1947 के वाद-विवाद में दिया गया है कि श्री के० एम० मुन्शी एक संशोधन कराना चाहते थे। उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव किया। वह 'अनुसूचित जाति' शब्द छोड़ना चाहते थे और उसके स्थान पर "हिन्दु समुदाय का उल्लिखित वर्ग" रखना चाहते थे। मैं श्री के० एम० मुन्शी द्वारा प्रस्तावित संशोधन की बात कर रहा हूं किन्तु यह संशोधन डा० बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने अपनी 13 फरवरी, 1948 की बैठक में स्वीकार नहीं किया। उसका लोप कर दिया गया हालांकि श्री के० एम० मुन्शी ने संशोधन का प्रस्ताव भी किया था और यदि वह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो मैं यह मान लेता कि कानून निर्माताओं का उद्देश्य 'अनुसूचित जाति' को केवल हिन्दु धर्म तक ही सीमित रखना था। लेकिन वह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया।

संवैधानिक सलाहकार श्री बी० एन० राव द्वारा 27 अक्तूबर, 1947 को तैयार प्रारूप संविधान में···

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : डा० अम्बेडकर के अपने क्या विचार थे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप अपने भाषण में इसे उठा सकते हैं। इसका उत्तर मैं अन्त में दूंगा।

संवैधानिक सलाहकार श्री बी० एन० राव द्वारा 27 अक्तूबर, 1947 को तैयार किए गए प्रारूप संविधान में दो ऐसे खण्ड थे जिन्हें भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 से लिया गया था उस प्रारूप संविधान में कहा गया :—

"कोई भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।"

"(ख) पश्चिम बंगाल में कोई व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म अथवा आदिवासी धर्म अपनाया हुआ है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।'

यह प्रारूप संविधान में था जिस पर संविधान सभा द्वारा चर्चा की गई थी। लेकिन इसका लोप कर दिया गया। डा० अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने 13 फरवरी, 1948 को इसे स्वीकार नहीं किया। माननीय सदस्य को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इससे मैं यह आशय लगाता हूं कि डा० अम्बेडकर का भी विचार यही था कि अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल हिन्दु धर्म के मानने वालों तक ही समीत न रखी जाए।

जहां तक समस्या के सामाजिक पक्ष का सम्बन्ध है हमारा समाज जाति प्रथा की जंजीरों में जकड़ा हुआ है समाज में जैसा कि आप जानते हैं जातिवाद की जड़ें गहराई तक गई हुई हैं यह तो एक आम बात है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का सदस्य इस्लाम या ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो भी समाज में उसका स्थान धर्म परिवर्तन के फलस्वरूप भी बना रहता है चाहे इन धर्मों में जाति का भेद-भाव नहीं भी है ऐसा समाज में जाति की क्रम परम्परा के कारण है। उस समुदाय के किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए वह मेरी बात से सहमत होंगे। जब हम पददलित लोगों की स्थितियों में सुधार के लिए विधान बनाते हैं तब हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते और अगर हम भुला देंगे तो हमारा लक्ष्य धूमिल हो जाएगा और समाज में वही असमानताएं बनी रहेंगी जिन्हे हम दूर करना चाहते हैं। मुझे यह प्रश्न पूछने दीजिए। क्या सभा में कोई 'सदस्य यह कह सकता है कि एक हरिजन का धर्म परिवर्तन से आर्थिक या सामाजिक या शैक्षिक दर्जा ऊपर उठा है? केरल के सदस्य यहां हैं। श्री राजन यहां हैं। वह जानते हैं कि केरल की क्या स्थिति है। हरिजनों की तथा धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दर्जे में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वह पहले के समान हैं बल्कि उनकी हालत पहले से अधिक बदतर हुई है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं केरल से कुछ उदाहरण दे सकता हूं।

ईसाई धर्म जाति रहित धर्म है, लेकिन मेरे राज्य में, वास्तव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में,

ऐसे ईसाई हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करने जा रहा हूं। धर्म परिवर्तन करने वाले इन ईसाइयों की क्या स्थिति है ? यद्यपि ईसाई धर्म जाति रहित धर्म है—केरल सरकार द्वारा श्री नेट्टूर पी० दामोदरन के सभापतित्व में नियुक्त किया गया आयोग···

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : अभी तो मैंने अपना भाषण आरम्भ किया है।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : 15-20 मिनट और।

सभापति महोदय : आप 10 मिनट और ले सकते हैं।···आप पहले ही आधा घंटा ले चुके हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं 15 मिनट और लूंगा। मैं पद-दलितों के हित की बात कर रहा हूं और यहां ज्यादा वक्ता भी मौजूद नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप यह कैसे कह सकते हैं ? आपके समर्थन के लिए यहां बहुत से वक्ता बैठे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ओह ! फिर तो मैं शीघ्र ही अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। श्री नेट्टूर पी० दामोदरन के अधीन उस आयोग ने कहा :—

> "ईसाई धर्म-परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों को सामाजिक रूप में अभी भी उतना ही अलग माना जाता है जितना कि धर्म-परिवर्तन से पहले माना जाता था। इस दल को उन नागरिकों के दल की सूची में शामिल किया जा सकता है, जिसका कमजोर वर्ग ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है।"

पुन: केरल सरकार द्वारा आयोग नियुक्त किया गया, जिसके सभापति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जी० कुमार पिलाई ने कहा -- मैं आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :

> "इन वर्गों (अनुसूचित जातियों के वे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया) के सामाजिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण अनुसूचित जाति से धर्म-परिवर्तन है। अनुसूचित जातियों का सामाजिक पिछड़ापन इतना अधिक है कि नए धर्म-परिवर्तन करने वालों को, उन्होंने जो नया धर्म अपनाया उसके धर्म-संघ में आसानी से मिलाया नहीं जाता और दूसरे लोग उनसे तब तक अलग रहते हैं जब तक उनका स्तर ऊंचा नहीं उठता। यह कार्य केवल धीरे-धीरे ही हो सकता है। यह बात देखने में आई है कि उन अनुसूचित जातियों को नया धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उसी प्रकार अलग-अलग रखा जाता है, जैसे धर्म-परिवर्तन से पहले।

यहां वह कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से उनका पिछड़ापन बढ़ गया है। उनकी दशा देखिए।

पुनः मैं केरल के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्रीमंडल के मंत्री स्वर्गीय श्री पन्नाम्पिल्ले गोविन्द मेनन द्वारा दी गई रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं। भारत सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जो कहा मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"इस राज्य में ऐसे ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है जिन्होंने अनुसूचित जातियों से ही धर्म परिवर्तन किया है। हालांकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्हें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसका सामना अनुसूचित जाति के सदस्यों को करना पड़ रहा है। वे भी वही व्यवसाय करते हैं जो अनुसूचित-जाति के सदस्य कर रहे हैं। आर्थिक रूप से उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों के वर्गों के समान ही है।

अब मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आता हूं। इसने अपनी रिपोर्ट 31-3-1955 को दी जिसमें जातिगत भेदभाव के वे तथ्य बताए गए जिनमें हरिजनों और मुस्लिमों द्वारा धर्म-परिवर्तन करने के बाद भी सिखों, ईसाईयों और मुस्लिमों के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया जाता है।

मैं उद्धृत करता हूं :

"दक्षिण छोर में वे अभी भी जाति से ईसाई और अस्पृश्य ईसाईयों के बीच सामाजिक और धार्मिक रूप से भिन्नता मानते हैं…"

'अस्पृश्य' शब्द पर ध्यान दीजिए :

"महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर ईसाई पादरियों ने ऐसा महसूस किया है कि ईसाईयों में होने वाले अंतर्जातिय विवाह के परिणाम कई बार दुःखद होते हैं। गोआ के ईसाई आज भी अपनी जाति में विवाह सम्बन्ध जोड़ने से पहले 'जाति' और 'गोत्र' के बारे में सूक्ष्मता से विस्तार में परामर्श करते हैं।"

महोदय, पुनः उस रिपोर्ट के पृष्ठ 15 में कहा गया है :

"प्रायः धर्म परिवर्तन से भी उसकी जाति नष्ट नहीं होती।"

मैं पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं।

रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम तथा ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाले कई बार अपनी जाति की पूर्वधारणाएं द्वेष इत्यादि साथ ले लेते हैं, यद्यपि उनके धर्म में किसी भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती। सिखों के मामले में भी आयोग ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी। मैं उद्धृत करता हूं :

"यद्यपि सिद्धांत रूप से, सिख जाति प्रथा का समर्थन नहीं करते, लेकिन व्यवहारिक रूप से, वे उन सभी पुरानी प्रथाओं को मानते हैं जिनके अनुसार सिखों के कुछ संप्रदायों या दलों को अस्पृश्य माना जाता है, इन दलों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

पुनः सी० एम० अरुमुगम बनाम एस० राजगोपाल के मामले में 1975 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में जो कहा गया, मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि धर्म-परिवर्तन करने वाला व्यक्ति उसी जाति का सदस्य बने रहने की इच्छा व्यक्त करता है, तो जाति भी उसे सदस्य मानने लगती है; उसके धर्म-परिवर्तन के होते हुए, भी वह उसी जाति का सदस्य माना जाएगा।"

यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। यह सब मैंने इसलिए बताया कि यहां तक कि जब कोई हरिजन या अनुसूचित जाति का व्यक्ति अन्य धर्म को अपना लेता है तो न केवल उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दर्जे में ही कोई परिवर्तन होता है बल्कि उसके साथ जाति द्वेष भी जारी रहता है। जिस धर्म को उसने अपनाया है संभव है वह जातिवाद न मानता हो। यह सैद्धान्तिक बात है। व्यवहारिक रूप से उसे उसी जाति समस्या का सामना करना पड़ता है।

जैसा कि मैंने बताया, जाति रहित धर्म में जाने वाले धर्म-परिवर्तकों कि यह दशा है। मैंने केरल के उदाहरण भी उद्धृत किए हैं। केरल में भी, जहां कि साक्षरता सबसे अधिक है, यही स्थिति बनी हुई है। इससे आप अन्य राज्यों के धर्म -परिवर्तकों की स्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं।

सभापति महोदय : आप 3 मिनट और लीजिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, धर्म परिवर्तकों की दशा शोचनीय है। यहां एक और दिलचस्प मुद्दा है। धर्म-परिवर्तन करने वाला एक व्यक्ति जो पुनः हिन्दु धर्म अपना लेता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य बनने तथा उनको दिए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है।

इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि धर्म परिवर्तन करने से उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। यदि वह पुनः अपना ही धर्म अपना लेता है तो वह उस लाभ का अधिकारी बन जाता है। अतः यह मात्र यथार्थता का सामना करने का प्रश्न है। सामाजिक अखंडता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, की दृष्टि से सामाजिक प्रगति बहुत आवश्यक है। धर्म परिवर्तकों के हित के लिए यह अत्यावश्यक है कि हम इस सच्चाई को मान्यता दें तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें ताकि वे भी अनुसूचित जाति के अपने भाई-बंधुओं के बराबर पहुंच सकें।

महोदय, जब तक राष्ट्रपति आदेश का पैराग्राफ 3 है, ऐसा करना संभव नहीं है। पैरा 3 हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षवाद की भावना के विरुद्ध है। यह धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ विभेद करता है तथा यह सामाजिक यथार्थता को मान्यता देने में असफल है। अतः इसके लोप की आवश्यकता है। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित करें। जिसमें पैरा 3 को हटाने के लिए कहा गया है तथा जो हमारी आरक्षण नीति के मिथ्या वर्जन को दूर करने

तथा ऐसे अधिकांश लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करेगा, जिन्हें धर्म-परिवर्तन करने के कारण उन लाभों से वंचित कर दिया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962; संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" अब श्री मूल चन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 10 फरवरी, 1984 तक जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

***श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री कुरियन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस विधेयक को सभा के समक्ष चर्चा के लिए रख कर देश के कमजोर वर्गों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक और अवसर दिया है। इस विधेयक पर चर्चा करते समय, सबसे पहले मैं इस विधेयक के कानूनी और सांविधिक पहलुओं का विरोध करता हूं। लेकिन साथ ही हमारे समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए इस विधेयक में जो चिन्ता व्यक्त की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ मुझे यह कहते हुए खेद है कि श्री कुरियन इस समस्या की गहराई में जाने में असफल रहे हैं। जाति प्रथा हिन्दू और सिख धर्मों में ही विद्यमान है। लेकिन महोदय, ईसाई, इस्लाम या बौद्ध धर्म में जाति प्रथा नहीं है। अतः हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी कानून के द्वारा ईसाइयों, मुस्लिमों या बौद्ध धर्म के लोगों पर जातिवाद थोपें। मुख्यतः इसी कारण से मैं इस विधेयक के कानूनी और सांविधिक पहलुओं का विरोध कर रहा हूं।

हमें मुख्य समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारे समाज के कमजोर वर्गों को निश्चित रूप से सहायता की आवश्यकता है तथा साथ ही आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी उनके उत्थान और प्रगति की आवश्यकता है। इस बारे में सदन में दो मत नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह लक्ष्य हमें किस प्रकार प्राप्त करना है। श्री कुरियन ने ठीक ही कहा कि जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लेता है तो भी उसे वह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। न तो उनके आर्थिक हालातों में कोई परिवर्तन है और न ही उनके शैक्षिक स्तर में। इसलिए जब उनका सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर अपरिवर्तित रहता है तो वह धर्म परिवर्तन करके अपने आपको इनसे बचा नहीं सकता। श्री कुरियन ने अपने एक हरिजन मित्र के बारे में बतलाया जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे परन्तु वे अभी भी बेरोजगार हैं। मैं उनके प्रति हृदय से सहानुभूति रखता हूं। उसी के साथ मैं एक उस समय का

*बंगला में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

उदाहरण भी देता हूं जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरे बहुत से ऐसे मित्र जो अनुसूचित जाति/जनजाति के थे वे बड़े ही रईस घराने से थे, परन्तु आरक्षण के प्रावधानों की वजह से उन्हें शिक्षा तथा अच्छी नौकरी प्राप्त करने में वे सभी फायदे मिले। परन्तु ऐसे बहुत से उनके साथी जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनसे कमजोर और गरीब थे उन फायदों तथा अवसरों से वंचित रह गए। इसलिए मुख्यतया सामाजिक दृष्टि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

महोदय, आज हमारे संविधान के लागू होने के 30 वर्ष बाद भी हमारे 60% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उन्हें ही आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से वास्तविक पिछड़े वर्ग का माना जाना चाहिए। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं वो स्वतः ही आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा शैक्षिक क्षेत्र में कमजोर होते हैं। इसलिए एक ऐसे व्यापक विधेयक की आवश्यकता है जिसके अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी लोगों का सामूहिक रूप से उत्थान किए जाने का प्रावधान हो।

इस प्रकार का रवैया अपनाया जाना चाहिए। अब तक का हमारा अनुभव क्या रहा है? संविधान में आदिवासियों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सभी आरक्षणों तथा अन्य लाभों के प्रावधान होने के बावजूद भी क्या इन श्रेणियों में आने वाले हमारे सभी मित्रों को फायदा पहुंचा है? क्या वे इन लम्बे तीस बर्षों के दौरान जब से हमारा संविधान लागू हुआ है अपने आपको इन सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं से उबार पाए हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। इसलिए इन लोगों की मूल समस्या को केवल संविधान में प्रावधान कर देने से ही नहीं सुलझाया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आरक्षण के उन प्रावधानों का विरोध कर रहा हूं जो हमारे संविधान में उनके फायदों के लिए किए गए हैं। और न ही मैं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को दिए जा रहे फायदों को तुरंत वापिस लिए जाने की वकालत कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह सुझाव दे रहा हूं कि हम सभी को सामूहिक रूप से उन सभी लोगों के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारी 70% जनता गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रही है। इससे केवल एक ही बात जाहिर होती है कि हम इन समस्याओं से तब तक नहीं बच सकते जब तक हम देश में एक वर्गहीन समाज का निर्माण नहीं कर देते। जब तक हम समस्या के मूल में नहीं जाते तब तक हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते। हमारे संविधान के लागू होने के 32 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि धनाढ्य लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। भूमि कुछ चन्द हाथों में एकत्र हो गई है और अधिकांश लोग और अधिक गरीब हो गए हैं। वर्तमान स्थिति से समूची समस्या का हल निकालना सम्भव नहीं है। इसलिए अपने भाषण को अनावश्यक रूप से लम्बा न करके मैं केवल यही कहूंगा कि वर्तमान वर्गों पर आधारित समाज में जातिवाद का विस्तार, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विषमता अपरिहार्य हैं। यदि हम इन पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विषमताओं से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें एक वर्ग रहित समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब तक वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं होती, जाति रहित समाज की कल्पना करना बेकार है। मैं श्री कुरियन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान संशोधन विधेयक के कानूनी तथा

सांविधिक पहलुओं का समर्थन नहीं करता। वस्तुतः हमें अपने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी को, हमारी जनसंख्या का जो 70% भाग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है उनको आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं से मुक्त करने का रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। हम सभी को वर्तमान वर्ग विभाजित समाज को खत्म करने तथा एक नये वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए प्रयत्न करने चाहिए। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये धर्म परिवर्तन होते ही क्यों हैं ? कुछ लोग इन गरीब लोगों की सामाजिक विषमताओं और आर्थिक पिछड़ेपन का लाभ उठाकर उनको लालच में फंसाकर ऐसा कराते हैं। कुछ ऐसे धर्मान्ध लोग हैं जो इस प्रकार के कार्यों में लगे हैं। ऐसे कुछ विदेशी तत्व भी हैं जो हम गरीब लोगों से अपने पैसे का लालच देकर, उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है इस प्रक्रिया को सामाजिक आन्दोलनों के जरिए से रोका जाना चाहिए।

आज हमारे देश में भूमि मूल समस्या है। क्योंकि 80% जनसंख्या भूमि से ही अपनी जीविका चलाती है इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अधिकतम भूमिहीन गरीबों को भूमि दी जाए। उसके लिए भूमि सुधार कार्य को वरीयता दी जानी चाहिए। उसके द्वारा हम मूल समस्या को सुलझा सकेंगे और हमारी 70% जनसंख्या जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है, उनको लाभ पहुंचा सकेंगे।

इसीलिए जहां एक तरफ मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं वहां साथ ही साथ मैं अपने देश के सभी गरीब लोगों को आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं और वर्तमान सामाजिक ढांचे को नए समाज में बदल दें। हम सभी को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, मैं प्रो० पी० जे० कुरियन द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। उसका समर्थन करने पर मेरे अनुसूचित जाति के मित्रों को यह नहीं समझना चाहिए कि इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति के ईसाइयों को भी शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा में किसी प्रकार की कमी हो जाएगी। मैं आश्वासन देता हूं कि अनुसूचित जाति के ईसाइयों के आने से लोगों को पहले से अनुपात में मिलने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ जाएगी तथा भारत सरकार को उसी अनुपात से वित्त की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी।

इस सम्बन्ध में हमने प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति से कई सिफारिशें की हैं। प्रधान मंत्री का कहना है कि चूंकि उन लोगों के सम्बन्ध में प्राप्त जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाए हैं इसलिए हम उनकी दशाओं में सुधार हेतु सहायता देने के लिए बजट में उतना अधिक वित्त देने में समर्थ नहीं हैं।

विभेद का प्रश्न न केवल ईसाइयों बल्कि बौद्ध और मुसलमानों के साथ भी चल रहा है। हमारा

देश, जिसे हम विश्व में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं; ऐसा धब्बा क्यों लगाया जा रहा है? यह संविधान पर एक धब्बा है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने ही भाइयों के विरुद्ध इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के संसद सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि अभी भी उनके भाई-बहन हिन्दू तथा ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दोनों भाई हैं और एक ही मां के बेटे हैं। एक ने धर्म-परिवर्तन कर लिया है और दूसरा अभी भी हिन्दू धर्म को मानता है। ईसाई धर्म को मानने वाले को उन सभी लाभों से वंचित कर दिया गया है और हिन्दू भाई को सभी लाभ मिलते हैं। उन दो बेटों की मां कितनी चिन्ता महसूस करती है कि मात्र ईसाई धर्म अपना लेने से उसके बेटे को सभी लाभों से वंचित कर दिया गया है जबकि हिन्दू बेटे को सभी लाभ मिलते हैं। क्या हम इस तरह की नीति को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं? क्या हमने इस देश में जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा धर्म-निरपेक्ष राज्य मानते हैं, ऐसी नीति अपनाई है? धर्म-निरपेक्षता के नाम पर ऐसा कैसे हो सकता है? ईसाइयों, मुस्लिम तथा बौद्धों के विरुद्ध 30 वर्षों से ऐसा भेद-भाव किया जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि श्री पाल जो कि ईसाई हैं, को कोई लाभ नहीं मिलता। आज 22 तारीख है। यदि कल 23 तारीख को श्री पाल, श्री गोपाल बन जाते हैं तो उन्हें सभी लाभ मिलेंगे। क्या एक परिवर्तन करने से ही वह अमीर या गरीब बन जाता है? केवल धर्म के आधार पर ही यह सब भेदभाव हो रहा है। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमने अपने संविधान में इस भेदभाव को दूर किया है। लेकिन व्यावहारिक रूप से पूरे भारत में भेदभाव हो रहा है। इस तरह का भेदभाव रोका जाना चाहिए।

प्रश्न यह है कि जिन ईसाई, मुस्लिम या बौद्ध लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, जिनका नया धर्म जातिरहित है, वे ये लाभ पाने के अधिकारी हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वे काफी समय तक अस्पृश्य नहीं रहते। जब कोई व्यक्ति ईसाई, बौद्ध या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो वह अस्पृश्य नहीं रहता।

यह गलत वक्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति गांव में जाता है—उन ईसाइयों पर ध्यान मत दीजिए, जो शहरी हैं, जो शहरों में रहता है तथा जिसके मन में शहर में रहकर किसी के प्रति भेद-भाव की भावना नहीं होती—आप हिन्दू तथा ईसाइयों दोनों के सम्पर्क में आएंगे। आप हिन्दू और ईसाई के बीच कोई भेदभाव नहीं पायेंगे। सभी एक समान निर्धन हैं। आप गांव में रहने वाले किसी हिन्दू और ईसाई के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अतः भेदभाव का ऐसा व्यवहार केवल सरकार द्वारा ही किया जाता है। यह निराधार है, अर्थहीन है तथा संविधान पर एक धब्बा है।

राष्ट्रपति आदेश में ऐसे लोगों की सूची है जो ये रियायतें पाने के अधिकारी हैं। अपने अधिकार को प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति ने लोगों से परामर्श किया। उन्होंने धर्म के सम्बन्ध में कोई प्र न नहीं पूछा। उन्होने केवल इतना ही पूछा कि कौन-कौन लोग पिछड़े वर्ग के तथा पददलित थे तथा जिन्हें इन रियायतों की आवश्यकता है। राज्यपालों से केवल यही प्रश्न पूछा गया। राज्यपाल ने एक सूची प्रस्तुत की, जिसमें उन सभी ईसाइयों के नाम निकाल दिए गए थे, जिनकी स्थिति अपने हिन्दू भाइयों के समान थी। तदानुसार सूचियां तैयार की गईं। इन सूचियों के आधार पर ही संविधान में रियायतें दी जाती हैं। ईसाई संप्रदाय अपने इस अपमान को कब तक बर्दाश्त कर सकता

है ? मात्र इसलिए कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, क्या इस प्रकार के भेदभाव उनके साथ जारी रहेगा। क्या सरकार उन लोगों को एक ऐसी स्थिति की ओर धकेलना चाहती है, जहां वे और अधिक पिछड़े, दलित और असहाय हो जायेंगे—हमारे देश के संविधान के अधीन—इन ईसाइयों का बचाव किया जाना चाहिए अन्यथा वे समय के साथ और अधिक पिछड़ते जायेंगे।

अत: 1950 के राष्ट्रपति-आदेश—जिसमें इस तरह के भेदभाव का प्रावधान है—को हटाया जाना चाहिए और उसके तीसरे पैरा को निकाला जाना चाहिए।

जब सिख धर्म एक जातिविहीन धर्म है, तो ऐसा क्यों है कि उन्हें रियायत दी जा रही है ? मैं इस पर एतराज नहीं करता। मैं प्रसन्न हूं कि सिख धर्म की अनुसूचित जातियों को भी रियासत दी जा रही है। जो भी पददलित तथा पिछड़े हुए हैं, उन्हें बराबर विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब हमारे देश में क्या हो रहा है ? सभी ईसाई जो काफी पढ़े लिखे हैं, किसी कारणवश रोजगार पाने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे ईसाई हैं। उन पर दवाब डाला जाता है कि वे अपना धर्म बदलकर हिन्दू हो जाएं। जब वे हिन्दू हो जाएंगे तब आप उन्हें रियायत देंगे। क्या यह बलात धर्म परिवर्तन नहीं है ? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार उन ईसाइयों को सहायता दे रही है, जो पुन: धर्म परिवर्तित कर हिन्दू हो गए हैं ? आप मिशनरियों पर बलात धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हैं। क्या सरकार स्वयं सभी ईसाइयों को पुनः धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं कर रही है यानी आकर्षक प्रलोभनों के द्वारा उन्हें हिन्दू धर्म में वापिस आने के लिए प्रेरित कर रही है।

उन मिशनरियों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु ने स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं। जब धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तो ईसाइयों और बौद्धों ने पूरी सामर्थ्य से उसका विरोध किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म परिवर्तित करने का अधिकार होना चाहिए।

इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक कमजोरी है, जो शताब्दियों से हमारे समाज में चली आ रही है अथवा हमारे कुछ ऊँची जातियों के मित्रों ने अतीत में हमारे समाज पर इस अस्पृश्यता की भावना को थोपा था। हमें इसकी कीमत देनी होगी और हम आरक्षण के रूप में इसकी कीमत दे रहे हैं। किन्तु आरक्षण में भी, धर्मों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रो० कुरियन द्वारा पेश किए गए विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस पैरा को ही हटाना है।

पिछड़ी जाति आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि ईसाई समुदाय में अब भी अस्पृश्यता मौजूद है। यह लिखित रूप में है कोई भी इसे देख सकता है। यह प्रतिवेदन में है। केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गोविन्दन नायर ने जोरदार तरीके से यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति के मूल के ईसाई लोगों को समान सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने यह सिफारिश केन्द्र सरकार से की थी। हरिजन सम्मेलन में आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने भी यह सिफारिश की थी कि किसी भी रूप में ईसाई और हिन्दुओं में कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे समान असमर्थता के शिकार हैं। यहां तक कि गिरजाघरों में भी जब अनुसूजित जाति के मूल क ईसाई जाते हैं, तो भेदभाव किया

जाता है। क्यों? क्योंकि हिन्दुओं के बीच की सामाजिक कमजोरी वहां भी मौजूद है। यद्यपि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, तो भी वे एक दलित ईसाई को अपने बराबर नहीं मानते। त्रिचिरापल्ली में भी ईसाई कब्रिस्तान और हिन्दू शमशान भूमि में भेदभाव है। इसलिए इन सब कारणों से मैं सरकार से जोरदार शब्दों में सिफारिश करता हूं कि पैरा 3 को हटाने वाले प्रो० कुरियन के विधेयक को स्वीकार किया जाए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य, प्रो० कुरियन, के भाषण को सुना है। उनका भाषण अपने में ही कान्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ वह कहते हैं कि जो अनटचेबल हिन्दू रिलिजन की जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों की वजह से किसी दूसरे धर्म में चले जाएं, उन्हें वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हिन्दू रिलिजन के अनटचेबल्ज को मिलती हैं। इसका कारण वह यह बताते हैं कि जिन धर्मों में वे लोग जाते हैं, उनमें भी जातिवाद है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां का एक अछूत इस्लाम धर्म में चला गया। जब वह हिन्दू था, तो उसका नाम रामसिंह था। बाद में उसका नाम करीमुद्दीन या कुछ और रखा गया। मैं इस्लाम धर्म की आलोचना नहीं करना चाहता। एक रोज मैंने उससे पूछा कि हिन्दू रिलिजन में आपका जो स्टेटस था, क्या इस्लाम धर्म में जाने से आपका स्टेटस उससे ऊंचा हो गया है। उसका जबाव था कि अगर हमने जूते ही खाने हैं, तो अपने हिन्दू धर्म में रह कर खाएंगे। अगर दूसरे धर्मों में भी कास्टिज्म है, तो हिन्दू धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में जाने की क्या जरूरत पड़ी है, और अगर किसी ने अपना रिलिजन चेंज किया है, तो उसे उन सुविधाओं को मांगने का कोई राइट नहीं है, जो हिन्दू अनटचेबल्ज को मिलती हैं।

मैं हिन्दू धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ लड़ना है, तो अलग-अलग धर्मों के लोगों को इस विधेयक के द्वारा कुछ सुविधाएं दिलवाकर इस देश के अनटचेबल्ज और डाउन-ट्राडन को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। माननीय, सदस्य आगे आएं और हम सब मिल कर, प्रगतिशील लोग और अनटचेबल्ज सब इकट्ठे होकर, हिन्दू धर्म की कमजोरियों के खिलाफ झंडा उठाएं और उनको दूर करें। हम सब जानते हैं कि मीनाक्षीपुरम में क्या हुआ। जहां तक सिख रिलिजन का सवाल है, जो अछूत सिख बन गये थे, या बन रहे हैं, उस वर्ग में भी उनके साथ वही व्यवहार होता है, जो हिन्दू धर्म में अछूतों के साथ होता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्हें गलतफहमी हुई है। मैं बलात धर्म परिवर्तन या वास्तविक धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा था। मैं उचित धर्म परिवर्तन जो अंतर्रात्मा के अनुसार किए जाते हैं, के बारे में बता रहा था। मैं केवल ऐसे ही धर्म परिवर्तनों की बात कर रहा था। मैं बलात धर्म परिवर्तनों का विरोध करता हूं। और मैंने यह भी नहीं कहा था कि हिन्दुधर्म की बुराइयों के कारण वहां धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने यह बात नहीं कही थीं। मैं पूर्वाहिग्रह मुक्त हूं। केरल में परम्परावादी इसाई भी हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री जगपाल सिंह : क्रिश्चियन्स का जो क्रिश्चेनिटी रेलिजन है, उसमें ब्रिटिश पीरियड से लेकर इस बीच में जो भी अनटचेबिल्स कन्वर्ट हुए, उनके साथ क्रिश्चियन रेलिजन में भी वही व्यवहार होता है जोकि हिन्दू रेलिजन में अनटचेबिल्स के साथ किया जाता है। अपना रेलिजन कन्वर्ट करने के बाद भी जो अनटचेबिल्स हैं वे वहां पर इन्टरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो। बाबासाहब डा० अम्बेदकर ने जहां एक तरफ अनटचेबिल्स के लिए कांस्टीट्यूशन में इतने आर्टिकिल्स रखे कि उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, वहां उन्होंने उसी कांस्टीट्यूशन में यह प्राविजन भी रखा कि जो भी लोग सोशली और एजयूकेशनली बैकवर्ड हैं उनको भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं आप अगर कास्ट और रेलिजन के कन्वर्जन के हिसाब से चलेंगे तो उससे जो सर्वहारा वर्ग है उसको और भी कमजोर करेंगे। इसी आधार पर मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

जहां तक कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल्स का सम्बन्ध है, जिनका आपने भी हवाला दिया है, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि जब कांस्टीटुएन्ट असेम्बली में चर्चा चल रही थी तब डा० अम्बेदकर का तर्क क्या था। अगर आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद उन्हीं सुविधाओं को लेंगे तो कन्वर्जन से लाभ क्या हुआ ? डा० अम्बेदकर ने, इन सुविधाओं को दिलाने के बाद, बौद्ध रेलिजन एडाप्ट कर लिया, वे बुद्धिस्ट बन गए परन्तु बुद्धिष्ट होने के बाद उन्होंने एक मूवमेंन्ट चलाया कि हमें वही सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ वही व्यवहार हो रहा है जोकि हिन्दू होने के समय हो रहा था ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि इसका फायदा क्या है। बुद्धिस्टों ने कहा है कि उन्हें पोलिटिकल और एकेनामिक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर आप क्यों रेलिजन कन्वर्ट करने की बात करते हैं। हिन्दू रेलिजन से किसी भी अन्य रेलिजन में कन्वर्ट करने से उन अनटचेबिल्स के दुःख दर्द कम होने वाले नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप वापिस लें। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां तक क्लासलेस सोसायटी बनाने की बात है, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस दिन इस देश में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी उसी दिन एक क्रान्ति पैदा होगी। आज चाहे सत्ताधारी दल हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, सभी को रिजर्वेशन का घुन लग चुका है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस दिन इस देश में पोलिटिकल और एकोनामिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक क्रांति पैदा होगी, ये प्रोलेटेरियट लोग, सर्वहारा वर्ग अपने हकों के लिए और बराबरी के लिए आगे बढ़ेगा। आज इस स्टेज पर मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं करना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण से इस देश का जो कमजोर वर्ग है, उसमें डिसूयनिटी पैदा हो गई है। यद्यपि सौ से अधिक एम० पी० इस प्रकार से चुनकर यहां पर आते हैं लेकिन आरक्षण का नतीजा यह है कि आजादी के बाद 36 सालों से सर्वहारा वर्ग का एक भी मूवमेंन्ट नहीं चलाया जा सका। यहां पर सौ से अधिक एम० पी० अपने स्वार्थों में बटकर रह जाते हैं और आजतक वे कोई भी सर्वहारा वर्ग की लड़ाई इस संसद में या संसद के बाहर नहीं लड़ पाए हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का अध्यादेश जो 1950

का है, वह अपनी जगह उचित है। यदि आप इसको खत्म कराएंगे तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे खत्म हो जायेंगी। उनको नहीं मिल पायेंगी। और ऊंची जाति के लोग इसका फायदा उठायेंगे। गरीब लोगों को ट्राइबल्स को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ये सुविधाएं आप नहीं दिला पायेंगे।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री कुरियन जी ने कांस्टीचूशन (शेड्यूल्ड कास्ट) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। संविधान के निर्माता, डा० अम्बेडकर, के समय में बहुत गहराई से मनन करके इसका प्रावधान किया गया था।

हमारे माननीय मित्र ने संविधान के आर्टिकल 15 और 25 का हवाला दिया है। जिसके अन्दर समान अधिकार दिए गए हैं। इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं। उस व्यक्ति को पढ़ने, तरक्की करने, नौकरी पाने आदि के बराबर अधिकार दिए गए हैं। फिर संविधान के निर्माताओं ने बराबर के अधिकार देने के बाद भी यह सोचा कि कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, जैसे अनूसूचित जाति और जनजाति, जिनका ऊंचे घराने के लोग तिरस्कार करते हैं। उनके लिए प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके संविधन की धारा 15 और 25 के खिलाफ रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। संविधान में दस साल का प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि इन दस सालों में हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर देंगे। परन्तु हम सुधार नहीं कर सके हैं। दस वर्ष के बाद फिर दस वर्ष और फिर दस वर्ष के बाद दस वर्ष का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक प्रगति की ओर देखा जाए तो आज भी देश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को कुएं से पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता है। हिन्दू लोग उनको पानी नहीं पीने देते हैं। स्थिति यह ही नहीं है अपने देश के अन्दर सवर्ण ही शेड्यूल्ड कास्टों में शादी कर सकते हैं, लेकिन शैडयूल्ड कास्ट सवर्णों में शादी नहीं कर सकते हैं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : बराबर की बात हुई।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह बराबर की बात नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते हैं। हमने समाल स्केल मार्जिनल फार्मर्स की स्कीम, आई० आर० डी० की स्कीम, एन० आर० ई० पी० की स्कीम के तहत शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को कोशिश की है। उनके आर्थिक विकास के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज इन की स्थिति इस प्रकार की है कि जब चुनाव होते हैं, पंचायत समिति के चुनाव होते हैं या जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो उन

चुनावों में सरपंच के लिए खड़े होने की स्थिति में ये नहीं हैं ये पंचायत समिति के प्रधान नहीं बन सकते। हमारे राजस्थान के अन्दर देखा जाए, तो कितने प्रधान पंचायत समितियों के इन लोगों में से हैं। प्रमुख, जिला परिषद के नहीं हो सकते। अगर वे इन जगहों के लिए फाइट करना चाहें, तो नहीं कर सकते। इस प्रकार की कमजोर स्थिति आज भी इनकी है। जब ऐसी स्थिति है, तो अभी तक ये तरक्की नहीं कर सके हैं और इनको ऊपर उठाने के लिएजो प्रोविजन बनाए गए हैं, वे ठीक हैं।

प्रश्न यह उठता है कि अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं, वे कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म को अंगीकार क्यों करते हैं ? क्यों ये क्रिश्चियन हो जाते हैं और क्यों ये बौद्ध हो जाते हैं ? जो लोग यह कहते हैं कि उनको वहां भी वही लाभ मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं कि वह लाभ उनको वहां पर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इस्लाम यह मानता है कि हम सब बराबर हैं। वह कहता है कि इस्लाम के अन्दर जो भी हैं, वे सब बराबर हैं और उनके यहां न कोई छूत है और न कोई अछूत है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म भी इस प्रकार की चीज मानता है। वहां पर भी सबका बराबरी का दर्जा है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि उन को वहां पर कोई पोजीशन नहीं मिलती, कोई प्रेस्टिज वहां पर नहीं मिलता और वहां भी उनकी तरक्की नहीं होती है। यह उनके सोचने की बात है और वे इसको सोचें कि जब ऐसी बात है और तो फिर लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं ? हमारे यहां उनके लिए सब सुविधाएं हैं, हम उनकी तरक्की करना चाहते हैं, उनकी सामाजिक प्रगति करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रगति करना चाहते हैं हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वे तरक्की करें, तब भी वे क्यों कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्मों में क्या आकर्षण है और हमारे धर्म में ऐसी कौन सी चीज नहीं है, जोकि दूसरे धर्मों में है। क्या हमारा धर्म नहीं कहता कि सत्य की ओर आकर्षित हो और क्या हमारा धर्म एक प्रकार का मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर इनकी प्रगति का विकास नहीं करना चाहता। हमारे धर्म के अन्दर सत्य की ओर जाने की बात है, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और सभी धर्मों के मूल सिद्धांत हमारे धर्म के अन्दर है।

महात्मा गांधी ने भी इस सम्बन्ध में विशेष रूप से यह कहा था जबकि उनका लड़का हिन्दू से मुसलमान हो गया था। उन्होंने यह कहा था कि अगर मुसलमान हो, तो पक्का मुसलमान हो परन्तु वह पक्का मुसलमान नहीं हुआ और फिर वापस आकर उसको हिन्दू धर्म अपनाना पड़ा। अगर कोई हिन्द मुसलमान होना चाहता है तो पक्का मुसलमान हो, ईसाई होना चाहता है तो पक्का ईसाई हो और ऐसा हो जो धर्म पर अडिग रहे। ऐसे हिन्दू को हम पक्का मुसलमान कह सकते हैं, ऐसे हिन्दू को हम पक्का ईसाई कह सकते हैं और ऐसे हिन्दू को हम पक्का मानव कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो इन लोगों के लिए सुविधाएं हैं, वे सुविधाएं हमें इन्हें देनी पड़ेगी और उनका विकास करना पड़ेगा और इस दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूंकि हमारे मित्र जो यह विधेयक लाए हैं, उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, प्रो० कुरियन जो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक लाए हैं और इसमें जो मूल रूप से मांगें रखी गई हैं, मैं उनका विरोध करता हूं क्योंकि हरिजन, आदिवासी और जो निम्न स्तर के लोग हैं, समाज में जो दुर्बल वर्गों के लोग हैं, उनका सर्वांगीण विकास होने के लिए संविधान की प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। समानता, एकता, न्याय और बंधुता, ये चार बातें संविधान की प्रस्तावना में आई हैं और सरकार को इसके तहत समाज के इन दुर्बल लोगों को ऊपर उठाना है और सबको सहायता देनी चाहिए और उसके लिए कोई धर्म परिवर्तन करने के बाद उस को छात्रवृत्ति दी जाए या अन्य सुविधाएं या अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता देकर उन को आगे बढ़ाया जाए, यह न्यायोचित नहीं लगता है क्योंकि एक आदमी जो भारत में किसी भी जाति का सदस्य है, वह भारत का नागरिक है और उसकी जिस धर्म में आस्था है या विश्वास है या जिस पंथ के अन्तर्गत संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, उसके तहत वे सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को यह दिखाई पड़ता है कि वह धर्म परिवर्तन कर लेगा और किसी दूसरे धर्म में चला जाएगा तो उसका स्तर ऊंचा होगा, या जो उसकी वर्तमान स्थिति है उससे उसकी स्थिति ऊपर उठेगी तो उसे कैसे हरिजन और आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर धर्म परिवर्तन करने वाले हरिजनों को, आदिवासियों को या कमजोर वर्ग के लोगों को हरिजन, आदिवासी, या कमजोर वर्ग का कहा जाए तो उससे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।

सारे देश में आज भी 42 करोड़ लोग निरक्षर हैं जो अभी भी अंगूठा लगाते हैं। वह लोग किसी खास धर्म में होने की वजह से ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। यह तो सारे देश के लिए कलंक का विषय है। ऐसे वर्गों का जीवन-स्तर तो सरकार ही उठा सकती है। यह समस्या कन्वर्शन से हल नहीं हो सकती है। कंवर्शन का विषय तो सारे देश के लिए एक बहुत ही विवाद का विषय बन गया था। फरवरी, 1981 में गृह राज्य मंत्री, श्री योगेन्द्र मकवाना ने राज्य सभा में बतलाया था कि फरवरी से लेकर सितम्बर तक दो हजार हरिजन लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि लोग धर्म परिवर्तन करते रहें और उनको सुबिधाएं भी मिलती रहें।

आज बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र हरिजन, आदिवासियों और गिरिजनों से भरा हुआ है। वहां 45 फीसदी आबादी इन लोगों की है 10 हजार 5 सौ गांव समस्या मूलक हैं। आज 35 वर्ष की आजादी के बाद भी उन गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन गांवों के लोगों को तीन-तीन, चार-चार किलीमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और गन्दा पानी पीना पड़ता है। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में सब जगह ईसाई मिशनरीज काम कर रहे हैं। इटली से, अमेरिका से और दूसरी बहुत सी जगहों से वहां ईसाई मिशनरीज आए हुए हैं। उन्होंने स्कूल और अस्पताल खोले हुए हैं। हर दो-दो किलोमीटर पर वहां के लोगों को अस्पताल और अन्य नाना प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं। जो आदिवासी सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर कि उन पर शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव है, उन्हें नाना प्रकार

के दूसरे प्रलोभन दिये जाते हैं कि आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, नौकरी मिलेगी। ये सारे प्रलोभन के काम इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा होते हैं।

लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि जितना भी हरिजन और आदिवासियों के लिए आवंटन होता है वह उन तक नहीं पहुंच पाता। चालाक लोग, ईसाई मिशनरीज, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग बीच में सारा धन ले जाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए जितना पैसे का आवंटन हो वह उन तक पहुंचे। उन तक आवंटन न पहुंचने से बिहार में, मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में, असम में, मिजोरम और नागालैंड में बहुत से लोग अपनी स्थिति से तंग आकर धर्म परिवर्तन कर गए हैं। इन क्षेत्रों में आज भी हरिजन और आदिवासियों की स्थिति वैसी है जैसी कि पहले थी। अगर हरिजनों और आदिवासियों को मिलने वाला पैसा उनको चला जाए तो यह धर्म परिवर्तन की समस्या ही उत्पन्न न हो। इस पैसे को बीच में चालाक लोग, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले हड़प कर जाते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो सौ वर्षों में भी हरिजन और आदिवासी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसे चालाक लोग हरिजन और आदिवासियों के नाम से पहाड़ों पर जी रहे हैं। हरिजन और आदिवासियों के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, अगर वह राशि निश्चित रूप से उन तक पहुंचाई जाए तो उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत सुधरे और वे इस देश के सामान्य जन के साथ, आधुनिक विकास में कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ सकें। अगर हरिजन और आदिवासियों के साथ अन्याय होता रहा तो यह धर्म परिवर्तन का सिलसिला बहुत जोरों से आगे बढ़ेगा। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ईसाइयों की संख्या 83 लाख थी और आज 3-4 करोड़ है। इसी तरह से और धर्मों को मानने वालों की संख्या भी 10-20 गुनी हो गई है। यह सब कन्वर्शन से ही हो रहा है और गवर्नमेंट से मिलने वाली शिक्षा की, पानी बिजली की और अन्य तरह की आर्थिक उन्नति की सारी मद्दों का पैसा अधिक खर्च हो रहा है। इसकी न्यायिक जांच की जाए या आयोग बैठाया जाए तो पता लगेगा कि सारा पसा डायवर्स हो रहा है। इसको रोकना होगा। कुरियन साहब ने अच्छा किया कि इस तरह से लोगों का ध्यान दिलाया है कि गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देश में गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाले 70 फीसदी लोग हैं। ये गरीब आज खरीद-फरोख्त की चीज बन कर रह गए हैं। आज देश में 42 करोड़ लोग सिर्फ ठेपा मार रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां असामाजिक तत्व बोगस मतदान कराते हैं। इन लोगों को खरीद लिया जाता है। तो वह आजादी का फल है कि लोग अभी तक यह नहीं समझ रहे हैं कि वे भी लोकतन्त्र में हिस्सेदार हैं। कि लोक तन्त्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का साझा है। 37 वर्षों की आजादी में ढाई वर्ष छोड़कर देश आपके हाथ में रहा है। आपने क्या किया। हरिजन-आदिवासियों के साथ क्या न्याय किया है आपने? पुलिस का जुल्म उन पर होता है और 10-20 हरिजनों की सामूहिक हत्याएं हो जाती हैं। आपकी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जिन्होंने हत्या की है। मीनाक्षीपुरम, परमाकुड़ी, बेला, रामनाथपुरम आदि जगहों पर 2000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। इसी तरह से अनेक जगहों पर, राजस्थान, बिहार, आदि जगहों पर भी धर्म परिवर्तन हुआ है। चाहे इस्लाम धर्म में हुआ हो या ईसाई धर्म में हुआ हो या बौद्ध धर्म में हुआ है। वैसे बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या तो घटती जा रही है। एक दो धर्मों में संख्या बढ़ रही है। धर्म परिवर्तन के बाद उनका फिर कोई मौलिक अधिकार नहीं बच

जाता है कि हरिजनों के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं का वे अपहरण करें या उसको हजम करें। सरकार को इस ओर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इस तरह से उनका हिस्सा न छीना जा सके। साथ ही साथ हरिजन-आदिवासियों के लिए धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 37 वर्षों के बाद भी उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति ज्यों की त्यों है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के लिए न पानी है, न अच्छा घर है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न गांव तक पहुंचने के लिये सड़क बनाई गई है, न बिजली पहुंची है। इस परिस्थिति में वह धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश होता है। आज रांची की माड़ा और अन्य कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। नौकरशाही सब कुछ हजम करना चाहता है। इसके साथ पब्लिक के कुछ नेता लोग वहां अपना हिस्सा ले लेते हैं। इस तरह से 80 प्रतिशत पैसा इन्जीनियर, बी० डी० ओ० आदि आपस में बांट लेते हैं और बाकी 20 प्रतिशत पैसा हरिजनों को मिल पाता है। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो अधिकारी पकड़े जाएं उनको नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए और एक उदाहरण पेश करके भय का वातावरण बनाया जाना चाहिए। इसके बिना आगे के 50 वर्षों तक भी इनकी दशा सुधरने वाली नहीं है। इसके अलावा भाई-चारे की भावना को हृदयंगम करके उनको समान समझना होगा तभी ये सामाजिक बुराइयां खत्म हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, कांस्टीट्यूशन, शेडयूल्ड कास्ट्स आर्डर अमेंडमेंट बिल 1980 का मैं विरोध करता हूं। जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको समाज हेय दृष्टि से देखता है। और सोशली और रिलीजीयसली बैकवर्ड हैं उनको फायदा करने के लिए कांस्टीट्यूशन में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि इनको दूसरी जातियों में जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्धिज्म, जहां पर जात-पात का भेदभाव नहीं है, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। हिन्दुओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में ऐसे लोगों को कन्वर्शन और बाद में सहूलियतें देने का क्या प्रश्न पैदा होता है? इस बिल के द्वारा जो मांग की गई है, वह बिल्कुल ही गलत है। इसका कारण यह था कि हिन्दू धर्म में इस प्रकार के लोगों को आर्थिक सहूलियत नहीं मिलती थी। वे लोग हर क्षेत्र में दबे हुए थे। धार्मिक तौर पर उनको बराबर नहीं माना जाता था। इसीलिए इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमारे कांस्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। यहां यह कहा गया है कि भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे उसमें जाति का नाम ही न हो, केवल इकोनामिक कंडीशन के ऊपर बैकवर्डनैस होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है तो जितने मंडल तथा दूसरे आयोग हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद एक ही चीज रह जाएगी कि जो आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए हैं, वे एक ही जाति के हो जायेंगे। जाति, धर्म और साम्प्रदाय की व्यवस्था समाप्त होकर ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे हम मजबूत होंगे और एकता के सूत्र में बंधेंगे। मण्डल आयोग में ऐसी बड़ी-बड़ी और मजबूत जातियों को ले रहे हैं जो आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं। ब्राह्मणों में भी ऐसे गरीब लोग हैं जो भिक्षा-वृत्ति करते हैं और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे गरीब राजपूत भी हैं जो

मजदूरी करके जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। आपका एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। जो आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, उनको उस श्रेणी में लाइए जिससे जाति धर्म और सम्प्रदाय की व्यवस्था समाप्त हो सके। तब न क्रिश्चियन, मुसलमान और सिख का सवाल पैदा होगा। सिर्फ रोटी का प्रश्न ही मुख्य रूप से रह जाएगा। जब तक आप जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा करते रहेंगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायेगी। इस व्यवस्था को जमाना है तो निश्चित रूप से इन विचारों पर सोचना पड़ेगा तभी यह व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठ पायेगी।

संविधान की धारा 46 में यह प्रावधान किया गया है कि जो दबे हुए हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे ऊपर उठाया जाए क्या क्या काम किए जाएं ताकि वे सोशली, इकोनोमिक्ली और एजुकेशनली ऊपर उठ सकें। यह सब उन लोगों के लिए है जो पिछड़े हुए हैं, शैड्यूल्ड कास्ट के हैं, ट्राइब्ज के हैं, वीकर शैकशंज के हैं। हमारे वर्मा साहब बहुत लम्बी चौड़ी बात कह गए हैं। कह गए हैं कि तीस साल में कोई काम ही इनके लिए नहीं हुआ है या कोई भी काम इन तीस सालों में नहीं हुआ है। जितने कल कारखाने लगे हैं, रोजी रोटी के साधन लोगों को मिले हैं, लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, वे सब काम कहां से हो गए हैं? क्या बी० जे० पी० ने कर दिए हैं? उसका तो कही नामोनिशान हो नहीं था। आपकी तो कोई आर्थिक पालिसी ही नहीं है। सिवाय उल्टी सीधी बात करने के, उनकी और कोई मंशा ही नहीं था। जो काम नहीं करना चाहते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं। काम का मतलब है गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़े हुए लोगों को, शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज को आगे बढ़ाया जाए और वह काम हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने योजनायें बनाई हैं। कांग्रेस ने ही तो ये योजनाएं बनाई हैं। आपने कहां और क्या योजना बनाई है? जितने काम हुए हैं कांग्रेस ने किए हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का काम इन 30-35 सालों में किया है इसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिशाल नहीं मिलती है। सोवियत यूनियन ने भी 30-35 सालों में इतना काम नहीं किया होगा जितना हमने कर दिखाया है। मैं मानता हूं कमियां हैं लेकिन उनको दूर हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैकवर्ड लोगों को, गरीबों को गरीबी की सतह से ऊपर ला सकें, उनको आर्थिक रूप से सम्पन्न बना सकें। हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इन कमियों को ही आप देखते रहें और यह न देखें कि इस अर्से में क्या-क्या काम हुआ है तो मैं यही कहूंगा कि आपने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है और आपको काला ही काला देखने की आदत हो गई है।

17.17 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए)**

अब आप देखें कि कन्वर्शन कहां हो रहे हैं, कहां से इनके समाचार आ रहे हैं? इसको भी रोका जाना चाहिए। बाहर से मिशनरीज आते हैं, बाहर अरब कंट्रीज से पैसा आता है जिसके बल पर पैसे के लालच में फंसा कर कन्वर्ट कर लिया जाता है। यह एक अभिशाप है फिर चाहे कोई क्रिस्चियैनी में कन्वर्ट हो या मुस्लिम धर्म में हो। इस तरह का बीज नहीं होना चाहिए। कन्वर्ट अगर राजी खुशी से कोई होता है तो उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। अपने मन से मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है तो कौन उसको मना करता है। लेकिन पांच हजार लोग एक साथ

कन्वर्ट हो जाएं, इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है, कोई खास कारण नजर आता है। इस प्रकार कनवर्जन्स सोसायटी के माथे पर काला धब्बा है वर्मा जी ने ठीक कहा है कि हम जो फायदा गरीब लोगों को देना चाहते हैं उसको दूसरे रास्ते से ये मिशनरीज ले जाती हैं। ईस्टर्न क्षेत्र में ज्यादातर ट्राईबल लोग रहते हैं, वह ट्राईबल एरिया है। उनको सब प्रकार की सहायता देने के प्रावधान हैं लेकिन उनको मिलते नही हैं, हमारी पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियों के लोग हों, वे उनको उन सुविधाओं को दिला नहीं पाते हैं। इसका फायदा मिशनरीज के द्वारा उन ट्राइबल्ज को मिलता है। यह उचित नहीं है। सरकार के द्वारा वह फायदा उनको मिलना चाहिए, राजनीतिक दलों के द्वारा मिलना चाहिये। जब ऐसा होगा तब जाकर उनका विश्वास जमेगा कि हमारे देश के लोग, हमारे जन-प्रतिनिधि, हमारे क्षेत्रों काम करने में वाले राजनीतिक दल हमारे लिए यह सब कर रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की तथा सहायतायें सरकार द्वारा मिलनी चाहिएं तब कन्वर्जन रुकेगा। मद्रास स्टेट में जिस प्रकार के कन्वर्जन्स हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। अतः जहां भी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं वह गलत है और भारत सरकार को उनको रोकना चाहिए।

माननीय कुरियन ने कहा कि अलग-अलग जातियी के लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्जन करते हैं तो इनको सहूलियत दी जाए अन्यथा संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेद का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं उनको बताता हूं हमने आर्टिकिल 341 में इस प्रकार का प्रावधान किया है कि जो लोग स्पेशली, एजुकेशनली, रिलीजसली बैकवर्ड हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको इस प्रकार का रिजर्वेशन या आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन का सवाल पैदा नहीं होता। और ऐसी व्यवस्थायें किसी धर्म में नहीं हैं। इसलिए जो लोग गरीबी के हालत में हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। ज्यों-ज्यों हमारी व्यवस्थाएं मजबूत बनेंगी उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा। आज बहुत से ऐसे लोग अच्छी-अच्छी जगहों पर आ गए हैं, हमारी भारत सरकार ने उनके लिए जो भी योजनाएं बनायी है चाहे ट्रेड, इन्डस्ट्री, काटेज इन्डस्ट्री में हो या अन्य प्रकार की जो भी सुविधायें दी जा रही हैं वह बहुत अच्छा है। हो सकता है कहीं कोई अधिकारी बेइमान हों, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। मैं तो खुद कहता हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी और हमारी प्रधान मन्त्री जो गरीबों को ऊपर उठाना चाहती हैं वह काम पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिए जो अधिकारी दूसरे का हिस्सा हड़प जाता है, चाहे बैंक का हो या ब्लाक का, गरीबों की सब्सिडी या सहायता में जो भी गड़बड़ करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

इन्होंने आर्टिकल 25 के बारे में कहा है, हरएक आदमी अपना-अपना धर्म प्रोफेस करने के लिए आजाद है। कौन मना करता है? हमारे यहां तो पूरी आजादी है और सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर कन्वर्जन का कहां सवाल पैदा होता है? इसलिए जिन भावनाओं का इन्होंने जिक्र किया है वह ठीक नहीं है और इससे गड़बड़ी पैदा हो सकती है समाज के

अन्दर। इसलिए ऐसी भावनाओं को दूर रखना चाहिए। जो इन्होंने कहा है कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर से पैराग्राफ (3) डिलीट कर दिया जाए, यह तो खासतौर से रखा गया हैऔर इसलिए रखा गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं प्रेसीडेंट के आर्डिनेंस, आदेश द्वारा प्रसारित किया कि जाएगा यह लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं। उनको ऊपर उठाने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर इसी को डिलीट कर दिया जाय तो सारी मंशा खत्म हो जायगी। इसलिए यह बात गलत है, और मैं इसका बिरोध करता हूं और माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि हमारे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है हम सब धर्मों का आदर करते हैं, राज्य की तरफ से पूरी छूट है अपने धर्म को मानने की, अतः इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती है और वह अपने इस बिल को वापस ले लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टी० नागरत्नम (श्रीपरम्बूदर) : श्रीमन्, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—श्री पी० जे० कुरियन द्वारा रखे गए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 1980—पर चर्चा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

ऐसे संशोधनों—जिन पर सरकार को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए—के लिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं।

जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 1980 के खण्ड 2(1) का उल्लेख करूंगा :

> "2(1) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की कण्डिका 3 का लोप कर दिया जायेगा।"

संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 की कण्डिका 3 निम्न प्रकार है :

> "पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दू या सिख धर्म से भिन्न किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।"

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का पैरा 2 बताता है :

> "2. इस आदेश के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियों या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 17 तक में विनिर्दिष्ट है, उन राज्यों के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध है, वहां तक, जहां तक कि उनके सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परीक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट है, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे।"

किन्तु तमिलनाडू में अधिकतर ईसाई अनुसूचित जातियों से परिवर्तित हुए थे क्योंकि वे

ब्रिटिश काल में ही नहीं वरन उसके बाद भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन करने में असमर्थ थे। और ये अत्याचार केवल अंग्रेजों के जमाने में ही नहीं हुए अपितु बाद में भी हुए। यद्यपि ये परिवर्तित ईसाई हैं फिर भी वे हरिजनों के साथ पहले वाली बस्ती में ही रहते हैं। हरिजन ईसाइयों (अनुसूचित जाति) को न केवल अनुसूचित जातियों को मिलने वाली वरीयताओं से वंचित कर दिया गया है वरन गांव में ऊंची जातियों के साथ रहने की भी अनुमति नहीं है। तमिलनाडु में प्रत्येक गांव में हरिजनों के लिए एक अलग बस्ती है। हरिजनों को अलग-अलग कर दिया गया है और विवश किया गया है कि वे एक अलग स्थान—चेरी या हरिजन बस्ती—पर रहें। अनुसूचित जाति के ईसाई भी इसी 'चेरी' या हरिजन बस्ती में रह रहे हैं।

हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों को वरीयता प्रदान करने का प्रावधान इसीलिए है, क्योंकि न केवल आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से वे कमजोर हैं वरन् सामाजिक दृष्टि से भी कमजोर हैं।

'उनमें के यूथ' के बारे में हमारा संविधान स्पष्ट बताता है—जहां तक कि उनके सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूचित जाति के ईसाई भी हरिजनों के साथ उसी बस्ती में रह रहे हैं। केवल तमिलनाडु में ही नहीं वरन् समूचे देश में उनको हरिजनों जैसी सुविधायें दी जानी चाहिए।

उदाहरणार्थ, 1957 में तमिलनाडु के रामनाड जिले में मुदुकलशातुर स्थान पर भयानक साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ था। उन दिनों तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार थी। उन दिनों हरिजनों और थेवरों के बीच झगड़े हुए थे। हरिजनों में एक श्री इमैनुअल थे, जो हरिजनों से धर्मान्तरित ईसाई थे और जिनकी अवस्था 40 वर्ष थी। श्री इमैनुअल ही हरिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गयी थी। जैसा कि मैंने कहा, श्री इमैनुअल अनूसूचित जाति से परिवर्तित ईसाई थे और अनुसूचित जाति के ईसाई को सारे तमिलनाडु की बस्तियों में सामाजिक रूप में पिछड़ा समझा जाता है। अतः सरकार को इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। अनुसूचित जाति से परिवर्तित ईसाइयों को अन्य अनुसूचित जातियों की तरह ही सभी वरीयतायें दी जानी चाहिए। श्रीमन् आपके माध्यम से मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब लोगों के इस विशेष वर्ग को वरीयतायें दी जा रही हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और एकरूपता होनी चाहिए।

श्रीमन्, विशेषकर तमिलनाडु में, अनुसूचित जाति से धर्मान्तरित ईसाईयों को पिछड़ी जाति के लोग माना जा रहा है और उन्हें हर क्षेत्र में अन्य पिछड़ी जातियों के समान ही सुविधायें दी जा रही हैं। यह प्रावधान उस समय हुआ जब हमारे प्रिय द्रमुक नेता डा० कलाईंगर करुणानिधि तमिलनाडु में सत्ता में थे। जो आदि द्रविड़ हरिजन धर्म बदल कर ईसाई बने हैं उनको पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति के ईसाइयों को ऊंची जाति के लोग मानती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह छूट अभी भी वहां पर जारी है।

श्री टी० नागरत्नम : जी हां महोदय, हमारे नेता इस विषय में और आगे गम्भीर रूप से विचार कर रहे थे और वे एक ऐसा कानून पारित करना चाहते थे जिसमें अनुसूचित जाति के ईसाइयों को अन्य अनुसूचित जातियों (हरिजनों) की भांति ही प्राथमिकता दी जाये। किन्तु दुर्भाग्यवश तमिलनाडु में अनुसूचित जाति से धर्म बदलकर बने ईसाइयों के लिए, 1976 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से हमारी द्रमुक सरकार का विघटन कर दिया। अन्यथा हमारे नेता सभी अनुसूचित जाति के ईसाईयों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर देते ताकि उन्हें अनुसूचित जाति की भांति ही प्राथमिकता मिल पाती।

यह विधेयक संविधान आदेश 19, 32, 64, 68 तथा 81 के परन्तुक तीसरे पैरे का लोप करने के लिए है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसके ब्यौरे को देखें तथा सम्पूर्ण परन्तुक को हटा दें ताकि इससे धर्म परिवर्तित कर चुके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की मदद की जा सके।

पिछली बार मण्डल आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वित न किए जाने पर चर्चा के दौरान मैंने सदन में सरकार से अनुरोध किया था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को बिना किसी झिझक के अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अगर मण्डल आयोग रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जाता है तो कम से कम अनुसूचित जाति के ईसाइयों को तो पिछड़ी जाति के लोगों के साथ प्राथमिकता मिलेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाये। और उसे अविलम्ब लागू किया जाये।

यह सभी अनुरोध करने के अलावा, मैं प्रो० कुरियन को बताना चाहूंगा जिन्होंने कि इस विधेयक को प्रारम्भ किया है कि ईसाई विभिन्न श्रेणियों में बंटे हुए हैं। अधिकतर सदस्यों ने सदन में बताया कि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं है—इसमें कई श्रेणियां हैं। रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तथा विशेषतौर पर तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय चर्च, सी० एस० आई० है। रोमन कैथोलिक में भी दो सम्प्रदाय हैं—एक तो लूथेरन तथा दूसरा बेन्डीकोस्ट। यहां तक की बेन्डीकोस्ट में भी सीलोन बेन्डीकोस्ट तथा मारान्था बेन्डीकोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इनमें से किसी सम्प्रदाय को स्वीकार कर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु में···

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे अपना जातिय नाम लगाये रखते हैं—हिन्दू धर्म में वे चाहे जिस जाति में वे हों। उदाहरण के लिए, नाडार अगर ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो वे नाडार ईसाई कहलायेंगे···

श्री टी० नागरत्नम : जी हां, नाडार ईसाई तथा मुदालियर ईसाई।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः जातिय पद्धति बहां भी जारी रहती है।

श्री टी० नागरत्नम : जी हां, यह वहां भी जारी रहती है। उपाध्यक्ष महोदय अच्छी तरह जानते हैं, तमिलनाडु में खासतौर पर मद्रास में बहुत से अंग्रेजी माध्यम की ईसाई संस्थाएं हैं, कानवेंट स्कूल हैं, डॉन बोसको कानवेंट, चर्च पार्क कानवेंट, बी.आई.एन.एस.कानवेंट, प्रेटिस कानवेंट गुड शेफर्ड कानवेंट आदि। इन कानवेंट स्कूलों में गरीब हिन्दू हरिजनों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार उनसे कोई भी पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि ये संस्थायें ईसाई धर्म के नाम पर चल रही हैं तथा हमारा संविधान मौलिक अधिकारों का पूरी तरह संरक्षण प्रदान करता है कि अल्प संख्यक धर्मों का दमन नहीं किया जाना चाहिए अपितु प्रोत्साहित करना चाहिए। अत: ये ईसाई संस्थायें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला देने की सरकार की नीति का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। यह संस्थायें कह सकती हैं कि उनके कानवेंट में कुछ हरिजन विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था। किन्तु अगर हम रिकार्ड को देखें तो पायेंगे कि जिन हरिजन विद्यार्थियों को दाखिला मिला है वे बड़े हरिजन अधिकारियों जैसे कि आई० ए० एस० तथा आई० जी० एस० आदि के बच्चे हैं। और ताज्जुब की बात है कि मद्रास में दो ईसाई कालेज हैं। एक का नाम लोयोला कालेज तथा दूसरा क्रिश्चियम कालेज है। लोयोला कालेज को रोमन कैथोलिक चलाते हैं तथा क्रिश्चियन कालेज को प्रोटेस्टेंट द्वारा चलाया जाता है। लोयोला कालेज में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को दाखिला नहीं दिया जाता तथा इसी प्रकार क्रिस्ट्यिन कालेज में रोमन कैथोलिक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जाता···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री० टी० नागरत्नम : उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु रोमन कैथोलिक विद्यार्थियों को क्रिस्ट्यिन कालेज में दाखिला नहीं दिया गया था ···

प्रो० एन० जी० रंगा : वे वहां पर नहीं जाते हैं।

श्री टी० नागरत्नम : प्रो० रंगा भली भांति जानते हैं। मैं उनके अनुभवों के बराबर नहीं हूं। यहां तक कि मेरी उम्र भी उनके अनुभव के बराबर नहीं है वह अच्छी तरह जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे प्रो० रंगा पचाईअप्पा के कालेज में प्रोफेसर थे और वे हमारी अन्ना के प्रोफेसर थे।

श्री टी० नागरत्नम : जी हाँ, वह हमारे प्रिय नेता अन्ना के प्रोफेसर थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी भी ईसाई कालेज में नहीं पढ़े हैं।

श्री टी० नागरत्नम : इसीलिए मैं जोर देता हूं। यहां तक कि ईसाइयों में भी रोमन कैथोलिक विद्यार्थियों को क्रिस्टियन कालेज में दाखिला नहीं दिया गया था तथा प्रोटेस्टेंट विद्यार्थियों को लोयोला कालेज में दाखिला नहीं दिया गया था। इसी तरह, ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों में भेदभाव है तथा इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए।

अधिकतर सदस्यों ने जिन्होंने कि सदन में बोला, यह दलील दी कि चाहे आर्थिक रूप में और

शैक्षणिक तौर पर जो अनुसूचित जाति के हैं उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए । किन्तु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर कोई आई० ए० एस० अधिकारी अनूसूचित जाति से आता है यद्यपि वह आई० ए० एस० अथवा एक आई० पी० एस० अधिकारीहै, जित मर्जी ऊंचे पद पर वह चला जाए, उन्हें अभी भी अनूसूचित जाति का समझा जाता है तथा अभी भी अछूत स मझा जाता है—न सिर्फ तमिलनाडू में ही यह है अपितु सम्पूर्ण भारत में। इसीलिए डा० अम्बेडकर तथा अन्यों ने चतुरता से मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद, 70 अन्तःस्थापित कर दिया कि अस्पृश्यता, समाप्त कर दी है।

किन्तु प्राथमिकता अध्याय 16 तथा 17 में दी गई है। जिसे कि रद्द किया जा सकता है। उचित समय में सांसदों के प्रफुल्लित मूड के अनुसार, इसे रद्द किया जा सकता है तथा प्रार्थमिकता को भी वापिस ले लिया जा सकता है।

अन्त में महोदय, मैं कहूंगा कि अधिकतर सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति के सभी व्यक्ति न सिर्फ सामाजिक तौर पर अपितु शैक्षणिक रूप में तथा आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। बाबू जगजीवन राम पिछले चालीस वर्षों से मंत्री थे। जनता शासन के दौरान जब वह रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने एक बार डा० सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा का अनावरण किया था। उच्चतम जाति वाले व्यक्तियों ने इसे रक्षा मंत्री द्वारा अनावरण की गई प्रतीमा के मामले पर विचार किया तथा सभी ऊंची जाति वाले लोगों ने एकत्र होकर इस विषय पर सोचा कि इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मूर्ति का अनावरण नहीं करना चाहिए था। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया किन्तु वे अभी भी प्रतिमा पर आरोप लगाते हैं कि यह तमिल में थीट्टू था और इसके तुरन्त बाद सभी परम्परावादी व्यक्ति गंगा नदी से पानी लाए तथा प्रतिमा पर डाला और उसे साफ किया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से मूर्ति पवित्र हो गई है।

अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अधीन कोई अपराध करता है तो उस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। जानबूझ कर सभी परम्परावादी व्यक्तियों ने मिलकर गंगाजल से उस प्रतिमा को धोया। सरकार ने उन परम्परावादी व्यक्तियों के खिलाफ 'अपृश्यता अपराध अधिनियम' के अंतर्गत क्यों नहीं कोई कार्यवाही की। महोदय, सदन में यह कहना बड़े शर्म की बात है। अतः चाहे कांसग्रे अथवा कोई और सरकार सता में आए जब तक यह समुदाय देश में प्रचलित है, अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। 100 से अधिक संसद सदस्य अनुसूचित जाति के होने के बावजूद भी हम संगठित नहीं हैं और हम अभी भी बहुत से दलों पर निर्भर कर रहें हैं। जब हम सदन में आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि एक प्रकार की अस्पृश्यता हमारे ऊपर लगाई जा रही है। एक दिन मैं अपने 'पहचान पत्र' को साथ रखकर रेल में सफर कर रहा था। टिकट निरीक्षक ने मुझसे मेरे पहचान-पत्र के बारे में पूछा। पहली बार मैंने वह पहचान पत्र उसे दिखाया उसमें मेरे नाम 'श्री टी० नागरत्नम' के साथ कोष्ठक में एस० सी० लिखा हुआ था। इस कोष्ठक के शब्दों को टिकट निरीक्षक मुझसे स्पष्ट करवाना चाहता था उसने मुझसे इसका अर्थ पूछा तो मैंने कहा इसका मतलब है, सुप्रीम कोर्ट'। क्या यह

कोई तरीका है कि मेरे नाम टी० नागरत्नम के बाद कोष्ठक में एस० सी० लिखा जाए? क्या सदन में सभी सदस्य अपने नामों के पश्चात 'चारी; ब्रह्मा, अयंगर तथा शास्त्री जैसे शब्दों को लिखते हैं? किन्तु सरकार सभी हरिजन संसद सदस्यों के नाम के पश्चात एस० सी० लिखने पर बाध्य करती है। मेरे नाम टी० नागरत्नम तथा श्री सी० टी० दण्डपाणि के नाम के बाद हमारे 'पहचान-पत्र' में एस० सी० शब्द लिखा हुआ है। कम से कम यह तो हमारे पहचान-पत्र में से हटाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है पहले ऐसा था।

श्री टी० नागरत्नम : अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना पहचान-पत्र दिखा सकता हूं। कृपया देखिए। टी० नागरत्नम (श्री पेरुम्बुदुर) के साथ कोष्ठक में एस० सी० लिखा हुआ बहुत ही बेतुका लगता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वहां से एस० सी० शब्द को हटाया जा सकता है।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : पार्लियामेन्ट का जितना लिट्रेचर छपा है, जिसमें हम लोगों के नाम लिखे हैं, उनमें सभी में लिखा है अनुसूचित जाति, जनजाति या अंग्रेजी में एसी० सी०, एस० टी०।

श्री टी० नागरत्नम : इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि पहचान पत्रों से इसे निकाल दिया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं कि बिना पहचान के कुत्तों को नगर निगम वाले उठा ले जाते हैं, और यदि उनकी गर्दन में टोकन लटका दिया जाये तो तभी यह पहचान हो सकेगी कि कुत्ते का मालिक कौन है। इसी प्रकार पहचान पत्रों में सदस्य के नाम के बाद 'एस० सी०' जोड़ा गया है। इनको हटा देना चाहिए।

श्रीमन्, इस विधेयक का करीब-करीब सभी ने स्वागत किया है ...

श्री ए० के० राय : (धनबाद) श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रकार भेदभाव करेंगे तो क्या यह संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं होगा, जिससे सदस्य की बेइज्जती होती है। मैं समझता हूं कि यह सभी के नियमों के भी अनुरूप नहीं है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ महोदय हमें यह आश्वासन दें कि इसे शीघ्र ही हटा दिया जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं पहले ही यह सुझाव दे चुका हूं कि हमारे सचिवालय को इस ओर ध्यान देकर इसे हटा देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस बारे में पहले किसी सदस्य ने सभा को सूचना नहीं दी है। यह पहली दफा है कि श्री नागरत्नम ने इसकी सूचना सभा में दी है। यह एक अच्छी बात है

कि वह यह सूचना सरकार के ध्यान में लाए हैं और मुझे आशा है कि सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

श्री नागरत्नम : श्रीमन्, इस विधेयक का अधिकतर सदस्यों ने स्वागत किया है। बहुत से धर्म परिवर्तित किए हुए ईसाई अनुसूचित जातियों से हैं जैसे—यदि पराविदा ईसाई, मुदालियार ईसाई, नायडु ईसाई, आदि, जातियों से धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं। वे हरिजनों के साथ रह रहे हैं और इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्ण विचार कर इसे सरकार द्वारा मान लेना चाहिए।

इसके साथ ही, मैं अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण हमने इस विधेयक पर दोपहर 3.40 बजे चर्चा आरम्भ की थी। इसके लिए दो घन्टे का समय निर्धारित था। अब सायं के 5-50 बज चुके हैं। पहले ही दो घन्टे का समय पूरा हो चुका है। मैं समय बढ़ाये जाने के बारे में सभा की राय जानना चाहता हूं। अभी भी कई सदस्य हैं, जो इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : समय में एक घन्टे की वृद्धि की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री पनिका···

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, जो सदन में प्रो० पी० जे० कुरियन द्वारा प्रस्तुत है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

यह बात सही है कि हमारे लायक दोस्त श्री कुरियन ने बिल प्रस्तुत करते समय बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है लेकिन जो तर्क उन्होंने दिए हैं, वे उल्टे उनके विरुद्ध पड़ गए। उन्होंदे संविधान की आर्टीकिल्स 46, 25 और 15 आदि का हवाला दिया। आप यह देखें कि इनके जो बुनियादी अर्थ हैं, तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं हैं, वे स्वयं समाप्त हो जाती हैं अगर इनकी बातों को मान लिया जाए। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस जगह पर शासन द्वारा पिछले कई वर्षों से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एमेंडमेंट) बिल प्रस्तावित है और एक बार तो इस सदन में प्रस्तुत भी किया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से उसे वापस ले लिया गया था, उस बिल को अगर ये लाए होते तो मैं उसका कट्टर समर्थक होता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 35 वर्ष हमारी आजादी को हो गए हैं लेकिन बहुत सी ऐसी शेड्यूल्ड जातियां हैं, जो कि एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं लेकिन दूसरी स्टेट में जनरल हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी एक 'पनिका' जाति है। उत्तर प्रदेश में वह शेड्यूल्ड कास्ट् है लेकिन मध्य प्रदेश के आठ जिलों में वह शेड्यूल्ड ट्राइब है और बाकी जिलों में वह

जनरल है और बिहार और उड़ीसा में तो वह जनरल ही है। इसकी स्थिति बहुत दयनीय है और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वह बहुत पिछड़ी हुई हैं। इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जातियों का कोई राशनेल नहीं है। यही नहीं बल्कि कुछ जातियों के नाम अशुद्ध हैं। जो ट्राइब्स हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट् दिखाया हुआ है और इस तरह से बहुत सी गड़बड़ियां हैं और इनको ठीक करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने प्रयास भी किया है और कई बार राज्यों को कहा भी है लेकिन कुछ राज्य सरकारें इनसे सहयोग नहीं कर रही हैं और वे बहुत समय से नाम नहीं भेज रही हैं। मैं गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र इनकी लिस्ट राज्य सरकारों से मंगावें और अगले बजट सेशन में इस तरह के बिल को प्रस्तुत करके हरिजनों ओर आदिवासियों के विकास के रास्ते को प्रस्तुत करें।

यही नहीं, 1976 में एक एरिया रेस्ट्रिक्शन बिल पास हुआ था और उसका बड़ा ही अच्छा मोटिव था और मैं कहना चाहता हूं कि उससे काफी राज्यों में हमारी संख्या बढ़ गई लेकिन कुछ राज्यों ने उस बिल के पास होने के बावजूद भी उनको मान्यता नहीं दी। मैं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गया था और वहां पर मैंने डी० एम० से कहा कि हम को सर्टीफिकेट देना चाहिए क्योंकि एरिया रेस्ट्रिक्शन बिल पास हो गया है। पूरे प्रदेश में वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इसलिए सर्टीफिकेट मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एरिया रेस्ट्रिक्शन बिल लागू न होने के कारण एसेम्बली का एक चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। एक शेड्यूल्ड कास्ट ने जो गोंड जाति का था, उसने पर्चा भरा लेकिन डी०एम० ने उस पर्चे को खारिज कर दिया और यह कहा कि इस जिले में यह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और फिर सारा चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया था। तो मेरा कहना यह है कि जब एक प्रदेश में ऐसा हो गया, तो कोई कारण नहीं कि और राज्यों में यह न हो। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह जो एरिया रेस्ट्रिक्शन बिल है, इस पर कार्य किया जाएगा।

अभी वर्मा साहब और दूसरे साथी बोल रहे थे कि शासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे निश्चित रूप से दूरदराज इलाकों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दूरदराज इलाकों में नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए सदन का यह कर्त्तव्य है कि ये सुविधाएं उन्हें दिलाएं। इसमें पार्टी और पोलीटिक्स का कोई सवाल नहीं है। हम सब चाहते हैं कि उनको ऊपर उठाया जाए और हमारे देश की प्रधान मंत्री ने उनके उत्थान के लिए काफी किया है और हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन अभी तक जो सोशल बैकवर्डनैस है, वह नहीं गई है और अभी भी अनटचेबिलिटि अपनाई जाती है। कई लोग कह रहे हैं कि जो अनटचेबिलिटी है, उसको संविधान ने दूर कर दिया है लेकिन व्यवहार में अनटचेबिलिटी के नए-नए स्रोत निकलते आ रहे हैं। पहले तो यह एक जाति की ही बात थी, अब यह बात उस जाति से निकल कर अन्य जातियों में भी व्यवहार में आ गई है। आज हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस भावना को दूर करें। जब तक यह भावना दूर नहीं होगी तब तक इस बिल से भी काम चलने वाला नहीं है।

हमारे देश में सिखों में तो जातिवाद है, लेकिन क्रिश्चियंस और मुसलमानों में जातिव

नहीं है। आखिरकार हमारे देश में जो इतने लोग मुसलमान बने वह हिन्दुओं के कठोरपन के कारण और मध्यावधि के हमारे शासकों के व्यवहार के कारण ही बने। लेकिन मुसलमानों में जातिवाद का कोई भाव नहीं है। अगर हम निश्चित तौर से अपने यहां से जातिवाद की व्यवस्था समाप्त कर दें तो जो हमारा उद्देश्य है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सहायता करें, जो इस देश में पददलित रहे हैं उनका विकास हो, उसको हम पूरा कर सकते हैं।

महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा जी ने सर्वधर्म समन्वय की बात कही थी। अगर हम यह बिल पास करते हैं तो जो महात्मा गांधी और विनोबा जी ने बात कही थी कि हम लोगों में कोई जाति और धर्म का भेद नहीं हो, वह बात पूरी नहीं होती है। हमारे विनोबा जी तो सारे धर्मों की बात जानते थे। उन धर्मों की मुख्य-मुख्य बातों का उन्हें विस्तार से ज्ञान था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो देश में राष्ट्रीय भावना है, उसको देखते हुए यह बिल पास करने की जरूरत नहीं हैं। अत: मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा कि वे यह बिल वापस ले लें।

इस अवसर पर मैं अपने गृह मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लि॰ कोई समस्या ही न रहे। आज हम क्या देखते हैं कि इन जातियों के लिए रिजर्वेशन के बाद भी कोटा पूरा नहीं हो पाया है। शेड्यूल्ड काट्स के लिए हमने 18 परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साढ़े सात परसेंट का रिजर्व्ड कोटा रखा हुआ है। हमारी क्लास वन की नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स का चार परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक परसेंट भी कोटा पूरा नहीं हो पाया है। यही व्यवस्था द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की पोस्टों में भी है। हमारे कांस्टीच्युशन में यह व्यवस्था है कि हम निश्चित समय तक इन जातियों को समान स्तर पर लाने की व्यवस्था करेंगे। आपके ऐसा न करने से आज इन जातियों के लोग दूसरी जातियों के कोप का भाजन बन रहे हैं। आपने इन जातियों के लिए रिजर्वेशन का तीन बार समय बढ़ाया है। और कितनी बार आप समय बढ़ाते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिए एक टाइम-बाऊण्ड प्रोग्राम बनाइये और उनको समान स्तर पर लाइये। इससे ही देश में एकता की भावना जगेगी।

आज जो देश में जातीय दंगे हो रहे हैं वह इसी कारण से हो रहे हैं कि दूसरी जाति के लोगों के दिमाग में यह है कि सारा लाभ इन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही दिया जा रहा है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी हम उसके अनुरूप भी इन लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने संविधान के अनुसार सब को समता का अधिकार दिए हुए हैं लेकिन सबको समता का अधिकार जब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि सभी का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समान स्तर नहीं होता। इसलिए हमें इन्हें समान स्तर प्रदान करना होगा। केवल समान अवसर का अधिकार दे देने से समान अवसर प्राप्त नहीं हो जाते।

आपको शिक्षा के क्षेत्र में इन जातियों को समान अवसर प्रदान करने होंगे। आपने ट्राइबल एरियाज में पब्लिक स्कूल खोलें, हरिजनों के लिए पब्लिक स्कूल खोलें। अपने शिक्षालयों में हम

उन्हें समान अवसर प्रदान करें। अगर बुनियादी तौर से समानता न हो, एजूकेशन में समानता न हो, तो कैसे समान स्तर आ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए तभी सभी का एक समान विकास हो सकता है। जब तक बुनियादी सुविधा इन जातियों को नहीं मिलेंगी तब तक हरिजनों और आदिवासियों में समान स्तर लाने की बात व्यर्थ ही होगी।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो समाज में भावना जाग रही है, उसमें बुनियादी परिवर्तन करने के लिए आप कोई रास्ता अपनाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः अपने लायक मित्र से निवेदन करता हूं कि वे इस बिल को वापस ले लें।

विधेयक—जारी

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 60 और 159 में संशोधन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 94 और 179 में संशोधन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 22-12-1983 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

———

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। श्री शिव शंकर।

ऊर्जा मंत्री (श्री शिव शंकर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उत्पादित कच्चे तेल पर स्वामित्व संदेय होता है और देश में उत्पादित कच्चे तेल पर स्वामित्व की दर तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत तय की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार—

(क) किसी भी खनिज तेल के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर तेल क्षेत्र में या तेल-कर्मों के स्थान पर, यथानुसार पर किसी भी खनिज तेल के विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक तय नहीं करेगी,

या

(ख) चार वर्ष की किसी कालावधि में एक बार से अधिक किसी खनिज तेल के बारे में स्वामित्व की दर में वृद्धि नहीं करेगी।

पिछली दफा 1 अप्रैल, 1981 को स्वामित्व की दरों में संशोधन किया गया था। उस समय कच्चे तेल के दामों को 42 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था। अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इसकी दरों में 1 अप्रैल, 1985 से पहले संशोधन नहीं किया जा सकता।

असम और गुजरात राज्य सरकारें स्वामित्व की दरों में संशोधन के लिए अभ्यावेदन करती रही हैं। क्योंकि किसी भी खनिज तेल के बारे में स्वामित्व की दर बढ़ाने की केन्द्र सरकार के पास जो शक्ति है, वह इस शर्त के अधीन है कि उस दर को चार वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए यह प्रस्ताव है कि इस अधिनियम के सम्बन्धित उपबंधों को संशोधित किया जाए, ताकि सरकार स्वामित्व की दर तीन वर्षों के बाद बढ़ा सके।

यह भी प्रस्ताव है कि इस अवसर का उपयोग अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश के अनुसार नियमों को सभा में रखने के लिए धारा 10 में संशोधन किया जाए।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री एम० एम० लारेंस बोलेंगे।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि, क्योंकि सरकार इस संशोधन के द्वारा अमर्यादित शक्तियां ग्रहण करना चाहती है। सरकार को सामान्य रूप में नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन तेल क्षेत्रों के बारे में नियम बनाने की स्थिति कुछ भिन्न है। खनिज तेल उत्पादन में लगे कर्मकारों के मामले पर हमेशा ही अलग से विचार किया जाता है, क्योंकि उनके काम में बहुत कठिनाइयां हैं। इसलिए तत्सम्बन्धी विषय बनाते समय अधिक विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिससे यह साबित हो जाएगा। सरकार ने दिगवोई में चल रही असम तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने तेल शोधन और विपणन भागों को अलग कर, इसे भारतीय तेल निगम को सौंप दिया। खुदाई का कार्य आयल इंडिया लि० को सौंप दिया जो कि दुलिआजान में स्थित है। लेकिन ये दोनों ही कम्पनियां उसी जगह पर कार्य कर रही हैं जो असम तेल कम्पनी को पट्टे पर दिया गया था। इसलिए दोनों कम्पनियां ही खान अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, जबकि कारखाना अधिनियम भारतीय तेल निगम पर ही लागू होता है। आसाम तेल कम्पनी में यह प्रथा थी कि निरन्तर चलने वाले दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए बहुतायत में ठेका श्रमिक रखे जाते थे। इन दोनों कम्पनियों में खान कामगार संघ ही ठेका श्रमिकों का एकमात्र पंजीकृत संघ है। पुरानी प्रथा के अनुसार खुदाई तथा तेल शोधक कार्यों में और विपणन के कार्यों में ठेकेदारों की सेवाएं ली जाती थीं।

श्री पी० शिवशंकर : यह खानों के अधीन नहीं आता है।

श्री एम० एम० लारेंस : मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए। मैं कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : आपका स्वागत है।

श्री एम० एम० लारेंस : वही प्रथा आज भी जारी है। किन्तु भारतीय तेल निगम के प्रबंधक इन खान कामगार संघों से बातचीत करने से मना कर रहे हैं। जहां तक स्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है 'आयल इंडिया लिमिटेड' भी उनकी मांगों का समाधान नहीं कर रहा है। भारतीय तेल निगम के साथ हाल ही में, जिस वेतन के बारे में समझौता हुआ था उस वेतन से श्रमिकों को वंचित

किया जा रहा है। हम नहीं जानते कि आयल इंडिया लिमिटेड अपने श्रमिकों को क्या परिलब्धियां दे रहा है। और क्या वह परिलब्धियां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों को दी जाने वाली परिलब्धियों, जो उसी प्रकार से तेल निकालने के कार्य में लिप्त है, के समान है। ठेका श्रमिकों का यह प्रश्न संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के सामने ले जाया गया था किन्तु भारतीय तेल निगम के अड़ियल रवैये के कारण उसका निपटारा न हो सका और श्रमिकों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा।

इसीलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आसाम तेल कम्पनी के पुराने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की मांगों का निपटारा किया जाए ताकि उनके साथ कोई भेदभावपूर्ण तरीका न अपनाया जाए।

आसाम आयल कम्पनी के भूतपूर्व श्रमिकों की सेवा-शर्तों को भारतीय तेल निगम के श्रमिकों की सेवा-शर्तों के समान किया जाना चाहिए ताकि बराबर काम के लिए बराबर वेतन' का सिद्धान्त लागू किया जा सके। मुख्य नियोजक के अधीन निरंतर चलने वाले या इसी प्रकार के कार्यों में लिप्त ठेका श्रमिकों को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम 1971 की धारा 25(2) पांच (क) के अधीन दिए गए लाभ भी प्रदान किए जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल में रायल्टी की अवधि चार की जगह तीन वर्ष करने के लिए कहा है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रायल्टी का निर्णय आप किस आधार पर करते हैं। आपको याद होगा कि नागालैंड में खोज करने की बात कही गई थी। वहां राज्य सरकार ने स्वामित्व का प्रश्न उठाया था। वह भी रायल्टी से जुड़ा हुआ है। जब आप तीन वर्ष की बात करते हैं तो उस तरह रायल्टी बढ़ जाएगी और कहीं भी कम हो सकती है, ऐसा आपने कहा है। मेरा सुझाव है कि इस रायल्टी का जो निर्णय किया जाता है, इसकी पद्धति में तबदीली होनी चाहिए जिससे राज्यों को भी जायज हिस्सा मिल सके। छटी पंचवर्षीय योजना का टारगेट था 6541.72 करोड़ वह सरपलस होकर 6770 करोड़ हो गया। आपने जो लक्ष्य तय किया है उसकी पूर्ति में नए बेसिन में खोज हुई है। आफशोर के कुछ इलाके हैं जहां पर पैट्रोल की खोज हुई है। नार्थ ईस्ट में लक्ष द्वीप में, अंदमान आदि में खनिज तेल की खोज के सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। एक करोड़ टन हम आज बाहर से मंगाते है। अगर हमने यहीं अपने देश में सक्रिय प्रयास किए तो उससे स्थिति सुधरेगी। रायल्टी तो आप बढ़ाएं लेकिन साथ-साथ देखें कि प्रोडक्शन कैसे हमारे देश में बढ़ सकती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है अगर पैट्रोल, खनिज तेल आदि अधिक मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध होगा और हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा तब निश्चित रूप से उद्योगों और कृषि को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा, देश समृद्ध होगा सम्पन्न होगा।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : बहुत विलम्ब से यह बिल यहां लाया गया है।

और यह अधूरा बिल है। चार साल के बाद रायल्टी जो बढ़ाई जाती थी या उस पर विचार किया जाता था, अब तीन साल के बाद किया जाएगा, तब उसमें फेर बदल किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि 1976 के बाद 1980 में इसकी अवधि पूरी होती थी, तो 1980 में रायल्टी की दर बढ़ाया जाना चाहिए था जब चार साल पूरे होते थे लेकिन इस दर को अप्रैल 1981 में जाकर बढ़ाया गया। तीन चार माह बाद यह दर बढ़ायी गई बीस परसेंट के हिसाब से आपको ज्यादा रायल्टी राज्यों को देनी पड़ती है। अगर आपने समय पर इसको बढ़ाया होता तो सितम्बर 1980 में क्रूड का भाव 305 के बजाय 1182 के हिसाब से आपको देना होता। इससे राज्यों को ज्यादा मिलता। दुनिया के सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि खनिज सम्पत्ति राज्य सरकारों की सम्पत्ति होती है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी 1962 में इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि रायल्टी की बात जब आएगी तब राज्यों से सम्पर्क किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। अवधि समाप्त होने पर भी इसकी दर को रिवाइज नहीं किया जाता है। भाव ठहराने की पद्धति आपकी खुद की पद्धति है। इस सम्बन्ध में आपने कोई नियम नहीं बनाए हैं। 1962 के बाद 1966 में चार साल के बाद आपको इसको बढ़ाना था लेकिन आपने 1968 में जाकर इसको बढ़ाया, यानी दो साल की आपने इस में देरी की। इसके बाद 1972 में जो एवार्ड दिया गया उसमें सात साल की अवधि रखी गई थी। इसके बाद जब बहुत हल्ला हुआ तो चार साल के बाद 1976 में जाकर आपने इसको बढ़ाया। यह जो देरी की जाती है यह ठीक नहीं है। सदन के अन्दर और बाहर सभी सदस्यों ने, राज्य सरकारों ने प्रजातन्त्रीय संगठनों ने, बार-बार सरकार का इस ओर ध्यान खींचा है और हर बार हम को आश्वासन यह दिया गया है कि यह मामला विचाराधीन है। इन आश्वासनों के बावजूद भी आज इस सत्र के आखिरी दिन छ: बजे आप इसको यहां ला रहे हैं। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। आपने तीन साल के बाद इसमें फेर बदल करने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह हर साल क्यों नहीं होना चाहिए। हर चीज के भाव जब हर साल बढ़ाये जाते हैं और दूसरी चीजों के भाव जैसे रेलवे फ्रेट, पोस्टेज दिन पर दिन बढ़ते हैं तो इसकी दर भी हर साल क्यों नहीं बढ़नी चाहिए, क्यों यह रिवाइज नहीं होनी चाहिए। काटन के लिए आप हर साल रिवाइज्ड स्पोर्ट प्राइस की घोषणा करते हैं। रायल्टी के बारे में तीन साल की अवधि आप क्यों रखे रहे हैं। राज्य अलग नहीं है। वे भी भारत का हिस्सा है, हमारी धरती के अंग हैं। आपको ज्यादा लाभ होता है तो आप उनको क्यों ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। तीन साल के बाद क्यों देना चाहते हैं, हर साल इसमें फेर बदल क्यों नहीं करना चाहते हैं।

रायल्टी तय करने का जो तरीका है अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार से इसको तय किया जाता है। इसको भी नियमित किया जाना चाहिए। क्रूड से पैट्रोल, कैरोसीन, नैफ्था आदि सब निकालने के बाद जो कचरा बचता है जिसको आर० एफ० ओ० कहते हैं, इसका भाव दो हजार प्रति टन पर राज्यों के बिजली बोर्डों और दूसरे उद्योगों को दिया जाता है जबकि रायल्टी के संदर्भ में इसका भाव 305 रुपए तय किया गया था, बाद में सितम्बर में इसको बढ़ा कर 1182 किया गया। लेने का एक तरीका और देने का दूसरा तरीका यह ठीक नहीं है। जैन मन्दिरों में देव को घी चढ़ाने के लिए बोली बोली जाती है। जैन मन्दिरों में लोग 2 मन, 5 मन, 10 मन घी बोलते हैं,

सुनकर आश्चर्य होता है। बाजार भाव अगर घी का 100 रु० है तो बोली में 2, ढाई रु० मन का घी माना जाता है। पैट्रोल, तेल, नेप्था निकाल कर जो कपड़ा बनता है उसका 2,000 रु० लिया जाता है। गैस जो निकलती है 1965 में हमारे जाने माने अर्थशास्त्री श्री वी० के. आर० वी० राव ने हिसाब लगाकर बताया था कि 76 रु० प्रति टन इसका भाव होना चाहिए। लेकिन आज गैस जो तेल के साथ निकलती है उसका भाव 2,500 रु० मांगा जा रहा है। तो बेचने का भाव अलग और रायल्टी का भाव ऐसा क्यों ? मैं मांग करता हूं कि बिल में यह भी सुधार किया जाय और अन्तर्राष्ट्रीय भाव दिया जाए। देने और लेने के बारे में जो अलग-अलग तरीके काम में लाए जाते हैं इसको नियमित किया जाए ओर अवधि निश्चित की जाए कि रायल्टी की दर भी अंतर्राष्ट्रीय भाव को देखते हुए तय की जाया करेगी।

कूएं में क्रूड निकालने की अवधि निश्चित होती है। 15-20 साल में कूएं में से क्रूड खत्म हो जाता है। 50 प्रतिशत तेल तो हमारे कुओं में से निकल चुका है। अब तक निकाले गए क्रूड का भी पैसा दे कर राज्यों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। इसमें सुधार किया जाए और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से दिया जाए। 4 प्रतिशत जो सेल्स टैक्स मिलता था वह भी हमसे खींच लिया गया, जो सरासर गलत है। सेल्स टैक्स के रूप में जो ले लिया है, यह भी उनको देना चाहिए। राज्यों के आय के साधन वैसे ही कम हैं, और जो हैं भी उनको इस तरह से कम किया जा रहा है। इस अन्याय को समाप्त किया जाय और हमारी रायल्टी की दर में सुधार किया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव के साथ जोड़ा जाय। सितम्बर, 1981 में रेट बढ़ाया गया, वह अप्रैल 1981 से दिया।

ओ० एन० जी० सी० को 1980-81 के मुकाबले में 1981-82 में 8 गुना मुनाफा हुआ है। उस मुनाफे का हिस्सा उन राज्यों को भी मिलना चाहिए जिससे कि से आपको तेल मिलता है। उन राज्यों की आर्थिक स्थिति तब ठीक होगी। मैं आशा करता हूं कि रायल्टी के दरों में सुधार किया जाएगा और राज्यों के प्रति न्याय किया जाएगा। जो मैंने सुझाव दिये हैं इनको एक नए संशोधन विधेयक के रूप में अगले सत्र में आप लाएं, यह मेरा आप से अनुरोध है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय रायल्टी के बारे में चार साल के समय को घटा कर जो 3 साल रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि रायल्टी का जो शेयर है स्टेट्स को नहीं मिलना चाहिए, और 3 साल जो रखे हैं तो इस पिरियड के अन्दर ही रायल्टी तय कर के जो भी शेयर स्टेट्स का बनता है वह मिल जाना चाहिए।

जैसलमेर के अन्दर तेल की खुदाई के लिए···

श्री पी० शिव शंकर : अभी तो आपके पास तेल निकला नहीं है और रायल्टी की बात कर रहे हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : खुदाई का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। गोटार के अन्दर तेल का जो कूआ खोदा गया उसमें एक साल लगा। यह रफ्तार बहुत धीमी है। जब पाकिस्तान के सुई और मारी स्थानों में गैस और पैट्रोल बड़ी तादाद में निकल रहा है तो इस बात की आवश्यकता है कि मशीने 2, 3, 4 बढ़ाई जायें और कार्य तीव्र गति से किया जाए। जहां रोड्ज नहीं हैं, वह

हैलीकोप्टर द्वारा मशीनें भेजकर कार्य किया जाना चाहिए ताकि रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास हो सके।

जब पाकिस्तान में इस तरह के डैजर्ट की खोज कर के तेल, गैस और पैट्रोल निकाल रहा है तो हमारे यहां भी इसकी बहुत ज्यादा सम्भावना है। इसलिए पूरी ताकत और शक्ति लगाकर तेल निकालने की व्यवस्था की जाये। अब दूसरे कंट्रीज में डैजर्ट्स में इस प्रकार की सफलता हुई है तो यहां भी सफलता प्राप्त करने की सम्भावना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर होने वाले वाद-विवाद में मुझे क्या चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं किन्तु इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। 1948 अधिनियम का यह संशोधन जिसके अन्तर्गत स्वामित्व की दर बढ़ाने की अवधि चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने का प्रस्ताव है, बहुत साधारण संशोधन है ताकि राज्यों द्वारा दावा की जाने वाली स्वामित्व की राशि को कुछ शीघ्र तय किया जा सके। अतः यह संशोधन इसी उद्देश्य के लिए है। जहां तक धारा 10 के अन्य संशोधन का सम्बन्ध है वह इसलिए किया जा रहा है ताकि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की यह सिफारिश कि सभी नियम आदि सभा पटल पर रखे जायें, क्रियान्वित हो सके। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2

धारा 6क का संशोधन

श्री मोती भाई आर० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,—

'2. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियन, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6क की उपधारा (4) के परन्तुक में

खण्ड (ख) में, "चार वर्ष की किसी कालावधि" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।' (1)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 2 के संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव रखेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री पी० शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर आते हैं।

अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेंगे। निस्संदेह डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अधिक समय लेंगे। अन्य माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। मंत्री के उत्तर सहित इस चर्चा को हमें आज समाप्त कर लेना है। यहां उपस्थित सभी सदस्य सभा में ही बने रहेंगे।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : यह कैद करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : रात के भोजन का प्रबन्ध कर दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसकी घोषणा मत कीजिए; सीधे भोजनकक्ष की ओर चलिए।

राज्य सभा से संदेश—जारी

महासचिव : श्रीमन् मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(i) "राज्य सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 1983 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1983 को पारित किए गए बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1983 को अपनी बैठक में पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1983 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1983 को सभा पटल पर रखता हूं।

पशुओं की चर्बी के आयात के बारे में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, वाणिज्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह

द्वारा 15 नवम्बर, 1983 को दिए गए वक्तव्य पर मैं चर्चा प्रारम्भ करता हूं। वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं यहां उपस्थित हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस वाद-विवाद के दौरान हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर कौन देगा?

श्री पी० ए० संगमा : मंत्री उत्तर देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बहुत अच्छा, मुझे इस पर आपत्ति उठानी चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने कमरे से आपकी आवाज सुन सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कक्ष के लिए कोई कमरा कोई स्थान स्था नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरी आपत्ति यह है कि चर्चा को बहुत देर से रखा गया है और इस कारण जनता हमारे दृष्टिकोण से पूरी तरह अवगत नहीं हो पाएगी। निस्संदेह उनका दृष्टिकोण तो उत्तरी भारत में चुनाव शुरू होने से पहले ही कल सवेरे 8 बजे आकाशवाणी से प्रसारित कर दिया जायेगा। वे इस चर्चा का चालाकी से इस प्रकार प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में विपक्ष का दृष्टिकोण किसी को पता न चले। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास···

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आप पेपर्ज में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए यह डिसकशन प्राप्त कर रहे हैं?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता को असलियत का पता लगना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी आप जानते हैं कि मैं आपका कितना सहायक रहा। पहले विधेयक को मैंने शीघ्र ही पारित कराने में सहायता दी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया आकाशवाणी को निदेश दीजिए कि वह हमारे पूरे भाषण को प्रसारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आकाशवाणी को ऐसा निदेश नहीं दे सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आजकल हमारे देश में मिलावट एक बड़ा व्यापार बन गया है। खाने की चीजों में, दूध में, खाद्य तेलों में, मसालों में, हर चीज में मिलावट है। वास्तव में आजकल मिलावट का बुखार इतना फैल गया है कि संसद में दी जाने वाली सूचनाएं भी मिलावटी हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। किन्तु, अन्य सभी प्रकार की मिलावटों से इस देश की जनता की भावनाओं को इतना आघात नहीं पहुंचता जितना चर्बी की मिलावट से पहुंचा है। मुख्य बात यह

है कि चर्बी की मिलावट से सभी धार्मिक लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह पशु में से निकाली जाती है। वास्तव में चर्बी की मिलावट के विरुद्ध सबसे पहले अकाली नेता श्री हरचन्दसिंह लोगोंवाल ने 21 जून को वक्तव्य दिया था कि गाय की चर्बी की मिलावट करना गाय की हत्या करने के समान ही पाप है। इससे केवल हिन्दू समुदाय ही चिंतित नहीं है वरन् सभी धर्मों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। किन्तु हमारे देश की 85 प्रतीशत जनसंख्या हिन्दू है, इस समुदाय के लोगों का गाय की चर्बी के कारण अत्यधिक चिंतित होना स्वाभाविक है। अत: लोगों को सच्चाई बतायी जानी चाहिए। मिलावट के सम्पूर्ण मामले को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं आज ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे शुद्ध शाकाहारी कहा जा सके।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मिलावट का इतना विशद निरूपण क्यों ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अभी बताता हूं यह सारी स्थिति इतनी भयंकर है कि आज कोई चीज शुद्ध शाकाहारी रह ही नहीं गई है, क्योंकि मिलावट में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसकी हमें जानकारी नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में मैं अहमदाबाद में था वहां मुझे एक बात का पता चला, शायद इस संबंध में संसद में प्रश्न भी उठाया गया है वह यह कि 'पुडिंग पाउडर', में दूध 'डिजर्ट' बनाने में आइसक्रीम, पनीर में, जिसे शाकाहारी लोग शौक से खाते हैं, जानवरों को रेनेट प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा में इस संबंध में उठाए गए प्रश्न संख्या 355 का उत्तर 16 दिसम्बर, 1983 को दिया गया। प्रश्न यह था :

> "क्या यह सच है कि रेनेट 16 दिन के बछड़े की अंतड़ियों से निकला जाता है, और भारत तथा विदेशों में इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है ?"

मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा, मन्त्री महोदय राव वीरेन्द्र सिंह हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं पर मैं मन्त्रीमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण उन सब को इसके लिए जवाबदेह समझता हूं। उत्तर क्या है ? उत्तर में कहा गया है 16 से 30 दिन के बछड़े को काटा जाता है और उसके आमाशय को निकालकर उसको पाउडर में परिवर्तित किया जाता है और उसका देश में आयात किया जाता है। उन्होने स्वयं यह स्वीकार किया है कि पशु 'रेनेट' भारत में बनाया नहीं जाता। 'ओपन जनरल लाइसेंस के आधार पर इसका आयात किया जा रहा है' यह उत्तर उन्होने स्वयं दिया है और फिर आगे उन्होंने यह भी कहा है कि 'रेनेट का प्रयोग मुख्यत: विभिन्न किस्मों के पनीर बनाने में किया जाता है" इसके अतिरिक्त 'पुडिंग पाऊडर' बनाने में, दूध से मीठे पकवान बनाने, आदि में भी किया जाता है। 16 दिसम्बर, 1983 को तरांकित प्रश्न संख्या 355 का यह उत्तर दिया गया था। इस पर भी सरकार कह रही है कि हमने सभी तरह की चर्बी का आयात बंद कर दिया है। लोग इस बारे में चिन्तित हैं पशुओं के रेनेट के संबध में मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ हम इसका प्रयोग कर रहे है। 30 दिन के बछड़े को काटना कितना निमर्म कृत्य है। मुझे यह सुनकर और भी हैरानी हुई है कि गुजरात में, जो महात्मा गांधी और दयानन्द सरस्वती की जन्मभूमि है वहां पर 'अमूल चीज' बनाने वाले द्वारा भी पनीर के निर्माण में गाय का रेनेट इस्तेमाल

किया जा रहा है (**व्यवधान**) हम सब जानते हैं कि 'यह कितना उत्प्रेरक है। चाहे वह 'जिलेटिन' हो अथवा गाय का रेनेट हो—यह सब गौमांस उत्पाद है। 'जिलेटिन' का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में जैली बनाने में किया जाता है। अतः जब हम मिलावट की बात करते हैं तो हम केवल चर्बी को ही नहीं लेते—सरकार तो लोगों का ध्यान चर्बी तक ही सीमित रखना चाहती है, क्योंकि इस मामले में वह पकड़ी गई हैं लेकिन मिलावट के अन्य मामले भी हैं जिससे जनता अनभिज्ञ है और जिसके लिए सरकार जवाब देह है और सरकार द्वारा दिया गया उत्तर रिकार्ड में है।

इस विवाद में एक पहलू छूट गया है और वह है राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास जिसका यहां स्पष्ट प्रदर्शन हुआ है। हाल ही में मुझे जैन समुदाय के कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि अधिक सदमा उन्हें इस बात से हुआ है कि ऐसी मिलावट हमारे जैन समुदाय के ही एक व्यक्ति द्वारा की गई है। जैन लोग पक्के शाकाहारी होते हैं और उनके अपने समुदाय के एक व्यक्ति ने यह घिनौना कार्य किया। भटिण्डा में श्री मित्तल उनका नाम है श्री द्वारका दास ने गाय की चर्बी का इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने में किया है। अतः ऐसे हिन्दू भी हैं जो इन धार्मिक धारणाओं के होते हुए भी सब कुछ जानते देखते हैं ऐसा करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। अतः इससे स्पष्ट पता चलता है कि राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास हो रहा है और इसी की हमें चिन्ता होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं ऊंगली किस तरफ उठाऊं। वास्तव में श्री पांडेय द्वारा जिनका निर्वाचन क्षेत्र बस्ती है, यह मामला सबसे पहले अल्प सूचना प्रश्न के रूप में उठाया गया और श्री वी० पी० सिंह ने जनता पार्टी की निन्दा करने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हुए कहा कि जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? मैं वास्तविक तथ्य की जांच करना चाहता हूं। महोदय आप जानते होंगे कि मंत्री महोदय ने जनता सरकार के विरुद्ध प्रचार करके वास्तव म देश को गुमराह करने की कोशिश की है निःसन्देह मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो यह कहूंगा कि हम लोग देवता हैं। मुझे हाल ही में एक फोटो दिखाया गया जिससे भटिंडा स्थित रसायन और वनस्पति कारखाने की आधार शिला श्री हिताभिलाशी, जोकि इस समय पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रख रहे हैं और यह फोटो एक दो दिन में 'प्रोन' पत्रिका में छपने वाली है और आप इसे देख सकते हैं श्री हिताभिलाशी जनता पार्टी के शासन के दौरान उद्योग मंत्री थे लेकिन भटिंडा रसायन और वनस्पति कारखाने का वनस्पति संगटक अनधिकृत है अतः मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि किस प्रकार मंत्री महोदय एक ऐसे कारखाने की आधारशिला रखने गए जो शुरू से ही अनधिकृत था। खैर, जैसाकि मैंने कहा कि हम भी फरिश्ते नहीं हैं लेकिन हम गलती करते पकड़े नहीं गए हैं।

कल, श्री सतीश अग्रवाल ने एयर इण्डिया द्वारा 'बीफस्टिक' परोसे जाने का सवाल उठाया था। ऐसा क्यों किया जाता है। क्या साऊदी अरब के लोग उड़ानों में सासेजिज (सूअर का मांस) परोसते हैं? नहीं, और न ही इसके कारण उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हानि होती है। इजरायल एयर लाइन भी सूअर का मांस, अथवा जिसे कि वह 'नान कोयर' कहते हैं, नहीं परोसते। फिर एयर इण्डिया के लिए गौ मांस परोसना क्यों आवश्यक है? जाँच करने पर मुझे पता चला कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भी विमानों में गोमांस (बीफ) परोसा जाता था। हवाई कर्मी दल के लोगों ने बताया कि कुछ मंत्री, जिन्होंने बाद में इस कारण धरना भी दिया, विमानों में उसे बहुत

चाव से खाते थे और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगाता था। मुझे केबिन कर्मीदल ने मंत्री का नाम नहीं बताया अन्यथा मैं आपको बता देता। वह कई बार इन उड़ानों पर जाते थे (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे विचार में इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह अपनी मर्जी से कर रहा हूं लेकिन ये आपको सचेत करने के लिए है फिर प्रक्षेपणास्त्र आ रहे हैं (**व्यवधान**) लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। किसने किया इसकी परवाह नहीं है ? पर सच्चाई क्या है और क्या इसे रोका गया है अथवा नहीं ? जैसाकि सरकार ने कहा है उनके अनुसार मामले की रूपरेखा यह है :

अप्रैल 1978 में ओपन जनरल लाइसेंस संख्या 3/78 जारी किया गया जिसके द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को उन मदों कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए अनुमति दी गई जो आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट 3, 5, 6, 7, 8, 9 के अंतर्गत निषिद्धि,'प्रतिबंधित और सरणीबद्ध मदों की सूची के अंतर्गत नहीं आते थे। बकरे की चर्बी के अतिरिक्त किसी और पशु की चर्बी इन सूचियों में नहीं थी इसलिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा ओ० जी० एल० के अंतर्गत इसका आयात किया जा सका।

यह उत्तर सरकार ने दिया है अन्य शब्दों में सरकार का कथन निम्नलिखित है :

जनता सरकार की 3 अप्रैल, 1978 की नीति के कारण गाय की चर्बी ओ० जी० एल० के अंतर्गत आयात की जाने लगी। इससे पहले केवल बकरे की चर्बी का आयात किया जा रहा था और वह भी सरकार राज्य व्यापार निगम के जरिए आयात करती थी। लेकिन जून, 1981 में सरकार ने सभी प्रकार की चर्बी को राज्य व्यापार निगम के अंतर्गत कर दिया और इस प्रकार जितनी भी गाय की चर्बी आई वह 1978 और 1981 के बीच आई (यही प्रचार वे कर रहे हैं) कितनी गाय की चर्बी आई इस प्रश्न पर वह चुप हैं और उसका यह कहना है।

कोई यह जानना चाहता था—अतारांकित प्रश्न 1711 जिसका उत्तर लोक सभा में 2 दिसम्बर, 1983 को दिया गया। प्रश्न था कि क्या गाय की चर्बी का आयात किया गया और कितनी मात्रा में ? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर दिया—कि गाय की चर्बी के आयात के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

यह झूठ है और सरासर गलत है। वास्तव में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किस प्रकार उनके मंत्रालय में ये आंकड़े रखे जाते हैं। खैर, तर्क यह है कि उन्हें स्वयं यह मालूम नहीं कि कितनी मात्रा में गाय की चर्बी का आयात किया गया लेकिन वह सब 1978 और 1981 के बीच आयात की गई और उसके बाद वह यह नया विनियम लाए और सभी प्रकार की चर्बी राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मंगाई गई और इस प्रकार गाय की चर्बी के आयात का प्रश्न ही नहीं उठता। अब निःसंदेह अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए सभी किस्म की चर्बी के आयात पर 1 अक्तूबर, 1983 से प्रतिबंध लगा दिया गया है अतः अब इसके आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब मैं सरकार के कथन का खण्डन चरणबद्ध रूप में करूंगा—पहले आंकड़ों को ही लीजिए यह कहना सरासर झूठ है कि गाय की चर्बी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र स्तर—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण, जिसे हमने संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के नाम से स्वीकार किया है, उसमें चर्बी को 411.3 कोड नम्बर दिया गया। यह एक प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न यह था कि क्या गाय की चर्बी अमुक कोड संख्या के अन्तर्गत आयात की जा रही है? मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। इस कोड के अंतर्गत एक उप-श्रेणी 411.3209 है जोकि विशिष्ट रूप से गाय की चर्बी के सम्बन्ध में है। उत्तर न देने से यह स्पष्ट है कि यह गाय की चर्बी है अथवा गोजातीय पशु की चर्बी है। आप शब्दकोष में देखें। इसका मतलब गायों और भैंसो से है। अतः यह चर्बी है। इसका पृथक वर्गीकरण किया गया है और कई स्थानों पर आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन सरकार इसे बता नहीं रही है। सरकार इसे प्रकट नहीं कर रही है। किन्तु यदि आप महा निदेशक, वाणिज्यिक आसूचना (सांख्यिकी) जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, के मासिक बुलेटिन को देखें, यह प्रकाशन आपको संसद में सुलभ है अथवा आप 'कामर्स' जैसी पत्रिकाओं को देखें तो देखेंगे कि, उनमें देश में आयात की जा रही गाय की चर्बी की मात्रा दी हुई है। और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनियमों के प्रभावी हो जाने के बाद 1981 से लगभग तीन बार गाय की चर्बी आयात की गई थी। वास्तव में, कुल चर्बी 4 लाख टन थी जिसमें से 2 लाख टन चर्बी निजी कम्पनियों द्वारा, इस विनियम के होते हुए भी कि वे चर्बी का आयात नहीं कर सकते हैं, आयात की गई थी। अतः यह कहना कि "हमने अपने समय में ऐसा नहीं किया; ऐसा नहीं हुआ" गलत है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : दो लाख क्या? टन?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धन्यवाद, 2 लाख टन। समय की सीमा के कारण मैं हड़बड़ी में कभी-कभी कोई शब्द छोड़ जाता हूं।

मैं यह नहीं कहता कि जनता शासन के दौरान चर्बी का आयात नहीं हुआ। जनता शासन के दौरान गाय की चर्बी का आयात हुआ था लेकिन इनके मुकाबले कितनी मात्रा में? इसका ब्यौरा देता हूं। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने 28 अक्तूबर, 1983 में एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा: मांस और गाय की चर्बी के आयात पर पूरा प्रतिबंध लगाना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। चर्बी का आयात करना कोई गलत नहीं है यदि उसकी आवश्यकता कुछ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पड़ती है। प्रश्न यह है कि जनता शासन के दौरान वास्तव में क्या हमने निजी कम्पनियों को उपभोग के उद्देश्यों के लिए चर्बी आयात करने का अबाध पूर्णाधिकार-पत्र दिया था। यही प्रश्न था। चर्बी का आयात किया गया था। चर्बी का प्रयोग ग्रीज और साबुन आदि के लिए किया गया था। क्या शुद्ध वनस्पति या अन्य उपभोक्ता संगठनों को 'ओ० जी० एल०' के अंतर्गत अनुमति दी गई थी? मंत्री महोदय आज देश भर में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि चर्बी के आयात की अनुमति जनता शासन के दौरान दी गई थी। यह सही नहीं है। मैं उस दस्तावेज को पढ़ूंगा, जिसको उन्होंने उद्धृत किया

है। इसके लिए मैं दंडवते —श्री दंडवते को नहीं, श्रीमती दंडवते को बधाई देता हूं, जिन्होंने खोज-बीन कर इसको ढूंढ़ निकाला। वास्तव में, अनुबन्ध-IV में पूर्ण प्रतिबन्ध सूची है। उसमें एक मद "96" है। मैं इसको बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ूंगा। "कोई भी उपभोक्ता वस्तु" इसका अर्थ है वनस्पति भी इसमें शामिल है —"कोई भी उपभोक्ता वस्तु" चाहे वह कैसे ही वर्णित है, औद्योगिक, कृषिगत या पशु मूल की किसी ऐसी वस्तु का जिसका अनुबन्ध 5 और 8 में अलग-अलग वर्णन नहीं है इसका अर्थ है, 'ओ० जी० एल०' और अन्यथा सरणीबद्ध किया गया माल अथवा ओ० जी० एल० के अधीन आयात के लिए विशेष रूप से अनुमत वस्तु पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।" इसीलिए, जनता शासन के दौरान उपभोग के उद्देश्यों के लिए चर्बी के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध था। यह बात धूप की तरह स्पष्ट है। यदि आप चाहें, तो मैं इसे सभा पटल पर भी रख दूंगा किन्तु यह ग्रन्थालय में भी उपलब्ध है। यह कहना सरासर गलत है कि हमने इसकी अनुमति दी थी। निश्चित रूप से हमने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए चर्बी के आयात की अनुमति दी थी। किन्तु मैं कहूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जनता शासन के दौरान औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आयात की गई चर्बी की बाद में खाद्य वस्तुओं में मिलावट की गई हो? क्या यह सम्भव है? इसका उत्तर है: 'नहीं', क्यों? क्योंकि चर्बी का मूल्य इसकी अनुमति नहीं देता। जनता शासन के दौरान 1 कि० ग्रा० चर्बी का बाजार मूल्य 10-11 रु० था। जबकि वनस्पति का मूल्य 9 रुपए प्रति कि० ग्रा० था और खाद्य तेल का मूल्य 7 रुपए प्रति कि० ग्रा० था। वह भारत का स्वर्ण-काल था। मूल्य बहुत कम थे। इस बात को हर एक व्यक्ति जानता है। कोई भी 10-11 रु० प्रति कि० ग्रा० के भाव से चर्बी खरीदकर उसे वनस्पति में मिलाकर या खाद्य तेल में मिलाकर, जो क्रमशः 9 और 7 रुपए प्रति कि० ग्रा० थे, क्यों बेचेगा? चर्बी के मूल्य को देखते हुए यह बिल्कुल भी सटीक नहीं लगता। अतः हम पूरी स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि जनता शासन के दौरान चर्बी की मिलावट करना बिल्कुल सम्भव नहीं था और यदि कांग्रेस (इ) के कुछ धोखेबाज व्यापारी, जो अर्थव्यवस्था को जरा भी नहीं समझते, मिलावट करना चाहते तो भी सम्भव नहीं था। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है। किन्तु जनता शासन के दौरान वनस्पति या खाद्य तेल में चर्बी की मिलावट करना तनिक भी सम्भव नहीं था क्योंकि खाद्य तेलों और वनस्पति के मूल्य की तुलना में चर्बी का मूल्य अधिक था।

अतः वास्तव में, सारे तथ्यों को देखते हुए मैं कहूंगा कि जनता शासन के दौरान चर्बी की मिलावट करना सम्भव नहीं था। जनता शासन से पहले और बाद में ही ऐसी स्थिति पैदा हुई कि चर्बी को इन खाद्य वस्तुओं में मिलाना लाभदायक हो गया। यह केवल दो-ढ़ाई वर्ष के जनता शासन के स्वर्ण-काल—जो फिर दुबारा से आने वाला है—में ही सम्भव था कि उस समय किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार दोहरा रहे हैं कि स्वर्ण-युग था।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : सोना बहुत महंगा है।

एक माननीय सदस्य : वह चाहते हैं कि सभा इस पर हंसे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि आपकी बात में सच्चाई नहीं है, अतः आप इस पर हंसिए। आपके पास मेरी इस बात का कोई उत्तर नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : क्या इसी कारण से आपने सोना बेचा था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर से, उन्हें इस बारे में भी गलत जानकारी है। आर्थिक सर्वेक्षणों को देखिए। जब हम सत्ता में आए थे तब 220 टन सोना था और जब हम सत्ता से गए तब 260 टन सोना था। तस्करों से जो सोना हमें प्राप्त हुआ था, उसी की नीलामी हमने की थी। मैं आशा करता हूं, कि जब तस्करों का सोना नीलाम किया जा रहा था तब उन्हें बुरा नहीं लगा होगा।

अब मैं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय, कलकत्ता के मासिक सरकारी प्रकाशनों पर आता हूं। ये क्या कहते हैं? 1979-80 में 1233 मैट्रिक टन गाय की चर्बी, सामान्य चर्बी नहीं, का आयात किया गया था। इससे पहले के समय के भी मेरे पास आंकड़े हैं। किन्तु मैं अपनी बात 1979-80 से ही शुरू करूंगा। क्योंकि जैसा कि उद्धृत किया गया है यही प्रिय वर्ष है। 1980-81 में 3468 मैट्रिक टन चर्बी का आयात किया गया था। मैं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के बुलेटिन के संलग्नक तारांकित प्रश्न 355 से आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। 1981-82 में 12,000 टन चर्बी का आयात किया गया था। अप्रैल 1981 से अगस्त 1983 तक 3.83 लाख टन चर्बी का आयात किया गया था जिसमें से 2 लाख टन चर्बी यानी गाय की चर्बी निजी रूप से आयात की गई थी। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, जिसकी जांच-पड़ताल मैंने की है। मैं यहां आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य के दूतावासों में गया। मेरे मित्र स्वीकार करेंगे कि मैं संयुक्त राज्य के दूतावास से सम्पर्क साध सका…

एक माननीय सदस्य : सी० आई० ए०

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक गम्भीर बात है। यदि वह इसे लिखित रूप में दे दें, तो मैं उन पर 350 मिलियन डालर का मुकदमा चलाऊँगा।

अब, मंत्री महोदय आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि हम कितनी चर्बी का आयात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य और आस्ट्रेलिया चर्बी के मुख्य उत्पादक हैं। मैंने उनसे पूछा, "क्या आप भारत को चर्बी निर्यात करते हैं? उन्होंने कहा, जी हां, "तब मैंने पूछा," क्या आप केवल भेड़-बकरे की चर्बी का निर्यात करते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने दावा किया कि राज्य व्यापार निगम केवल भेड़-बकरे की चर्बी का आयात करता है?" उन्होंने उत्तर दिया, "जी नहीं, भेड़-बकरे की चर्बी तो हमारे पास बहुत कम होती है। 99.9 प्रतिशत चर्बी तो गाय की चर्बी ही होती है। राज्य व्यापार निगम के अधिकारी हमारे पास आए और कहा कि भारत में एक समस्या है; भारत में लोग गाय की चर्बी को पसंद नहीं करते हैं, क्यों न हम यह प्रमाणित कर दें कि हम भेड़-बकरे की चर्बी का निर्यात कर रहे हैं?"

अतः इस देश में गाय की चर्बी भेड़-बकरे की चर्बी के नाम से आई। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं और चुनौती देता हूं, "क्या आपके पास चर्बी का भारतीय मानक संस्था का स्वीकृत

नमूने हैं ?" नहीं, आपके पास नहीं है। तब आप कैसे कह सकते हैं कि भेड़-बकरे की चर्बी का ही आयात किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पास स्वीकृत नमूने हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपकी उत्तर देने की बारी होगी। यह कौन प्रमाणित करेगा कि बंदरगाह पर उतरी हुई चर्बी भेड़-बकरे की चर्बी है ? यह सबकी सब गाय की चर्बी है। मैं कहूंगा कि 99.9 प्रतिशत गाय की चर्बी है। किन्तु वर्गीकरण के लिए, उन्होंने उसे भेड़-बकरे की चर्बी बना दिया है।

केवल मैं ही यही बात नहीं कह रहा हूं। तीन सप्ताह पहले के 'दि इकॉनामिस्ट' में गाय की चर्बी पर एक लेख प्रकाशित हुआ था कि भारतीय आडम्बरी हैं, वे इस बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं और इसीलिए राज्य व्यापार निगम के अधिकारी विदेशी बाजारों में जाकर कहते हैं, कृपया वर्गीकृत कीजिए कि यह भेड़-बकरे की चर्बी है। भेड़-बकरे की चर्बी गाय की चर्बी की तुलना में अधिक महंगी है।

अ : दूसरे शब्दों में, राज्य व्यापार निगम के अधिकारी यह दिखा रहे हैं कि वे चर्बी के लिए अधिक मूल्य दे रहे हैं किन्तु वास्तव में, वे गाय की चर्बी खरीद रहे हैं जिसका अर्थ है कि किसी को इसमें लाभ हो रहा है और इस लाभ में कोई हिस्सेदार भी है। वास्तव में यही हो रहा है। इसीलिए, मंत्री महोदय, क्या मैं आपके मामले की दलील पेश कर रहा हूं या मैं आप पर क्षेपास्त्र छोड़ रहा हूं ? जब मैं यहां था तो शुरू में आप काफी प्रसन्न थे। किन्तु यह मेरी गुरिल्ला रणनीति है। मैं पहले गोली इस तरफ चलाता हूं तब उस तरफ गोली चलाता हूं। मैं 'चेयरमेन माओ' का महान प्रशंसक हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किन्तु अन्ततः आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा चलाई गई गोलियां बेकार सिद्ध हुईं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ओह ! बारूद भी मिलावटी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी वह देते हैं, गलत जानकारी होती है। यह उनका कहना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सोचता था कि आप मेरे मित्र हैं। इसीलिए जब आप भेड़-बकरे की चर्बी कहते हैं तो यह 99 प्रतिशत गाय की चर्बी होती है और कोई विदेशों में भेड़-बकरे की चर्बी अधिक मूल्य पर खरीदने में लाखों-लाख रुपए बना रहा है क्योंकि वास्तव में गाय की चर्बी खरीदी जा रही है और यह षड़यन्त्र चल रहा है। मैं एक मोटा अनुमान लगाता हूं। पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार से 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह 12 करोड़ रुपए किसे प्राप्त हुए ? मंत्री महोदय पहले ही एक वास्तविक और सही जांच कर चुके हैं। इस बात पर लीपा-पोती करने का कोई लाभ नहीं वह कभी नहीं जानेंगे। यह मुख्य बात है। और वास्तव में वह ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य से इस बात की जांच-पड़ताल कर सकते है। मैं जानता हूं कि भेड़-बकरे की चर्बी

वहां मुश्किल से मिलती है। गौमांस में चर्बी अधिक होती है। उदाहरणार्थ, आप श्री मधु दंडवते की तुलना में श्री सोमनाथ चटर्जी में अधिक चर्बी पाएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यदि आप मुझे उबालेंगे, तो आपको जरा सी भी चर्बी नहीं मिलेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शुद्ध वनस्पति वालों की शरारत देखिए। यह कैसे सम्भव हुआ कि शुद्ध जैन वनस्पति को 5 जून, 1981 के बाद भी सीधे चर्बी का आयात करने दिया गया ? यही प्रश्न है क्योंकि 5 जून 1981 के आदेश के अनुसार सभी किस्म की चर्बी का आयात सरणीबद्ध कर दिया गया था फिर वे कैसे आयात कर पाए ? क्या कमी थी ? इन कमियों को बताने का किस अधिकारी ने षड़यन्त्र किया था ? मुझे मालूम हुआ कि शुद्ध वनस्पति वालों ने यह लइसेंस हीरे निर्यात के लाइसेंस के बदले में 'आर० इ० पी० लाइसेंस' के रूप में प्राप्त किया। हीरों का निर्यात करने वाले कौन लोग हैं ? वह क्यों हीरो का निर्यात कर रहे हैं ? उन्होंने चर्बी का आयात क्यों किया था ? राज्यसभा में मेरे सहकर्मी जनता पार्टी के श्री आर० आर० मोरारका ने वित्त मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था। चर्बी की बात कैसे उठी थी ? सीमाशुल्क वालों ने बम्बई में शुद्ध वनस्पति वालों का माल पकड़ा था। उनका कहना था कि "आप इसका आयात कर रहे हैं यह अवैध है।" हुआ यह कि उन्होंने 1,09 करोड़ रुपये का जुर्माना कर माल उन्हें ले जाने दिया। यह बड़ी विचित्र बात है। गाय की चर्बी पर रोक लगी हुई है और उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीमाशुल्क वाले उन्हे पकड़ते हैं। फिर कोई टेलीफोन आ गया होगा। मैं यह तो नहीं जानता कि यह किस स्तर पर आया था आया श्री जनार्दन पुजारी ने किया हो या सचिव ने अथवा संयुक्त सचिव ने या श्री प्रणव मुखर्जी ने या श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह महोदय ने, जो कि अन्यथा तो बहुत अच्छे मन्त्री हैं, वह बड़े ही सहयोग करने वाले हैं और हमारी बड़ी सहायता करते हैं, परन्तु हो सकता है उन पर कोई दबाव पड़ा हो। कुछ भी हो, हमें यह पता नहीं है कि उनका दल कैसे कार्य करता है। मैं तो नहीं जानता हूं और कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। परन्तु कोई टेलीफोन आया था।

एक माननीय सदस्य : स्थानीय सांसद से।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किसी स्थानीय संसद सदस्य से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे अवसर पर उनका दूरभाष काम नहीं करता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है। उन्होंने उन्हें माल ले जाने कैसे दिया था ? मैंने कहा था कि 1.09 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया था। उन्होंने जुर्माना भरा और उसे ले जाकर मिलावट करने वाले के पास बेच दिया। उन्होंने कितना मुनाफा कमाया ? उन्होंने उस माल से 11 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। 1.09 करोड़ रुपये का जुर्माना भरकर 11 करोड़ रुपए का लाभ कमाया और श्री आर० आर० मोरारका ने प्रणव मुखर्जी महोदय को एक पत्र लिखा "कृपया यह स्पष्ट कीजिए कि जब आपके सीमाशुल्क वालों ने उस माल को पकड़ा था तो उसे छोड़ कैसे दिया गया ?

इसको वापिस निर्यात क्यों नहीं किया ? जुर्माना भरकर के, क्या आपको पता है कि उन्होंने जुर्माने से दस गुना अधिक लाभ कमाया था ? श्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि सारा मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है क्योंकि उन्होंने अपील कर रखी है। क्या मैं जो कुछ जानना चाहता हूं उसका यही उत्तर है ? यही तो रहस्य है।

अब मैं आपको एक और रोचक बात बताऊंगा। श्री पी० ए० संगमा ने दिनांक 16 दिसम्बर, 1983 को अतारांकित प्रश्न 4169 का उत्तर दिया था। प्रश्न तीन बहुत ही अच्छे लोगों ने डाला था, यथा प्रो० अजित कुमार मेहता, श्रीमती किशोरी सिन्हा और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। प्रश्न यह है :

> "क्या यह सच है कि मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड ने हाल ही में औद्योगिक सोयाबीन तेल के नाम पर 12,000 टन सोयाबीन तेल का आयात किया था ?"

उत्तर यह है :

> "चाहे खाने का हो अथवा अन्य सोयाबीन तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया है··· ।"

यह उत्तर है कि कोई भी प्रायवेट कम्पनी आयात नहीं कर सकती है।

> "हाल ही में मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड ने हाल ही में लगभग 4,446 मी. टन माल का आयात कलकत्ता बन्दरगाह से औद्योगिक चिकनाई रहित सोयाबीन (तेल गैर-खाद्य) के रूप में किया।"

> "अब यह मामला सीमा शुल्क कलक्टर, कलकत्ता के आदेश के पुनरीक्षण हेतु की गई अपील को लेकर न्यायाधीकरण के समक्ष विचाराधीन है।"

उन्हें यह सब कैसे प्राप्त हुआ। लगता है उनके अच्छे सम्पर्क हैं। और यह कोई बहुत पहले की बात नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तो प्रायः बिना तैयारी के भाषण किया करते हैं; परन्तु आज तो वे अपना भाषण पढ़कर सुना रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे किसने लिखा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बिना तैयारी के भाषण देने के लिए, मेरे लिए तो आप भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

चूंकि यह मिलावट रहित भाषण है इसीलिए उन्हें इससे कष्ट हो रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, आपका समय पूरा हो गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं लगभग समाप्त ही कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक घड़ी बन्द हो जाएगी और मुझे कोई समस्या नहीं होगी।

केवल यही बात नहीं है। जैन शुद्ध वनस्पति की शक्ति तो देखिए। उन्होंने स्पस्टरूप से गाय की चर्बी के आयात का, विदेश में बैठे निर्यातक को विदेशं मुद्रा में भुगतान करने के विशिष्ट उद्देश्यार्थ एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक प्रत्यय-पत्र के माध्यम से खाता खोला और यह अभी हाल ही, 5 जून, 1981 की ही बात है। वे प्रत्यय-पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह प्रश्न कांग्रेस (इ) के सदस्य श्री गुलशेर अहमद ने पूछा था और इस अतारांकित प्रश्न सं० 3943 का उत्तर 16 दिसम्बर, 1983 को दिया गया था। प्रश्न वित्त मन्त्री महोदय से पूछा गया है :

> "क्या जैन शुद्ध वनस्पति लि० के मामले में, न्यू बैंक आफ इण्डिया के पक्ष में, पंजाब नेशनल बैंक न गारन्टी या जमानत दी थी जिसके आधार पर कथित कम्पनी ने गाय की चर्बी आदि का आयात किया था और क्या यह गारंटी असाधारण एवं अपूर्व ढंग से जारी की गई थी ?"

यह स्वयं उनके दल के व्यक्ति द्वारा पूछा गया प्रश्न है। उत्तर बड़ा ही मनोरंजक और विचित्र है। श्री जनार्दन पुजारी यहां पर नही हैं। उत्तर इस प्रकार है :

> "राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होने वाली सविधियों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में परम्परागतरूप से व्याप्त प्रथाओं और चलन के अनुसार किसी प्रतिष्ठान से सम्बद्ध सूचना या कार्यकलापों को प्रकट नहीं किया जा सकता है ···।"

क्यों नहीं ? गाय की चर्बी के आयात हेतु स्पष्टरूप से विदेशी मुद्रा के लिए प्रत्यय-पत्र दिया गया है। उसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया जाना चाहिए ? हमें देश के राजकोष का अभिरक्षक समझा जाता है और वह राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कोई निजी बैंक नहीं हैं।

मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे बहुत सी जांच करते रहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि गाय की चर्बी की मिलावट के लिए आपका जांच-उपकरण क्या है और आपकी जांच सुविधाएं क्या हैं। राजेन्द्र प्लेस में मुझे बताया गया था कि वे एक दिन में एक नमूने से अधिक की जांच नहीं कर सकते हैं। यह प्रणाली बहुत कमजोर हैं। आप जांच कैसे कर सकते हैं, जबकि 45% वनस्पति खुला बेचा जाता है ? संतोग से, सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के वनस्पति निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है कि पांच किलोग्राम से कम वजन के वनस्पति के डब्बों का उत्पादन वनस्पति फैक्टरियों में 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि 10 प्रतिशत खुले वनस्पति का उत्पादन होना चाहिए। क्यों ? हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। इससे फिर से मिलावट को आमन्त्रित किया जा रहा है।

मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि 1969 में तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री डी० आर० चव्हाण ने, न कि श्री वाई० बी० चव्हाण ने कहा था जिसको मैं उद्धृत कर

रहा हूं। यह 28 मार्च, 1969 के लोकसभा वाद-विवाद में दिया गया है और साबुनों के बारे में है, जिसमें कहा गया है :

> "मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ बताता हूं कि एक टन कपड़े धोने के साबुन में 0.37 टन चर्बी मिलाई जाती है और एक टन नहाने के साबुन में 0.52 टन चर्बी। यह अनुपात है। अतः, महानिदेशक को पता है कि आवंटन कितना-कितना किया गया है। इस सूत्र को लागू करके वह जान पड़ेगा कि चर्बी के आवंटन के अनुपात में साबुन का उत्पादन हुआ है या नहीं।"

मैंने भी वही हिसाब लगाया कि साबुन के लिए कितनी चर्बी चाहिए, कपड़े धोने के साबुन के लिए कितनी, मोमबत्तियों के लिए कितनी, लिपस्टिक के लिए कितनी आदि और इस अनुपात का प्रयोग करते हुए मैंने चर्बी की आवश्यकता का आकलन किया। उचित औद्योगिक प्रयोजन के लिए कितनी चर्बी की आवश्यकता होगी? ···(**व्यवधान**) जी हां, ग्रीस को और अन्य सभी को मिलाकर। और फिर मैंने आयातित चर्बी के मूल्य को भी देखा और मैंने उसे घटाया। यदि चर्बी का उपयोग वैध औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जा रहा था तो तब तो चर्बी की मात्रा—क्योंकि मैं साबुन उत्पादन को जानता हूं—इस प्रकार के अनुपात में प्रयोग करके मैं जानता हूं कि कितनी चर्बी हजम की गई है। मुझे ग्रीस उत्पादन का भी पता है··· (**व्यवधान**) तब कितनी चर्बी का आयात किया जा रहा है? और तब मुझे पता चला कि 1981, 1982 और 1983 में 50,000 टन चर्बी का आयात किया गया था। साबुन आदि के लिए दी गई चर्बी की राशि को घटाकर ही मुझे 50,000 टन के अधिशेष का पता चला। यह 50,000 टन चर्बी कहां गई? क्या यह वनस्पति उद्योग को नहीं गई है? तो फिर कहां चली गई? मैं जानना चाहता हूं कि यह 50,000 टन चर्बी कहां गायब हो गई? यह जरूर मिलावट के काम आई होगी और उसका पता लगाने के लिए उनके पास संवेदनशील उपकरण नहीं है। उन्होंने यहां-वहां से कुछ लोग पकड़ लिए। रांची और पंजाब में कुछ लोग पकड़े गए। परन्तु स्पष्ट बात यह है कि उन व्यवस्थित लोगों के सिवाय जिनके लिए हम पूर्णतः कार्य करें, आमतौर से 45% वनस्पति खुला बेचा जाता है। 50,000 टन गाय की चर्बी मिलावट के काम आई होगी।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि किया क्या जाना है? तथ्य यह बताते हैं कि यह सरकार पूर्णतया बेकार हो गई है। मैंने यह बात क्यों उठाई? यह तो वास्तव में एक पक्षपातपूर्ण बात है। परन्तु मन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश में यह कहते फिरते रहे हैं कि जनता पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। किससे मांगे और क्यों मांगे? जनता पार्टी का ही शासन केवल ऐसा था जिसमें वनस्पति में कोई मिलावट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र ने इसको रोका था। इसका यही अर्थशास्त्र है। आप आर्थिक तर्क का उत्तर दीजिए। इसमें आर्थिक तर्क है। आप अपने सस्ते खाने के तेल और 9 रुपये प्रति किलो के वनस्पति में 10 से 11 रुपये प्रतिकिलो की चर्बी नहीं मिला सकते हैं। यह एक सरल सी बात है कि 50,000 टन बचती है। ये सब आकलन हैं। अतः मैं कहूंगा कि 50,000 टन गायब है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि

हमने इतना आयात किया है। वह कहते हैं कि बकरे की चर्बी है। यह गाय की चर्बी भी है। मैं यह सिद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती दूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक बात है। उन्होंने कहा कि वह अनुपात जानते हैं। वह मात्रा भी जानते हैं। वह हरएक चीज जानते हैं किन्तु वह उस जानकारी को सभा में प्रकट करने के लिए तैयार नहीं हैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रकट कर चुका हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने केवल अनुपात ही बताया है, कुल मात्रा नहीं बताई है।

प्रो० मधु दंडवत (राजापुर) : उन्होने कहा था 50,000 टन।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आयातित चर्बी की कुल मात्रा का पता मैंने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, महानिदेशक से लगाया है। यह आपके मंत्रालय में ही है। साबुन के उत्पादन के लिए 1 मिलियन टन···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : साबुन का उत्पादन कितना है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं···मैं इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं कि धड़ाधड़ आंकड़े बोलता चला जाऊं। किसी भी समय वह मेरे पास आ सकते हैं मैं उनके साथ बैठकर उन्हें सब दिखा दूंगा···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे कह दीजिए कि आपको सूचना दिए जाने की अपेक्षा है।

श्री सत्यनारायण चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : गलत सिद्ध करने का कर्त्तव्य मंत्री महोदय का है। आप यह क्यों नहीं कह देते ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। वह अच्छे आदमी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है। किन्तु वह देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में, कहते फिर रहे हैं कि जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जबकि माफी उनको और उनकी सरकार को मांगनी चाहिए। उन्हीं के जमाने में चर्बी की मिलावट की गई, जनता शासन के दौरान कोई मिलावट नहीं की गई थी।

अत: मैं अन्त में कहूंगा···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : स्पष्टीकरण के लिए जरा एक मिनट रुकिए। वह बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और इसलिए वह जो कहते हैं उसमें काफी वजन होता है। यदि साबुन के लिए 10 लाख टन की आवश्यकता है तो अनुपात 3 लाख टन का, यानी साबुन के लिए 3 लाख टन का आयात हुआ था। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह देश में अधिक उत्पादन के आधार पर है। खैर, ये आंकड़े आप

सभी अवसरों पर देते रहे हैं। इस प्रसंग में मैं यह कहूंगा कि यदि आप यह सारा मामला न्यायिक जांच के लिए सौंप दें—वास्तव में यही मेरी मांग है और सरकार को इस मामले की खुली न्यायिक जांच करवानी चाहिए—तो मैं यह बात सिद्ध कर दूंगा और ऐसे प्रमाण सामने रखूंगा जिनसे यह पता चलेगा कि गाय की चर्बी आयात करने के लिए एक अभियोज्य षड़यंत्र चलता रहा है, पता नहीं, किस स्तर पर (व्यवधान) दूसरी बात—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और पशुगणना के अनुसार भारत में गायों की संख्या में पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कमी आई है। यदि वे सभी पशुओं की चर्बी पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो उन्हें गोवध पर भी पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

उनके अपने आंकड़ों के अनुसार, 1961 में देश में लगभग 37,000 टन चर्बी का उत्पादन हुआ था। हम नहीं जानते यह चर्बी कहां चली गई। उनके उत्तर से हमें इसका पता नहीं चलता। उन्होंने इस बात की खोज-खबर नहीं रखती। उन्हें इसका विकल्प खोजने की दिशा में भी काम करना चाहिए। मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं अतः मैं इसे नहीं जानता। आपको इस सम्बन्ध में भी कार्य करना चाहिए।

मेरी अगली बात यह है कि सरकार को मिलावट की बुराई के खिलाफ आन्दोलन चलाने में उपभोक्ता की भी मदद करनी चाहिए। देश के हित में उन्हें ईमानदारीपूर्वक आगे आकर काम करना चाहिए। यदि वे उन बातों को करने में समर्थ नहीं हैं जो मैंने कही हैं तो भारत की जनता का सम्मान करने के लिए और उसके साथ न्याय करने के लिए उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए और वहां किसी और को आने देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र पांडे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं सरकार को चुनौती देता हूं। सरकार न्यायिक जांच कराने का साहस नहीं करेगी। यदि न्यायिक जांच होती है तो सरकार की कलई खुल जाएगी और वास्तविकता सामने आ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह मांग कर चुके हैं। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। अब, श्री कृष्ण चन्द्र पांडे।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : मान्यवर, मैंने योग्य साथी का भाषण सुना और उनके भाषण में जो 5 मूल प्रश्न थे वह इस प्रकार हैं—अब मिलावट की जा रही है, चीज में भी कुछ मिलावट है, जुडिशिल इनक्वाइरी की भी मांग कर गए और जनता पार्टी क्षमा न मांगे देश की जनता से यह प्रार्थना भी कर गए। आज सदन में वे नेता नहीं हैं जो वोट क्लब पर धरना देने का आह्वान किये थे।...

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : दिल से बोलना, जबान से नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : वोट क्लब पर धरना देने से पहले माननीय वाजपेयी जी ने कभी नहीं सोचा, उन्होंने अपने पुराने किए हुए कारनामों को सोचा ही नहीं कि अमरीका में जाकर के विदेश मंत्री के रूप में क्या खाया और पत्रकारों को उन्होंने क्या जवाब दिया।

एक हमारे देश में भोलेभाले नेता हैं चौधरी चरण सिंह, उनको लोग पकड़ लेते हैं विरोध दल के और कहते हैं कि प्रधान मंत्री की वह बड़ी लम्बी चौड़ी कुर्सी खाली है, चौधरी साहब आप हमारा सहयोग कीजिए, मैं ही उस पार्टी को बल देकर आपको प्रधान मंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठा दूंगा। उस भोलेभाले नेता श्री चरणसिंह को गुमराह किया और उस बुड्ढे को भी ले जाकर वोट क्लब पर 24 घंटे का अनशन करवा दिया।

यह मसला बड़ा ही गम्भीर है। स्वामी जी ने आंकड़ों से रेकार्ड भर दिया, वह बड़े योग्य हैं। 25 अगस्त को जब इस प्रश्न पर यहां बहस हुई, तब भी वाजपेयी जी यहां नहीं थे और आज बहस हो रही है, तब भी वाजपेयी जी यहां नहीं हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस दिन बोले नहीं थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : वाजपेयी जी रहते हैं केवल गंगाजल की पवित्रता को अपवित्र करने के लिए और गंगाजल की शीशी को लेकर देश भर में घूमने में। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री वाजपेयी जी से प्रार्थना है कि भगवान के नाम पर वह गंगाजल की पवित्रता को बरकरार रखें।

हमारे योग्य साथी ने कहा कि चर्बी का आयात कब से शुरू हुआ ? उन्होंने आंकड़े भी दिए। राज्य-सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 18, दिनांक 15 नवम्बर, 1983, जो कि पशुओं की चर्बी के आयात के सिलसिले में पूछा गया था, का मैं हवाला देता हूं, जिसमे यह पूछा गया कि यह आयात कब से शुरू हुआ ? विस्तृत जबाव हमारे योग्य मंत्री जी तो देंगे ही, लेकिन जो कुछ मेरे पास उनका उत्तर इसमें है, वह मैं सुनाना चाहता हूं :—

"3 अप्रैल, 1978 को, खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3178 जारी किया गया जिसमें वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा कच्चे माल तथा संघटकों का आयात किए जाने की अनुमति दी गई बशर्ते कि आयात की जाने वाली मदें आयात नीति, 1978-79 के 3, 5, 6, 7, 8 तथा 9 परिशिष्टों में दर्शाई गई निषिध, प्रतिबंधित एवं सरणीबद्ध मदों की सूचियों मे शामिल न हो। (भेड़ की चर्बी के अतिरिक्त) पशु चर्बी इन सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं थी। अत: उनका आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सका।"

उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे, यह एक अहम प्रश्न है। जब सदन में 25 अगस्त को चर्चा हो रही है तो हमारे भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री पूना से भाषण कर रहे हैं। श्री मोहन धारिया 29 अक्तूबर, 1983 को कह रहे हैं कि जो चर्बी आयात की गई है उसमें कोई गलती नहीं है।

मानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, अनशनकारी नेता, देश को गुमराह करने वाले नेता से मेरी प्रार्थना है कि वह जाकर श्री मोहन धारिया के सामने प्रदर्शन करें, उनसे क्षमा मांगें।

आज चर्चा का विषय है कि मोहन धारिया साहब, जो वाणिज्य मंत्री बने, उन पर किस की कृपा थी ? यह बात प्रो० मधु दंडवते यहां बैठे हुए हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं।

**मान्यवर, श्री मोहन धारिया मंत्री बन गए, वरन् देश-धर्म के नाते वाली वह सरकार और गऊ हमारी माता है, कहने वाली सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। मुझे कार्यवाही वृत्तान्त देखना होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, जो गलत कहें, उसे निकाल दीजिए, लेकिन बात सुन लीजिए।

इस धर्म के नाम की सरकार, गऊ को माता कहने वाली सरकार ने श्री मोहन धारिया को, जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने मंत्रि-मंडल से बर्खास्त किया था, उनको मंत्री बना दिया। शाह कमीशन बैठाया गया, हमारी नेता खुद इंदिरा जी को किस तरह से परेशान किया गया।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : माता जी क्षमा मांगता हूं, चुप करें। देश की जनता जानती है कि उनको कितना परेशान किया गया। जब मोरारजी भाई के लाडले सुपुत्र ने चर्बी मंगानी शुरू कर दी, तो मोरारजी भाई की नींद नहीं खुली। 1977-78 में 62,534 टन और 1978-79 में 33,314 टन चर्बी मंगाई गई। यह चर्बी कहां गई, इसका प्रयोग कहां किया गया, इन लोगों के पास इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। उसे डाल्डा की कम्पनी को दिया गया। मगर ये लोग देश को गुमराह करते रहे।

जब जनता पार्टी के शासन का पर्दाफाश हो गया, तो श्री वाजपेयी जी की नींद खुल गई। वह उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नेता, चौधरी चरण सिंह, को साथ लेकर देश भर में घूमने लगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जान गए हैं कि प्रधान मंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा, बल्कि प्रधान मंत्री बनने की तैयारी खुद वाजपेयी जी कर चुके हैं। मेरे दामन पर कीचड़ उछालने से पहले ये लोग अपने नापाक दामन को देख लें। यह बड़ा गंभीर और अहम् प्रश्न है। इस बारे में देश की जनता को गुमराह करना बड़ा गुनाह होगा।

क्या यह सच नहीं है कि श्री हंसराज गुप्ता, जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैन शुद्ध वनस्पति और अजन्ता ट्यूब कम्पनी के डायरेक्टर हैं? श्री वाजपेयी जी उनसे पूछ लेते कि अनशन करें या नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया और सदन में भी नहीं आए हैं। उनकी जगह पर गोयल साहब तैयारी करके बैठे हैं। देश की वीर और बहादुर जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता है।

1977 में नसबन्दी के प्रश्न पर लोगों को गुमराह करके एक्सिडेंटल पार्टी और एक्सिडेंटल सरकार सत्ता में आ गई थी। फिर उसी सत्ता की भूख से प्रेरित होकर श्री वाजपेयी ने

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी चरण सिंह ने कह दिया कि चुनाव बिल्कुल करीब हैं, सबजेक्ट भी बढ़िया मिल गया है, के० सी० पांडे ने उठा दिया है, उसको लेकर देशव्यापी आन्दोलन कर दें कि इंदिरा गांधी की सरकार हमको चर्बी खिला रही है। देश को जनता एक बार धोखा खा चुकी है, इसलिए अब वह सावधान है। दूध की जली बिल्ली मट्ठे को भी फूंक-फूंककर पीती है। अब देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है।

भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये डाल्डा निर्माताओं, एक हो जाओ। किस बात के लिए? हमको चन्दा दो। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि इंदिरा गांधी की सरकार—वीर सरकार, जनतंत्र की सरकार, जनमत की सरकार—तुम्हारी डालडा फैक्ट्रियों का राष्ट्रीकरण करने जा रही है, हमको देश भर में आन्दोलन चलाने के लिए धन दीजिए, अगर हम आन्दोलन नहीं चलाएंगे, तो तुम्हारी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा।

मैं चुनौती के साथ मंत्री महोदय से कहता हूं कि वह डाल्डा की फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाकर पूछें और जांच करवाएं। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए, तो मैं सदन से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और डाल्डा-निर्माताओं को कहते हैं कि हमको चन्दा दो, आन्दोलन चलाना है। लेकिन डाल्डा के नाम पर ये लोग डाल्डा बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, देश को मालूम और दुनिया को मालूम है कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जनभावनाओं का आदर करती हैं, जो जनता की भावना होती है उसके अनुरूप हमारी नेता चलती हैं और उसे करके दिखाती हैं। वे सिर्फ कहने वाली ही नहीं, करके दिखाने वाली नेता हैं। प्रिवी पर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने दिल-दिमाग को साफ़ कर डालें। अगर आवश्यकता पड़ी, किसी डाल्डा निर्माता ने मिलावट करने की कोशिश की तो वह चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों न हो, उसको हमारी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

पूरे देश में विरोधी दलों के दो-तीन मुख्य मंत्री हैं। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि डालडे में मिलावट को किसने पकड़ा? मैंने, मेरी सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्रियों ने। ये लोग तो मिलावट करने वालों से मिले हुए हैं फिर ये पकड़ेंगे कैसे? हमारे मुख्य मंत्रियो ने भारत सरकार को बताया और मैंने स्वयं इस सदन में सवाल को उठाया। हमारे दरबारा सिंह ने भटिण्डा कैमिकल्स, मनोज कैमिकल्स और अमृतसर की एक फर्म के बारे में भारत सरकार को सूचित किया और पूछा इनके ऊपर कौन-सा ऐक्शन लिया जाए। इसी तरह से रांची का भी केस है। वहां से भी हमारे दल की प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को बताया। अब विरोधी दलों का षड़यंत्र चल रहा है। यह डिस्कशन हमेशा सत्र के अन्तिम दिन आता है। हमारी पार्टी ने इन दलों को सारे देश में भोंपू बजाने का मौका दे दिया है। कल से ये लोग भोंपू बजायेंगे। कल से ही ये लोग मद्रास, हैदराबाद जाएंगे और कह देंगे कि हमको भोंपू बजाने दो कि डालडे में चर्बी मिल गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ विरोधी दल के नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह देश गुमराह

होने वाला नहीं है। एक बार 1977 में यह देश गुमराह हो चुका है और देश ने आप लोगों के कारनामे भी देख लिए हैं। अब आगे देश गुमराह होने वाला नहीं है। मैं कहूंगा कि भगवान के नाम पर ये लोग गंगा जल की पवित्रता को अपवित्र न करें। देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। यह एक ऐसा मंच है जहां पर विरोधी दल के लोग और सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी भावनाओं को सामने रख सकते हैं लेकिन ऐसा न करके डालडा निर्माताओं से राष्ट्रीयकरण के खतरे के नाम पर ये लोग उनसे चन्दा वसूल करें तो यह महा पाप है, अधम पाप है।

हमारी सरकार को जब पता लगा कि डालडा में कुछ गड़बड़ है तो हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुरन्त बुलाया···**(व्यवधान)** जनता पार्टी के शासन काल में जो कुछ हुआ था उसका पता जब हमारी नेता को चला कि चर्बी की मिलावट की जा रही है और जब प्रश्न इस सदन में 25 अगस्त को मैंने उठाया, अल्प सूचना प्रश्न, तो 24 अगस्त को ही चर्बी के आयात पर हमेशा के लिए पाबन्दी लगा दी गई। आज आयातित चर्बी का दरवाजा खुल रहा है, जिन्होंने चर्बी का आयात किया है। जनता पार्टी की सरकार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और श्री मोरारजी भाई की सरकार ने देश की धर्मावलम्बी गरीब जनता का धर्म नष्ट करने की कोशिश की है। उस पर हमारी सरकार ने हमेशा-हमेशा के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह कहा है कि अगर कभी इस देश में चर्बी मंगाई गई तो एस० टी० सी० के माध्यम से मंगाई जा सकती है। ओ० जी० एल० के माध्यम से नहीं आ सकती है। जिन लोगों ने घपला किया है, उसके जांच के लिए हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने सख्त से सख्त आदेश दे दिए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : देश के अन्दर भी चर्बी बन रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : प्रो० साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश की जनता गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पांच सवाल करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे मेरे सवालात का साफ-साफ जवाब दें, जिससे कि जो लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वह जनता गुमराह न हो सके।

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि 1977-78 में पशुओं की चर्बी की आयात नीति में क्या परिवर्तन किए गए? क्या यह सच नहीं है कि निषिद्ध, प्रतिबंधित और सरणीबद्ध सूची में भेड़ की चर्बी तो शामिल की गई, परन्तु अन्य पशुओं की चर्बी को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है? और शेष बचे हुए पशुओं की चर्बी को ओ० जी० एल० में कर लिया गया और इसी का लाभ उठाकर देश में जनता शासन ने चर्बी की नदी बहाई।

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या यह सच नहीं है कि 27 अप्रैल, 1979 को केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित किया गया? जिसमें गौ-पशुओं भेड़

बकरियों की वसा, बिना पिघली हुई पर सीमा शुल्क हटा लिया गया? उस समय वित्त मंत्री कौन थे ?

सी० बी० आई० द्वारा चर्बी के आयात से सम्बन्धित कितने मामलों की जांच की जा रही है? क्या यह सच है कि जैन शुद्ध बनस्पति दिल्ली, मोदी ब्रादर्स, रांची, भटिण्डा कैमिकल्स एन्ड वनस्पति मिल्स लिमिटेड, भटिण्डा मनोज कन्टेनर्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड भटिण्डा एवं अन्य कितने मामलों की जांच सी० बी० आई० कर रही है? इसकी प्रगति क्या है ?

मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति ने चर्बी का आयात किस लाइसेंस पर किया और वह लाइसेंस कब जारी किया गया था? क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने चर्बी का आयात भी किया और जैन शुद्ध वनस्पति से भी खरीदा? क्या हंसराज गुप्ता जैन शुद्ध वनस्पति और अजन्ता ट्यूब के डायरेक्टर हैं ?

भटिण्डा कैमिकल्स एन्ड वनस्पति मिल्स (लि०) भटिण्डा एवं मनोज कंटेनर्स एण्ड कैमिकल्स (लि०) भटिण्डा को चर्बी किस से मिली? क्या उक्त कम्पनी के पास चर्बी का आयात लाइसेंस था? यदि नहीं था किसने बेचा और कौन सी कार्यवाही की गई ?

मुझे उम्मीद है, माननीय मंत्री जी इन सब का जवाब देंगे ।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा इन्डस्ट्रीयलिस्ट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपसूल की गोली का कवर, जिसको जिलेटिन बोला जाता है। वह हड्डी के पाउडर और सीनिंज से बनता है। जिसको हम इतने सालों से खाते आ रहे हैं। इसमें पवित्रता और अपवित्रता का सवाल नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम वाणिज्य मंत्री द्वारा 15 नवम्बर, 1983 को दिए गए वक्तव्य पर चर्चा कर रहे है । उस वक्तव्य में उन्होंने एक असाधारण घोषणा की थी—मैं उनके ही शब्द उद्धृत कर रहा हूं—कि किसी और प्रयोजन से नही, केवल जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की पशु चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है ।

यह विडंवना और चिन्ता की बात है कि 20वीं शताब्दी की अन्तिम चतुर्थांश में हमारे देश की जनता के कुछ वर्गों और इस सभा के भी कुछ सदस्यों में इस बात पर बहस है कि कुछ विशेष प्रकार की पशु चर्बी के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं; और यह कोई वस्तुनिष्ट आधार पर ही नहीं वरन् धार्मिक भावनाओं जैसी व्यक्तिनिष्ट भावनाओं के आधार पर भी है ।

हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसे सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। किन्तु जो विवाद उठाया गया है, जिस पर सभा के इस वर्तमान

सत्र के अन्तिम दिन के अन्तिम समय में चर्चा करने की आवश्यकता समझी गई है, इससे इस बात का पता चलता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता और हमारे संविधान की प्रस्तावना कितनी झूठी और अवास्तविक सिद्ध होती जा रही हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में रूढ़िवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता की धर्मांधता का पीड़ादायक असर राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों पर निरन्तर पड़ता रहा है, और अब इस देश में वाणिज्य भी धार्मिक रूढ़िवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकता का शिकार बन गया है। यह दावा करना कि कुछ पशुओं की चर्बी का आयात, औद्योगिक उत्पादनों के उद्देश्य से भी, करने की अनुमति देना चाहे इसकी पूर्ति हम स्वदेशी साधनों से करने में समर्थ हो, अथवा नहीं; देश के हितों को हानि पहुंचाना होगा एक आडम्बर मात्र है। और मंत्री महोदय का भी, बिना यह स्पष्टीकरण दिए कि यह असाधारण कदम क्यों उठाया गया; यह कहना कि यह एक असाधारण कदम है आडम्बर ही है।

कुछ प्रश्न उठाए गए थे। श्री पांडे, मैं नहीं जानता कि वह कहां चले गए। श्री पांडे अल्प सूचना प्रश्न उठाने का बहुत श्रेय ले रहे थे। मंत्री महोदय ने इसकी अनुमति भी दे दी।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक व्यवस्था है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सामान्य रूप से यह एक व्यवस्थित प्रश्न है। वह अल्प सूचना प्रश्न उठाया गया था और 25 तारीख को उसका उत्तर दिया जाना था और अब इसका महान श्रेय श्री पांडे द्वारा लिया जा रहा है; 24 को नीति बदल दी गयी थी; जब तक नीति बदली नहीं गई थी तब तक आयात की अनुमति थी। अब कुछ गिरफ्तारियों के आधार पर इस नीति परिवर्तन को न्यायोचित ठहराने के लिए कुछ जांच शुरू की गई हैं और जनता सरकार पर जिम्मेदारी डालने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं इस समय यह बात नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या किया था अथवा क्या नहीं किया था। सभा एक प्रश्न—अल्प सूचना प्रश्न—उठाया गया। इसका उत्तर भी दिया गया; उत्तर में मुख्य प्रयत्न यही किया गया कि इसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी सरकार पर है; किन्तु साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि पशु चर्बी का आयात किया जा रहा था। अन्यथा जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराने का और 24 अगस्त को इस पर प्रतिबन्ध लगाने का तथा इसे असाधारण कदम कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कि सीधा सा एक मिलावट का और आयातित औद्योगिक कच्चे माल के दुरुपयोग को रोकने का तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का प्रश्न होना चाहिए था उसे अब राजनीतिक प्रयोजनों के लिए लाभ उठाने हेतु उपयोग कियाजा रहा है और अब इसे धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है। अब जनता पार्टी और भा० ज० पा० भी दोनों ही कांग्रेस (इ) के खिलाफ इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस (इ) उनके खिलाफ इस मुद्दे का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने यह पाया कि वाणिज्य मंत्री ने बहुत सावधानी बरतते हुए इस बात का वास्तविक पूरा रहस्योद्‌घटन नहीं किया कि चर्बी के आयात को ही कैसे अनुमति दी गयी थी।

किन्तु वह कहते हैं, "मैं क्या कर सकता हूं? जनता सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। जैसे ही यह बात मेरे ध्यान में आयी"—उनकी सरकार के तीन-चार वर्ष पूरे हो जाने पर ही यह बात

उनके ध्यान में आई। चार वर्ष पहले यह बात उनके ध्यान में नहीं आई—"जैसे ही मेरे ध्यान में यह बात आई, जनता की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने इसका आयात रोक दिया।" इस प्रकार से आप इस देश पर जो घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष है—शासन कर रहे हैं।

सरकार धार्मिक रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रही है। सत्तारूढ़ दल के भौतिक लाभ उठाने वालों को कुछ समय के लिए इस से रोक दिया गया है। हर एक यह बात जानता है और कितने ही महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में भी यह बात प्रकाशित हो चुकी है कि उस कम्पनी के मालिक सत्तारूढ़ दल के चहेते हैं। जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो ये लोग जनता पार्टी के चहेते थे, स्थिति बदलते ही यह वर्तमान सत्तारूढ़ दल के चहेते बन गए क्योंकि ये उद्योगपति सत्तारूढ़ दल के संरक्षण और आशीर्वाद के बिना जीवित नहीं रह सकते। किन्तु इसके साथ-साथ, जो बात हमने और पायी वह और भी अधिक चिन्ताजनक है कि इस मामले में, भारतीय राजनीति में किस प्रकार साम्प्रदायिकता का जहर फैला दिया गया है। जात-पांत पर निर्भर मतों पर आधारित चुनाव अभियान किस प्रकार से चलाया जा रहा है। कांग्रेस के महासचिव—कांग्रेस (इ)। यदि मैं 'इ' अक्षर निकाल दूं तो वह अपवाद हो सकते हैं—का वक्तव्य रिकार्ड में है कि कांग्रेस संस्कृति हिन्दू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे वक्तव्य किस प्रयोजन से दिए जा रहे हैं?

अब, जम्मू में भा० ज० पा० की साम्प्रदायिकता को कांग्रेस (इ) ने अपना लिया है और सत्तारूढ़ दल इस बात से काफी खुश है कि उसने जम्मू में भा० ज० पा० का, जो हिन्दू मतों के आधार पर जीतती थी, स्थान ले लिया है और अब वहां भा० ज० पा० समाप्त प्राय: है। "हम शून्य को भर चुके हैं।" इस प्रकार साम्प्रदायिकता का लाभ उठाया जा रहा है, इस देश में इस प्रकार साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव-प्रचार इस प्रकार अधिक से अधिक जात-पांत पर आधारित होता जा रहा है और बहुसख्यक सम्प्रदायवाद को इसी कारण से बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि वह सोचते हैं कि उत्तरी भारत ही उनके दल को बचायेगा। इसीलिए, उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर से बिहार तक जो बहुसंख्यक हैं वे जानते हैं कि वे पश्चिम बंगाल में कदम नहीं रख सकते हैं। वे धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं कि हिन्दू धर्म में है, कि जनता पार्टी ने हिन्दू धर्म को खतरे में डाल दिया था और अब हम उसके उद्धारक आ गए हैं। और इसीलिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को योगाभ्यास सिखाने से हटाया गया। और अब, उनके स्थान पर कौन आ रहा है? सत्तारूढ़ दल को संकट से उबारने के लिए अब दूरदर्शन के पर्दे पर शंकराचार्य आ रहे हैं। उनसे कहलवाया गया "यदि आप कोई काम अनजाने में कर देते हैं तो वह पाप नहीं है। यदि आप कोई पाप करते हैं, तो वाराणसी जाइए और गंगा में एक डुबकी लगाइए, आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हर पाप से मुक्ति है। जो भी किया गया, चाहे वह जनता पार्टी द्वारा किया गया या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा या इंदिरा गांधी के मंत्रालय द्वारा, सभी पाप धुल गए हैं। आप निष्पाप, पवित्र हिन्दू बन गए हैं।" यह सिद्धान्त दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिपादित किया जाता रहा है। क्या यह सरकार का कार्य करने का तरीका है?

मूल प्रश्न यह है, क्योंकि मुद्दा उठाया जा चुका है, कि क्या गाय की चर्बी को इस देश में लाने की अनुमति दी गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार किया गया कि भेड़-बकरे की

चर्बी आयात की गई और यह अच्छे प्रयोजनों के लिए मंगाई गई। और यह बहुत गम्भीर बात है कि अब कानूनन रूप से यह नहीं आ रही है। इससे देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों और साबुन निर्माताओं को गम्भीर रूप से क्षति पहुंचेगी। मैंने माननीय मंत्री को लिखा है। वे चुनाव-प्रचार में व्यस्त हैं और वे इन महत्वपूर्ण पत्रों के उत्तर नहीं दे सकते। लघु तथा कुटीर उद्योग के साबुन निर्माताओं का क्या होगा? अकेले पश्चिम बंगाल में 50,000 लोग छोटे पैमाने पर साबुन के उत्पादन में लगे हुए हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा? पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने उन्हें लिखा है। लोग हमारे आ पास रहे हैं। इसे राज्य व्यापार निगम के एक मद के रूप में सरणीवद्ध किया गया था। यह हमारे पास आया करती थी, लघु उद्योग निगम के पास। हम इसे पंजीकृत तथा स्वीकृत लघु इकाईयों को देते थे। अब, अचानक इसकी पूर्ति बन्द कर दी गयी है। उन्हें कच्चा माल कहां से मिलेगा? इसका विकल्प इस समय उपलब्ध नहीं है। मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि यदि आप साबुन बनाने के लिए भेड़-बकरे की चर्बी के आयात की अनुमति नहीं देते तो कम से कम ताड़ के तेल के आयात की अनुमति दे दें। लेकिन ताड़ के तेल पर चर्बी से अधिक शुल्क है और लागत बहुत अधिक बैठ जाती है। यदि उद्योग इस अतिरिक्त खर्च को वहन नहीं कर सकता तो यह बन्द हो जायेगा। अकेले एक राज्य में ही 50,000 लोगों को उनका धन्धा छिन जाने का खतरा है। लेकिन इसका कोई विचार नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार के मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह असाधारण कदम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था न कि उद्योग या व्यापार या उन व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो कि इस उद्योग पर जीवित हैं। देश का शासन इस प्रकार चलाया जा रहा है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत जिम्मेदार आर्थिक तथा राजनीतिक पत्रिका में प्रकाशित लेख से उद्धरण दे रहा हूं। यह 'भारत के विदेश व्यापार में पशु-चर्बी' शीर्षक के अन्तर्गत श्री श्रीराम खन्ना द्वारा प्रकाशित लेख है। मुझे विश्वास है कि अब तक मंत्री महोदय का ध्यान उसकी ओर जा चुका होगा। इसमें केन्द्र के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री द्वारा 8 अगस्त, 1983 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2537 के उत्तर का उल्लेख है जिसमें उन्होंने कहा था :

"मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पशुओं की चर्बी का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। बकरे की चर्बी का आयात 1969-70 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता रहा है और अब तक भी उसी के माध्यय से किया जाता है। अन्य प्रकार का चर्बी के लिए (जिसका तात्पर्य है गाय की चर्बी), 5 जून, 1981 तक आयात नीति में कोई प्रावधान नहीं था।"

5 जून, 1981 को राज्य व्यापार निगम को भी यह शक्ति दी गई कि वह जितनी चर्बी देश में आयातित की जानी है, चाहे यह गाय, बकरे या जिसकी भी है, वह अकेला ही उसकी सारी मात्रा का आयात कर ले। यह भारत सरकार के मंत्री द्वारा इस सदन में दिया गया वक्तव्य है। अब, आज हम सुन रहे हैं कि गाय की चर्बी के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन खाद्य मंत्री यह कह रहे थे कि इसकी अनुमति दी गई थी।

यदि मैं इस लेख से एक या दो वाक्य पढ़ूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि यह इस मुद्दे से सम्बन्धित बहुत सुविस्तृत लेख है। यहां इस प्रश्न का तथ्यपूर्ण तथा वस्तुनिष्ट अध्ययन किया गया है। उन्होंने पूर्व-69 से अगस्त, 1983 तक की अवधि को विभाजित कर दिया है। पूर्व-69 अवधि में उन्होंने कहा है :

> "गोजातीय चर्बी का आयात 1966-67 के दौरान 19531 टन था जो बढ़कर 1967-68 के दौरान 1.27 लाख टन की सर्वाधिक मात्रा तक पहुंच गया और तदुपरान्त 1968-69 में गिरकर 73439 टन रह गया। जबकि 1965-66 में गोजातीय चर्बी में 89.2 प्रतिशत बकरे की चर्बी तथा 10.8 प्रतिशत अन्य बसा होती थी जिसमें गाय की चर्बी भी शामिल है, 19_8-69 तक इनकी मात्रा इससे उल्टी हो गई, जिसमें गाय की चर्बी सहित 79.7 प्रतिशत अन्य बसा हो गई तथा 20.3 प्रतिशत बकरे की चर्बी हो गई।"

1969 तक यह स्थिति थी। उन्होंने ब्यौरा दिया है। समयाभाव के कारण मैं उसमें नहीं जा सकता। अप्रैल, 69 से मार्च 78 को उन्होने दूसरी अवधि माना है। इस बारे में कहा गया है :

> "गाय की चर्बी सहित अन्य बसाओं का इस अवधि के दौरान नियमित रूप से आयात किया गया।"

उन्होंने विवरण दिया है। इसलिए, 1969 से मार्च, 1978 तक यह जनता पार्टी द्वारा शुरू किया हुआ नहीं था; ऐसा नहीं है कि मैं जनता पार्टी का कोई पक्ष ले रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : और आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : कोई बात नहीं। ऐसा करना कोई पाप नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सत्ताधारी दल की पोल खोलने का प्रयत्न कर रहा हूं क्योंकि वे दूसरों पर जिम्मेदारी थोपकर अपनी कमिओं का स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें सच्चाई को स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं है। 'अप्रैल, 1978 से मई, 1981 तक जनता पार्टी की नीति के पश्चात उदार बनाई गई आयात नीति देश में गोजातीय चर्बी के आयात को बढ़ाने में असफल रही। इसके विपरीत, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत कमी के बावजूद गाय की चर्बी का आयात जो 1977-78 में 45,634 टन था गिरकर 1978-79 में 13,169 टन रह गया और 1979-80 के दौरान एकदम गिरकर 1,233 टन रह गया।' इसके बाद कहा गया है : "1 80 के आरम्भ में सरकार में परिवर्तन हुआ।" जब यह सरकार आई, "जून 1983 से अगस्त, 1983 की अवधि के दौरान सभी प्रकार की पशुओं की चर्बी का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया" और माननीय खाद्य उपमन्त्री ने सदन में ठीक ही स्वीकार किया है कि ऐसा किया गया था। 5 जून, 1981 से चर्बी की सकल मात्रा का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा था। स्थिति यह है। जनता पार्टी ने कोई क्रान्तिकारी काम नहीं किया

था। जैसा मैं समझता हूं, उन्होंने जो करने का प्रयास किया वह यह था कि उन्होंने कुछ वस्तुएं निर्धारित कर दीं जिन्हें किसी संस्था विशेष के माध्यम से आयात किया जाना था, कुछ वस्तुएं ऐसी रखीं जिन पर प्रतिबन्ध रखा तथा कुछ अन्य वस्तुएं ऐसी जिन्हें किसी विशेष तरीके से आयात किया जाना था तथा वे जिन पर न तो प्रतिबन्ध था और न वे सरणीबद्ध आदि थी, उन्हें 'ओपन जनरल लाइसेन्स' के अन्तर्गत आयात किया जा सकता था बशर्ते कि उनका प्रयोग स्वयं वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाना हो तथा और आयात किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं हो। यदि किसी ने चर्बी का आयात किया है, चाहे यह गोजातीय किस्म की है, या बकरे की है या गाय की, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, यदि इसका उपयोग उसके कारखाने में नहीं किया गया है तो वह आयात-निर्यात कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। आप उसे पकड़ सकते हैं और यदि कोई मिलावट की गई है तो उसे देश में लागू सभी कानूनों के अधीन पकड़ सकते हैं। आपने क्या किया है? 1980 से 1983 तक आपने कितने मुकदने दायर किए हैं? 25 अगस्त, 1983 तक कितने मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1980, 1981, 1982 तथा 1983 में चलाए गए मुकदमों के बारे में उनके पास क्या जानकारी है? यदि आपके पास है तो हमें बताएं, हम जानना चाहेंगे। इसके बाद, मिलावट के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, मिलावट की कोई जांच नहीं होती। हम इसके विरुद्ध हैं। हमारा कहना यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं में किसी प्रकार की मिलावट करने के लिए जो भी दोषी पाया जाए, उसके साथ सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए। आपके पास जो भी शक्तियां हैं, उनसे आप ऐसे व्यक्तियों से निपटें। आप अपने सभी प्रकार के नजरबन्दी कानूनों के बारे में हमें बताते हैं यद्यपि सिद्धांत रूप में हम इसके विरुद्ध हैं, हम इसका विरोध करते आए हैं. आप हमें कई कानूनों के बारे में बताते हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। शायद, अब आपको केवल दिखाने मात्र का प्रयास करना है। यह ठीक है कभी-कभी आप धन के अपने किसी स्रोत के बिना भी काम चला सकते हैं, प्रत्यक्षत: ऐसे अवसरों पर दिग्गजों को खामोश रखा जा सकता है, क्योंकि आपको अपने मत जुटाने के बारे में सोचना है। यदि आप उसे नियंत्रण में रख सकते हैं तो उसका लाभ उठा लें। तब तक हमें इसका बिल्कुल पता नहीं था और रह कार्य वर्षों से चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं वह यह है कि आप धार्मिक भावनाओं के आधार पर यह निर्णय करने का प्रयास न करें कि क्या किसी विशेष औद्योगिक कच्चे माल को देश में मंगाया जाना चाहिए या नहीं। इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा कि जब तक चर्बी का कोई विकल्प उचित या रियायती दामों पर सुगमता से उपलब्ध नहीं होता तब तक बकरे की चर्बी का आयात करना अत्यावश्यक है। बकरे की चर्बी का इस देश में उपयोग हो रहा है तथा इससे साबुन की कीमत भी उचित सीमा के भीतर रही है। अब यह बढ़ेगी ही। इसके साबुन उद्योग पर गम्भीर अप्रत्यक्ष प्रभाव होंगे। उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस उद्योग के बन्द हो जाने के बहुत बड़े जोखिम हैं। आप इनके बारे में नहीं सोचते। आप धार्मिक भावनाओं के बारे में सोचते हैं, और यही कारण है कि हम इसके विरुद्ध हैं। हम एक पहलू का उल्लेख करना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उसका उस समय उल्लेख किया था जब उन्होंने श्री पांडे को टोका था। इस देश में, देश में ही निर्मित चर्बी भी मिलती है। इसका आप क्या करते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि इस पर क्या नियन्त्रण है? क्या कोई अनुमान लगाया गया है देश में कितनी चर्बी

निर्मित होती है ? मैं जानना चाहता हूं कि देश में निर्मित चर्बी की उपलब्धता की मात्रा के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है। आप इस पर कैसे नियन्त्रण करेंगे ? हमारे यहां सिद्धान्तहीन व्यापारी तथा निर्माता हैं। पत्रिकाओं से मुझे जानकारी मिली है—मैं नहीं जानता, इनमें कुछ लेखों में कहा गया है—कि निर्माण की अवस्था में इन्हें मिलाना सम्भव नहीं है, ऐसी कल्पना है कि निर्माण की अवस्था में इन्हें मिलाना सम्भव नहीं है, इसे मिलाना केवल व्यापारियों के स्तर पर ही सम्भव है। आप इस पर नियन्त्रण कैसे करेंगे, मैं यह जानना चाहूंगा।

देश में निर्मित उपलब्ध चर्बी की मात्रा क्या है ? क्या आप देश में निर्मित चर्बी का उपयोग रोक सकते हैं ? इसकी कीमत क्या होगी ? साबुन उद्योग को कहीं अधिक की आवश्यकता है। प्रत्यक्षतः इसकी कीमत बढ़ेगी और कुछ सिद्धान्तहीन व्यापारी इससे पैसा कमायेंगे। आप इस स्रोत को पूरी तरह बन्द नहीं कर सकते। उन्होंने माननीय मंत्री के वक्तव्य की बहुत उल्लास के साथ प्रशंसा की है, जिसमें कहा गया है :

> "उठाए गए विभिन्न कदमों का कुल मिलाकर यह प्रभाव है कि किसी प्रकार के उपयोग के लिए पशुओं की चर्बी के आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।"

प्रो० एन० जी० रंगा : आज बैठक कब तक चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि हमने समय निर्धारित किया है।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे यह जानने का हक है कि हम कब तक बैठ रहे हैं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने निर्धारित समय में ही बोल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस चर्बी का छोटे और घरेलू उद्योग प्रयोग करते हैं। इस लेख में कहा गया है :

> "सरकार द्वारा चर्बी पर पाबन्दी लगाना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है; इससे उपभोक्ता को कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी क्योंकि इसका सीधा असर खाने के तेलों और साबुन के मूल्यों पर पड़ेगा और उनमें वृद्धि होगी। जब तक इन उद्योगों को बदले में कोई दूसरा कच्चा पदार्थ नहीं उपलब्ध कराया जाता, तब तक साबुन, ग्रीस आदि के वास्तविक प्रयोक्ताओं को चर्बी के आयात की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इनके प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने पहले ही कहा है कि हम दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार समय देते हैं। उदाहरण के तौर पर, हमने इस चर्चा के लिए चार घण्टों का समय निर्धारित किया है और उनके हिस्से 20 मिनट आते हैं। सत्ता दल को डेड घण्टे का समय

दिया गया है। ये उनके सदस्यों में बांट दिया जाएगा। सभा में सदस्यों की संख्या के अनुसार प्रत्येक दल का समय निश्चित किया गया है। हम इसका अनुसरण कर रहे हैं। केवल डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को अधिक समय दिया गया है, क्योंकि उन्होंने चर्चा आरम्भ की है। मैं यह स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी का बल्ब फ्यूज हो और फिर भी वह बटन दबाता चला जाए और चाहे कि रोशनी हो जाए तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को या तो लोग पागल कहेंगे या मूर्ख। हमारे विरोधी दल के व्यक्ति हमेशा कोई न कोई बेमतलब की बात खड़ी करके न सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं परन्तु इस सदन का महत्वपूर्ण समय भी बरबाद करते हैं। अभी हमारे सोमनाथ चटर्जी साहब ने एक बात कही। हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने जो 24 अगस्त और 1 अक्तूबर को असाधारण कदम उठाया उसको उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाखंड की संज्ञा दी। यह इतनी अज्ञानता की बात इन्होंने कही इस देश में हर सम्प्रदाय को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, हर व्यक्ति को स्वतन्त्रता है अपना धर्म मानने की, मस्जिद के सामने बैंड बाजा बजता है तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। गाय हमारी मां है, वह घास खा कर हमें दूध देती है। गाय इस देश की कृषि के लिए, अर्थ के लिए, धर्म के लिए हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्राणी है और इसीलिए इस देश में, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसकी जनता ने उसको मां का स्वरूप दिया है। यह क्या जानें की गाय क्या चीज है। इनको गाय देखनी हो यहां विरोधी दल के लोग बैठे हैं गाय की पूछ पकड़ कर जैसे वैतरणी पार करते हैं वैसे ही यहां सदन में आये। आन्दोलन किया, गौ हत्याबन्दी के नारे लगाये। और वह क्या खाते हैं, माननीय सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने अनशन किया माननीय वाजपेयी और माननीय चरण सिंह ने वोट क्लब पर। मैं पूछना चाहता हूं क्या मांस खाने वाले व्यक्ति को चर्बी के बारे में बात करने का हक है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि डा० स्वामी इसे उठा सकते हैं, वह शाकाहारी हैं।

आचार्य भगवान देव : जो व्यक्ति मांस खाता है, हड्डियां चूसता है और हड्डियों के अन्दर जो तत्व होता है वोट क्लब पर बैठकर अनशन करता है और देश को गुमराह करने की बात करता है तो क्या यह पाखंड नहीं है?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : प्रधान मंत्री मांस खाती हैं कि नहीं? यह क्या **कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

आचार्य भगवान देव : मैं पूछना चाहता हूं माननीय सुब्रहमण्यम स्वामी से भी सबसे बड़ी मिलावट जनता पार्टी के टाइम में हुई** क्या इसको मिलावट नहीं कहेंगे?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। अगर वह असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं, कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा और जांच करूंगा कि क्या उन्होंने कोई असंसदीय बात तो नहीं कही।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे उत्तर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर वह असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं यह करने जा रहा हूं। हम उनसे नहीं पूछ सकते कि क्या उन्होंने संसदीय या असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। हम कार्यवाही वृत्तांत के अनुसार ही चलेंगे हम तुरन्त ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने की प्रक्रिया होती है।

आचार्य भगवान देव : **···इन्होंने जो पाखण्ड किया है···

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, यह मेम्बरों को **कह रहे हैं?···

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : इनके नेताओं ने वोट क्लब पर जो उपवास किया मुझे लगता है कि जो उल्टे सुल्टे कर्म किए थे उसकी शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वह अनशन किया था। नहीं तो मांस खाने वाले को चर्बी का विरोध करने का कोई हक नहीं है।···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरफ जब कोई भी बोलेगा, तो आप बाधा नहीं डालेंगे, और जब आप बोलेंगे तो वे बाधा नहीं डालेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, अगर आप अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं तो आपको अपने भाषण में इसका उत्तर देना चाहिए। इसीलिए यह चर्चा हो रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ वह कहें उसे आप स्वीकार करें। जब आप

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

बोलेंगे तो आप को इन सभी मुद्दों का विरोध करना…

(व्यवधान)

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : उन्होंने सभा के एक सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगले बोलने वाले सदस्य आप हैं। आप बोल सकते हैं और उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का विरोध कर सकते हैं।

श्री भीकूराम जैन : श्री स्वामी जब बोल रहे थे तो इन्होंने क्यों नहीं इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक मन्त्री रोज हवाई जहाज में जाते थे और गाय का मांस खाते थे, उस समय आपने जिक्र नहीं किया, अब आप बोल रहे हैं ?

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, यह**
यह कहते हैं मिलावट का कार्यक्रम, यह तो सबसे बड़ा धोखा है। जनता पार्टी के शासन में जो अलग-अलग सिद्धांतों की पार्टियां मिली, यह सबसे बड़ा पाखंड था, यह मेरी मान्यता है, जिसको इन्होने स्वर्ण युग कहा है। स्वामी जी भूल गए हैं, उस समय प्याज का भाव 5 रुपए प्रति किलो था। क्या वह स्वर्ण युग था ? वह पेट्रोल पी गए तब कोई ध्यान नहीं आया ? सोना इन्होंने बेच खाया। श्री जेठमलानी स्मगलरों की वकालात करते हैं। यह कैसी पार्टी है, क्या इनका सिद्धांत है ?

स्वामी जी ने लौंगोवाल की बात कही कि उन्होंने गाय के बारे में यह बात कही है। यहां स्वामी जी लौंगोवाल की वकालत करते हैं, पंजाब में इन्सानों का कत्ल हो रहा है, क्यों नहीं लौंगोवाल जी की जबान खुलती ? उनकी गाय की बात करने की हिम्मत कैसे होती है ? जब वहां व्यक्ति मर जाते हैं, सिखो को गोली मारी जाती है स्वर्ण मन्दिर के बाहर, उस समय आपकी और लौंगोवाल की जबान नहीं खुलती ? आज आप उनकी वकालत करते हैं और कहते हैं कि मैं वहां गया था, वहां कुछ भी नहीं मिला।

आप इस सदन को भी गुमराह करते हैं। इस तरह की बातें विरोधी दल के लोग करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं पर जनता ने इनको पहचान लिया है। अब इनमें दम नहीं है।

हमारे श्री सोमनाथ चटर्जी चले गए जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात पर गाय की बात कहते हुए यह पाखंड की बात कही। तो यह पाखण्ड है। श्री सोमनाथ चटर्जी और उनके साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का खा-पीकर एशिया और चीन के सपने देखते हो, यह सबसे बड़ा पाखण्ड और देशद्रोह है इस तरह की गाय के सम्बन्ध में बातें करना।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हमारी प्रधान मंत्री 3 नवम्बर को महर्षि दयानन्द की निर्वाण शताब्दी पर अजमेर में गईं। मैं भी वहां उपस्थित था। उन्होंने कहा कि चर्बी के ऊपर देश को गुमराह करने का जो कुप्रयास चल रहा है, उससे जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जायेगा। यही बात हमारे वाणिज्य मंत्री ने कही है। इन्होंने जो असाधारण कदम इस देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए उठाया है, इसके खिलाफ इधर विरोध भी करते हैं और अनशन भी करते हैं और उधर डालडा घी वालों से मिलते हैं और चुनाव के लिए पैसा लेते हैं। ये चोर को कहते हैं चोरी कर और साधु को कहते हैं कि सावधान हो जाओ।

विश्व हिन्दू परिषद ने 31-10-83 को वाणिज्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। जो पेपर में अवश्य है, उसमें उन्होंने मंत्री जी को बधाई दी है इस कदम के लिए। काजी कुछ कह रहा है और यह मौलाना यहां अनशन कर रहे हैं, वाजपेयी वोट क्लब पर बैठकर। क्या नीति है इनकी ? ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये पठानकोट में अकालियों की वकालत करते हैं यहां आकर उसका विरोध करते हैं क्योंकि इन्हें दिल्ली और पंजाब के वोट लेने हैं। वहां की जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

गौ-हत्या बन्द करने की बात श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं, मैं एक बात बता दूं कि मैं परम गौ-भक्त हूं। गौ-हत्या बन्द करने की बात कहने वाले श्री वाजपेयी और सुब्रह्मण्यम स्वामी मोरारजी भाई को मैं चेलेन्ज करता हूं, अगर इनके घर पर गाय हो तो लेकिन आचार्य भगवान देव ने गाय रखी हुई है और वह भी काली गाय। वाजपेयी जी और चरण सिंह ने देखा नहीं होगा। आज हम उस गाय का शुद्ध दूध पीते हैं। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने आर्य समाज जैसी संस्था को दिल्ली में आदर्श गौ-शाला के लिए जमीन दी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गौ-हत्या की बात करने वाली, ढाई साल से अपने शासन में गौ-हत्या बन्द क्यों नहीं की, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया। पूर्ण बहुमत होते हुए भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब सत्ता चली गई, तो इन सब का तीसरा नेत्र खुल गया है। जैसा कि पांडे जी ने कहा है, इसके पीछे क्या राज है कि मोरारजी भाई या धारिया ने अपने टाइम में कुछ नहीं किया। अब सत्ता से हटने के बाद जनता को गुमराह करने के लिए अलग-अलग बातें करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता साविधान है। वह जानता है कि इनको पांच साल के लिए सता दी थी, लेकिन ढाई साल में ही बोरा-बिस्तर गोल कर के घर चले गए, क्योंकि इनके अलग-अलग सिद्धान्त थे, अलग-अलग पालिसियां थीं। कहां कम्युनिस्ट पार्टी और कहां जनसंघ वाले, कहां चौधरी चरण सिंह और कहां बाबू जगजीवन राम ? क्या इनमें कोई मेल है ? परन्तु फिर भी ये मिल गए। आज जो चर्बी की मिलावट की चिन्ता कर रहे हैं, सबसे बड़ी मिलावट उन्होंने की, उन सब पार्टियों ने मिल कर पाप किया।

आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पाखंड चलाया है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छः दिन पहले मैं हैदराबाद मैं था। वहां के लोगों ने कहा कि यहां एक

बहुत बड़े टैंकर में से बोतलें भर कर एक-एक बोतल गंगा-जल कहकर 11 रुपए से 151 रुपए तक में बेची गई। मैंने पूछा कि क्या वह टैंकर हरिद्वार की हर की पैड़ी से भर कर लाया गया था। मुझे बताया गया कि एक लोटे में भर कर लाए थे और उसे टैंकर में डाल दिया। मैं वाणिज्य मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो पानी दे कर एक पाखंड चला रहे हैं और अपने राजनैतिक स्वार्थ-साधन के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं, इस मिलावट के बारे में भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या यह पाखंड नहीं है? जब कोई किसी पेय में मिलावट करता है, यहां पर विरोधी पक्ष के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करते हैं। परन्तु यह जो पानी को गंगा-जल कहकर 151 रुपए की बोतल बेची जा रही है, भारत सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? मैं इतने बड़े पाखंड और मिलावट के बारे में मन्त्री महोदय का जवाब चाहता हूं। जनता यह समझ चुकी है कि जो नलों का पानी गंगा-जल कहकर बेचा जा रहा है, यह उनको डुबोएगा, उनकी हस्ती को मिटाएगा। यह पाखंड इस देश में नहीं चल सकता।

जहां तक यज्ञ का सम्बन्ध है, हरिजनों और गरीबों को यज्ञ नहीं करने दिया गया। 17 तारीख को यज्ञ का पाखंड खड़ा करके कहा गया कि हम धार्मिक दृष्टि से कर रहे हैं। उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लीडरों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा और श्री खुराना, जो मांस खाते हैं, ने किया। उनको यज्ञ करने और यज्ञ की बात करने का क्या हक है? उन्हें चर्बी की बात करने का क्या हक है? वे राजनैतिक व्यक्तिगत स्वागत करने के लिए गए और अब वे कहते हैं कि हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे लोग पाखंड करके फंड इकट्ठे कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे गृह मन्त्री उठाएं या स्वास्थ्य मन्त्री उठाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो वह पाखंड बढ़ता जाएगा, देश के स्वास्थ्य, विचारों और दिलों दिमाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका रीएक्शन होगा।

मुझे खुशी है कि श्री मोरारजी देसाई को इस यज्ञ में राजनीति नजर आई और उन्होंने कलश का अभिषेक करने से मना कर दिया। कहीं बवंडर खड़ा न हो जाए, इस लिए चन्द लोग इधर-उधर पहुंच गए। पोलीटिकल दृष्टि से यह जो पाखंड चलाया जा रहा है, उस पर ब्रेक लगाने के लिए भारत सरकार को यथोचित कदम उठाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में इसका कितना आयात हुआ और उसके बाद जनता पार्टी के शासन में कितना आयात हुआ। इसके साथ-साथ क्या सही नहीं है कि 1977-78 में जनता पार्टी के शासन में साढ़े 62 हजार टन चर्बी का आयात उन्होंने किया?

दूसरी बात यह है कि जो कम्पनियां वनस्पति घी बनाती हैं उनमें से कितनी कम्पनियों की अभी तक आपने जांच की है और वहां मिलावट का प्रमाण मिला है वहां उन कम्पनियों के खिलाफ में आपने क्या कार्यवाही की है? इसके साथ ही साथ में यह भी जानना चाहता हूं भटिण्डा, अमृतसर में कितने मामले दर्ज हुए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? मुझे आशा है कि इन सवालों के जवाब आप देंगे तो जनता पार्टी की कलई खुल जाएगी।

वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स की जो एसोसिएशन है उसने वनस्पति की सच्चाई के बारे में एक

बुलेटिन सभी मेम्बर्स के पास भेजी है जिनमें उन्होंने स्पष्ट किया है, 50 वर्ष का इतिहास देते हुए, कि वनस्पति में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। क्या उनकी यह बात सही है ?

मुझे आशा है कि विरोधी दल के लोग पोलिटिकल दृष्टि से जो पाखण्ड चला रहे हैं, बटन दबाकर रोशनी लाना चाहते हैं यद्यपि उनके बल्ब फ्यूज हो चुके हैं और उनको जनता ने साइड में बिठा दिया है, वे अपने इस पाखण्ड को बन्द करेंगे। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने जो असाधारण कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको बधायी देता हूं और माननीय प्रधान मन्त्री जो इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं।

20.22

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री डा० **कर्ण सिंह** (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, वनस्पति में पशुओं की चर्बी मिलाना निश्चित ही एक दुःखद और घृणित कार्य है। इस पर दो राय नहीं हो सकती। इससे देश की असंख्य जनता की भावनाओं को बहुत धक्का लगा है। सत्य यही है, मैं काफी गांवों का दौरा करता रहता हूं और गांववासी आतंकित हैं, सही या गलत, मैं समझता हूं कि वे ठीक ही महसूस करते हैं कि उनकी भावनाओं को गहरा धक्का लगा है।

मैं अवश्य मानता हूं कि मैं उस समय हैरान रह गया, जब विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने लोगों की भावनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहा और उन्हें ऐसे पेश करने की कोशिश की जैसा कि इनका कोई महत्व ही न हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि : उन भावनाओं को जिनके सहारे लोग जीवित रहते हैं या मर जाते हैं, क्या उनकी मात्र धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अनदेखी की जा सकती है ? क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि एक हिन्दू अपने हिन्दूपन पर गर्व नहीं कर सकता या एक मुस्लिम अपने मुस्लिम होने पर गर्व नहीं कर सकता ? या हमने अपने आपको धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए अपनी परम्पराएं छोड़ दी हैं ? इस प्रकार की कोई परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है, न ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहीं भी ऐसा कहा है।

श्रीमन, क्योंकि इस समय आप पीठासीन हैं, इसलिए मैं बड़ी ही अटपटी स्थिति में हूं। आपके और आपके परिवार के बारे में, मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है। कई वर्ष पहले से ही मैं आपके विख्यात पिता जी को जानता हूं। मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का यह मत है कि लोगों की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। यह निश्चित ही एक विशेष बात है। पुनः मैं नाम नहीं लेना चाहता—भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का एक सदस्य था, और जब मैं इस सभा में आया तो देखा कि उन्होंने अपना सिर गंजा किया हुआ है, बाल उतार दिए हैं। मैंने उनसे पूछा, "आपने अपने सिर के बाल क्यों उतारे हैं ?" उन्होंने कहा, "मेरी माताजी का देहान्त हो गया है।" मैं उस सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपनी माताजी को इस आधार पर मिलावटी वनस्पति देते कि उनकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है।

स्वतन्त्र भारत में यह अजीब सी स्थिति है कि कोई भी इस सभा में इस तरह धार्मिक

भ वनाओं की निन्दा करे या उन्हें न माने। इन शब्दों के सुनने से मुझे बहुत अफसोस हुआ है। यह सदन देश की अधिकांश जनता की भावनाओं का, उनके दृष्टिकोणों का, प्रतिनिधित्व करता है। मैं समझता हूं कि हम भारतीय जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे, अगर हम बिल्कुल स्पष्ट नही कहते कि इस प्रकार की मिलावट से लोगों की भावनओं को चोट पहुंचती है और यह एक बहुत ही व्यथा का कार्य है।

मैं मामले की राजनीति पर नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूं कि लोगों की सच्ची भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए पिछले सत्र में, मैंने इस प्रश्न को सबसे पहले उठाया था। मैंने कभी भी शून्य काल में किसी प्रश्न को नहीं उठाया है। मेरे 16 वर्ष के ससंदीय काल में, मैंने पहली बार, पिछले सत्र में शून्य काल में यह मामला उठाया, और चर्चा की मांग की। और इस सत्र में श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे ने यह प्रश्न पूछा और अन्य मुद्दे उठाए। मैं यहां पर इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि गाय को पवित्र क्यों समझा जाता है। यह लम्बी कहानी है। लेकिन करोड़ों वर्षों से यह देश श्री कृष्ण, महावीर, भगवान बुद्ध, श्री रामकृष्ण और स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा का रहा है, जिनकी गाय के प्रति सर्वोच्च धारणा थी और वे इसे प्राकृति के समान समझते थे। गाय को प्रकृति का प्रतीक समझा जाता था, क्योंकि एक समय हमारा जीवन इसी और इसके उत्पादनों पर निर्भर थी। इसलिए सम्पूर्ण देश में, शताब्दियों से गाय ने एक विशेष स्थान, एक विशेष पवित्रता बना ली है कोई भी निर्वाचित संस्था या प्रतिनिधित्व संस्था इस भावना के प्रति असम्मान नहीं दिखा सकती और न ही इसको अनदेखा कर सकती है। मुझे बहुत दुःख हुआ है, कोई यह कह सकता है कि मैं राजनैतिक रूप से दुःखी हुआ हूं या कोई अन्य बात कह सकता है। लेकिन यह कहना कि गाय के प्रति इस प्रकार की सही भावनाएं अन्धविश्वास हैं और इन भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, गलत है।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हमारे द्वारा मामला उठाए जाने के बाद, सरकार ने चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जो कि एक सही कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैंने पूछताछ की है। बकरे की चर्बी या गाय की चर्बी में अन्तर करना संभव नहीं है। मैंने सावधानी से उचित जांच की है। जो चर्बी यहां आती है उसमें सभी पशुओं की चर्बी मिला दी जाती है। इसलिए यह कहना कि आपको बकरे की चर्बी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए, एक बेकार की बात है, सभी प्रकार की चर्बी पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने ऐसा किया है।

आजकल मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि कोई जिम्मेदार दल, चाहे वह कांग्रेस पार्टी या जनता पार्टी या कोई अन्य दल हो या कोई जिम्मेदार नेता या संघ हो, इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा।

मेरा अपना मत यह है कि यह मिलावट एव अपराधिक गतिविधि है, जिसे विभिन्न स्तरों

पर समाज विरोधि तत्व विभिन्न स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर करते हैं। इन्हीं लोगों का यह काम है।

मैं 1967 से 1977 तक दस वर्षों तक केन्द्रीय मन्त्री रहा। कोई यह भी कह सकता है कि इसके आयात के लिए सारी केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। मैं भी यह जिम्मेवारी लेने को तैयार हूं। मैंने संसद में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुझे याद है कि बाबू त्रिलोक सिंह जी की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया था। हमने साक्ष्य लेने के लिए सारे राष्ट्र का भ्रमण किया था। कोई भी यह बात हमारे ध्यान में नहीं लाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, पुराणों में भी, जिसमें कलयुग की इतनी अधिक काल्पनिक व्याख्या की गई है, यह कल्पना नहीं की गई कि वनस्पति में जिसका कि उपयोग करोड़ों लोग करते हैं, इस प्रकार की मिलावट होगी। लोगों को इससे भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मैं दोष बांटने में विश्वास नहीं करता। मैं केवल एक बात कहूंगा। मुझे मालूम है कि स्वतन्त्र सदस्य होने के कारण आप इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं तीन विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का सभा को आश्वासन चाहता हूं।

पहला मामला यह है कि जानवरों की चर्बी के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे सभी प्रकार के निहित स्वार्थ काम कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वह साबुन उद्योग हो, चाहे उसके पीछे राष्ट्रिक अथवा बहु-राष्ट्रिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्यों न हो। किन्तु सभी प्रकार के स्वार्थ इस बात की चेष्टा करेंगे कि इस नीति के सम्बन्ध में विभिन्न आधारों पर पुनः विचार करे। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, जानवरों की चर्बी आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुझे लघु उद्योगों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है जिनका उल्लेख आपने अपने भाषण में किया है। हमें उनके लिए वैकल्पित साधन जुटाने चाहिए, चाहे वह ताड़ का तेल हो, चाहे कोई अन्य वैकल्पित वस्तु हो, कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, जो कुछ हो, मैं इस बारे में विशेषज्ञ नहीं हूं, हमें वह उन्हें देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अगले बजट में उन्हें विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए। कोई भी यह नहीं चाहता कि भारत का कोई भी नागरिक बेकार हो जाए। किन्तु मुझे विश्वास है कि आप यदि छोटे से छोटे व्यापारियों के पास जाएं और उनसे पूछें और यदि उन्हें इस बात का अहसास हो जाए कि जिस चर्बी का वे लोग आयात कर रहे हैं, उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वे ही ऐसे प्रथम व्यक्ति होंगे जो ऐसा कहेंगे कि इस उद्यम में वे कोई भाग नहीं लेना चाहते हैं। इसलिये, इसके आयात पर पाबंदी लगी रहनी

चाहिए, जिसके लिए मैं आपको पहले ही बधाई दे चुका हूं। कृपया इस सदन को तथा राष्ट्र को इस बात का आश्वासन दीजिए कि आप किसी भी ऐसे दबाव के प्रभाव में नहीं आयेंगे कि इस पाबंदी को हठा दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की अपराधिक गतिविधि के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों—मैं इस समय उस जायज निर्यात की बात नहीं कर रहा हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण होते हुए भी वहां थी, किन्तु मिलावट करने वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए चाहे वे कोई भी हों, चाहे वे किसी भी दल के हों, चाहे वे सीमा शुल्क कर्मचारी हों, चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों। एक अपराध किया जा चुका है और यह एक दोहरा अपराध है, यह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन एक अपराध है और यह एक ऐसा अपराध भी है जो इस देश की करोड़ों जनता की भावना ों को ठेस पहुंचाने वाला अपराध है। इन लोगों को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी से जो दूसरा आश्वासन हम चाहते हैं वह यह है कि वह किसी के प्रति पक्षपात करने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी दल का क्यों न हों—मुझे थोड़े पक्षपात की चिन्ता नहीं है—ऐसे पक्षपात की चिंता है जो इस अपराध के प्रति उत्तरदायी उन अपराधियों को कठोरतम सजा दिए जाने में बाधक है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका उल्लेख करें।

तीसरी बात यह है कि किसी ने इस बात का उल्लेख किया था—मेरे विचार से शायद आपने इस बात का उल्लेख किया था कि सम्भवत: देश में भी गाय की चर्बी उत्पादित की जा रही है यद्यपि इसका प्रतिशत आयात की जा रही चर्बी का बहुत कम है। किन्तु हमें सावधान तो होना ही पड़ेगा, विशेषकर इस स्थिति में जबकि यह भयानक काण्ड प्रकाश में आ चुका है।

पूर्ण पाबंदी लगाने के विवाद में न पड़ते हुए मैं आपको तथा आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह सूचित करना चाहता हूं कि जिन राज्यों में गोवध पर पाबंदी लगी हुई है, उन राज्यों में भी चोरी छिपे गाय का बध किया जाता है और सम्बन्धित कर्मचारियों, सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों, तथा भ्रष्ट व्यापारियों की सांठ-गांठ से बनाए गए अपराधिक षडयन्त्र के परिणामस्वरूप सैकड़ों और हजारों गायें रोज काटी जा रही हैं। डेढ़ महीने पूर्व जब मैं सहारनपुर में था तब मुझे ऐसे प्रलेख दिए गए थे जिनमें यह दिखाया गया था कि गायों का बध किस प्रकार किया जाता है। उन्हें मैंने आपके उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेज दिया था। मेरा अनुरोध है कि इस पाबंदी को न केवल कड़ाई के साथ लागू किया जाय बल्कि इस देश में, विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां गौवध पाबंदी है, होने वाले गौवध को निश्चित रूप से रोका जाय क्योंकि परोक्ष रूप से वह खाने में आएगा और लोग उसे खायेंगे।

महोदय, मेरा वक्तव्य पूरा हो गया है। मैं इस बात को कहने के अलावा और अधिक समय नहीं लूंगा। वास्तव में कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में दलगत आधार पर विचार-विमर्श नहीं

किया जाना चाहिए। सदन के सभी वर्ग के लोगों तथा आपके दल के लोगों को भी स्पष्ट आपराधिक गतिविधियों की भर्त्सना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और यदि हम एक आवाज से इसकी भर्त्सना नहीं करेंगे तथा मैंने जिन बातों का आश्वासन मांगा है, यदि हम वे आश्वासन नहीं देंगे तो हम इस महान देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : डा० कर्ण सिंह, चूंकि मैं पीठासीन हूं, मैं एक बात कहना चहता हूं। आपने जिस भाषण की आलोचना की है, जिसका आपको अधिकार है, उस भाषण में अपमिश्रण की भर्त्सना की गई है न कि अपमिश्रण का समर्थन।

अब श्री उमा कांत मिश्र बोलेंगे।

डा० कर्ण सिंह : मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा कि आप अपमिश्रण के समर्थक हैं। मैंने यह था कहा कि आपने भावनाओं का आदर नहीं किया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने जब यह भाषण दिया था तब मुझे वास्तव में खेद हुआ था।

सभापति महोदय : कृपया मेरे भाषण को पढ़ें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभी लोगों की, चाहे वे अधिसंख्यक वर्ग के हैं अथवा अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भावनाएं एक सी होती हैं। डा० कर्ण सिंह, कृपया हम लोग विचार-विमर्श करें।

डा० कर्ण सिंह : आप मेरा भाषण नहीं सुन सके। आप बाहर थे···(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : जिनको आपने देखा नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं। लेनिन और मार्क्स को आपने देखा नहीं है और उनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं··· (**व्यवधान**)

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, चर्बी के प्रश्न पर बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई है। पहले भी किसी न किसी प्रकार से हुई है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में और प्रश्नोत्तर के रूप में और चर्बी के आयात और उसके दुरुपयोग के सम्बन्ध में हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने बहुत करारा जवाब सदन में और सदन के बाहर दिया है और बहुत तर्कसंगत उत्तर इन्होंने दिया है। श्रीमन् इसके आंकड़ों में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि कब गाय की चर्बी के आयात का लाइसैंस दिया गया, कब इसको ओपन जनरल लाइसेंस का दिया गया, कितना पहले यह आयात किया गया, कितना बाद में आयात किया गया। ये सारी बातें इधर से भी बताई गईं और उधर से बताई गईं। इसके बारे में आंकड़ों की बात मैं नहीं करूंगा।

मुझे दो बातें कहनी हैं। एक तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस देश के बड़े राजनीतिक नेता ताराजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हैं। इसके ब

ने जैसा कहा कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है, यह एक मिलावट का ही अपराध नहीं है, व्यवसाय का ही अपराध नहीं है, यह भारत की करोड़ों जनता के साथ अपराध किया गया है। जब यह अपराध सरकार के सामने आया तो सरकार ने इसके खिलाफ कदम उठाया, अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए कदम उठाया, चर्बी के आयात के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाया। गाय की चर्बी का जो आयात किया जा रहा था, गाय की चर्बी का जो दुरुपयोग हो रहा था, गाय की चर्बी को शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मिलाने का जो अपराध हो रहा था उसके खिलाफ कदम उठाया। लेकिन इस देश के वरिष्ठ नेताओं श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह ने इसको लेकर यहां धरना दिया और राजनारायण सिंह ने काशी में भूख हड़ताल कर दी। वे वहां अनशन पर बैठ गए। उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रश्न का दुरुपयोग किया। वह एक निन्दनीय बात है, गलत बात है। यह एक गैर-राजनीतिक सामान्य विषय था, करोड़ों जनता का विषय था। इस विषय का राजनीतिक लाभ उठाने में वे विफल हो गए, निष्फल हो गए। भारतीय जनता समझ गई है कि इसको राजनीतिक स्वरूप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दिया जा रहा है, इस विषय को मेग्निफाई किया जा रहा है। इसको जनता अच्छी तरह से समझ गई है। अब जनता डालडा खाने लगी है। उसने फिर से इसका उपयोग करना शुरु कर दिया है।

हमारे ये नेता कोशिश कर रहे थे कि जनता यह जाने कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार हिन्दुओं को गाय की चर्बी खिला रही है और मुसलमानों को सुअर की चर्बी खिला रही है, और इस तरह से हिन्दु और मुसलमान श्रीमती इंदिरा गांधी से नाराज हो जाएंगे और वे उनको वोट नहीं देंगे और उनके वोट हमें मिलेंगे। यह निन्दनीय प्रयास था। इसकी हम घोर निन्दा करते हैं।

इस गाय की चर्बी के विषय में हमारे पांडे जी ने आज विस्तार से बताया और उन्होंने ही सबसे पहले यहां इसके बारे में सवाल उठाया था जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था। इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था, उसका उत्तर भी मंत्री जी ने दिया था।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कुछ धनपिशाच लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया है। ऐसे पतित लोगों ने ही गाय गी चर्बी और पशुओं की चर्बी कुछ शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मिलाई और चर्बी मिलाकर उन पदार्थों को बेचा। जहां तक विज्ञान की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि डालडा बनाने वाले किसी कारखाने में चर्बी मिलाकर डालडा बनाया गया हो। यह हो सकता है कि बने-बनाये डालडा में चर्बी मिलाकर बेचा गया हो या चर्बी को डालडा कहकर बेचा गया हो। मगर डालडा बनाने के कारखानों में जो डालडा बनाने की प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें यह संभव नहीं है। डालडा बनाने के एक कारखाने में पांच सौ आदमी काम करते हैं। यह संभव ही नहीं है कि गाय की चर्बी मिलाकर डालडा बनाया जाए और कोई जाने ही नहीं। बहरहाल डालडा में गाय की चर्बी मिलाकर उसे बेचा गया हो, यह हो सकता है।

(व्यवधान)

राही जी मेरा मतलब समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि डालडा बनाने की जो

प्रक्रिया होती है उसमें यह रा मेटीरियल नहीं है। डालडा और चर्बी मिलाए जा सकते हैं या चर्बी को डालडे के रूप में बचा जा सकता है। इस तरह से हुआ होगा।

इसको अपराध माना जाना चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जिस तरह से डकैती, हत्या या राहजनी को अपराध माना जाता है उसी तरह से इस चर्बी की मिलावट को भी अपराध माना जाना चाहिए। अगर इसके लिए कानून में सुधार करने की आवश्यकता हो वह भी किया जाए। इस तरह के अपराध के लिए आजीवन करावास और फांसी जैसी सजाओं का प्रावधान होना चाहिए।

20.31

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुछ लोगों ने इससे राजनीतिक लाभ उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। शुरू में तो एक सनसनी फैल गई कि क्या हो रहा है, डालडे में गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। लेकिन सरकार ने 15 दिन के अन्दर पता लगा लिया कि कहां ऐसा हो रहा है, भटिंडा में या रांची में, उन सबको पकड़ा गया और जेल में बन्द कर दिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। इन सब चीजों को देखते हुए जनता को विश्वास हो गया है कि बाजार में मिलने वाले डालडे में चर्बी नहीं है और सब लोग उसको खाने लगे हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस मामले के राजनीतिक दोहन की कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। आज जनता समझ गई कि यह जैसे नसबंदी का मामला था वैसे ही यह मामला है और टांय-टांय फिस हो गया।

यह प्रश्न आम जनता से जुड़ा है, यह भी बिल्कुल ठीक है। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसा कि अभी हमारे प्रगतिशील संसद सदस्यों ने कहा कि आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उनका देखने का दृष्टिकोण आर्थिक है, वे हमेशा आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है। मैं भी इसको आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ मानता हूं क्योंकि गाय के आर्थिक लाभ भी बहुत हैं। लेकिन इस बात को जनता की भावनाओं को बहुत कष्ट पहुंचाया और कुछ लोगों ने इसको लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। डालडा रोजमर्रा के उपयोग की चीज है, खाने की चीज है, सभी अवसरों पर उपयोग की चीज है, भोजन की चीज है, देश में अफवाह फैलाकर कि गाय की चर्बी की मिलावट की जा रही है, इन्होंने लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसलिए ऐसे लोग भी अपराधी हैं। लेकिन इनकी कोशिश टांय-टांय फिस होकर रह गई। जब हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है और पूरी स्थिति स्पष्ट की तो जनता संतुष्ट हो गई।

अंत में मैं एक बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि इसको गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। इसलिए किसी भी वर्ग या धर्म के लोग हों, कितने ही शक्तिशाली हों वे करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। उनको गंभीर से गंभीर दंड मिलना चाहिए। आजीवन कारावास और फांसी जैसी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। वाणिज्य मंत्री जी ने दृढ़ता के साथ पूरी स्थिति

को जनता के सामने साफ किया है और जो लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। इसी प्रकार वे आगे भी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से टाला जा रहा है जैसे कि किसी ने 1978 में रेलवे का टिकट खरीद लिया और वह 1983 में यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इसमें उस यात्री का दोष नहीं है बल्कि जनता पार्टी का है। उन्होंने 1978 में रेल का टिकट कैसे दे दिया था ? सरकार की ओर से उत्तर आया कि जनता पार्टी जिम्मेदार है। चौधरी साहब और जनता पार्टी के जमाने में आयात शुरू हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। देश के लोग आपसे स्पष्ट स्थिति जानने को उत्सुक हैं। यह प्रश्न करोड़ों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लिहाजा, यह आवश्यक है कि इस पर एक खुली जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का आयोग बनाकर इसकी जांच हो कि कौन दोषी है और कौन नहीं है ? अगर यह जाँच नहीं होती है तो तरह-तरह की गलतफहमियां पैदा होंगी। इसीलिए, जनता में जो असमंजस की स्थिति है, वह साफ होनी चाहिए ताकि यह लोगों के राजनीतिक लाभ उठाने का मुद्दा न रहे और सारी असलियत सामने आ सके। दुनिया के बाजार में मटन टैलो का भाव 900 डालर और बीफ टैलो 400 डालर टन के हिसाब से है। जिन असामाजिक तत्वों ने वनस्पति घी के उत्पादन में वनस्पति तेलों का प्रयोग न करके अपनी तिजोरियों को भरने के लिए इसको बाहर से आयात किया है, वह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि उन्होंने इसका प्रयोग क्यों किया ? हम यह जानना चाहते हैं कि यह टैलो दोनों भावों में से किस भाव पर खरीदा गया ? इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपके टाईम के स्पष्ट आंकड़े दूंगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप ज्युडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा लेते। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा।... (व्यवधान) कालिंग अटेंशन में बयान आया कि चर्बी नहीं मिलायी जा सकती। लेकिन, चर्बी मिलायी गई, पकड़ी गई और जांच से पायी गई। उस बयान में इतना बड़ा फर्क कैसे हुआ ? उससे पहले चर्बी आयात नहीं होती थी। जबसे जनता पार्टी ने उदार नीति अपनाई उसके बाद आनी शुरू हो गई। मेरे पास आंकड़े हैं। 1965 से चर्बी आनी शुरू हुई। लेकिन किस तादाद में आती रही ? 1966-67 में 19531 टन, 1967-68 में 1.20 लाख टन, 1968-69 में 73439 टन मंगाया गया। पहले जो आता था उसकी परसैंटेज को आप देखें। मटन टैलो 89.2 परसैंट और बीफ टैलो 10.8 परसैंट। लेकिन 1968-69 में स्थिति उल्टी हो गई। 79.7 परसैंट बीफ टैलो आने लगा और 20.3 परसैंट मटन टैलो। इसका कारण यह था कि मटन टैलो के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य काफी बढ़ गए थे। अप्रैल 1969 में मटन टैलो का आयात घटा, 82 टन ही केवल रह गया जबकि पहले यह 14896 टन था और बीफ टैलो बढ़ कर 58543 टन से 1.06 टन हो गया। 1969 के पहले तीन साल में कुल चर्बी का जो आयात हुआ उस में 99.5 परसैंट बीफ टैलो था। यह जो कुल चर्बी बाहर से मंगाई गई, बीफ टैलो, उसकी पोजिशन थी। 44 करोड़ 85 लाख और 6 करोड़ की 1969 में गाय की चर्बी का आयात हुआ। ये सारे आंकड़े एस० टी० सी० के पास हैं। लेकिन बार-बार आपकी तरफ से भ्रम पैदा किया जा रहा है और स्थिति साफ

नहीं हो पा रही है। आप कहते हैं कि 1977-78 में उदार नीति अपनाई गई, हमारी वजह से आयात ज्यादा हुआ। लेकिन आप स्थिति को देखें, 1977-78 में 44.634 टन, 1978-79 में 15,159 टन और 1979-80 में केवल 1233 टन का ही आयात हुआ। उसके बाद अपने आयात के आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं और आपको पता है कि कितने करोड़ की चर्बी आई।

अभी जो आयात इसका हुआ है उसमें से कुछ चर्बी आपके पास स्टाक में है। इस स्टाक को क्या आपने जब्त किया है डैस्ट्राय किया है या डैस्ट्राय करने के आदेश दिए हैं या फिर इसको वापिस दुनिया के बाजार में भेजने के आदेश दिए हैं, यह मैं आप से जानना चाहता हूं। इस चर्बी का दुरुपयोग हो सकता है, इस वास्ते यह मैं आप से से पूछ रहा हूं। इसके लिए भी आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि अब वनस्पति तेल जो बनेगा उस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। वनस्पति तेलों की कहानी भी अलग है। जब वह बनता है तो एक हजार डिग्री की गर्मी देकर उसको बनाया जाता है। इसकी वजह से इसको पचाने की पेट में शक्ति नहीं रहती है। इसलिए यह कहा गया कि उसमें विटामिन ए और डी मिलाया जाए ताकि फैट मिल सके और फैट का मतलब इतना होता चला गया कि असली फैट मिलाना शुरू कर दिया गया, गाय और सूअर की चर्बी मिलाना शुरू कर दिया गया।

सरसों का तेल, मूंगफली का तेल जो होता है उस में पाबन्दी है कि इसको उन में नहीं मिलाया जा सकता है, वनस्पति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्यापारी वर्ग ने अपना आल्टरनेटिव तलाश कर लिया। गाय और सूअर की चर्बी को ला कर सारे देश के ईमान और धर्म के साथ खेलने की उसने कोशिश की।

मैं चाहता हूं कि आप पूरे आंकड़े दें। कब से देश में चर्बी का आयात शुरू हुआ, कितनी चर्बी हर साल यहां आई है 1960 से लेकर अब तक, जनता युग के क्या आंकड़े हैं और आपके युग के क्या आंकड़े हैं और उस चर्बी में कितनी चर्बी गाय की और कितनी सूअर की आई और साथ ही साथ उस सब का अलग-अलग मूल्य कितना रहा। मैं चाहता हूं कि इस सब की आप जांच करवाएं। इसकी भी कराएं कि जो चर्बी बाहर से यहां आती थी उसका कितने परसेंट यहां के केमिकल्ज में या ग्रीज में या साबुन में इस्तेमाल होता है और कितनी परसेंट चर्बी का इस्तेमाल खाद्य तेलों में और वेजीटेबल आयल्ज में हुआ है। यह बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं चाहे वे कोई भी हों, उनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए, फांसी तक की सजा देनी चाहिए। उन्होंने लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है।

आपने जो तथ्य पेश किए हैं उन से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी आपको ज्यूडिशल जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा करानी चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबसगंज) : आज सदन में एक बड़े ही गम्भीर मसले पर विचार हो रहा है। मैं शुरू में कह देना चाहता हूं कि मैं बहुत आंकड़ों के पचड़े में न पड़ कर तथ्यों

पर आना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि किस के समय में ज्यादा आयात इसका हुआ और किस के समय में कम हुआ हालांकि आंकड़े सिद्ध करते हैं कि 1973-74, 1974-75 1975-76 में जब कि कांग्रेस का रेजीम था तब चर्बी का आयात कम हुआ और जब जनता का रेजीम आया तो बीफ टैलो का आयात ज्यादा हुआ। मूल प्रश्न यह है कि इसका दुरुपयोए होना कैसे शुरू हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने इसको सामान्यलाइसेंस के अन्तर्गत नहीं रखा था। जैसे ही आपकी सरकारआई, जनता सरकारआई उसने इस नीति को बदल दिया। जब हम थे तब यह व्यवस्था थी कि तीन प्रकार से टैलो का वितरण हो सकता है। एक तो स्माल स्केल सैक्टर में जो यूनिट थे सोप आदि बनाने के औरजो एस०एस० आई० के द्वारा मान्यता प्राप्त थे उनको इसका एलाटमेंट होता था। दूसरे आर्गनाइज्ड सेक्टर में डी० जी० टी० डी० के माध्यम से उनका वितरण होता था। तीससे पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत था उन से सम्बन्धित इंडस्ट्रीज को इसका वितरण होता था। यह वितरण की व्यवस्था हमारे जमाने में थी। वह जो रेस्ट्रिक्टिव आइटम थी, जनता पार्टी के आते ही इन्होंने प्राइवेट सैक्टर के लिए इसके दरवाजे खोल दिए। श्री मोहन धारिया ने इस नीति को बदला। उस समय भी जनता सरकार की क्लैक्टिव रिसपोंसिबिलिटि थी। वह जिम्मेदार है इसके लिए। उन्होंने प्राइवेट ट्रेडर्ज को अलाउ कर दिया। यहां तक कि बड़ी सख्ती से जो पहले लाइसेंस लोगों को दिए जाते थे उसको भी इन्होंने खोल दिया, इसकी खुली छूट दे दी। प्रश्न यह है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसी सदन में माननीय के०सी० पांडे जी ने प्रथम बार जब सदन का ध्यान इस ओर खींचा तब इनका सुझाव कि इसका लाभ उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार करने की 1967 में कोशिश की थी। भारतीय जन-मानस को भ्रमित करके कुछ राज्यों में इन्होंने संविद की सरकारें बनाने का प्रयास किया था। 1977 में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब फैमिली प्लानिंग को ले कर बड़ा हल्का हुआ—जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था—तो इन्होंने कहना शुरू किया कि कांग्रेस अनीश्वरवादी है, नक्सवादी है—(व्यवधान) प्रो० मधु दण्डवते भी शामिल थे जो फैमिली प्लानिंग को अच्छा समझते थे। फैमिली प्लानिंग के मामलों को लेकर आपने जन-मानस को भ्रमित करके देश को पचास साल पीछे धकेलने की कोशिश की है। जब हमारे श्री के० सी० पाण्डे ने यह प्रश्न उठाया तो इनको लगा कि एक और आइटम आ गया है जिसमे हम आगे आने वाले चुनाव में फायदा उठाएंगे। चौ० चरण सिंह जातीयता का प्रतीक हैं। जब भारतवर्ष का इतिहास लिखा जाएगा तो वह माफ नहीं करेगा इनको, उसमें लिखा जाएगा कि भारतवर्ष की राजनीति में जातीयता का पुट लाने वाले चौ० चरण सिंह हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेई साम्प्रदायिकता का पुट लाने वाले हैं। क्या सारा देश और सारी दुनिया इनको नहीं जानती कि इन्होंने जातीयता और साम्प्रदायिकता का अपवित्र संगठन करके वोट क्लब पर अनशन किया? यह क्या था, यह मैं नहीं कहना चाहता। अभी हमारे श्री स्वामी, जो इनके भी परम सहयोगी हैं, इनका चोली-दामन का साथ रहा है, सदन में धड़ल्ले से कह रहे थे कि वह गौमांस खाने वाले हैं। अगर हम कहें तो असत्य हो सकता है, इससे हमारे जैसे आदमी का सिर झुक जाता है। ये लोग बड़ी बुद्धिमानी से यह नहीं कहते हैं कि कौन रिस्पोंसिबल है गाय की चर्बी के लिए। ये कहते हैं कि मिलावट की बात अब हमारी सरकार ने की।

हम लोग जो गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को पार करने वाले हैं, क्या ऐसा कर सकते

हैं ? सरकार को कतई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हम यहां आए 5 जनवरी, 1981 को फिर से ये जो आइटमें थीं, इनको हमने पूर्ववर्ती कर दिया। क्या हमारी सरकार सोई हुई है ?

आप देखें कि जब भटिण्डा और अमृतसर में टैलो आया तो हमारी सरकार ने एक्शन लिया। वह किस की सरकार थी ? वह श्री दरबारा सिंह की सरकार थी। इनके जमाने में कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, क्या इन्होंने कोई सैम्पल लिया ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने उस समय प्राइवेट लोगों के लिए स्वीकार किया है, कि मोहन धारिया ने मंगाया है। उन्होंने कितने सैम्पल लिये ? लेकिन हमारी सरकार ने पग उठाया है। हमारी सरकार इस तरह की बातें पकड़कर जो जुल्मी हैं, उनको कठोर दंड देगी। जैसे शुद्ध जैन वनस्पति की बात आई, उनको मीसा में डाल दिया गया। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। यह जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी थी।

श्री मोहन धारिया मोरारजी भाई के सुपुत्र से सम्बन्धित थे, उनको चन्दा लेना था, इसलिए सैम्पलिंग नहीं किया। इन सारी चीजों को ध्यान में लाना होगा। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी तर्क दे रहे थे, यह कोई तर्क है ?

इन्होंने तर्क दिया कि चूंकि तेल महंगा था, टैलो सस्ता था, इसलिए यह हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी ड्राफ्ट मौजूद हैं। मैं वाणिज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि उस समय टैलो सस्ता था और तेल महंगा था ? यह भी पूछना चाहता हूं कि प्रमियर जूस जो कि मोबाइल टैलो था उसको चौधरी चरण सिंह जी ने कस्टम से कैसे छोड़ दिया ? उसके लिए कौन दोषी है ? क्या हम दोषी हैं ? इन्होंने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सहयोग दिया जो कि इस धन्धे को करते हैं और ये आरोप हमारी इंदिरा जी पर लगाते हैं।

यह जानकर बड़ा कष्ट होता है कि वह उस सरकार पर आरोप लगाते हैं जिनकी बुनियाद ही लोक-तंत्र, धर्म-निरपेक्ष, गुट-निरपेक्ष व आत्म-निर्भरता पर है और जिसका गठन नापाक है, जातीयता और साम्प्रदायिकता का उसको कुछ नहीं कहते। यह इतिहास बताता है। गांधी जी के मर्डर से लेकर अब तक का सारा पता है कि आप क्या कर रहे हैं इस देश में। इस बात को सारा देश जानता है। आपने सारे देश को बहुत गुमराह किया है मेरा निवेदन है कि भगवान की खातिर इस तरह जन-मानस को गुमराह न करें। अब तक जो देश में राजनीति करते आ रहे हैं, वह समाप्त होनी चाहिए।

अभी बाई-इलैक्शन में इन्होंने लाभ लेने की कोशिश की। आप देखें कि एकात्मता यज्ञ क्या है ? यह धोखा है। जैसे आचार्य भगवान देव जी बोल रहे थे कि एक टैंकर पानी में एक शीशी गंगाजल डाला तो वह सारा गंगाजल हो गया। यह क्या हो रहा है ? इस तरह धन इक्ट्ठा किया जा रहा है। देश की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। डा० स्वामी ने कहा है कि देश का चरित्र गिर गया है और मिलावट हो रही है। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी भी एक खिचड़ी

थी, मिलावट थी—कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। उसमें अलग-अलग विचारों वाले लोग इक्ट्ठे हो गए थे।

देश में 98 वनस्पति मिलें हैं। उनमें से कितनी मिलों में मिलावट हुई है? इन लोगों ने गलत प्रचार करके देश की गरीब जनता को गुमराह किया है। गरीब लोग पहले वनस्पति का उपयोग करते थे, लेकिन इन लोगों ने भ्रामक प्रचार के द्वारा उन्हें कठिनाई में डाल दिया है। सिर्फ दो जगह मिलावट की गई: एक जगह तेल में मिलाया गया और एक जगह डाल्डा में मिलाया गया। इस मामले को राजनैतिक रंग दे दिया गया है। आज जरूरत इस बात की थी कि हम लोग निर्माण के कामों में लगते, देश की अखंडता और सुरक्षा की बात सोचते, गरीबी को मिटाने और समानता लाने के उपाय खोजते। लेकिन यह व्यर्थ का विवाद खड़ा करके राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: इनके सेनापति मैदान छोड़ कर भाग गए हैं।

श्री राम प्यारे पनिका: श्री मोरारजी देसाई और श्री मोहन धारिया इस गम्भीर अपराध के दोष से बच नहीं सकते। मुझे खुशी है कि डा० कर्ण सिंह ने इस सारे मामले को बड़े रचनात्मक ढंग से पेश किया है। मुझे आशा है कि उन्होंने वाणिज्य मंत्री से जो अपेक्षा की है, मंत्री महोदय उसको पूरा करेंगे और इतिहास में यह लिखा जाएगा कि इस तरह की सैंटीमैंटल बातों पर जनता विश्वास नहीं करती है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद): उपाध्य महोदय इस वाद-विवाद के दो पहलू हैं। एक वनस्पति में चर्बी के मिलावट के बारे में और दूसरा चर्बी के आयात के बारे में है। चर्बी का आयात और उसका इस्तेमाल तथा जनता पार्टी ने अपने शासन काल में जो कुछ किया उन सब बातों के बारे में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बतायेंगे। मैं केवल चर्बी की मिलावट पर ही बोलूँगा जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यह आरोप सुनने के लिए तैयार हूं कि मिलावट हुई है, किन्तु यह शोरगुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि मिलावट की गई है और मुझे उन तथ्यों से अवगत कराया जाए कि मिलावट के अमुक मामले हैं। मैं उन सब मामलों की जांच करने के लिए तैयार हूं। किन्तु इसके लिए आम जांच कराने के लिए कहना उचित नहीं है। जांच-पड़ताल किस बात की कराई जाए? वनस्पति देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल न केवल मध्य वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है बल्कि गरीब लोगों द्वारा भी किया जाता है।

इस देश के निर्धन वर्ग के लोगों के प्रति जो सबसे बड़ा अपराध किया गया है वह यह है कि एक झूठा प्रचार किया गया है—मैं यह नहीं कहता कि ऐसा सभी विरोधी दलों ने किया है—किन्तु कुछ ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है जो कार्य करने में विश्वास न करके केवल उपदेश देने में विश्वास रखते हैं जैसा कि इस प्रकार के नेताओं के बारे में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बहुत स्पष्ट

रूप से कहा है । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके सहयोगियों ने इंडिया गेट पर धरना दिया । इस का आधार क्या था ? मैंने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के बारे में कहा था, उदाहरण के तौर पर श्री गोयल हैं, जिनके नेता पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं । (व्यवधान) किन्तु इस मामले के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग इस देश के बहुत से लोग करते हैं, मैं प्रतिक्रिया और भावना के बारे में नहीं कहूंगा, मैं तथ्यों के बारे में कहूंगा ।

मिलावट का पता लगाने के क्या उपाय हैं ? मैं यह नहीं कहता कि मेरी सरकार ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ के प्रति कोई कारण हो सकता है और अनेक बातों के प्रति कोई कारण नहीं हो सकता है । संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां असामाजिक तत्व न पाए जाते हैं जो कम परिश्रम करके तथा अनैतिक कार्य करके अपना कार्य साधने की चेष्टा करते हैं। इसकी रोक-थाम करने के लिए प्रत्येक सरकार, चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक है अथवा किसी अन्य प्रकार की, उनके अपने तंत्र और साधन हैं। इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं ? वनस्पति के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में 92 फैक्ट्रियां हैं। इन 92 फैक्ट्रियों को और उनके उत्पादन को दो आदेशों द्वारा शासित किया जाता है । उनमें से एक 1947 का वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण आदेश है और दूसरा है 1975 का मानक किस्म आदेश। उन आदेशों में हमने यह निर्धारित किया है कि उन्हें किस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उन ग्यारह अथवा बारह प्रकार के तेलों की लम्बी सूची नहीं पढ़ूंगा जिनका इस्तेमाल वे लोग कर सकते हैं। किन्तु इसका मतलब यह है कि उनके अलावा वे चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि एक अपराध है । हमने इसे सख्ती से नियन्त्रित किया । हमारे अधीन एक निदेशालय है। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पूछा है कि "हम लोग क्या कर रहे हैं ? निरीक्षण किस प्रकार किया जा रहा है ?" हमारे पास दिल्ली में एक आधुनिकतम प्रयोगशाला है, जहां संसार के नवीनतम यन्त्र हैं जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वनस्पति के उत्पादन में क्या मिलाया गया है । मैं इस बात का पता लगा सकता हूं कि वनस्पति का कितना उत्पादन किया जा रहा है और उसमें कितना तेल है । आमतौर पर मैं पाँच नमूने की जाँच कर सकता हूं, मैं दस नमूने की जाँच भी कर सकता हूं और मैं कर्मचारी भी बढ़ा सकता हूं और 15 नमूने भी ले सकता हूं ।

इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1 जनवरी से अक्तूबर-नवम्बर तक हमने सभी वनस्पति फैक्ट्रियों के 814 निरीक्षण किए। निरीक्षण में हम क्या किया करते हैं ? हम वनस्पति उत्पादन के नमूने लेते हैं और वनस्पति उत्पादन के लिए जो तेल रखा जाता है उनका नमूना लेते हैं। इन महीनों के दौरान हमने 4312 नमूने लिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या नमूने बिना किसी सूचना के बेतरतीब ढ़ंग से लिए जाते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। क्योंकि हम फैक्ट्री में अपने निरीक्षक को जब चाहे भेज देते हैं । हमने 4,312 नमूने लिए और उन सभी का विश्लेषण कर लिया है । इसके परिणाम हमें

मिले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक फैक्ट्री से हर मास चार नमूने लिए जाते हैं। आप इससे अधिक हमारे से और क्या आशा करते हैं ? इसका आशय यह हुआ कि मैं बिना किसी सूचना के सप्ताह में औसतन एक नमूना ले रहा हूं। और विशेषकर जब कि आशंका उत्पन्न कर दी गई है तो हमने इसे और अधिक तेज कर दिया है। अत: मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि इन नमूनों के विश्लेषण ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन के स्तर पर वनस्पति में कोई मिलावट नहीं की गई थी। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को मानने के लिए तैयार हूं इस मामले में वे मुझसे और क्या उपेक्षा करते हैं ? हमारे यहां निदेशालय है। हम निरीक्षण करते हैं और नमूने भरते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तथा आदेश हमारे पास हैं।

मैंने एक और आदेश जारी किया है जो कि अब लगभग एक सप्ताह की अवधि में राजप्रत्र में प्रकाशित हो जाएगा। मैंने अब यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक वनस्पति उत्पादक को डिब्बे के बाहर यह सूचित करना चाहिए कि उस वनस्पति में क्या-क्या मिला हुआ है। उसमें कौन-कौन से तेल मिले हुए हैं, क्या इसमें बिनौले का तेल है, सोयाबीन का तेल है आदि, चाहे कोई भी तेल प्रयोग में लाते हों जिससे की उपभोक्ता को यह पता चलना चाहिए कि इसमें चर्बी नहीं मिली हुई है। अन्तिम आशंका के कारण, मैंने यह किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जो आप कह रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। परन्तु आपको उनसे परीक्षण के रसायन शास्त्र को रखने के लिए भी कहना चाहिए। क्योंकि वह परीक्षण में स्फष्ट नहीं होती है। ऐसी भावना बनी हुई है कि वे थोड़ा सा ही परीक्षण करते हैं और चर्बी की जांच नहीं कर सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : दो बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जब मैं चर्बी की बात कर रहा हूं तो मैं बकरे की चर्बी, गाय की चर्वी, सूअर की चर्बी या चर्बी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि वनस्पति उत्पादन में सभी प्रकार की चर्बी पर रोक लगी हुई हैं और इसका परीक्षण मैं कर सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि इन चर्बियों में से, जिनका आप सभी ने जिक्र किया है, चर्बी की ही जो बात की है, उसके बारे में मेरी आधुनिकतम प्रयोगशाला उसे भी स्पष्ट रूप से बता सकती है। मैंने यह निर्धारित किया है कि पांच प्रतिशत तिल का तेल होना चाहिए क्योंकि उसे हम बुदोई परीक्षण कर सकते हैं। उसका भी पता प्रयोगशाला में चल सकता है। अत:, माननीय सदस्यों के दिमाग से यह गलत धारणा दूर हो जानी चाहिए कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इससे अधिक और क्या कर सकती है कि ग्यारह महीनों में जो छापे मारे गए, जो परीक्षण हुए और जो नमूने भरे गए वे लगभग एक नमूना प्रति सप्ताह पड़ते हैं ? सभी ९2 फैक्ट्रियों में से किसी को भी यह पता नहीं होता है कि कब छापा पड़ जाए। परन्तु यह महीने में कम से कम चार बार अवश्य पड़ेगा। और मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसा होता रहेगा। अत: इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वनस्पति में गाय की चर्बी की मिलावट नहीं हुई। माननीय सदस्य फिर मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर यह आशंका कैसे उत्पन्न हुई ?

श्री के० ए० राय (धनबाद) : आप जो कुछ कह रहे हैं वह नहीं है। विशेषज्ञों ने जो कुछ

आपको विवरण दिया है कृपया फिर से यह पता लगाइए कि क्या चर्बी और हाईड्रोजनित तेल में कोई अन्तर है। हाईड्रोजनीकरण की प्रक्रिया और कुछ नहीं है अपितु तेल को चर्बी में बदलना ही है। दोनों ही स्टिरियक अम्ल के एस्टर हैं···

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपकी बात समझ गया हूं। इस क्षेत्र में माननीय सदस्य की तरह या तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूं या माननीय सदस्य की तरह ही विशेषज्ञ हूं। मैंने स्वयं जांच-पड़ताल की है और पता लगाया है···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप एक पुस्तिका निकालिए।

श्री भागवत झा आजाद : वह ठीक है। मैं केवल विशेषज्ञों की सलाह पर ही नहीं चलता हूं। माननीय सदस्य मुझे जानते हैं। इ का पूरा ब्यौरा मैंने स्वयं पता लगाने का प्रयास किया है। एक स्थिति में तो मुझे कई बातें बताई गई थीं। मैंने उसका पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करने का प्रयास किया और उस पर गौर किया। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, हाईड्रोजनीकरण तो उसका होता ही है। मैं तो केवल कह रहा हूं कि मिलावट की प्रक्रिया में एक अन्य तकनीकी मुद्दा भी है। वनस्पति का का बिन्दू अब हमने 41 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। परन्तु किसी भी प्रकार की चर्बी का इससे कहीं अधिक होता है जो कि 47 डिग्री से 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति एक समरूप उत्पाद है। जैसे ही दोनों को मिलाया जाता है तो दो भिन्न बातें होंगी और उसका आसानी से पता चल सकता है। यदि बहुत अधिक शुद्ध करके भी इसे वनस्पति के साथ मिलाया जाए तो हो सकता है यह उसी क्षण मिल जाए। उसके बारे में, मैं आपको बता चुका हूं कि हम सभी प्रकार के रक्षोपाय कर रहे हैं, इसीलिए किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। यदि वह होती भी है तो शुद्धता चाहे कितनी ही भी क्यों न हो, शीघ्र ही इसकी गंध आ जाती है। अतः, मैं कहूंगा कि चर्बी की किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। परन्तु आशंका कैसे उत्पन्न हुई थी ? यह तो वही तर्क है कि जब तक धुंआ न हो आग नहीं लगेगी। परन्तु वह तर्क यहां पर लागू नहीं होता है। वह इस प्रकार है कि जैसे आप रस्सी देखकर उसे सांप समझ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने यही तो किया था। होता यह है कि फैक्ट्री में उत्पादन के बाद हम वहां से उसका नमूना र लेते हैं और फिर उत्पाद व्यापारियों के पास पहुंच जाता है। अन्य किसी भी वस्तु की तरह, यह भी व्यापारियों के पास चला जाता है। अब यदि व्यापारी स्तर पर कोई मिलावट की जाती है तो जैसा कि डा० कर्ण सिंह ने बताया है, उसके लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू होता है। और राज्य सरकारें उस अधिनियम को लागू कर रही है। वे व्यापारी स्तर पर छापा मारकर पता लगा लेते हैं। हम सदैव राज्य सरकारों को लिखते रहते हैं कि कृपया व्यापारी स्तर पर जांच अवश्य कीजिए। पंजाब सरकार और अन्य बहुत सी सरकारों ने ऐसा किया था। पंजाब सरकार जो 405 नमूने उठाए थे, उनमें से पांच नमूनों में चर्बी की मिलावट पाई गई थी। मैं सभा में इस तथ्य पर बल देना चाहता हूं कि यह जांच-पड़ताल केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है, अपितु राज्य सरकारें ऐसा करती हैं—दोनों कांग्रेस और गैर-कांग्रेस सरकारें। पश्चिम-बंगाल, आन्ध्र-प्रदेश, कर्नाटक सहित जो कि कांग्रेस सरकारें नहीं हैं, मुझे 23 सरकारों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आपने मेरी सरकार का उल्लेख नहीं किया है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने नहीं किया है क्योंकि स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद प्रतिवेदन न भेजकर आपने बड़ी समझदारी दिखलाई है।

मैं क्या कर सकता हूं। वे बहुत ही कुशल सरकारें हैं. अतः, मेरे स्मरण-पत्रों के बावजूद उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। परन्तु इनमें से, 23 सरकारों ने अपने प्रतिवेदन भेजे हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जांच की है, जबकि पश्चिम-बंगाल सरकार ने व्यापारी स्तर पर न करके, निर्माता स्तर पर की है। यहां तक कि उन्होंने फैक्ट्रियों में भी नमूने भरे हैं और उनका विश्लेषण करके रिपोर्ट भेजी है कि उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। आंध्र-प्रदेश सरकार ने भी मिलावट की रिपोर्ट नहीं भेजी है। हिमाचल-प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, पांडिचेरी, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर-प्रदेश आदि 23 सरकारों ने मिलावट से इंकार किया है। परन्तु पंजाब सरकार ने अवश्य यह रिपोर्ट भेजी है कि 405 नमूनों में से पांच नमूनों में मिलावट पाई गई—2 अमृतसर में एक पुराने ब्रान्ड 'पीपल ब्रान्ड, नाम के वनस्पति में, जिसका कि उत्पादन 1975 के आसपास बन्द कर दिया था उसका नमूना और तीन भटिण्डा में जिनके पास गैर-लाइसेन्सशुदा उपकरण था। अतः, समग्र बातचीत का यही आधार है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आधार शिला किसने रखी थी ?

श्री भागवत झा आजाद : आप पहले ही कह चुके हैं कि जनता सरकार के एक मन्त्री ने उस गैर-लाइसेन्सशुदा फैक्ट्री की आधार शिला रखी थी। मैंने यह बात आपसे ही सुनी थी। इससे यह पता चलता है कि उसी दल के मन्त्री जो कि तब वहां थे, अब वे उसके बारे में हल्ला-गुल्ला मचा रहे हैं। केवल अमृतसर में दो और भटिंडा में तीन नमूनों में मिलावट पाए जाने के आधार पर ही उन्होंने देश भर में आशंका फैला दी है। अतः, मिलावट उत्पादन में न होकर यह भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के कुछ उन माननीय सांसदों के मन की उपज है, जिन्होंने की इण्डिया गेट पर धरना दिया था और न्यूयार्क और पेरिस में वे चाहे कुछ भी करते रहे हों, परन्तु यहां पर उन्होंने वही किया जैसा कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है, क्योंकि वह उनके घनिष्ट मित्र हैं और इन सभी बातों से परिचित हैं। मैं अपनी जानकीरी और सूचना इसी सीमित आधार पर प्राप्त करता हूं। अतः मेरा यह कहना है कि समग्र उत्तर भारत में यह आशंका उत्पन्न हो गई थी, परन्तु मैं यह और जोड़ देता हूं कि मैं डा० कर्ण सिंह की इस बात से सहमत हूं कि सरल, निर्दोष भारतीयों को मिलावट की इस खबर से बड़ा आघात पहुंचा है। परन्तु अब उन्हें यह जानकर घोर दुःख हुआ है कि मिलावट वाली आशंका तो कुछ पार्टियों और उनके नेताओं, विपक्षी दलों और उसके नेताओं द्वारा फैलाई गई झूठी आशंका है, जिनकी दृष्टि सम्भवतया मध्यावधि चुनावों पर टिकी हुई हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : परन्तु उन्होंने तो मिलावटी गंगा जल तक बेचा था।

श्री भागवत झा आजाद : उसके बारे में मेरे कुछ मित्र पहले ही बता चुके हैं। मैं बताता हूं

कि श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय ने एक बार बहुत ही अच्छा भाषण दिया था। उनका कहना था कि जनता के लिए सर्वाधिक बुरी मिलावट तो 1977 में उन दलों की मिलावट थी जो कि सत्ता में आई और उसके बाद उससे भी भयंकर मिलावट टैंकर के पानी में की गई, जिसमें कुछ बूंद गंगाजल मिलाकर उसे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए 151 रुपए तक बेचा गया था। कितनी शर्म की बात है कि जनता के हितों की उपेक्षा करके वे ये बातें फैला रहे हैं। मैं तैयार हूं, लेकिन माननीय सदस्य मिलावट का कोई प्रथम दृष्टया मामला तो दें तो सरकार में होने के नाते और जिस तन्त्र के साथ मैं कार्य कर रहा हूं, मैं यह सब ईमानदारी और सच्चाई से कर रहा हूं। मैं एक हिंदू हूं, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं और गाय नहीं खाता हूं। परन्तु मेरे गाय न खाने का कारण यह है कि जब एक अमरीकी ने मुझसे पूछा कि क्या आप गाय की पूजा करते हैं तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको बचाना चाहता हूं। परन्तु वे मेरी बात पकड़ने को बड़े ही तत्पर थे। मैंने कहा कि मैं गाय की पूजा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बुरी बात है। मैंने बताया कि जब गाय बछड़ा देती है और किसान के घर लड़का पैदा होता है तो वर्षाऋतु में भारतवर्ष में जो कि एक कृषि प्रधान देश है, गाय का बछड़ा हल के आगे होता है और किसान का बेटा हल के पीछे होता है। मैं गाय की पूजा इसीलिए करता हूं, इसीलिए उसे संरक्षण प्रदान करता हूं और मेरा विश्वास है कि मेरा धर्म वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर भी आधारित है, अन्य बातें तो पण्डों तथा कुछ तथाकथित उन लोगों ने घुसेड़ दी हैं जो कि वास्तव में धार्मिक नहीं हैं। अतः मैंने जो पूछा है वह हैं कि माननीय सदस्य किस प्रकार यह समझते हैं कि फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूर चाहे वे मुसलमान हों अथवा हिन्दू—श्री शास्त्री अथवा श्री चरण सिंह से कम धर्मात्मा हैं? वे इसे सहन नहीं करेंगे; उन्हें कभी धोखा नहीं दिया जा सकता और बिना उनको बताये चर्बी को फैक्ट्रियों में नहीं लाया जा सकता। अगर वे ऐसा पायेंगे तो वे फैक्ट्रियों में आग लगा देंगे, वे लोग इस प्रकार की मिलावट की अनुमति नहीं देंगे। वनस्पति फैक्ट्रियों में मिलावट करने के प्रति सबसे बड़ा सुरक्षा का उपाय है। अतः इस प्रकार की अफवाहें फैलाना लोगों के प्रति अपराध है। आज देश में मूल्यों में वृद्धि हो गई है। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर दोनों सदनों में चर्चा उठायी। जी हां, यह सत्य है, किन्तु इसके लिए आप जिम्मेदार हैं···(ठहाका) हंसिए मत, कुछ मित्र ही ऐसा कर रहे हैं। जिन मित्रों ने ऐसा किया है···(व्यवधान) मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किन्तु दुर्भाग्यवश सभा के बाहर भी हमारे कुछ कार्यों की प्रतिक्रिया तथा प्रतिध्वनियां हैं इन सदस्यों ने इसके विरुद्ध प्रचार किया और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मुझे इसके लिए खेद है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यह इस चर्चा से सम्बन्धित नहीं है, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था उनके शासन में क्या स्थिति थी उसे ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि हम इसके वृद्धि को रोकने में सफल हुए हैं।

मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा। आपने कहा कि उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी हुई है। यह सच है। मैं तथ्य को नहीं छुपाऊंगा। देश के कुछ भागों में, पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा अन्य भागों में उत्पादन कम हो गया है। अब मैं दो वर्षों के तेल के आंकड़े दूंगा। नवम्बर, 1981 से अक्टूबर, 1982 तक उत्पादन 9 लाख टन था तथा 8,92,000 टन भेजा गया इस वर्ष, जब कि ये गलत फहमियां तथा अफवाहें फैलायी गई, पिछले वर्ष के 8,92,000 टन के मुकाबले इस

8,98,000 टन भेजा गया। अतः फैक्ट्रियों से वनस्पति के उत्पादन अथवा प्रेषण में इस वर्ष कोई कभी नहीं आई है। यह सच है कि जिस क्षण यह अफवाह फैली, जैसा कि डा० सिंह ने बताया कि लोगों को धक्का लगा। अब लोगों को यह जानकर राहत मिली कि ये आरोप राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा लगाए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को खाना पकाने के सस्ते माध्यम से वंचित रहना पड़ा। इसीलिए इसमें वापस वृद्धि हो गई है। तेल के मामले में इस वर्ष में, 92 फैक्ट्रियों के उत्पादन के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। उस आरोप का जवाब देने के लिए मैं प्रमाण के तौर पर ये आंकड़े सदन के समक्ष रख रहा हूं। उन्होंने सोचा कि मध्यावधि चुनाव आ रहे हैं और वे कहेंगे आलू से न अर्बी से, चुनाव होगा चर्बी से। अब लोग इसे समझ गए हैं...

(व्यवधान)

इसलिए मैं जो मुद्दा बता रहा हूं आप किसी भी तरह किसी भी दृष्टिकोण से इसे देखें चाहे वह तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी, अथवा निरीक्षण, नमूना लेकर अथवा विश्लेषण करने आदि किसी भी दृष्टि से देखें आप पायेंगे कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, सिवाय व्यापारियों के स्तर के और वह भी वनस्पति के दो तथा तेल के तीन मामलों में। हमने सभी सावधानियां बरती हैं और हमने राज्य सरकारों को सावधान कर दिया है और मैं उन राज्य सरकारों को बधाई दूंगा जिन 23 ने अपने प्रतिवेदन भेज दिए हैं। इनमें दोनों तरह की कांग्रेस और गैर-कांग्रेस सरकारें हैं। वे उत्पादन स्तर तथा व्यापारिक स्तर दोनों पर नियंत्रण रख रही हैं जहां हम भी सावधान हैं तथा व्यापारियों के स्तर पर जहां पर कि उन्हें अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी है। अतः यह कहा जा सकता है कि मिलावट का प्रथम दृष्टि में कोई मामला हमारे समक्ष नहीं आया है।

अतः डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जिन जांच के लिए पूछा है, यह पूछना कि पूरे उत्पादन के परीक्षण के लिए आप अधिक प्रयोगशालाएं क्यों नहीं खोल रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे विचार से यह देश में अधिक आतंक उत्पन्न करेगा, तथा अधिक कमी तथा ज्यादा मुश्किलें होंगी। हमने वनस्पति निर्माताओं से कई बार चर्चा भी की है। हमने उन्हें बताया कि डिब्बे पर लिखा होना चाहिए कि वनस्पति किन-किन वस्तुओं से बना है। हमने उन्हें यह भी बताया कि उत्पादन के 10 प्रतिशत के छोटे डिब्बे भी बनाने चाहिएं। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने मुझसे पूछा 'क्यों नहीं आप छोटे डिब्बों की प्रतिशतता बढ़ा देते ?, इसलिए 5 किलो के डिब्बे की बजाय हम इसे एक अथवा आधा किलो के पोलिथीन पैकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है, कि हम छोटे पैकेट बना सकते हैं किन्तु पैकेटों की वजह से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। हम निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं कि छोटे डिब्बों की संख्या 10% से बढ़ा दें तथा उनके मूल्य न्यूनतम रखें। हम ऐसा करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि सदस्यों ने हर्षोल्लास के क्षणों अथवा कुछ सम्भावना को सोचा कि 'इस मामले को उठाते हैं', मध्यावधि चुनाव आ रहे हैं, मैं डा० कर्ण सिंह से सहमत हूं कि इस प्रकार की बातें जिन से लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे दलगत मसला नहीं बनाना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय

सदस्य आयें तथा गलतफहमियों को दूर करें और कहें, 'हम गलती से इस प्रकार तथा फुसफुसाहट अभियान में फस गए हैं।' कुछ दल हैं...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप जनता दल पर आरोप लगाने की भी रोकिए।

श्री भागवत झा आजाद : उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा। वह है आयात का मिलावटी हिस्सा जिस पर कि आपने माननीय मंत्री जी से सुना। आयात वाली बातों को कृपया माननीय मंत्री जी से सुनिए चाहे यह सच है कि जनता शासन के दौरान यह चर्बी बकरी की चर्बी को छोड़कर, ओ० जी० एल० पर मंगायी जाती थी। क्या यह भी सच है कि जनता शासन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लगभग 400 या उससे अधिक लाइसेंस चर्बी के आयात के लिए दिए गए थे। क्या यह सच है कि उस समय श्री चरण सिंह ने इंडिया गेट पर धरना देकर चर्बी के आयात को उत्पाद शुल्क से मुक्त बनाया। क्या यह सच है कि श्री वाजपेयी ने धरना देकर अपनी सरकार के दौरान 'प्रीमीयर पूसे' जो कि खाद्य चर्बी का शुद्ध रूप है के आयात को उत्पाद से शुल्क से मुक्त बनाया। ये सभी अच्छी बात आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से सुनेंगे। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं देश तथा माननीय सदस्यों से कह रहा हूं कि कृपया ध्यान में रखिए कि इस प्रकार के मामले जो कि गैर-मामले हैं अगर हम उन्हें गलत ढंग से लेते हैं, तो यह सरकार को नुकसान नहीं करता अपितु वे उन लोगों को धक्का पहुंचायेंगे जो कि निकट तथा बुराई पहन कर पूरे देश में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, मिलावटी गंगाजल अथवा तेल बेचते हैं, तथा पूरा आरोप हम पर लगाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा, कि मैंने कार्यवाही की है। एक बार फिर मैं कहता हूं कि पूरे समय हम अपनी सर्तकता बनाए रखेंगे। मैं नहीं कह सकता कि समाज में कोई असामाजिक तथा बेईमान तत्व नहीं हैं। ऐसे लोग हैं। खाद्य मंत्री होने के नाते, मैंने आपसे उचित दर की दुकानों के बारे में शिकायतें सुनीं। मैं कार्यवाही भी करता हूं। अगर मैं बताऊं कि मैं हर रोज क्या करता हूं तो आप मुझसे उस पर प्रश्न पूछेंगे तथा मुझे परेशान करेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि उचित दर की दुकानों में, गेहूं, चावल आदि सभी के बारे में आपकी शिकायतों की मैं स्वयं जांच करवा कर आपको बताने के लिए तैयार हूं अगर कुछ सदस्य मुझे परेशान न करने का वायदा करें, किन्तु मैं यह सब यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि यह देखना मेरा कर्तव्य है। समाज में कुछ तत्व हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि साउथ एवेन्यू में कुछ दुकानें हैं। वहां कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। किन्तु मेरा कहना है कि एक व्यक्ति के बेईमान होने से सभी व्यक्ति बेईमान नहीं होते। कुछ बेईमान तत्व किसी भी समाज में चाहे भारत में अथवा अफगानिस्तान में या फिर अमेरिका में जहां पर सी० आई० ए० काम कर रही है अथवा सोवियत संघ जहां पर अन्य कोई एजेन्जी कार्यरत है, यहां तक कि वहां पर भी उदाहरण हैं क्योंकि वहां पर मानव है किन्तु यह कोई सामान्य नियम नहीं बनाता। सामान्यतः मैं कहूंगा कि देश में कोई भी मिलावट नहीं है। तथापि मैं माननीय सदस्यों को सुनने के लिए तैयार हूं अगर वे मुझे मिलावट के मामले का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दें। कम से कम वनस्पति में कोई मिलावट नहीं है। अब लोगों ने महसूस किया है कि वे किस प्रकार इस भ्रांति में पड़ गए। एक बार आपने 1977 में परिवार नियोजन के बारे में राजनैतिक चाल चली थी। और परिवार नियोजन पर मैं कहता हूं : कि अबू बेन आदम की जाति बढ़ती जाए आप

अपने बुरे में फुटबाल टीम बना सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब आप शिकायत करते हैं, मुझे वनस्पति नहीं मिल रही है, मुझे अन्य वस्तुएं नहीं मिल रही हैं तो मुझे कहना पड़ेगा 'कृपया परिवार नियोजन कीजिए।' कृपया लोगों को धोखा मत दीजिए अथवा उन्हें वनस्पति के बारे में गलत धारणा मत दीजिए जो कि सही नहीं है। यह खाना पकाने का सस्ता साधन है। कृपया उसे प्रयुक्त करने की इजाजत दीजिए। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, दोनों ओर के लगभग छह या सात सदस्य हैं। पहले ही 9.30 हो चुके हैं। मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मंत्री जी 9.30 बजे जवाब देंगे।

अगर अभी भी कोई भाषण होगा तो उसमें पुनारावृति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री जी को जवाव देना चाहिए। एक मंत्री जी ने मिलावट पर जवाब दिया। दूसरे मंत्री महोदय अन्य सभी मुद्दों को कवर करेंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी ने 35 मिनट लिए। उन्होंने ने सिर्फ इस दुनिया के सभी मुद्दे उठाए अपितु दूसरी दुनिया के भी मुद्दे उठाए।

सदन रात्रि के 10.30 अथवा 11 बजे स्थगित हो जाएगा मंत्री जी अपना समय लेंगे। मैं सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उनके भाषण पर जोर न दें। मैं उन्हें अगले सत्र में अवसर दूंगा। (**व्यवधान**) मैं भी राजनीतिक हूं। आप चाहते हैं कि आप का नाम कार्यवाही में आ जाए कि आपने भाग लिया है। हमें युक्तिसंगत होना चाहिए। अब मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कितने और समय तक के लिए आप सदन में बैठेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भारतीय जनता पार्टी का कई बार उल्लेख किया गया है। उस पार्टी को अपनी स्थिति बताने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं। अगर आप बैठने के लिए तैयार हैं तो मंत्री महोदय के बोलने पर आप भी उपस्थित रहेंगे।

सत्तापक्ष से मैं न बोलने की अपील करूंगा। विरोधी पक्ष से कितने लोग बोलना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : तीन व्यक्ति।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, तीन सदस्य जो खड़े हो गए हैं अब वे बोलेंगे। मैं श्री कृष्ण कुमार गोयल को बोलने के लिए कहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, मिलावट और आयात की चर्चाओं के

अलावा यहां पर कई चर्चाएं हुई, जिन पर मैं समझता हूं, मेरा बोलना जरूरी है। गाय की चर्बी के प्रश्न पर मैं अपना और अपने दल का नजरिया साफ कर देना चाहता हूं। इस देश के अन्दर भावना ही सबसे बड़ी है, जिसके कारण आज हम आजाद हैं। यह केवल भावना ही जिसकी वजह से हमने भारत माता का नाम दिया है। भावना के कारण ही भारत माता के नाम पर हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। अगर यह भावना समाप्त हो जाएगी तो आदमी अपने आप एक पशु बनकर रह जाएगा। इसी प्रकार गाय के साथ भावना जुड़ी हुई है। दुख यह है कि वह एक संप्रदाय और एक मजहब से जुड़कर रह गई है। गाय, किसी एक मजहब की सम्पत्ति नहीं बल्कि सारे देश की सम्पत्ति और सारे देश की मां है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए था। आजाद साहब का भाषण अगर आम सभा में सुना होता तो शायद मुझे आपत्ति नहीं होती। एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने भाषण में एकात्मता यज्ञ को जोड़ दिया। बाकी प्रश्नों को बाद में कहूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एकात्मता यज्ञ जिसके अन्दर गंगा के पानी को देश के कोने-कोने से जोड़ा गया, और जिस समय दिल्ली में गंगा जल आया था तो राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था उन्होंने क्यों जाना उचित नहीं समझा वह जानें, लेकिन इस एकात्मता यज्ञ ने यह साबित किया कि केवल गंगा ही नहीं बल्कि देश की जितनी नदियां हैं जिनका पानी पीया जाता है और खेतों की सिंचाई होती है, हर नदी गंगा है और लोगों को यह अनुभव कराया कि हम चाहे पूर्व के रहने वालों हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों या उत्तर के रहने वाले हों, हम सब एक हैं, भारतवासी हैं। दुख है कि इसको राजनीतिक आधार दिया गया।

सिविल सप्लाईज मिनिस्टर ने जो कहा कि इसे राजनीतिक खिलवाड़ बनाया गया, इसके बारे में मेरा निवेदन है कि जिस समय भटिंडा का केप, रांची का केस सामने आया जिसमें वनस्पति के अन्दर गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है, यह सवाल केवल मिलावट का था। और उस समय तक, आप लोक सभा और राज्य सभा के रेकार्ड देख लीजिए, इसमें राजनीति नहीं आयी थी। केवल एक सवाल था कि वनस्पति में गाय और सूअर की चर्बी मिल रही है और पीपल ब्रांड को जोड़ा गया जैन शुद्ध वनस्पति के साथ और कहा गया कि उसने इल्लीगल इम्पोर्ट किया है गाय की चर्बी का। उस समय तक बहस केवल यह थी कि जिन्होंने इल्लीगल रूप से गाय की चर्बी का आयात किया गया या जिन्होंने मिलावट की उन्हें सजा देनी चाहिए। केवल इतना प्रश्न था। मुझे दुख है वाणिज्य मंत्री ने सबसे पहले लोक सभा के अन्दर जनता पार्टी को और उस समय के वाणिज्य मंत्री, श्री मोहन धारिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तब इस पर राजनीतिक रंग आया माननीय भागवत झा जी, आपने स्वयं स्वीकार किया है, अभी भी कर रहे हैं कि भटिंडा में जो वनस्पति मिला और जिसको लाईसैंस नहीं है, उसके यहां पकड़ा गया है। आपने खुद कहा अमृतसर में कुछ पकड़ा गया।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह कहा कि दो केपेज वनस्पति में मिलावट के अमृतसर में और 3 सैम्पिल भटिंडे में तेल के मिले और इन्ही 5 सैम्पिल के आधार पर हल्ला कर रहे हैं कि अडल्टरेशन हुआ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सरकार के कहने पर हुआ है, इल्लीगल ढंग से बहुत बड़ी आज्ञा में गाय की चर्बी का देश के अन्दर आयात हुआ। रेक्चुअल यूजर्स के पास न रह कर यह दूसरे लोगों के

पास गया और फिर अमृतसर, भटिंडा और रांची यहां पर यह चीज पकड़ी गई। क्या इसका प्रचार करने की आवश्यकता थी ? कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता है ।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं 7 अगस्त, 1983 के श्री मोहन सैनी के आर्टिकिल की तरफ जो "स्टेट्समैन" में निकला है। जब इस प्रकार के समाचार सारे देश के भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों में आ रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : समाचार बना रहे हैं तो छपेंगे क्यों नहीं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आर्टिकिल में लिखा है; 7 अगस्त, 1983 को मोहन सहाय का, स्टेट्समैन में जो लेख प्रकाशित हुआ है, वह इस प्रकार है :—

> "बनस्पति के रूप में गाय की चर्बी की बिक्री । रांची इसके व्यापार का तथा बिहार, बिहार के सीमावर्ती प्रांत पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में इसकी सप्लाई का केन्द्र रांची रहा है···चर्बी वनस्पति के मानक टीनों में भरी जाती थी··· सप्लाई विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने इसकी जानकारी दी···"

"राजस्थान में गाय की चर्बी का उपयोग" शीर्षक से दिनांक 13 सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक और समाचार प्रकाशित हुआ है । यह आर्टिकिल माननीय वाजपेयी, माननीय चरण सिंह या प्रो० मधु दंडवते का नहीं है । समाचार-पत्रों में जब निकला उसके आधार पर सारे देश में यह मामला चला कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है । तब यह प्रश्न उठा । इससे कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता है ।

बड़ी बात की गई है, कहना नहीं चाहता था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का जब इतिहास बन रहा था उस समय भी देश के अन्दर जयचन्द और मानसिंह पैदा हुए हैं। और आज जब लोकतंत्र को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र का इतिहास बन रहा है, उस समय विरोध पक्ष आपस में बट जाए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए आज भी जयचन्द और मानसिंह की कमी नहीं है, और यह आज हमने यहां पर देखा है ।

वाणिज्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने ही यदि आरम्भ में ही जनता पार्टी को डाक में रखने की कोशिश न की होती तो इस प्रश्न का राजनीतिक आधार नहीं बनता । लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता के सेंटीमेंट्स की आपने सराहना की और यह स्वीकार किया कि उन सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखकर हमने टोटल बैन कर दिया है । मैं इसका स्वागत करता हूं । इसी सेंटीमेंट के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि जो पनीर देश के अन्दर बन रहा है और उसमें गाय के बछड़े का अर्क जो शामिल किया जा रहा है और वह केवल इम्पोर्ट के आधार पर देश में आ रहा है, क्या मंत्री जी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस अर्क को जिसको इंडस्ट्री में रेनट कहते हैं, इसका इम्पोर्ट आप बन्द करेंगे ? सरकार ने राज्य सभा में प्र० सं० 355,

दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 को जवाब में स्वीकार किया है :

"(क) और (ख) सामान्य रूप से रेनेट 2 से 4 सप्ताह के बछड़े के अबोमासम (चतुर्थ आमाशय) से निकाला जाता है। पशु रेनेट भारत में विनिमित नहीं किया जाता है और इसका खुले आम लाईसेंस के अन्तर्गत आयात किया जा रहा है। इस मद को आयात से संबंधी आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए, पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, पृथक रूप से आयात के मूल्य संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) रेनेट का इस्तेमाल प्रमुख रूप से विभिन्न किस्म का पनीरतैयार करने के लिए किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधान के तहत गठित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने बताया है कि पशुओं का रेनेट जानबूझकर पनीर में नहींरहने दिया जाता है क्योंकि इसके संसाधन के दौरान इसे अलग करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार उनके अनुसार पशुओं के रेनेट को पनीर बनाने का एक तत्व नहीं माना जा सकता। इस समिति की राय रही है कि पनीर के पैकटों पन रेनेट के प्रयोग को दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है।

और हमारी सूचना है कि कितनी ही सावधानी रखी जाय इसके बाद भी लगभग साढे 7 परसेंट रेनेट उस चीज के बनने के बाद भी रह जाता है। हमारे देश में लेबोरेटरीज ने आल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लिया है अतः रैनेट मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके आधार पर पनीर तैयार हो सकता है। अतः क्या आप जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस रेनेट का आयात भी बन्द करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा दूसरा प्रश्न आया था कि देश के अन्दर लगभग 31,350 टन चर्बी खुद देश के स्लाटर हाउसेज में पैदा होती है, गाय की, सूअर की और अन्य प्रकार की। इस चर्बी का ऐंटी सशल एलीमेंट, बदमाश लोग, भाव में नाजायज फायदा उठाने के लिए मिलावट के लिए प्रयोग न कर सकें इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? अतारांकित प्र० सं० 3227, दिनांक 12-12-83 को आपने यह भी स्वीकार किया है···

इस प्रश्न को यहां छोड़ते हुए मैं अब दो, तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

यह निर्विवाद सत्य है कि यह टैलो आज से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सूची दीजिए। जिन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए हम उन सब पर प्रतिबंध लगा देंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह सूची नहीं देते हैं। उस पर वह आपको खुला सामान्य लायसेंस दे देंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह 69 से पहले से देश के अन्दर आ रहा है। जैसा मेरे पहले सहयोगी ने बताया था, मैं आपका "ध्यान एकनामिक एंड पोलिटिकल वीकली" के 3 दिसम्बर के अंक के पेज 2073 में लास्ट पैराग्राफ की तरफ खींचना चाहता हूं"—

3 दिसम्बर का "एकानोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली" पृष्ठ 2073, अन्तिम पैराग्राफ :—

"1969 में भी सरकार ने इस प्रकार की मिश्रित वस्तुओं के आयात किये जाने की अनुमति दी थी, कि जब पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि गाय की चर्बी भारत में आयात की जा रही है। आयातित चर्बी के तत्वों के बारे में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था :

> चर्बी के संबंध में, सर्वप्रथम, यह बात विचारणीय है कि चर्बी में गाय की चर्बी है अथवा सूअर की। वास्तविकता यह है कि विदेशों से, विशेषकर पी० एल० 480 के अन्तर्गत जब इसे आयात किया जाता है तो वह मिश्रित रूप में आती है। यह बताना बहुत ही कठिन है किस विशेष चर्बी में गाय की वसा है और किस विशेष चर्बी में सूअर की वसा मिली है।"

यह उत्तर है।

इससे अपने आप साबित है कि 1969 से ही देश के अन्दर टैलो आ रहा है, मिक्सड टैलो, जिसमें एनमीमल टैलो, गाय, सुअर सब की चर्बी है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन से समय में यह आरम्भ हुआ? आपने 5-6-81 को इसको कैनेलाइज किया। वह सन् 83 तक दो साल तक भी अमल में न आकर किस प्रकार से इतनी भयंकर मात्रा में यह बीफ टैलो देश में आ गया ?

लोक-सभा में अनस्टार्ड क्वैश्चन मैंने और मेरे कई साथियों ने रखे हैं कि कितना बीफ टैलो, मटन टैलो, पिग टैलो आया है? हरेक का उत्तर यह आया है कि हम अलग-अलग आंकड़े नहीं रखते।

मैं बताना चाहूंगा कि 25-8-83 का एक पत्र जो उत्पाद और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के सभापति श्री जी० एस० साहनी की ओर से गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री नारायण स्वामी को लिखा गया था।

क्या यह सत्य है कि आपकी जानकारी में यह बता दिया गया था कि देश के अन्दर 23 पार्टीज फर्म ऐसी हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में देश में इस टैलो का इम्पोर्ट किया है? मैं उसकी मात्रा केवल 1983 की बता रहा हूं जो कि अभी तक 63,228 टन बीफ टैलो देश में आयात हुआ है, जिसका पूरा विवरण है।

मैं अधिक न कहकर "दी वीक" 3 दिसम्बर, 1983 के पेज 14 पर दिए गए सारी कम्पनियों के नाम बताता हूं—

3 दिसम्बर, 1983 का "दी वीक" पृष्ठ—14

1. जैन शुद्ध वनस्पति, आकाश दीप बिल्डिंग, 101-बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली-1;
2. जनरल फूड प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर;

3. जयन्त आयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 13-शीतल वाड़ी, बम्बई-10;

4. मंगला ब्रादर्स, बजाज भवन, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-21;

5. सिद्धार्थ अप्राप्त प्रइवेट लिमिटेड, कलकत्ता;

6. गरूदा इन्टर नेशनल, कलकत्ता;

7. अलानो इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अलानो बिल्डिंग, मौलाना आजाद रोड, बम्बई-4,

8. कमानी आयल इंडस्ट्रीज, 367-एन, नाथन स्ट्रीट, बम्बई-9;

9. अरविंद एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 125-काजी सैयद स्ट्रीट बम्बई—3;

10. मेट्रो इन्टर प्राइजेज, शाह हाउस, शिव सागर इस्ट, बम्बई-13;

11. इस्ट कोस्ट एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता;

22. हैमिल्टन प्राइवेट लिमिटेड, तुलसीपाइप लाइ न रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-13;

13. ओसवाल वुलेन मिल्स लिमिटेड;

14. डी० आर० दास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता;

15. मेट्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई;

16. ओवरसीज ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई।''

जब 1983 में इतने लोगों के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में वीफ टैलो इम्पोर्ट हुआ, तो हाउस को यह बात बताने में मंत्री महोदय को क्या झिझक थी ? उन्होंने इसको क्यों छिपाया ? किस पार्टी ने कितना इम्पोर्ट किया, कस्टम्ज के पास इसका रिकार्ड रहता है। यह कलकत्ता, कोचीन, बम्बई और मद्रास में आया। हर पार्टी में इसका रिकार्ड है। 5-6-81 के बाद—दो साल के बाद—ये लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में वीफ टैलो देश में लाए।

क्या यह सच है कि जिन पार्टीज के नाम मैंने अभी बताए हैं, उन सारे इम्पोटर्ज ने 1980-81 में लाइसैंस के लिए एप्लाई किया था और उनको लाइसेंस मिले थे ? क्या यह सही है कि 1980-81 में लाइसैंस लेने के बाद इन पार्टीज के लाइसैंस रिवैलिडेट किए गए ? क्या यह सही है कि इन पार्टीज के लाइसैंस रिवेलिडेट करने के अलावा ओ० जी० एल० का एनडार्समैंट किया गया ? यह क्यों हुआ ? अगर सरकार ने 1981 से अपनी नीति बदलनी थी, तो 1981 के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार लाइसैंस रिवैलिडेट कैसे हुए ? मेरा चार्ज है कि जिन अधिकारियों ने उनको रिवैलिडेट किया और ओ० जी० एल० के लिए एनडार्स किया, वे अधिकारी अपने आप में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, जब तक दिल्ली से किसी का इशारा नहीं हुआ होगा। उसके बाद ही 1980-81 में लाइसैंस रिवैलिडेट किए गए। उनका माल 1983 में आ रहा है। उन लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

यह बात सत्य है—इससे इन्कार नहीं किया जा सकता—कि 1978 में नीति के परिवर्तन

के कारण ऐसी गलतफहमी पैदा हुई। ओ० जी० एल० का मतलब है एक्चुअल यूजर। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लाइसेंस—होल्डर एक्चुअल यूजर थे, जो बीफ टैलो उन्होंने इम्पोर्ट किया, वह उसे किस काम में लाते थे? वनस्पति कारखानों को वह किस काम के लिए दिया गया? उन्होंने जिस प्रकार का डिसपोजल बताया है, उसकी एक लिस्ट है। मैं समझता हूं कि डिसवर्समेंट की एक फर्जी लिस्ट बना दी गई है। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं इस लिस्ट को पढ़कर सुना दूं।

लिवर्टी आयल मिल लिमिटेड के नीचे लिखा है मैसर्ज लाइट सोप फैक्ट्री : 20.070 टन। इसी तरह अलग-अलग नामों के आगे लिखा है 18 टन, 59 टन, 9 टन, 9 टन, 9 टन, 4 टन, 950 ग्राम, 1 टन, 0.925 टन, 0.925 टन आदि। इस लिस्ट में ये नाम दिए गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या इसमें कांग्रेस (आई) का नाम है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज कल का प्रोसीजर है कि रजिस्टर्ड इम्पोर्टर सर्टिफिकेट लेकर एक्चुअल यूजर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। उस आधार पर उस माल का जो डिसपोजल हुआ, क्या आपने उसको वेरिफाई किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं अन्त में कि इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं था। आप बताइये, जैन शुद्ध वनस्पति का मामला हाउस में आया, उसको आपने एन० एस० ए० में बन्द किया, बहुत बढ़िया काम किया, आपकी तारीफ भी हुई, श्री के० सी० पांडे ने इस मामले को उठाया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : जो खा पी कर आए हैं उनको भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। (**व्यवधान**) मैंने यह बिल्कुल सही कहा है, आप खंडन कीजिए कि नहीं किया है तो मैं साबित करूंगा। (**व्यवधान**) आप श्री जेठमलानी को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं?···(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर जगह व्यक्तिगत बातें लाना अच्छा नहीं होता। मैंने यह नहीं कहा है कि जैन शुद्ध वनस्पति के विनोद जैन को अशोक जैन ने छुड़वाया। इस तरह की गन्दी भाषा सदन में नहीं आनी चाहिए, यह शोभा नहीं देता है। आप साबित करने के लिए मोशन ले आइये लेकिन इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता है। (**व्यवधान**) मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं।

आचार्य भगवान देव : आपको यह बातें सुननी पड़ेंगी।

श्री सतीश अग्रवाल : आपसे बात करना मेरे सम्मान के विरुद्ध है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि उन 22 पार्टीज के बारे में क्या हुआ? क्या उनको अवेयंस में डाल दिया गया? क्या बाकी लोगों को, आप जो इम्पोर्टेड आयल दिया करते हैं, वह देना बन्द कर दिया? केवल एक पार्टी को सरकार ने पकड़ा, सी० बी० आई० में केस भी दर्ज हो गया, एन० एस० ए० में उसको अरेस्ट कर लिया गया—यह हमने सुना लेकिन लोगों के

बारे में क्या हुआ ? और कितने लोगों को एन० एस० ए० में अरेस्ट किया गया ? यह बात तो सिविल सप्लाईज मिनिस्टर कह चुके हैं कि एडल्ट्रेशन किसी भी वनस्पति निर्माता के यहां नहीं पाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस एक के अलावा जो अन्य 22 आयातक (इम्पोर्टर) थे उनके खिलाफ कौन से केसेज दर्ज किए गए ? क्या उन सभी को सी० बी० आई० के सुपुर्द किया गया ? केवल एक ही केस में आपने क्यों सी० बी० आई० को चालान पेश किया ? क्या यह केवल आपने लोगों के मुंह बन्द करने के लिए किया ? देश में जो एक आवाज उठ रही थी उसको रोकने के लिए आपने एक का चालान कर दिया ? बाकी 22 के सम्बन्ध में क्या हुआ ? क्या उनको अवेयंस में डाल दिया गया या सरकार की ओर से जो इम्पोर्टेड आयल दिया जाता है, वह उनको देना बन्द कर दिया गया—इस बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम कभी भी इस आधार पर पालिटिक्स नहीं लाना चाहते थे और न लाए ही। हमको तो मजबूर किया बोलने के लिए कामर्स मिनिस्टर ने, जनता सरकार को कठघरे में रख करके, इसीलिए हमको यह बोलना पड़ा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस टैलो के मामले में बहुत सारी बातें कही गई हैं और इसमें पालिटिक्स की बात कही जाती है। अभी डिस्कशन के दौरान जन-भावनाओं, धार्मिक भावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। सही बात है, जन-भावनाओं और धार्मिक भावनाओं को इज्जत सभी लोग करते हैं लेकिन जन-भावनाओं और धार्मिक भावनाओं का अगर राजनीतिक मामलों में शोषण हो और उसका इस्तेमाल साम्प्रदायिकता को उभाड़ने के उद्देश्य से किया जाए तो निश्चित तौर पर यह एक एतराज की बात होती है।

राष्ट्रीय जनतांत्रित मोर्चे में हमारे डा० स्वामी जी नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर चीजों को पेश किया है उसमें गोहत्या का सवाल भी आ गया। इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रित मोर्चे के ख्यालों का साथ दिया है। हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के सवालों को लाकर देश में जो एकता रही है, उसको भंग करने की कोशिश की जाती रही है, साम्प्रदायिक तनावों को बढ़ाया जाता रहा है। (व्यवधान) इस मामले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के साथ-साथ शासक दल के लोगों ने भी अपने नाम लिखाए हैं। वे भी इसी ढंग से इस मामले को डील कर रहे हैं और अपने सारे कार्य-कलाप इसी ढंग से चला रहे हैं। कहा जाता है कि क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं। हमारे देश के अन्दर आजादी के इतने दिनों के बाद भी आज साम्प्रदायिकता की बात हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग इसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। इस चर्बी के सवाल को लेकर इसके अन्दर जो विस्फोटक तत्व साम्प्रदायिकता के घुसे हुए हैं, जिसकी बगैर परवाह किए, जिस तरह की बातें शासक दल की ओर से और कुछ विरोधी पार्टियों की ओर से की जाती रही हैं, जिसके नाम की चर्चा मैंने शुरू में कर दी हैं, यह निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है। अभी हमारे कांग्रेस—आई के सदस्य ने कहा कि आखिर हमारा क्या इन्टरेस्ट है ?

श्री राम गोपाल रेड्डी : बिल्कुल।

श्री विजय कुमार यादव : इन्टरेस्ट इनका है। कांग्रेस इस बात को महसूस करने लगी है कि इनका जन आधार टूट रहा है। क्योंकि 1980 के चुनाव के बाद जो स्थिति है, मुख्तलिफ राज्यों के चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया है। खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस बात को महसूस करते हैं कि राज्यों में उनका असर घट रहा है। तो देश में साम्प्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करके आगे आने वाले चुनावों में अपनी जीत की गारन्टी करना चाहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने काश्मीर में किया और उसी तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, उससे भी इस बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर जो विस्फोटक परिस्थिति पैदा होने वाली है, उसकी तरफ हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

जहां तक मिलावट की बात है, मिलावट के इशू को निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए और सख्ती से लिया जाना चाहिए। अगर कानून में परिवर्तन करने की जरूरत हो, सजा बढ़ाने की जरूरत हो, तो कानून में संशोधन करना चाहिए। मिलावट के खिलाफ हमारे पास कानून मौजूद हैं, लेकिन कानून में सजा बहुत कम है। आमतौर पर मिलावट करने वाले लोगों पर उसका असर घट रहा है और बड़े पैमाने पर मिलावट का धन्धा चल रहा है। इसलिए इसको और ज्यादा कठोर बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोग जो मिलावट के दोषी रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मिलावट करना बुरी बात है और हम सभी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या हमें इसकी भर्त्सना इस सीमा तक घसीट ले जानी चाहिए कि वह हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ जाए। कुछ समय पूर्व कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर रंगा ने तथा अन्य वरिष्ठ सदस्य डा० कर्णसिंह ने कुछ भावनाएं व्यक्त की थीं। हम कम्युनिस्ट लोग लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं, किन्तु हम यह नहीं चाहते कि उन भावनाओं का प्रचार किया जाए। हम लोग भावनाओं का आदर तो करते हैं किन्तु इसके साथ ही हम न केवल एक ही जाति की भावनाओं का बल्कि दूसरों की भावनाओं का भी आदर करते हैं।

भारतीय समाज उस भाव में हिन्दू समाज नहीं है विशेषकर जिस भाव में हम हिन्दू शब्द का प्रयोग करते हैं और न ही उस भाव में जिस भाव से मार्क्स ने हिन्दू शब्द का प्रयोग किया था। अपने लेखों में मार्क्स ने हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, किन्तु हमारे विचार से वह हिन्दू भिन्न है। परम्परागत रूप में भारतीय समाज एक हिन्दू समाज है।

महोदय, उनका कहना है कि इस प्रश्न में वे लोग राजनीति को नहीं घसीट रहे हैं, वे तो केवल घी में चर्बी मिलाने के बारे में बात कर रहे हैं। किन्तु मेरा कहना है कि वे सभी मिलावट करने में दक्ष हैं। (**व्यवधान**)। उनका कहना है कि वे लोग राजनीतिक दाव-पेच नहीं लड़ा रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं। आप जानते हैं कि जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि वे कोई गलत राजनीतिक दाव-पेच नहीं लड़ रहे। महोदय, वे सभी दल

केवल एक राजनीति पर चल रहे हैं और वह है साम्प्रदायिक राजनीति। समग्र रूप से इन सभी की एक ही राजनीति है और वह है साम्प्रदायिक राजनीति। सबसे अधिक खतरनाक राजनीति है। इससे पहले हम यह जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक सम्प्रदायिक दल है। इसके बाद जनता पार्टी ने हमें बताया कि कांग्रेस पार्टी भी एक साम्प्रदायिक दल बन गया है। अब वे लोग यह कह रहे हैं कि जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ही है। सारा सदन कांग्रेस होता जा रहा है। इसका क्या उपाय है? महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि गाय की चर्बी की बात नहीं होती तो क्या इस प्रकार की चर्चा हुई होती कि चर्बी पर हुई है। यदि यह भेड़-बकरी की चर्बी का मामला होता तो क्या हम लोग इस प्रकार चर्चा करते? भेड़, बकरी की चर्बी और गाय की चर्बी में क्यों अन्तर किया जा रहा है? सूअर की चर्बी के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही? क्या हम यह समझते हैं कि धर्म निरपेक्ष भारत में गाय की चर्बी खाना एक अपराध है? यदि हम इसे अपराध नहीं मानते तो गाय की चर्बी के बारे में हमारा सम्वेदनशील होने का क्या कारण है? क्या यह साम्प्रदायिकतापूर्ण राजनीति नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे देश में एक-तिहाई आबादी चर्बी खा रही है?

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं प्रोफेसर रंगा से एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं। वरिष्ठ सदस्यों से हमें छात्रों के समान सीखना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि पुरानी धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख है कि अतिथियों को गाय का मांस परोसा जाता था? क्या यह सच नहीं है?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, वह क्षेपक है।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : या तो वे सबूत पेश करें, अन्यथा कार्यवाही से निकाल दें, मुझे आपत्ति है।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं घोषित करता हूं कि मैं गोमांस खाता हूं। आप इसे कार्यवाही वृतांत से क्यों निकालना चाहते हैं?

आचार्य भगवान देव : मुझे इसमें आपत्ति है कि आपने जो कहा है कि इतना अनुपात गो-मांस खाता है। उस पर मुझे आपत्ति है।···(व्यवधान)···उसको भी कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। इतना अनुपात गो-मांस खाता है। इस तरह की बात करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये दोनों बातें स न की कार्यवाही से निकाल देनी चाहिए।···(व्यवधान)···या तो वे सबूत पेश करें, नहीं तो वे वापिस लें।···(व्यवधान)···इस तरह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।···(व्यवधान)···मनमानी नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे···(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : इस तरह की** नहीं सुन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हैं। माननीय सदस्य एक विशेष बात का उल्लेख कर रहे थे, अर्थात् हमारे शास्त्रों आदि का। अब माननीय आचार्य भगवान देव जी धमकी दे रहे हैं जैसे कि सदन में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष के नाते आप सदस्य की ऐसी किसी भी बात, जो अपमानजनक नहीं है, कहने के अधिकार की रक्षा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। वे निर्भिकता से अपने विचार सदन में व्यक्त कर सकते हैं।

आचार्य भगवान देव : वह सबूत पेश करें। ये गलतबयानी कर रहे हैं। अगर इनके पास सबूत नहीं है, तो इन्हें इस बात को कहने का हक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय मानदंडों की परिधि में वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

आचार्य भगवान देव : वे महाभारत से कोटेशन पेश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे नहीं समझ रहे हैं। जो कुछ वे कह रहे हैं यदि वह असंसदीय या अपमानजनक या आपत्तिजनक है तो हम इसे नोट कर लेंगे। हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

यदि वे कोई ऐसी बात व्यक्त करते हैं जो असंसदीय या अपमानजनक है, तो हम सभी यहां हैं। मैं यहां अध्यक्षपीठ पर किस लिए बैठा हूं ? जब तक असंसदीय न हों, वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं।

आचार्य भगवान देव : अगर महाभारत से कोई श्लोक कोट करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह नहीं कह सकते कि वे केवल वैसे ही बोलें जैसे आप चाहते हैं। वह नियमों की जानकारी रखते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं बहुत सम्मान के साथ यह सदन में कहता हूं। भगवान देव भगवान हैं तथा देवता भी। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान उदार होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम ही भगवान है। आपको सावधान रहना चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आचार्य भगवान देव : ये मूल उद्देश्य से हटकर बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : काफी देर हो गई है। कृपया समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : मैं कहता हूं कि प्रो० रंगा खड़े होकर कहें कि ऐसा नहीं है। मैं मान जाऊंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, ठीक है।

श्री ए० के० राय : महोदय, हमारी भारतीय परम्परा में गाय को माता के रूप में माना जाता है। अन्य जीवों के बारे में क्या है ? हम वराहअवतार को मानते हैं, मत्स्य अवतार को मानते हैं। वृक्षों की भी पूजा की जाती है। वृक्ष भी पवित्र माने जाते हैं। हम प्रत्येक वस्तु में जीवन डालते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कुछ नहीं खाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : विषय की ओर आइए।

श्री ए० के० राय : हमें इन बातों को इस असम्भव सीमा तक नहीं खींचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, कृपया समाप्त करें। इसमें बहुत देरी हो गई है। मंत्री ने उत्तर देना है।

श्री ए० के० राय : मेरा मूल मुद्दा यह है। यह सदन भारतीय लोगों का है, हिन्दू लोगों का नहीं। हमें यह धारण नहीं बनानी चाहिए। यह हिन्दू संस्कृति नहीं है। हम अपनी शास्त्रीय, पुरानी संस्कृति को सीमित कर रहे हैं, उसे प्रतिबन्धित कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे बिचार से अब आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री ए० के० राय : मैं एक उद्धरण के साथ समाप्त कर रहा हूं। उनकी प्रतिक्रिया से मुझे इंगलैंड में हुए एक बड़े वाद-विवाद की याद आती है। डार्बिन के सिद्धान्त के बाद इंगलैंड में यही हुआ। मैं कुछ पंक्तियों का उद्धरण दे रहा हूं। आप कृपया मुझे सुनें। प्रो० हक्सले डार्बिन के बड़े भक्त थे। अब, जब मैं गाय की बात कर रहा हूं तो लोग मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। जरा देखें, क्या हुआ :

> "बिशप विल्फबर्फोर्स ने डार्बिन के विचारों के महान् समर्थक प्रो० हक्सले की इस प्रकार भर्त्सना की :
>
> हाक्सले का मुस्कान भरी ढिठाई से सामना करते हुए उन्होंने यह जानना चाहा : "क्या आपको वंश अपने दादा-दादी से मिला या बन्दर से ?"

महोदय, उत्तर क्या था ? उत्तर यह था कि उन्हें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि बन्दर उनका पूर्वज था; लेकिन उन्हें एक व्यक्ति से सम्बन्धित होने में शर्म आएगी जिसने सच्चाई को छिपाने के लिए बड़ी-बड़ी भेंटों का इस्तेमाल किया। वे सब मिलकर यह कह रहे हैं।

महोदय, मैं रसायन शास्त्र के एक संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत से

मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को रसायन-शास्त्र पढ़ाना चाहता हूं। चर्बी का यह रसायन-शास्त्र बहुत से रहस्यों को दूर कर देगा। अब, चर्बी क्या है? क्या पशु-चर्बी, बकरे की चर्बी, सूअर की चर्बी या गाय की चर्बी में कोई अन्तर है? रसायन-शास्त्र क्या है? श्रीमन्, मैं आपको बताऊंगा। चर्बी स्टीयरिक अम्ल के एस्टरों के सिवाय कुछ नहीं है। स्टीयरिक अम्ल और ग्लिसरीन के मिलने से एस्टर बनता है, जिसे चर्बी कहते हैं और हाईड्रोजनीकरण क्या है? हाईड्रोजनीकरण में हम असंतृप्त अम्ल को तेल के रूप में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, मूंगफली के तेल में ओलिक अम्ल होता है। हम इसका हाइड्रोजनीकरण करके इसको स्टीयरिक अम्ल बना देते हैं। इसका अर्थ हुआ तेल को चर्बी में परिवर्तित करना। यही कारण है कि चर्बी को हाईड्रोजनीकरण के लिए, वनस्पति के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप वनस्पति बनाते हैं और चुपके से और आसानी सेउसमें चर्बी मिला देते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं यह मुद्दा है। यदि वेइ से जानना चाहते हैं तो इसकी जांच कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इंगलैंड तथा आस्ट्रेलिया और अमरीका जैसे अन्य देशों से भी आप यह सब आयात कर रहे हैं। अन्य सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मैं वह नहीं कहना चाहता। महोदय, अन्य देशों में वे खाद्य चर्बी और अखाद्य चर्बी में प्रभेद रखते हैं। ये दो प्रकार की चर्बी हैं और खाद्य चर्बी खाने में कोई बुराई नहीं है। यह आपके वनस्पति से बेहतर है क्योंकि वनस्पति में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है जो सदैव अलग नहीं किया जाता। लेकिन यहां चर्बी को वनस्पति में मिलाने की प्रक्रिया आपत्ति-जनक है। उदाहरण के लिए डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने यह आभास देने का प्रयास किया कि हमें स्वयं के साथ ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने यह आभास देने का प्रयास किया कि जनता शासन में चर्बी को वनस्पति के साथ नहीं मिलाया जाता था क्योंकि वनस्पति चर्बी से सस्ता था और ऐसा करना लाभप्रद नहीं था। उन्होंने कहा कि उस समय आर्थिक प्रतिबन्ध था। जनता शासन में भी यह ठीक ऐसा नहीं था। गाय की चर्बी की कीमत बकरे की चर्बी की कीमत से कम थी और ये वनस्पति की कीमत से केवल आधी थी। क्या यह सच नहीं है? निश्चय ही यह सस्ती थी। यही कारण है कि लघु उद्योगों को बन्द होने का खतरा हो गया है, क्योंकि अब भी यह सच है। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है? मुझे आशा है कि उनका ध्यान 'इकनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' में प्रकाशित लेख की ओर अवश्य आकर्षित हुआ होगा। मैं प्रो० सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि एक लाख पचास हजार टन तेल की कमी हो जाएगी जो कि साबुन उद्योग के लिए आवश्यक तेल के अनुकल्प का एक सस्ता स्रोत है। इसलिए, उन्होंने कहा था कि लघु उद्योग की सहायता करने के लिए कुछ प्रावधान करें। आखिरकार, मिलावट और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उन्हें सभी कदम कठोरता से उठाने चाहिएं, लेकिन इनके साथ-साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करते समय लघु उद्योग आहत न हों।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, आजाद साहब ने जो स्पीच दी है, उस स्पीच ने मुझे मजबूर किया कि मैं हिन्दुस्तानी में जरा साफ-सुथरी बात कहूं। इसलिए मैं मसले पर दो-चार मिनट लूंगा।

जब आजाद साहब सदन में बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि बुनियादी तौर पर मसले की

तह में नहीं गए हैं सिर्फ हमको मुतमयिन करना चाहते हैं, क्योंकि वे मिनिस्टर साहब हैं इसलिए हम उनकी बात पर यकीन कर लें। उन्होंने बताया है कि हमने 400 सेम्पल लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिन्दुस्तान की जनता के दिलों और दिमाग से यह शक दूर करना होगा कि यह जिम्मेदारी अपोजिशन की नहीं बल्कि आपकी की है। इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और यह कह दिया कि एडलट्रेशन किसी सूरत में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बुनियादी तौर पर मिलावट का मसला है, इम्पोर्ट का नहीं। यह मजहबी मसला नहीं है और न ही इसको इस तरह का मसला बनाया जाना चाहिए। मैं मुसलमान हूं लेकिन बीफ बिल्कुल नहीं खाता जबकि मजहब में यह जायज है। मुझे यह बिल्कुल पसन्द नहीं है हालांकि मैं मुसलमान हूं। आपने इस मसले को कुलयतन बन्द कर दिया तो आपका दबाव तेलों पर आ जाएगा। जम्मू में 23 रुपए और श्रीनगर में 25 रुपए प्रति किलोग्राम मामूली सरसों का तेल बिक रहा है। जम्मू-काश्मीर में इसमें मजहबी मसला बनाने की कोशिश की गई। हमारी सरकार इसमें कामयाब हो गई। वहां भी कुछ लोग फन्डामेंटालिस्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिन्दु कम्युनलिज्म और शावेनिज्म को जब मौका मिलेगा तो मज्जमत करूंगा। लेकिन, जब बोलने का मौका आयेगा तो मुस्लिम कम्युनलिज्म को भी उसी हरारत और जोश में मज्जमत करूंगा। छोटे-छोटे अखबारात जो वहां गली, कूचे और बाजारों में जाते हैं और फसाद फैलाते हैं। वे अखबार आपके यहां नहीं आते। उनके जरिए इस मसले को उबारा गया। यह कहा गया कि हिन्दू लोग बीफ टैलो के खिलाफ हैं और मुसलमानों के लिए बीफ जायज हैं। असल में कुछ सूअर का टैलो है। इस प्रकार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। हमारी सरकार ने उनका मुंह बन्द कर दिया। यह कह दिया कि यह मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है और इस मसले में बाखबर है और सरकार कार्यवाही कर रही है। इस तरह उनकी जुबानें बन्द कर दी। हमने कश्मीर वादी में जमायते इस्लामी को शिकस्ते फाश दे दी और पूरी कुबत के साथ चर्बी के मसले को रोका। कुछ लोग मरकजी सरकार के खिलाफ कहने के लिए मस्जिदों में भी गए। वहां जो मौलवी हैं, उन्होंने कुछ आवाज उठाई। मगर हमारी सरकार का वहां कंट्रोल है, इसलिए इस मसले को उबरने नहीं दिया गया। श्री आजाद कुछ अक्खड़पन में बोले थे। वे जनता के सेवक हैं। वे यहां हमें खामोश करने के लिए नहीं हैं। और उन्होंने कहा था, "आप बैठ जाएं, यह आपकी समझ में नहीं आएगा।" मैं इसे उनसे बेहतर समझता हूं। मेरा सुझाव यह है कि आपको इसे यूरोप वालों की तरह करना चाहिए। वहां प्रत्येक वस्तु ठीक प्रकार विश्लेषित की जाती है। वे वस्तु की रसायन जांच करते हैं। यदि कोई गौमांस खाना चाहता है तो खाएं, इस देश में कुछ हिन्दू भी गोमांस खाते हैं। मैं एक मुसलमान हूं लेकिन गोमांस नहीं खाना चाहता। इसलिए समस्या मिलावट की है। मिलावट से ही हमारे मुल्क में फसाद हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि इंपोर्ट बन्द करेंगे तो तेलों पर दवाब आ जाएगा। जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं कि यह 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि यह 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वनस्पति में सूअर की चर्बी मिली रहती है। आपने तेल की कीमतें इसी प्रकार से बढ़ानी हैं तो यह पचास रुपए हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि यह इक्तसादी मसला है इसको मजहबी सियासत का मसला नहीं बनाना चाहिए और पार्टी की बुनियाद से ऊपर उठाना चाहिए। अभी गोयल साहब ने भी कहा कि जो लोग इस देश में बीफ टैलो को ना-पसन्द करते हैं, उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए।

लेकिन यह कहना कि हर किस्म के टैलो का इंपोर्ट बन्द कर देंगे यह इस लिहाज से नाइंसाफी होगी। क्योंकि इस मुल्क को महान होना है, तमाम दुनिया में सेक्यूलर देश के रूप में ऊपर उठाना है। इसलिए जो लोग खाना चाहते हैं बीफ टैलो, उनको दीजिए। जो पिग टैलो खाना चाहते हैं वे भी खाएं लेकिन मिलावट का मसला बहुत गम्भीर है। इसको बिल्कुल रोका जाना चाहिए।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं, आजाद साहब ने कहा कि इतने सैंपल चैक करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुओं का जजबाती मसला है। गाय को माता के रूप में माना जाता है। उनके इस जजबे की कदर करनी चाहिए। इसलिए वे अपोजिशन को कह सकते हैं कि वे इसको राजनीतिक मसला न बनाएं लेकिन जनता के मन से शक-शुबा अवश्य दूर होना चाहिए। वह शक इस तरह से दूर नहीं होगा कि आपने इंपोर्ट बन्द कर दिया है। और कई तरीकों से स्मगल हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाए और सारे लोगों के मन से शक दूर हो सके।

22.22

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सभी प्रकार की पशुओं की चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने वाले सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। मैं उन सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने आर्थिक आधार पर चर्बी का प्रतिबन्ध लगाने की आलोचना की है। कम से कम, जब उन्होंने सरकार की आलोचना की तो सरकार ने कहीं अधिक प्रतिक्रिया दिखाई है। वे इसे स्वीकार करते हैं और इस पर बल देते हैं कि सरकार ने यह किया है। मैं विपक्ष के अपने कुछ मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने चर्बी के पक्ष में दी गई दलीलों में अपना विशद योगदान दिया है। मैं सोचता हूं कि वे ट्राफी के हकदार हैं। आगामी चुनाव में कढ़ाई (फ्रांइग पान) चुनाव चिन्ह होगा। इस आग को, जिसे वसा को आग पर रखकर नहीं बल्कि उन्हें बिना किसी वसा के आग सुलगाने का दूसरा मुद्दा भी मिल गया है, को ईंधन देने के लिए वे दूर तक गए हैं, हमारे कुछ मित्र उसे स्वयं अपनी वसा पर जलाने के लिए अनशन तथा भूख हड़ताल पर गए हैं। अब तो मानव वसा पर भी गर्मागर्मी होने लगी है। लेकिन राजनीति को वसा का ईंधन देने की प्रक्रिया में हमारे एक मित्र माननीय सदस्य ने हनुमान का उल्लेख किया तथा मानवता के उद्गम को पीछे लेजाकर एक बन्दर से जोड़ दिया। लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं हैं, चाहे यह हक्सले है या हनुमान। इस पूरी प्रक्रिया में पौराणिक कथाओं की कम से कम श्रेष्ठ उपलब्धि है। मेरे विचार से पौराणिक हनुमान देखने के बाद मुझे नाम उल्लेख करने की आवश्यकता है कि ये कौन थे। श्री राजनारायण।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : हनुमान जी का अपमान न कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपने कथन के विरुद्ध गए हैं कि आप किसी के नाम का उल्लेख नहीं करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका हनुमान श्रीमती गांधी का अनुकरण कर रहा है। यह कार्यवाही वृतांत में है । इसलिए अर्द्ध-हनुमान हैं और आप असली हनुमान हैं ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं वापस इसकी ओर आऊंगा ।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : आप सदन से बाहर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सदन में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरीखे मंत्री को यह शोभा नहीं देता ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कम से कम उसके लिए मैं विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : श्री राजनारायण का उल्लेख कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें इस विषय में गम्भीर चर्चा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौराणिक कथाओं की मूल लिपि इस हनुमान पर लागू नहीं होती क्योंकि इनकी ही राम को गदा मारने की आदत रही है। अतः जहां तक आपके अनुमान और इसका सम्बन्ध है तो जब चौधरी साहब अनशन पर बैठे थे तो अकेले नहीं वे । उन्हें इस बार एक नया हनुमान मिल गया था। इसके लिए अटल जी गवाही देंगे, आप उनसे नये हनुमान के बारे में पूछ सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया चर्बी के मामले को लीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं चर्बी पर ही आ रहा हूं । क्योंकि मानव चर्बी जला दी गयी है। जो लोग यह मानव चर्बी जला चुके हैं। मैं उनको दोष देने की गलती नहीं कर सकता चाहे अनजाने में उसको लिया हो जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। यहां तक अटल जी भी विदेश में अनजाने में इसे प्राप्त कर सकते थे। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि इसका प्रयोग वास्तविक प्रयोगकर्ता के प्रयोजनों के लिए किया गया । और इस मामले में वास्तविक प्रयोगकर्त्ता का प्रयोजन राजनीतिक है। अतः इस रूप में इसका प्रयोग किया गया है । राजनीति और राजनीतिकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

प्रो० मधु दण्डवते : आखिरकार डा० कर्ण सिंह भी इसका प्रयोग कर चुके हैं किन्तु उन्होंने इसे दूसरी तरह से लिया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न यह है कि हर बार यह कहा गया कि राजनीतिकरण है। राजनीति में गलत क्या है ? हम सब के लिए राजनीति कोई वर्जित नहीं है । नहीं, यह नहीं है, हममें से किसी के लिए भी, और राजनीति कोई घृणित चीज नहीं है। वाद-विवाद के हर पक्ष में लोगों को

शामिल करना दल की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है। क्या हुआ है ? एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकता हूं । जब उन्होंने पूछा था कि वाणिज्य मंत्री कौन था ? मेरी गलती यह है कि मैंने नीति बता दी और यह भी बता दिया कि मंत्री कौन था और यह स्वत: ही नहीं बताया गया था। हम भाषण नहीं दे रहे थे। हम अनशन पर नहीं बैठे थे। हमने प्रदर्शन आयोजित नहीं किए थे और हम तहसील और प्रखण्ड स्तर पर भी नहीं गए थे। मैंने केवल प्रश्न का उत्तर दिया था। मैं जानकारी को रोक नहीं सकता क्योंकि विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने का मुझे दोष लगेगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब आप विपक्ष मैं थे तो आपने बुरी से बुरी बातें की थीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कहूंगा कि इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह अनेक बार दोहराया गया है क्योंकि सूचना दे दी गई और तत्काल ही इस केन्द्रीय सभागार में उपवास पर बैठने की पूरी योजना बना ली गई थी। क्या यह मंच मुद्दे उठाने के लिए है ? क्या यह मंच मिलने और वक्तव्य देने के लिए है ? और प्रखण्ड स्तर से पवित्र गंगा तक राजधानी से तहसील स्तर तक इस मुद्दे पर संगठित रूप से प्रचार किया जा रहा है। और इसका मतलब क्या था ? जब मैं कहता हूं। इसका 'राजनीतिकरण' किया गया—मोहन धारिया ने भी यही कहा कि इसका राजनीतिकरण किया गया था। जब मोहन धारिया स्वयं यह कह चुके हैं कि यह सच है। तब यह कोई राजनीति मुद्दा नहीं रह जाता। सारी बात यह है तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने यह कहा था और तब मैंने कहा था, यह उस समय का राजनीतिकरण था। और उनकी यह बात रिकार्ड पर है। 2 अक्तूबर, 1983 के 'इंडियन एक्सप्रेस' (बम्बई संकरण) में उनके साक्षात्कार में यह बात कही गयी। उनकी बात रिकार्ड पर है कि 1977-78 में 5,000 वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा लगभग 25,000 टन गाय की चर्बी का आयात किया गया था। वह आगे कहते हैं और सुब्रह्मण्यम स्वामी बताते हैं कि "यदि उचित औद्योगिक उद्देश्यों के लिए चर्बी का आयात किया गया तो उसमें गलत क्या है ?" अब यह राजनीतिकरण नहीं है। यह सच बन चुका है। उसका मुख्य गवाह, उनका स्वयं का वाणिज्य-मंत्री यह बात स्वीकार कर चुका है। अब निर्णय अपरिहार्य रूप से उनके खिलाफ है। यह निर्णय से पलायन करना था कि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दिया सभी गलतियों के होते हुए भी, उनके स्वयं के, जनता पार्टी के वाणिज्य-मंत्री ने जो, स्वीकार किया है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। सार्वजननिक जीवन में पाखण्डी लोगों अथाह सुख प्राप्त करने से रोकने का नाम राजनीतिकरण नहीं है। यह हमारे सार्वजनिक कर्तव्य का एक भाग है, आम्डबर करने वालों ने अपना स्वयं ही भंडाफोड़ कर दिया है। नीतियों की कमियों को महिमा प्रदान करने का यह एक पाखण्ड था, उस महिमा पवित्रता के साथ जो वे अपने कार्यों में रखते है। वे पाखण्ड की महिमा के साथ इसको ढकना चाहते थे। तत्पश्चात प्रतिक्रिया हुई और खूब तर्क-वितर्क हुआ था। उसे राजनीतिकरण कहा गया है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम विपक्ष पर जिम्मेदारी डालना या उसे बलि का बकरा बनाना नहीं चाहते हैं। हम की गई कार्यवाही के आधार पर हैं और इस मामले पर तो सरकार ने

तत्काल, ठोस और पूर्ण कार्यवाही की है। मैं डा० कर्ण सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत ही संतुलित और रचनात्मक विचार रखे।

एक बात कही गयी कि चर्बी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने या अनुमति देने का कारण जनता की भावनाएं नहीं वरन् ठोस आर्थिक और औद्योगिक कारण होने चाहिए। भावनाओं का भी एक स्थान होता है। यदि श्री राय किसी की भावनाओं के लिए अपने मन में कोई स्थान नहीं रखते तो बच्चे के प्रति मां के स्नेह का भी कोई स्थान नहीं होगा। यदि कोई ऐसी बात है जिस पर जनता उत्तेजित हो जाती है या बुरा महसूस करती है तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अतः इस मामले में मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और धार्मिक भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। हम सभी पशुओं की चर्बी के आयात—पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा चुके हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्यों ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भावना लेने में हैं, आयात करने में नहीं। कोई शराब पीता है, कोई शराब नहीं पीता है। जब आप शराब लाते हैं, तो क्या आप किसी की भावना को नहीं छेड़ते ? यह भावना शराब न पीने वालों की होती हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह प्रचुर सावधानी का उपाय है। परिवर्तन के बारे में, श्री गोयल ने 22 फर्मों का उल्लेख किया और पूछा कि क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं, क्या उनका स्थगन किया गया है अथवा नहीं, क्या आयातित सामग्री के प्रयोग को रोका गया है या नहीं ? केवल 22 नहीं बल्कि अब तक 193 फर्मों का स्थगन किया जा चुका है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हम दस्तावेजों को देख रहे हैं और उनका स्थगन किया जा चुका है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं कि वे कानून सम्मत और उचित प्रयोग कर रहे हैं तब तक हम स्थगन आदेशों को रद्द करने वाले नहीं हैं। (व्यवधान) मैं उन 193 फर्मों के नामों को बता भी सकता था किन्तु क्योंकि अभी हम जांच कर रहे हैं अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे उनका नाम बताने पर जोर न दें। किन्तु यह बहुत व्यापक है। आयातित चर्बी के भण्डार के बारे में, कुछ मामलों में पुनर्निर्यात किए गए हैं। अन्त्र मामलों में उचित निपटान के लिए हर प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं। आप जानते हैं कि भटिंडा के मिल-मालिक अपने साथियों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन अभी भी सलाखों के पीछे हैं। अतः इस बारे में कठोरतम कार्यवाही की गई है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कितनों की जमानत हो चुकी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : न्यायालय के कार्यों के बारे में मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।

यह कुछ ठण्डे तथ्य हैं किन्तु ठण्डे तथ्य आग नहीं पकड़ते हैं और मैं ऐसे तथ्य नहीं दे सकता हूं जो आग पकड़ने वाले हों यदि वे आग को शांत कर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पुन: प्रमाणीकरण और लागू करने के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस पर भी आऊंगा। जब मैं आयात करने के लाइसेंसों के विषय पर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जैसा कि आचार्य भगवान देव ने भी कहा, विश्व हिन्दु परिषद भी एक पत्र भेज चुकी है। यह एक हिन्दु मंच है···(**व्यवधान**)

श्री सुनील मैत्रा : वह पत्र किसने भेजा था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विश्व हिन्दु परिषद के महासचिव, श्री हरमोहन लाल ने वह पत्र लिखा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने पत्र में क्या लिखा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने कहा है कि सरकार की इस कार्यवाही से गो-पूजक हिन्दु समाज को बहुत राहत मिली है।

प्रो० मधु दण्डवते : कभी शंकराचार्य के कभी विश्व हिन्दु परिषद।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं, मैं अपनी इच्छा से यह सब नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनको उद्धृत करने का मुझे अधिकार नहीं है किन्तु कुछ सदस्य, विपक्ष के भी जो उन पर आस्था रखते हैं केवल उनके लिए ही, अपने लिए नहीं, मैं यह उद्धृत कर रहा हूं···(**व्यवधान**)

प्रो० प्रधु दण्डवते : यह शैतान द्वारा धर्मग्रन्थ शब्दों को उद्धृत करने जैसा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किन्तु जब हिन्दु मानस, और जो हिन्दुओं के हिमायती होने का दावा करते हैं, शांत हो सकते हैं कुछ लोग उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग, दूसरों के दुःख में, अपने योगदान को, अपने राजनीतिक भविष्य की पूंजी के रूप में देखते हैं और इसीलिए वे हमेशा उनके दुःखों को बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। वास्तव में वे अपना भाग्य देखते हैं और इसीलिए वे इस सारी समस्या को लगातार खींचना चाहते हैं।

इस बारे में, एक बात कही गयी और मोरारजी ने भी यह बात कही कि गाय की चर्बी काफी लम्बे समय से आयात की जा रही थी। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि डा० कर्ण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह भी उस समय सरकार में थे जब मोरारजी ने इसका संकेत किया था वह फी नैतिक साहस वाले व्यक्ति माने जाते हैं। क्या वह बोलने से नैतिक पक्षाघात के शिकार हो गए थे ?···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह नहीं जानते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लगता है अब वह जानते हैं। उनके पास साहस नहीं है किन्तु जब वह प्रधान मंत्री थे, सारी सत्ता उनके अधीन थी, तब उन्होंने इसे क्यों नहीं रोक दिया था ?···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं आपकी बात में व्यवधान डाल सकता हूं ? मैंने श्री मोरारजी देसाई से पूछा । उन्होंने कहा, जो बातें हमारी जानकारी में आईं, हमने उन्हें रोका । उदाहरण के लिए बन्दरों का निर्यात हमने रोका, मेंढ़कों का निर्यात भी हमने रोका था । उन्होंने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी । यदि मुझे इसको पता होता तो मैंने अवश्य इसे रोका होता ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर, बन्दरों के निर्यात के बारे में, बहुत से बन्दर उनके दल में हैं, देश की भलाई के लिए वह उनका निर्यात कर सकते थे । निर्यात रोकना देश के लिए खतरनाक ही रहा ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, सांपों पर वह रोक नहीं लगा सकते थे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अत: जनता शासन के दौरान, जब मोरारजी देसाई मंत्री थे, व्यापक रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की खोज, जारी करने के बावजूद भी, सभी बुद्धिमान लोगों ने मिलकर शाह कमीशन बैठाया, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उनका उद्देश्य यही था, तो घातक रहस्य मन में क्यों छिपाकर रखा गया और शाह कमीशन में अथवा उनके अपने वक्तव्यों में इसे प्रकट क्यों नहीं किया गया। इससे बहुत कुछ हो सकता था, यह श्रीमती गांधी को, कांग्रेस को नष्ट कर सकता था··· **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : अगली बार ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : शाह कमीशन का यह पक्षपातपूर्ण नाटक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती । एक ही कमीशन पर्याप्त था । अब वे जांच कराना चाहते हैं । उन्होंने शाह कमीशन में यह सब सिद्ध किया । इसके बाद मैं उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें चर्बी के सम्बन्ध में भी कहने दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं चर्बी के मुद्दे पर ही आ रहा हूं । जहां तक चर्बी का सम्बन्ध है, प्रो० दण्डवते, अब इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । और भविष्य में इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए । प्रतिदिन इस वाद-विवाद का इतिहास बनता जा रहा है । किस व्यक्ति ने कब क्या, उसके लिए हमें अपने हृदय को टटोलना होगा । लेकिन पिछली बातों को दोहराने से, मैं समझता हूं कि हमारे कुछ गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं, क्योंकि जनता शासन के दौरान जो कुछ घटित हुआ था, वह कंपकंपा देने वाला है । यह खेल वैसा ही है जैसा डा० जैकिल और श्री हाइड का—एक कब्र में दबा हुआ था और दूसरा भूख हड़ताल कर रहा था । इस कब्र में क्या है···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्हें कब्र में किसने डाला··· **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वे पहले ही से कब्र में थे । 1980 में लोगों ने उन्हें बहुत शालीनता से दफनाया । यदि उन्होंने इसे छोड़ दिया होता, यह उसका अन्त होता । अब इसे कुरेदना ही होगा । जहां संभव हुआ, मैं उन्हें उनके दुर्दम्य मिथ्याचारों से मुक्त कराकर उनकी सहायता करने

का प्रयत्न करूंगा। मैं इस विषय पर चर्चा करना नहीं चाहता था लेकिन हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा था, भूख हड़ताल और रैलियां हो रही थीं, तथा भाषण दिए जा रहे थे। यही कारण था। इसीलिए हमें इतने विस्तार में कहना पड़ा।

श्री सुनील मैत्रा : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है; सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के विषय को लेता हूं। अधिक विस्तार में गए बिना मैं कहूंगा कि जनता पार्टी के शासन में आने के पश्चात पशु चर्बी के आयात और विवरण सम्बन्धी नीति बनाने में भारी परिवर्तन किया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एलेग्जैंडर रिपोर्ट के कारण ही उसमें परिवर्तन किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एलेग्जेंडर रिपोर्ट में मदों के बारे में नहीं बताया गया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग मत करो। उस रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि सहज बुद्धि का इस्तेमाल मत करो और जनता की भावनाओं की कदर मत करो।

नीति में एक मूल परिवर्तन किया गया था। सर्वप्रथम, जनता पार्टी के शासन के दौरान पशु-चर्बी के आयात के लिए आयात और वितरण को सरकारी संस्था से लेकर निजी व्यापारी को सौंप दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया था कि इसका आयात एक माध्यम से करने के बजाय, अनेक माध्यमों से बल्कि असंख्य माध्यमों से कर दिया गया, जिसमे रातों-रात हजारों लाखों निजी व्यापारियों को पशु चर्बी आयात करने का अधिकार मिल गया। तीसरा परिवर्तन वास्तविक उपभोक्ता की स्थिति में किया गया। किसी भी मुफस्सल नगर में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकता था और कह सकता था कि वह साबुन बना रहा है और इसलिए वह चर्बी प्राप्त करने का अधिकारी है।" तत्पश्चात 1978-79 में रैप लाइसेंस को हस्तांतरणीय बना दिया गया और किसी भी निर्यात गृह द्वारा किसी भी मद के लिए अस्थायी लाइसेंस रैप खरीदा जा सकता था और इस आधार पर वे ओ० जी० एल० पर कोई भी वस्तु आयात कर सकते थे। उससे बहुत कुछ पता चलता है कि हीरे के लाइसेंस पर किस तरह गाय की चर्बी का आयात किया जाता है। यह नीति को उदार बनाने तथा इस बात पर ध्यान न देने का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि हमें किसी चीज की अनुमति देनी चाहिए और किसकी नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन आयात सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें कमी आई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उन सबके आंकड़े बताऊंगा तथा जो नीति आपने बनाई है। उसे प्रकट करूंगा। वास्तविकता यह है कि अत्याधिक निजी व्यापारियों को प्रत्यक्ष रूप से गाय की चर्बी का आयात करने को लाइसेंस दे दिया गया था, जिससे इतना अनिष्ठ हुआ। इसने चर्बी के प्रतिबन्धित आयात और वितरण की समूची सरकारी नीति को उलट दिया। अतः नीति के तीन

चरणों में यह परिवर्तन किया गया। 1978-79 में पहली बार लाइसेंसों को आम रूप से हस्तांतरणीय बना दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्यात गृहों को ओ० जी० एल० पर कुछ भी निर्यात करने के लिए रैप लाइसेंस लेने का अधिकार दे दिया गया।

आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश, : अप्रैल पर वहुत चर्चा की गई थी, और उसको राजनीति में घसीटा गया। और मैं समझता हूं कि यह धमकी भी दी गई थी कि मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा। ठीक है, यह विशेषाधिकार है और मैं सच कहने का अपना विशेषाधिकार नहीं छोड़ता। और यह एकदम स्पष्ट है कि आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या-1/78, ओ० जी० संख्या-3/78, 3 अप्रैल, 1978 इस प्रकार है :—

आयात नियन्त्रण आदेश, 1955 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा दक्षिण अफ्रीका संघ, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रोडेशिया और चीन के तिब्बत प्रदेश को छोड़कर भारत में विश्व के किसी भी देशसे कच्चा माल और संघटक आयात करने की अनुमति देती है बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे :—

> आयात की नई बस्तुएं परिशिष्ट 3, 5, 6, 7 और 8 तथा साथ ही 1978-1979 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 में प्रतिषिद्ध, प्रतिबन्धित और सरणीबद्ध वस्तुओं की सूची में न रखी गई हो।

इस आदेश के अनुसार, यदि आयात किए जाने वाला कच्चा माल संघटक परिशिष्ट 3, 5, 6, 7, 8 और 9 में प्रतिषिद्ध, प्रतिबंधित अथवा सरणीबद्ध की गई वस्तुओं की सूची में न हो, तो यह ओ० जी० एल० पर आयात की जाएगी और जबकि बकरी की चर्बी को सरणीबद्ध की गई बस्तुओं की सूची में रखा गया था ताकि शेष अन्य पशुओं की चर्बी ओ० जी० एल० पर मंगाई जा सके। इस तरह आदेशानुसार ओ०जी०एल० पर चर्बी आतीरही।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन उपभोक्ता वस्तु के रूप में नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस पर चर्चा करूंगा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे क्या बवाल उठ खड़ा हुआ है ? कूड़ा-करकट फेंकने के बाद क्या आप हमें मक्खियां उड़ाने के लिए कह रहे हैं ? छू करते कहते हैं कि मक्खी हांको। हम क्या कर सकते हैं ? यह इस संवेदनशील मुद्दे पर देश को चलाने की प्रशानिक सूझ-बूझ है।

उद्योगों के लिए कच्चे माल के बारे में सम्भवत: आप भी राजनारायण जी के तर्क में उलझ कर उपभोक्ता सूची को उद्धृत करके यह कह रहे हैं कि गाय की चर्बी उस सूची में नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वनस्पति निर्माता चर्बी आयात नहीं कर सकता क्योंकि इसे प्रतिषिद्ध वस्तुओं की सूची में रखा गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने आपको बताया कि निर्यातकर्त्ता बाजार से खरीदे गए रैप

लाइसेंस पर यह कार्य कैसे कर सकते हैं और ओ० जी० एल० गाय की चर्बी प्राप्त कर इसका आयात कर सकते हैं। यह काम इस तरह किया जाता है।

एक तर्क और प्रस्तुत किया गया जिसमें पैराग्राफ उद्धृत किए गए हैं। इसे श्री राजनारायण ने उद्धृत किया मेरा विचार था कि सम्भवत: आपने उपभोक्ता वस्तु के कुछ संदर्भ बताए हैं। यह उल्लेख किया गया है कि इसे उपभोक्ता वस्तुओं की ओ० जी० एल० की सूची में नहीं रखा गया है। वह पभोक्ताओं सम्बन्धी है, लेकिन मैंने कच्चे माल के बारे में उद्धृत किया है और उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा कच्चे माल में मौलिक अन्तर है। पहले कच्चा माल बनता है जबकि किसी वस्तु का उपभोग अन्त में होता है, मैं नहीं समझता कि केवल श्री राजनारायण ही इसे प्रस्तुत कर सकते थे। उन्हें गाय की चर्बी को उपभोक्ता वस्तु लग सकती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वनस्पति निर्माताओं ने आयात किया तो यह उपभोग्य वस्तु है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं वनस्पति निर्माताओं को संरक्षण नहीं दे रहा हूं और हम अवैध रूप से आयात करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। उस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें निजी व्यापारी को लाने का क्या कारण था ? पहली व्यवस्था समाप्त नहीं की गई थी; कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी आयात और पूर्ति में कमी नहीं आई थी, तथा चर्बी प्रयोग करने वाले साबुन, ग्रीस उद्योग अथवा कोई कपड़ा ईकाई भी बन्द नहीं की गई थी। निजी व्यापारी को इसमें लाने की क्या आवश्यकता थी।

डा० **सुब्रह्मण्यम स्वामी** : हम वाणिज्य मंत्रालय के चारों ओर घूमने वाले उन सभी दलालों को कम करना चाहते थे। हम उन्हें हटाना चाहते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और आप अपनी मन्डी बनाना चाहते थे, आप व्यापार नीति को इन व्यापारियों के हाथ सौंपना चाहते थे। व्यापार नीति की बजाय व्यापारियों ने पूरी नीति अधिकार में ले ली।

श्री बूटासिंह : व्यापारिक नीति।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : व्यापारियों के प्रति यह उदारता उनके राजनीतिक उद्भव से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है; इसे समझा जा सकता है किन्तु इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर हमने नीति बदल दी। हमने नीति क्यों बदली ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इससे कुछ अधिक है। अधिक दुःखद बात यह है कि उनके प्रति उदारता के अतिरिक्त, गाय-चर्बी के आयात पर सीमा-शुल्क में भी छूट दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। वह महत्वपूर्ण है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप दस्तावेज दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह भारत का असाधारण गजट है। यह असाधारण है। यह 27 अप्रैल, 1979 को प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय : असाधारण काम के लिए, यह असाधारण ही होना चाहिए था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अप्रत्यक्ष कर विभाग, नई दिल्ली, में 12 अप्रैल, 1979 से गोजातीय पशुओं की चर्बी पर सीमा-शुल्क में छूट दी गई है।

श्री बूटा सिंह : उस समय मन्त्री कौन था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चौधरी चरण सिंह मंत्री थे, जिन्होंने अनशन भी किया।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको यह पुनः सभा पटल पर प्रस्तुत करना होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दस्तावेज यहां हैं। मैं सभी कुछ प्रस्तुत कर सकता हूं। (**व्यवधान**) यह यहां हैं, मैं इसे आगे दूंगा। (**व्यवधान**) गोजातिय जानवरों की वसा, मुझे स्पष्ट करनी है। किन्तु जो स्पष्ट करने लायक नहीं है उसमें 'प्रीमीयर जूस' शामिल है। मुझे स्वयं को भी नहीं मालूम प्रीमीयर जूस है क्या।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रीमीयर क्योति ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 'जूस'

अध्यक्ष महोदय : यह है क्या ? खाद्य सामग्री अथवा···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सीमा सहकारी परिषद नामावली के अध्याय के पृष्ठ संख्या 92 के अनुसार प्रीमीयर जूस (ओलियो स्टाक) खाने वाली चर्बी की उच्चतम किस्म है।

मैं पूछना चाहता हूं खाने वाली किस्म साबुन के लिए आवश्यक नहीं थी, यह ग्रीस के लिए भी आवश्यक नहीं था तथा कपड़ा बनाने या किसी भी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं थी। फिर सीमा कर में क्यों छूट दी गई ?

श्री बूटा सिंह : राजनारायण को इसकी आवश्यकता थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दल के व्यक्तियों को मोटा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। क्या भ्रष्टाचार (घूस) के लिये इसकी आवश्यकता थी ? मैं इन शब्दों को कह रहा हूं। प्रो० दंडवते इसे पसन्द नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि मंत्री को यह नहीं कहना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक-ठीक कह रहा हूं ये आरोप सदन में तथा सदन के बाहर भी लगाये गए थे। इसलिए मैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जांच अधिनियम आयोग के तहत जांच कीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : लोगों को फैसला करने दीजिए तथा जांच को निश्चित करिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चौधरी साहब अनशन पर बैठ जाते हैं और अटल जी उनके पास हनुमान की भांति बैठ जाते हैं और उस दिन उन्होंने···

डा० कर्ण सिंह : हनुमान जी पीछे क्यों पड़ गए।

अध्यक्ष महोदय : हनुमान जी के पीछे पड़ना, यह अच्छी बात नहीं है। यह गलत बातहै ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चलो छोड़ दिया ।

प्रो० मधु दंडवते : हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है।

श्री भागवत झा आजाद : आपकी भावनाएं हैं जिन्हें ठेस लग सकती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कम से कम हमने एक मुद्दा तो साबित तो कर दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अगर आप चाहें तो आप लंगूर कह सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : वह मुद्दे के बाहर है । **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस दिन उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें पूजनीय गाय को मंगाना चाहिए था, और उस के सिर पर हाथ रख कर कहना चाहिए था—गऊमाता, हम चर्बी पर कर नहीं लगा सके क्योंकि वह पवित्र थी अन्यथा यह देवी भी अनशन कर देती । किन्तु हमने उपबन्ध किस ओर अपने भाई के लिए आयात को बढ़ावा दिया। मेरे विचार से यह वक्तव्य उनके अनशन के दिन ज्यादा तर्कसंगत होता।

प्रो० मधु दंडवते : आप किस पूजनीय गाय का हवाला दे रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जिसका उन्होंने हवाला दिया है। किन्तु उन्हे यह नहीं भूलना चाहिए कि गाय इस प्रकार की पालतू जानवर नहीं है। इसके दो सींग होते हैं और ये सींग ओ. जी. एल. तथा कर छूट हैं।

प्रो० मधु दंडवते : ये धर्म संकट के सींग हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं इसे समाप्त कर दूं ? यह ढोंग (पाखण्ड) पाखण्ड अपनाया जा रहा है। यदि नाम दिए जाने थे—दूसरा नाम मुझे नही मलूम कि पाखण्ड को अटल जी का नाम दिया जाएगा या चौधरी साहब का। परन्तु पाखण्ड में भी कम से कम शर्म-हया का कुछ अंश होता है। यह ऐसा समय है जब शर्म को भी इस से लज्जा आ जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप ढोंग (पाखण्ड) जैसे शब्द श्री चरण सिंह के विरुद्ध क्यों प्रयोग में लाते हैं ? आप राजनैतिक रूप में उनकी आलोचना कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह प्रधान मंत्री के बारे में बोलूं तो क्या आप इसे पसन्द करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कहता हूं कि पाखण्ड से इतिहास नहीं बन सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जानते हैं आप मंत्री हैं? हम सभी कुछ सुनने के लिए तैयार हैं किन्तु...

प्रो० मधु दण्डवते : हमने कभी इस प्रकार बातचीत नहीं की। हम बार-बार ऐसा सुन रहे हैं। (**व्यवधान**) इस प्रकार बात मत कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अगर आप नहीं चाहते तो मैं बैठ सकता हूं।

प्रो. मधु दंडवते : कोई प्रश्न नहीं है। हमने कभी भी बाधा नहीं डाली हम केवल यह कहते हैं कि श्री चरण सिंह से हमारा मतभेद हो सकता है। किन्तु एक वयोवृद्ध राजनयिक के लिए मैं कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा अगर मुझे उनकी निन्दा करनी हैं तो। किन्तु मैं राजनीतिक तौर पर उनकी निन्दा करूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अगर वे कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और वे कहते हैं कि वह सत्य नहीं बोल रहे हैं, देश तथा संसद को गुमराह कर रहे हैं, तो क्या मैं सही बात कहने के लिए संसद में नहीं आ सकता?

प्रो० मधु दंडवते : आप ने कहा कि उन्होंने "गुमराह" शब्द का प्रयोग किया। किन्तु आप ने जो भाषा प्रयोग की है वह मंत्री के लिए शोभनीय नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तव मैंने जो कुछ कहा दृढ़ता से कहा है। मुझे उसके लिए कोई खेद नहीं है। (**व्यवधान**) वे राजनैतिक महत्वाकांक्षा रूपी खम्बे पर चढ़ना चाहते हैं जो कि चर्बी के लेप से बहुत ज्यादा फिसलनयुक्त हो गई है। वे कुछ भी करें किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वे फिसल जायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : इससे सिर्फ आपका स्तर पता चलता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे मेरा स्तर जानकर खुशी है। श्री दंडवते जी, यह स्तर है। ये नीति सम्बन्धी किताबें हैं, वे आ सकते हैं तथा उन्हें ले सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे उससे कोई सम्बन्ध नहीं मैदान में क्या कुछ कहा गया है। मुझे सिर्फ चिन्ता है तो उससे जो कुछ सम्मानीय सदन में अधिवेशन के आखिरी दिन कहा गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो कुछ मैंने कहा वह इस किताब में है। जिन लोगों ने सरकार बनाई है वे यहां आये वे अपने हाथ इस पर रखें और कहें कि उसमें उनकी स्टेम्प तथा दस्तखत नहीं हैं। किसी भी प्रकार की भूख-हड़ताल अब इस स्टेम्प को यहां से नहीं मिटा सकती। किसी भी प्रकार की राजनैतिक झाड़ पोंछ लोगों की नजरों से साक्ष्य को छीन नहीं सकते। यह सबूत है प्रमाण है जो कि उन्होंने अपनी पीढ़ी के लिए किए हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : ये इन्होंने सदन में नहीं कहा था। महोदय, मैदान में तथा यहां बोले जाने वाली भाषा में अन्तर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्या कर रहे हैं? चर्चा को अच्छे ढंग से चलाईये?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको उन पर नियन्त्रण रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो अच्छा लगे, वह बोलिए।

प्रो० विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो कुछ मैं कहना चाह रहा था…

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपको बताऊंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला जिनमें कि आचार्य भगवान देव भी शामिल हैं, हमने आपत्ति नहीं की। डा० कर्ण सिंह के बोलने पर भी हमने आपत्ति नहीं की। किन्तु एक सीमा होती है। श्री चरण सिंह जैसे व्यक्ति की राजनैतिक भर्त्सना नहीं की गई अपितु उनका चरित्र हनन किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं चरित्र के बारे में नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) मैंने उनके व्यैक्तिक चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यह आचरण का प्रश्न है। चर्चा न सिर्फ चर्बी पर है अपितु यह सब एक दिखावा है। नीति किताब में क्या है इसे मंच पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक चर्चा है—एक प्रकार की वैधता दी गई है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : इस सदन के विदूषक मत बनिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि एक बार वैधता दे दी गई…

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आप अपने तर्क देते रहिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि एक बार जब सरकार अथवा राजनैतिक प्राधिकार वैधता दे देती है, संविधि में जो कुछ है, जैसे किसी को भी सीमा शुल्क छूट से बढ़ावा मिलता है, दिखावे (पाखण्ड) को लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई दिखावा लोगों में है, तो इसे लोगों को ही दिखाना चाहिए। एक भी व्यक्ति को इस विषय पर अति-संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : विदूषक मत बनिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विदूषक का कोई प्रश्न नहीं है। मसखरी हर वक्त उनके द्वारा की जाती है अगर हम इसे बताएं, तो हमें मसखरी के बारे में बताया जाता है। यहां मसखरी का कोई प्रश्न नहीं है। यहां पर इसके प्रमाण हैं, मसखरी का सबूत, नीति मसखरी जो कि की गई है।

राजनैतिक सम्बन्धों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। श्री के० सी० पांडे ने श्री हंसराज गुप्ता के बारे में एक प्रश्न पूछा था। इस प्रकार का एक उल्लेख किया गया था। श्री हंसराज गुप्ता

'अजन्ता ट्यूब्स' कम्पनी के निर्देशक हैं। अजन्ता ट्यूब्स जैन शुद्ध वनस्पति के साथ अनुबद्ध है और इसके चार निर्देशक हैं। श्री जे० आर० जैन, श्री एस० आर० जैन, श्री स्वराज कुमार तथा श्री बी० एल० मनचंदा। अजन्ता ट्यूब्स तथा जैन शुद्ध वनस्पति में यह अभिबंध है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या अजन्ता ट्यूब्स वनस्पति का निर्माण कर रही है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं श्री हंसराज गुप्ता के समकक्ष राजनैतिक लोगों के बारे में बता रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तो क्या हुआ? वह अजन्ता ट्यूब्स के निर्देशक हो सकते हैं; जैन शुद्ध वनस्पति से कोई मतलब नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो व्यक्ति अजन्ता ट्यूबस में हैं उनमें से चार जैन शुद्ध वनस्पति से सम्बन्धित हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने श्री जे० आर० जैन को राष्ट्रीकृत बैंक का निर्देशक नियुक्त किया है। इसका मतलब क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने अजन्ता ट्यूब्स में यह दर्जा हासिल किया। जनता शासन के दौरान 19-10-77 को वे निर्देशक बने और 25-7-78 को वे जैन ट्यूब कम्पनी में निर्देशक बन गए। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पहले ही श्री अभिलाशी के बारे में बताया जो कि उत्पादन शुल्क और कराधान मंत्री थे और 18 नवम्बर, 1977 को भटिण्डा फैक्ट्री की आधारशिला उन्होंने रखी और नींव के पत्थर पर उनका नाम लिखा गया था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या मैं देश के एक ऐसे उच्चतम व्यक्ति का नाम लूं जो कि भटिण्डा फैक्ट्री से सम्बन्धित है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक माननीय सदस्य द्वारा, जो इस तरफ के नहीं उस तरफ के हैं उल्लेख किया गया है। मैं उन मुद्दों को बता रहा हूं जो कि उन बेंचों से आए हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हम श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को जानते हैं। हम जानते हैं वे कौन हैं।

एक माननीय सदस्य : वह एक संसद सदस्य हैं।

श्री बूटा सिंह : हम सिर्फ यह जानते हैं कि श्री हित अभिलाषी पंजाब में जैन संघ के अध्यक्ष थे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या मुझे देश के उस उच्चतम व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जो कि भटिण्डा फैक्ट्री से सम्बन्धित हैं? मैं चुप नहीं बैठ सकता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्राइवेट व्यापारियों के लालच के साथ मिश्रित इस खुली नीति

के उपजाऊ क्षेत्र से एक दिन गाय की चर्बी के आयात की फसल पैदा होनी थी। और यह कैसे हुआ मैं सिर्फ वही बताऊंगा।

यहां पर एक चीज है। जो कुछ हुआ उसे पकड़ने में हमें कुछ समय लगा। यहाँ तक की डा० कर्ण सिंह ने बताया कि कुछ अपराध पूर्णतः अकल्पनीय हैं। ऐसी कमियों की हममें से कोई भी कल्पना नहीं कर सका, क्योंकि कानून कल्पनीय अपराधों के लिए बनाया जाता है, अकल्पनीय अपराधों के लिए नहीं। हम यह कल्पना कैसे कर सकते थे कि जिस सरकार में अटल जी जैसे व्यक्ति मौजूद हों, उस सरकार ने ऐसे प्रावधान बनाए होंगे ? 5 जून, 1981 से गाय की चर्बी को ओपन जनरल लाइसेंस वाली सूची से निकाल दिया गया। इसकी ओ० जी० एल० वाली स्थिति समाप्त कर दी गई और सभी पशु चर्बी किसी अन्य संस्था के माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुएं बन गयीं। ओ० जी० एल० सूची से इसे निकाल दिया गया था।

अतः अप्रैल 1978 में आरम्भ हुए चर्बी-युग का 5 जून, 1981 को अंत कर दिया गया।

अब यह प्रश्न आता है कि आयात-निर्यात नियन्त्रक ने कार्यवाही की या नहीं। हमने कुछ दस्तावेजों को जब्त किए, जैसा कि सुझाया गया सीमा-शुल्क वालों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उससे जो तथ्य सामने आए, उनके आधार पर हमने उन लाइसेंसों का विश्लेषण किया है जिन पर गाय की चर्बी का आयात किया जाता था। हम 417 लाइसेंस का पता कर सके हैं। उनमें से 307 लाइसेंस तो चर्बी आयात करने की उदार नीति वाले चर्बी-युग के हैं। उनमें से 89 लाइसेंसधारी उस अवधि के दौरान हुए ठेकों की सुरक्षा का दावा कर रहे हैं और उनमें से 21 की अभी भी जाँच की जा रही है। जिन लाइसेंसों की जांच की गई है उनमें से 95% इसी उदार नीति वाली अवधि के हैं। सिर्फ उदाहरण देने के उद्देश्य से मैं कुछ ऐसे लाइसेंसों का जिक्र करता हूं, जिनके आधार पर गाय की चर्बी का आयात किया गया :—

(1) आयात लाइसेंस संख्या पी० डब्ल्यू० 2904477 दिनांक 23-2-79 मैसर्स भारत डायमन्ड इण्डस्ट्रीज, बम्बई। 68,08,968 रुपए की गाय की चर्बी का आयात आप देख सकते हैं, हम बी० एल० प्राप्त कर रहे हैं;

(2) आयात लाइसेंस संख्या पी० डब्ल्यू० 2875547 दिनांक 3-9-79 मैसर्स जार्ज एण्ड कम्पनी, मद्रास। 9,17,740 रुपए की गाय की चर्बी—आयात माल के पहुंचने की तारीख : 24-6-81;

(3) आयात लाइसेंस संख्या पी० डब्ल्यू० 2875547 दिनांक 3-9-79 मैसर्स जार्ज एण्ड कम्पनी, मद्रास। 12,24,299 रुपए की गाय की चर्बी—आयातित माल के पहुंचने की तारीख : 28-6-81;

(4) आयात लाइसेंस संख्या पी० डब्ल्यू० 2895171 दिनांक 16-11-79 मैसर्स कजरिया एक्सपोर्ट, कलकत्ता। 53,52,767 रुपए के मूल्य का आयात। आयातित माल के पहुंचने की तारीख : 12-10-81;

(5) आयात लाइसेंस संख्या पी० डब्ल्यू 2895171 दिनांक 16-11-79 मैसर्स कजरिया एक्सपोर्ट, कलकत्ता। 32,11,659 रुपए की गाय की चर्बी। आयातित माल के पहुंचने की तारीख : 21-10-81।

हम इस प्रकार से बताया जा सकता है। यह केवल एक उदाहरण है। इससे बहुत सी फर्म निराश हो सकती हैं, इसके बावजूद मेरा मतलब वाद-विवाद में उत्तेजना पैदा करना नहीं है। किन्तु यदि आप किसी व्यक्ति को उत्तेजित कर दें और यदि इस उत्तेजना का दोषी मैं हूं, तो मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत अधिक 'अमानवीय' नहीं है, जैसा कि मैं कर रहा हूं, इस तरह से कोई भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। किन्तु इन रहस्योद्घाटनों से कुछ मित्रों की योजनाएं विफल हो सकती हैं। कड़ाही में वसा छोड़ने के बाद वे प्रतिक्षा कर रहे थे, राजनीतिक बिस्कुटों की उत्सुकता-पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं किन्तु वसा प्रज्जवलन ताप पर पहुंच गई है, अधिक गरम हो गई है और कड़ाही इतनी अधिक गरम हो गयी है कि उसे पकड़ना ही कठिन हो गया है और न केवल बिस्कुट ही जल जायेंगे वरन् इसके धुंए से चारों ओर खड़े हुए लोगों के चेहरे भी प्रभावित होंगे और झुलस जायेंगे। मैं नहीं कह सकता। नीति के मामले में वे अपना बचाव करने में असमर्थ हैं। मुझे वाद-विवाद याद है, उन्होंने आयात की नीति के साथ इसे शुरू किया था। बाद में उन्होंने विषय बदल दिया। अब यह आयात करने का प्रश्न नहीं रह गया है वरन् मिलावट का प्रश्न बन गया है और वे तीन तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, "यद्यपि हमने आयात की नीति को उदार किया था किन्तु तीन आधारों पर उसकी व्यावहारिक सुलभता का कोई प्रश्न नहीं था। पहला यह कि उस समय खाद्य तेलों के मूल्य कम थे और चर्बी के मूल्य अधिक थे। अत: मिलावट करने का कोई आर्थिक कारण पैदा ही नहीं होता। दूसरे, वे कहते हैं कि उनके समय में पशु-चर्बी का आयात इतना अधिक नहीं था। तीसरे वे कहते हैं कि उनके समय में अवैध आयात अथवा मिलावट के मामले नहीं पकड़े गए। यह तीन बात उन्होंने कहीं थीं।

पहले तर्क पर आइए कि पशु-चर्बी का मूल्य अधिक था और अन्य खाद्य तेलों का मूल्य कम था, इसलिए इसका आयात बहुत सुरक्षित था। यह तर्क दो आधारों पर गलत है—एक तो इस प्रकार से सरकार चलाने के सिद्धान्त पर और दूसरे, तथ्यों के आधार पर भी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई रोज यह जानने के लिए कि आज सरकार की नीति क्या है शेयर बाजार की ओर देखेगा? क्या सरकार को पूरी तरह बाजार पर छोड़ना होगा? क्या हमें बाजार के सामने पूरी तरह समर्पण करना होगा? यह एक बात है, जो मैं नहीं समझ पाया। यह मान भी लिया जाए कि यह बिल्कुल ठीक है, तो इससे क्या बात सामने आई? मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एक महीने और एक तेल—सोयाबीन तेल—के सिवाय पूरे तीन सालों में चर्बी का तटागत मूल्य सोयावीन तेल, तोरिये का तेल, ताड़ का तेल तथा खाद्य तेल, तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा सरणीबद्ध किए गए आयातित तेल के मूल्यों और मूंगफली का तेल, सरसों के तेल तथा बिनौले के तेल के मूल्यों से कम था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप तटागत मूल्यों को ले रहे हैं, आपको बाजार मूल्य लेना चाहिए क्योंकि औद्योगिक प्रयोगकर्त्ताओं के ये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यही वह बात है, यही पकड़ है। उस अवधि में दो प्रकार से चर्बियों का आयात हुआ था : एक निजी व्यापारियों द्वारा और दूसरे राज्य व्यापार निगम द्वारा। राज्य व्यापार निगम के द्वारा मूल्यों में वृद्धि की गई थी और मिलावट की सम्भावना कम थी। किन्तु निजी व्यापारियों को जो सुलभ थी वह तटागत मुल्यों पर ही थी। और यही नीति की कमी व्यावहारिक बातों से जुड़ गयी। मैं यहां इसे सभा-पटल पर रखता हूं। यहां कुल चर्बी की मात्रा दी हुई है—यह तालिका के रूप में है, यह चित्रात्मक रूप में है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 76:6/83।**

चर्बी के तटागत मूल्य की यह निम्नतम वक्र रेखा है। यह मूंगफली का तेल है, यह बिनौले का तेल है। यह सोयाबीन का तेल है, यह तोरिये का तेल है, यह ताड़ का तेल है—इन सबकी वक्र रेखाएं ऊंची हैं। निम्नतम वक्र रेखा चर्बी के तटागत मूल्य की ही है। यह 1977 की स्थिति है। चित्र स्पष्ट है। यह 1978 की स्थिति है। यह चर्बी का तटागत मूल्य है—निम्नतम वक्र रेखा, अन्य वक्र रेखाएं ऊँची हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आशा करता हूं कि आपने कागज उल्टा नहीं पकड़ा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जांच के लिए, मैं इसे एक दस्तावेज के रूप में सभा-पटल पर रखूंगा। ऐसा ही चित्र 1979 का है। अत: यह महान तर्क, आर्थिक तर्क, बचाव का महान गढ़ धूलधूसरित हो जाता है, इस आधार पर उनका कोई बचाव नहीं है।

दूसरे तर्क पर आइए कि जनता शासन के दौरान आयात कम किया गया था। मैं सोचता हूं कि आप इसे पारदर्शी कांच की पुतलियों से देख रहे हैं, इसका दिव्य-दर्शन कर रहे हैं कि भविष्य में कांग्रेस शासन में यह आने वाला है और उससे तुलना कर रहे हैं कि यह कम है। किन्तु पुराने आंकड़ों पर आइए, वे क्या थे। स्थिति यह है। 1973-74 के दौरान, कांग्रेस शासन में पशु-चर्बी का कुल आयात 32,243 टन था, 1974-75 में 47,978 टन, 1975-76 में 5,594 टन, 1976-1977 में 42,981 टन और 1977-78 में 62,543 टन था—जो पांच सालों में अधिकतम था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह वह ठेके थे जो आपने आयात काल के दौरान दिए थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कुल आंकड़ों की तुलना में, यह महत्वपूर्ण है। यह अधिक उल्लेखनीय है कि जब 1977-78 में कुल आयात 62,543 टन था, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई चर्बी 48,000 थी। अत: 14,543 टन चर्बी निजी व्यापारियों द्वारा आयात की गई थी। निजी व्यापारियों द्वारा चूसे जाने वाले खून की यह पहली बारी थी। तत्पश्चात, अगले वर्ष 1978-79 में कुल आयात 32,214 टन था और राज्य व्यापार निगम ने 23,000 टन का आयात किया था। 10,000 टन का आयात निजी व्यापारियों द्वारा किया गया था। तब से नीति मानदण्डों के साथ निजी व्यापारी लगातार सक्रिय हो गए, और अधिक मात्रा में चर्बी का आयात करने लगे।

अब इस बात के बारे में कि चर्बी का आयात कम हो गया और 90% कम हो गया—मैं इस कहानी पर भी आऊंगा। इस पक्ष पर बहुत सी बातें सुनने को हैं और यह मिथक···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पूरी रात पड़ी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, यह एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद है।

श्री बूटा सिंह : श्रीमन्, क्या मैं नाश्ते का भी प्रबन्ध कर दूं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जनता शासन के दौरान 1978-79 में 33,000 टन चर्बी का आयात किया गया था और 62,000 टन की चरमसीमा की तुलना 214 टन अब भी कम है। इसमें पहले वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। फिर भी, यह पिछले कांग्रेस शासन की अवधि के 4 वर्ष की औसत से अधिक है। 1973-74 से 1976-77 की अवधि में यह 32,199 टन था। अत: औसत की दृष्टि से भी यह अधिक था।

सर्वाधिक मात्रा में आयात के बारे में यह बात जोर-शोर से कही गई कि अगले वर्ष केवल 8,000 टन चर्बी आयात की गई और यह कहा गया कि ऐसी जनता सरकार की नीति के कारण हुआ। यह एक रहस्य है। जनता शासन के डी० जी० सी० आई० एण्ड संस के आंकड़ों के अनुसार कुल आयात 8,394 टन दिखाया गया है—जबकि उस वर्ष के आपके राज्य व्यापार निगम के कागजातों के अनुसार कुल आयात 22,000 मीटरी टन दिखाया गया है। आंकड़ों के साथ आपने ऐसा कैसा किया ? मुझे इस बात की जांच के आदेश देने पड़ेंगे कि जनता शासन में क्या हुआ। आंकड़े के साथ ऐसी धोखाधड़ी कैसे हुई ?···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हर चीज की जांच करवाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसे रिकार्ड किया गया है। यह मेरा दस्तावेज नहीं है। यह आपका दस्तावेज है, उस समय का दस्तावेज है।

अब मैं इस अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं कि इस समय किसी भी अवैध आयात की जांच नहीं की गई, महोदय जब व्याभिचार ही वैध है तो उन बच्चों को अवैध कैसे कहा जा सकता है ? किस अधिकारी में इसे रोकने या इसकी जाँच करने का साहस है ? जब कानून में ही इसकी अनुमति दे दी गई है, तो वे इसे रोक ही कैसे सकते हैं ?

अपमिश्रण के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री भागवत झा आजाद ने उत्तर दिया है। उन्हें अपमिश्रण से बहुत दु:ख था···

प्रो० मधु दंडवते : 1982-83 के आंकड़े क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस बारे में भी बताऊंगा। मैंने यह कहा था कि गति बनाई गई थी। मैं नहीं जानता कि क्या 8,000 के आंकड़े सही हैं। राज्य व्यापार निगम ने स्वयं 22,000 टन आयात किया तथा कुल आंकड़े 8,000 थे। इसकी आपके द्वारा बनाए गए आंकड़ों

से तुलना नहीं की जा सकती। आधार की उपेक्षा की गई है। हमें इसका पता लगाना होगा तथा फिर तुलना करनी होगी कि क्या इसमें वृद्धि हुई है या कमी आई है।

प्रो० मधु दंडवते : अभी भी आप 1982-83 के आंकड़े देने की स्थिति में नहीं थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। मेरा कहना यह है कि यदि गंगाजल में गंगाजल मिलाया जा सकना है···(**व्यवधान**) वह अपमिश्रण की भिन्न कथा है। मैं सदन का, अधिक समय नही लूंगा। लेकिन जब भटिण्डा वाले व्यक्ति ने अथवा अन्य लोगों ने कुछ टीनों में मिलावट की होगी लेकिन इन लोगों ने सारे टिनों में ही मिलावट कर दी है, यही इनका राजनैतिक ध्येय है। मुझे केवल इतना ही कहना है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राजनैतिक महत्वाकांक्षा में कोई गलत बात नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कांग्रेस शासन या जनता शासन के बारे में निष्पक्ष रूप से एक बात मैं अवश्य कहूंगा, वह राज्य व्यापार निगम के बारे में है। गैर-सरकारी व्यापार सम्बन्धी आंकड़े मैं दे चुका हूं।

एक बात अखाद्य चर्बी के बारे में है जिसका आयात किया गया था। मेरे पास बैले की एक किताब 'इंडस्ट्रियल ऑयल एण्ड फैट' चौथा संस्करण है। इसके पृष्ठ 343 में कहा गया है—

> "विनियमों में यह अपेक्षा की जाती है कि जब ग्रीज या अन्य अखाद्य वसा को पैट्रोलियम आस्रुत मिलाकर कानून के अंतर्गत सीधे उस पात्र में विकृत किया जाता है जिसमें बिक्री की जाती है, तो इसमें कुछ मिलाकर मिथाइलकृत स्प्रिट बनाना होता है।"

अतः इस सम्बन्ध में, चाहे वह जनता शासन में हुआ हो या कांग्रेस शासन में, राज्य व्यापार निगम के अखाद्य तेल में मिलावट नहीं की गई है। एक वैध मुद्दा उठाया गया था। मैं कह सकता हूं कि मैं इस बारे में अपने सहयोगी, कृषि मंत्री को बता दूंगा।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, इस मामले में मैं उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन नहीं मानूंगा। संक्षेप में, मैं इतना कहूंगा। साबुन तथा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की गई कि इसके आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने से उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार वनस्पति मूलक विभिन्न वैकल्पिक वस्तुओं पर विचार कर रही है तथा इसकी जितनी भी आवश्यकता होगी, मंगाया जायेगा। इस कारण इन उद्योगो को और वंचित नहीं रखा जाएगा। इसमें समय लगेगा। मैं 'इकोनॉमिक वीकली' में उद्धृत किए गए समाचार के बारे में बताऊंगा। मैं केवल एक मुद्दा उठाऊंगा। चूंकि बहुत से सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है इसलिए मैं 'इकोनामिक वीकली' से भी उद्धृत करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि यह प्राधिकार है। पृष्ठ 2070 पर बकरे की चर्बी तथा गाय की चर्बी के कई वर्षों के मूल्यों का चार्ट दिया गया है। लेकिन विचित्र बात यह है कि वर्ष 1965-66, 1972-73, 1973-74 तथा 1976-77 में बकरे की चर्बी का मूल्य अन्य पशुओं की चर्बी के मूल्य से कम था। जिज्ञासावश यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि

1965-66 में बकरे की चर्बी का मूल्य कम था (व्यवधान)। यहां तक कि वर्ष 1972-73 तथा 1973-64 में भी उन्होंने बकरे की चर्बी का मूल्य गाय की चर्बी के मूल्य से कम बताया है। और ठीक उसी समय बकरी की चर्बी का आयात किया गया था। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : तथ्य एकदम सही है। आप क्या सफाई देना चाहते हैं? जब बकरे की चर्बी का मूल्य कम होता है केवल तभी गाय की चर्बी का आयात मूल्य कम होगा। वही आप कहना चाहते हैं। यह स्पष्टीकरण सभी वर्षों के लिए लागू नहीं होता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होने जो कुछ दर्शाया है आप उसे देखिए। जब 1978-79 और 1979-80 में मूल्यों में वृद्धि हुई थी, जब बकरी की चर्बी का मूल्य गाय की चर्बी के मूल्य से अधिक था। उस समय बकरे की चर्बी का आयात अधिक मात्रा में किया गया। यदि बकरे की चर्बी के मूल्य में वृद्धि हो गई थी तब उसके आयात में कमी आनी चाहिए थी। यही स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं। (व्यवधान) स्पष्टीकरण वही है लेकिन तथ्य वही नहीं हैं। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें और अधिक समय की आवश्यकता है।

प्रो० मधु दंडवते : इससे पहले कि आप अगले मुद्दे पर चर्चा करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि 12 दिसम्बर को इस सदन में दिए गए उत्तर में खाद्य मंत्री ने बताया था कि 1980-81 में 29,629 टन चर्बी आयात की गई थी और 1981-82 में 48,048 टन चर्बी आयात की गई। इस सदन में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : आप कुछ वर्षों के आंकड़े दे रहे हैं। यदि आप 1977-78 की तुलना पिछले 5 वर्षों से करें तो उस वर्ष में सबसे अधिक आयात किया गया था। (व्यवधान) मैंने जो कुछ कहा है, एकदम ठीक है। मैंने इसे उन्हीं कागजातों से उद्धृत किया है जिनसे आप उद्धृत कर रहे हैं। आपको विस्तार में बताना चाहिए। (व्यवधान) मैं तस्वीर का दूसरा पक्ष प्रस्ताव कर रहा हूं। मैं वह बात बताना चाहता हूं कि जो बात आप नहीं कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब तक मैं वर्ष 1978-79 के आंकड़ों की जांच न करूं मैं नहीं जानता कि क्या इसे रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। इन दस्तावेजों तथा राज्य व्यापार निगम के दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ही मैं उत्तर दूंगा।

श्री ए० के० राय : आपके द्वारा निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी पिछले दो वर्षों तक भी 2 लाख टन चर्बी का आयात किया गया था···(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस बारे में बता चुका हूं। लाइसेंस भिन्न-भिन्न समय पर जारी किए जा रहे थे।

महोदय, जांच तथा न्यायिक जांच के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां जनता शासन के दौरान हुई जांच का संबंध है, एक असहाय जज क्या करेगा? जिसे मंजूरी दे दी गई है, उसके अनुसार वह कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता। नीति निर्माताओं ने संसद में जो पारित कर दिया है वह उस बारे में प्रश्न नहीं कर सकता। वह इतना ही कह सकता है कि उसके दौरान बिल्कुल अवैध आयात नहीं हुआ है, क्योंकि हर वस्तु का आयात वैध था, अन्यथा उसे पहले ही दिन उसके पद से हटा दिया जाएगा (**व्यवधान**) महोदय, ऐसा नहीं है कि इस मामले में न्यायपालिका अंतर्ग्रस्त नहीं है। श्री राजनारायण ने इस मामले के प्रत्येक पहलू के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। पैरा 3 में उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि इसने मिलों के साथ मौन समझौता किया हुआ था और गलत कार्यों के लिए गाय की चर्बी का आयात करने की अनुमति दी। याचिका के पैरा 4 में उन्होंने इसमें अंतर्ग्रस्त मिलावटी वनस्पति के दोषी निर्माताओं को पकड़ने में प्रतिवादियों द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा अवैध आयात की जांच करने में सरकार की असमर्थता संबंधी मामला उठाया है। याचिका के पैरा 5 में उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार···में असफल रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। न्यायालय के समक्ष दी गई याचिका में जो कुछ भी कहा गया है, क्या सदन में उसकी चर्चा करना तथा उन सभी पहलुओं पर विचार करना संगत है। उन्होंने नीति का स्पष्टीकरण दिया है। राजनारायण इस सभा के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने न्यायालय में जो कुछ भी कहा···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कोई गलत उद्धरण नहीं दे रहा। मैं इस पर अपनी राय प्रकट नहीं कर रहा। मैं सभा को जानकारी दे रहा हूं। उनका कहना है कि सरकार इस देश के नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में असफल रही है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : किसी ने सभा के बाहर जो कहा है उसका उल्लेख यहां करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो मुद्दे उठाए जा चुके हैं मैं उन पर चर्चा नहीं कर रहा। ये मामले न्यायपालिका के समक्ष हैं और उससे बढ़कर कोई उच्च परीक्षण संस्थान नहीं। विरोधी दल के सदस्य जो कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि उन्हें उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं। जहां तक सरकार का संबंध है हम इसे सबसे अधिक सम्मान देते हैं और यदि मामले में तनिक भी गुण-दोष है निश्चय ही वह निर्णय देंगे और हम उसका पालन करेंगे।

आचार्य भगवान देव : राजनारायण जी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि पेपरों में सब आ चुका है। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लेकिन फिर भी यदि किसी भी स्तर पर सरकार यह महसूस करती है कि न्याय की दृष्टि से किसी उचित मंच द्वारा इसकी जांच कराई जानी आवश्यक है तो

सरकार कभी भी इसमें संकोच नहीं करेगी। यह कहकर अन्त में जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दिया है और मेरे विचार में मैं इससे और अधिक कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि सभी सदस्य अब जाने की तैयारी में हैं। ओपन जनरल लाइसेंस के सबंध में मैं चाहता था कि मैंने जो कहा वह होता और विरोधी पक्ष के मेरे मित्र ठीक होते; हालांकि उससे मैं विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए दण्डित किया जाता लेकिन उससे देश को निवारण का अधिकार प्राप्त होता और उन लोगों को जो इस नीति का संरक्षण ले रहे हैं दण्डित किया जा सकता। कम से कम देश को यह अधिकार तो प्राप्त होगा। यदि मुझे दण्ड दिया जाता तो भी मैं खुश होता। मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत हो और उनकी ठीक। वे हमें यह कानूनी अधिकार दें कि उन सब लोगों की जो हर संभव संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर रहें हैं, हम हथकड़ियां पहना सकें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें विवेक से काम लेना चाहिए जहां एक ओर अतीत पर चर्चा की जाए वहां साथ ही भविष्य का भी ध्यान रखा जाए ताकि बेईमान और समाज विरोधी तत्वों से निपटा जा सके। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

श्री सतीश अग्रवाल : इससे पहले कि आप सभा स्थगित करें मैं संसदीय कार्य मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे उन सब लोगों को जो यहां सुबह 11 बजे से उपस्थित हैं, विशेषकर प्रेस वालों तथा पत्रकारों इत्यादि सभी को रात्री भोज के लिए निमंत्रण दें।

श्री बूटा सिंह : मैं वह निमंत्रण पहले ही दे चुका हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, संसद के चालू सत्र की अध्यक्षता करने, हमारा मार्ग दर्शन करने तथा चालू सत्र का सफलतापूर्ण समापन करने के लिए हम सब आपके कृतज्ञ हैं। मैं इस सम्मान्य सभा के सदस्यों को नववर्ष की बधाई देता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। मैं दोनों पक्षों के, विशेषकर विरोधी पक्ष के सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने सभा की कार्रवाही को सुचारू रूप से चलाने में अपना विनम्र सहयोग दिया है। अध्यक्ष महोदय, सत्र का हमारे संसदीय लोकतंत्र के सफल कार्यकरण के इतिहास में अपना विशिष्ट महत्व रहेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय तथा हमारे स्टाफ को धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ क्या इसका कुछ विशेष अभिप्राय है

श्री बूटा सिंह : नया वर्ष आने वाला है और इसीलिए मैं सभी को नव वर्ष के लिए बधाई देता हूं। और सबके लिए मंगल कामना करता हूं

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता) : धन्यवाद देना इत्यादि यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु

मंत्री महोदय हमें स्पष्ट बता दें कि हम चुनाव की तैयारी करें अथवा अगले सत्र की। अध्यक्ष महोदय हम आपका विदिर्णय चाहते हैं। हम अगले सूत्र की तैयारी करें अथवा चुनाव की ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अगले सत्र की। क्योंकि मैं सत्र के पक्ष में हूं।

श्री बूटा सिंह : मैं ईश्वर से सबके सौभाग्य की कामना करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसका कुछ अभिप्राय है।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा निहित अर्थ निकालने की कोशिश न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप सभी माननीय, सदस्यों को धन्यवाद करना है। जिस तरीके से आपने सदन को और मुझे सदन को चलाने में अपना सहानुभूतिपूर्व को-आपरेशन दिया—इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, सदन के दोनों तरफ से। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आप सबसे बहुत ही सौहार्दता से काम भी किया और खाना भी खाया और कभी दोपहर में काफी समय तक बन्द भी किया।

श्री सतीश अग्रवाल : आज शाम का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आज का बन्दोबस्त किया हुआ था।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : सब के लिए किया था।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने सुबह कह दिया था कि भोजन और खाना दोनों हाजिर है। जैसा कि मुझे कहा गया था। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि सारा काम भी किया, जितना बिजनेस था, वह भी पूरा किया और जब हम नए साल में पदार्पण कर रहे हैं। भगवान आपको घर में सब की सेहत दे, खुशी दे और आप तन्दरुस्त होकर नए साल नए सैशन में आइए और देश की सेवा में जुट जाइए। बातें जो होती रहती हैं। विचारों में कभी विवाद तो चलता रहता है। उस विवाद की कोई बात नहीं है। वह तो चलना चाहिए, लेकिन देश की एकता, अखंडता और उसको आगे बढ़ाने की गति है, वह हमें तेज करनी है। उसके लिए जी-जान से काम करना है। देश है, तो हम हैं और देश नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सारी बातें याद रखनी है। आपका पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल : भूतकाल के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। भविष्य की कामना नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नई स्फूर्ति के साथ। आप चिन्ता मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे। नई स्फूर्ति के साथ आइए, नया सेशन करने के लिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय हम आपके तथा अपने लोक सभा प्रशासन और प्रैस वालों के बहुत अभारी हैं। आपने जो हमें सहयोग दिया है तथा हमारी विभिन्न मनोदशाओं के बावजूद भी जो धैर्य आपने कायम रखा उसके लिए हम कृतज्ञ हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सब का, प्रैस का और दर्शक दीर्घा में आए हुए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और आप सब को नववर्ष की बधाई देता हूं अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

11.35 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई

इण्डियन प्रैस रानी बाग